पंचदश माला, खंड 17, अंक 10

शुक्रवार, 12 अगस्त, 2011
21 श्रावण, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 83
Dated 29 April 2014

सत्यमेव जयते

(खण्ड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

कमला शर्मा
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

रचनजीत सिंह
संयुक्त निदेशक

कावेरी जेसवाल
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 17, आठवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 10, शुक्रवार, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 183	1–23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 184 से 200	29–150
अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300	150–731
सभा पटल पर रखे गए पत्र	731–741
राज्य सभा से संदेश	741–742
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	742
(एक) 238वां प्रतिवेदन	742
(दो) साक्ष्य	742
मंत्री द्वारा वक्तव्य	742
पंचायती राज्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री वी. किशोर चन्द्र देव	742–743
सभा का कार्य	743–747
कार्य मंत्रणा समिति के 28वें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव	747
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	748
एयर इंडिया की घटती हुई यात्री संख्या और खराब वित्तीय स्थिति जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य प्रसुविधाओं के संदाय में विलंब हुआ, से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	748
श्री गुरूदास दासगुप्त	748

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम

श्री वी. नारायणसामी 749-759

डॉ. भोला सिंह 759

श्री रमेश बैस 760

डॉ. मुरली मनोहर जोशी 760-760

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 766-770

सदस्य द्वारा निवेदन 791

देश में कैंसर रोगियों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में 791-804

मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 804

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री गणेश सिंह 804-807

डॉ. प्रभा किशोर ताविआड 808-810

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 810-811

डॉ. तरूण मंडल 811-813

डॉ. (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी 813-816

श्री गुलाम नबी आजाद 816-821

खण्ड 2 से 13 और 1 821-837

पारित करने के लिए प्रस्ताव 838

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 18वें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव 838

बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में संकल्प 838

डॉ. भोला सिंह 838-846

श्री ओम प्रकाश यादव 846-847

श्री मंगनी लाल मंडल 847-851

श्री सतपाल महाराज 851-852

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 852-858

श्री मोहम्मद असरारूल हक 858-873

विषय **कॉलम**

श्री शैलेन्द्र कुमार 873-877

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 877-886

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी 886-888

श्री सुशील कुमार सिंह 888-891

श्री पन्ना लाल पुनिया 891-893

श्री अर्जुन राय 893-896

श्रीमती पुतुल कुमारी 896-898

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 899

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 900-910

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 911

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 912

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

शुक्रवार, 12 अगस्त, 2011/21 श्रावण, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न संख्या 181, श्री पी.आर. नटराजन

विदेशी ऋण

\+
***181. श्री पी.आर. नटराजनः**
श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत बारह महीनों में प्रत्येक महीने के दौरान देश पर दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों प्रकार के विदेशी ऋण का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी ब्याज दरें लागू हैं;

(ख) विश्व के ऋणग्रस्त देशों में भारत का स्थान कौन सा है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विदेशी ऋणदाताओं को मूलधन और ब्याज के रूप में चुकाई गई कुल धनराशि का देश-वार और संस्था-वार ब्यौरा क्या है तथा आज की तारीख के अनुसार कुल कितनी राशि बकाया है; और

(घ) देश के ऋण भार को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विदेशी ऋण संबंधी आंकड़े एक तिमाही के अंतराल पर त्रैमासिक आधार पर प्रसारित किए जाते हैं। पिछले 12 महीनों के दौरान भारत के विदेशी ऋण का तिमाही-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

सारणी: भारत का विदेशी ऋण (बिलियन अमरीकी डालर)

क्र.सं.	घटक	जून-अंत 2010 (अंसं)	सितम्बर-अंत 2010 (अंसं)	दिसम्बर-अंत 2020 (अंसं)	मार्चान्त 2011 (त्व.अ)
1.	दीर्घावधिक विदेशी ऋण	213.9	228.2	234.8	240.9
2.	अल्पावधिक विदेशी ऋण	56.4	60.5	61.1	65.0
3.	जोड़ विदेशी ऋण (1+2)	270.3	288.7	295.9	305.9

अं.सं: अंशतः संशोधित, त्व.अ: त्वरित अनुमान

विदेशी ऋण पर दी जाने वाली ब्याज दर प्रत्येक ऋण के संबंध में भिन्न होती है क्योंकि यह उधारकर्ता तथा ऋणदाता के प्रकार, ऋण की परिपक्वता अवधि तथा संदर्भ ब्याज दर पर निर्भर करती है।

(ख) विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित 'ग्लोबल फाईनेन्स 2011' के अनुसार, 2009 में समग्र विदेशी ऋण स्टॉक के संदर्भ में शीर्ष 20 ऋणी विकासशील देशों में चीन, रूसी, परिसंघ, ब्राजील और तुर्की के बाद भारत पांचवें स्थान पर था।

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान, विदेशी सहायता के अंतर्गत सरकारी खाते पर मूलधन और ब्याज की अदायगी के संस्था तथा देश-वार अनुमान इस प्रकार हैं:

सारणी: सरकारी खाते पर विदेशी ऋण शोधन भुगतान (मिलियन अमरीकी डालर)

		2008-09			2009-10 अंसं			2010-11 त्व.अ		
		मूलधन	ब्याज	जोड़	मूलधन	ब्याज	जोड़	मूलधन	ब्याज	जोड़
	सरकारी खाते पर विदेशी ऋण (क + ख)	2,415	1,057	3,472	2,471	802	3,273	2,635	686	3,315
क.	बहुपक्षीय (1 से 6)	1,367	681	2,048	1,386	432	1818	1,529	303	1,832
1.	एडीबी	164	220	384	135	100	235	182	44	226
2.	ईईसी	1	0	1	2	0	2	1	0	1
3.	आईबीआरडी	419	262	681	388	126	514	475	65	540
4.	आईडीए	772	196	968	849	203	1052	858	191	1049
5.	आईएफडी	10	3	13	11	3	14	11	3	14
6.	ओपेक	1	0	1	1	0	1	2	0	2
ख.	द्विपक्षीय (7 से 12)	1,048	376	1,424	1,085	370	1455	1,106	377	1,483
7.	जर्मनी	136	29	165	106	24	130	93	21	114
8.	फ्रांस	60	14	74	56	11	67	47	9	56
9.	जापान	679	258	937	699	262	961	733	275	1008
10.	रूसी परिसंघ	99	60	159	162	60	222	184	61	245
11.	स्विट्जरलैंड	1	0	1	1	0	1	1	0	1
12.	संयुक्त राज्य अमेरीका	73	15	88	61	13	74	48	11	59

अंसं: अंशत संशोधित त्व.अ.: त्वरित अनुमान

ए.डी.बी.: एशियाई विकास बैंक, ई.ई.सी.: यूरोपीय आर्थिक समुदाय, आई.बी.आर.डी.: अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, आई.डी.ए.: अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, आई.एफ.ए.डी.: अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि, ओपेक: पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन

विदेशी सहायता के अंतर्गत सरकारी खाते पर भारत का विदेशी ऋण मार्चान्त 2011 में 62.4 बिलियन अमरीकी डालर था जिसमें बहुपक्षीय ऋण 42.6 बिलियन अमरीकी डालर तथा द्विपक्षीय ऋण 19.8 बिलियन अमरीकी डालर था।

(घ) भारत सरकार द्वारा अपनाई गई विदेशी ऋण प्रबंधन की नीति में दीर्घ परिपक्वताओं के साथ रियायती शर्तों पर सरकारी ऋण जुटाने, अंतिम प्रयोग और ऑल इन कॉस्ट प्रतिबंधों के माध्यम से विदेशी वाणिज्यिक उधारों को विनियमित करने; अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरों को यक्तिसंगत बनाने पर तथा दीर्घावधिक एवं अल्पावधिक ऋण को मॉनीटर करने पर बल दिया जाता है। विवेकशील विदेशी ऋण प्रबंधन के परिणामस्वरूप, भारत का विदेशी नियंत्रणीय सीमाओं में बना हुआ है, जैसाकि 2010-11 विदेशी ऋण के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद के 17.3 प्रतिशत के अनुपात और 4.2 प्रतिशत के ऋण-शोधन अनुपात से परिलक्षित होता है।

श्री पी.आर. नटराजन: महोदया, वर्ष 2010-11 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में पृष्ठ संख्या 151 और 152 में कहा गया है कि विश्व में सबसे अधिक कर्जदार देशों की सूची में भारत का नाम पांचवें स्थान पर है। यह 'वैश्विक विकास वित्त-2011' में दिए गए आंकड़े पर आधारित है जिसका प्रकाशन विश्व बैंक द्वारा किया गया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विगत 12 महीनों में कुल बाह्य ऋण में वृद्धि के क्या कारण हैं तथा बाह्य ऋण की राशि को कम करने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं।

श्री नमो नारायन मीणा: उत्तर में यह कहा गया है कि "विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित 'वैश्विक विकास वित्त-2011' के अनुसार, भारत का स्थान 2009 में पांचवां है। यहां मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि जी.एन.आई. अनुमान की तुलना में बाह्य ऋण अनुमान के संदर्भ में भारत का स्थान विश्व में सबसे नीचे है जो देनदारी वाले 20-कर्जदार विकासशील देशों में पांचवां है। विदेशी मुद्रा भण्डार द्वारा बाह्य ऋण को दी गई सुरक्षा के संदर्भ में भारत का स्थान 119.8 प्रतिशत के साथ चीन (थाईलैण्ड और मलेशिया) के बाद चौथे स्थान पर था। यह 20 विकासशील देशों में चौथे सबसे अच्छे स्थान पर है। कुल बाह्य ऋण के रियायती ऋण की हिस्सेदारी के मामले में भारत का स्थान पाकिस्तान के बाद सबसे ऊपर चौथे स्थान पर था।

जी हां, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, इसमें थोड़ी-सी वृद्धि रही है। यह भी बताया गया है कि यह हिस्सा हमारे सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 17.3 प्रतिशत है। उन्होंने पूछा है कि इसको नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। हमने अपने जवाब में इसकी जानकारी दे दी है। हमने कहा है: भारत सरकार द्वारा अपनाई गई बाह्य ऋण प्रबंधन नीति में लम्बी परिपक्वता अवधि वाले रियायती शर्तों पर संप्रभु ऋण सुलभ कराने पर जोर दिया जाता है।" यहां यही हुआ है। अन्य कई उपाए भी हमारे देश द्वारा किए गए हैं और इनका ब्यौरा उत्तर में दिया गया है।

यह वृद्धि वर्ष 2010-11 में 305.9 बिलियन अमेरिकी डालर तक थी। यह 261 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2011 में कुल बाह्य ऋण में वृद्धि का कारण मुख्य रूप से व्यावसायिक ऋण प्राप्त करना था जोकि कुल ऋण में 38.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसमें बाद में अल्प अवधि ऋण 28.2 प्रतिशत तथा बहुउद्देश्यीय ऋण 12.3 प्रतिशत थे। मजबूत घरेलू मांग के साथ ब्याज दर के बदले हुये अंतर से व्यवसायिक ऋण के अंतर्गत उच्च निवल आगम में वृद्धि हुई है। यही कारण हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और यह बाह्य ऋण प्रबंधनीय है।

श्री पी.आर. नटराजन: महोदया, मैं जानना चाहता हूं कि आई.एम.एम. सहित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण देते समय वैश्विक विकास वित्त पर कोई विशेष शर्त लगाई गई है और यदि हां तो क्या माननीय मंत्री इस सम्माननीय सभा में उन ब्यौरों को रखेंगे।

श्री नमो नारायन मीणा: महोदया, ऋण लेते समय ऋणदाता की शर्तों को मानना पड़ता है। ऋण लेने से पूर्व ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा सदैव ही शर्तें रखी जाती हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत की विदेशी ऋण के लिए क्रेडिट रेटिंग क्या है, सरकार इस क्रेडिट रेटिंग को सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है तथा विदेशी ऋण का उपयोग किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया गया? माननीय मंत्री जी से सवाल पूछा गया था कि ब्याज की दरें क्या हैं, लेकिन उसका भी स्पष्ट जवाब उत्तर में नहीं मिला है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदया, ऋण निर्धारण केवल बाह्य ऋण की मात्रा से ही निर्धारित नहीं किया जाता। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में हमारे बाह्य ऋण में कमी आई है। यदि माननीय सदस्य आंकड़े जानना चाहते हैं तो मैं इसे उपलब्ध करा सकता हूं। 1991 से हमारे सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल बाह्य ऋण का अनुपात 28.7 प्रतिशत था। 2003-04 से, जब मेरे सहयोगी श्री यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने अच्छा कार्य किया था और इसमें कमी आनी शुरू हुई थी। 2003-04 में यह 18 प्रतिशत था। इस समय हमने न्यूनतम अनुपात 17.3 प्रतिशत प्राप्त किया है। जहां तक ब्याज-दर का संबंध है तो यह उधार लिए गए ऋण के स्वरूप पर निर्भर करता है जो ऋण हम प्राप्त करते हैं। सामान्य स्थिति में ब्याज दर एल.आई.बी.ओ.आर. प्लस होता है - एल.आई.बी.ओ. आर. प्रचलित मानक और सामान्य ब्याज दर होते हैं। लेकिन रियायती ब्याज दर भी होता है जैसे कि आई.डी.ए. की स्थिति है। आई.डी.ए. में ब्याज दर लगभग न्यूनतम का होता है जो 0.5 प्रतिशत है जिसमें परिपक्वता अवधि लम्बी होती है। आई.डी.ए. में एक वचनबद्धता शुल्क भी होता है। लेकिन आई.एफ.डी.ए. में यह 0.75 प्रतिशत है लेकिन इसमें कोई वचनबद्धता नहीं होती है। इसलिए इसमें ब्याज दर भी परिवर्तनशील होती है जो परिपक्वता अवधि पर निर्भर करती है - जिस अवधि में ऋण वापस करना होता है। हाल में आपने ऐसा देखा होगा। आज हम एक सुखद

स्थिति में हैं। मैं सभा को बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में, इस समय हमारा कुल ऋण 305.9 बिलियन डॉलर है और आज की तारीख में हमारा कुल आरक्षित कोष 319 बिलियन डॉलर है। यह बहुत ही विरल अवधि है जब किसी खास तिथि को हमारा कुल आरक्षित कोष हमारी कुल बकाया देनदारियों से अधिक है। धन्यवाद।

श्री एस.एस. रामासुब्बू: हमारे माननीय मंत्री कहते हैं कि हमारे ऊपर अल्पावधि के लिये व्यावसायिक बोझ या ऋण होते हैं। आजकल विभिन्न तेल निर्यातक उत्पादक देशों से हमें तेल आयात करना पड़ता है और इस प्रकार हमारे ऊपर तेल का बिल बढ़ता जाता है और ऋण की देनदारियां भी हैं। हाल ही में ईरान ने घोषणा की है कि वह भारत को तेल आपूर्ति बंद करने वाला है यदि उसे तेल ऋण बिल निश्चित अवधि के भीतर भुगतान नहीं कर दिया जाता। कच्चे तेल के आयात के कारण हमारे ऊपर तेल ऋण बिल का कितना भार है? हमने ईरान के साथ अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदया, सर्वप्रथम मैं इस सोच को खत्म करना चाहूंगा कि ईरान ने भारत को तेल की आपूर्ति रोक देने की धमकी दी है। कृपया देश में भय की स्थिति पैदा मत कीजिए। यह किसी समाचार पत्र की खबर हो सकती है लेकिन अधिकाधिक तौर पर इरान ने हमसे ऐसा कभी नहीं कहा कि वह तेल की आपूर्ति बंद करने जा रहा है। इरान हमारी जरूरत का 20 प्रतिशत तेल की आपूर्ति करता है। इसीलिए यदि ऐसी खबर फैलाई जाएगी तो इससे समस्या उत्पन्न होगी। इरान को तेल बिल के भुगतान में हमें कुछ कठिनाई आई थी लेकिन उसे दूर कर लिया गया है। अब नियमित रूप से भुगतान हो रहा है। कुछ बकाया राशि है जिसको हम समय के साथ आने वाले समय में भुगतान कर देंगे।

कृपया ई.सी.बी. को तेल आयात बिल के साथ मत मिलाइए। विदेशी विनिमय ऋण में काफी वृद्धि हो चुकी है। जैसाकि मेरे मित्र ने कहा है कि आजकल हमने अपने निजी क्षेत्र को विदेश से ऋण लेने की छूट दी है। हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि देश में ब्याज दर बढ़ती जा रही है। मैंने अनेकों बार इसके बारे में बताया है। मुद्रा स्फीति से निपटने के लिए गत दस महीनों में रेपो दर में कई बार वृद्धि की गई है। आपने ध्यान दिया होगा कि विकसित देश कम ब्याज दरों पर अमरीका में क्वांटीटेटिव ईजिंग सहित विभिन्न तंत्रों के माध्यम से काफी धनराशि लगा रहे हैं। वे अपने कारणों से स्पष्ट रूप से ब्याज दरें नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं इस पर टिप्पणी करने नहीं जा रहा हूं यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय वित्त क्षेत्रों में इसके परिणाम आएंगे। परंतु यह एक कारण है और इसीलिए ई.सी.बी. में वृद्धि हुई है।

डॉ. तरुण मंडल: माननीय मंत्री द्वारा प्रदत्त आंकड़ों से मुझे प्रतीत होता है कि विदेशी ऋण धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और फिर भी विश्व में भारत को चीन के बाद विश्व की सबसे प्रगतिशील एवं तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था माना जाता है। मुझे लगता है कि यह लगभग ऋणं कृत्वा घृतम पीवेत की तरह है। इसका अर्थ है कि यद्यपि विदेशी ऋण धीरे-धीरे बढ़ रहा है, फिर भी हम आर्थिक प्रोत्साहन दे रहे हैं, पिछले बजट में भी 2,00,000 करोड़ रुपये की सीमा में, अनेक आवश्यक क्षेत्रों में हमारी राजसहायता में कटौती की गई थी। मैं माननीय मंत्री को बताना चाहूंगा कि कर अपवंचन के कारण हमारे आंतरिक संग्रहण के कारण घाटा हो रहा है। हसन अली की तरह भारत में अनेक अन्य व्यक्ति हैं जो हजारों करोड़ रुपये के कर की चोरी कर रहे हैं। यदि हम आंतरिक करों से अधिक राजस्व प्राप्त करें तो हम अपने विदेशी ऋण को घटा सकते हैं। अत:, माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न है कि आय कर संग्रहण के माध्यम से आंतरिक संग्रहण को बढ़ाने और इन कर अपवंचकों के विरुद्ध क्या कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदया, यह पूर्णत: संदर्भ से अलग है। प्रश्न विदेशी ऋण से संबंधित है। जहां तक कर संग्रहण का संबंध है हमने इस विशेष मुद्दे पर कई अवसरों पर चर्चा की है। हमने काला धन जमा करने की समस्या तथा इस स्थिति से निपटने जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर जल्द ही एक और चर्चा होगी तथा मैं इस चर्चा के दौरान माननीय सदस्य को विस्तार से बताऊंगा। भारत सबसे बड़े नहीं बल्कि सबसे कम ऋणी विकासशील देशों में से है। इसीलिए हमने बताया कि भारत विश्व के सबसे बड़े 20 ऋणी विकासशील देशों में पांचवें सबसे कम स्थान पर है और, इसीलिए मैंने बताया है कि प्रति व्यक्ति ऋण घटा है। ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में कमी आई है। दो मिनट पहले मैंने आपको इन आंकड़ों के बारे में बताया था।

[हिन्दी]

ग्रामीण बैंकिंग

+*182. श्री उदय प्रताप सिंह:
श्री तूफानी सरोज:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की राज्य-वार तथा बैंक-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच अपेक्षाकृत कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार 2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों/गांवों में 'स्वाभिमान' अभियान के अंतर्गत मोबाइल बैंकिंग, ए.टी.एम. आदि सहित बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सेवा कितने गांवों में शुरू किए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार, देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 73,601 शाखाओं में से 21,646 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इन शाखाओं का राज्य-वार एवं बैंक-वार ब्यौरा क्रमश: अनुबंध-I तथा अनुबंध -II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) वित्त मंत्री ने वर्ष 2010-11 के बजट भाषण में इस निर्णय की घोषणा की कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी समर्थन के साथ कारबार सम्पर्की और अन्य माडलों का प्रयोग करके 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले रिहायशी इलाकों को मार्च 2012 तक उपयुक्त बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

बैंकों ने 'स्वाभिमान' नामक इस कार्यक्रम के तहत उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऐसे लगभग 73,000 रिहायशी इलाकों की पहचान की है। बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2010-11 में 29,569 गांवों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं और वर्ष (2011-12) में मार्च 2012 तक शेष गांवों को भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है।

अनुबंध I

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 31 मार्च, 2011 के अनुसार कार्यरत शाखाओं की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य	ग्रामीण शाखाएं
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	19
2.	आन्ध्र प्रदेश	1647
3.	अरूणाचल प्रदेश	37
4.	असम	484
5.	बिहार	1233
6.	चण्डीगढ़	24
7.	छत्तीसगढ़	305
8.	दादरा एवं नगर हवेली	10
9.	दमन एवं दीव	2
10.	दिल्ली	59
11.	गोवा	177
12.	गुजरात	1280
13.	हरियाणा	517
14.	हिमाचल प्रदेश	655
15.	जम्मू और कश्मीर	327
16.	झारखण्ड	678
17.	कर्नाटक	1309
18.	केरल	279
19.	लक्षद्वीप	8
20.	मध्य प्रदेश	1021
21.	महाराष्ट्र	1837
22.	मणिपुर	18
23.	मेघालय	83

1	2	3
24.	मिजोरम	10
25.	नागालैण्ड	35
26.	उड़ीसा	965
27.	पुदुचेरी	26
28.	पंजाब	1102
29.	राजस्थान	1038
30.	सिक्किम	53
31.	तमिलनाडु	1638
32.	त्रिपुरा	44
33.	उत्तर प्रदेश	2591
34.	उत्तराखण्ड	452
35.	पश्चिम बंगाल	1683
	कुल	21646

टिप्पणी: 1. आंकड़े बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हैं।
स्त्रोत: 26.7.2011 की स्थिति के अनुसार बैंकों, डी.एस.आई.एम., आर.बी.आई. संबंधी मास्टर आफिस फाइल।

अनुबंध II

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 31 मार्च, 2011 के अनुसार कार्यरत शाखाओं की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	बैंक का नाम	ग्रामीण शाखाएं
1	2	3
1.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	319
2.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	311
3.	भारतीय स्टेट बैंक	4973
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	213
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	334
7.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	55
8.	इलाहाबाद बैंक	968
9.	आन्ध्रा बैंक	407
10.	बैंक आफ बड़ौदा	1171
11.	बैंक आफ इंडिया	1294
12.	बैंक आफ महाराष्ट्र	534
13.	केनरा बैंक	803
14.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1386
15.	कार्पोरेशन बैंक	214
16.	देना बैंक	362
17.	इंडियन बैंक	496
18.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	573
19.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	327
20.	पंजाब एंड सिंध बैंक	299
21.	पंजाब नेशनल बैंक	1956
22.	सिंडिकेट बैंक	755
23.	यूको बैंक	802
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	828
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	627
26.	विजया बैंक	260
27.	आई.डी.बी.आई. बैंक लि.	81
28.	बैंक आफ राजस्थान लि.	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के साथ विलय
29.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	18
30.	सिटी यूनियन बैंक लि.	34
31.	फेडरल बैंक लि.	49

1	2	3
32.	आई.एन.जी. वैश्य बैंक लि.	83
33.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	220
34.	कर्नाटक बैंक लि.	90
35.	करूर वैश्य बैंक लि.	32
36.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	38
37.	नैनीताल बैंक लि.	25
38.	रत्नाकर बैंक लि.	25
39.	एस.बी.आई. कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	
40.	साउथ इंडियन बैंक लि.	65
41.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	49
42.	दि धनलक्ष्मी बैंक लि.	25
43.	ऐक्सिस बैंक लि.	94
44.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	4
45.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि.	123
46.	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि.	259
47.	इंडसइंड बैंक लि.	22
48.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	21
49.	यस बैंक लि.	22
	31 मार्च, 2011 के अनुसार योग	21646

स्त्रोत: 26.07.2011 की स्थिति के अनुसार बैंकों, डी.एस.आई.एम., आर.बी.आई. संबंधी मास्टर आफिस फाइल।

[हिन्दी]

श्री उदय प्रताप सिंह: महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा मेरे जवाब में आया है कि देश में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में 73,601 बैंक की शाखाएं काम कर रही हैं। इनमें 21,646 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हैं। चूंकि भारत गांवों का देश है और 73,000 शाखाओं में से 21,000 शाखाएं ही ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, मैं समझता हूं कि आबादी के हिसाब से यह बहुत कम है। खासकर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पर पूरा कॉपरेटिव सेक्टर चरमरा गया है, जो एल.डी.बी. हैं, उन्हें स्थानीय कॉपरेटिव बैंक में मर्ज करने की कार्यवाही चल रही है, सूदखोरों को बढ़ावा मिल रहा है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले बैंकों की संख्या निकट भविष्य में बढ़ाने का कोई प्रावधान है?

श्री नमो नारायन मीणा: महोदया, माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स की ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी शाखाएं हैं? वह फिगर हमने 21,646 दी है। देश में इस समय कामर्शियल बैंक्स 89,396 हैं। इन 21,646 शाखाओं के अतिरिक्त हमारे 82 आर.आर.बीज हैं और उनकी 15,704 शाखाएं भी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हैं। रूरल कॉपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के भी लगभग 96,000 इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। इसके अलावा, हमारी जो सेमी-अर्जन शाखाएं हैं, दस हजार और एक लाख के बीच की आबादी वाले कस्बों में उनकी संख्या भी 22,526 है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से तो सहमत हूं कि जितने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक होने चाहिए, उतने बैंक नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर इन सबको देखें तो कुछ व्यवस्था है और उसे इन्क्रीज करने की आवश्यकता है।

जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, रिजर्व बैंक ने वर्ष 2009 में यह आइडेंटिफाई किया था कि देश में 16 ऐसे राज्य हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, जो अंडर बैंक हैं। साथ ही इन 16 राज्यों में 292 ऐसे जिले हैं, जो अंडर बैंक हैं। इनके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2010-11 के बजट भाषण में यह चीज बतायी थी कि बैंकिंग रीच को ज्यादा करने के लिए, आम आदमियों को बैंकिंग नेटवर्क में लाने के लिए 73,000 ऐसे गांव छांटे गये हैं, जिनकी जनसंख्या 2,000 या उससे अधिक है। वहां बैंकिंग सुविधा के लिए, अगर वहां ब्रिक एंड मोटर ब्रांच नहीं है तो वहां कोई मॉडल, बी.सी. मॉडल के तहत वहां बैंकिंग प्रतिनिधि नियुक्त किया जाये। हमारी सरकार का इंक्लूजिव ग्रोथ का जो एजेंडा है, उसी में फाइनेंशियल इंक्लूजन भी है। आर.बी.आई. ने भी इसी लाइन में वर्ष 2009 के दिसम्बर में एक जनरल ऑथराइजेशन पॉलिसी में रिलैक्सेशन देते हुए यह कहा था, सभी बैंकों को डायरेक्शंस दिये थे कि 50,000 से नीचे की आबादी वाले जो भी गांव हैं,

उनमें परमीशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां जनरल परमीशन दी जाती है, आप वहां बैंक खोल दीजिएगा और हमें रिपोर्ट कर दीजिएगा। इससे ज्यादा बैंक खुलेंगे। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के लिए यह कहा था कि वहां बैंकों का घनत्व कम है, पेनिट्रेशन कम है तो उनके लिए कोई लिमिट नहीं रखी थी। वे अगर 50,000 से ऊपर में भी खोल देंगे तो परमीशन रिपोर्टिंग कर दीजिए, प्रॉयर परमीशन की जरूरत नहीं है।

हाल ही में आर.बी.आई. का 2011-12 का मॉनीटरी पॉलिसी स्टेटमैंट आया है। उसमें एक और डायरैक्शन बैंकों को दिया गया है कि वर्ष 1 और 2 में एक लाख से ऊपर की आबादी के कस्बों में अगर आप बैंक खोलते हैं तो आपको 10000 और उससे नीचे की आबादी के गांवों के लिए 25 परसेंट बैंक खोलना लाजमी होगा। आप साल का बता दीजिए कि आप कितने बैंक खोल रहे हैं। बड़े शहरों में आप खोलेंगे तो 25 परसेंट आपको यहां खोलना पड़ेगा। एक तो 50000 से नीचे का ऑथराइजेशन दे दिया है कि आप बिना परमीशन के खोल दीजिए। एक यह डायरैक्शन दिया और एडवाइस किया गया कि आप 10000 से नीचे के गांवों में खोलो। एक और 1:1 की जो पॉलिसी दी है, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए मैं बता रहा हूं कि जो राज्य अंडरबैंक्ड हैं, जो जिले अंडरबैंक्ड हैं, उनमें 50000 से नीचे और 100000 के बीच में एक बैंक खोलना पड़ेगा। अगर एक लाख की आबादी है तो 1:1 होगा। इससे हमारे बैंकों की संख्या बढ़ेगी। पिछले साल हमारे बैंकों का जो विस्तारीकरण है, पिछले दो सालों में 4500-5000 शाखाएं प्रतिवर्ष खोल रहे हैं। 2010-11 में 4600 शाखाएं खोली गईं, 2009-10 में कुल 4995 शाखाएं खोली गईं और ग्रामीण बैंक 1003 खोले हैं, जबकि पहले के सालों में 500-600 बैंक भी खुलते रहे हैं। 2001 में रूरल बैंक्स सिर्फ 43 खुले थे। 2002 में 38 खुले थे, 2003 में 41 खुले थे। आगे वाले दिनों में बहुत ज्यादा बैंक खोलने का प्रस्ताव है।

श्री उदय प्रताप सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोलने की बात कही है, चूंकि मध्य प्रदेश राज्य छोटे-छोटे गांवों का है, वहां पर 5000 से ज्यादा मतदाताओं पर नगर पंचायत बन जाती है और 25000 से ज्यादा मतदाताओं पर नगरपालिका बन जाती है। जहां 5000 से ज्यादा मतदाताओं की आबादी है, वे शहर माने जाते हैं। मेरा अनुरोध यह था कि जहां 2000-3000 की आबादी के ऐसे बहुत से गांव हैं, चूंकि वहां मध्य प्रदेश में गांवों की दूरियां बहुत ज्यादा हैं और ऐसे कई गांव मैं आपको बता दूंगा, रायसेन, होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिलों में जो कस्बे हैं उन्होंने नगर पंचायत का रूप ले लिया है। वहां पर बैंकों की आज भी आवश्यकता है, राष्ट्रीयकृत बैंक खोले जाने हैं। माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि कोआपरेटिव बैंकों को इनमें शामिल न करें क्योंकि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के चलते कोआपरेटिव बैंकों के भरोसे गरीबों, किसानों और बेरोजगारों का भला नहीं हो रहा है। आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदया, मैं मेरे मित्र द्वारा कही गई बात में यह जोड़ना चाहूंगा। उन्होंने विस्तृत सूचना दी है। मैं माननीय सदस्य के विचार से सहमत हूं कि जब हम खाली संख्याओं और आवश्यकता तथा गांवों संख्या से तुलना करते हैं तो यह अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। यदि मैं विदेशी बैंकों सहित 89000 बैंक शाखाओं को एक साथ लेकर तुलना कर जिनका राष्ट्रीयकरण के बाद से व्यापक विस्तार हुआ है और जिनकी संख्या सरकारी तथा निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 8,000 से 89,000 अथवा 8,000 से 73,000 हो गई है तो यह बड़ी वृद्धि है। परंतु देश में छह लाख गांव हैं। नगरों को हटाकर कुछ हजार शहर और शहरी क्षेत्र हैं। इसलिए, हमने जो निर्णय किया है और जिसकी आवश्यकता है वह यह है कि यदि हम समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, यदि वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करनी होंगी।

माननीय सदस्य का सरकारी समितियों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण का सुझाव एक अति प्रभावी उपाय है और इस पर हम कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जो हमने कहा है, जिसका उत्तर के मूल पाठ में उल्लेख किया गया है, वह यह है कि हमें बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। यदि किसी विशेष क्षेत्र में स्थायी शाखा स्थापित करना कठिन है तो मोबाइल वैन, मोबाइल फोन, बिजनेस कार्यकारी और अन्य संस्थागत प्रबंधों के माध्यम से उन व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जायें जैसा अनेक बैंक कर रहे हैं। और इसीलिए, बजट की घोषणा के बाद आई.बी.ए. ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके 2000 या अधिक की जनसंख्या वाले 73,000 गांवों की पहचान की है और जिसका वे इन्हें 31 मार्च, 2012 तक इसके दायरे में लाने का प्रयास करेंगे। हमें बताया गया

कि पहले ही 29,000 से अधिक ऐसे गांवों को सम्मिलित कर लिया गया है। परंतु मैं इस बात से सहमत हूं कि आवश्यकता बहुत अधिक है तथा हमें अपेक्षाकृत तेजी से कार्य करना होगा।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज: अध्यक्ष महोदया, ग्रामीण अंचल में 21646 शाखाएं बतायी गयी हैं। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। 21646 में मात्र 2591 ब्रांचिज उत्तर प्रदेश में खोली गई हैं जो आबादी के मानक के हिसाब से बहुत ही कम हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल के लोगों को बैंकिंग लेनदेन के लिए दूरदराज जोखिम भरे क्षेत्र में जाना पड़ता है, जिसका कारण है कि आज भी गांव में 60 प्रतिशत लोग बैंक एकाउंट से वंचित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मार्च, 2012 तक उत्तर प्रदेश के दो हजार से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में कितनी बैंक शाखाएं खोलने की योजना है? इसमें जनपद जौनपुर की क्या संख्या है तथा स्वाभिमान के अंतर्गत मोबाइल बैंकिंग के तहत ए.टी.एम. के लिए कितने रिहाइशी प्लेस उत्तर प्रदेश में चिन्हित किए गए हैं?

श्री नमो नारायन मीणा: अध्यक्ष महोदया, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी यह सारे प्रस्ताव बनाती है, जिसमें राज्य सरकार के सभी अधिकारी होते हैं। बैंक में कनवीनर भी आपका होता है।... (*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप लोग उत्तर सुन लीजिए।

श्री नमो नारायन मीणा: माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि हम इस चीज से वाकिफ हैं कि छः लाख गांव जिस देश में हों और इतनी कम शाखाएं हों। लेकिन जब वित्त मंत्री जी इनक्लूजिव ग्रोथ में फाइनेंशियल एक्सपैंशन को भी रखा है। इसमें दो हजार तक के गांवों को मार्च, 2012 तक जोड़ दिया जाएगा। यू.पी. में स्वाभिमान अभियान के तहत 14626 गांवों को जोड़ा जा रहा है। वित्त मंत्री जी ने सी.एम.डी. की मीटिंग में डायरैक्शन भी दी हैं कि एक हजार तक के गांवों का सर्वे भी स्टेट लेवल कमेटी करके भेजे और ज्यादा बैंक खोले जाएंगे।

श्री तूफानी सरोज: आप पहले दो हजार तक के बारे में तो बताइए, एक हजार की तो बाद की बात है।

श्री नमो नारायन मीणा: 14626 स्वाभिमान में कवर किए जा रहे हैं और एक हजार से ऊपर के गांव भी आईडैंटिफाई हो गए हैं। नैक्सट फेज में उन में भी बीसी मॉडल आएगा और बैंक की शाखाएं ज्यादा खुलेंगी।

श्री हरिभाऊ जावले: महोदय, मैं पहले माननीय प्रणब दा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे देश में ग्रामीण इलाकों में स्वाभिमान योजना के अंतर्गत बैंकिंग सुविधा देने के बारे में सोचा है। इसमें 30000 गांवों में बैंकिंग की सुविधा दी भी गई है, जिसमें मोबाइल बैंकिंग और ए.टी.एम. की सुविधा दी जा रही है। आज पूरे देश में ग्रामीण एरिया में 21 हजार ब्रांचिज बैंकिंग की सुविधा दे रही है। लेकिन वहां की परिस्थिति क्या है? यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं। ग्रामीण एरिया में जितनी भी ब्रांचें काम कर रही हैं, वहां कर्मचारियों की बहुत कमी है। मेरा मतदान क्षेत्र जो महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में आता है, वहां एक सेन्ट्रल बैंक है और पूरे उसमें महाराष्ट्र में 2300-2400 क्लर्क की जगह कम है और 400 अधिकारी कम हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधा उपयोग करने में बहुत कठिनाई आती है। वहां पैसे निकालने में समय लगता है, पैसे डिपोजिट करने के लिए लाईन लगानी पड़ती है क्योंकि पैसे गिनने वाला कोई नहीं है। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज प्रत्येक बैंक में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, वह आप कब तक भरेंगे? दूसरी बात, जो स्वाभिमान सुविधा आप दे रहे हैं, यह तो आपने अच्छा कदम उठाया है। लेकिन इसमें आप ए.टी.एम. और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मालूम नहीं है कि ए.टी.एम. और मोबाइल बैंकिंग का कैसे यूज करें। मेरी मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर बैंक में ये सुविधाएं देने से पहले क्या आप एक मार्गदर्शन केन्द्र खोलेंगे?

श्री नमो नारायन मीणा: माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया है कि कर्मचारियों की संख्या कम है। आज बैंकों का जबर्दस्त विस्तार हो रहा है। सारे बैंकों की शाखाएं प्रति वर्ष 4000 से 5000 की संख्या में खुल रही हैं। रिक्रूटमेंट के लिए आपने खुद देखा होगा कि हमारे बैंक चाहे स्टेट बैंक ग्रुप के बैंक हो, चाहे अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक हों, सभी बड़े पैमाने पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। भर्ती के विज्ञापन निकल रहे हैं, रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। कर्मचारियों की

कमी की पूर्ति की जाएगी। आपने ए.टी.एम. के लिए कहा। वर्ष 2007 में 27000 ए.टी.एम. थे और वर्ष 2010 में 60000 ए.टी.एम. अभी तक हो गए हैं। मोबाइल बैंकिंग के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 46 बैंकों को मोबाइल बैंकिंग की अनुमति दे दी है। आज जरूरत बढ़ रही है, बैंकिंग एक्टीविटीज बढ़ रही हैं तो उसी रफ्तार से फाइनेंशिएल इंक्लूजन के तहत सभी बैंक चाहे आपका स्वाभिमान अभियान के तहत, ई.सी. मॉडल के तहत, या ब्रांच एक्सपैन्सन के तहत पूरे प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आपके क्षेत्र में ज्यादा बैंक खुलेंगे, सबमें कर्मचारी रहेंगे और ए.टी.एम. भी आपके क्षेत्र में ज्यादा लगेंगे।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे: शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग क्षेत्र के विस्तार और विकास के बावजूद हमने रजिस्ट्रीकृत बैंकों की शाखाओं के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में इतना विकास नहीं देखा है। हम सब जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 2000 से अधिक विस्तृत जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

महोदया, पंडुआ खंड स्थित पाकरे, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हैं। उस गांव की जनसंख्या 3000 से अधिक है। उन्होंने किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने हेतु पांच वर्षों पूर्व आवेदन किया था। परंतु मुझे यह कहते हुए खेद है कि उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में संबंधित प्राधिकारियों से अब तक उत्तर नहीं मिला है।

क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि आज की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में बैंकिंग सुविधाओं के बिना कितने गांव हैं और ऐसे गांवों की स्थिति क्या है?

श्री नमो नारायन मीणा: महोदया, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में बैंकिंग सुविधाएं कम हैं। देश में 292 जिले और 71 खंड हैं जहां कोई बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। 70 खंड उत्तर-पूर्व में हैं और एक खंड जम्मू और कश्मीर में हैं।

जहां तक किसी गांव विशेष में शाखा खोलने का संबंध है तो किसी गांव विशेष में शाखा खोलने की वाणिज्यिक लाभप्रदता का अध्ययन बैंक द्वारा किया जाता है। बैंक के कर्मचारी जाकर सर्वेक्षण करेंगे और उन्हें बैंक की शाखा खोलने में आर्थिक लाभप्रदता नजर आयेगी तो वे निश्चित रूप से शाखा खोलेंगे।

श्री एस. सेम्मलई: धन्यवाद, महोदया मुझे यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद।

महोदया, हमारी अर्थव्यवस्था अधिकतर बचत और निवेश पर आधारित है। शहरी क्षेत्रों के लोगों में बचत की आदत धीरे-धीरे बढ़ रही है, परंतु यह आदत ग्रामीण लोगों में अधिक नहीं है। मूलत: इसका कारण बचत की राशि पर कम प्रतिलाभ है। अत:, कुछ प्रोत्साहनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे यह बतायें कि क्या बैंकिंग व्यवस्था की ऋण की समस्त नीति को प्रभावित किए बिना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से कुछ प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं और क्या भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में ऐसे कोई कदम उठाने पर विचार कर रहा है?

श्री प्रणब मुखर्जी: निर्धारण के समय इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी तो इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक उद्देश्य यह था कि उन्हें ऋण देने पर ब्याज दर कम होगी और उधार लेने पर ब्याज दर अधिक होगी और अब तक इसी पद्धति का पालन किया जा रहा है। परंतु इसकी भी एक सीमा है जिससे अधिक नहीं जा सकते हैं। अन्तत: हमें इस नीति का पालन करते हुए एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जहां तक बैंक का संबंध है, जहां तक ऋण देने की ब्याज कम है और उधार लेने की दर अधिक है तो स्वाभाविक है कि बैंकों के पास धनराशि की कमी हो जाती है और वे अर्थक्षम नहीं रह जाएंगे। हमें उन्हें धनराशि उपलब्ध करानी होगी। वर्ष 1975 से आज तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने बांग्लादेश की तरह कार्य क्यों नहीं किया? बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की ब्याज दर कम है। इसलिए, इसका दोनों तरह से लाभ नहीं उठा सकते कि ऋण दे भी दें और पूंजी भी रख लें। प्रश्न इसकी व्यापकता का है। अत: जहां तक प्रोत्साहनों का संबंध है तो निश्चित रूप से मितव्ययता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता लाई जा सकती है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक मूलभूत उद्देश्य यह है कि हम उनका कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और वे आज कार्य कर

रहे हैं। मुझे आशा है कि हमने हाल में जो थोड़े प्रोत्साहन दिए हैं और जिनके लिए आपने धनराशि स्वीकृत की है, उनसे स्वयं सहायता समूह और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अच्छा कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव: अध्यक्ष महोदया, अभी प्रश्न के मूल उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि देश में 73601 शाखाओं में से 21646 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। हम बिहार राज्य से आते हैं, उसकी आबादी लगभग नौ करोड़ के करीब है। वहां ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 1233 बैंक अभी कार्यरत हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2010-11 के बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि जहां दो हजार की आबादी है, वहां हम बैंक खोलेंगे।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं, क्योंकि हम जिस इलाके से आते हैं। बिहार राज्य के सहरसा जिले में बनवा-इटहरी एक ब्लॉक है, उसके मुख्यालय में राष्ट्रीयकृत बैंक हैं ही नहीं। प्रखंड की आबादी एक लाख है और प्रखंड मुख्यालय की पंचायत इटहरी है, उसकी आबादी 10-12 हजार है, वहां बैंक हैं ही नहीं। माननीय मंत्री जी की जो घोषणा थी, हम समझते हैं कि जो ऐसे क्षेत्र हैं, जहां दो हजार से अधिक आबादी है दस हजार से अधिक इटहरी पंचायत की आबादी है, इस तरह के जो क्षेत्र होंगे, क्या माननीय वित्त मंत्री जी के अपने भाषण और घोषणा के अनुरूप बनवा-इटहरी के अलावा बिहार सहित देश के अन्य हिस्सों में जहां बैंक नहीं हैं; आपने मंत्री जी टारगेट रखा है कि सन् मार्च 2012 तक इसे हम करेंगे। उसमें भी अब छः सात महीने का समय ही बचा है। बनवा-इटारी ब्लॉक के साथ अन्य क्षेत्र जो इस तरह के हैं, क्या वहां इस समय-सीमा के अंदर राष्ट्रीयकृत बैंक खोले जाएंगे, यह हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं?

श्री नमो नारायन मीणा: जो सवाल में कहा गया है कि मार्च, 2012 तक जो ऐसे गांव हैं, जिनकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के हिसाब से दो हजार या उससे अधिक है और वहां बैंक की शाखा नहीं है, वहां बैंक का बिजनेस प्रतिनिधि बैठेगा। रिटिन मोटर ब्रांचेज जैसे-जैसे उपलब्ध हो पाएंगी, मैंने आपको पहले ही बताया कि 4.5 से पांच हजार शाखाएं सारे देश में खोली जा रही हैं, जिसमें 6 लाख गांव हैं। सब में एक साथ शाखाएं नहीं खोली जा सकतीं, लेकिन जो लोग बैंकिंग नेटवर्क से कनैक्टिड नहीं हैं, उन लोगों को कनैक्ट करने के लिए हम यह वाला बी.सी. मॉडल लाये हैं। उसके बाद नैक्सट फेज में एक हजार तक के गांवों को भी आईडेंटिफाई किया जा चुका है और वहां भी बिजनेस कोरेस्पोंडेंट्स लगे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 183- श्री एकनाथ महादेव गायकवाड।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: श्री गायकवाड, कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: इसके अतिरिक्त और कुछ कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

एनर्जी/सॉफ्ट् ड्रिंक में कैफीन

+
***183. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संगत कानूनों/आदेशों के अंतर्गत एनर्जी/सॉफ्ट् ड्रिंक में कैफीन की कितनी मात्रा मिलाए जाने की अनुमति है;

(ख) क्या विनिर्माताओं द्वारा इस मात्रा का पालन किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन ड्रिंक के कुछ विनिर्माताओं ने कैफीन की अधिक मात्रा मिलाए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो कैफीन की कितनी मात्रा मिलाए जाने की अनुमति मांगी गई है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 के अंतर्गत कार्बनयुक्त जल में प्रतिलीटर अधिकतम 145 मिग्रा. कैफीन की अनुमति दी जाती है। तथापि, इस समय, एनर्जी ड्रिंक के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने एनर्जी ड्रिंक में कैफीन की मात्रा नियत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ख) और (ग) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम एवं विनियमों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। कार्बनयुक्त जल में कैफीन की मात्रा का पालन नहीं करने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) सरकार द्वारा ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: महोदया, शीतल पेय के जरिये से हम सब लोग जहर पी रहे हैं। जहां तक एनर्जी ड्रिंक का सवाल आया है, एनर्जी ड्रिंक तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब पीते हैं, खिलाड़ी भी पीते हैं, लेकिन अभी मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि एनर्जी ड्रिंक में कैफीन की कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गई है। मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से सवाल पूछना चाहता हूं कि एम.एल.जी. में कैफीन की मात्रा कब तक निर्धारित होगी और जनता को इसमें कब तक राहत मिलेगी?

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदया, यह सच है कि जो माननीय सदस्य ने कहा है कि एनर्जी ड्रिंक्स के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के अंतर्गत कार्बोनेटेड वाटर अर्थात सॉफ्ट ड्रिंक्स में केवल 145 मि.ग्रा./लीटर तक कैफीन के उपयोग की अनुमति है। तथापि इस समय एनर्जी ड्रिंक्स के लिये कोई सीमा प्रस्तावित नहीं है। इसीलिए, हमने उत्तर में बताया है कि भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन के स्तर को निर्धारित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की है।

अब, जहां तक एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन के मानक को निर्धारित करने का संबंध है तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जनवरी, 2010 में देश के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करने वाले वैज्ञानिकों का एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया था और इस विशेषज्ञ समूह को कैफीन के प्रयोग तथा नॉन कार्बोनेटिड विवरेजेज तथा उनकी लेबलिंग संबंधी वैज्ञानिक साहित्य और वैश्विक स्थिति, नॉन-कार्बोनेटिड विवरेजेज में कैफीन की सीमा तथा उनकी लेबलिंग की सिफारिश करने तथा एनर्जी ड्रिंक्स के सुरक्षोपायों और उत्पादों के मानकों की सिफारिश करने हेतु जांच करने के लिए कहा गया।

इसके पश्चात्, विशेषज्ञ समूह की फरवरी 2010 से अगस्त, 2010 तक बैठकें हुई और उन्होंने वैज्ञानिक समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वैज्ञानिक समिति वर्ष 2010 में गठित की गई थी जिसके सदस्य 14 प्रसिद्ध वैज्ञानिकों जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक समिति है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एक तकनीकी समूह बनाया और इसे तकनीकी समूह को भेज दिया। इस वर्ष जुलाई में अर्थात्, जुलाई 2011 में तकनीकी दल की सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं और ये विज्ञान समिति के विचाराधीन हैं। तत्पश्चात्, इस पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा और तब इसे प्रारूप अधिसूचना के अनुमोदन हेतु सरकार के पास भेजा जाएगा। लेकिन भारत सरकार द्वारा अंतिम अधिसूचना जारी करने से पूर्व इसे 60 दिन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित सभी भागीदारों को उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए भेजना होगा और इस प्रकार प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् इसे विधि मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। एक बार जब विधि मंत्रालय इस अधिसूचना का पुनरीक्षण कर लेता है तो इसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। यह सारी प्रक्रिया पेचीदा है अत: इसमें कम से कम एक साल का समय लगेगा।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: महोदया, शीतल पेय बनाने वाली कम्पनियों को अपने उत्पादों की वास्तविक निर्माण सामग्री का खुलासा अनिवार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और उसकी अधिसूचना जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। उसके लिए तीन महीने का टाइम दिया है। मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह अधिसूचना जारी करने का कुछ तय हुआ है क्या? यह कब तक जारी होगी और अधिसूचना में आप क्या-क्या लिखने वाले हैं?

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदया, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, दो तरह के पेय पदार्थ हैं अर्थात्-कार्बोनेट युक्त पेय और कार्बोनेट रहित पेय जिनके लिए हमारे पास कोई मानक नहीं हैं। अब जहां तक कार्बोनेट युक्त पेय का सवाल है तो इसमें प्रतिलीटर 150 मिलीग्राम की सीमा में कैफीन मिलाने की अनुमति है और इस संबंध में एक अधिसूचना पहले से ही मौजूद है। इस संबंध में देश के किसी भी भाग से हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन ऊर्जा संबंधी पेय पदार्थों में कैफीन की मात्रा की सीमा को निर्धारित करने के संबंध में मैं पहले ही कह चुका हूं कि पूरी प्रक्रिया जारी है। हमने प्रक्रिया शुरू की है, इस पर अभी काम आधा हुआ है और अधिसूचना जारी होने में एक वर्ष का समय लगेगा।

अध्यक्ष महोदयाः श्री आनन्द प्रकाश परांजपे- अनुपस्थित।

[हिन्दी]

डॉ. संजीव गणेश नाईकः अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने कहा कि एक साल तक इस प्रोसेस में लगने वाला है। मैं आपसे विनती करूंगा कि तब तक हमें अलग-अलग पेपर्स में, अलग-अलग न्यूज चैनल के ऊपर या अलग-अलग चैनल के ऊपर इस बारे में देना चाहिए कि ऐसे-ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जो हिन्दुस्तान में आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुम्बई जैसे शहर में रात को जो कॉल सेंटर्स चलते हैं, वहां लड़के-लड़कियां आते-जाते रहते हैं। एक ऐसी घटना हुई कि रात को भूखे पेट एक युवा ने वह एनर्जी ड्रिंक अच्छा लग रहा था तो एक पिया, दूसरा पिया, तीसरा पिया और बाद में वह गिर कर बेहोश हो गया। बाद में पता चला कि उसमें केफीन का कंटेंट ज्यादा था। आज मैं इसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि यह जब होगा, तब होगा, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी आ रही है, उसको बर्बाद होने से बचाना चाहिए। मैं जरूर इस बारे में आपसे विनती करूंगा कि इस बारे में जनता में एवेयरनैस करवा दीजिए, चूंकि भविष्य में यह चीज धीरे-धीरे शहर से गांव तक जाने वाली हैं तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह बहुत ही स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इसको बहुत ही सीरियसली लीजिए।

अध्यक्ष महोदयाः आपने प्रश्न तो पूछा नहीं।

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजादः महोदया, जब तक विज्ञान समिति और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हो जाती, इसे नियंत्रित करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। इससे पूर्व हमने तमिलनाडु और मुम्बई में नमूने लिए हैं और इस क्षेत्र में कोई विनियम उपलब्ध नहीं होने के कारण न्यायालय को इसे खारिज करना पड़ा था। मैं विज्ञान समिति और विशेषज्ञ समिति को उद्धृत नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम विज्ञान समिति और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि यह एक बड़ी समिति है जिसमें पूरे देश के सभी क्षेत्रों से आने वाले वैज्ञानिक इसके सदस्य होते हैं। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि पूर्व में विभिन्न संगठनों द्वारा इन पेय पदार्थों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इससे पूर्व में अध्यादेश दिया गया था कि ऊर्जा पेय पदार्थों में सिंथेटिक रसायन होते हैं और ऐसा भी माना जा रहा था कि यह नुकसानदेह था और इसके परिणामस्वरूप इन पेय पदार्थों पर भारत में रोक लगानी चाहिए।

इसलिए, इन रसायनों के प्रभाव का अध्ययन किया गया। खाद्य मानक संबंधी केन्द्रीय समिति की एक उप समिति ने (क) पोषण, खाद्य और विशेष भोजन संबंधी उपयोग और (ख) शिशु खाद्य मानक संबंधी केन्द्रीय समिति की उप समिति जिसने एकत्र की गई जानकारी के आधार पर यह राय दी कि उक्त पेय पदार्थों के सेवन से किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने के संकेत मिलने का कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए उन्होंने एनर्जी पेय पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश नहीं की थी।

एक समिति है जिसने यह निष्कर्ष निकाला है कि उन्हें इसमें कुछ भी पता नहीं चला है और इसी कारण एक विशेषज्ञ समिति द्वारा एक गहन और व्यापक रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता महसूस की गई। पूरे देश से चुनिंदा और ख्याति प्राप्त दर्जन-भर से अधिक वैज्ञानिकों का एक बड़ा दल इस पर कार्य कर रहा है। जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती हम कोई अधिसूचना जारी नहीं कर सकते। इसलिए, कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है क्योंकि आप जैसे ही कोई कार्यकारी आदेश जारी करते हैं, न्यायालय इसे खारिज कर देगा और पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु में एक बार नहीं बल्कि दो बार ऐसा किया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमारः अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मंत्री जी बहुत विद्वान हैं और वरिष्ठ भी हैं। अगर देखा जाए तो यह प्रश्न सीधा मिलावट से जुड़ा हुआ है, जिसमें एनर्जी ड्रिंक्स हैं, तमाम कोल्ड ड्रिंक्स भी ले लीजिए, इस प्रकार के बहुत से ड्रिंक्स मार्केट में आ रहे हैं। इसमें पूछा गया है कि कैफीन की मात्रा कितनी डालनी चाहिए? एक डिब्बे में जो कई आउंस का होता है, वह बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, चाहे कितने भी आउंस का हो, आपके यहां जो विशेषज्ञ कमेटी है, मैं उत्तर में देख रहा था, आपने उसमें दिया है कि 145 मिलीग्राम कैफीन की मात्रा एक लीटर डिब्बे में पड़ती है। सम्मानित सदस्यों ने यहां प्रश्न पूछा है कि इस प्रकार से जो तमाम एनर्जी ड्रिंक्स हैं, बहुत सी ड्रिंक्स मार्केट में आयी हैं, इनमें जबरदस्त मिलावट भी है। मैं टेलीविजन में देख रहा था कि कुछ स्प्रे आए हैं, जो परफ्यूम है, बॉडी स्प्रे है, उसमें भी गैस मिलाकर कुछ ऐसी सिंथेटिक चीज डालते हैं, जिससे लोगों को चर्म रोग हो रहा है। यह ड्रिंक्स से जुड़ा हुआ सवाल है, यह डायरेक्ट किडनी और लीवर को इफेक्ट करता है। इस प्रकार से मार्केट में जो एनर्जी ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स आ रहे हैं, जिनमें तमाम केमिकल मिलाए जाते हैं, चूंकि बहुत दिनों तक रखे-रखे वे भी एक्सपायरी डेट के हो जाते हैं, लेकिन दुकानदार उन्हें रखता है। जब उपभोक्ता खरीदकर उसे पीता है, तो उससे तमाम तरह की बीमारियां हो रही

हैं, चर्म रोग भी हो रहा है, किडनी इफेक्ट हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं, इस प्रकार की तमाम बीमारियां हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस विषय में आपने कोई सतर्कता निगरानी कमेटी, विजिलेंस कमेटी बनायी है? ग्रामीण क्षेत्र में, कस्बों में या बड़े शहरों में इस प्रकार के जो पेय-पदार्थ मिलते हैं, उन पर निगरानी के लिए क्या आपने कोई कमेटी बनायी है? अब तक कितने लोग इसमें पकड़े गए और उनको क्या सजा दी गयी?

श्री गुलाम नबी आजादः अध्यक्ष जी, दो चीजें जुड़ी हुयी हैं, एक तो ड्रिंक्स के बारे में माननीय सदस्य ने बताया और दूसरा यह बताया कि देश में गांवों में, छोटे कस्बों में इस तरह की सेल होती है और क्या केंद्रीय सरकार की तरफ से उन पर ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरह की चीज सेल की जाती है।

यह बनाने का काम केन्द्रीय सरकार का है लेकिन इसका इम्प्लिमेन्टेशन राज्य सरकारों के भी अन्दर आता है।...(*व्यवधान*) आप सब जानते हैं कि डिफेंस, रेलवे, तमाम चीजें फिनांस गवर्न्मेन्ट ऑफ इंडिया करती है बाकि सब चीजें राज्य सरकारें करती हैं। ये कानून आप ही बनाते हैं और हम उसके अनुसार चलाते हैं। कल अगर हम अपने हाथों से लिखेंगे तो आप सभी आएंगे और कहेंगे आपने सब काम अपने हाथों में ले लिया। नहीं लिया है कानून...(*व्यवधान*) अंडर कॉन्स्टिच्यूशन जो हो सकता है वह राज्य सरकारों को ही करना है। जहां तक मैंने कहा कि ड्रिंक्स के बारे में अलग-अलग देशों में अलग-अलग है। हमने यहां कुछ देशों के कोल ड्रिंक्स की बात कही है कि 145 मिलीग्राम प्रति लीटर। लेकिन दूसरे देशों में अलग है। जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, इन्होंने 145 मिलीग्राम से लेकर 320 मिलीग्राम प्रति लीटर की है। यूरोपियन यूनियन में भी 150 मिलीग्राम पर लीटर की है। कैनेडा में एनर्जी ड्रिंक्स में जो कैफीन होती है उसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य उत्पाद विनियमन के अंतर्गत प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पाद के रूप में बेचा जाता है। *[हिन्दी]* कैनेडा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेगुलेशन के जरिए ही एनर्जी ड्रिंक्स बेची जाती है। हर देश का अपना-अपना दृष्टिकोण है। *[अनुवाद]* स्वस्थ वयस्कों की सामान्य जनसंख्या के लिये कैफीन सेवन के बारे में हेल्थ कनाडा की सिफारिश के अनुसार प्रतिदिन 400-500 मिलीग्राम से अधिक की अनुमति दी गई है। *[हिन्दी]* आप देखेंगे तो दुनिया के देशों में अलग-अलग सीमा है। इसलिए हमने शुरू में ही कहा कि हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। साइंसदां उसे देख रहे हैं। बहुत-आधा काम हो चुका है।

डॉ मुरली मनोहर जोशीः आप यह बताइए कि कमेटी कब बनी?

श्री गुलाम नबी आजादः आप लेट आए। मैं सब कुछ बोल चुका हूं। मैंने तकरीबन दस मिनट उसी से शुरू किया है। बहुत लंबा है, इसमें दस मिनट और लगेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमारः अध्यक्ष महोदया, मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदयाः मंत्री महोदय, कृपया उत्तर दे दीजिए।

श्री गुलाम नबी आजादः माननीय सदस्य को मैं पहले ही जवाब दे चुका था कि आप बैन नहीं कर सकते हैं। जहां भी हमने बाहर की कम्पनियों के सैम्पल, चेन्नई में एक दफा नहीं दो दफा सैम्पल लिए, चूंकि इसके लिए कोई नोटिफिकेशन, कोई निर्धारित एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की सीमा फिक्स नहीं की है कानून के अंदर तो इसलिए वे कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट से स्टे लेते हैं। एक कोर्ट ने तो हमारी पूरी नोटिफिकेशन को ही रोक दिया। इस तरह से आज सब चलते हैं।...(*व्यवधान*) लोकतंत्र में सब अपनी-अपनी ताकत इस्तेमाल अपने तरीके से कर रहे हैं। वह आप देख ही रहे हैं। माननीय सदस्य के लिए मैं बताना चाहता हूं कि एक्सपर्ट कमेटी जनवरी 2010 में बनी थी। इसमें मैंने सब बताया कि क्या-क्या करना था? उसने अपनी रिपोर्ट अगस्त में ही दे दी। जनवरी से अगस्त तक उसकी कई मीटिंग्स हुई। उन्होंने वह सबमिट की है साइंटिफिक कमेटी जिसमें 14 मेम्बर हैं। जिसमें पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों के साइंसदां हैं।

अध्यक्ष महोदयाः आप यह बता चुके हैं।

...(*व्यवधान*)

श्री शैलेन्द्र कुमारः मैंने यह पूछा कि अब ऐसे कितने मामले पकड़े और उनको क्या सजा दी?...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदयाः बहुत कम समय है।

श्री श्रीपाद येसो नाईकः मैडम, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो विशेष हेल्थ रेलेटेड है और माननीय मंत्री जी से हमने उत्तर सुना की वर्ष 2010 में कमेटी बनी थी। नोटिफिकेशन निकालने के लिए और एक साल लगेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब तक आप नहीं कहेंगे तो ड्रिंक में कैफीन की मात्रा कम से कम रखें। इसमें एडहॉक टेम्परी कुछ लिमिट रखें तो इन सब प्रॉब्लम्स से हम बच जाएंगे।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: धन्यवाद। समय बहुत कम है। मंत्री महोदय, समय बहुत कम है, संक्षेप में बताइए।

...(*व्यवधान*)

श्री शैलेन्द्र कुमार: यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर आधे घंटे की चर्चा करवाई जाए।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। नोटिस दे दीजिए।

...(*व्यवधान*)

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदया, माननीय सदस्य बहुत पढ़े-लिखे हैं। वे जानते हैं कि आज के वक्त में इस तरह कोई भी ऐग्जीक्यूटिव आर्डर से पास नहीं किया जाता जब तक इसका साइंटीफिक बैक-अप न हो। कोर्ट उसे पांच मिनट में खारिज कर देगा। आप ऐसे कैसी बात करते हैं।...(*व्यवधान*)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कर अपवंचन

***184. श्री मनीष तिवारी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा विदेशों से विभिन्न दोहरे कराधान बचाव करार (डी.टी.ए.ए.), कर सूचना विनिमय करार (टी.आई.ई.ए.), याचना पत्र तथा ईगमोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंनशियल इन्टेलीजेंस यूनिट्स (एफ.आई.यू.) के अधीन प्राप्त की गई जानकारी पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138(1) (ख) या कोई अन्य कानूनी प्रावधान लागू है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डी.टी.ए.ए., टी.आई.ई.ए., याचना पत्र तथा एफ.आई.यू. के अधीन विशेषकर कर अपवंचन और कर अपवंचकों के संबंध में प्राप्त की गई जानकारी पर आयकर अधिनियम की धारा 138 किस प्रकार से लागू होती है;

(घ) क्या यह एक स्थापित कानून है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय करार/संधि तथा देश के कानूनों के उपबंध के बीच विवाद की स्थिति में देश में कानून की अंतर्राष्ट्रीय करार/संधियों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 आयकर अधिनियम के तहत प्राप्त की गई सभी सूचनाओं पर लागू होती है। विशिष्ट दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार (डी.टी.ए.ए.) एवं कर सूचना आदान-प्रदान करार (टी.आई.ई.ए.) जिसके तहत सूचना प्राप्त की गई है, के अभिभावी प्रभाव के अध्यधीन यह उपबंध दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार (डी.टी.ए.ए.) तथा कर सूचना के आदान-प्रदान के करार (टी.आई.ई.ए.) के तहत प्राप्त की गई सूचना पर भी लागू होता है।

वित्त आसूचना एकक (एफ.आई.यू.) इग्मोंट विनिमय रूपरेखा के जरिये विदेशी क्षेत्राधिकार से भारत वित्त आसूचना एकक (एफ. आई.यू.-इंड.) द्वारा प्राप्त की गई सूचना इग्मोंट समूह द्वारा निर्धारित "सूचना के आदान-प्रदान संबंधी सिद्धांत" द्वारा अधिशासित होती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित किया गया है कि:

(i) अनुरोधकर्ता वित्त आसूचना एकक, सूचना प्रकट करने वाली वित्त आसूचना एकक द्वारा साझा की गई सूचना को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं कर सकता है और न ही इस सूचना को प्रशासनिक, अन्वेषणात्मक अभियोजनात्मक अथवा न्यायिक प्रयोजनों के लिए उस वित्त आसूचना एकक की पूर्व सहमति के बिना प्रयोग कर सकता है जिसने सूचना को प्रकट किया है।

(ii) वित्त आसूचना एकक द्वारा आदान-प्रदान की गई सभी सूचना को यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर नियंत्रण तथा सुरक्षा के अध्यधीन रखा जाना चाहिए कि इस सूचना का प्रयोग गोपनीयता पर राष्ट्रीय उपबंधों तथा डाटा संरक्षण के अनुरूप प्राधिकृत तरीके से किया जाता है। कम से कम आदान-प्रदान की गई सूचना को उन्हीं गोपनीयता उपबंधों द्वारा यथा संरक्षित माना जाना चाहिए जैसे कि प्राप्त करने वाली वित्त आसूचना एकक द्वारा घरेलू स्त्रोतों से प्राप्त उसी प्रकार की सूचना पर लागू होते हैं।

भारत वित्त आसूचना एकक, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 66 के अंतर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) सहित 15 एजेंसियों के साथ सूचना साझा करने के लिए प्राधिकृत है जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी हैं। भारत वित्त आसूचना एकक द्वारा अपने विदेशी प्रतिपक्षों से प्राप्त की गई आसूचना को, उसे प्रकट करने वाली वित्त आसूचना एकक की पूर्व सहमति से इन प्राधिकृत एजेंसियों के साथ साझा किया जाता है।

(घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 के अंतर्गत, आयकर अधिनियम, 1961 की उस धारा, अथवा उपबंधों के अंतर्गत किए गए करार (डी.टी.ए.ए./टी.आई.ई.ए.) के उपबंध लागू होंगे जो कर दाताओं को ज्यादा लाभदायी हैं। इसलिए, यदि किए गए करार के गोपनीयता उपबंध ज्यादा युक्तियुक्त हैं, तो वह गोपनीयता उपबंध, करदाताओं के लिए अधिक लाभदायक होने के कारण लागू होगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान

***185. श्रीमती दर्शना जरदोश:**
श्री हरिन पाठक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान की शाखाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इनके प्रबंधन के लिए किस प्रकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है तथा प्रस्तावित संस्थानों को चलाने के लिए क्या परिचालनात्मक दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान की प्रस्तावित शाखाएं सामने आ रहे नए रोगों के निदान के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हों और साथ ही वे इस समय विद्यमान संचारी रोगों पर शोध भी कर सकें;

(ङ) क्या गुजरात में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान की शाखा की स्थापना के लिए व्यय विभाग के पास कोई प्रस्ताव पुन: भेजा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) प्रकट होने वाले और पुन: प्रकट होने वाले संचारी रोगों की प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (तत्कालीन राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान) के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के एक अभिन्न भाग के रूप में एकीकृत रोग निगरानी परियोजना प्रकोप प्रवण रोगों की जानपदिक रोग विज्ञानीर्य और प्रयोगशाला आधारित निगरानी और उन रोगों से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई को सहायता प्रदान करती है।

राज्य और जिला स्तरों पर रोग निगरानी यूनिटों के निकट सहयोग से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा रोग निगरानी तथा अनुक्रिया कार्यकलापों की मॉनीटरिंग और समन्वय किया जाता है। ये विकेन्द्रित निगरानी यूनिटें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अंतर्गत कार्य करती है और विगत कुछ वर्षों से जनशक्ति और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करके उनको सुदृढ़ किया गया है। राष्ट्रीय रोग निगरानी केन्द्र की क्षेत्रीय शाखाओं और राज्य तथा जिला स्तरीय निगरानी यूनिटों के सुदृढ़ीकरण सहित इसका सुदृढ़ीकरण भारत सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र की कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण भाग है।

गुजरात में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा गठित करने के लिए भारत सरकार, व्यय विभाग को अलग से कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाएं

***186. श्री जितेन्द्र सिंह मलिक:**
श्री एम.के. राघवन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना की गई है तथा इन परियोजनाओं से विद्युत का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) देश में परियोजना-वार निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है तथा इन परियोजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में 05.08.2011 तक ताप विद्युत परियोजनाओं की 91 यूनिटें (2797.2 मेगावाट) और जल विद्युत

परियोजनाओं की 23 यूनिटें (2237 मेगावाट) चालू की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं द्वारा जुलाई, 2011 तक उत्पादित विद्युत की मात्रा समेत ताप और जल विद्युत परियोजनाओं के वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) 11वीं योजना मध्यावधि मूल्यांकन (एम.टी.ए.) में 62,374 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य के मुकाबले 11वीं योजना के दौरान 05.08.2011 तक कुल 40,131 मेगावाट (जिसमें 1406 मेगावाट की अतिरिक्त ताप विद्युत क्षमता शामिल है जिसे एम.टी.ए. लक्ष्य में शामिल नहीं किया गया है) क्षमता पहले ही चालू की जा चुकी है। 11वीं योजना में चालू होने की संभावना वाली शेष बची ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं तथा जिनके 12वीं योजना में जाने की संभावना है, के विवरण, विद्युत उत्पादन क्षमता तथा इन परियोजनाओं पर व्यय की गई निधि के ब्यौरे क्रमशः विवरण-II तथा विवरण-III पर संलग्न है।

(ग) 11वीं योजना के दौरान ताप विद्युत परियोजनाओं के पूरा न होने के कारणों को विवरण-II में प्रत्येक परियोजना के सामने निर्दिष्ट किया गया है। 11वीं योजना में निर्माणाधीन परियोजनाओं, जिनके 11वीं योजना की शेष अवधि में पूरा होने की संभावना नहीं है, के प्रमुख कारणों में भूमि अधिग्रहण की समस्या, पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति में विलंब, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी मामले, नई-नई भूवैज्ञानिक समस्याएं, प्राकृतिक आपदाएं, कानून एवं व्यवस्था की घटनाएं और संविदात्मक मामले शामिल हैं।

(घ) इन परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें दिसंबर, 2007 में भेल की विनिर्माणन क्षमता को 10,000 मेगावाट से बढ़ाकर सन 2012 तक 20,000 मेगावाट करना, सचिव (भारी उद्योग) की अध्यक्षता में एक समूह द्वारा भेल से विद्युत उपकरण की आपूर्ति से संबंधित मामलों की आवधिक समीक्षा, ताप विद्युत संयंत्रों के लिए सुपर क्रिटिकल बॉयलरों और टरबाईन जेनरेटरों के विनिर्माण हेतु कई नये संयुक्त उद्यमों का गठन, स्वदेशी निर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकियों एवं अनिवार्य चरणबद्ध स्वदेशी विनिर्माण कार्यक्रम से 660 मेगावाट प्रत्येक की 11 यूनिटों के लिए भारी मात्रा में आर्डर, बैलेंस ऑफ प्लांट्स जरूरतों को पूरा करने के लिए वेंडर बेस को बढ़ाने के निमित्त पणधारियों को संवेदनशील बनाना; विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पावर प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग पैनल एवं विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में सलाहकार समूह द्वारा परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर गहन मॉनीटरिंग और वेब आधारित मॉनीटरिंग प्रणाली का शुभारंभ करना आदि शामिल है।

विवरण I

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चालू राज्यवार ताप विद्युत यूनिटें

राज्य/परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता मे.वा.	चालू होने कुल तारीख वास्तविक	उत्पादन 07/2011 तक
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2008-09						
छत्तीसगढ़						
भिलाई टीपीपी विस्तार	एनएसपीसीएल	केंद्रीय	यू-1	250	20-04-08	4259.1
सीपत-II	एनटीपीसी	केंद्रीय	यू-5	500	27-12-08	10708.2
मध्य प्रदेश						
अमरकंटक टीपीपी	एमपीजीसीएल	राज्य	यू-5	210	15.06.08	3174.8
पंजाब						
गुरू हर गोविंद टीपीएस	पीएसईबी	राज्य	यू-4	250	31.07.08	4865.3

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु						
वलुथूर सीसीपीपी वि.	टीएनईबी	राज्य	जीटी	59.8	06.05.08	
		राज्य	एसटी	32.4	16.02.09	893.9
पश्चिम बंगाल						
सागरदिघी	डबल्यूबीपीडीसीएल	राज्य	यू-2	300	20.07.08	5108.3
छत्तीसगढ़						
ओ.पी.जिंदल एसटीपीपी	जिंदल पावर लि.	निजी	यू-4	250	17.06.08	6029.2
गुजरात						
सुगेन सीसीपीपी (अखाखोल)	टोरेंट पावर जेन. लि.	निजी		382.5	04.02.09	6277
महाराष्ट्र						
ट्रांबे टीपीएस विस्तार	टाटा पावर कंपनी	निजी	यू-8	250	26.03.09	3989.1
		कुल (2008-09):		2484.7		45304.9
वर्ष 2009-10						
बिहार						
कहलगांव चरण-2, फेज-2	एनटीपीसी	केंद्रीय	यू-7	500	31.07.09	4001.2
छत्तीसगढ़						
भिलाई टीपीपी विस्तार	एनएसपीसीएल	केंद्रीय	यू-2	250	12.07.09	3504.4
झारखंड						
चन्द्रपुरा टीपीएस विस्तार	डीवीसी	केंद्रीय	यू-7	250	04.11.09	187.6
		केंद्रीय	यू-8	250	31.03.10	469.1
उत्तर प्रदेश						
एनसीपी परियोजना चरण-II यूनिट-5	एनटीपीसी	केंद्रीय	यू-5	490	29.01.10	5168.3
आंध्र प्रदेश						
विजयवाड़ा टीपीपी-IV	एपीजेनको	राज्य	यू-1	500	08.10.09	6210.3
गुजरात						
कच्छ लिग्नाइट टीपीएस	जीएसईसीएल	राज्य	यू-4	75	01.10.09	369.2
उतरान सीसीपीपी वि.		राज्य	जीटी	240	08.08.09	2486

1	2	3	4	5	6	7
		राज्य	एसटी	134	10.10.09	1491.6
हरियाणा						
राजीव गांधी	एचपीजीसीएल	राज्य	यू-1	600	31.03.10	2902.8
महाराष्ट्र						
न्यू पारली टीपीपी	एमएसपीजीसीएल	राज्य	यू-2	250	10.02.10	1764.4
पारस टीपीएस वि.यू.-2		राज्य	यू-2	250	27.03.10	1782.6
राजस्थान						
छाबड़ा टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	राज्य	यू-1	250	30.10.09	1944.1
गिराल लिग्नाइट-II		राज्य	यू-2	125	06.11.09	752.9
कोटा टीपीपी		राज्य	यू-7	195	31.08.09	3033.9
सूरतगढ़ टीपीपी		राज्य	यू-6	250	29.08.09	1674.1
पश्चिम बंगाल						
बक्रेश्वर टीपीएस	डब्ल्यूपीडीसीएल	राज्य	यू-5	210	07.06.09	3421
आंध्र प्रदेश						
गौतमी सीसीपीपी	गौतमी पावर लि.	निजी	जीटी-1	145	03.05.09	
		निजी	जीटी-2	145	03.05.09	
		निजी	एसटी	174	03.05.09	7557.9
कोनासीमा सीसीपीपी	कोनासीमा गैस पावर लि.	निजी	जीटी-1	140	01.05.09	
		निजी	जीटी-2	140	01.05.09	3974.1
लेनको कोंडापल्ली फेज-II (जीटी)	लेनको कोंडापल्ली	निजी	जीटी	233	05.12.09	2981.2
छत्तीसगढ़						
लेनको अमरकंटक टीपीएस फेज-I, यू-1	लेनको अमरकंटक पावर प्रा.लि.	निजी	यू-1	300	04.06.09	4232.7
लेनको अमरकंटक टीपीएस फेज-II, यू-2	लेनको अमरकंटक पावर प्रा.लि.	निजी	यू-2	300	26.03.10	2198.2

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात						
मूंदड़ा टीपीपी फेज-I (यूनिट-1, 2)	अडानी पावर लि.	निजी	यू-1	330	04.08.09	4701.9
		निजी	यू-2	330	17.03.10	3241.4
सुगेन सीसीपीपी (अखाखोल)	टोरेंट पावर जेनरेशन लि.	निजी		382.5	07.05.09	5990.9
		निजी		382.5	08.05.09	5601.4
कर्नाटक						
तोरांगल्लू टीपीपी	जेएसडब्ल्यू एनर्जी	निजी	यू-1	300	27.04.09	4680.9
	(विजयनगर) लि.	निजी	यू-2	300	24.8.09	4247.4
राजस्थान						
जलीपा-कपूरदी टीपीपी	राज वेस्ट पावर लि. (जेएसडब्ल्यू)	निजी	यू-1	135	16.10.09	785.8
उत्तर प्रदेश						
रोजा टीपीपी फेज-I	रोजा पावर सप्लाई कंपनी लि. रिलायंस एनर्जी	निजी	यू-1	300	10.02.10	2571.2
पश्चिम बंगाल						
बज बज-III	सीईएससी	निजी	यू-3	250	29.09.09	2878.8
		कुल (2009-10):		9106		96807.3
वर्ष 2010-11						
आंध्र प्रदेश						
सिम्हाद्रि एसटीपीपी विस्तार	एनटीपीसी	केंद्रीय	यू-3	500	31.03.11	0.6
छत्तीसगढ़						
कोरबा एसटीपीपी	एनटीपीसी	केंद्रीय	यू-7	500	26.12.10	1132
हरियाणा						
इंदिरा गांधी टीपीपी	एपीसीपीएल	केंद्रीय	यू-1	500	31.10.10	680
राजस्थान						
बरसिंगसर लिग्नाइट	एनएलसी	केंद्रीय	यू-1	125	28.06.10	131.9
		केंद्रीय	यू-2	125	25.01.11	170

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश						
एनसीपी परियोजना चरण-II	एनटीपीसी	केंद्रीय	यू-6	490	30.07.10	3191.8
पश्चिम बंगाल						
फरक्का एसटीपीएस-III	एनटीपीसी	केंद्रीय	यू-6	490	23.03.11	0.2
मेजिया टीपीएस विस्तार	डीवीसी	केंद्रीय	यू-1	500	30.09.10	65
		केंद्रीय	यू-2	500	26.03.11	0
आंध्र प्रदेश						
काकतिया टीपीपी	एपीजेनको	केंद्रीय	यू-1	500	27.05.10	2802.7
रायलसीमा टीपीपी चरण-III		राज्य	यू-5	210	31.12.10	713
दिल्ली						
प्रगति सीसीजीटी-III	पीपीसीएल	राज्य	जीटी-1	250	24.10.10	3.9
		राज्य	जीटी-2	250	16.02.11	7
गुजरात						
सुरत लिग्नाइट टीपीपी वि.	जीआईपीसीएल	राज्य	यू-3	125	12.04.10	748.6
		राज्य	यू-4	125	23.04.10	663.3
हरियाणा						
राजीव गांधी	एचपीजीसीएल	राज्य	यू-2	600	01.10.10	1227.7
कर्नाटक						
रायचूर यू-8	केपीसीएल	राज्य	यू-8	250	26.06.10	693.6
राजस्थान						
छाबड़ा टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	राज्य	यू-2	250	04.05.10	272.8
त्रिपुरा						
बारामूरा जीटी विस्तार	टीएसईसीएल	राज्य	यू-5	21	03.08.10	87.9
आंध्र प्रदेश						
कोनासीमा सीसीपीयू	कोनासीमा गैस पावर लि.	निजी	एसटी	165	30.06.10	163.1

1	2	3	4	5	6	7
लेनको कोंडापल्ली फेज-II (एसटी)	लेनको कोंडापल्ली	निजी	एसटी	133	19.07.10	896.2
दिल्ली						
रिठाला सीसीपीपी	एनडीपीएल	निजी	जीटी-1	35.75	09.12.10	95.7
		निजी	जीटी-2	35.75	04.10.10	97.7
गुजरात						
मूंदड़ा टीपीपी फेज-II	अडानी पावर लि.	निजी	यू-3	330	02.08.10	2456.5
(यू-3 व 4)		निजी	यू-4	330	20.12.10	1529.1
मूंदड़ा टीपीपी फेज-II		निजी	यू-1	660	26.12.10	1411.7
कर्नाटक						
उड्प्पी टीपीपी	यूपीसीएल	निजी	यू-1	600	2307.10	2435.2
महाराष्ट्र						
जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी	जेएसडब्ल्यू एनर्जी (रत्नागिरि)	निजी	यू-1	300	24.08.10	1889.9
टीपीपी	लिमिटेड	निजी	यू-2	300	09.12.10	1353.2
वर्धा टीपीपी	डब्ल्यूपीसीएल	निजी	यू-1	135	5.6.10	878.2
			यू-2	135	10.10.10	634.2
		निजी	यू-3	135	13.01.11	403.6
उड़ीसा						
स्टरलाइट टीपीपी	स्टरलाइट एनर्जी लि.	निजी	यू-1	600	14.10.10	1280.2
		निजी	यू-2	600	29.12.10	1561.5
राजस्थान						
जलीपा कपूरदी टीपीपी	राज वेस्ट पावर लि.	निजी	यू-2	135	08.07.10	460.8
उत्तर प्रदेश						
रोजा टीपीपी फेज-I	रोजा पावर सल्पाई कंपनी लि. रियायंस	निजी	यू-2	300	28.06.10	2041.7
		कुल (2010-11):		11250.5		32190.5

1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2011-12						
छत्तीसगढ़						
सीपत-I	एनटीपीसी	केंद्रीय	यू-1	660	28.06.11	72.9
झारखंड						
कोडरमा टीपीपी	डीवीसी	केंद्रीय	यू-1	500	20.07.11	0
पश्चिम बंगाल						
दुर्गापुर स्टील टीपीएस	डीवीसी	केंद्रीय	यू-1	500	29.07.11	0
आंध्र प्रदेश						
कोठापुरम टीपीपी-6	एपीजेनको	राज्य	यू-1	500	26.06.11	102.9
महाराष्ट्र						
खापरखेड़ा टीपीएस वि.	एमएसपीजीसीएल	राज्य	यू-5	500	05.08.11	
पश्चिम बंगाल						
संथालडी टीपीपी वि.	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	राज्य	यू-6	250	29.06.11	0
गुजरात						
मूंदड़ा टीपीपी फेज-II	अडानी पावर लि.	निजी	यू-2	660	20.07.11	0
झारखंड	मथन आरबी टीपीपी	निजी	यू-1	525	30.06.11	0
कर्नाटक						
उड़पी जीपीपी	यूपीसीएल	निजी	यू-2	600	17.04.11	281.7
महाराष्ट्र						
जेएसडब्ल्यू रत्नागिरि टीपीपी	जेएसडब्ल्यू एनर्जी (रत्नागिरि) लिमिटेड	निजी	यू-3	300	06.05.11	375.6
वर्धा टीपीपी	डब्ल्यूपीसीएल	निजी	यू-4	135	30.04.11	145.8
		कुल (2011-12):		5130		978.9
		कुल:			27971.2	175281.6

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चालू राज्यवार ताप विद्युत यूनिटें

क्र.सं.	परियोजना का नाम/ अधिष्ठापित क्षमता (सं. × मेगावाट)	सेक्टर	के दौरान चालू क्षमता 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (31.7.2011 तक)	कुल (मेगावाट)	वास्तविक उत्पादन (मि.यू.) जुलाई, 11 तक
	जम्मू और कश्मीर							
1.	बगलीहार (जेकेएसपीडीसी) 3 × 150	राज्य	450	–	–	–	450	7453.32
2.	सेवा-II (एनएचपीसी) 3 × 40	केन्द्रीय	–	–	120	–	120	604.96
	हिमाचल प्रदेश							
3.	अलाइन दुहंगन (एडीएचपीएल) 2 × 96	निजी	–	–	192	–	192	430.58
4.	करछाम वांग्टू (जेकेएचसीएल) 4 × 250		–	–		500	500	472.61
	उत्तराखण्ड							
	कोटेश्वर (टीएचडीसी) 4 × 100	केन्द्रीय	–	–	200	–	200	36.91
	महाराष्ट्र							
5.	घाटघर पीएसएस (जीओएमआईडी) 2 × 125	राज्य	250	–	–	–	250	666.61
	आंध्र प्रदेश							
6.	प्रियदर्शिनी जुराला (एपीजेनको) 6 × 39	राज्य	39	39	78	39	195	515.15
	कर्नाटक							
7.	वराही विस्तार (केपीसीएल) 2 × 115	राज्य	230	–	–	–	230	3554.18
	केरल							
8.	कुटियाडी अतिरिक्त विस्तार (केएसईबी) 2 × 250	राज्य	–	–	100	–	100	1.08
		कुल	969	39	690	539	2237	13735.4

विवरण II

11वीं योजना के दौरान संभावित लाभ के लिए निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं (एमटीए के अनुसार)

राज्य क्षेत्र	परियोजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	व्यय* (तक) (लाख रुपये में)	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6
केंद्रीय क्षेत्र					
हरियाणा	इंदिरा गांधी टीपीपी	एपीसीपीएल	693100(7/11)	यू-2	500
तमिलनाडु	नैवेली टीपीएस-स	एनएलसी	215425(3/11)	यू-1	250
				उप जोड़:	750
राज्य क्षेत्र					
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III	पीपीसीएल	310000(7/11)	जीटी-3	250
				एसटी-1	250
गुजरात	हजीरा सीसीपीपी वि.	जीएसईसीएल	64000(09/10)	जीटी+एसटी	351
कर्नाटक	बेल्लारी टीपीपी चरण	केपीसीएल	130609(6/11)	यू-2	500
महाराष्ट्र	भुसावल टीपीएस वि.	एमएसपीजीसीएल	420852(06/11)	यू-4	500
				यू-5	500
उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज	यूपीआरवीयूएनएल	175863(3/11)	यू-8	250
				यू-9	250
				उप जोड़:	2851
निजी क्षेत्र					
गुजरात	मूंदड़ा यूएसटीपीसी	टाटा पावर कंपनी	(1312400)(3/11)	यू-1	800
झारखंड	मैथन आरबी टीपीपीपी	डीवीसी	412000(6/11)	यू-2	525
महाराष्ट्र	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	जेएसडब्ल्यू एनर्जी (रत्नागिरी) लि.	729435(07/11)	यू-4	300
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-I	अडानी पावर लि.	21222(11/08)	यू-1	660

1	2	3	4	5	6
राजस्थान	जलीपा-कपूरदी टीपीपी	राज वेस्ट पावर लि. (जेएसडब्ल्यू)	531075(06/11)	यू-3	135
उत्तर प्रदेश	अनपरा-सी	लेनको अनपरा पावर प्रा. लि.	403076(6/11)	यू-1	600
				यू-2	600
				उप जोड़:	3620
				कुल:	7221

*निजी यूनिटों के मामले में नहीं बल्कि परियोजना पर व्यय के संदर्भ में

जल विद्युत परियोजनाएं-11वीं योजना के दौरान लाभ हेतु निर्माणाधीन (एमटीए के अनुसार)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	सेक्टर	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (सं. × मेगावाट	क्रियान्वयनाधीन क्षमता (मेगावाट)	अद्यतन चालू	03/2011 तक व्यय (लाख रुपये)	
केंद्रीय क्षेत्र								
1.	चमेरा-III (एनएचपीसी)	केंद्रीय	हिमाचल प्रदेश	3×77	231.00	2011-12	155270	
2.	उड़ी-II (एमएचपीसी)	केंद्रीय	जम्मू और कश्मीर	4×60	240.00	2011-12	139923	
3.	चुटक (एनएचपीसी)	केंद्रीय	जम्मू और कश्मीर	4×11	44.00	2011-12	62195	
4.	कोटेश्वर (टीएचडीसी)	केंद्रीय	उत्तराखंड	4×100	200.00	2011-12	230802	
		उप जोड़ (केंद्रीय क्षेत्र):			715.00			
राज्य क्षेत्र								
1.	भवानी बैराज-II	राज्य	तमिलनाडु	2×15	30.00	2011-12	34633	
2.	मंत्दू	राज्य	मेघालय	2×42×1×42	126.00	2011-12	96485	
		उप जोड़ (राज्य क्षेत्र):			150.00			
निजी क्षेत्र								
1.	करछाम वांग्टू	निजी	हिमाचल प्रदेश	4×250	500.00	2011-12	618785	
2.	बुघिल	निजी	हिमाचल प्रदेश	2×35	70.00	2011-12	31203	(04/10)
3.	मलाना-II	निजी	हिमाचल प्रदेश	2×50	100.00	2011-12	78646	(01/11)
		उप जोड़ (निजी क्षेत्र):			070.00			
		कुल			1541.00			

विवरण III

11वीं योजना के दौरान संभावित लाभ के लिए निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं

राज्य क्षेत्र	परियोजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	व्यय* (तक) (लाख रुपये में)	यूनिट सं.	क्षमता (मे.वा.)	पूरा न होने के कारण
1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	सिम्हाद्रि एसटीपीपी वि.	एनटीपीसी	395600(5/11)	यू-4	500	टीजी डेक एक्सेस फ्लोरों के सिविल कार्यों में धीमी गति के कारण टीजी उत्थापन में विलंब।
असम	बोंगईगांव टीपीपी सीएचपी/एएचपी	एनटीपीसी	218600(5/11)	यू-1	250	सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। कार्यों में प्रारंभिक अवस्था में कानून एवं व्यवस्था की समस्या, बार-बार होने वाले बंद।
				यू-2	250	
हरियाणा	इंदिरा गांधी टीपीपी	एपीसीपीएल	393100(7/11)	यू-2	500	
				यू-3	500	टीजी डेक एक्ससे फ्लोरों एवं टीजी हॉल के अन्य कि सिविल कार्यों में धीमी गति के कारण टीजी उत्थापन में विलंब।
झारखंड	कोडरमा टीपीपी	डीवीसी	373925 (11/10)	यू-2	500	सिविल कार्यों में विलंब/ईओटी क्रेन की अनुपलब्धता के कारण टीजी उत्थापन एवं पेश पौंड के लिए भूमि मिलने में विलंब।
तमिलनाडु	नैवेली टीपीएस-II वि.	एनएलसी	215425 (3/11)	यू-1	250	
				यू-2	250	रिफेक्ट्री कार्य की धीमी प्रगति
तमिलनाडु	वल्लूर टीपीपी फेज-1	डीवीसी	396544(6/11)	यू-1	500	बीओपी आर्डर में विलंब
				यू-2	500	टीजी डेक एक्सेस फ्लोरों एवं ईओटी क्रेन एक्सटेंशन के सिविल कार्यों में धीमी गति के कारण टीजी उत्थापन में विलबं।
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-I	डीवीसी	307640 (11/10)	यू-1	600	रेल कॉरीडोर एवं रॉ वाटर पाईपलादन कॉरीडोर (अति संवेदी, विलंब के प्रमुख कारण) के लिए भूमि अधिग्रहण, कोई

1	2	3	4	5	6	7
						लक्ष्य निर्धारित नहीं है। समस्त टरबाईन माडयूल, जेनरेटर, सीसी पंपों आदि कार्य स्थल पर उपलब्ध हैं। कानून एवं व्यवस्था की कमी।
				यू-2	600	
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	डीवीसी	396856 (11/10)	यू-2	500	कार्य की धीमी प्रगति।
				उप जोड़:	4950	
राज्य क्षेत्र						
असम	लकवा वेस्ट हीट यूनिट	एपीजीसीएल	24679(6/11)	एसटी	37.2	सिविल एवं इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्यों में धीमी प्रगति, कानून एवं व्यवस्था की समस्या एवं मानव शक्ति की कमी।
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III	पीपीसीएल	31000(7/11)	एसटी-3	250	धीमा सिविल कार्य। टीजी डेक का तैयार न होना। सिविल कार्य में विलंब।
				जीटी-4	250	
गुजरात	पिपावाव सीसीपीपी	जीएसईसीएल	123990(03/10)	ब्लॉक-1	351	
गुजरात	पिपापाव सीसीपीपी	जीएसईसीएल	123990 (03/10)	ब्लॉक-2	351	आरसीसी कार्यों की धीमी प्रगति, जीटीजी एवं एमटीजी की आपूर्ति में विलंब।
गुजरात	उकई टीपीपी विस्तार	जीएसईसीएल	147784(6/11)	यू-6	490	वर्तमान अवसंरचना, ड्रेनों इत्यादि को हटाने में प्रारंभिक विलंब, सिविल कार्यों की धीमी प्रगति एवं पर्याप्त मानव शक्ति।
तमिलनाडु	नॉर्थ चेन्नई विस्तार	टीएनईबी	153531 (6/11)	यू-1	600	बॉयलर को तैयार करने में विलंब।
				यू-1		
तमिलनाडु	नॉर्थ चेन्नई विस्तार	टीएनईबी	128566 (6/11)	यू-2	600	टीजी एक्सेस फ्लारों एवं ईओटी क्रेन के सिविल कार्यों में धीमी

1	2	3	4	5	6	7
						गति के कारण टीजी उत्थापन में विलंब।
तमिलनाडु	मेतूर टीपीपी विस्तार	टीएनईबी	196265 (6/11)	यू-1	600	
उत्तर प्रदेश	परीक्षा विस्तार	यूपीआरवीयूएनएल	175892(3/11)	यू-5	250	चिमनी गिर गई है और इसे नये स्थान पर पुप:निर्मित किया जा रहा है।
				यू-6	250	
				उप जोड़:	4029.2	
निजी क्षेत्र						
राजस्थान	जलीपा-कपूरदी टीपीप	राज वेस्ट पावर	531075 (06/11)	यू-4	135	मानव शक्ति की कमी एवं विषम कार्यस्थल परिस्थितियां के कारण कार्य की धीमी गति। जोधपुर डिस्कॉम द्वारा रॉ वाटर के लिए 4 विद्युत स्टेशनों तक स्थायी विद्युत आपूर्ति तैयार है। जलीपा खानों का विकास।
				यू-5	135	
				यू-6	135	
				यू-7	135	
				यू-8	135	
गुजरात	मूंदड़ा टीपीपी फेज-3	अडानी पावर लि.	62891 (11/08)	यू-1	660	फ्लू गैस डि-सल्फराइजेशन में विलंब।
दिल्ली	रिठाला सीसीपीपी	एनडीपीएल	25000 (03/10)	एसटी	36.5	अंतिम स्थान पर विद्युत निकासी प्रणाली में विलंब। टरबाईन मार्गों की मरम्मत के कारण विलंब
				उप जोड़:	1371.5	
				कुल:	10350.7	

*निजी यूनिटों के मामले में नहीं बल्कि परियोजना पर व्यय के संदर्भ में

बीआरजीएफ का कार्यान्वयन

***187. श्री भीष्म शंकर** *उर्फ* **कुशल तिवारी:**
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम (बीआरजीएफ) का ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों की राज्य-वार सूची क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि आवंटित करने के लिए किन मानदंडों का पालन किया गया तथा राज्य सरकारों को कितनी धनराशि आवंटित एवं जारी की गई और राज्यों द्वारा उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार कितना व्यय किए जाने का पता लगा है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों/अनियमितताओं/धन में कुप्रबंधन पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि के समुचित उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम की समीक्षा करने/इसमें सुधार करने तथा इसकी खामियों को दूर करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज्य मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव): (क) बीआरजीएफ कार्यक्रम चिन्हित जिलों में वर्तमान विकासात्मक अंतर्प्रवाही को संपूरित एंव अभिसरित करने हेतु निधियां प्रदान कर विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए बनाया गया है। सरकार ने 27 राज्यों के 250 जिले पिछड़े जिले के रूप में चिन्हित किये हैं एवं वह वर्ष 2006-07 से इन जिलों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम के जिला घटक का कार्यान्वयन कर रही है। बीआरजीएफ के अंतर्गत शामिल जिलों की सूची विवरण I पर दी गई है।

(ख) बीआरजीएफ का वार्षिक बजट आवंटन दो घटकों में विभाजित किया गया है, नामत: क्षमता निर्माण (सीबी) अनुदान एवं विकास अनुदान (डीजी)। राज्यों को सीबी अनुदान प्रति जिला एक करोड़ रुपये की दर से प्रदान किया जाता है। राज्यों को डीजी घटक निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार आगे जिलों को अंतरित करने हेतु प्रदान किया जाता है:

* 250 जिलों में से प्रत्येक को 10 करोड़ रुपये की आधार राशि निर्धारित की जाती है।
* शेष बजट आवंटन, 250 करोड़ रुपये क्षमता निर्माण घटक के तौर पर तथा प्रत्येक जिलों को 10 करोड़ रुपये की डीजी घटक की आधार राशि के तौर पर प्रदान किये जाने के उपरांत, 250 जिलों के बीच उनके क्षेत्रफल एवं आबादी (2001 की जनगणना) के अनुपात में, दोनों पैरामीटरों पर समान भार देते हुए वितरित कर दिया जाता है। विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान आबंटित बीआरजी एफ अनुदान, निर्मुक्ति एवं सूचित उपयोग के राज्य-वार ब्यौरे विवरण II में दिए गये हैं।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय को कतिपय राज्यों में अनियमितताओं/धन के कुप्रबंधन के संबंध में शिकायतें मिली हैं। ऐसी शिकायतें आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई है। इन प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे विवरण III में दिए गये हैं।

केन्द्र सरकार प्रगति रिपोर्ट, उपयोग प्रमाण पत्र, आडिट रिपोर्ट, राज्यों के साथ समय-समय पर किए गए पत्राचार एवं वरिष्ठ अधिकारियों के दौरे के माध्यम से अनुदानों के उपयोग का मॉनीटरन करती है। मंत्रालय ने योजनाएं ऑनलाईन बनाने एवं उनकी निष्पादन स्थिति के बारे में सूचना देने को सुलभ बताने हेतु प्लान प्लस साफ्टवेयर भी तैयार किया है।

(ङ) जी, हां।

(च) सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के संदर्भ में बीआरजीएफ समेत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों पर कार्यदल का गठन किया है। कार्यदल से अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा एवं बीआरजीएफ के निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से इसके पुनर्संरचना हेतु एक ब्लू प्रिंट का सुझाव देगा।

विवरण I

बीआरजीएफ जिलों की संख्या

क्र.सं.	जिला
1	2
1.	**आन्ध्र प्रदेश**
1.	आदिलाबाद
2.	अनंतपुर
3.	चित्तूर
4.	कुड्डप्पा
5.	करीमनगर
6.	खामम
7.	महबूब नगर
8.	मेदक
9.	नालगोंडा
10.	निजामाबाद
11.	रंगारेड्डी
12.	विजियाना ग्राम
13.	वारंगल
2.	**अरूणाचल प्रदेश**
1.	ऊपरी सुबनसिरी
3.	**असम**
1.	बारपोटा
2.	बोंगिया गांव
3.	कचछर
4.	धेमाजी
5.	गोलपारा
6.	हेलाकांडी
7.	करबी अंगलॉग
8.	कोकराझर
9.	लखीमपुर
10.	मारीगांव
11.	उत्तरी कछर हिल्स
4.	**बिहार**
1.	अररिया
2.	औरंगाबाद
3.	बांका
4.	बेगूसराय
5.	भागलपुर
6.	भोजपुर
7.	बक्सर
8.	दरभंगा
9.	गया
10.	गोपालगंज
11.	जमुई
12.	जहानाबाद
13.	कैमूर (भबूआ)
14.	कटिहार
15.	खगड़िया
16.	किशनगंज
17.	लखीसराय
18.	मधेपुरा
19.	मधुबनी
20.	मुंगेर
21.	'मुजफ्फरपुर
22.	नालंदा
23.	नवादा
24.	प. चम्पारण
25.	पटना
26.	पूर्वी चम्पारण
27.	पूर्णियां
28.	रोहतास
29.	सहरसा
30.	समस्तीपुर
31.	सारण
32.	शेखपुरा
33.	शिवहर
34.	सीतामढ़ी
35.	सुपौल

1	2
36.	वैशाली
5.	**छत्तीसगढ़**
1.	बस्तर
2.	बिलासपुर
3.	दांतेवाड़ा
4.	धमतरी
5.	जशपुर
6.	कबीरधाम
7.	कांकेर
8.	कोर्बा
9.	कोरिया
10.	महासमुंद
11.	रायगढ़
12.	राजनंदगांव
13.	सरगुजा
6.	**गुजरात**
1.	बनासकंठा
2.	दाहोद
3.	डांग
4.	नर्मदा
5.	पंचमहल
6.	साबरकंठा
7.	**हरियाणा**
1.	महेन्द्रगढ़
2.	सिरसा
8.	**हिमाचल प्रदेश**
1.	चंबा
2.	सिरमौर
9.	**जम्मू और कश्मीर**
1.	डोडा
2.	कुपवाड़ा
3.	पुंछ
10.	**झारखंड**
1.	बोकारो
2.	चतरा

1	2
3.	देवघर
4.	घनबाद
5.	दुमका
6.	गढ़वा
7.	गिरिडीह
8.	गोड्डा
9.	गुमला
10.	हजारीबाग
11.	जामतारा
12.	कोडरमा
13.	लातेहार
14.	लोहरदगा
15.	पाकुड़
16.	पलामू
17.	रांची
18.	साहिबगंज
19.	खरसावा
20.	सिमडेगा
21.	पश्चिम सिंहभूम
11.	**कर्नाटक**
1.	बीदर
2.	चित्रदुर्ग
3.	दावणगेर
4.	गुलबर्गा
5.	रायचूर
12.	**केरल**
1.	पलक्काड
2.	वायनाड
13.	**मध्य प्रदेश**
1.	बालाघाट
2.	बरवानी

1	2
3.	बेतूल
4.	छतरपुर
5.	दमोह
6.	धार
7.	डिंडोरी
8.	गुना
9.	झाबुआ
10.	कटनी
11.	खंडवा
12.	खारगोन
13.	मांडला
14.	पन्ना
15.	राजगढ़
16.	रीवा
17.	सतना
18.	सिवनी
19.	शहडोल
20.	शयोपुर
21.	शिवपुरी
22.	सीधी
23.	टीकमगढ़
24.	उमरिया
14.	**महाराष्ट्र**
1.	अहमदनगर
2.	अमरावती
3.	औरंगाबाद
4.	भंडारा

1	2
5.	चंद्रपुर
6.	धुले
7.	गढ़चिरौली
8.	गोंदिया
9.	हिंगोली
10.	नांदेड
11.	नंदुरबार
12.	यवतमाल
15.	**मणिपुर**
1.	चंदेल
2.	चूड़चंद्रपुर
3.	तामेनलौंग
16.	**मेघालय**
1.	री भोई
2.	द. गारो हिल्स
3.	प. गारो हिल्स
17.	**मिजोरम**
1.	लौंगत्लाई
2.	सायहा
18.	**नागालैंड**
1.	मॉन
2.	त्वेनसांग
3.	वोखा
19.	**उड़ीसा**
1.	बोलंगीर
2.	बौध
3.	देबगढ़

1	2
4.	ढेंकानाल
5.	गजपती
6.	गंजम
7.	झारसुगुडा
8.	कालाहांडी
9.	कंधमाल
10.	क्योंझर
11.	कोरापुट
12.	मलकानगिरी
13.	मयूरभंज
14.	नवरंगपुर
15.	नुआपाड़ा
16.	रायगढ़
17.	संबलपुर
18.	सोनपुर
19.	सुंदरगढ़
20.	**पंजाब**
1.	होशियापुर
21.	**राजस्थान**
1.	बांसवाड़ा
2.	बाड़मेर
3.	चित्तौड़गढ़
4.	डूंगरपुर
5.	जैसलमेर
6.	जालौर
7.	झालावाड़
8.	करोली
9.	सवाई माधोपुर

1	2
10.	सिरोही
11.	टोंक
12.	उदयपुर
22.	**सिक्किम**
1.	उत्तरी जिला
23.	**तमिलनाडु**
1.	कुड्डलोर
2.	डिंडीगुल
3.	नागपट्टिणम
4.	शिवगंगा
5.	तिरूवन्नमलै
6.	विल्लुपुरम
24.	**त्रिपुरा**
1.	धलाई
25.	**उत्तर प्रदेश**
1.	अंबेडकर नगर
2.	आजमगढ़
3.	बहराइच
4.	बलरामपुर
5.	बांदा
6.	बाराबंकी
7.	बस्ती
8.	बंदायुं
9.	चंदौली
10.	चित्रकूट
11.	एटा
12.	फरूंखाबाद
13.	फतेहपुर

1	2
14.	गोंडा
15.	गोरखपुर
16.	हमरीपुर
17.	हरदोई
18.	जालौन
19.	जौनपुर
20.	कौशाम्बी
21.	खिरी
22.	कुशीनगर
23.	ललितपुर
24.	महाराजगंज
25.	महोबा
26.	मिर्जापुर
27.	प्रतापगढ़
28.	रायबरेली
29.	संत कबीर नगर
30.	श्रावस्ती
31.	सिद्धार्थनगर
32.	सीतापुर
33.	सोनभद्र
34.	उन्नाव
26.	**उत्तराखंड**
1.	चमोली
2.	चंपावत
3.	टिहरी गढ़वाल
27.	**पश्चिम बंगाल**
1.	द. 24 परगना
2.	बांकुरा
3.	बीरभूम
4.	द. दिनाजपुर
5.	उ. दिनाजपुर
6.	जलपाईगुडी
7.	मालदा
8.	मिदनापुर पूर्व
9.	मिदनापुर पश्चिम
10.	मुर्शिदाबाद
11.	पुरूलिया

विवरण II

ग्यारहवीं योजना में जारी बीआरजी एफ अनुदान एवं सूचित उपयोग का राज्यवार ब्यौरा (दिनांक 31.07.2011 के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	बीआर जी एफ जिलों की संख्या	वार्षिक आबंटन 2008-09 से 2010-11	2011-12 के दौरान	2008-09 निर्मुक्त निधि	सूचित उपयोग	2009-10 निर्मुक्त निधि	सूचित उपयोग	2010-11* निर्मुक्त निधि	सूचित उपयोग	2011-12* निर्मुक्त निधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	13	348.28	389.77	250.38	250.38	357.39	357.59	348.34	175.80	177.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	15.47	16.38	11.07	11.07	14.67	8.67	12.70	0.00	0.00
3.	असम	11	168.19	177.75	53.23	47.19	56.03	24.81	139.12	19.65	0.00
4.	बिहार	36	638.99	688.05	421.54	421.54	518.99	468.49	740.25	52.83	0.00
5.	छत्तीसगढ़	13	248.48	269.80	205.44	205.44	216.06	216.06	280.90	94.23	59.08
6.	गुजरात	6	107.31	115.64	6.04	6.04	96.64	88.85	103.16	37.68	30.12
7.	हरियाणा	2	30.44	32.15	25.68	25.68	19.35	19.35	39.53	17.86	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2	30.50	32.22	23.48	23.48	27.41	27.41	30.50	15.71	12.27
9.	जम्मू और कश्मीर	3	48.85	52.06	40.77	36.10	9.00	0.00	41.26	0.00	0.00
10.	झारखंड	21	343.56	366.31	.290.27	290.27	209.18	201.19	331.02	33.60	0.00
11.	कर्नाटक	5	108.17	118.91	0.00	0.00	103.27	103.27	118.48	53.68	0.00
12.	केरल	2	34.33	36.83	0.00	0.00	24.21	23.47	31.59	8.79	10.65
13.	मध्य प्रदेश	24	452.40	490.50	324.44	324.44	315.65	315.65	535.80	213.60	58.78
14.	महाराष्ट्र	12	265.57	292.56	29.80	26.79	228.19	223.14	290.95	139.82	75.48
15.	मणिपुर	3	42.09	43.93	14.62	14.61	27.71	27.71	54.32	23.44	10.08
16.	मेघालय	3	40.01	41.44	37.54	37.54	23.50	23.50	50.42	22.57	0.00
17.	मिजोरम	2	24.98	25.58	2.00	2.00	21.28	21.28	28.68	14.65	7.97
18.	नागालैंड	3	40.05	41.48	33.31	33.31	43.04	43.04	40.04	22.72	17.83
19.	उड़ीसा	19	324.67	339.96	227.84	227.84	223.67	204.96	385.20	133.78	40.81
20.	पंजाब	1	16.65	17.80	0.00	0.00	15.08	15.08	18.22	8.18	0.44
21.	राजस्थान	12	262.99	289.46	183.50	183.50	141.42	139.79	304.68	169.97	127.34
22.	सिक्किम	1	13.97	14.58	12.67	12.67	11.59	11.59	15.92	7.15	4.36
23.	तमिलनाडु	6	114.04	123.74	113.53	113.37	62.09	62.09	113.28	81.42	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	त्रिपुरा	1	13.21	13.66	11.81	11.81	8.58	8.58	13.21	9.16	8.46
25.	उत्तर प्रदेश	34	636.09	689.05	541.74	541.74	579.87	571.50	668.09	445.10	320.05
26.	उत्तराखण्ड	3	44.85	47.24	9.00	6.55	0.00	0.00	37.66	0.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	11	255.90	283.14	159.52	159.52	181.10	179.35	276.68	44.63	4.82
	कुल	250	4670.0 4	5049.99	3029.21	3012.88	3534.96	3386.22	5050.00	1846.02	965.72

*वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान की गई निर्मुक्तियों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र क्रमशः 31.03.2012 एवं 31.03.2013 को देय होंगे

विवरण III

दिनांक 01.08.2011 तक प्राप्त शिकायतों की सूची)

क्र.सं.	नाम तथा पत्र की तिथि	शिकायत विषय/ राज्य/जिला	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	श्री कमल किशोर सांसद (लोकसभा) दिनांक 23-6-2009	उत्तर प्रदेश में बीआरजीएफ निधियों का दुर्विनियोजन	दिनांक 10/8/2009 के पत्र सं. एन 11012/43/09 के द्वारा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के विचार जानने के लिए यह शिकायत उन्हें भेज दी गई थी। राज्य सरकार से ब्यौरे मिलने के बाद दिनांक 27/11/09 को माननीय सांसद को उत्तर भेज दिया था।
2.	श्री शैलेंद्र कुमार सांसद (लोकसभा) दिनांक 14.07.2009	प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 14/10/2009 के पत्र सं. 11012/49/09 वीआईपी-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
3.	श्री बृजभूषण शरण सिंह, (सांसद) लोकसभा और कुछ अन्य संसद सदस्य	उत्तर प्रदेश में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 18/12/2009 के पत्र सं. 11012/49/09 वीआईपी-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
4.	श्री राणा दिनेश प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख बस्ती, उ.प्र., दिनांक 30.11.2009	उत्तर प्रदेश में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 18/12/2009 के पत्र सं. 11012/49/09 वीआईपी-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।

1	2	3	4
5.	श्री कृष्णानंद सिंह पटेल, सदस्य, जिला योजना समिति ओबरा, सोनभद्र, उ.प्र. दिनांक 19.2.2010	ओबरा, सोनभद्र, उ.प्र. में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 15/3/2010 के पत्र सं. एन 11019/748/08-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
6.	श्री अनूप कुमार गुप्ता, एमएलए, उत्तर प्रदेश दिनांक 21.09.2010	सीतापुर, उ.प्र. में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 8/10/2010 के पत्र सं. एन 11019/748/08-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए। उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जवाब के आधार पर दिनांक 13/6/2011 को एक अंतरिम उत्तर श्री अनूप कुमार गुप्ता को भेज दिया गया था।
7.	श्री सियाराम सुपुत्र रामहैत, गांव अधावल, ब्लॉक परसेंदी, जिला, सीतापुर, उ.प्र. दिनांक 06.10.210	सीतापुर, उ.प्र. में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 2/11/2010 के पत्र सं. एन 11019/748/08-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
8.	श्री दीप चंद्र जैन, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, घंटाघर, जिला मिर्जामुर, उ.प्र. दिनांक 27.11.2010	मिर्जापुर, उ.प्र. में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 27/12/2010 के पत्र सं. एन 11019/362/10-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई। श्री दीप चंद्र जैन को दिनांक 14/3/2011 को उत्तर भेज दिया गया।
9.	श्री मोहम्मद इसरार खान, नगर पालिका परिषद, जायास, जिला रायबरेली, उ.प्र. दिनांक 03.12.2010	छत्रपति साहूजी महाराज नगर, उ.प्र. में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 6/01/2011 के पत्र सं. एन 11019/748/10-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
10.	श्री रईश अहमद खान, सचिव, उ.प्र. कांग्रेस कमेटी दिनांक 18.02.2011	बांदा, उ.प्र. में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 21/02/2011 के पत्र सं. एन 11019/748/10-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
11.	श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, उत्तर प्रदेश, विधान सभा दिनांक 29.06.2011	बी आर जी एफ के अधीन वर्ष 2009-10 के लिए आवंटित बजट के दुर्विनियोजन का आरोप	दिनांक 17/03/2011 के पत्र सं. एन 11019/748/2010-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
12.	श्री मोती सिंह, पूर्व मंत्री, विधायक पट्टी, लखनऊ दिनांक 26.06.2010	उत्तर प्रदेश में बीआरजीएफ का दुरूपयोग	दिनांक 17/03/2011 के पत्र सं. एन 11019/748/2010-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।

1	2	3	4
13.	श्री परवेज हाशमी, सांसद, लखनऊ दिनांक 26.06.2010	ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में अनियमितताएं/कदाचार	दिनांक 16/08/2010 के पत्र सं. एन 11019/468/2009-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
14.	श्री प्रसन्न कुमार साहू आईआरसी ग्राम नयापल्ली, बीबीएसआर, उड़ीसा दिनांक 15.02.2010	उड़ीसा राज्य में क्षमता निर्माण में अनियमितताएं/कदाचार	दिनांक 26/08/2010 के पत्र सं. एन 11012/86/2010-बीआरजीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
15.	श्री हरखू झा, एमएलए एवं उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिनांक 10.03.2010	मधुबनी, बिहार में पंचायती कार्यकलापों में अनियमितताएं	दिनांक 25/3/2011 के पत्र सं. एन 11019/748/2008-बीआरजीएफ द्वारा बिहार राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
16.	अखिल भारतीय पंचायत परिषद, मयूर विहार, दिल्ली दिनांक 22.04.2010	चंपारन, बिहार में बीआरजीएफ कार्यान्वयन में अनियमितताएं	दिनांक 24/5/2010 के पत्र सं. एन 11019/748/2008-बीआरजीएफ द्वारा बिहार राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई और बाद में अनुस्मारक भी भेजे गए।
17.	श्री सुधांशु दास, एडवोकेट, सुवर्णपुर दिनांक 21.06.2011	जिला के बी के, उड़ीसा में बी आरजी एफ और अन्य योजनाओं के धन का दुरूपयोग किए जाने संबंधी आरोप	दिनांक 21/06/2011 के पत्र सं. एन 11019/367/2010-बीआरजीएफ द्वारा उड़ीसा राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित की गई।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा परियोजनाएं

***188. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
श्री मानिक टैगोर:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सहित देश में मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए कुछ स्थानों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इनकी परियोजना-वार विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) प्रस्तावित परियोजनाओं द्वारा कब तक कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लिंग-अनुपात में गिरावट

***189. श्री एल. राजगोपाल:**
श्री पी.के. बिजू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में लिंग-अनुपात में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में वर्तमान लिंग-अनुपात कितना है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (विनियमन

और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 के उल्लंघन के राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने मामलों का पता चला है; और

(घ) सरकार द्वारा इस कानून को और अधिक प्रभावी बनाने तथा देश में लिंग-अनुपात में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाब नबी आजाद): (क) जी, नहीं, वर्ष 2011। की जनगणना (अनंतिम) के अनुसार वर्ष 2001 में लिंग अनुपात 933 से बढ़कर वर्ष 2011 में 940 हो गया है। तथापि, बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) वर्ष 2001 में 927 की तुलना में वर्ष 2011 में घटकर 914 हो गया है।

(ख) देश में जनगणना प्रत्येक दस वर्ष में की जाती है न कि प्रत्येक वर्ष। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से संबंधित वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) का ब्यौरा विवरण-II ख में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एवं मौजूदा वर्ष में गर्भधारण एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 के उल्लंघनों के सूचित मामलों की संख्या विवरण III में दी गई है।

(घ) गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 एक व्यापक विधान है जिसको भारत सरकार द्वारा 20 सितम्बर, 1994 को अधिनियमित किया गया था और जिसे वर्ष 2003 में संशोधन किया गया। इस अधिनियम में गर्भधारण के पहले एवं गर्भधारण के बाद लिंग चयन पर निषेध एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक के विनियमन का प्रावधान है। इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा उपाय किए गए हैं। इनमें अपंजीकृत मशीनों को जब्त करने एवं अपंजीकृत क्लिनिकों को दंडित करने के लिए गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक तकनीक नियमावली, 1996 के नियम 11(2) में संशोधन, अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान कर रहे सुविधा केन्द्रों का रेंडम क्षेत्र निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण एवं मॉनीटरिंग समिति का पुनर्गठन और गैर-सरकारी संगठनों के जरिए जागरूकता पैदा करना शामिल है।

विवरण I

आवास के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी लिंग अनुपात

क्र. संख्या	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लिंग अनुपात 2001			लिंग अनुपात 2011		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत	933	946	900	940	947	926
1.	जम्मू और कश्मीर	892	917	819	883	899	840
2.	हिमाचल प्रदेश	968	989	795	974	988	853
3.	पंजाब	876	890	849	893	906	872
4.	चंडीगढ़	777	621	796	818	691	821
5.	उत्तरांचल	962	1007	845	963	1000	883
6.	हरियाणा	861	866	847	877	880	871
7.	दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	821	810	822	866	847	867
8.	राजस्थान	921	930	890	926	932	911
9.	उत्तर प्रदेश	898	904	876	908	914	888
10.	बिहार	919	926	868	916	919	891
11.	सिक्किम	875	880	830	889	863	908
12.	अरूणाचल प्रदेश	893	914	819	920	929	889

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	नागालैंड	900	916	829	931	942	905
14.	मणिपुर	974	963	1009	987	966	1038
15.	मिजोरम	935	923	948	975	950	1000
16.	त्रिपुरा	948	946	959	961	956	976
17.	मेघालय	972	969	982	986	983	997
18.	असम	935	944	872	954	956	937
19.	पश्चिम बंगाल	934	950	893	947	950	939
20.	झारखंड	941	962	870	947	960	908
21.	उड़ीसा	972	987	895	978	988	934
22.	छत्तीसगढ़	989	1004	932	991	1002	956
23.	मध्य प्रदेश	919	927	898	930	936	916
24.	गुजरात	920	945	880	918	947	880
25.	दमन और द्वीप	710	586	984	618	867	550
26.	दादरा नगर हवेली	812	852	691	775	863	684
27.	महाराष्ट्र	922	960	873	925	948	899
28.	आंध्र प्रदेश	987	983	965	992	995	984
29.	कर्नाटक	965	977	942	968	975	957
30.	गोवा	961	988	934	968	997	951
31.	लक्षद्वीप	948	959	935	946	954	944
32.	केरल	1958	1059	1058	1084	1077	1091
33.	तमिलनाडु	987	992	982	995	993	998
34.	पांडिचेरी	1001	990	1007	1038	1029	1043
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	846	861	815	878	871	891

भारत की जनगणना, 2011 (अनंतिम)

विवरण II

बाल लिंग अनुपात

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2001	2011
1	2	3	4
	भारत	927	914
1.	जम्मू और कश्मीर	941	859
2.	हिमाचल प्रदेश	896	906
3.	पंजाब	798	846
4.	चंडीगढ़	845	867

1	2	3	4
5.	उत्तरांचल	908	886
6.	हरियाणा	819	830
7.	दिल्ली	868	866
8.	राजस्थान	909	883
9.	उत्तर प्रदेश	916	899
10.	बिहार	942	933
11.	सिक्किम	963	944
12.	अरूणाचल प्रदेश	964	960
13.	नागालैंड	964	944
14.	मणिपुर	957	934
15.	मिजोरम	964	971
16.	त्रिपुरा	966	953
17.	मेघालय	973	970
18.	असम	965	957
19.	पश्चिम बंगाल	960	950
20.	झारखंड	965	943
21.	उड़ीसा	953	934
22.	छत्तीसगढ़	975	964
23.	मध्य प्रदेश	932	912
24.	गुजरात	883	886
25.	दमन और द्वीप	926	909
26.	दादरा और नागर हवेली	979	924
27.	महाराष्ट्र	913	883
28.	आंध्र प्रदेश	961	943

1	2	3	4
29.	कर्नाटक	946	943
30.	गोवा	938	920
31.	लक्षद्वीप	959	908
32.	केरल	960	959
33.	तमिलनाडु	942	946
34.	पांडिचेरी	967	965
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	957	966

वर्ष 2001 के आंकड़े में सेनापती जिले के पमाता, माओमारम एवं पुरूल उपमंडलों को शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनंतिम आंकड़े

विवरण III

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में गर्भधारण एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत मामले

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
2.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	पंजाब	5	1	7	1
4.	चंडीगढ़	0	0	1	0
5.	उत्तरांचल	0	0	0	0
6.	हरियाणा	6	5	6	7
7.	दिल्ली	1	2	2	1
8.	राजस्थान	3	12	106	71
9.	उत्तर प्रदेश	12	0	2	0
10.	बिहार	0	0	0	0
11.	सिक्किम	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
12.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0
13.	नागालैंड	0	0	0	0
14.	मणिपुर	0	0	0	0
15.	मिजोरम	0	0	0	0
16.	त्रिपुरा	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0
18.	असम	0	0	0	0
19.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
20.	झारखंड	0	0	0	0
21.	उड़ीसा	10	0	0	3
22.	छत्तीसगढ़	0	0	0	1
23.	मध्य प्रदेश	2	7	1	2
24.	गुजरात	0	0	0	0
25.	दमन और द्वीप	0	0	0	0
26.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0
27.	महाराष्ट्र	0	9	20	41
28.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0
29.	कर्नाटक	0	0	2	0
30.	गोवा	0	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
32.	केरल	0	0	0	0
33.	तमिलनाडु	0	0	0	0
34.	पांडिचेरी	0	0	0	0
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
	कुल	39	36	147	127

निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं

*190. **श्री समीर भुजबल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्य-वार कुल कितनी विद्युत परियोजनाएं निजी कंपनियों को आवंटित की गई हैं;

(ख) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निजी कंपनियों को आवंटित विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अनुसार हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन विद्युत परियोजनाओं का निर्माण-कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): (क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादन कंपनी बिना कोई लाइसेंस प्राप्त किए उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन एवं इसका रख-रखाव कर सकती है, यदि यह ग्रिड से संबद्धता से संबंधित तकनीकी मानकों का पालन करता है। इसके अतिरिक्त, धारा 8 के अनुसार, जल विद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की इच्छुक किसी उत्पादन कंपनी को ऐसी राशि, जो केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित की जाए, से ज्यादा के पूंजीगत व्यय वाली आकलित स्कीम के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) से सहमति लेना अपेक्षित होगा।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, मध्यावधि मूल्यांकन के पश्चात, निजी क्षेत्र में चालू किए जाने के लिए 55 ताप विद्युत इकाईयां तथा 25 जल विद्युत इकाईयां लक्षित की जा चुकी हैं। राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त में से, 41 ताप विद्युत इकाईयां तथा 5 जल विद्युत इकाईयां अब तक चालू की जा चुकी हैं। शेष बची ताप एवं जल विद्युत इकाईयों के चालू होने की संभावित अनुसूची तथा विलंब के कारणों सहित ब्यौरा विवरण-II तथा III में संलग्न है।

विवरण I

11वीं योजना हेतु लक्षित निजी विद्युत परियोजनाओं के राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	थर्मल		हाइड्रो	
		यूनिटों की संख्या	क्षमता (मे.वा.)	यूनिटों की संख्या	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8	1275	-	-
2.	दिल्ली	3	108	-	-
3.	छत्तीसगढ़	6	1600	-	-
4.	गुजरात	11	5247.5	-	-
5.	झारखंड	2	1050	-	-
6.	कर्नाटक	4	1800	-	-
7.	महाराष्ट्र	6	2110	-	-
8.	उड़ीसा	2	1200	-	-
9.	राजस्थान	8	1080	-	-

1	2	3	4	5	6
10.	उत्तर प्रदेश	4	1800	-	-
11.	पश्चिम बंगाल	1	250	-	-
12.	हिमाचल प्रदेश	-	-	10	1362
13.	मध्य प्रदेश	-	-	10	400
14.	सिक्किम	-	-	5	699
	कुल	55	17335.50	25	2461

विवरण-II

निजी क्षेत्र में 11वीं योजना की निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम और यूनिट संख्या	कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (मे.वा.)	चालू होने वास्तविक तिथि	चालू होने का अनुमानित तिथि	विलंब के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उत्तर प्रदेश	अनपरा-सी टी.पी.एस. यू-1	लैनको अनपरा पावर प्रा. लि.	600	मार्च-11	नवं-11	- स्थल पर बॉयलर ड्रम की आपूर्ति में विलंब - टर्बो-जेनरेटर के उत्थापन में विलंब
2.		अनपरा-सी टी.पी.एस. यू-2	लैनको अनपरा पावर प्रा.लि.	600	मई-11	अक्टूबर-11	- चालू होने के दौरान आग के कारण ए.आर. प्रीहीटर में विलंब। यूनिट-1 पहले से ही समक्रमणित। यूनिट-2 के अगस्त-11 में समक्रमणित होने की संभावना है।
3.	राजस्थान	जलिपा-कापुरडी टी.पी.पी. यू-3	राज वेस्ट पावर लि.	135	मार्च-10	सितंबर-11	- वाटर पंपिंग स्टेशन (180 किलोमीटर दूर) के लिए विद्युत आपूर्ति की अनुपलब्धता -जोधपुर वितरण कंपनी द्वारा प्रदान की जानी है। यूनिट-3 समक्रमणित।
4.		जलिपा-कापुरडी टी.पी.पी. यू-4	राज वेस्ट पावर लि.	135	मार्च-10	दिसंबर-11	- राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा प्रशुल्क को अंतिम रूप न दिया जाना। - स्थलीय स्थिति खराब होने के कारण धीमी प्रगति।
5.		जलिपा-कापुरडी टी.पी.पी. यू-5	राज वेस्ट पावर लि.	135	जुलाई-10	2012-13	- जन-शक्ति की कमी तथा स्थलीय स्थिति खराब होने के

1	2	3	4	5	6	7	8
							कारण कार्य की धीमी प्रगति।
6.		जलिपा-कापुरडी टी.पी.पी. यू-6	राज वेस्ट पावर लि.	135	अगस्त-10	2012-13	- जालपा लिग्नाइट खान (कैप्टिव) के विकास में विलंब।
7.		जलिपा-कापुरडी टी.पी.पी. यू-7	राज वेस्ट पावर लि.	135	सितंबर-10	2012-13	
8.		जलिपा-कापुरडी टी.पी.पी. यू-8	राज वेस्ट पावर लि.	135	दिसंबर-10	2012-13	
9.	महाराष्ट्र	तिरोरा टी.पी.पी. फेज-1 यू-1	अदानी पावर लि.	660	अप्रैल-11	अक्टूबर-11	- अदानी पावर एवं महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड द्वारा तैयार की जा रही विद्युत निकास प्रणाली में विलंब। (वन मंजूरी का मामला)
10.	महाराष्ट्र	जे.एस.डब्ल्यू. रत्नागिरी टी.पी.पी. यू-4	जे.एस.डब्लू. इनर्जी (रत्नागिरी) लि.	300	दिसंबर-10	सितंबर-11	- जे.एस. डब्लू. एवं महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण निगम लि. के संयुक्त उपक्रम द्वारा बनाई जा रही विद्युत निकास प्रणाली के तैयार होने में विलंब।
11.	झारखंड	मैथन आर.बी. टी.पी.पी. यू-2	एम.पी.एल. डी.वी.सी. और टाटा पावर का संयुक्त उद्यम	525	अप्रैल-11	जनवरी-12	- टेक प्रो (विकासकर्ता का विक्रेता) के द्वारा कोयला हस्तन संयंत्र के ट्रेक हॉपर की तैयारी में विलंब। - सिंप्लेक्स (विकासकर्ता का विक्रेता) के द्वारा बनाई जा रही चिमनी के तैयार न होने के कारण विलंब। - मुख्य संयंत्र उपकरण आपूर्तिकर्ता (भेल) द्वारा टर्बाइन उत्थापन में विलंब।
12.	गुजरात	मुंद्रा टी.पी.पी. फेज-III यू-1	अदानी पावर लि.	660	जून-11	नवंबर-11	विकासकर्ता द्वारा फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन प्रणाली की तैयारी में विलंब। - उपयोगकर्ता तक विद्युत विकास प्रणाली में विलंब।
13.	दिल्ली	रिठाला सी.सी.पी.पी.	एन.डी.पी.एल.	36.5		अगस्त-11	आपूर्तिकर्ता के कार्य-स्थल पर गैस टरबाइन मोड्यूल की मरम्मत/नवीकरण में लिया गया लंबा समय।

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	गुजरात	मुद्रा अल्ट्रा मेगा टी.पी.पी. यू-1	टाटा पावर कं.	800	सितंबर-11	दिसंबर-11	पावरग्रिड एवं गेटको द्वारा बनाई जा रही पारेषण प्रणाली में वन संबंधी मंजूरी के कारण विद्युत निकास प्रणाली की तैयारी में विलंब।
		उप-जोड़		4991.5			

विवरण-III

निजी क्षेत्र में 11वीं योजना की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम और यूनिट संख्या	कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (मे.वा.)	चालू होने वास्तविक तिथि	चालू होने का अनुमानित तिथि	विलंब के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हिमाचल प्रदेश	करचम वांगटू यू-3	जे.पी. करचम हाइड्रो कारपोरेशन लि.	250	2008-09	2011-12	वित्तीय प्रबंध में विलंब। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आंदोलन करने के कारण कार्य प्रारंभ में विलंब। विद्युत निकासी मामला।
2.		करचम वांगटू यू-4		250			
3.	हिमाचल प्रदेश	बुधिल यू-1	लैनको ग्रीन पावर प्रा.लि.	35	2008-09	2011-12	खराब भू-गर्भ स्थिति के कारण मुख्य सुरंग की धीमी प्रगति।
4.		बुधिल यू-2		35			बांध कार्यों की धीमी प्रगति।
5.	हिमाचल प्रदेश	मलाना-II यू-2	एवरेस्ट पावर प्रा. लि.	50	2008-09	2011-12	मुख्य सुरंग एवं बांध में खराब भू-गर्भीय स्थिति। विद्युत निकास प्रबंधन।
6.	मध्य प्रदेश	महेश्वर यू-1	श्री महेश्वर हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि.	10	2001-02	12वीं योजना में स्लिप	विकासकर्ता का बदला जाना। विदेशी भागीदार द्वारा उत्पन्न इक्विटी अंतर। आर.एंड आर. संबंधी समस्याएं। नकद प्रवाह संबंधी समस्या।
7.		महेश्वर यू-2		10			
8.		महेश्वर यू-3		10			
9.		महेश्वर यू-4		10			
10.		महेश्वर यू-5		10			

1	2	3	4	5	6	7	8
11.		महेश्वर यू-6		10			
12.		महेश्वर यू-7		10			
13.		महेश्वर यू-8		10			
14.		महेश्वर यू-9		10			
15.		महेश्वर यू-10		10			
16.	सिक्किम	चुजाचेन यू-1	गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	49.5	2009-10	12वीं योजना में स्लिप	खराब भूगर्भीय स्थिति के कारण मुख्य सुरंग (एच.आर.टी.), के कार्यों में धीमी प्रगति। रांगपो बांध में 2009 में अचानक आई बाढ़। काफर बांध बह गया।
17.		चुजाचेन-2		49.5			
18.	सिक्किम	तीस्ता-III यू-1	तीस्ता ऊर्जा लि.	200	2011-12	12वीं योजना में स्लिप	वन मंजूरी में विलंब। उर्ध्वाधर शाफ्ट्स में खराब भू-गर्भीय स्थिति।
19.		तीस्ता-III यू-2		200			
20.		तीस्ता-III यू-3		200			
		कुल		1719			

[हिन्दी]

खनिज उत्पादन

***191. श्री राजीव रंजन सिंह** उर्फ **ललन सिंह:**
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जिन खनिजों का खनन किया जाता है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस समय खनन उद्योग अत्यधिक लाभप्रद हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने देश में खनिजों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया तथा कितनी धनराशि व्यय की गई है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) भारत में 87 खनिजों का उत्पादन होता है जिनमें 4 ईंधन खनिज, 10 धात्विक खनिज, 47 अधात्विक खनिज, 3 परमाणविक खनिज और 23 गौण खनिज सम्मिलित हैं।

(ख) वर्ष 2010-11 के दौरान खनिज उत्पादन (परमाणविक खनिजों को छोड़कर) का कुल मूल्य 198390.33 करोड़ रु. आंका गया है जो पूर्ववर्ष की तुलना में 10.59% अधिक है। यह वृद्धि खनिजों की देशी और विदेशी, दोनों तरह की मांगों के कारण हुई है, जिससे खनन उद्योग अधिक लाभप्रद हो गया है।

(ग) वाणिज्यिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए, लाभ आवश्यक होते हैं और वे उपक्रम के विकास की संभावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। इसके साथ-साथ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि खनिजों के स्वामी के रूप में खनिज रियायत देने के बदले में लाभदायक खनन सेक्टर से राज्य सरकारों को पर्याप्त मुआवजा मिले, सरकार ने सभी मुख्य गैर-कोयला खनिजों (9 खनिजों को छोड़कर) के लिए यथामूल्य आधार पर रॉयल्टी नियत की है।

(घ) से (च) खनिज राज्य सरकारों की सम्पत्ति है और रॉयल्टी भी राज्य सरकारों द्वारा ही अर्जित की जाती है। वर्ष 1993 से खनन सेक्टर को उदार बनाया गया और उसमें निजी भागीदारी को आसान बना दिया गया है तथा खनिज उत्पादन में वृद्धि, बाजार मांग पर आधारित होती है। गवेषण और खनन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने एवं बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गैर-कोयला एवं गैर-ईंधन खनिज सेक्टर के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 घोषित की है जिसमें अगले स्तर की खनिज रियायत का अधिकार, खनिज रियायतों की स्थानांतरणीयता और रियायतों के आवंटन में पारदर्शिता जैसे नीतिगत उपाय दिए गए हैं; ताकि विलंबों को कम किया जा सके जिसे भारत में खनन सेक्टर में निवेश और प्रौद्योगिकी प्रवाह में बाधकों के रूप में देखा जाता है इसलिए, गैर-कोयला और गैर-ईंधन खनिज उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के पास अलग से कोई योजनाएं नहीं हैं। तथापि, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सर्वेक्षण एवं मानचित्रण कार्यों के साथ-साथ क्षेत्रीय गवेषण भी करता है जिससे देश के खनिज संसाधनों की खोज और गवेषण में सहायता मिलती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का पिछले तीन वर्षों में योजनावार बजट और निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

	2008-09			2009-10			2010-11		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
1. सर्वेक्षण एवं मानचित्रण	50.40	49.96	47.05	57.96	48.10	43.63	66.61	66.61	58.89
2. खनिज गवेषण	23.50	23.44	20.36	24.56	21.60	17.05	21.99	21.99	23.59
3. विशिष्ट अन्वेषण	4.70	5.22	4.21	4.30	3.33	3.00	6.38	6.38	7.13
4. अनु. एवं. विकास और अन्य गवेषण	8.00	7.74	6.11	10.12	7.87	5.76	6.80	6.80	7.62
5. सूचना प्रसार	16.00	14.90	12.14	15.87	13.83	11.87	14.71	14.71	13.68
6. एच आर डी	2.60	2.79	2.41	3.35	2.92	2.82	3.31	3.31	4.24
7. आधुनिकीकरण एवं स्थानांपन्न	54.80	43.60	40.02	43.84	40.35	36.81	42.20	82.20	78.80
योग	160.00	147.65	132.30	160.00	138.00	120.92	162.00	202.00	193.94

[अनुवाद]

आयकर प्रतिदाय

***192. श्री पी. कुमारः**
डॉ. पी. वेणुगोपालः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर प्रतिदाय के दावे जिनमें भारी राशि सम्मिलित है, विभाग के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार ऐसे लंबित दावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयकर प्रतिदाय् के दावों के शीघ्र निपटान के लिए ई-प्रतिदाय योजना शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समयबद्ध तरीके से आयकर प्रतिदायों के शीघ्र निपटान के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) महोदय, विवरणियों का संसाधन, जिनमें प्रतिदायों के दावे शामिल हैं, एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान दायर किए गए प्रतिदाय के दावे वाली विवरणियों को संसाधित किया जा रहा है, और देय पाये जाने पर प्रतिदाय को जारी किया जा रहा है। तथापि, कुछ मामलों में प्रतिदाय के संसाधन में अथवा प्रतिदाय जारी करने में पेश आने वाली कठिनाइयों के कारण उन्हें संभवत: जारी नहीं किया गया हो, जो निम्नानुसार हो सकती हैं:

(i) निर्धारिती द्वारा आय विवरणी में गलत पैन लिखना;

(ii) निर्धारिती द्वारा आय की विवरणी में पते को अस्पष्ट रूप में लिखना;

(iii) कर निर्धारिती द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को नये/परिवर्तित पते के बारे में सूचित न करना;

(iv) बैंक खाते के बारे में गलत विवरण देना;

(v) बेमेल आंकड़ों के कारण अदा किए गए अथवा काटे गए करों के सत्यापन में कठिनाई;

(vi) गैर-डिजीटल रूप में हस्ताक्षरित ई-विवरणियों में आयकर विवरणी - V (आई.टी.आर-V) (विवरणियों का सत्यापन) को प्राप्त करने में देरी, जो इसकी प्रमाणिकता के लिए आवश्यक है;

(vii) क्षेत्राधिकार में परिवर्तन के कारण पैन स्थानांतरित करने में कठिनाई।

(ख) प्रतिदाय का दावा करने वाली विवरणियों के मामलों का डाटा दावा किए गए प्रतिदाय की मात्रा के आधार पर नहीं रखा जाता है। तथापि, 31.3.2011 की स्थिति अनुसार, प्रतिदाय के दावे वाली लगभग 38.26 लाख विवरणियां, कार्यवाही हेतु लंबित थीं। आयकर विभाग द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2011 के प्रथम छह महीनों में सभी लंबित प्रतिदाय मामलों का निपटान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था। परिणामस्वरूप, प्रतिदाय के दावे वाली लंबितता विवरणियां 31.5.2011 को केवल 6.74 लाख रह गई थी, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दायर की गई ऐसी विवरणियां भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। ई-प्रतिदाय योजना को कुछेक स्टेशनों के विशिष्ट प्रभारों में कर निर्धारित कर दाताओं के लिए पायलट आधार पर प्रारंभ में 24.01.2007 को शुरू किया गया था। योजना का कार्यक्षेत्र धीरे-धीरे फैलाया गया है। कई अन्य स्टेशनों और सी. पी.सी., बंगलूरू को अक्तूबर, 2009 तक में शामिल किया गया था और इसके बाद अगस्त, 2010 से योजना को देश भर के सभी गैर-निगमित प्रभारों के लिए लागू किया गया था।

योजना में, कर निर्धारण अधिकारियों/केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र बंगलूरू द्वारा आय कर विवरणियों को संसाधित करने पर तैयार प्रतिदायों को संसाधित करने के अगले दिन करदाताओं को आगे वितरण हेतु डिजीटाइज्ड रूप में प्रतिदाय बैंकर, वर्तमान में भारतीय प्रतिदायों को दो विधियों में भेजा जा रहा है:

(i) इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग प्रणाली; और

(ii) पेपर रिफण्ड चेक।

इलेक्ट्रॉनिक विधि में, प्रतिदाय को, रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आर.टी.जी.एस.) अथवा नेशनल इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम (एन.ई.सी.एस.) के जरिए जारी किया जाता है, जो करदाता के बैंक खाते में बैंक खाता संख्या (कम से कम 10 अंकों में), बैंक शाखा के एम.आई.सी.आर. कोड और सही पत्र व्यवहार के पते की मदद से प्रतिदाय को सीधे जमा करने की अनुमति देता है। पेपर विधि में प्रतिदाय चेकों को निर्धारिती के बैंक खाता ब्यौरों के साथ जारी किया जाता है और करदाता को भेजा जाता है।

(ङ) आय की विवरणी को संसाधित करने और प्रतिदाय, यदि कोई देय हो, को जारी करने से संबंधित सुपर्दगी प्रणाली में सुधार लाने के दीर्घावधि उपाय के रूप में आय कर विभाग ने कई उपाय किए हैं। इनमें से कुछ नीचे बताए गए हैं:

(i) त्वरित संसाधन के लिए आयकर विवरणियों की ई-फाईलिंग को प्रोत्साहित करना। निगमित करदाताओं और सभी गैर-निगमित करदाताओं के लिए, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44-क ख के तहत अपने लेखों की अनिवार्य रूप से लेखा परीक्षा करवानी होती है उन्हें अपनी आय की विवरणी को अब से इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना अनिवार्य है।

(ii) बंगलूरू में, पूरे देश की ई-फाइल की गई विवरणियों को और कर्नाटक और गोवा क्षेत्र की हाथ से (मैनुअली) दायर की गई विवरणियों को संसाधित करने के लिए

केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र (सी.पी.सी.) स्थापित किया गया है।

(iii) सभी हाथ से दायर की गई विवरणियों को संसाधित करने के लिए मानेसर और पुणे में ऐसे दो और केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। कोलकाता में एक और केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र स्थापित किए जाने का विचार है।

(iv) विभाग द्वारा जारी किए गए नागरिक घोषणा पत्र और प्रेस में जारी की गई अन्य सूचनाओं के जरिए करदाताओं से आय विवरणी में प्रासंगिक ब्यौरों का सावधानीपूर्वक उल्लेख करने और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विशेष रूप से आम गलतियों को न करने का अनुरोध किया जाता हे, जिसके कारण विलंब हो सकता है।

(v) कर जमा का सत्यापन त्वरित संसाधन के लिए एक अनिवार्य शर्त है। स्त्रोत पर कर कटौती करने वाले कटौतीकर्ताओं को तिमाही आधार पर अपने स्त्रोत पर काटे गए कर की विवरणियों को अनिवार्य रूप से ई-फाइल करना अपेक्षित है। प्रदत्त करों के बैंकों से डाटा भी एकत्र किया जाता है।

(vi) प्रणाली की सुदृढ़ता में सुधार लाने के लिए और जिनकी कटौती हुई है उनके दावों और कटौतीकर्ताओं से तदनुरूपी कर की कटौती संबंधी विवरण के बीच मेल न होने को कम करने के लिए, कटौतीकर्ताओं द्वारा अपनी विवरणी में स्थायी लेखा संख्या उद्धृत करने को अनिवार्य बनाया गया है। अनुपालन को बढ़ाने हेतु कटौतीकर्ता को स्थायी लेखा संख्या उपलब्ध कराने में असफल रहने पर अब स्त्रोत पर ऊंची दर पर कर की कटौती की जाएगी।

(vii) करदाताओं को फार्म 26कध में अपने कर क्रेडिट विवरण को देखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वे अपनी आय विवरणी को प्रस्तुत करने से पहले कर भुगतान के विवरणों की जांच कर सकें और त्रुटियों, यदि कोई हों, उनका सुधार करने के लिए कटौतीकर्ता(ओं) के साथ उचित कदम उठा सकें।

(viii) कर निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, आयकर विवरणी फॉर्म को कुछेक श्रेणी के करदाताओं के लिए तैयार किया गया है अर्थात् 'सहज' और 'सुगम' जो कि सरल एवं टैक्नोलॉजी सक्षम हैं। इससे इन फॉर्मों की त्रुटि मुक्त एवं तीव्र स्कैनिंग सुकर होगी, जिससे आय की विवरणियों को तीव्रता से संसाधित करना संभव होगा।

(ix) जानकारी के बेहतर संवितरण के लिए करदाताओं के प्रतिदाय की प्रास्थिति का ऑनलाइन अवलोकन उपलब्ध है।

(x) आयकर विभाग प्रतिदायों को जारी करने के लिए तंत्र/प्रक्रिया को निरन्तर मॉनीटर कर रहे हैं ताकि विलंब से बचने और इस संबंध में कर दाता सेवा में सुधार लाने के लिए मौजूदा प्रणाली को उन्नत बनाया जा सके।

(xi) शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाया गया है और करदाता शिकायतों के शीघ्र निपटान और इसकी निरन्तर मॉनीटरिंग को आवश्यक बनाया गया है। देश भर में 12 स्टेशनों और क्षेत्राधिकारों में आय कर लोकपाल कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए सृजित किया गया है कि इस उद्देश्य को प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

झोला छाप और अपंजीकृत चिकित्सक

***193. श्री वीरेन्द्र कुमारः**
श्री मंगनी लाल मंडलः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश विशेषकर ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में अनुमानतः कितने झोलाछाप और अपंजीकृत चिकित्सक कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में ऐसे अनर्ह चिकित्सकों की गतिविधियों की पहचान करने तथा उन्हें रोकने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ऐसे कितने अनर्ह चिकित्सकों का पता लगाया गया है और उन्हें दंड दिया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक पांच वर्ष के बाद सभी चिकित्सकों के लिए चिकित्सा बोर्ड के पास पुन: पंजीकरण कराना अनिवार्य बनाने के लिए कोई नया विधान बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ताकि ग्रामीण जनता उपचार के लिए अनर्ह तथा अपंजीकृत चिकित्सकों पर निर्भर न रहे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जहां तक आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का संबंध है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 में राज्य में राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत चिकित्सक को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कारावास की सजा जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या अर्थदंड की सजा जिसे 1,000/- रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों का प्रावधान है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 में प्रावधान है कि मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता प्राप्त भारतीय चिकित्सक जिसका नाम भारतीय चिकित्सा के राज्य अथवा केन्द्र चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत हो, को छोड़कर कोई व्यक्ति किसी राज्य में भारतीय चिकित्सा संबंधी प्रैक्टिस नहीं करेगा। इसके अलावा, अधिनियम में यह प्रावधान है कि इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कारावास की सजा जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या अर्थदंड की सजा जिसे 1000/- रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों सजा दी जा सकती हैं। नीम हकीमों तथा जालसाज डाक्टरों के विरुद्ध राज्यों द्वारा समय-समय पर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है और केन्द्र स्तर पर इस विषय में कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रस्ताव में चिकित्सा व्यवसायियों के पुनर्पंजीकरण की परिकल्पना की गई है जिससे कि स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली के क्षेत्र में गुणवत्ता के संवर्धन के लिए उनका सतत व्यावसायिक विकास सुनिश्चित हो सके।

(च) केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ कर रही है और सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से अप्रैल, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत के बाद से एन.आर.एच.एम. ने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की हैं :

* डाक्टरों एवं विशेषज्ञों को नियोजित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है। 31.3.2011 तक राज्यों द्वारा 9432 डाक्टरों एवं 7063 विशेषज्ञों को संविदात्मक आधार पर नियोजित किया गया है।

* एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत संविदात्मक आधार पर आयुष डाक्टरों को नियोजित करने तथा उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रखने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है। 31.3.2011 तक की स्थिति के अनुसार, राज्यों द्वारा 11,575 आयुष डाक्टरों को नियोजित किया गया।

* दुर्गम एवं दुष्कर क्षेत्रों में डॉक्टरों एवं विशेषज्ञों के लिए इंसेंटिव का भुगतान।

* डाक्टरों को जीवन रक्षक संवेदनाहरण कौशलों (एल.एस.ए.एस.) तथा व्यापक आपातकालीन प्रसूति परिचर्या (सी.ई.एम.ओ.सी.) के क्षेत्र में प्रशिक्षित करके उन्हें बहुकौशलयुक्त बनाना।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवसायियों की उपलब्धता को सुसाध्य बनाकर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू की जा रही पहलों को अलग से संपूरित करने के लिए केन्द्र सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के साथ परामर्श करके अपने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमों में निम्नलिखित संशोधन किए हैं:

(i) सरकारी सेवा में उन चिकित्सा अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50% आरक्षण, जिन्होंने सुदूर एवं दुष्कर क्षेत्रों में कम-से-कम 3 वर्षों की सेवा पूरी की है; तथा

(ii) सुदूर या दुर्गम क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राप्तांक की 10% की दर से प्रोत्साहन, जो स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों का अधिकतम 30% होगा।

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी केन्द्र संबंधी निगरानी समितियां

***194. श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्रों को चलाने में अपर्याप्त अवसंरचना तथा मूलभूत सुविधाओं के अभाव के साथ-साथ छह वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण बढ़ने के मामलों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थिति की निगरानी के लिए राज्यस्तरीय समितियों का गठन किया है तथा इसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन समितियों और जनप्रतिनिधियों को इसमें क्या स्पष्ट भूमिका सौंपी गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों का समुचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ङ) आई.सी.डी.एस. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चलाई जा रही केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। इस स्कीम में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इस स्कीम में यह परिकल्पित है कि भवन की व्यवस्था समुदाय करेगा। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता वर्ष 2001-02 से दी जा रही है।

33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 11.13 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों/लघु आंगनवाड़ी केंद्रों के संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग 50% आंगनवाड़ी केंद्र अपने भवनों या स्कूलों के परिसरों या सामुदायिक/पंचायत भवनों में चलाये जा रहे हैं। कुल मिलाकर लगभग 74% आंगनवाड़ी केंद्र पक्के भवनों में चलाये जा रहे हैं, जो या तो इन केंद्रों के अपने या किराये के भवन हैं। इनमें से 57.48% आंगनवाड़ी केंद्रों के परिसरों में पेयजल सुविधाएं हैं, 46. 61% आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय सुविधाएं और 25.18% आंगनवाड़ी केंद्रों में अलग से रसोईघर है।

जहां तक कुपोषण का संबंध है, 3 वर्ष तक की आयु के अल्पवजनी बच्चों का प्रतिशत वर्ष 1998-99 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2) में 42.7 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2005-06 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3) में 40.4 प्रतिशत रह गया है। किंतु उक्त अवधि के दौरान खून की कमी से ग्रस्त बच्चों (6-35 माह की आयु) का प्रतिशत 74.3 प्रतिशत से बढ़कर 78.9 प्रतिशत हो गया है।

सरकार ने 5-स्तरीय मानीटरन एवं समीक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और आंगनवाड़ी स्तरों पर शुरु की है और इस विषय में दिशा-निर्देश दिनांक 31.3.2011 को जारी कर दिए हैं। राज्य और जिला-स्तरीय समितियों में संसद सदस्यों और विधायकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य-स्तरीय समिति में बारी-बारी से 5 संसद सदस्यों और 5 विधायकों को शामिल किया जाएगा, जबकि संबंधित जिले के सभी संसद सदस्यों और विधायकों को जिला स्तरीय समिति का सदस्य बनाया गया है।

राज्य-स्तरीय समिति का कार्य राज्य में आई.सी.डी.एस. स्कीम के समग्र निष्पादन का मानीटरन और समीक्षा करना तथा अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति और/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों सहित सभी बस्तियों में आई.सी.डी.एस. के विस्तार की प्रगति, राज्य वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के क्रियान्वयन; स्वास्थ्य, जल एवं साफ-सफाई, ग्रामीण विकास जैसे संबंधित विभागों और सरकार के अन्य कार्यक्रमों के साथ संकेंद्रण; विभिन्न स्कीमों से प्राप्त निधियों के जरिए आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण सहित अवसंरचना में सुधार, आई.सी.डी.एस. कर्मियों के रिक्त पदों को भरने और इन कर्मियों के प्रशिक्षण; आई.सी.डी.एस. सेवाओं/स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी मुद्दों के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए सूचना; शिक्षा एवं संचार के प्रयोग की जांच करना भी है। यह समिति कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों को दूर करने के उपाय भी सुझा सकती है।

जिला-स्तरीय समिति से अपेक्षित है कि वह राज्य-स्तरीय समिति को जानकारियां प्रदान करने के साथ-साथ पूरक पोषाहार की आपूर्ति में नियमितता, पूरक पोषाहार की गुणवत्ता, बच्चों की पोषाहारीय स्थिति, लाभार्थियों की उपस्थिति, निधियों के प्रवाह, शिकायतों के समाधान और पूरक पोषाहार की आपूर्ति, खाद्य पदार्थों के संपुष्टीकरण और जिला, ब्लॉक एवं आंगनवाड़ी स्तरों पर खरीद तथा मानीटरन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था जैसे कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों का मानीटरन और समीक्षा करे। आई.सी.डी.एस. स्कीम पर राज्य तथा जिला स्तरीय मानीटरन एवं समीक्षा समिति का संगठन तथा भूमिका की विस्तृत जानकारी विवरण-I तथा विवरण-II में दी गई है।

मानीटरन के कार्य में संसद सदस्यों और विधायकों को शामिल किए जाने से आई.सी.डी.एस. के क्रियान्वयन और विशेषकर सेवाओं की गुणवत्ता और प्रदायगी की नियमितता से जुड़ी समस्याओं के संबंध में बेहतर जानकारी प्राप्त करने और समझ विकसित करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार समिति एक ऐसे मंच की भूमिका

निभाएगी, जहां राज्य एवं जिला स्तरों पर स्थानीय समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श करने और कारगर एवं समबद्ध ढंग से इन समस्याओं का समाधान करने के अवसर मिलेंगे।

आई.सी.डी.एस. स्कीम के कार्यान्वयन का मानीटरन निर्धारित मासिक एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्टों, समीक्षाओं और पर्यवेक्षण दौरों इत्यादि के माध्यम से किया जाता है। खाद्य एवं पोषण बोर्ड के क्षेत्रीय एकक गुणवत्ता का पता लगाने के लिए खाद्य पदार्थों के नमूने भी एकत्रित करते हैं। प्राप्त जानकारी और सुझावों के आधार पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पत्र भेजकर तथा उनके साथ समीक्षा बैठकों का आयोजन करके इन कमियों को दूर करने और आंगनवाड़ी केंद्रों की अवसंरचना एवं सुविधाओं सहित इस स्कीम के कार्यान्वयन में सुधार करने के उपाय किए जाते हैं।

विवरण-I

राज्य-स्तरीय आई.सी.डी.एस. मानीटरन एवं समीक्षा समिति

क. संरचना

(i) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ii) सचिव, आयोजना	सदस्य
(iii) सचिव, वित्त	सदस्य
(iv) सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	सदस्य
(v) सचिव, ग्रामीण विकास	सदस्य
(vi) सचिव, पंचायती राज संस्थाएं	सदस्य
(vii) सचिव, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता	सदस्य
(viii) सचिव, शिक्षा	सदस्य
(ix) सचिव, कृषि/बागवानी	सदस्य
(x) सचिव, खाद्य	
(xi) सचिव, महिला एवं बाल विकास (आई.सी.डी.एस. प्रभारी)	सदस्य
(xii) पांच संसद सदस्य *	सदस्य
(xiii) पांच विधायक *	सदस्य
(xiv) राज्य मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	सदस्य
(xv) क्षेत्रीय निदेशक, निपसिड (संबंधित क्षेत्र से)	सदस्य
(xvi) खाद्य एवं पोषण बोर्ड, राज्य/क्षेत्रीय कार्यालय	सदस्य
(xvii) प्रधानाचार्य, मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र**	सदस्य
(xviii) प्रधानाचार्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री प्रशिक्षण केंद्र**	सदस्य
(xix) निदेशक, म.बा.वि. (आई.सी.डी.एस. प्रभारी)	सदस्य-सचिव

* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संसद सदस्य और विधायक बारी-बारी से एक वर्ष के लिए इस समिति के सदस्य होंगे और उनका चयन इस प्रकार किया जाएगा कि जितना संभव हो सके उतने राजनैतिक दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए।

** बारी-बारी से हर वर्ष

टिप्पणी:

* आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के साथ राज्य में कार्यरत प्रमुख संस्थाओं और विकास भागीदारों के विशेषज्ञ/प्रतिनिधि भी विशेष आमंत्रितों के रूप में इस बैठक में बुलाए जा सकते हैं।

* इस समिति की बैठक छह महीने में एक बार या आवश्यकता होने पर अध्यक्ष के निर्देशानुसार आयोजित की जाएगी। तथापि, मुख्य सचिव छह महीने में एक बार ही बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

ख. भूमिकाएं:

राज्य-स्तरीय समिति निम्नलिखित मुद्दों का मानीटरन और समीक्षा करके उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करेगी:

i निम्नलिखित के विषय में समग्र प्रगति:

* आई.सी.डी.एस. का सर्वव्यापीकरण - संस्वीकृत परियोजनाओं/आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रचालन की स्थिति, राज्य में सभी बस्तियों/पुरबों को लाभान्वित करना और इस कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे कारक;

* राज्य वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं की तैयारी और उनका कार्यान्वयन;

* छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की पोषाहारीय स्थिति - वजन संबंधी आंकड़े, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए बाल विकास मानक और संयुक्त मातृ एवं बाल संरक्षण कार्ड शुरू करना; विभिन्न जिलों में मध्यम या गंभीर रूप से अल्पपोषित बच्चों के अनुपात की तुलना करना; इन मुद्दों के समाधान के लिए किए जा रहे उपाय और इन उपायों की छमाही आधार पर प्रगति;

* आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रदान की जाने वाली स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का निष्पादन; कार्य प्रणाली और आंगनवाड़ी केंद्रों में स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा में बच्चों की भागीदारी; स्थानीय स्तर पर तैयार की गई शिक्षण और खेलकूद सामग्री, खिलौनों का उपयोग और अन्य उपाय;

* आई.सी.डी.एस. में कम निष्पादन वाले जिलों और उन जिलों में कम निष्पादन के लिए जिम्मेदार कारकों का अभिनिर्धारण।

ii अन्य संबंधित विभागों/कार्यक्रमों के साथ संकेन्द्रण :

क. स्वास्थ्य/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन : आंगनवाड़ी केंद्रों में पूर्ण प्रतिरक्षण, गर्भवती महिलाओं की प्रसव-पूर्व जांच और स्वास्थ्य जांच, रैफरल सेवाएं और सूक्ष्म पोषक तत्वों (विटामिन ए, कृमिनाशक गोलियों और आई.एफ.ए. गोलियों) की आपूर्ति, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, वी.एच.एस.सी., इत्यादि का कामकाज और शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार की उपयुक्त पद्धतियों को बढ़ावा देना।

ख. जल एवं स्वच्छता : संपूर्ण स्वच्छता अभियान और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन तथा राज्य सरकार की अन्य किन्हीं स्कीमों के साथ संकेन्द्रण के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल और साफ-सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराना;

ग. सर्व शिक्षा अभियान : आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालयों के आसपास स्थापित करना, आंगनवाड़ी केंद्रों में स्कूल-पूर्व शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान से सहायता इत्यादि;

घ. पंचायती राज संस्थाएं : आंगनवाड़ी केंद्रों में सेवाओं की प्रदायगी की देखरेख और समन्वयन के कार्यों में पंचायती राज संस्थाओं और समुदायों को शामिल करना।

iii. सर्वेक्षण में शामिल किए गए जन समुदाय में सामान्य रूप से और विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों/लाभार्थियों में स्कीम का प्रसार;

iv. कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित अन्य मुद्दे और अन्य निम्नलिखित के संबंध में उन पर कार्रवाई :

क. आंगनवाड़ी केंद्रों में नियमित कामकाज - सभी बस्तियों और विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों में;

ख. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी स्तरों पर रिक्त पदों और इन कर्मियों के प्रशिक्षण की स्थिति;

ग. निधियों का प्रवाह और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को समय पर मानदेय का भुगतान;

घ. संशोधित मानकों के अनुसार पी.ओ.एल. हेतु निधियों, जिला/ब्लॉक स्तर पर आकस्मिक खर्च और आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर नम्य निधियों की उपलब्धता;

ङ. आंगनवाड़ी केंद्रों में संशोधित मानकों के अनुसार पूरक पोषाहार की आपूर्ति में रुकावटें और इनके कारण, जैसे कि प्रदायगी

का तरीका, स्व-सहायता दलों को काम पर लगाया जाना इत्यादि;

च. आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार के संपुष्टिकरण और आयोडीन-युक्त नमक के प्रयोग की व्यवस्था;

छ. आंगनवाड़ी केंद्रों में स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा की कार्य प्रणाली और बच्चों की भागीदारी;

ज. औषधी एवं स्कूल-पूर्व शिक्षा किटों, वजन मापने की मशीनों, संयुक्त मातृ एवं बाल संरक्षण कार्ड, विश्व स्वास्थ्य संगठन विकास चार्टों इत्यादि जैसी आवश्यक वस्तुओं का प्रापण करके आंगनवाड़ी केंद्रों को इनकी आपूर्ति करना;

झ. मानकों के अनुसार विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा मानीटरन एवं पर्यवेक्षण दौरे करना;

ञ. आई.सी.डी.एस. कर्मियों को गैर-आई.सी.डी.एस. कार्यकलाप में लगाए जाने से रोकने की व्यवस्था करना;

ट. बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक अन्य कोई विषय;

v. आंगनवाड़ी केंद्रों की अवसंरचना में सुधार : आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भवनों के निर्माण हेतु निधियां विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम, बी.आर.जी.एफ., सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि जैसी स्कीमों से प्राप्त करना;

vi. आई.सी.डी.एस. सेवाओं/स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़े मुद्दों के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलाप का प्रयोग करना तथा अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत चलाए जा रहे सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलाप के साथ संकेंद्रण की संभावनाएं खोजना।

विवरण-II

जिला-स्तरीय आई.सी.डी.एस. मानीटरन एवं समीक्षा समिति

क. संरचना	
1	2
(i) जिलाधीश/कलैक्टर/उपायुक्त	अध्यक्ष
(ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	उपाध्यक्ष
(iii) जिला विकास अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
(iv) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	सदस्य
(v) जिला आयोजना अधिकारी	सदस्य
(vi) जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
(vii) जिला कृषि/बागवानी अधिकारी	सदस्य
(viii) जिलाधिकारी, ग्रामीण विकास/मनरेगा	सदस्य
(ix) कार्यपालक अभियंता, पी.एच.ई.डी.	सदस्य
(x) जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(xi) जिले से संसद सदस्य	सदस्य
(xii) विधायक	सदस्य

1	2
(xiii) प्रधानाचार्य, मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र *	सदस्य
(xiv) प्रधानाचार्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री प्रशिक्षण केंद्र (कोई दो)*	सदस्य
(xv) खाद्य एवं पोषण बोर्ड का क्षेत्रीय एकक	सदस्य
(xvi) बाल विकास परियोजना अधिकारी (कोई तीन) *	सदस्य
(xvii) जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई.सी.डी.एस.)	सदस्य-सचिव

* बारी-बारी से हर वर्ष

टिप्पणी : समिति की बैठक कम से कम तीन माह में एक बार या आवश्यकता होने पर अध्यक्ष के निर्देशानुसार आयोजित की जाएगी और यह समिति जिला स्तर पर की गई कार्रवाईयों तथा राज्य सरकार से अपेक्षित सहायता की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए अपनी समीक्षा रिपोर्ट मुख्य सचिव/सचिव (म.बा.वि.) को प्रस्तुत करेगी।

ख. भूमिकाएं :

जिला-स्तरीय समिति इस स्कीम के क्रियान्वयन की ब्लॉक/परियोजना-वार प्रगति का मानीटरन और समीक्षा करके निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करेगी:

i. निम्नलिखित के विषय में समग्र प्रगति :

क. सभी संस्वीकृत परियोजनाओं/आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रचालन, जिले की सभी बस्तियों/पुरबों विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल तथा दूरदराज के क्षेत्रों में स्कीम का प्रसार;

ख. लाभान्वित लाभार्थी : पूरक पोषण के लिए पंजीकृत लाभार्थियों की तुलना में वास्तविक लाभार्थियों तथा सर्वेक्षण में शामिल किए गए जन समुदाय की तुलना में आंगनवाड़ी केंद्रों में स्कूल-पूर्व शिक्षा के लाभार्थियों का ब्लॉक-वार विश्लेषण;

ग. आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार की नियमित आपूर्ति तथा गुणवत्ता : एक माह के निर्धारित दिनों के लिए घर ले जाने वाले राशन, सुबह के नाश्ते और गर्म पकाए भोजन का प्रावधान और आहार प्रदायगी की दक्षता की ब्लॉक-वार तुलना;

घ. तीन वर्ष तक की आयु और 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों की पोषाहारीय स्थिति - वजन संबंधी आंकड़े, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए बाल विकास मानक और संयुक्त मातृ एवं बाल संरक्षण कार्ड शुरू करना; विभिन्न ब्लॉकों में मध्यम या गंभीर रूप से अल्पपोषित बच्चों के अनुपात की तुलना करना; इन मुद्दों के समाधान के लिए किए जा रहे उपाय और इन उपायों की छमाही आधार पर प्रगति;

ङ. आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रदान की जाने वाली स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का निष्पादन;

ii. संबंधित विभागों/कार्यक्रमों के साथ संकेन्द्रण और समन्वयन:

क. स्वास्थ्य/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन : आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का प्रतिरक्षण, गर्भवती महिलाओं की प्रसव-पूर्व जांच और स्वास्थ्य जांच, रैफरल सेवाएं और सूक्ष्म पोषक तत्वों (विटामिन ए, कृमिनाशक गोलियों और आई.एफ.ए. गोलियों) की आपूर्ति, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, वी.एच.एस.सी., इत्यादि का कामकाज और शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार की उपयुक्त पद्धतियों को बढ़ावा देना; स्वास्थ्य और आई.सी.डी.एस. के अधिकारियों का आंगनवाड़ी केंद्रों के संयुक्त दौरे करना;

ख. **जल एवं स्वच्छता:** आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल और साफ-सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराना;

ग. **सर्व शिक्षा अभियान:** आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालयों के आसपास स्थापित करना, आंगनवाड़ी केंद्रों में स्कूल-पूर्व शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान से सहायता इत्यादि;

घ. **पंचायती राज संस्थाएं:** आंगनवाड़ी केंद्रों में सेवाओं की प्रदायगी की देखरेख और समन्वयन के कार्यों में पंचायती राज

संस्थाओं और समुदायों को शामिल करना।

iii. कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित अन्य मुद्दे और निम्नलिखित के संबंध में उन पर कार्रवाई :

क. आंगनवाड़ी केंद्रों में नियमित कामकाज - सभी बस्तियों और विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों में;

ख. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी स्तरों पर रिक्त पदों और इन कर्मियों के प्रशिक्षण की स्थिति;

ग. आंगनवाड़ी कार्यत्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को मानदेय तथा पर्यवेक्षकों को यात्रा भत्तों का समय पर भुगतान;

घ. आंगनवाड़ी केंद्रों की अवसंरचना; अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों के साथ संकेन्द्रण के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भवनों का निर्माण;

ङ. औषधी एवं स्कूल-पूर्व शिक्षा किटों, वजन मापने की मशीनों, संयुक्त मातृ एवं बाल संरक्षण कार्ड, विश्व स्वास्थ्य संगठन विकास चार्टों इत्यादि जैसी आवश्यक वस्तुओं का प्रापण करके आंगनवाड़ी केंद्रों को इनकी आपूर्ति करना;

च. संशोधित मानकों के अनुसार पी.ओ.एल. हेतु निधियों, जिला/ब्लॉक स्तर पर आकस्मिक खर्च और आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर नम्य निधियों की उपलब्धता;

छ. बाल विकास परियोजना अधिकारियों/पर्यवेक्षकों के लिए परिवहन सुविधा - वाहनों की उपलब्धता और कार्यक्रम से संबंधित वाहनों की मांग न किया जाना;

ज. मानकों के अनुसार बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षकों का आंगनवाड़ी केंद्रों के मानीटरन एवं पर्यवेक्षण दौरे करना तथा रिपोर्टें प्रस्तुत करना;

झ. आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक आहार की प्रदायगी का तरीका - स्व-सहायता दलों को काम पर लगाया जाना और आंगनवाड़ी केंद्रों में आयोडीन-युक्त नमक और हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग किया जाना;

ञ. आंगनवाड़ी केंद्रों में स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के लिए प्रयोग की जाने वाली कार्य प्रणाली तथा बच्चों की भागीदारी; स्थानीय स्तर पर तैयार की गई शिक्षण एवं खेलकूद सामग्री, खिलौने आदि का प्रयोग किया जाना और अन्य उपाय;

ट. आई.सी.डी.एस. कर्मियों को गैर-आई.सी.डी.एस. कार्यकलाप में लगाए जाने से रोकना;

ठ. आई.सी.डी.एस. कार्यान्वयन में कम निष्पादन करने वाले ब्लॉकों और उनके कम निष्पादन के लिए जिम्मेदार कारकों का अभिनिर्धारण करना;

ड. बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक अन्य कोई विषय;

iv. वित्तीय मुद्दे : आलोच्य अवधि के दौरान निधियों के प्रवाह और घटक-वार आबंटन एवं व्यय तथा भारत सरकार द्वारा निधरित संशोधित वित्तीय मानकों के अनुपालन की स्थिति;

v. शिकायत समाधान तंत्र : आंगनवाड़ी केंद्रों के कामकाज की नियमितता, पूरक पोषाहार की गुणवत्ता इत्यादि के संबंध में व्यक्तियों, समुदाय, पंचायती राज संस्थाओं और आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई;

vi. सूचना, शिक्षा एवं संचार : आंगनवाड़ी केंद्रों के स्थान, आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं, लाभार्थियों की पात्रता, शिकायत समाधान तंत्र जैसे मुद्दों के संबंध में सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्ययोजना तैयार करना और लागू करना;

टिप्पणी: समीक्षा बैठक के लिए जानकारी के निम्नलिखित स्त्रोतों का प्रयोग किया जाए :

क. ब्लॉक स्तरीय मानीटरन समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त और रिपोर्टें;

ख. ब्लॉक मासिक प्रगति रिपोर्टों और ब्लॉक वार्षिक स्थिति रिपोर्टों का विश्लेषण;

ग. समिति के सदस्यों और जिले के अन्य अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरों की रिपोर्टें और अन्य कोई मूल्यांकन/निर्धारण रिपोर्ट; तथा

घ. जन सामान्य/प्रचार माध्यमों से प्राप्त जानकारी (यदि कोई हो)

[हिन्दी]

क्रूज पर्यटन

*195. **श्री नारनभाई कछाड़िया:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं तथा कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्रूज पर्यटन के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) क्रूज पर्यटन में देश में घरेलू एवं विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है। पोत परिवहन मंत्रालय के साथ मिलकर पर्यटन मंत्रालय क्रूज पर्यटन का संवर्धन करता है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय क्रूज पर्यटन सहित पर्यटन के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केन्द्र सरकार की एजेंसियों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (पी.एफ.ए.) प्रदान करता है :

(i) गंतव्यों और परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास

(ii) वृहत राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता

(iii) अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता

पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान क्रूज पर्यटन के विकास से संबंधित किसी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है।

(घ) आरम्भ में, क्रूज टर्मिनल के विकास सहित क्रूज पर्यटन के लिए मुम्बई, गोवा, चेन्नई, मंगलौर और कोच्चि नामक पांच पत्तनों की पहचान की गई है।

(ङ) भारत सरकार ने जून, 2008 में क्रूज शिपिंग पॉलिसी को अनुमोदित किया है। इस नीति की कुछ प्रमुख विशेषताओं में अनुकूल राजकोषीय व्यवस्था, पत्तनों पर सुविधाओं का विकास और रेल, सड़क परिवहन, हवाई तथा मेट्रो के माध्यम से सम्पर्क, आप्रवास औपचारिकताओं को तुरंत पूरा किया जाना, बाधा मुक्त कस्टम क्लीयरेंस और महासागर की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उचित अपशिष्ट निपटान प्रणाली शामिल हैं। क्रूज शिपिंग के विकास से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए जून, 2010 को सचिव (शिपिंग) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति का गठन किया गया। क्रूज पर्यटन के विकास के लिए किये गये अन्य उपायों में सीडी का निर्माण और क्रूज शिपिंग समागमों में भागीदारी शामिल हैं।

[अनुवाद]

पंचायतों को स्वायत्तता

***196. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी:**
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायतों और ग्राम सभाओं को दी गई स्वायत्तता की सीमा तथा शक्तियां संतोषजनक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायतों और ग्राम सभाओं की भूमिका का विस्तार करने के लिए उन्हें और अधिक स्वायत्त शक्तियां देकर सशक्त बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पंचायतों को सीधे ही जारी किए गए अनुदानों का योजनावार एवं राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण की आवधिक समीक्षा करती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनके कार्यकरण में क्या खामियां देखी गई हैं एवं उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री किशोर चंद्र देव): (क) और (ख) संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत 'पंचायतें' एक राज्य विषय है। धारा 243 (छ) के तहत राज्य विधानसभाएं पंचायतों को स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए तथा योजनाएं बनाने के लिए एवं 11वीं अनुसूची में दिए गए मामलों सहित आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए शक्तियां एवं अधिकार प्रदान कर सकती हैं। धारा 243 क के अनुसार ग्राम सभा कानून द्वारा प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यान्वयन, एक राज्य की विधानसभा के समान करती है। पंचायतों को अंतरित शक्तियां राज्यों में भिन्नता लिए हुए हैं। पंचायती राज मंत्रालय निरंतर केंद्रीय

मंत्रालयों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पंचायती राज संस्थाओं को कार्य, कोष तथा कर्मी (3क) अंतरित करने तथा ग्राम सभाओं को सुदृढ़ बनाने पर बल देता रहा है। पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों को पंचायत वित्त, पंचायतों के लिए कर्मियों, कार्यकलाप विवरण के माध्यम से 3 'क' के प्रभावी अंतरण तथा ग्राम सभाओं के प्रभावी कार्यकरण के लिए परामर्शी निर्देश जारी किए हैं। ये परामर्शी निर्देश www.panchayat.gov.in पर उपलब्ध हैं।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 (पी.ई.एस.ए.), के अंतर्गत, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सामुदायिक स्त्रोतों की सुरक्षा तथा जीने के पारंपरिक तरीकों को सुरक्षित बनाने के लिए सशक्त किया गया है। ग्राम सभाओं को भूमि हस्तांतरण, पुनर्वास तथा सुधार एवं गौण खनिजों के खनन के लिए लाईसेंस प्रदान करते समय परामर्श देने करने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ग्राम सभाओं को गौण वन उत्पाद (एम.एम.पी.) का मालिकाना हक, मादक द्रव्यों की बिक्री तथा निर्माण पर नियंत्रण, कर्जे देने पर नियंत्रण, हस्तांतरित भूमि की बहाली की शक्ति तथा सामाजिक क्षेत्र में कर्मियों पर नियंत्रण का अधिकार भी दिया गया है। यद्यपि नौ पी.ई.एस.ए. राज्यों ने पी.ई.एस.ए. के अनुसार अपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन किया है, तथापि खनन, वन्य, कर्जा देने, उत्पाद शुल्क आदि संबंधी कुछ कानूनी विषय पी.ई.एस.ए. के साथ संगत नहीं हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने पी.ई.एस.ए. के प्रभावी कार्यान्वयन पर पी.ई.एस.ए. राज्यों को दिनांक 21.5.2010 को विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं।

(ग) और (घ) पंचायती राज मंत्रालय ने सी.एस.एस. में पंचायतों तथा ग्राम सभाओं की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों पर केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों को दिनांक 19.1.2009 को विस्तृत परामर्श निर्देश (www.panchayat.gov.in पर उपलब्ध) जारी किए हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.), राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) के रूप में प्राप्त है और पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित एवं कार्यान्वित की जा रही है। जहां ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है वहां, सहभागिता नियोजन के माध्यम से चिन्हित विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बी.आर.जी.एफ. अबाधित निधियां प्रदान करता है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायतों को सीधे कोई निधि प्रदान नहीं की जाती हैं।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों के साथ पंचायती राज संस्थाओं कार्य पद्धति के सावधिक निरीक्षण के अतिरिक्त पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करता है। पंचायत सशक्तिकरण एवं उत्तरदायिता प्रोत्साहन योजना (पी.ई.ए.आई.एल.) के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा तैयार एक अंतरण सूचकांक के अनुसार राज्यों द्वारा 3 क के अंतरण के विस्तार की जांच करती है। वर्ष 2011-12 से पंचायत कार्यकरण के मूल्यांकर को सम्मिलित कर योजना को विस्तारित किया गया है।

देखा गया है कि संवैधानिक बाध्यताओं के बावजूद, पंचायतों के कार्यकरण में रुकावट 3 क के अपर्याप्त अंतरण के कारण उत्पन्न हुई है। पंचायतों के साथ-साथ ग्राम सभाओं की क्षमता को अवसंरचना, कर्मी, आई.सी.टी. इत्यादि के संदर्भ में समुचित रूप से सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। बी.आर.जी.एफ. तथा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आर.जी.एस.वाई.) जैसी योजनाओं के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय विभिन्न क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करता है। राज्यों को भी पी.ई.ए.आई.एस. के अंतर्गत पंचायतों के 3 'क' के अंतरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

शहरी स्वास्थ्य परिचर्या

***197. श्री एस. सेम्मलई:**
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश के शहरी क्षेत्रों रहने वाले गरीग लोगों को सुगम, सस्ती तथा विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत लोगों को शामिल करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उक्त मिशन में देश के सभी शहरी निर्धन लोगों को शामिल करने के लिए किस प्रकार के संस्थागत तंत्र की परिकल्पना की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन प्रजजन एवं बाल स्वास्थ्य-II के शहरी घटक के भाग के रूप में, उच्चकोटि की एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्चा सेवाओं के माध्यम से शहर में रहने वाले गरीबों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हेतु निधियां प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, एनआरएचएम

उन जिला अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए भी निधि प्रदान करता है जिनमें शहर के गरीब भी इलाज के लिए जाते हैं।

आयुष को बढ़ावा देना

***198. श्री शरीफुद्दीन शारिक:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) चिकित्सा प्रणाली के बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्ष के दौरान आयुष को बढ़ावा देने के लिए .शुरू की गई विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आवंटित तथा उपयोग की गई धनराशि का वर्षवार तथा योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस विभाग में सलाहकार, यूनानी सहित अन्य अधीनस्थ/संबंद्ध कार्यालयों में अनेक पद रिक्त पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) आयुष को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष में आबंटित और प्रयुक्त राशि का वर्ष-वार और स्कीम-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) विभाग और इसके अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। इन रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, इन रिक्त पदों को कब तक भर लिए जाने की सम्भावना है, इस बारे में कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके कई कारण हैं, जैसे इस प्रक्रिया में विभिन्न विभागों/मंत्रालयों, संघ लोक आयोग के साथ परामर्श अपेक्षित होता है। इनमें से बहुत से पदों के लिए चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ही किया जाता है।

विवरण I

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 हेतु आयुष विभाग की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए आबंटन के ब्यौरे

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	31.3.11 तक व्यय (अनंतिम)	बजट अनुमान	31.7.11 तक व्यय (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क.	केंद्र क्षेत्रक स्कीम								
1.	पद्धति सुदृढ़ीकरण	64.64	55.23	53.41	85.44	108.47	95.77	119.51	3.25
क.	**आयुष विभाग का सुदृढ़ीकरण**	13.82	11.61	11.20	14.62	14.62	15.86	13.50	2.43
1.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग	10.06	10.85	9.91	11.00	11.00	12.83	11.50	2.41
2.	एएसयू विषयक भेषज संहित समिति तथा भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम) का सुदृढ़ीकरण	3.76	0.76	1.29	3.62	3.62	3.03	2.00	0.02
ख.	**सांविधिक संस्थाएं**	0.93	0.43	0.43	0.93	0.43	0.49	0.43	0.00
1.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सीसीआईएम), नई दिल्ली को अनुदान	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच), नई दिल्ली को अनुदान	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.15	0.09	
3.	केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी फार्मेसी परिषद	0.50	0.00		0.50	0.00	0.00		
ग.	**अस्पताल और औषधालय**	11.30	6.30	5.72	26.30	33.80	25.64	55.42	0.15
1.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली	10.00	5.00	5.00	25.00	33.00	25.00	54.12	
2.	औषधालयों में सी.जी.एच.एस. का विस्तार	1.30	1.30	0.72	1.30	0.80	0.64	1.30	0.15
3.	सी.जी.एच.एस. आयुर्वेद अस्पताल, लोधीरोड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
घ.	**भेषज संहिता प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण**	5.54	3.39	2.66	6.54	12.97	12.22	27.16	0.26
1.	भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	4.47	2.45	1.76	4.47	2.04	1.32	2.22	0.09
2.	होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद	1.07	0.94	0.90	1.07	0.93	0.90	0.94	0.17
3.	इंडियन मेडिसिन फार्मासयुटिकल कारपोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00		1.00	10.00	10.00	24.00	
ङ.	**सूचना, शिक्षा और संचार**	30.00	30.00	29.91	30.00	40.00	34.91	15.00	0.41
1.	सूचना, शिक्षा और संचार पर व्यय	30.00	30.00	29.91	30.00	40.00	34.91	15.00	0.41
च.	**आयुष और जन स्वास्थ्य**	3.05	3.50	3.49	7.05	6.65	6.65	8.00	
2.	शैक्षिक संस्थान	109.15	92.75	92ए47	121.15	173.57	159.13	145.00	24.02
1.	आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर को अनुदान	10.00	10.00	9.91	10.00	14.00	14.00	12.00	1.60
2.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर को अनुदान	12.00	12.00	13.50	12.00	18.52	18.52	15.00	3.65
3.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी), नई दिल्ली को अनुदान	1.05	1.05	2.22	1.05	11.05	10.05	4.50	0.67
4.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), चेन्नई को अनुदान	13.00	13.00	11.00	13.00	15.00	15.00	15.00	3.75
5.	राष्ट्रीय होम्यापैथी संस्थान (एनआईएच), कोलकाता को अनुदान	20.00	20.00	20.00	20.00	32.00	32.00	22.00	7.50
6.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एनआईयूएम), बैंगलोर को अनुदान	11.00	11.00	8.76	11.00	10.50	10.10	13.00	3.20
7.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई)	3.80	3.80	3.29	3.80	6.20	4.19	5.50	2.18
8.	विश्वायतन योगश्रम, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पूणे को अनुदान	5.30	5.30	5.30	5.30	6.30	6.30	6.00	1.46
10.	उत्तर पूर्वी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग	10.00	6.00	6.00	17.00	24.00	17.00	19.00	
11.	उत्तर-पूर्वी चिकित्सा संस्थान, पासीघाट	3.00	0.60	0.60	3.00	6.00	3.00	8.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक प्रचलित चिकित्सा आदि में संलग्न गैर सरकारी/निजी क्षेत्रक के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता	20.00	10.00	11.89	25.00	30.00	28.97	25.00	0.01
3.	औषधीय पादप सहित अनुसंधान एवं विकास	193.76	180.87	179.37	193.76	211.56	224.85	210.50	28.16
	अनुसंधान परिषदें	143.76	140.87	139.51	143.76	157.06	170.91	152.50	17.73
1.	केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद को अनुदान	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	56.00	
2.	केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान	31.00	31.00	30.95	33.39	39.39	39.64	33.00	8.25
3.	केन्द्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान	12.50	12.50	12.50	12.50	17.50	32.75	20.00	2.16
4.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान	30.87	30.87	29.85	30.87	33.17	33.92	32.00	5.32
5.	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद को अनुदान								
6.	केंद्रीय परिषदों के संयुक्त भवन परिसर हेतु अनुदान	2.39	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.	अनुसंधान संस्थाओं (निजी/अर्ध सरकारी/सरकारी/विश्वविद्यालय/गैर सरकारी संगठनों) आदि के माध्यम से बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाओं हेतु अनुदान	5.50	4.00	3.96	5.50	5.50	3.60	3.00	
8.	टी.के.डी. एल और आयुष बौद्धिक संपदा अधिकार	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	
9.	आयुष के इस्तेमाल और स्वीकार्यता का सर्वेक्षण	0.50	0.50	0.25	0.50	0.50	1.00	0.50	
	औषधीय पादप	50.00	40.00	39.86	50.00	54.50	53.94	58.00	10.43
1.	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	50.00	40.00	39.86	50.00	54.50	53.94	58.00	10.43
4.	एचआरडी (प्रशिक्षण कार्यक्रम/फेलोशिप/ज्ञानार्जन दौरा/कौशल उन्नयन आदि)	12.20	11.20	10.98	9.80	9.80	9.80	2.00	0.00
1.	आयुष कार्मिकों का पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीसी/सीएमई)	9.80	9.80	9.73	9.80	9.80	9.80	2.00	
2.	प्रशिक्षण/ज्ञानार्जान दौरा/फेलोशिप/उन्नयन हेतु कार्यक्रम	2.40	1.40	1.25	0.00	0.00	–		
5.	पांडुलिपियों का सूची करण, अंकीयकरण तथा आयुष आईटी नेटवर्क	2.55	2.55	2.52	2.55	2.55	1.22	2.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पाठ्य पुस्तकों एवं पांडुलिपियों का अर्जन, सूचीकरण, अंकीयकरण तथा प्रकाशन स्कीम	2.55	2.55	2.52	2.55	2.55	1.22	2.00	
6.	**अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**	20.80	8.95	6.14	21.40	11.40	4.92	5.00	0.07
1.	आयुष विषयक अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रम/ संगोष्ठी/कार्यशाला पर व्यय।	19.00	6.50	4.13	21.40	11.40	4.92	5.00	0.07
2.	कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन/प्रदर्शनी/व्यापार मेला/रोड शो आदि सहित आयुष के संवर्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्रियाकलापों हेतु सहायता।	1.80	2.45	2.01	0.00	0.00			
7.	**आयुष उद्योग का विकास**	25.35	10.35	17.09	25.35	25.75	20.50	25.35	0.00
1.	आयुष उद्योग समूहों हेतु साझा सुविधाओं को विकास	25.00	10.00	16.54	25.00	25.00	19.75	25.00	
2.	विपणन अवसर बनाने और विकसित करने के उद्देश्य से मेलों में भाग लेने/बाजार का अध्ययन कराने के लिए आयुष उद्योग को प्रोत्साहन	0.35	0.35	0.55	0.35	0.75	0.75	0.35	
8.	स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं/प्रसूति विधाओं/पशु चिकित्सा परिचर्या आदि के पुनरूत्थान हेतु गैर सरकारी संगठनों को वित पोषण	1.55	1.55	1.52	1.55	1.55	1.55	1.00	0.01
	कुल : क (केंद्र क्षेत्रक)	430.00	363.45	363.50	461.00	544.65	517.74	510.36	55.51
ख.	**केंद्रीय प्रायोजित स्कीम**								
1.	आयुष का संवर्धन	247.00	244.55	243.41	282.00	293.15	282.26	333.00	0.02
क.	आयुष संस्थाओं/कॉलेजों का विकास एवं उन्नयन	45.00	20.00	20.00	45.00	45.00	44.17	50.00	
ख.	अस्पताल एवं औषधालय (एनआरएचएम के अंतर्गत)	197.00	224.05	223.06	232.00	244.00	234.14	275.00	0.02
1.	**आयुष अस्पतालों के लिए स्कीम**	142.00	199.05	199.05					
2.	आयुष औषधालयों के लिए स्कीम	55.00	25.00	24.01					
3.	आयुष अस्पतालों एवं औषधालयों का विकास और आयुष को मुख्यधारा में शामिल करना।			232.00	244.00	234.14	275.00	0.02	
	ग. एएसयू एंड ए.. औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण	5.00	0.50	0.35	5.00	4.15	3.95	8.00	
	नई पहलें	57.00	72.00	72.06	57.00	50.20	48.44	56.64	4.18
2.	तकनीकी अस्पताल में विशिष्टता क्लीनिकों/आईपीडी की स्थापना हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी हेतु आयुष अस्पताल और औषधालय स्कीम में अतिरिक्त घटक	7.00	2.00	2.12	7.00	0.20	0.20	0.50	
3.	राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन	50.00	70.00	69.94	50.00	50.00	48.24	56.14	4.18
	कुल: ख (केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें)	304.00	316.55	315.47	339.00	343.35	330.70	389.64	4.20
	कुल केंद्रीय योजना परिव्यय (क + ख)	734.00	680.00	678.97	800.00	888.00	848.44	900.00	59.71

विवरण II

आयुष विभाग और इसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों में रिक्त पद

I आयुष विभाग

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
1.	सलाहकार (यूनानी)	01
2.	चिकित्सा अधीक्षक (आयु.)/सलाहकार (आयु.)	02
3.	सलाहकार (होम्यो.)	01
4.	चिकित्सा अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी (आयु.)	32
5.	चिकित्सा अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी (होम्यो.)	29
6.	चिकित्सा अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी (यूनानी)	04
7.	चिकित्सा अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी (सिद्ध)	02
8.	अनुभाग अधिकारी	03
9.	सहायक	09
10.	प्रवर श्रेणी लिपिक (यूडीसी)	06
11.	आशुलिपिक ग्रेड 'ग'	06
12.	आशुलिपिक ग्रेड 'घ'	
II राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड		
1.	निदेशक (तकनीकी) सह उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01
2.	उप निदेशक (औषधीय पादप)	01
3.	प्रबंधक (विपणन एवं व्यापार)	01
4.	अनुसंधान अधिकारी (औषधीय पादप/एग्रोनोंमी)	02
5.	वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	01
6.	विपणन सहायक	01
7.	प्रलेखन एवं आईटी सहायक	01
8.	वरिष्ठ लेखाकार	01
9.	अनुभाग अधिकारी	01
III होम्योपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद		
1.	वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन विज्ञान)	01

1	2	3
2.	वैज्ञानिक सहायक (रसायन विज्ञान)	02
3.	वैज्ञानिक सहायक (भेषज गुण विज्ञान)	01
IV	**भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद**	
1.	निदेशक	01
2.	उप निदेशक (रसायन विज्ञान)	01
3.	उप निदेशक (रसायन विज्ञान)	01
4.	सर्वेक्षण अधिकारी	01
5.	वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन विज्ञान)	01
6.	वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (भेषज अभिज्ञान)	01
7.	प्रशासनिक अधिकारी	01
8.	अनुसंधान सहायक (वनस्पति विज्ञान)	01
9.	अनुसंधान अधिकारी (पीएच)	01
10.	कलाकार-सह-फोटोग्राफर	01

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन

***199. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:**
श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं का हाल ही में मूल्यांकन/समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले तथा इसमें क्या अनियमितताएं एवं कमियां पाई गई हैं और उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या कुछ राज्य उक्त मिशन के कार्यान्वयन में पीछे चल रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र स्थापित किया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

* ऑनलाइन स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एच.एम.आई.एस.) के जरिए निगरानी।
* राज्य में एन.आर.एच.एम. के कार्य निष्पादन के संबंध में त्रैमासिक निगरानी रिपोर्ट।

* क्षेत्रीय मूल्यांकन दलों द्वारा निगरानी।
* निधियों के उपयोग के संबंध में त्रैमासिक निगरानी रिपोर्ट।
* वित्तीय निगरानी समूह (एफ.एम.जी.) द्वारा आवधिक दौरे करना।
* संयुक्त निगरानी दलों द्वारा दौरे।
* वार्षिक सामान्य समीक्षा मिशन।
* संयुक्त समीक्षा मिशन।

(ख) और (ग) सरकार ने अंतरर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आई.आई.पी.एस.), मुम्बई तथा चौथे कॉमन समीक्षा द्वारा 15 से 22 दिसम्बर, 2010 के बीच किए गए एन.आर.एच.एम. के समवर्ती मूल्यांकन के जरिए एन.आर.एच.एम. के कार्य निष्पादन का हाल ही में मूल्यांकन किया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से आई.आई.पी.एस., मुम्बई द्वारा 2009-10 के दौरान एन. आर.एच.एम. का समवर्ती मूल्यांकन किया गया था। इसमें 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले 187 जिले शामिल थे। समवर्ती मूल्यांकन का निष्कर्ष अन्य बातों के साथ-साथ प्राप्त सेवाओं से रोगी के संतुष्टि स्तर में सराहनीय प्रगति, आई.पी.डी. तथा ओ.पी. डी. मामलों में वृद्धि को दर्शाता है। रिपोर्ट यह दर्शाती है कि अधिकतर महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) स्कीम के अंतर्गत उनके प्रसव के पहले सप्ताह के भीतर नकदी प्रोत्साहन का लाभ मिला। तथापि, मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ अवसंरचनात्मक और मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी तथा विद्युत आपूर्ति, अबद्ध निधियों का अल्प उपयोग, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की अत्यधिक कमी, एक तिहाई (1/3) ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति (वी.एच.एस.एन.सी.) का गठन न किया जाना इत्यादि का भी उल्लेख किया गया है।

एन.आर.एच.एम. के चौथे कॉमन समीक्षा मिशन का 14 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में संचालन किया गया था। इनमें अरूणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। चौथे सी.आर.एम. की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सांस्थानिक प्रसव में सतत वृद्धि, औषधों की उपलब्धता में सुधार, अधिकतर राज्यों में आश्वस्त रेफरल परिवहन व्यवस्थाएं, प्रयोगशाला एवं नैदानिक सेवाओं की उपलब्धता, रोगी भार में बढ़ोतरी, मानव संसाधनों में वृद्धि, स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों में आशा (ए.एस.एच.ए.) की प्रभावी सहभागिता तथा पोषण पुनर्वास केन्द्रों (एन.आर.सी.) की स्थापना में प्रगति की रूपरेखा का उल्लेख किया गया है। यह रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली (एच.एन.आई.एस.) के समुचित इस्तेमाल तथा वित्तीय प्रबंधन प्रक्रिया में पर्याप्त सुधार भी दर्शाती है।

चौथे सी.आर.एम. ने अवसंरचना में कुछ अंतरालों, मानव संसाधनों विशेषकर विशेषज्ञों ए.एन.एम., और एम.पी.डब्ल्यू. कर्मियों की कमी को उजागर किया है। सी.आर.एम. ने अधिकतर राज्यों में उपयुक्त प्रापण प्रणाली की आवश्यकता तथा परिधीय स्तरों पर प्रयोगशाला सेवाओं की स्थापना की आवश्यकता को भी उजागर किया। सी.आर.एम. ने आशा के प्रशिक्षण, वी.एच.एस.सी. क्षमता निर्माण, समुदाय आधारित मॉनीटरिंग एवं आयोजना में सिविल समाज की सहभागिता का विस्तार करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया।

(घ) से (च) अधिकतर राज्यों ने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों अर्थात नवजात मृत्यु दंर (आई.एम.आर.), मातृ मृत्यु दर (एम.एम. आर.) और कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.) में सुधार दर्शाया है। राज्य-वार प्रगति विवरण में संलग्न है।

भारत सरकार एन.आर.एच.एम. के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य सचिवों/मिशन निदेशकों के साथ समय-समय पर कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। आवधिक रिपोर्टों में पाई गई कमियां, फील्ड दौरे तथा मूल्यांकन सरकार के ध्यान में लाए जाते हैं। कॉमन समीक्षा मिशन और संयुक्त समीक्षा मिशन के परिणामों की जानकारी राज्यों को भी दी जाती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	आईएमआर		एसएमआर		टीएफआर	
		एमआरएसत 2005	एसआरएस 2009	एसआरएस 2004-06	एसआरएस 2007-09	एसआरएस 2005	एसआरएस 2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बिहार	61	52	312	261	4.3	3.9
2.	छत्तीसगढ़	63	54	335	269	3.4	3
3.	हिमाचल प्रदेश	49	45	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2.2	1.9
4.	जम्मू और कश्मीर	50	45	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2.4	2.2
5.	झारखंड	50	44	312	261	3.5	3.2
6.	मध्य प्रदेश	76	67	335	269	3.6	3.3
7.	उड़ीसा	75	65	303	258	2.6	2.4
8.	राजस्थान	68	59	388	318	3.7	3.3
9.	उत्तर प्रदेश	73	63	440	359	4.2	3.7
10.	उत्तराखंड	42	41	440	359	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
11.	अरूणाचल प्रदेश	37	32	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
12.	असम	68	61	480	390	2.9	2.6
13.	मणिपुर	13	16	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
14.	मेघालय	49	59	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
15.	मिजोरम	20	36	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
16.	नागालैंड	18	26	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
17.	सिक्किम	30	34	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
18.	त्रिपुरा	31	31	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
19.	आंध्र प्रदेश	57	49	154	134	2	1.9
20.	गोवा	16	11	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
21.	गुजरात	54	48	160	148	2.8	2.5

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	हरियाणा	60	51	186	153	2.8	2.5
23.	कर्नाटक	50	41	213	178	2.2	2
24.	केरल	14	12	95	81	1.7	1.7
25.	महाराष्ट्र	36	31	130	104	2.2	1.9
26.	पंजाब	44	38	192	172	2.1	1.9
27.	तमिलनाडु	37	28	111	97	1.7	1.7
28.	पश्चिम बंगाल	38	33	141	145	2.1	1.9
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	27	27	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
30.	चंडीगढ़	19	25	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
31.	दादरा और नगर हवेली	42	37	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
32.	दमन और दीव	28	24	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
33.	दिल्ली	35	33	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
34.	लक्षद्वीप	22	25	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
35.	पुदुचेरी	28	22	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	भारत	58	50	254	212	2.9	2.6

[अनुवाद]

जनजातीय कल्याण योजनाओं की निगरानी

***200. श्री भक्त चरणदासः**
डॉ. कृपारानी किल्लीः

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जनजातियों के विकास के लिए शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की राज्यवार, वर्षवार तथा योजनावार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई निगरानी तंत्र है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की राज्य-वार, योजना-वार तथा वर्ष-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी एक सतत् प्रक्रिया है तथा ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की राज्यवार, योजनावार और वर्षवार सं. दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	2008-09 योजनाएं				2009-10 योजनाएं				2010-11 योजनाएं			
		स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	अ.ज.जा. के लिए कोचिंग	कम साक्षरता वाले जिलों में अ.ज.जा. की लड़कियों की शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	अ.ज.जा. के लिए कोचिंग	कम साक्षरता वाले जिलों में अ.ज.जा. की लड़कियों की शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	अ.ज.जा. के लिए कोचिंग	कम साक्षरता वाले जिलों में अ.ज.जा. की लड़कियों की शिक्षा का सुदृढ़ीकरण
1.	आंध्र प्रदेश	23046	–	–	12705	11473	–	–	7771	53115	–	–	6265
2.	अरूणाचल प्रदेश	72292	–	–	100	72237	–	–	–	88042	–	–	330
3.	असम	34732	300	–	–	54286	180	–	–	19056	100	–	–
4.	छत्तीसगढ़	1272	–	–	180	1264	–	160	180	1264	–	–	180
5.	दिल्ली	0	–	160	–	160	–	160	–	–	–	40	–
6.	गुजरात	33312	30	272	4517	30012	–	–	200	400	–	–	505
7.	हिमाचल प्रदेश	535	–	–	–	1204	–	–	–	235	–	–	–
8.	जम्मू और कश्मीर	533	–	–	–	3927	–	–	–	140	–	–	–
9.	झारखंड	79287	–	40	100	72983	–	120	50	251741	–	80	100
10.	कर्नाटक	79903	100	–	–	39852	100	–	–	42252	100	–	–
11.	केरल	337	–	–	–	85401	–	–	–	2208	–	–	–
12.	मध्य प्रदेश	12129	100	575	1811	5218	–	310	722	2339	100	160	1587
13.	महाराष्ट्र	800	–	–	–	18105	–	–	142	500	–	40	100
14.	मणिपुर	2319	–	40	–	1208	–	40	–	7332	–	80	–
15.	मेघालय	56380	100	–	–	43738	100	–	–	65220	–	–	–
16.	मिजोरम	100	–	–	–	5650	–	–	–	4656	–	–	–
17.	नागालैंड	29	160	–	–	139	200	–	–	137	–	–	–
18.	उड़ीसा	77986	–	80	6550	67728	–	40	11449	9049	–	40	5900
19.	राजस्थान	200	–	80	–	200	–	226	632	195	–	40	400
20.	सिक्किम	215	–	–	–	695	–	–	–	695	–	–	–
21.	तमिलनाडु	192	–	–	–	100	100	–	–	100	100	–	–
22.	त्रिपुरा	7258	–	40	–	9051	–	40	–	200	–	–	–
23.	उत्तर प्रदेश	5528	–	–	–	0	–		–	420	–	–	–
24.	उत्तराखंड	1040	–	–	–	150	–	–	–	412	–	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	115845	–	40	–	92579	–	40	–	68517	–	40	–
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–				60	–			30	–		
	कुल	605270	790	1327	26272	615420	680	1336	21146	618255	400	520	15367

क्र.सं.	राज्य	2008-09 योजनाएं: अ.ज.जा. की लड़कियों की लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	जनजातीय उपयोजनता में आश्रम विद्यालयों की स्थापना	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (राज्य सरकार)	अ.ज.जा. के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	प्रतिभा का उन्नयन के लिए छात्रावास	2009-10 योजनाएं: अ.ज.जा. की लड़कियों की लड़कों विद्यालयों की की की योजना	जनजातीय उपयोजनता में आश्रम (राज्य सरकार) स्थापना	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण छात्रवृत्ति	अ.ज.जा. के लिए मैट्रिकोत्तर के लिए	2010-11 योजनाएं: प्रतिभा का उन्नयन विद्यालयों को छात्रावास	अ.ज.जा. की लड़कियों की लड़कों (राज्य) की की योजना	जनजातीय उपयोजनता में आश्रम छात्रवृत्ति सरकार) स्थापना	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	अ.ज.जा. के लिए मैट्रिकोत्तर	प्रतिभा का उन्नयन
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	–	183974	–	–	–	–	213620	–	–		–	287862	168
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–		–	–	–	–		–	–	–	–	1	–
3.	असम	750	–	970	64952	–	–	–	–	70149	–	121	–	500	79744	–
4.	बिहार	–	–	–	4550	–	–	–	–		–	–	–	–	3355	–
5.	छत्तीसगढ़	2050	1250	1100	72160	–	–	–	–	82995	280	–	–	–	93766	बकाया
6.	गोवा	–	–	–	595	–	–	–	–	654	–	–	–	–	1500	–
7.	गुजरात	–	–	1080	122843	–	4400	–	–	134911	–	–	2400	1300	142521	92
8.	हिमाचल प्रदेश	131	–	–	2271	–	–	–	–	2368	–	88		–	2616	1
9.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	10077	–	–	–	–	10182	–	–	–	–	10190	–
10.	झारखंड	600	–	–	25163	30	–	–	–	27712	–	–		–	35756	–
11.	कर्नाटक	–	–	–	69152	–	700	–	–	76069	–	–		–	78978	–
12.	केरल	–	–	–	9173	4	–	–	–	10636	–	160	770	–	12210	–
13.	मध्य प्रदेश	–	–	1000	89223	172	31100	2600	–	105369	–	–	–	1000	106728	–
14.	महाराष्ट्र	2375	–	–	129384	–	–	–	–	134875	–	–	–	–	160552	–
15.	मणिपुर	–	–	–	39123	–	–	–	–	42381	–	899	–	–	46619	–
16.	मेघालय	–	–	–	52985	–	–	–	–	58283	–	–	–	–	64110	–
17.	मिजोरम	–		500	33758	–	–	–	–	37873	–	–		500	39770	–
18.	नागालैंड	100	–	–	35606	–	–	–	–	39878	–	–	–	–	41888	–
19.	उड़ीसा	1200	15600	–	48802	136	–	–	–	52706	–	6500	–	–	60476	–
20.	राजस्थान	1850	–	–	176194	32	975	–	–	193813	36	3100	–	–	189495	36
21.	सिक्किम	–	–	240	1819	16	–	–	–	2001	16	–	–	–	2206	16
22.	तमिलनाडु	–	–	–	4241	–	400	–	–	4241	–	–		–	4580	–
23.	त्रिपुरा	650	–	400	14892	16	1200	–	–	17828	16	–	110	–	16744	16
24.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	8144	–	–	120	–	4990	–			–		–
25.	उत्तराखंड	200	–	–	15127	–	–	–	–	16639	–	–	405	–	18002	–

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	42524	72	20	–	–	33425	–	200	–	–	45998	–
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	441	–	–	–	–	559	–	–	–	–	658	–
28.	दमन और दीव	–	–	–	164	–	–	–	–	197	–	–		–	–	–
29.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	अंग्रेजी एवं विदेशी विश्वविद्यालय (शिलांग कैंपस), हैदराबाद, उत्तर प्रदेश	420						–								
31.	वीर नर्मद साउथ गुजरात विश्वविद्यालय सूरत, गुजरात										100					
32.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी, उत्तर प्रदेश										80					
	कुल	11248	16850	5290	1257337	478	10695	2720	0	1374354	348	11248	6025	3300	1546324	329

मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की राज्यवार, योजनावार और वर्षवार सं. दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	2010 योजना *जनजातियों द्वारा दौरों का आदान प्रदान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	
2.	अरूणाचल प्रदेश	
3.	असम	11
4.	बिहार	
5.	छत्तीसगढ़	33
6.	गोवा	
7.	दिल्ली	
8.	गुजरात	
9.	हिमाचल प्रदेश	
10.	जम्मू और कश्मीर	
11.	झारखंड	
12.	कर्नाटक	
13.	केरल	

1	2	3
14.	मध्य प्रदेश	
15.	महाराष्ट्र	
16.	मणिपुर	
17.	मेघालय	
18.	मिजोरम	
19.	नागालैंड	
20.	उड़ीसा	
21.	राजस्थान	
22.	सिक्किम	
23.	तमिलनाडु	
24.	त्रिपुरा	33
25.	उत्तर प्रदेश	
26.	उत्तराखंड	
27.	पश्चिम बंगाल	
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	
29.	दमन और दीव	
30.	दादरा और नगर हवेली	77

*अपूर्ण प्रस्ताव के कारण वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान कोई निर्मुक्तियां नहीं की गई।

टिप्पणी:

1. टीएसपी को एससीए के अंतर्गत निधियां राज्य टीएसपी को योगज है, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सुपुर्दगीय परिणामों तथा लाभार्थियों को प्रमाणीकरण व्यवहार्य नहीं हैं, सुपुर्दगी परिणामों यथा लाभार्थियों का परियोजनावार प्रमाणीकरण व्यवहार्य नहीं है तथा जनजातीय उत्पादों/उपज का बाजार विकास और एमएफपी के प्रचालनों की योजनाओं के लिए एसडीसीसी को सहायता अनुदान के तहत लोग व्यक्तिगत रूप से सीधे लाभार्थी नहीं है।

2. अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावासों की योजना के तहत लाभार्थियों तथा जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत स्वीकृत आश्रम विद्यालयों की संख्या सृजित की जाने वाली सीटों की संख्या है।

3. जनजातीय उत्पाद/उपज का बाजार विकास तथा एमएफपी प्रचालनों की योजनाओं को सहायता अनुदान के तहत लोग व्यग्तिगत रूप से सीधे लाभार्थी नहीं है।

4. मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत वर्ष 2011-12 के लिए लाभार्थियों की संख्या वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध होगी।

मंत्रालय की निम्नलिखित योजनाओं के संबंध में राज्यवार आबंटन नहीं किए गए हैं।

(1) राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (आरजीएनएस) की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या के साथ विगत तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को निर्मुक्त सहायता अनुदान

(10.8.2011 तक)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की सं.
1.	2007-08	2600.00	667+776 = 1443
2.	2000-09	3103.00	667+1443 = 2110
3.	2009-10	3000.00	667+2110 = 2777
4.	2010-11	6068.00	667+2398 = 3065

(2) उच्च श्रेणी शिक्षा योजना के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या तथा विगत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त सहायता अनुदान

(10.08.2011 तक)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	निर्मुक्त राशि	संस्थानों की सं.	लाभार्थियों की सं.
1.	2007-08	104.90	22	78
2.	2000-09	121.61	19	58
3.	2009-10	175.00	14	88
4.	2010-11	500.00	42	261
5.	2011-12	103.61	04	36

(2) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त सहायता अनुदान

(लाख रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	प्रतिपूर्तित राशि
1.	2007-08	13.50
2.	2008-09	1.18
3.	2009-10	30.81
4.	2010-11	30.00
5.	2011-12	34.00

विवरण II

निधियों/अनुदानों की आगे निर्मुक्ति के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों के निष्पादन की निगरानी हेतु मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. निधियों की आगे निर्मुक्ति के लिए पूर्व आवश्यकता के रूप में उपयोगिता प्रमाण पत्रों पर बल दिया जाता है।
2. योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।
3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दौरों के समय अधिकारी जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का भी पता लगाते हैं।
4. प्रस्तावों की समय पर प्रस्तुति, योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाने तथा वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ केन्द्रीय स्तर पर बैठकें/सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।
5. जिला समाहर्ता की ओर से वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट तथा "स्वैच्छिक प्रयासों के समर्थन हेतु राज्य समिति" की सिफारिश प्राप्त करने के पश्चात मंत्रालय स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान निर्मुक्त करता है।

डीजल वाहनों को उत्पाद शुल्क से छूट

2071. श्री एम.बी. राजेश: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार सहित किसी राज्य सरकार ने राज्य परिवहन उपक्रम के उपयोग हेतु डीजल वाहनों की खरीद पर से तथा बॉडी बिल्डिंग हेतु उत्पाद शुल्क से छूट देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) चालू वित्तीय वर्ष में केरल समेत किसी भी राज्य सरकार ने राज्य परिवहन उपक्रम के प्रयोगार्थ डीजल-वाहन की खरीद और बाडी बिल्डिंग पर उत्पाद शुल्क से छूट दिये जाने के लिए अनुरोध नहीं किया है। हालांकि, वर्ष 2010 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.), राजस्व विभाग को केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (के.एस.आर.टी.सी.) से अनुरोध प्राप्त हुआ था कि उनको 1.3.2001 से लेकर आगे तक चेसिस पर निर्मित उन "बाडीज" पर उत्पाद शुल्क से छूट दी जाय जिनका प्रयोग सार्वजनिक परिवहन के लिए किया जाना है।

(ख) इस अनुरोध पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने विचार किया था और इसे स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

जासूसों की जांच

2072. श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री पी.सी. मोहन:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री रमेश बैस:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री पर जासूसी की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (घ) वित्त मंत्रालय तथा वित्त मंत्री के कार्यालय में आवधिक सुरक्षा जांचें संचालित की जाती हैं। इस तरह की एक नैमित्तिक सुरक्षा जांच केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जांच निदेशालय द्वारा 4 सितम्बर, 2010 को की गई, जिसमें विषय का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों की सेवाएं ली गईं। इस जांच के दौरान, विभिन्न स्थानों पर आसंजक जैसे पदार्थ देखे गए। सितम्बर, 2010 में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को इसकी सूचना दी गई। प्रधान मंत्री ने आसूचना ब्यूरो को इस मामले में गुप्त जांच करने का निदेश दिया। आसूचना ब्यूरो ने संगत परिसरों की जांच की। कुछ स्थानों पर आसंजक के धब्बे चिपके हुए पाए गए। आसंजक के धब्बों की रासायनिक/फोरेंसिक जांच कराई गई जिससे पता चला कि पदार्थ में चूइंगम की अंतर्वस्तुओं से तुलनीय अंतर्वस्तुएं हैं। बरामद किए गए पदार्थ की भौतिक जांच से किसी ऐसे चिन्ह या निशान

का पता नहीं चला जिससे संकेत मिले कि उससे किसी यंत्र को संलग्न किया गया है। इसके बाद, इन सभी परिसरों की नियमित जांच की जा रही है। इन कवायदों के दौरान, किसी यंत्र का पता नहीं चला।

[अनुवाद]

मुद्रास्फीति

2073. श्री जोस के. मणि: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च मुद्रास्फीति तथा अर्थव्यवस्था में संभावित मंदी की मौजूदा स्थिति के बावजूद 2011 तक सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के 9 प्रतिशत वृद्धि को प्राप्त करने का आर्थिक लक्ष्य अब भी बरकरार है;

(ख) यदि हां, तो क्या लगातार उच्च मुद्रास्फीति तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा तत्संबंधी बढ़ाए गए ब्याज दर भी संभावित मंदी के जोखिम का एक कारण है;

(ग) यदि हां, तो क्या बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है जिसके कारण विकास दर घटकर 8.5 प्रतिशत से भी कम हो सकती है;

(घ) यदि हां, तो क्या हाल ही में गठित वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद ने अनुमानित 9 प्रतिशत वृद्धि को प्राप्त करने की संभावना का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या निष्कर्ष निकले तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) रिजर्व बैंक ने 26 जुलाई, 2011 को जारी मौद्रिक नीति की अपनी पहली तिमाही समीक्षा में नकदी समायोजन सुविधा के अंतर्गत पॉलिसी रेपो दर में 50 आधार बिन्दु की वृद्धि की है और यह 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 8.0 प्रतिशत हो गई है। यह निर्णय प्रचलित बृहत आर्थिक स्थितियों के मूल्यांकन पर आधारित था। रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापित मुद्रास्फीति वर्तमान के 9.4 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2012 तक 7.0 प्रतिशत रह जाने की उम्मीद है। जहां स्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने के लिए अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य में विकास-दर की धीमा हो जाना अपरिहार्य है, वहीं मध्यावधि परिप्रेक्ष्य में यह विकास के लिए लाभप्रद होगा।

(ग) सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में केंद्र का राजकोषीय घाटा 2008-09, 2009-10, 2010-11 के क्रमशः 6.0 प्रतिशत, 6.4 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत के स्तर से कम होकर 2011-12 में 4.6 प्रतिशत हो जाने की बजटीय व्यवस्था की गई है। 2011-12 के मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में परिकल्पित यह राजकोषीय समेकन प्रक्रिया विकास में सहायक होगी।

(घ) वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने 27.07.11 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की।

(ङ) बैठक के दौरान, सामान्य सर्वसम्मति इस बात पर थी कि जहां मुद्रास्फीति अल्पावधिक आर्थिक विकास के लिए सहायक नहीं हो सकती, वहीं भारत के मध्य से दीर्घावधिक आर्थिक विकास की संभावनाएं उज्ज्वल बनी हुई हैं। परिषद ने यह नोट किया कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निवेश बढ़ रहा है और इससे राष्ट्र के विकास की संभावना बनेगी। परिषद ने यह भी नोट किया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अनंतिम कर संग्रहण आंकड़े उत्साहवर्धक हैं और उनसे विकास और राजकोषीय लक्ष्य पूरे होने की आशा है। सरकार इन विचारों से मोटे तौर पर सहमत है।

बिजली के उपकरण हेतु स्टार रेटिंग

2074. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टार रेटिंग दिए जाने वाले विद्युत उपकरणों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसियेंसी (बी.ई.ई.) लेबल के अंतर्गत पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, फोटोकॉपियरस, प्रिंटर्स, फैक्स मशीन आदि जैसे और विद्युत उपकरणों को शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तत्संबंधी परिणामस्वरूप कितनी बिजली बचाए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) वर्तमान में, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी (बी.ई.ई.) विनियम के तहत स्टार लेबलिंग स्कीम के लिए 14 विद्युतीय/इलेक्ट्रॉनिक मदें आती हैं जोकि निम्नवत हैं-

1. फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप, एयर कंडीशनर, वितरण ट्रांसफार्मर (अनिवार्य चरण के तहत कुल 4 उपस्कर)।

2. डायरेक्ट कूल रेफ्रीजरेटर, रूम एयर कंडीशनर (कैसेट, फ्लोर स्टैंडिंग टावर, सीलिंग कॉर्नर), इनडक्सन मोटर, सीलिंग फैन, इलेक्ट्रॉनिक गीजर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) स्टोवों, कृषि पंपसेटों, रंगीन टेलीविजन, वाशिंग मशीन एवं लैपटॉप (स्वैच्छिक चरण में कुल 10 उपस्कर)।

(ख) जी, हां।

(ग) लैपटॉपों के लिए एनर्जी लेबलिंग स्कीम को पहले ही शुरू किया जा चुका है। अन्य ऑफिस ऑटोमेशन उपस्करों के लिए कार्यक्रम पद्धति वर्तमान में स्टेकहोल्डरों की तकनीकी समिति के साथ विचाराधीन है।

(घ) 12वीं योजना में उपकरणों के लेबलिंग कार्यक्रम से परिहार्य विद्युत क्षमता 2017 तक लगभग 8000 मेगावाट होने की संभावना है।

[हिन्दी]

जी.पी. शीटों का हानिकारक प्रभाव

2075. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेल पैकिंग में उपयोग होने वाली जिंक प्लेटेड शीट (जी.पी.) को स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक माना गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके द्वारा किस हद तक नुकसान हो सकता है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपचारात्मक उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (घ) जिंक प्लेटेड शीट (जी.पी.) (जिंक ऑक्साइड) का प्रयोग मांस, मछली, कोर्न, मटर आदि की पैकिंग करने में किया जाता है। खाद्य तेल की पैकिंग में प्रयुक्त जिंक प्लेटेड शीट के कारण साहित्य में किसी हानिकारक प्रभाव की कोई सूचना नहीं है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकिंग एवं लेबलिंग) विनियम, 2011 में खाद्य तेलों और वसा पैकिंग के लिए सामान्य अपेक्षाएं और विशिष्ट अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि खाद्य तेल एवं वसा की पैकिंग के लिए टिन कन्टेनर आई.एस. संख्या 10325 या 10339 के अनुरूप होगा।

[अनुवाद]

सूक्ष्म वित्त क्रियाकलापों हेतु वित्तीय संस्थान

2076. श्री मिथिलेश कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण शिल्पकारों तथा किसानों के लाभ के लिए सूक्ष्म वित्त क्रियाकलापों हेतु वित्तीय संस्थान की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) देश में ग्रामीण शिल्पकारों और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नए सूक्ष्म वित्त संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंगनवाड़ी केन्द्रों का गैर-परिचालन

2077. श्री बदरूद्दीन अजमल: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु असम सहित राज्य-वार, वर्ष-वार विभिन्न राज्य सरकारों को आवंटित, जारी और उपयोग की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा धनराशि का उचित उपयोग किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को आंगनवाड़ी केन्द्रों के गैर-परिचालन के बावजूद कामगारों द्वारा मजदूरी लेने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार विशेषकर असम का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा पूरे देश में क्रियान्वित की जा रही समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। इस स्कीम पर होने वाले व्यय की हिस्सेदारी केंद्र सरकार तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के बीच 90:10 के अनुपात में है। यह अनुपात पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तथा पूरक पोषण कार्यक्रम सहित उक्त स्कीम के सभी घटकों के लिए है। अन्य राज्यों के संदर्भ में पूरक पोषण कार्यक्रम के लिए यह अनुपात 50:50 और आई.सी.डी.एस. (सामान्य) के अन्य सभी घटकों के लिए 90:10 है। आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में असम सहित अन्य राज्य सरकारों को आंगनवाड़ी केंद्र चलाने के लिए सहायतानुदानों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की रिपोर्ट के अनुसार इन अनुदानों की उपयोगिता का ब्यौरा विवरण-I और II में दर्शाया गया है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आंगनवाड़ी केंद्र के मंच से आई.सी.डी.एस. स्कीम का कार्यान्वयन करते हैं। वर्ष 2011 में कार्य न करने वाले/खराब कार्य करने वाली आंगनवाड़ियों तथा आंगनवाड़ी न खोले जाने के बारे में कुल 8 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा राज्यों से एक-एक तथा उत्तर प्रदेश से 4 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों को संबद्ध राज्य सरकारों को समुचित कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान दिनांक 31.07.2011 तक की अवधि में प्राप्त आईसीडीएस स्कीम (सामान्य) के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों तथा व्यय की राज्य-वार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12
		निर्मुक्त निधियां	राज्यों द्वारा प्राप्त व्यय	निर्मुक्त निधियां	राज्यों द्वारा प्राप्त व्यय	निर्मुक्त निधियां	राज्यों द्वारा प्राप्त व्यय	निर्मुक्त निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	27163.56	33101.35	34974.13	38787.19	34784.04	35544.83	6405.34
2.	बिहार	17508.23	20764.15	28965.41	31936.06	24380.95	13155.65	5788.42
3.	छत्तीसगढ़	8992.46	12051.94	14068.71	14051.59	11717.92	9252.353	3102.90
4.	गोआ	406.56	633.18	816.47	827.87	802.74	802.05	341.45
5.	गुजरात	16491.86	15596.07	15631.96	20852.35	18542.23	11863.21	3793.06
6.	हरियाणा	8455.60	8798.38	7940.70	10813.28	10534.06	11760.06	2123.29
7.	हिमाचल प्रदेश	8232.21	7159.69	7002.53	8175.08	8669.69	4405.61	1269.28
8.	जम्मू और कश्मीर	4557.80	8529.92	8282.34	8383.48	14470.74	4368.01	2037.73
10.	कर्नाटक	9776.60	9851.86	12697.56	14210.21	17629.62	14923.35	3271.37
11.	केरल	19473.26	22474.61	20579.49	22455.76	19039.59	25934.32	5087.40
12.	मध्य प्रदेश	15020.66	13726.91	14037.04	13939.26	12595.35	9952.02	2926.57
13.	महाराष्ट्र	29168.81	24141.32	19973.34	33876.48	30430.04	26445.14	7285.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	उड़ीसा	31996.55	27893.15	31780.80	46795.76	41719.66	16180.03	7360.38
15.	पंजाब	16934.58	18081.79	22026.29	20363.01	21230.41	24121.61	5867.08
16.	राजस्थान	9125.15	8709.66	8779.45	10508.30	11704.90	12443.24	2538.68
17.	तमिलनाडु	19486.76	20226.22	22254.95	20252.76	16803.64	15532.35	4964.65
18.	उत्तराखंड	18163.08	17203.97	17653.51	23576.79	25965.27	14596.75	4902.54
19.	उत्तर प्रदेश	4627.72	3259.16	3596.44	5171.40	3762.59	5081.57	1093.71
20.	पश्चिम बंगाल	54349.16	48226.21	50853.63	55257.16	48102.00	62027.87	12984.09
21.	दिल्ली	33616.96	33083.08	36739.78	36741.91	30419.35	32101.28	9981.60
22.	पुदुचेरी	3885.71	3246.06	3137.32	2952.40	3584.50	3461.85	607.25
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	332.37	254.44	222.47	303.84	355.54	350.62	213.70
24.	चंडीगढ़	299.10	296.05	288.66	292.06	322.89	326.59	148.82
25.	दादरा और नगर हवेली	250.94	232.44	252.29	252.29	240.87	240.87	320.50
26.	दमन और दीव	85.87	88.89	129.84	126.57	137.53	69.94	50.25
27.	लक्षद्वीप	58.81	58.48	56.55	56.65	58.18	58.16	25.03
28.	अरूणाचल प्रदेश	62.87	75.87	121.03	75.87	27.49	22.82	27.10
29.	असम	3395.68	2741.45	3122.59	3507.97	6321.28	3567.93	881.61
30.	मणिपुर	26033.82	19677.98	23551.88	18713.10	35901.57	22078.69	4551.36
31.	मेघालय	2888.69	2966.4	3307.42	2464.68	3581.11	3720.66	907.32
32.	मिजोरम	1817.13	1586.44	2047.16	2505.69	2443.06	2400.38	542.64
33.	नागालैंड	1603.55	1612.93	2081.27	1681.91	2293.96	2117.39	330.10
34.	सिक्किम	2527.14	2504.40	4994.32	2499.13	2225.38	4539.71	518.37
35.	त्रिपुरा	884.29	479.29	660.21	627.69	480.80	710.38	275.53
		2975.26	2808.10	7362.81	3290.20	8099.64	4266.00	843.69
	एलआईसी*	670.36		691.80		742.00		0
	कुल योग	401319.16	392141.84	430682.15	476325.75	470120.58	398423.29	103368.58

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना के लिए भारत सरकार का अंशदान

विवरण II

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान दिनांक 31.07.2011 तक की अवधि में प्राप्त आईसीडीएस स्कीम (सामान्य) के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों तथा व्यय की राज्य-वार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11			2011-12
		निर्मुक्त निधियां	राज्य के हिस्से सहित व्यय	निर्मुक्त निधियां	राज्य के हिस्से सहित व्यय	निर्मुक्त निधियां	राज्यों द्वारा प्राप्त व्यय	निर्दिष्ट तिथि निधियां	निर्मुक्त निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	18994.92	35091.02	31285.70	52316.99	16003.74	69979.08	31.03.2011	17824.40
2.	बिहार	15346.08	53026.76	40695.19	92263.92	48335.94	49763.58	31.12.2010	10239.71
3.	छत्तीसगढ़	5429.43	18362.40	7461.68	21324.67	14211.95	16591.02	31.3.2011	2887.85
4.	गोआ	123.83	314.62	375.94	918.75	418.23	570.44	31.3.2011	157.33
5.	गुजरात	7464.33	13083.58	8696.39	24690.5	11985.65	12639.80	31.12.2010	4851.13
6.	हरियाणा	5143.00	11513.23	6884.01	14571.00	5211.60	872.70	31.3.2011	1532.63
7.	हिमाचल प्रदेश	2282.58	4542.58	2939.36	5939.35	2466.48	3398.70	31.3.2011	526.13
8.	जम्मू और कश्मीर	697.98	4326.66	1671.09	0	1949.78			782.72
9.	झारखंड	6545.80	18897.10	16893.64	53308	23438.78	16576.41	31.3.2011	4362.8
10.	कर्नाटक	10936.42	24644.90	26325.26	56641.93	23585.19	32619.62	31.3.2011	5425.26
11.	केरल	5597.50	11847.50	7545.81	15826.29	8071.33	7303.60	31.3.2011	1470.98
12.	मध्य प्रदेश	8290.06	27156.38	22339.36	51990.71	38917.63	58625.81	31.3.2011	12445.01
13.	महाराष्ट्र	20646.17	38836.76	20350.12	48660.00	20350.12	73509.16	31.3.2011	8403.89
14.	उड़ीसा	8729.46	20449.24	13968.2	32185.78	19490.01	37773.10	31.3.2011	5674.70
15.	पंजाब	2282.68	4560.02	1748.03	8825.7	4402.84	1754.42	31.3.2011	1851.49
16.	राजस्थान	10957.94	23694.28	11014.23	30464.83	20449.06	26231.86	31.3.2011	5429.65
17.	तमिलनाडु	5428.14	13752.00	13268.00	26558.00	12395.76	10769.43	31.12.2010	3105.52
18.	उत्तर प्रदेश	57090.72	108780.47	86778.09	178809.82	138267.06	198737.3 9	31.3.2011	31461.19
19.	उत्तराखंड	1202.36	1062.94	740.47	1488.21	1303.60	622.74	31.3.2011	527.18
20.	पश्चिम बंगाल	16810.60	30208.15	13577.01	55101.17	35274.00	23014.42	31.12.2010	8076.76
21.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	108.78	444.01	144.8	511.84	106.95	327.18	31.3.2011	48.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	चंडीगढ़	96.87	206.87	193.78	216.31	129.88	68.20	31.3.2011	117.09
23.	दादरा और नगर हवेली	47.33	121.93	91.58	55.30	62.90	0.00	30.9.2010	42.63
24.	दमन और दीव	27.48	2.96	50.37	179.63	33.58	21.83	31.3.2011	24.95
25.	लक्षद्वीप	50.92	113.96	42.87	0	29.69			23.84
26.	दिल्ली	1417.03	4865.10	4171.53	6878.70	4004.05	8960.11	31.3.2011	809.84
27.	पुदुचेरी	82.97	446.19	139.91	462.19	395.95	257.23	31.3.2011	816.05
28.	अरूणाचल प्रदेश	326.68	880.27	856.32	956.32	3047.89	2834.01	31.12.2010	588.13
29.	असम	10541.20	9539.82	17660.74	17590.73	21579.99	17876.97	31.12.2010	10470.81
30.	मणिपुर	1129.16	2371.87	1477.61	2422.45	4449.60	2572.54	31.3.2011	902.57
31.	मेघालय	31362.96	3151.73	5301.00	6972.28	5650.42	4505.16	31.3.2011	1084.59
32.	मिजोरम	766.71	1494.85	2020.79	2496.63	2241.65	2359.56	31.3.2011	899.9
33.	नागालैंड	1303.31	2503.31	2658.79	3304.66	4782.37	2113.14	31.3.2011	849.15
34.	सिक्किम	95.53	634.95	794.39	622.59	362.44	367.41	31.3.2011	209.09
35.	त्रिपुरा	774.40	1906.42	2851.68	3617.54	3464.40	1297.50	31.3.2011 .	2708.18

मेडिकल कॉलेजों का प्रत्यायन

2078. श्री नवीन जिन्दल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ रिपोर्टों पर ध्यान दिया है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि कुछ मेडिकल कॉलेजों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रिडेशन से प्रत्यायन गलत घोषणापत्रों तथा दावों द्वारा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार सामने आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कॉलेजों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन मेडिकल कॉलेजों में जिन छात्रों ने नामांकन लिया है उनके भविष्य को सुरक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एच.आर.डी.) के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन.बी.ए.) ने यह सूचित किया है कि वे चिकित्सा कालेजों अथवा चिकित्सा शिक्षा के कार्यक्रमों को प्रत्यायित नहीं करते हैं।

(ख) से (घ) ऊपर (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जनजातियों के छात्रों हेतु शैक्षिक योजनाएं

2079. श्री जयंत चौधरी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, बुक बैंक और अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के छात्रों की मेधा के उन्नयन के अंतर्गत राज्य-वार, वर्ष-वार और योजना-वार लाभान्वितों की कुल संख्या तथा प्रत्येक लाभान्वितों को होने वाले मौद्रिक लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार जीवनयापन के लागत में हुई वृद्धि के मद्देनजर छात्रवृत्ति की राशि का पुनरीक्षण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा राज्य-वार, वर्ष-वार तथा योजना-वार निर्मुक्त निधियां क्रमशः विवरण-I तथा II में दी गई हैं।

(ख) हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना को संशोधित कर दिया है, जो दिनांक 01-07-2010 से लागू है।

(ग) योजना के संशोधन के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण I

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात 2008-09 से 2011-12 के दौरान लाभार्थियों की संख्या के साथ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक बैंक सहित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12
		निर्मुक्ति राशि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्ति राशि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्ति राशि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्ति राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1662.13	183974	2919.27	208896	20036.25	287862	11018.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	23.53	1	0.00
3.	असम	1696.18	64952	2510.12	74777	2881.26	79744	1441.00
4.	बिहार	170.00	1053	0.00	1863	0.00	3355	0.00
5.	छत्तीसगढ़	160.28	72160	375.95	85242	1253.97	93766	627.00
6.	गोवा	18.96	595	54.26	2152	29.11	1500	15.00
7.	गुजरात	387.36	122843	3046.63	127189	5116.09	142521	2558.00
8.	हिमाचल प्रदेश	10.00	2271	0.00	2368	113.99	2616	57.00
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	10077	0.00	9442	0.00	10190	408.00
10.	झारखण्ड	1058.48	25163	1267.00	30535	1855.54	48438	928.00
11.	कर्नाटक	1053.97	69152	1863.63	74476	3163.59	78978	1582.00
12.	केरल	298.03	9173	284.40	10636	457.08	12210	229.00
13.	मध्य प्रदेश	1228.18	89223	3236.50	99742	2026.23	106728	1013.00
14.	महाराष्ट्र	2500.00	129384	1250.00	137490	6629.51	160552	3315.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	मणिपुर	1912.68	39123	2163.28	42381	2460.01	46619	1230.00
16.	मेघालय	1342.12	52985	1006.57	58283	2717.23	64110	1359.00
17.	मिजोरम	1421.18	33758	1571.26	37873	1633.93	39770	817.00
18.	नागालैण्ड	1467.27	35606	1866.77	38432	1908.44	41888	954.00
19.	उड़ीसा	461.75	48802	566.79	52706	1104.03	60476	550.00
20.	राजस्थान	4654.00	176194	1661.31	172267	800.00	189495	0.00
21.	सिक्किम	25.13	1819	37.88	1754	56.41	2206	28.00
22.	तमिलनाडु	2.50	4241	72.34	4241	112.71	4580	56.00
23.	त्रिपुरा	433.19	14892	538.26	15649	380.40	16744	190.00
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	8144	0.00	4990	0.00	0	0.00
25.	उत्तराखण्ड	230.52	15127	188.98	16366	531.69	18002	266.00
26.	पश्चिम बंगाल	389.28	42524	603.80	29720	302.00	45998	150.00
27.	अण्डमान और निकोबार	3.00	441	0.00	214	9.15	658	10.00
28.	दमन व दीव	0.14	164	1.73	197	0.85	0	0.00
	कुल	22586.31	1253840	27086.73	1339881	55603.00	1559007	28801.00

टिप्पणी: बड़े अक्षरों में-पूर्वानुमानित लाभार्थी
*संस्थानों को पुस्तक बैंक के लिए निधियां दी जाती है।
**छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या।

विवरण II

*विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात 2008-09 से 2011-12 के दौरान लाभार्थियों** की संख्या के साथ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा के उन्नयन की योजना के तहत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे*

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		निर्मुक्ति राशि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्ति राशि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्ति राशि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्ति राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	32.76	168	0	0
2.	छत्तीसगढ़	0	0	37.54	280	17.06	बकाया	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	गुजरात	0	0	0	0	8.10	92	0	0
4.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0.05	1	0	0
5.	झारखण्ड	3.05	30	0	0	0	0	0	0
6.	केरल	0.78	4	0	0	0	0	0	0
7.	मध्य प्रदेश	33.54	172	0	0	0	0	59.34	344
8.	उड़ीसा	17.94	136	0	0	0	0	0	0
9.	राजस्थान	2.87	32	6.22	36	8.17	36	0	0
10.	सिक्किम	3.12	16	3.12	16	3.12	16	0	0
11.	त्रिपुरा	3.12	16	3.12	16	3.12	16	3.12	16
12.	पश्चिम बंगाल	8.88	72	0	0	0	0	0	0
	कुल	73.30	478	50	348	72.38	329	62.46	360

विवरण III

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की संशोधित योजना

(01.07.2010 से लागू)

अभिभावकों की बढ़ाई गई अधिकतम आय-सीमा: 1.45 लाख रुपये से 2.00 लाख रुपये वार्षिक

पाठ्यक्रमों का पुन:वर्गीकरण

संशोधन पूर्व पाठ्यक्रम	संशोधित पाठ्यक्रम
1	2
समूह I	समूह I
मेडिसन (एलोपेथिक, भारतीय तथा चिकित्सा प्रणाली की अन्य मान्यता प्राप्त), इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु चिकित्सा तथा संबद्ध विज्ञान, प्रबंधन व व्यवसाय वित्त, व्यवसाय प्रबंधन और कम्प्यूटर एप्लिकेशन/साइंस में डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम (एम.फिल., पी.एच.डी. और पोस्ट डोक्टेरल अनुसंधान सहित)। कमर्शियल पायलेट लाइसेंस (हेलिकोप्टर पायलेट और मल्टीइंजन रेटिंग सहित) पाठ्यक्रम।	(i) मेडिसन (एलोपेथिक, भारतीय तथा चिकित्सा प्रणाली की अन्य मान्यता प्राप्त), इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, आयोजना, वास्तुकला, डिजाइन, फैशन टेक्नोलोजी, कृषि, पशु चिकित्सा तथा संबद्ध विज्ञान, प्रबंधन, व्यवसाय वित्त/प्रबंधन और कम्प्यूटर एप्लिकेशन/साइंस में डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम एम.फिल., पी.एच.डी. और पोस्ट डोक्टेरल अनुसंधान सहित।

1	2
	(ii) कमर्शियल पायलेट लाइसेंस (हेलिकोप्टर पायलेट और मल्टीइंजन रेटिंग सहित) पाठ्यक्रम।
	(iii) प्रबंधन और मेडिसन की विभिन्न शाखाओं में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
	(iv) एम.फिल., पी.एच.डी. और पोस्ट डोक्टेरल कार्यक्रम (डी. लिट., डी.एस.सी. आदि)।
	क) मौजूदा समूह II के पाठ्यक्रमों में
	ख) मौजूदा समूह III के पाठ्यक्रमों में
	(iv) एल.एल.एम.
समूह II	समूह II
समूह I में कवर न किए गए अन्य व्यवसायिक और तकनीकी स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम (एम.फिल., पी.एच.डी. और पोस्ट डोक्टेरल अनुसंधान सहित)। सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस. आदि पाठ्यक्रम। स्नातकोत्तर, स्नातक स्तर के डिप्लोमा पाठ्यक्रम, प्रमाण-पत्र स्तर के सभी पाठ्यक्रम।	(i) फार्मेसी (बी. फार्मा), नर्सिंग (बी. नर्सिंग), एल.एल.बी., बी. एफ.एस., पुनर्वास निदान आदि जैसे अन्य पैरा-मेडिकल शाखाएं, जनसंचार, होटल प्रबंधन एवं केटरिंग, ट्रेवल/टूरिज्म/हास्पिटेलिटी प्रबंधन, इंटीरियर डेकोरेशन, न्यूट्रिशन एवं डायटिक्स, कमर्शियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं (यथा बैंकिंग, बीमा, कराधान आदि) जैसे क्षेत्र जिनमें प्रवेश योग्यता न्यूनतम वरिष्ठ माध्यमिक (10+2) है।
	(ii) समूह I के अन्तर्गत कवर न किए गए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा एम.ए./एम.एस.एसी./एम.काम./एम.एड./एम. फार्मा आदि।
समूह III	समूह III
स्नातक अथवा स्नातक से अधिक के सभी अन्य पाठ्यक्रम (समूह I और II के अंतर्गत कवर न किए गए)	समूह I और II अर्थात् बी.ए./बी.एस.सी./बी. कॉम आदि के अंतर्गत कवर न किए गए सभी अन्य स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम।
समूह IV	समूह IV
समूह II अथवा III के अंतर्गत कवर न किए गए 10+2 प्रणाली में कक्षा 11 और 12 तथा माध्यमिक परीक्षा आदि जैसे स्नातक स्तर से पहले के सभी मैट्रिक पश्चात स्तर के पाठ्यक्रम। आई. टी.आई. पाठ्यक्रम, अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम (इन पाठ्यक्रमों में पढ़ने की न्यूनतम अपेक्षित योग्यता कम से कम मैट्रिक है)।	सभी मैट्रिकोत्तर स्तर के डिग्री रहित पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रवेश पात्रता हाई स्कूल (कक्षा X) है अर्थात् वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र (कक्षा XI और XII); सामान्य तथा व्यवसायिक स्ट्रीम, आई.टी. आई. पाठ्यक्रम, पोलिटेक्नीक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि।

अनुरक्षण एवं अन्य भत्तों की संशोधित दरें

अनुरक्षण भत्ता

पाठ्यक्रम का समूह	अनुरक्षण भत्ते की मासिक दरें (रुपये में)			
	पूर्व संशोधित		01.07.2010 से संशोधित	
	दिवा छात्र	छात्रावास में रहने वाले छात्र	दिवा छात्र	छात्रावास में रहने वाले छात्र
I	330	740	550	1200
II	330	510	530	820
III	185	355	300	570
IV	140	235	230	380

अन्य भत्ते

(रुपये में)

मदें	पूर्व संशोधित दरें	संशोधित दरें
1. अध्ययन दौरा प्रभार (वार्षिक)	1000	1600
2. शोधग्रंथ टंकण/मुद्रण प्रभार (वार्षिक)	1000	1600
3. पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तक अनुदान (वार्षिक)	750	1200
4. विकलांग छात्रों के लिए भत्ता		
(i) दृष्टिबाधित छात्रों के लिए वाचक भत्ता (मासिक)	150 (समूह I और II)	240 (समूह I और II)
	125 (समूह III)	200 (समूह III)
	100 (समूह IV)	160 (समूह IV)
(ii) विकलांग छात्रों के लिए यातायात भत्ता (नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1955 के तहत यथा निर्धारित) यदि ऐसे छात्र शैक्षिक संस्था के परिसर के भीतर छात्रावास में नहीं रहते। (मासिक)	100	160
(iii) गम्भीर रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए मार्ग रक्षण	100	160
भत्ता: दिवा छात्रों/छात्रों के लिए निम्नांक विकलांगता भत्ता (मासिक)।		
(iv) सहायक भत्ता: छात्रावास के किसी कर्मचारी के लिए लागू है जो शैक्षिक संस्था के छात्रावास में रहने वाले सहायक की सहायता के जरूरतमंद गंभीर रूप से अस्थि विकलांग छात्रों को सहायता पहुंचाने का इच्छुक हो। (मासिक)	100	160
(v) मानसिक रूप से मंद और मानसिक रोग पीड़ित छात्रों को कोचिंग भत्ता (मासिक)।	150	240

[हिन्दी]

मेडिकल टीचरों की कमी

2080. **कुमारी सरोज पाण्डेय:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल टीचरों और कर्मचारियों की आवश्यकता की तुलना में वर्तमान उपलब्धता का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितने मेडिकल टीचरों और कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं; और

(ङ) टीचरों की कमी को पूरा करने तथा मेडिकल कॉलेजों में कर्मचारियों के पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) शरीर रचना विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, फार्माकोलॉजी, जैव-रसायन, फोरेंसिक मेडिसन, सामुदायिक चिकित्सा जैसे विभिन्न विषयों तथा प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान, बाल चिकित्सा, संवेदनाहरण विज्ञान, सामान्य कार्यचिकित्सा और सामान्य शल्य चिकित्सा आदि जैसे कतिपय नैदानिक विषयों में चिकित्सा शिक्षकों की उपलब्धता में असंतुलन है।

(ग) और (घ) बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा गठित स्नातक पूर्व चिकित्सा शिक्षा संबंधी कार्य समूह ने अनुमान लगाया है कि इस समय लगभग 29,400 शिक्षण संकाय सदस्यों की आवश्यकता है तथा लगभग 6340 शिक्षण संकाय सदस्यों की कमी होने का अनुमान है। मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों की संख्या संबंधी आंकड़े केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने मेडिकल कालेज में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए हैं:

(i) डी.एन.बी. अर्हताओं को विभिन्न संकाय पदों के लिए नियुक्ति हेतु मान्यता दी गई है,

(ii) संकाय की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु को 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है,

(iii) स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षक-छात्र अनुपात को 1:1 से बढ़ाकर 1:2 कर दिया गया है,

(iv) केन्द्रीय सरकार "राज्य सरकार के मेडिकल कालेजों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन" नामक योजना के अंतर्गत विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

[अनुवाद]

पंचायत चुनाव

2081. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:** क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान जिन राज्यों में पंचायत चुनाव नहीं हुए उनके नाम क्या हैं; और

(ख) ऐसे राज्यों में नियमित समय से पंचायत चुनाव कराने हेतु सरकार द्वारा कार्रवाई की गयी है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) जहां संविधान का भाग-IX लागू होता है, उन सभी राज्यों में पंचायत चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश में पंचायत चुनाव आयोजन में विलंब हुआ, जो चुनाव जून तथा अगस्त, 2011 में आयोजित किए जाने वाले थे, वे आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा रोक लगा दिए जाने के कारण नहीं हो सके। पुदुचेरी में जून तथा जुलाई, 2011 के मध्य होने वाले पंचायत चुनावों की अधिसूचना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।

(ख) पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से तथा उचित समय पर कराने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहता है।

पी.टी.जी. का विकास

2082. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आदिम जनजातीय समूहों (पी.टी.जी.) तथा मूल निवासियों के विकास की कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत, जारी और उपयोग की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार लाभान्वितों की संख्या कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के लिए "पी. टी.जी. का विकास" नामक एक योजना है।

(ख) यह योजना एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.टी.जी.) की सुरक्षा और समग्र विकास के लिए बनी है तथा इस योजना के तहत इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई संगत गतिविधि की जा सकती है। इस योजना के तहत की गई मुख्य गतिविधियां आवास, कृषि विकास, रोजगार सृजन, संपर्क मार्गों का निर्माण, पेय जल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना इत्यादि हैं।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत, निर्मुक्त एवं उपयोजित निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) गतिविधियों का प्रकार जो पी.टी.जी. के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए की जाती हैं, सभी मामलों में लाभार्थियों की संख्या निर्धारित करना संभव नहीं है।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (8.8.2011 तक)	
		स्वीकृत/ निर्मुक्ति	उपयोजित	स्वीकृत/ निर्मुक्ति	उपयोजित	स्वीकृत/ निर्मुक्ति	उपयोजित	स्वीकृत/ निर्मुक्ति	उपयोजित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	985.00	985.00	0.00	0.00	2292.40	0.00	1146.20	0.00
2.	छत्तीसगढ़	615.33	615.33	0.00	0.00	2244.79	0.00	0.00	0.00
3.	गुजरात	1943.22	1807.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	झारखंड	1068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	कर्नाटक	3227.00	3227.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00
6.	केरल	960.00	960.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	मध्य प्रदेश	3754.90	3754.90	5067.80	5067.80	5428.20	5428.20	0.00	0.00
8.	महाराष्ट्र	2007.98	2007.98	556.13	0.00	3459.83	0.00	0.00	0.00
9.	उड़ीसा	1243.00	1243.00	1228.70	1228.70	1226.68	1226.68	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	राजस्थान	1120.49	1120.49	0.00	0.00	1280.28	0.00	0.00	0.00
11.	तमिलनाडु	673.00	673.00	0.00	0.00	476.00	0.00	1075.94	0.00
12.	त्रिपुरा	403.00	403.00	461.80	461.80	315.70	0.00	0.00	0.00
13.	पश्चिम बंगाल	901.74	901.74	537.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	उत्तरांचल	0.00	0.00	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठन

2083. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत जिन गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को वित्तीय सहायता प्रदान की गई उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई सहायता का एन.जी.ओ.-वार तथा प्रत्येक एन.जी.ओ. को प्रदान की जा रही सहायता राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) अनियमितताओं में शामिल एन.जी.ओ. के नाम क्या हैं; और

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) जिन्हें विभिन्न योजनाओं जिनका कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) प्रत्येक एन.जी.ओ. को प्रदान की गई सहायता की राशि सहित पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई सहायता से एन.जी.ओ. वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) उन एन.जी.ओ. के नाम, जिन्हें अनियमितताओं में शामिल पाया गया है, संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) अनियमितताओं में शामिल पाए गए एन.जी.ओ. और राज्य सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को "सहायता अनुदान" की योजना के तहत वर्ज़ 2008-09 से 2010-11 के दौरान निधि घोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (09/08/2011 तक)
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश						
1.	गुरूकूल्म आंध्र प्रदेश जनजातीय कल्याण आश्रम तथा आवासीय शैक्षिक संस्था समिति, आध्र प्रदेश (एपीटीडब्ल्यूएआरइआईएस), तेलगु	आवासीय विद्यालय (18 इकाई)	26840363	13879000	36184851	–

1	2	3	4	5	6	7
	संक्षेम भवन, दूसरा तल, मसाब टैंक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश					
2.	बापूजी एकीकृत ग्रामीण विकास सोसाइटी, गड्डामनुगु, जिलाः कृष्णा, आं.प्र.	आवासीय विद्यालय	1320000	3424765	2175295	–
3.	ग्राम अभ्युद्रय एकीकृत ग्रामीण विकास सोसाइटी, छठा वार्ड, कोटा स्ट्रीट, उरवाकोंडा, जिला-अनंतपुर, आं.प्र.	आवासीय विद्यालय	0	880000	2219780	1609470
4.	इंटरकल्चर कॉपरेशन फाउंडेशन (आईसीएफ) इंडिया, अम्बोध थांडा, आर.आर. जिला, आं.प्र.	गैर-आवासीय विद्यालय	628485	397493	0	–
5.	एकीकृत विकास एजेंसी, रैथूपेट, नन्दीगामा, जिला-कृष्णा आंध्र प्रदेश	10-बिस्तरों वाला अस्पताल तथा सचल औषधालय	390870	685491	0	–
6.	जीयार एजुकेशन ट्रस्ट गंगनमहल कालोनी, डोमालगुडा, हैदराबाद, पिन 500027, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1311200	0	1717660	1525230
7.	आर.के.मिशन कोरुकोण्डा रोड, राजामुन्दरी, आंध्र प्रदेश	सचल औषधालय	0	3246026	563021	563021
8.	सेवा भारती, दुर्गमफाड, जिला खन्नम, आंध्र प्रदेश	छात्रावास	710294	0	0	–
9.	सिम्हापुरी विद्या सेवा समिति, सोमशेखरपुरम, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	10-बिस्तरों वाला अस्पताल	602910	0	0	–
10.	श्री लक्ष्मी महिला मंडली, डी.न. 15-155, मिलावरम (वी एंड एम), गड्डामानुगू, जिला-कृष्णा, आंध्र प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	0	2037872	1253250	–
11.	सोसायटी फॉर इंटीग्रेटिड रूरल इन्प्रूवमेंट (एसआईआरआई), 7/163 प्रकाश रोड, जिला-अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	788006	1114299	2145769	–
12.	नारायण शैक्षिक तथा ग्रामीण विकास सोसायटी (श्री मंडलाप्पु नारायण शैक्षिक सोसायटी), परगी, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	2277302	0	0	–
	कुल		34869430	25664946	46259626	3697721
	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह					
13.	रामकृष्ण मिशन, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	437670	145890	
	कुल		0	437670	145890	0

1	2	3	4	5	6	7
14.	अरूणाचल पाली विद्यापीठ चांगखाम, जिला-लोहित, अरूणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय तथा सचल औषधालय	3643050	3804210	3878010	–
15.	बुद्धिस्ट कल्चरल प्रिजरवेशन सोसायटी अपर गाम्पा, बामडिला, जिला-वेस्ट कमंग, अरूणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	4525342	2248228	
16.	सेन्टर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज ग्राम एवं पोस्ट-तवंग, जिला-तवंग, अरूणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	3375630	1687815	–
17.	आर.के.मिशन नरोतम नगर, वाया -देवमाली, जिला-तिराप, अरूणाचल प्रदेश	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (2 इकाई), आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय तथा 20-बिस्तरों वाला अस्पताल	9325597	9337478	9380813	–
18.	आर.के.मिशन विवेकानंदनगर, अरूणाचल प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय, 10-बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय, छात्रावास तथा दृश्य श्रव्य ईकाई	15189380	13808590	13808590	–
19.	आर.के.मिशन हॉस्पिटल इटानगर, अरूणाचल प्रदेश	60-बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय	7403707	7242948	7099995	–
20.	रामकृष्णा शारदा मिशन खोनसा, जिला-तिराप, अरूणाचल प्रदेश पिन-786630	आवासीय विद्यालय	0	9396510	4584510	–
21.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055 (मुख्यालय) रूपा परियोजना	छात्रावास	0	1660899	0	–
22.	विवेकानंद केन्द्र अरूणज्योति, ईटानगर, ईटानगर, जिला पपुम्पारे, अरूणाचल प्रदेश	कामगार प्रशिक्षण केन्द्र तथा सचल पुस्तकालय, दृश्य श्रव्य इकाई	0	220285	0	–
23.	ओजू वेलफेयर एसोसिएशन, नजदीक नहारलगुन, पुलिस स्टेशन, नहारलगुन, अरूणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय (प्राथ. + माध्य.)	3438990	3452940	3491865	–
	कुल		39000724	56824832	46179826	0

1	2	3	4	5	6	7
असम						
24.	असम सेंटर फॉर रुरल डेवलपमेंट इन्द्रकांता भवन, कनकलता पथ, अलूबारी, गुवाहाटी-781007, असम	सचल औषधालय	0	685350	0	1370700
25.	भारत सेवाश्रम संघ लाखरा रोड, काहिलीपुरा, गुवाहाटी, असम	सचल औषधालय	679865	613663	0	625594
26.	डा. अम्बेडकर मिशन धोपातारी, जिला-कामरूप, असम	10-बिस्तरों वाला अस्पताल तथा सचल औषधालय	2313450	2274140	0	–
27.	ग्राम विकास परिषद ग्राम-रंगालो, जिला-नौगांव, असम	सचल औषधालय	0	1514700	0	685350
28.	पठारी वोकेशनल इंस्टीट्यूट, टॉप फलोर, बार लिबाग, नौगांव, असम	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	208260	0	613800	306900
29.	आर.के.मिशन आश्रम उलूबारी, गुवाहाटी, असम	छात्रावास, सचल औषधालय तथा पुस्तकालय	1328274	1287234	652727	652727
30.	आर.के.मिशन आश्रम, आर.के. मिशन रोड, सिल्चर, असम	छात्रावास	1078253	299473	0	–
31.	सदाउ आसोम ग्राम्य पुथीभारल संस्था तेल्लीपट्टी, चाम्नसाईं रोड, जिला-नौगांव, असम	पुस्तकालय तथा गैर-आवासीय विद्यालय	1095300	0	1076100	1095750
32.	श्रीमंत शंकर मिशन, पी.ओ./जिला-नौगांव, असम	सचल औषधालय	706950	0	689259	706950
33.	दयानंद सेवाश्रम संघ, एनआई, बोकाजन, असम (अखिल भारतीय दयानंद आश्रम संघ का उपक्रम, 315 आसफ अली रोड नई दिल्ली) (मुख्यालय) बोकाजन पर दो यूनिट, जापरजन तथा दिफू	छात्रावास (4 इकाई)	0	2998731	3097170	3129479
	कुल		7410352	9673291	6129056	8573450
छत्तीसगढ़						
34.	कछाना ध्रुव सेवा एंड कल्याण समिति, गॉव+पो.-पांडुका, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़	गैर-आवासीय विद्यालय	0	0	1779877	–

1	2	3	4	5	6	7
35.	नव अभिलाषा शिक्षण संस्थान ग्राम एवं पोस्ट-बुधवानी, जिला-राजनांदगांव-छत्तीसगढ़	आवासीय विद्यालय	1647270	1627493	1607120	–
36.	आर.के.मिशन आश्रम नारायणपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़	6-छात्रावास, 1-जनजातीय प्रशिक्षण केन्द्र तथा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग+दिव्यान कृषि प्रशिक्षण एवं संबद्ध विषयों तथा सचल औषधालय की नई परियोजनाएं	4018188	7958029	6485432	–
37.	सेवा भारती (मध्य प्रदेश), मातश्च्छाया, स्वामी रामतीर्थ नगर, मैदा मिल के सामने, हौशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन-462001 (मुख्यालय) जशपुर नगर तथा कुकरी पर परियोजना।	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (3 इकाई), छात्रावास (2 इकाई) तथा आवासीय विद्यालय	0	0	1454182	–
	कुल		5665458	9585522	11326611	0
गुजरात						
38.	भारत सेवाश्रम संघ, डेडियापाडा, नर्मदा, गुजरात	सचल औषधालय	0	1406753	0	–
39.	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर (नवसारी), गुजरात	गैर-आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (4), सचल दृश्य श्रव्य इकाई	4634749	0	9209878	–
40.	भारत यात्र केंद्र, पो.बो. डेडियापाड़ा, नर्मदा, गुजरात पिन-नर्मदा, गुजरात	छात्रावास	773460	1192545	2688200	–
41.	इनरेका, रायपीपला रोड, टिम्बापाड़ा, डेडियापाड़ा, जिला-नर्मदा, गुजरात	छात्रावास	0	1143090	1258090	1172790
42.	पंचमहल आदिवासी विकास युवक मंडल ग्राम-धलसीमल, पोस्ट-मोली, तालुका-झालोड, जिला-झालोड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	1769310	1769310	0	1769310
43.	श्री धाधेला केलवानी मंडल ग्राम एवं पोस्ट-धाधेला जिला-दाहोद, गुजरात	छात्रावास	0	1547910	0	652150

1	2	3	4	5	6	7
44.	श्री सदगुरू स्वामी अखण्डानंद चैरिटेबल ट्रस्ट, बारूमल, जिला-वलसाड, गुजरात	सचल औषधालय तथा छात्रावास	1135300	2808037	0	–
45.	श्री स्वामी नारायण एजूकेशन ट्रस्ट, वलसाड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	1028142	0	2955534	–
हिमाचल प्रदेश						
46.	बुद्धिस्ठ कल्चुरल सोसायटी ऑफ ग्राम्पा, पो.बो. गाम्पा, जिला लाहौल व स्पीति, हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	0	2173080	1198125	
	कुल		9340961	9867645	16111702	3594250
47.	हिमाचलयान बुद्धिस्ठ कल्चुरल एसोसिएशन, पो.बो. 98, क्लब हाऊस रोड, मनाली, जिला कुल्लु हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	2035080	4539875	3605332	–
48.	इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज ऑफ फिलोसिपी तथा ट्राइबल कल्चरल सोसायटी, ताबो, जिला लाहौल व स्पीति हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	6349050	3645450	–
49.	रामधा बुद्धिस्ठ सोसायटी, गांव/पो.ओ. सिधपुर, वाया दारी, नोरबुड़लिंगा, धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	0	2406780	1219590	–
50.	रिंचेन जेंगपो सोसायटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, स्पीति भवन, योल कांट्ट, तहशील धर्मशाला, जिला धर्मशाला जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	3795900	4458900	535000	500000
	कुल		5830980	19927693	15027497	500000
जम्मू और कश्मीर						
51.	गुर्जर देश ट्रस्ट, गुर्जर कॉलोनी, जम्मू और कश्मीर	सचल औषधालय	0	2341180	3261420	–
52.	हिमालयान बुद्धिस्ठ कल्चुरल सोसायटी, पोबो. अथौली, जिला डोडा, जम्मू और कश्मीर	आवासीय विद्यालय	3352051	0	1989020	–
53.	लमदोन सोशल सोसायटी वेल्फेयर सोसायटी, लेह, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर	आवासीय विद्यालय	1112934	1720068	1673012	–

1	2	3	4	5	6	7
54.	महोबोधी इंटरनेशनल मेडिटेशन, जम्मू और कश्मीर	आवासीय विद्यालय	0	441366	0	–
55.	एआईसीयूआरडी, गोल मार्किट, नई दिल्ली (मुख्यालय) पुलवामा, जम्मू और कश्मीर पर परियोजना	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (3), टंकण तथा आशुलिपि केन्द्र (3)		0	0	–
	कुल		4464985	4502614	6923452	0
झारखण्ड						
56.	भारत सेवाश्रम संघ (पाकुर), पो.ओ./जिला-पाकुर, झारखण्ड	आवासीय विद्यालय तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1995900	1306245	3388945	–
57.	भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी), सोनारी (पश्चिम), रिवर मीट रोड, पूर्वी सिंहभूम, पिन-831011, झारखण्ड	सचल औषधालय (3), कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, केन तथा बांस, दृश्य श्रव्य इकाई, बुनाई एवं कताई केन्द्र (2), 20-बिस्तरों वाला अस्पताल (2) तथा आवासीय विद्यालय (2)	13033039	12352421	3252866	
58.	भारत सेवाश्रम संघ, पथारा, पथारा, पो.बो. रानिश्वर, जिला दुमका, झारखण्ड	आवासीय विद्यालय (2), 20-बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय, बुनाई एवं कताई	0	14375004	10994167	–
59.	भारत सेवाश्रम संघ, (रांची यूनिट) बरियातु, इन्द्राप्रस्थ कालोनी, रांची, झारखण्ड	आवासीय विद्यालय तथा सचल औषधालय	1470110	2132158	1751511	–
60.	भारत सेवाश्रम संघ मठ, पो.बो./जिला-जमतारा, पिन-815351, झारखण्ड	सचल औषधालय	0	727939	918683	–
61.	भारत सेवाश्रम संघ विवेकानंद सोसायटी, बिस्टपुर, जमशेदपुर, झारखण्ड	छात्रावास, सचल औषधालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, टंकण तथा आशुलिपि केन्द्र, सचल-पुस्तकालय-सह-दृश्य श्रव्य इकाई	2317354	1566624	1739484	–
62.	भारत सेवाश्रम संघ, मोरबाड़ी, रांची, झारखण्ड	दिव्यान इकाई, सचल औषधालय, पुस्तकालय, दृश्य श्रव्य इकाई	5134192	5736679	4940067	–

1	2	3	4	5	6	7
63.	भारत सेवाश्रम संघ टीबी, सानोटोरियम, रांची, झारखण्ड	70-बिस्तरों वाला अस्पताल तथा संचल औषधालय	10625825	11411682	11265962	5913137
64.	व्यक्ति विकास केन्द्र, भारत अनुराग कुटीर, केजीडी, रोड, कुंती, रांची, झारखण्ड	सचल औषधालय	193726	0	0	–
	कुल		34770146	49608752	38251685	5913137
कर्नाटक						
65.	आशीर्वाद करल डेवलपमेंट ट्रस्ट (आर), केएचबी कलोनी, जिला गुडीबंडे, कर्नाटक	10-बिस्तरों वाला अस्पताल	1616400	1616400	1616400	–
66.	भारती एजूकेशनल ट्रस्ट, ग्राम-पाथापल्ली, तालुका-बागेपल्ली, जिला-कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1605187	0	3320001	–
67.	डा. अम्बेडकर एजूकेशन सोसायटी नालकुदारे गोमाला, तालुका-चन्नगिरी, जिला-देवानगिरि, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1609404	1600170	1608570	–
68.	डा.जचानी राज्ट्रीय सेवापीठ 49, एच.बी.समाज रोड, बासवानगुडी, बंगलौर, कर्नाटक	गैर-आवासीय विद्यालय	537439	0	500000	1758064
69.	हरिहर ग्रामीण अभिवृद्धि संघ ग्राम-सिद्धगणहली, जिला-कोलार, कर्नाटक	सचल औषधालय	'685350	685350	883516	–
70.	कुमुदवती रूरल डेवलपमेंट सोसायटी 32, आर.आर. एक्सटेंशन, मधुगिरि-572132, जिला-टुमकुर, कर्नाटक	सचल औषधालय तथा गैर-आवासीय विद्यालय	2275020	.0	4929340	–
71.	नायक स्टूडेंट फेडरेशन गोकाक, बेलगांव, कर्नाटक	प्राथमिक आवासीय विद्यालय	1016604	0	0	–
72.	प्रगति रूरल डेवलपमेंट सोसायटी ग्राम एवं पोस्ट-गेराहल्ली, तालुका-चिकबालपुर, जिला-कोलार, कर्नाटक	छात्रावास	1219590	0	2961360	–
73.	संत कबीरदास एजूकेशन सोसायटी, सेदाम रोड, जगत, गुलबर्गा, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1604470	1739470	1609470	–

1	2	3	4	5	6	7
74.	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था 4206/9, देवानगिरि, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	3165740	1483970	–
75.	श्री स्वामी सर्वधर्म शरणालय ट्रस्ट रंगपुरा, जिला-तुमकुर, कर्नाटक	गैर-आवासीय विद्यालय तथा सचल औषधालय	2575364	0	5162580	–
76.	श्री विनायक सेवा ट्रस्ट, काईवाडा, चिंतास्वामी-तालुक, जिला-कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1609470	0	3218940	–
77.	स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, कंचनहल्ली, शांति नगर पीओ, हेगादवदेनकोटी तालुक, जिला-मैसूर, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय (2), 10-बिस्तरों वाला अस्पताल (2) तथा सचल औषधालय	8568623	3897648	3619454	–
78.	विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र बी.आर. हिल्स, यालांदुर तालुक, जिला चामराजनगर, पिन-571441, कर्नाटक	सचल औषधालय, 10-बिस्तरों वाला अस्पताल तथा आवासीय विद्यालय	4535021	0	9410515	–
	कुल		29457942	12704778	40324116	1758064
केरल						
79.	मां अमश्तानंदमयी मठ अमृत भवन, पारीपल्ली, जिला-कोलाम पिन-691574 (केरल)	छात्रावास तथा 10-बिस्तरों वाला अस्पताल	0	0	1093835	2133896
80.	श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम ग्राम एवं पोस्ट-कलाडी, जिला-एरनाकुलम	छात्रावास	0	0	2195424	
81.	स्वामी निर्मलानंद मेमोरियल बालभवन कयामकुलम-690502, जिला-अल्पाप्पुझा, केरल	छात्रावास	0	927689	0	741114
82.	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, विवेकानंद नगर, मुठ्ठिल, जिला वयानाड, केरल	सचल औषधालय तथा 20-बिस्तरों वाला अस्पताल	0	4324516	0	2672027
83.	वनवासी कल्याण आश्रम ट्रस्ट ग्राम एवं पोस्ट-पेरिया-34, जिला-वयानाड, केरल	आवासीय विद्यालय	0	3005078	5361525	–
84.	विनोबा निकेतन ग्राम व पोस्ट-विनोबा निकेतन जिला-त्रिवेन्द्रम, केरल	छात्रावास तथा सचल औषधालय	2305217	2048138	2226451	–

1	2	3	4	5	6	7
85.	हरिजन सेवक संघ सबरी आश्रम, अकाथीथिरा, पालाक्कड़, तिरूवनंतपुरम, केरल	टंकण तथा आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र, छात्रावास तथा क्रेश (6)	326276	0	0	–
	कुल		2631493	10305421	10877235	5547037
मध्य प्रदेश						
86.	अन्नपूर्णा शिक्षा समिति ग्राम एवं पोस्ट-सेमोन खापरा (अचिल), जिला-मण्डला, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	0	1691565	0	–
87.	अमरपुर बाल विकास विद्यामंदिर, पो. अमरपुर, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	968490	0	2020590	–
88.	बंधेवाल शिक्षा समिति, 92, पुराना नारियल खेड़ा, भोपाल मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1773959	962490	962490	–
89.	बैहार नारी उत्थान सेवा महिला मंडल, बैहार, जिला बलूरघाट, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	0	0	563947	
90.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055 (मुख्यालय) धार, मध्य प्रदेश पर परियोजना	सचल औषधालय आवासीय विद्यालय तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	2303876	0	–
91.	हितश्री सामाजिक संस्था, एमआईजी-30/4बी, साकेतनगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	सचल औषधालय	608400	0	703872	–
92.	जन कल्याण आश्रम समिति, गांव सिद्धपुर (दोभ), पो.बो. सेमिरि, हरिचंद, तहसील बाबई, जिला हौशंगाबाद, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय	865123	1413168	0	–
93.	जीवन ज्योति शिक्षा प्रसार समिति सिंगापुर (सैल्या), मण्डला, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	557465	867749	0	–
94.	एम.पी. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति 166-ई. उज्जैन मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1642778	0	3340676	–
95.	एम.पी. वनवासी सेवा मंडल, तिकारिया, जिला डिंढोरी, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	1159851	0	2368215	–

1	2	3	4	5	6	7
96.	पुष्पा कांवेन्ट शिक्षा समिति, सी-537-538, पुज़्पा नगर कॉलोनी, भोपाल-462010(म.प्र.)	गैर-आवासीय विद्यालय	1557868	0	1936980	–
97.	रामा एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी वरियालखेड़ा, भोपाल मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	957690	962490	962490	–
98.	सेवा भारती, स्वामी रामतीर्थ नगर, मैदा मिल्ला के पास, हौशंगाबाद रोड, भोपाल-462011, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय (2), कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (2) तथा छात्रावास (2)	1549376	2597849	0	–
99.	स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन शिक्षा समिति, युवराज क्लब, कैंट रोड, गुना मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	0	620392	1906913	–
100.	युवक कल्याण सेवा प्रशिक्षण संस्थान, गांव रागरी (ठोका), अनंगगांव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय (माध्यमिक)	977418	0	3400661	–
	कुल		12618418	11419529	18166834	0
महाराष्ट्र						
101.	देवोनिल शिक्षण प्रसारक मंडल, चंदरपुर, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	0	1561145	–
102.	धर्मास्वामी महर्षि श्री संत गुलाबराव महाराज वोरकारी एवं विकास शिक्षण संस्था, पो. कारला, जिला अमरावती, महाराष्ट्र	10-बिस्तरों वाला अस्पताल तथा सचल औषधालय	0	2470541	1602900	–
103.	जयसिंह मित्र मंडल कोल्हा, जिला-फूलबनी, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय	0	2354580	0	–
104.	खांडेराव एजूकेशन सोसायटी, बसार, जिला-धुले, महाराष्ट्र	गैर-प्राथमिक आवासीय विद्यालय तथा आवासीय विद्यालय	3169050	0	6946290	–
105.	रेनूका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, कुकाणे, मालेगांव महाराष्ट्र	गैर-प्राथमिक आवासीय विद्यालय	0	2561468	961290	–
106.	सार्थक शिक्षण प्रसारक समाज, मालरगांव केम्प, तालुक मालेगांव, नासिक, महाराष्ट्र	गैर-प्राथमिक आवासीय विद्यालय	556574	0	0	–

1	2	3	4	5	6	7
107.	शिव कृपा ग्रामीण ट्राइबल बहुउद्देशीय संस्थान, वार्ड नं.11, चमोरसी रोड, गढ़चिरोली, महाराष्ट्र	सचल औषधालय	0	706950	0	–
108.	शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल, जलगांव, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	2439754	0	3157269	–
109.	श्री कन्हैयालाल महाराज टन्स्ट, सामोडे, तालुक साकरी, जिला धुले, महाराष्ट्र	प्राथमिक आवासीय विद्यालय	2564685	0	0	–
110.	श्री सांइनाथ एजूकेशन सोसायटी, प्रतापपुर, तालुक तालोडा, नंदुरबार (महाराष्ट्र)	छात्रावास	2088661	1219590	1216290	–
111.	श्री स्वामी स्वंय सेवा भावी संस्था, गनेशपुर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	2606526	1771921	1614870	–
112.	सिद्धकला शिक्षण प्रसारक मंडल, नंदगांव, तालुक नंदगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र	प्राथमिक आवासीय विद्यालय	1777770	1554270	1620270	–
113.	उज्जवल रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, पो. नेवादे, जिला धुले, महाराष्ट्र	छात्रावास	0	1202040	2439180	–
114.	यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, निकट राधिका होटल, विष्णुवाड़ी, बुल्दाना, महाराष्ट्र	10-बिस्तरों वाला अस्पताल	0	3150815	1616400	–
115.	काई थानगुबी शंकर दिओरे देवाभावी संस्था, सोदाने, नवनाथ नगर, तालुक-मालेगांव, जिला-नासिक, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय	0	1939118	0	–
116.	चंदराई महिला मंडल, पो. पिम्पाल्नर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1609470	1609470	1609470	–
117.	तापी परिसर एजुकेशनल एंड कल्चरल टन्स्ट, नेवादे, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय			1559070	–
	कुल		16812490	20540763	25904444	0
मणिपुर						
118.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापुर स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055 (इम्फाल, मणिपुर शाखा)	छात्रावास तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	0	972198	–

1	2	3	4	5	6	7
119.	चिलचिल एशियन मिशन सोसायटी कांगलाटांबी, मणिपुर	छात्रावास	1948950	1178550	1762830	–
120.	क्रिस्टियन ग्रॉमर स्कूल (चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर), ग्रीन हिल्स, तामेंगलांग, मुख्या, पिन-795141 मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	1145340	3017250	–
121.	इन्टीग्रेटेड एजूकेशनल सोशल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन (आईइएसडीओ) इम्फाल पूर्वी, मणिपुर	गैर-आवासीय विद्यालय	1146690	0	2417580	–
122.	इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजूकेशनल आर्गेनाइजेशन वांगबाल, पोस्ट-थाउ बाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय (2 इकाई)	3551262	0	7438544	–
123.	रूरल एजूकेशन एण्ड सोशियो इकोनामिक डेवलपमेंट आगेनाइजेशन (आरइएसइडीओ), थांगा टोंगब्राम, लीकाई, बीपीओ थांगा, जिला-विष्णुपुर, मणिपुर	गैर-आवासीय विद्यालय	469125	0	2380905	–
124.	सियामसिनपाल्पी (पैंइटे स्टूडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन) एसएसएसपी कॉम्प्लैक्स, बुंग्नुआल, पो.बो. 99 जिला लमका, पिन-795128 मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	12283530	6218685	–
125.	टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	2610450	0	3389040	–
126.	सोसायटी फॉर वीमेन एजुकेशन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन (एसडब्ल्यूइएआर), अथोकपाम खुनोउ, पो. थोउबाल, मणिपुर	सचल औषधालय	383670	0	1737180	–
127.	यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस (यूआरडीएस), मुख्या, हीरोक हैइतुप्पोकपी, जिला-थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	1545120	0	3304890	–
128.	वालंटियर्स फॉर रूरल हेल्थ एण्ड एक्शन (वीओआरएचए), लैमडिंग, वैजिंग, मणिपुर	सचल औषधालय तथा टंकण तथा आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	0	222480	2463390	–

1	2	3	4	5	6	7
129.	टीयर फंड इंडिया कमेटी ऑन रिलीफ एण्ड रिहेबिलेशन सर्विस (टीएफआईसीओआरआरएस), चिमतुंगवेंग, डोरक्रॉस रोड, न्यू लमका, जिला च्राचन्द्रपुर, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	0	5018307	–
	कुल		11655267	14829900	40120799	0
मेघालय						
130.	आर.के.मिशन, पी.ओ. बॉक्स-9, शिलांग, मेघालय	छात्रावास, सचल औषधालय तथा पुस्तकालय (2 इकाई)	1658730	773851	1657730	–
131.	आर.के.मिशन आश्रम, चेरापूंजी, जिला-ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	एलपी तथा एमई/ माध्यमिक (62 इकाई) विद्यालय, छात्रावास तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	53004425	47571343	60267890	–
132.	सेवा भारती, शिलांग, मेघालय	सचल औषधालय (2) तथा आवासीय विद्यालय	0	773851	0	–
	कुल		54663155	49119045	61925620	0
मिजोरम						
133.	मिजोरम हिमेथाई एशोसिएशन, अपर रिपब्लिक रोड, आईजोल, मिजोरम	आवासीय विद्यालय तथा सचल औषधालय	4085899	1684590	1733670	–
134.	सोशल गाइडेंस एजेंसी, तुईक्वल, आइजोल, मिजोरम	सचल औषधालय	0	1139936	686166	–
	कुल		4085899	2824526	2419836	0
नागालैण्ड						
135.	दयानंद सेवाश्रम संघ, दिमापुर, नागालैण्ड, (अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली का एक उपक्रम) (मुख्या.) नहारबाई, जिला दीमापुर, नागालैण्ड पर परियोजना	छात्रावास	0	730192	1531530	
136.	ग्रेस सोसायटी, मोकोकचुंग, नागालैंड	छात्रावास	383039	0	0	–

1	2	3	4	5	6	7
137.	नागालैंड चिल्डन्न होम, दीमापुर, नागालैंड	छात्रावास	0	827542	1828486	–
	कुल		383039	1577734	3360016	0
दिल्ली						
138.	भारत सेवाश्रम संघ (दिल्ली) श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र तथा छात्रावास	885182	893745	0	–
139.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापू स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055	छात्रावास तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	2313978	0	0	–
	कुल		3199160	893745	0	0
उड़ीसा						
140.	आदिवासी सोशल एण्ड कल्चरल सोसायटी, ग्राम एवं पोस्ट-कुचिण्डा, जिला-सबलपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	3135319	1613346	–
141.	अम्बेडकर एजुकेशनल काम्पलेक्स नीलाद्री विहार, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	छात्रावास	0	2370060	1185030	–
142.	अरूण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, ग्राम-अश्वखोला, पोस्ट-कारामुल, जिला-ढेंकानॉल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1620270	1620270	1620270	–
143.	एशोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन, दीमापुर, जिला पुरी, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1825470	1804255	1785997	–
144.	बनवासी सेवा समिति, पो. बालीगुडा, जिला-कांधामल, पिन-762103 उड़ीसा	छात्रावास	0	1177984	0	–
145.	बांकी आंचलिक आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, कटक, उड़ीसा	छात्रावास तथा क्रेश केन्द्र (5 इकाई)	1219590	2644740	0	1219590
146.	भैरवी क्लब, कुंवरपाड़ा, जिला-खुर्दा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	3240540	1610270	–
147.	कटक जिला हरिजन आदिवासी कल्याण योजना, हलादीबसता, बंसता जिला-केण्डरपारा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1607700	1609470	0	–

1	2	3	4	5	6	7
148.	ग्लोबल विलेज फॉर रिहैबिलिटेशन एण्ड डेवलपमेंट, उदूलीबेडा, जिला-मलकानगिरि, उड़ीसा	सचल औषधालय	337583	1353707	0	–
149.	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (केआईएसएस), कोल कैम्पस, केआईआईटी, भुवनेश्वर उड़ीसा	आवासीय विद्यालय (प्राथमिक तथा माध्यमिक)	11509740	11548620	0	35521590
150.	नेहरू सेवा संघ बांगपुर, जिला-खुर्दा, उड़ीसा	छात्रावास	1594103	1617525	1617525	–
151.	निखिल उत्कल हरिजन सेवक संघ नीलाद्री विहार, सलाश्री विहार, भुवनेश्वर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय (माध्यमिक)	2352822	1943866	2310345	–
152.	उड़ीसा सर्वोदय परिषद, सर्वोदय आश्रम, पो. न्यूपाड़ा, जिला न्यूपाडा, उड़ीसा-766105	छात्रावास	0	2370060	0	–
153.	उड़ीसा सोशल रूरल टेक्नॉलोजी इंस्टीट्यूट, कटक, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय (माध्यमिक)	0	3586140	1793070	–
154.	आर.के.मिशन विवेकानंद मार्ग, भुवनेश्वर, उड़ीसा	छात्रावास तथा पुस्तकालय	1081980	988740	999765	–
155.	आर.के.मिशन, पुरी, उड़ीसा	छात्रावास, सचल औषधालय तथा टंकण तथा आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	2089807	1740285	1740285	–
156.	रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत आश्रम, सरगलांजी, भवनीपटना, जिला कालाहांडी, उड़ीसा	सचल औषधालय	706950	706950	701535	–
157.	राष्ट्रीय सेवा समिति 9, ओल्ड हुजूर आफिस बिल्डिंग, तिरूपति, आंध्र प्रदेश (मुख्या.) पाडवा, जिला कोरापुट, उड़ीसा पर परियोजना	उड़ीसा में सचल औषधालय	706950	0	571910	–
158.	सेवा समाज गुनपुर, जिला-रायगाड़ा, उड़ीसा	छात्रावास	0	1968706	1212315	–
159.	श्री आर.के.मिशन आश्रम रामपुर, कालाहांडी, उड़ीसा	छात्रावास, कृषि एवं संबद्ध विषय में प्रशिक्षण तथा सचल औषधालय	5395185	5699930	5649322	–

1	2	3	4	5	6	7
160.	सोशल वीकर अवेयरनेश डेवलपमेंट एण्ड इकोनामिक सर्विस (स्वदेशी), गोपाल बंधु नगर, फूलबनी, जिला-कांधामल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	1579230	1579230	1578830	–
161.	विश्व जीवन सेवा संघ सरदारपुर, जिला-खुर्दा, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2020820	2143170	2065545	–
162.	भारत सेवाश्रम संघ (जमशेदपुर शाखा), सोनारी (पश्चिम), रिवर्स मीट रोड, पूर्वी जमशेदपुर, पिन-831011 झारखण्ड (मुख्यालय)	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (2 इकाई), 10-बिस्तरों वाला अस्पताल तथा हथकरघा प्रशिक्षण केन्द्र	6287019	0	16281487	1200192
163.	लक्ष्मी नारायण सेवा प्रतिज्ठान, मनसपोल, जिला जयपुर, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	2587311	1609470	0	–
164.	व्यक्ति विकास केन्द्र, इंडिया, 31, सैक्टर-1, रोमकेला, जिला सुदरगढ़, उड़ीसा	सचल औषधालय	196680	837789	0	–
165.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापुर स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055 (मुख्यालय) सरत, सुबुदिबंध, चन्दरपुर, जिला मयूरभंज, उड़ीसा जिलों में परियोजना	छात्रावास	0	0	2407804	–
166.	सोशल वेल्फेयर एण्ड रूरल डेवलपमेंट (एसडब्ल्यूएआरडी), बालीजोरंदा, पो. बैनरिया, वाया-महिनागढ़ी, जिला धेनकनाल, उड़ीसा	आवासीय विद्यालय	0	4105298	2008228	–
	कुल		44719210	61402124	48752879	37941372
राजस्थान						
167.	वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली, जिला-टॉक, राजस्थान	अंडमान तथा निकोबार सहित पूर्वोत्तर की अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए वजीफा	0	0	2876020	–
168.	जनजाति महिला विकास संस्थान सवाई माधोपुर, राजस्थान	छात्रावास	686070	0	0	–
169.	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति उदयपुर, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	0	3090237	1577405	–

1	2	3	4	5	6	7
170.	श्रद्धालय आश्रम समिति सूरजपोल, कोटा, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	2564280	1594470	1609470	–
	सिक्किम	कुल	3250350	4684707	6062895	0
171.	ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ सिक्किम, योगने, गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय तथा छात्रावास	0	6901380	2602665	–
172.	मुयाल लियांग टन्स्ट योंगड़ा हिल्स, डी.पी.सी.ए. गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय	2074320	4381966	3261488	–
	कुल		2074320	11283346	5864153	0
तमिलनाडु						
173.	न्यू लाइफ एजेंसी फॉर ट्राइबल पीपुल अपलिफ्टमेंट (एनएटीपीयू), जिला-वेल्लोर, तमिलनाडु-632009	छात्रावास	1395605	1120467	0	1112443
174.	ग्रामीण मक्कल अबीविरूदी इयाक्कम (जीएमएआई), पूंथोट्टम, पो. कोयम्बटूर, तमिलनाडु	10-बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय	0	5638850	0	2330550
175.	साउथ इंडिया शडयूल ट्राइब्स वेलफेयर एशोसिएशन, साइदापेट, साइदापेट, तमिलनाडु	आवासीय विद्यालय	0	0	3173440	
	कुल		1395605	6759317	3173440	3442993
त्रिपुरा						
176.	आर.के.मिशन विवेकनगर, त्रिपुरा	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, छात्रावास तथा जल संघ	1445765	0	0	–
177.	बहुजन हिताय एजुकेशन ट्रस्ट, पो. बिशनुपुर, मानी बैंकुट, सबरूम, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	0	2589750	3164940	–
178.	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति, सलकामा, 9/4, कृष्णानगर, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	0	3198095	1709430	–
179.	व्यक्ति विकास केन्द्र, भारत, श्रीराम कुटिर, आठवां थाना रोड, बनामालीपुर, अगरतला, त्रिपुरा	सचल औषधालय	0	796884	0	–
	कुल		1445765	6584729	4874370	0

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश						
180.	सर्वेन्ट ऑफ इंडियन सोसायटी, 846, शिवाजी नगर, पुणे, पिन-411001, महाराज्ट्र (मुख्या.) लखीमपुर पर परियोजना	छात्रावास (4 इकाई) तथा आवासीय विद्यालय	1873172	1808293	3918321	–
181.	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 7-ई. झंडेवाला एक्सटेंशन, रानी झासी रोड, नई दिल्ली (मुख्या.) लखीमपुर खेरी तथा बलरामपुर पर परियोजना	सचल औषधालय तथा छात्रावास	925191	0	1564899	1786481
	कुल		279363	1808293	5483220	1786481
उत्तराखण्ड						
182.	अशोक आश्रम ग्रामएवं पोस्ट-अशोक आश्रम, वाया-डाक पत्थर, जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड	आवासीय विद्यालय	1734097	0	5135048	–
183.	महिला ग्रामीण उत्थान समिति दीवान निवास, जिला परिषद भवन, तिदुक्कड़ी, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	1039320	1609470	1609470	–
184.	सीमांत अनुसूचित जाति एवं जनजाति सेवा संस्थान, उत्तराखण्ड	आवासीय विद्यालय	2192328	0	1038990	1046790
185.	समय ग्रामीण विकास समिति, पी.ओ. ग्वालादान, जिला चमोली, उत्तरांचल	सचल औषधालय	401598	595278	1413900	–
186.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, कालसी, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड	छात्रावास	0	2287845	0	–
187.	सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसायटी, पुणे, महाराष्ट्र (मुख्या.) बाजपुर, उत्तराखण्ड पर परियोजना	छात्रावास तथा आवासीय विद्यालय	1139832	0	2136985	–
188.	बालिका आश्रम टाइप स्कूल, ऊधम सिंग नगर, उत्तराखण्ड		0	0	0	–
	कुल		6507175	4492593	11334393	1046790
पश्चिम बंगाल						
189.	भारत सेवाश्रम संघ, (औरंगाबाद), पो. औरंगाबाद, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास तथा सचल औषधालय	2058300	2788830	2749454	–

1	2	3	4	5	6	7
190.	भारत सेवाश्रम संघ (बलुरघाट), बलुरघाट, जिला दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास (6 इकाई), पुस्तकालय तथा सचल पुस्तकालय-सह-दश्श्य श्रश्व्य इकाई	6943100	6943100	6919055	3467800
191.	भारत सेवाश्रम संघ (बेलडंगा), बेलडंगा, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय (2 इकाई), सचल औषधालय, 10-बिस्तरों वाला अस्पताल तथा टंकण आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	10762310	12013689	11703366	–
192.	भारत सेवाश्रम संघ (मुलूक) वाया बोलपुर, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय, (2 इकाई) तथा बुनाई/ कताई तथा हतकरघा	3787615	3695859	3695858	1847929
193.	भारत सेवाश्रम संघ (सुरी), जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	छात्रावास तथा सचल औषधालय	1397025	1891890	1833300	914650
194.	भारत सेवाश्रम संघ (डोकरा) गांव+पो.डोकरा, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय तथा आवासीय विद्यालय	4976896	1207963	3312890	–
195.	भारत सेवाश्रम संघ (फरक्का) बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	721755	721755	0	721755
196.	भारत सेवाश्रम संघ पो. बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	721755	721755	540566	180189
197.	भारत सेवाश्रम संघ, (घाकसोल), घाकसोल यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय तथा छात्रावास	1727550	1627843	1682350	849375
198.	भारत सेवाश्रम संघ (हुगली), गांव पांजीपुरकुमर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल	छात्रावास तथा पुस्तकालय	0	2558700	1282050	–
199.	भारत सेवाश्रम संघ (रंघाट-पायरडंगा शाखा), ग्राम कुसुरिया, पो. प्रीतिनगर, जिला नाड़िया, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, टंकण तथा सचल औषधालय	2954033	0	3304982	–
200.	भारत सेवाश्रम संघ (पुरूलिया), पो. रघुनाथपुर, पो./जिला पुरूलिया, पश्चिम बंगाल	छात्रावास तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	6517748	1460272	–

1	2	3	4	5	6	7
201.	भारत सेवाश्रम संघ (रायगंज), रायगंज, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय	706950	706950	706950	353475
202.	भारत सेवाश्रम संघ (ताजपुर), ताजपुर यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय तथा छात्रावास	1422225	1353010	740050	1965273
203.	भारत सेवाश्रम संघ (टियोर) गांव साहपुर, पो. टियोर, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय तथा छात्रावास	2102200	2102200	2102200	1049100
204.	भारत सेवाश्रम संघ (कुनोर), गांव/पो. कुनोर, जिला उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	1185030	1185030	1185030	592515
205.	विकास भारती वेलफेयर सोसायटी, 20/1 बी, लाल बाजार स्ट्रीट, कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल (मुख्या.) गोपिबल्लावपुर-II, जिला मिदनापुर पर परियोजना	सचल औषधालय	390870	1370700	0	685350
206.	बिरसा मुंडा एजूकेशन सेंटर ग्राम-क्रांति, पोस्ट-क्रांतिहाट, जिला-जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	3282930	2988630	2988630	–
207.	गोहालडिहा जाति उपजाति ब्लू बर्ड महिला कल्याण केंद्र गोहालडिहा, जिला-मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	2459520	2459520	2459520	–
208.	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एशोसिएशन, बुद्ध केंद्र, सालूगाड़ा, पश्चिम बंगाल-734318	गैर-आवासीय विद्यालय	1541970	957690	0	941490
209.	खालिसगडिहा सोसायटी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट खालिसगडिहा, जिला-मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	4196494	2328309	0	–
210.	प्रणब कन्या संघ, प्रणबपाली, पोस्ट-कोरा चण्डीगढ़ मध्यमग्राम, जिला-नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल 743298	छात्रावास	0	695978	721755	721755
211.	आर.के. मिशन ब्वायज होम, रहारा, जिला नोर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल	छात्रावास-सह-आवासीय विद्यालय	1600470	1358910	1704330	–
	कुल		54938998	58196059	51092608	14290656
	कुल योग		593989685	465499574	526092203	88091951

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग की योजना के तहत निर्मुक्त अनुदान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विश्वविद्यालय/निजी संस्थानों के नाम	2008-09 लाख में	2009-10 लाख में	2010-11 लाख में	2011-12 (09.08.2011 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	छत्तीसगढ़	कैरियर प्लस एजूकेशनल सोसायटी, 302-ए-37-38-39, अंसल बिल्डिंग, तीसरा तल, बत्रा सिनेमा के पास, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 (छत्तीसगढ़ के लिए)	55.01	41.41	0.00	–
		दिल्ली एजुकेशन सेंटर, 28ए/11, जीआ सराय, आईआईटी के पास, हौज खास, दिल्ली-110016 (छत्तीसगढ़ के लिए)	17.75	0.00	0.00	–
2.	दिल्ली	चाणक्य एकेडमी, दिल्ली	0.00	0.00	0.00	–
		कैरियर प्लस एजूकेशनल सोसायटी, 302-ए-37-38-39, अंसल बिल्डिंग, तीसरा तल, बत्रा सिनेमा के पास, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 (दिल्ली के लिए)	24.06	38.41	0.00	
		दिल्ली एजुकेशन सेंटर, 28ए/11, जीआ सराय, आईआईटी के पास, हौज खास, दिल्ली-110016 (दिल्ली के लिए)	18.00	14.62	2.81	
3.	झारखण्ड	झारखण्ड विकास संस्थान, एल-104,	0.00	10.50	12.8	–
		अग्रोरा हाउसिंग कालोनी, रांची, झारखण्ड निखिलेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड मैनेजमेंट (एनआईबीएम), 210, हरिओम टावर, सर्कुलर रोड, रांची, झारखण्ड	0.00	4.20	0.00	5.13
		हंस स्टडी सेंटर, 76 सर्कुलर रोड, रांची, झारखण्ड	0.00	10.95	13.4	–
4.	केरल	सेशन्स एकेडमी पतोम, तिरूअनंतपुरम, केरल	0.00	0.00	0	10.32
5.	महाराष्ट्र	एमटी एजुकेयर प्रा.लि. 2201, दूसरा तल, फ्लाइंग कलर्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, एलबीएस क्रोस रोड के सामने, मुलुंद (पश्चिम), मुम्बई, महाराष्ट्र	0.00	0.00	9.8	9.80
6.	मणिपुर	वॉलिंटियर्स फॉर रूरल हैल्थ एण्ड एक्शन (वीओएचआरए), मुख्यालय लामदोंग, जिला थाउबाल, मणिपुर	0.00	6.20	14.9	–
		कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंटर, एमआई रोड, थाउबाल, अछौबा, जिला थाउबाल, मणिपुर	0.00	0.00	6.1	3.00

1	2	3	4	5	6	7
7.	मध्य प्रदेश	क्रेस्तर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी, दूसरा तल, यमनोत्री अपार्टमेंट 96, नेहरू कालोनी, थाटीपुर, ग्वालियर, पिन 474011 मध्य प्रदेश	0.00 0.00	11.00 8.60	13.00 0.00	–
		कोठारी इंस्टीट्यूट, 7, शिवविलास पैलेस, रजवाड़ा चौक, इंदौर, मध्य प्रदेश कुंदन कल्याण समिति, (कौटिल्य एकेडमी), बिरला नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश				
		सोशियली एडवांस्ड हैल्प ऐज रिजोल्वर एसोसिएशन, नैपियर टाउन, जबलपुर, मध्य प्रदेश				
		जवाहर लाल नेहरू चैरिटेबल ऐजुकेशनल ट्रस्ट, वी. बोरावान, दी कसारवाड, जिला खरगौन, मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	
8.	उड़ीसा	अभिनव उड़ीसा एफ/573, सेक्टर-5, सीडीए, कटक-14, उड़ीसा	22.83	0.00	0.00	
		सोशल वेल्फेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्ट्रेन्थनिंग टूडेयज इंडिया (एसडब्ल्यूओएसटीआई), पो. झारपोखरिया, जिला मयूरभंज, उड़ीसा	0.00	9.32	12.7	
9.	राजस्थान	एनएसए कृषि समिति, डी-23, जागन पथ, चौमू हाउस, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-30200, राजस्थान	15.50	13.10	0.00	–
		उत्कर्ष विकास समिति, 265 विश्व कर्मन नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, राजस्थान	15.50	12.98	13.16	–
		बी.एल. सैनी कोचिंग सेंटर, टॉक फाटक, जयपुर, राजस्थान-302018, राजस्थान	28.89	24.37	0.00	25.17
		सन सिस्टम ऑफ इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी, 53 तेज मंद, सदर थाना रोड, अलवर, अलवर, राजस्थान	0.00	9.08	0.00	–
10.	त्रिपुरा	स्कूल ऑफ साइंस, कुंगाबान, जिला पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा	0.00	9.00	0.00	–
11.	पश्चिम बंगाल	नोर्थ बंगाल सुखांता पाली फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इन्वायरोनमेंट, पौल भवन, शिवमंदिर, पो. कदमताला, जिला दार्जलिंग, पश्चिम बंगाल	0.00	9.00	2.3	–
		कुल	260.88	300.00	152.74	53.42

"कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण" की योजना के तहत वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान निधि पोषित संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	एनजीओ/स्वैच्छिक संगठनों के पते सहित नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (09-08-2011 तक)
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
1.	आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर आश्रम एण्ड रेजीडेंसियल एजूकेशन इंस्टीट्यूटशन सोसायटी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) (31 इकाई)	189418110	173912250	159306090	–
2.	चैतन्य एजूकेशनल एण्ड रूरल डेवलपमेंट, जिला-कुडप्पा, आंध्र प्रदेश	699000	1362000	0	;
3.	नवोदय इंटीग्रेशन कल्चरल सोशल एजूकेशन एंड वॉलेंटरी एक्शन, कुरनूल, आंध्र प्रदेश	0	0	0	–
4.	सरोजनी देवी हरिजन महिला मंडली 10/11/635, बुरहानपुर, जिला-खम्माम, आंध्र प्रदेश	867000	0	0	–
	कुल	190984110	175274250	159306090	0
अरूणाचल प्रदेश					
5.	भारत सेवाश्रम संघ, लखरा रोड, काहिलीपाडा, गुवाहाटी, असम (मुख्या.) पक्के कसांग, जिला पूर्वी कामेंग, अरूणाचल प्रदेश पर परियोजना	375000	2204200	0	1772257
6.	विवेकानंद केंद्र विद्यालयाज अरूणाचल प्रदेश ट्रस्ट, बैंक तिनाली, ईटानगर-791111, अरूणाचल प्रदेश (सेइजोसा, जिला पूर्वी कामेंग, अरूणाचल प्रदेश पर परियोजना) छात्रावास परियोजना	0	0	750000	–
7.	विवेकानंद केंद्र विद्यालयाज अरूणाचल प्रदेश ट्रस्ट, बैंक तिनाली, ईटानगर-791111, अरूणाचल प्रदेश (ताडु दोबली, पो. जिरो, जिला और सुबन श्री), अरूणाचल प्रदेश, छात्रावास परियोजना	0	0	472500	–
	कुल	375000	2204200	1222500	1772257
छत्तीसगढ़					
8.	विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ एण्ड वेल्फेयर सर्विस, नारायणपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़	3913218	2893762	3491440	–
	कुल	3913218	2893762	3491440	0
गुजरात					
9.	गुजरात स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट रेजिडेंशियल एजूकेशन	38708400	0	1500000	–

1	2	3	4	5	6
	इंस्टीट्यूट सोसायटी (जीएसआईटीडीआरआईएस), बिरसा मुंडा भवन, गांधीनगर (36 यूनिट)				
10.	लोक निकेतन, रतनपुर, तालुक पालनपुर, जिला बंसकांथा, गुजरात पिन-385001	1352200	2821147	2650773	2810776
11.	श्री सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट, सनाली, तालुक-दंता, जिला बनासकांथा, गुजरात	508000	971758	1204410	739188
	कुल	40568600	3792905	5355183	3549964
झारखण्ड					
12.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली (मुख्या.) लम्बाई पर परियोजना	0	1134600	0	–
13.	झारखंड विकास संस्था. एल-104, अरगारा हाउसिंक कॉलोनी, रांची झारखण्ड	375000	0	2335999	–
	कुल	375000	1134600	2335999	0
कर्नाटक					
14.	कर्नाटक रेजीडेंशियल एजुकेशनल सोसायटी, कर्नाटक (गुरूगुंटा, हसकुरमाला, काक्केरा हथीकुनी तथा सागर जिले में 5-शैक्षिक परिसर)	0	0	0	–
	कुल	0	0	0	0
मध्य प्रदेश					
15.	आदर्श लोक कल्याण संस्था, जे.आर. बिरला रोड, नियर ज्ञान मंदिर, हाईयर सेकेंडरी स्कूल, सतना, मध्य प्रदेश (2-शैक्षिक परिसर)	8184086	0	11742275	–
16.	आम ग्रामीण उत्थान समिति, सी.एस.ए. मार्ग, राणापुर जिला-झाबुआ, मध्य प्रदेश	212500	0	2285378	–
17.	बंधेवाल शिक्षा समिति, 92, ओल्ड नारियल खेड़ा, भोपाल, मध्य प्रदेश	4536700	3086700	2954200	
18.	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, ग्राम-तिकिरया, जिला-डिंडोरी, मध्य प्रदेश (2-शैक्षिक परिसर)	750000	0	9223300	–
19.	मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेजीडेंशियल एण्ड आश्रम एजूकेशनल इंस्टीट्यूट सोसायटी, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश	14889200	0	0	–
20.	मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ, 166-ई. मुनिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश	2892100	0	4542741	–

1	2	3	4	5	6
21.	पुष्पा कान्वेंट एजुकेशनल सोसायटी, पुष्पा नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	3472830	0	4992860	;
22.	पाण्डेय शिक्षा समिति, ग्राम बमराहा, सतना, मध्य प्रदेश	0		7131000	;
23.	राजेंद्र आश्रम टन्स्ट, काठीवाड़ा, झबुआ, मध्य प्रदेश	2548400	0	2561772	2561772
24.	रूरल डेवलपमेंट सर्विस सोसायटी, सिलवानी, मध्य प्रदेश	0	0	0	;
25.	सव्य सांची सेंटर फोर अरबन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, अमर निकुंज, अर्जुन नगर, सिधि, जिला सिधि, पिन-48661 मध्य प्रदेश	0	5410639	10689078	–
26.	सेवा भारती, भोपाल, मध्य प्रदेश	0	0	0	
27.	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम, माई की बगिया, अमरकंटक, जिला अनुपुर, पिन-484886, मध्य प्रदेश	2039693	0	838053	–
28.	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 7-ई. रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली (मुख्या.) सतना, मध्य प्रदेश पर परियोजना	0	1080000	0	–
29.	ग्रामीण सेवा केन्द्र, मंडलीनाथु, तहसील रानापुर, जिला झाबुआ, पिन-457993 मध्य प्रदेश	0	1845950	4015758	–
30.	मध्य प्रदेश आदिवासी सेवक संघ, जिला शहदौल, मध्य प्रदेश	0		15927000	;
	कुल	39525509	11423289	76903415	2561772
महाराष्ट्र					
31.	संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वड्गांव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र	0	2770400	5144400	;
	कुल	0	2770400	5144400	0
उड़ीसा					
32.	अरूण इंस्टीट्यूट आफ रूरल अफेयर्स, अस्वखोला, पो. करमुल, जिला धेनकाना, उड़ीसा	3428718	3071700	3681150	–
33.	ब्राइट कैरियर एकाडमी, डोलामंडप, चंदनबाद क्षेत्र, पो. जैपोर, जिला कोरापुत, उड़ीसा पिन-764001	2853444	3201256	3002000	–
34.	जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एसोसिएशन (जीआईटीए), ब्रह्मणपाद, जिला कंधामल, उड़ीसा	3063000	0	0	–
35.	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, उत्कल ब्रांच,	459963	1206695	0	1689728

1	2	3	4	5	6
	पीओ. सत्यभामपुर, जिला गोपालवाड़ी, पिन-754200, जिला रायगाडा, उड़ीसा				
36.	कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन, लिंगराज नगर, पो. जैपोर, जिला कारोपुत, उड़ीसा	3136700	3345795	3712500	–
37.	लिबरेशन एजुकेशन एण्ड एक्शन फोर डेवलपमेंट (एलईएडी), जेपोर, ग्राम सुन्दरगढ़ जिला कोरापुल, उड़ीसा	3076700	2975027	3008828	–
38.	मर-म्यूनिंग आश्रम, औरबिन्दो नगर, कोरापुत, उड़ीसा	2446200	2246200	2246200	
39.	एनवाईएसएडीआरआई, ऐट-संथसारा, पो. संथापुर, जिला धेनकनाल, उड़ीसा	2706110	2732455	3170150	;
40.	उड़ीसा मॉडल ट्राइबल एजूकेशन सोसायटी (ओएमटीइएस), भुवनेश्वर, उड़ीसा	82527800	78408342	76424178	;
41.	प्रकल्प, ज्योतिपुर, जिला क्योंझर, उड़ीसा	4876400	3417760	3968420	
42.	सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसायटी, रायगाडा, जिला रायगाड़ा उड़ीसा	1336320	1196845	1398154	;
43.	सेवा समाज, जिला रायगाड़ा	0	3536400		2061027
44.	सोशल एजुकेशन फार एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट (सीड), एन-2/152, ग्राम-आईआरसी, नायपल्ली, भुवनेश्वर, उड़ीसा	2279990	2229990	2751100	–
45.	सोशल वेलफेयर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, ग्राम एवं पोस्ट-बैनसिया, (एसडब्ल्यूएआरडी), जिला-ढेंकानॉल, उड़ीसा	0	0	0	–
46.	सोसायटी फॉर नेचर, हेल्थ एण्ड एजूकेशन (एसएनइएच) प्लाट नं. एनडी-19-20, ग्राम आईआरसी, नयापाल्ली, वीआईपी एरिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा	0	6385250	6198720	–
47.	श्री रामाकृज्णा आश्रम, ग्राम एवं पोस्ट-बादारोहिला, जिला-आंगल, उड़ीसा	3094700	3128700	0	5113100
48.	टैगोर सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट, भुवनेश्वर, उड़ीसा	3064904	784736	0	
49.	सर्वोदय समिति, कोरापुट, पिन-764020 जिला कोरापट, उड़ीसा	1015037	6015800	2999100	;
50.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापुर स्मारक सदन, नई दिल्ली (मुख्यालय)	0	0	0	;

1	2	3	4	5	6
51.	होली होम, दियानमुंडा छाक (महाराज्ट्र), पो. तनवाट, जिला नौपाड़ा, उड़ीसा	0	0	782164	–
	कुल				
राजस्थान					
52.	जनजातीय महिला विकास संस्थान, अनुराग निवास, सवाई माधोपुर	119365986	123882951	113342664	8863855
53.	लोक भारतीय प्रतिज्ठान, बदकाई, पो. डुंगला, पिन-312402, जिला-चित्तौड़ राजस्थान	1247257	0	0	–
54.	महावीर जैन विद्यालय संस्थान उदयपुर, राजस्थान	0	0	0	–
55.	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, हिंसा, पो. भंडेर, उदयपुर राजस्थान	0	8535523	4288047	
56.	राजस्थान बाल कल्याण समिति, ग्राम/पो. झाडोल (फलसिया), जिला-उदयपुर, राजस्थान	3645320	3088120	4212800	
	कुल	4892577	11623643	8500847	
पश्चिम बंगाल					
57.	भारत सेवाश्रम संघ, बेलडांगा, जिला-मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल				
	कुल				
	कुल योग	400000000	335000000	375602538	16747848

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान निधि पोषित गैर सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	संगठन का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (09-08-2011 तक)
1	2	3	4	5	6
असम					
1.	डॉ. अम्बेडकर मिशन, कामरूप, असम	1410000	3000000	0	–
2.	ग्राम विकास परिषद, पो. जुमारमुर, जिला नागौन, असम	1398000	0	3120000	–
3.	पथारी वोकेशनल इंस्टीट्यूट, बार लाइब्रेरी, नागौन असम	1398000	2400000	0	–
	कुल	4206000	5400000	3120000	0

1	2	3	4	5	6
छत्तीसगढ़					
4.	जैमोलोजिकल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट, ओल्ड ब्युल्डिंग देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़	0	0	0	–
	कुल	0	0	0	0
गुजरात					
5.	सेवा-रूरल सोसायटी फॉर एजुकेशन वेल्फेयर एण्ड एक्शन गुमानदेव, गुमानदेव, पो. कपालसादी, तालुक झागडिया, जिला भारूच, गुजरात-393110	405000	0	0	–
	कुल	405000	0	0	0
कर्नाटक					
6.	श्री मंजुनाथ स्वामी विद्या संस्था, देवनगिरी	1398000	1940000	1108000	;
7.	अशोका ट्रस्ट फार रिसर्च इन इकोलॉजी एंड दि इनवायरनमेंट, नं. 659, 5वां "ए" मेन रोड, हेब्बल, बंगलौर, पिन-560024	0	0	0	–
		1398000	1940000	1108000	0
मध्य प्रदेश					
8.	अंकित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति विनय नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	0	0	0	–
9.	बंधेवाल शिक्षा समिति भोपाल	2820000	0	3120000	;
	कुल	2820000	0	3120000	0
महाराष्ट्र					
10.	प्रियदर्शिनी ग्रामीण एवं आदिवासी सेवाभावी संस्था, 1-दीपराज कॉम्पलैक्स, न्यू नगर रोड, संगमनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	0	0	0	–
	कुल	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
मेघालय					
11.	नोंग्रक्रेम यूथ डेवलपमेंट एशोसिएशन पी.ओ.-नांगक्रेम, वाया-मैडमरितिंग, शिलांग-793021	1398000	3288000	0	–
	कुल	1398000	3288000	0	0
नागालैण्ड					
12.	विटोले वूमन सोसायटी कोहिमा, नागालैण्ड	1716000	4686000	0	–
13.	वूमेन वेलफेयर सोसायटी जून्हेबोटो, नागालैण्ड	2796000	4686000	0	–
	कुल	4512000	9372000	0	0
तमिलनाडु					
14.	भरथियार मक्कल नलवालू संस्थानम 82, सन्यासी कुण्डू एक्सटेंसन, किचीपलायम, सलेम-636015	0	0	1446000	–
	कुल	0	0	1446000	0
	कुल योग	14739000	20000000	8794000	0

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पूर्व में आदिम जनजातीय समूहों पीटीजी के विकास की योजना के रूप में जानी गई) के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत एनजीओ को निर्मुक्त राशि को दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कार्यान्वयन एजेन्सी राज्यों/ एनजीओ के नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (09-08-2011 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	कैरियर प्लस एजूकेशनल सोसायटी, अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.000	0.000	184.000	–
2.	छत्तीसगढ़	1) विश्वास, नारायणपुर, जिला बसतर	0.000	10.696	7.486	–
		2) रामाकृष्णा मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला स्तर	0.000	6.893	5.330	–

1	2	3	4	5	6	7
3.	झारखण्ड	1) भारत सेवाश्रम संघ, सोनारी, जमशेदपुर	165.885	168.595	155.856	90.145
		1) भारत सेवाश्रम संघ, पाकुर, पश्चिम बंगाल	28.265	53.436	31.893	–
		3) भारत सेवाश्रम संघ, बाराजूरी, वाया घाटशिला, झारखण्ड	37.829	50.000	30.932	–
4.	कर्नाटक	1) स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, हंचीपुरा रोड, सारागुर, तालुक एचडी कोटे, जिला मैसारे-571121 कर्नाटक	19.275	20.474	0.000	–
5.	मध्य प्रदेश	1) बोंडेड लिब्रेशन फंड, नई दिल्ली (मुख्यालय)	0.000	0.000	0.000	–
		2) सेवा भारती, भोपाल	0.000	0.000	0.000	–
6.	महाराष्ट्र	महारोगी सेवा समिति, वरोड़ा (लोक बिरादरी प्रकल्प), हेमालकासा, पो. भामरगढ़, जिला गढ़चिरौली, पिन-442710, एम.एस.	0.000	28.194	27.772	–
7.	तमिलनाडु	नीलगिरी आदिवासी वेल्फेयर एसोसिएशन, कोटगिरी, नीलगिरी	52.870	61.663	77.581	–
		कुल योग	304.124	399.951	520.850	90.145

विवरण II

क्र.सं.	संगठन का नाम	की गई कार्रवाई
1.	जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एसोसिएशन (जीआईटीए) ब्राह्मण पद, जिला, कंधमाल, उड़ीसा	भविष्य के अनुदानों के लिए राज्य सरकार तथा काली सूची वाले गैर सरकारी संगठन के माध्यम से अनुदानों की रिकवरी के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संबंधित जिला कल्याणकारी अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया हैं।
2.	कैरियर प्लस एजुकेशनल सोसायटी, 302-ए-37-38-39, अंसल बिल्डिंग, तीसरा तल, नजदीक बत्रा सिनेमा, डॉ. मुखर्जी नगर, दिलली-09 (दिल्ली के लिए)	और आगे के अनुदान रोक लिये गए हैं।

एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत समाप्त तिथि पार कर चुकी दवाइयों का वितरण

2084. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अंतर्गत लोगों को समाप्त तिथि पार कर चुकी दवाइयों/औषधियों का वितरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत औषधियों का प्रापण और वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। यह उनके निजी योजना बजट से किए गए प्रापण और आपूर्ति के अतिरिक्त है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्री अपनी वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं में अपनी औषधियों की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औषधियों के प्रापण और वितरण को सरल और कारगर बनाने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों को तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड के पैटर्न पर स्वतंत्र प्रापण एजेंसी स्थापित करने की सलाह दी है। राज्यों को औषधियों की आपूर्ति और सम्भारतंत्र प्रबंधन की बेहतरी के लिए प्रापण प्रबंधन सूचना प्रणाली स्थापित करने के लिए भी सहायता दी गई है।

भारत सरकार एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत कुछ चुनिंदा कार्यक्रमों के लिए औषधियों, वैक्सीनों और गर्भ निरोधकों का प्रापण और आपूर्ति भी करती है। ऐसे सभी मामलों में निविदा शर्तों में यह निर्धारित हैं कि लदान के बाद उनकी कम से कम 5/6 भाग शेल्फ-लाईफ होनी चाहिए।

विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति किए जाने वाली कोयले की गुणवत्ता

2085. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करती है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सहित देश में विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की खराब गुणवत्ता के संबंध में सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) कोयला मंत्रालय द्वारा जारी नई कोयला वितरण नीति (एन.सी.डी.पी.) के कार्यान्वयन से कोल इंडिया लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलीयरीज कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा कोयले की आपूर्ति ईंधन आपूर्ति करार के माध्यम से मध्य प्रदेश पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड सहित उन पावर यूटिलिटियों के ताप विद्युत स्टेशनों को ही जानी होती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोयले की गुणवत्ता संबंधी प्रावधान निहित होते हैं।

विद्युत यूटिलिटीज तथा कोयला आपूर्तिकर्ताओं के बीच हुए अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार यूटिलिटीज द्वारा आयातित कोयले की गुणवत्ता की जांच की जा रही है।

(ग) से (ङ) मध्य प्रदेश सहित विद्युत संयंत्र प्राधिकारियों द्वारा कोयला कंपनियों के संबंध में शिकायतें की जाती हैं। शिकायतें मुख्यतः कोयले में बड़े आकार के पत्थरों, बोल्डरों, मिट्टी, कीचड़, बाह्य सामग्री के मिश्रण, ग्रेड स्लिपेज इत्यादि के विषय में होते हैं। पावर यूटिलिटियों द्वारा सी.ई.ए. को सूचित की गई शिकायतें कोयला कंपनियों तथा कोयला मंत्रालय के साथ उनके द्वारा उठाई जाती है। कोयला मंत्रालय के तत्वाधान में एक अंतर-मंत्रालयी उप-दल भी कोयला आपूर्ति तथा उसकी गुणवत्ता संबंधी समस्याओं की प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करता है तथा कोल इंडिया लिमिटेड पर इस बात के लिए जोर देती है। देश के ताप विद्युत स्टेशनों को आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतों के निवारण करें।

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी केन्द्रों में आरक्षण

2086. श्री कमल किशोर 'कमांडो': क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों/कामगारों/सहायकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को आंगनवाड़ी केन्द्रों में भर्ती करने में आरक्षण का प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसका कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों के द्वारा किया जाता है। पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के संबंध में समुदाय-वार सूचना सरकार नहीं रखती है।

(ख) से (घ) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं के चयन के लिए आई.सी.डी.एस. दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि वह स्थानीय समुदाय से एक महिला होनी चाहिए और स्थानीय समुदाय द्वारा स्वीकार्य होनी चाहिए। उसके चयन में विशेष सावधानी की जानी चाहिए ताकि अनुसूचित जाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। चूंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और आंगनवाड़ी सहायिकाएं अवैतनिक कार्यकर्त्री होती हैं और सिविल पद धारण नहीं करती हैं इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के विशिष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

उड़ीसा में आर.ए.पी.डी.आर.पी.

2087. **श्री लक्ष्मण टुडु:**
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनुमोदित स्कीम के अनुसार, निजी यूटिलिटियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पुनर्संरचित, त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-ए.पी.डी.आर.पी.) में शामिल नहीं किए जाते हैं। उड़ीसा में विद्युत वितरण का निजीकरण किया गया है और इसलिए आर-ए.पी.डी.आर.पी. में शामिल नहीं किया गया है।

नैदानिक जांच हेतु प्रायोगिक कार्यक्रम

2088. **श्री कादिर राणा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मरीजों के लिए सभी प्रकार की नैदानिक जांच कराने हेतु प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल करने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित ग्रामीण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग और आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली में उपकेन्द्र स्तर तक नैदानिक जांचें अर्थात ग्लूकोस्ट्रिप विधि द्वारा मधुमेह की जांच उपलब्ध होगी। इस कार्यक्रम को वर्ष 2010-12 के दौरान 21 राज्यों के 100 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

जनजातीय समुदायों की संख्या

2089. **श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के जनजातीय समुदायों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में जनजातीय समुदायों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) समुदायों को जनजातीय वर्ग में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जी,.हां।

(ख) देश में अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 342 के प्रावधान के अनुसार, सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समुदायों को शामिल करने, बाहर निकालने और अन्य आशोधन करने के लिए दावों का निर्धारण करने के लिए 15.06.1999 और 25.06.2002 को पुनः संशोधित की गई प्रविधियों का निर्धारण किया है। प्रविधियों के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों को, जिन्हें औचित्यपूर्ण दिखाया गया है और संबंधित राज्य सरकारों तथा भारत के महापंजीयक तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा संस्तुत किया गया है, पर विचार किया जाना होता है और विधान में संशोधन किया जाता है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	अनुसूचित जनजातियों की सं.	उपसमूहों/पर्यायों की संख्या	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	35	59	94
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	2	18
3.	असम	29	45	74
4.	बिहार	31	9	40
5.	छत्तीसगढ़	42	50	92
6.	गोवा	8		8
7.	गुजरात	29	48	77
8.	हिमाचल प्रदेश	10	7	17
9.	जम्मू और कश्मीर	12	4	16
10.	झारखंड	32	9	41
11.	कर्नाटक	50	53	103
12.	केरल	43	28	71
13.	मध्य प्रदेश	43	99	142
14.	महाराष्ट्र	45	136	181
15.	मणिपुर	33		33
16.	मेघालय	17	44	61
17.	मिजोरम	15	39	54
18.	नागालैंड	5		5
19.	उड़ीसा	62	135	197

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	12	33	45
21.	सिक्किम	4		4
22.	तमिलनाडु	36	4	40
23.	त्रिपुरा	19	40	59
24.	उत्तरांचल (उत्तराखंड)	5		5
25.	उत्तर प्रदेश	15	8	23
26.	पश्चिम बंगाल	40	10	50
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	12	18
28.	दादरा और नगर हवेली	7		7
29.	दमन और द्वीव	5		5
30.	लक्षदीपलक्षदीप में कोई समुदाय विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।			
	कुल	706	874	1580

स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता

2090. **श्री के.डी. देशमुखः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का काई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सरकार सहित सभी राज्य/संघ राज्य सरकारें अपनी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में अपनी अवसंरचनात्मक विकास की आवश्यकताओं को शामिल करती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2011-12 के लिए अपनी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण/उन्नयन के लिए 5215.50 लाख रुपए की धनराशि का प्रस्ताव किया था जिसके लिए 2394.50 लाख रुपए की धनराशि का अनुमोदन किया गया है। राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि इसने त्वरित केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण/उन्नयन के लिए 4168.80 लाख रुपए की धनराशि का प्रस्ताव किया था और उसे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। भारत सरकार ने भी 13वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण/उन्नयन के लिए 25000 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है।

[अनुवाद]

स्टॉक मार्केट में "डर्टी मनी"

2091. **श्री ए. सम्पतः**
श्री बसुदेव आचार्यः
डॉ. रामचन्द्र डोमः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान शेयर के मूल्यों में की गई हेराफेरी के दर्ज मामले और दी गई जांच में संभावित मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या शेयर बाजार में भारी मात्रा में डर्टी मनी/काला धन आ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास शेयर बाजार में शंकास्पद लेन-देन के मामलों का पता लगाने का तंत्र मौजूद है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) जैसे विनियामकों को फोन टैप करने जैसी शक्तियों से सुसज्जित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर प्रतिक्रिया क्या है; और

(ज) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या उपाय किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) प्रतिभूति बाजार विनियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान दर्ज किए गए तथा जांच किए गए बाजार हेराफेरी तथा मूल्यों को कृत्रिम रूप से हटाने बढ़ाने के मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान दर्ज किए गए तथा जांच किए गए बाजार हेराफेरी तथा मूल्यों को कृत्रिम रूप से घटाने बढ़ाने के मामले (वर्षवार)

	पंजीकृत	जांच पूर्ण
2008-09	53	63
2009-10	45	47
2010-11	56	51
2011-12 (जुलाई तक)	35	3

(ख) और (ग) शेयर बाजारों में "डर्टी मनी"/काला धन आने से रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए, शेयर बाजारों में लेनदेनों के लिए भुगतान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए जाते हैं। बैंकों तथा अन्य वित्तीय मध्यवर्तियों से यह भी अपेक्षित है कि वे धनशोधन निवारण अधिनियम (पी.एम.एल.ए.), 2002 तथा उसके तहत अधिसूचित नियमावली के अंतर्गत यथापेक्षित ग्राहक सम्यक तत्परता मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करें। सेबी पंजीकृत मध्यवर्ती जैसे म्यूचुअल फंड, निक्षेपागार भागीदार, शेयर दलाल इत्यादि ग्राहकों का पंजीकरण करते समय सेबी द्वारा निर्धारित "अपने ग्राहक को जाने" दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हैं। इन मध्यवर्तियों तथा साथ ही वित्तीय क्षेत्र में रिपोर्ट करने वाले अन्य निकाय जैसे बैंकों, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, भुगतान प्रणाली आपरेटरों, कैसीनों इत्यादि से अपेक्षित है कि वे वित्तीय आसूचना एकक (एफ.आई.यू.-आई.एन.डी.), राजस्व विभाग का शंकास्पद लेनदेन रिपोर्टें (एस.टी.आर.) प्रस्तुत करें। सब ब्रोकरों सहित म्युचुअल फंड्स, निक्षेपागार भागीदारों और स्टॉक ब्रोकरों द्वारा प्रस्तुत पिछले तीन वर्षों के दौरान शंकास्पद लेनदेन रिपोर्टों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	एस.टी.आर. की संख्या
2008-09	739
2009-10	976
2010-11	1355

(घ) और (ङ) पी.एम.एल.ए. ने शंकास्पद लेनदेन सूचित करने के लिए जुलाई, 2005 से एक व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत, एफ.आई.यू. धनशोधन तथा आतंकवादी वित्तपोषण को अंतर्ग्रस्त करने वाले शंकास्पद वित्तीय लेनदेनों से जुड़ी सूचना प्राप्त करने, उसे प्रक्रियान्वित करने, उसका विश्लेषण करने तथा उसका प्रसार करने के लिए केंद्रीय राष्ट्रीय अभिकरण है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) भी शेयर बाजारों में निवेशित की जा रही बेहिसाब धनराशि के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करता है।

(च) से (ज) जी, नहीं। तथापि, सेबी ने अनुरोध किया था कि सेबी को दूरसंचार विभाग द्वारा अनुरक्षित कानून प्रवर्तन/जांच अभिकरणों की सूची में शामिल किया जाए जिससे उसके लिए सेवा प्रदायकों से ई-मेल तथा कॉल डाटा रिकार्डों को प्राप्त करना सुकर हो जाए।

मेडिकल उपकरण हेतु कानून

2092. श्रीमती जे. शांता: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में मेडिकल उपकरण की गुणवत्ता, सुरक्षा, मानक और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने हेतु व्यापक कानून लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कानून की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में राज्यों के साथ कोई परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे परामर्श के नतीजों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) विभाग के संबंधित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की राज्य सभा (राज्य सभा में दिनांक 21 अगस्त, 2007 को पुर:स्थापित) में लंबित औषध एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक 2007 पर इसकी 30वीं रिपोर्ट में यथानिहित सिफारिशों के आधार पर सरकार ने उक्त विधेयक में प्रारूप संशोधन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में बेची जा रही चिकित्सीय युक्तियों की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए व्यापक कानूनी उपबंध निहित हैं। अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उक्त विधेयक के कुछ अन्य उपबंधों के सामान्य विरोध के कारण कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है।

शराब से जुड़ी बीमारियां

2093. **श्री हमदुल्लाह सईद:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) की रिपोर्ट पर ध्यान दिया है जिसके अनुसार लगभग 25 लाख लोगों की पूरे विश्व भर में प्रतिवर्ष शराब से जुड़ी बीमारियों से मृत्यु होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शराब से जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त लोगों की संख्या का तथा देश में उससे हुई मृत्यु का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण/अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार शराब से जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त लोगों की संख्या तथा इससे हुई मृत्यु की संख्या कितनी है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अल्कोहल और स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक स्थिति रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि अल्कोहल के हानिकारक इस्तेमाल से प्रतिवर्ष लगभग 2.5 मिलियन मौतें होती हैं।

(ग) और (घ) भारत में अल्कोहल से संबंधित रोगों और उससे होने वाली मौतों की कोई पूर्ण और विश्वसनीय राष्ट्रीय सांख्यिकी उपलब्ध नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.-3) (2007) के निष्कर्षों में उपयोग संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं।

(ङ) सरकार ने मांग को कम करने के लिए एक त्रि-आयामी कार्यनीति अपनाई है अर्थात:

(i) अल्कोहल के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करना।

(ii) स्वास्थ्य लाभ वाले रोगियों को अभिप्रेरक परामर्श, उपचार और उन्हें पुन: समाज में शामिल करना।

(iii) स्वैच्छिक सेवा प्रदाता की एक शिक्षित संवर्ग का निर्माण।

कामकाजी महिला छात्रावास

2094. **श्री भूपेन्द्र सिंह:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार कामकाजी महिला छात्रावासों की संख्या कितनी है;

(ख) कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ग) क्या सरकार को कुछ राज्य सरकारों से देश में और अधिक कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(च) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा राज्य-वार स्वीकृत, जारी और उपयोग की गयी वित्तीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) इस स्कीम के शुरू होने से अब तक देश में 891 कामकाजी महिला होस्टल संस्वीकृत किए गए, जिनमें 62 होस्टल मध्य प्रदेश में संस्वीकृत किए गए। देशभर में राज्यवार संस्वीकृत महिला होस्टलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कामकाजी महिला होस्टल स्कीम में संशोधन किया गया है तथा संशोधित स्कीम को दिनांक 26.11.2010 को अधिसूचित किया गया है। इस स्कीम के संशोधित मानदण्डों के अनुसार, कामकाजी महिलाओं के लिए सार्वजनिक भूमि पर निर्धारित एरिया मानदण्डों के अनुरूप होस्टल भवन के निर्माण हेतु निर्माण लागत का 75% तक हिस्सा वित्तीय सहायता के रूप में इस स्कीम का कार्यान्वयन संगठनों जैसे राज्य सरकार की एजेंसियों तथा सिविल सोसायटी संगठनों आदि को दिया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत किराये के परिसरों में होस्टलों को संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाने को भी प्रावधान किया गया है। सी.आई.आई. एसोचैम, फिक्की आदि जैसे कारपोरेट प्रतिष्ठान या संगठन भी केवल सार्वजनिक भूमि पर होस्टल भवन के निर्माण हेतु 50:50 के अनुपात में मैचिंग अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। होस्टल के उपयोग हेतु फर्नीचर तथा इसकी साज-सज्जा हेतु 7500 रुपए प्रति संवासिनी की दर से एकमुश्त अनावर्ती अनुदान भी देने का प्रावधान इस स्कीम में किया गया है।

(ग) से (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

देश में संस्वीकृत कामकाजी महिला होस्टलों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	होस्टलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	48
2.	अरुणाचल प्रदेश	10
3.	असम	14
4.	बिहार	06
5.	छत्तीसगढ़	10
6.	चंडीगढ़	07
7.	गोवा	02
8.	गुजरात	26
9.	हरियाणा	20
10.	हिमाचल प्रदेश	13
11.	जम्मू और कश्मीर	05
12.	झारखण्ड	02
13.	कर्नाटक	51
14.	केरल	148
15.	मध्य प्रदेश	62
16.	महाराष्ट्र	136
17.	मणिपुर	17
18.	मेघालय	03
19.	मिजोरम	04
20.	नागालैण्ड	16
21.	उड़ीसा	29
22.	पुदुच्चेरी	04
23.	पंजाब	14
24.	राजस्थान	39
25.	सिक्किम	02
26.	तमिलनाडु	96
27.	त्रिपुरा	01
28.	उत्तर प्रदेश	41
29.	उत्तरांचल	07
30.	पश्चिम बंगाल	38
31.	दिल्ली	20
	कुल	891

[अनुवाद]

गैलेंटरी पुरस्कार विजेता को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं

2095. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव सशस्त्र बलों में पदम पुरस्कार/गैलेंटरी पुरस्कार विजेताओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है तथा योजना के अंतर्गत कितने विजेताओं के लाभान्वित होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी. एच.एस.) के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

लौह अयस्क का उत्पादन और आपूर्ति

2096. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार देश में सरकारी/सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों में उत्पादित लौह अयस्क की मात्रा कितनी है;

(ख) छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के कुल उत्पादन की कितनी मात्रा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की लौह आधारित उत्पादन इकाइयों तथा निजी पट्टा धारकों को आपूर्ति की गई है; और

(ग) इन इकाइयों में लौह अयस्क की नियमित आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन-से उपाय किए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2007-08 से 2010-11 (अनंतिम) की अवधि में राज्य वार लौह अयस्क का उत्पादन निम्न है:

(मात्रा हजार टनों में)

क्षेत्र	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10 (अनंतिम)	2010-11 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
निजी	आंध्र प्रदेश	9168	10112	6205	1380
	छत्तीसगढ़	154	250	518	375
	गोवा	30526	31195	39320	36477
	झारखंड	10207	11829	13056	13379
	कर्नाटक	39044	37152	34215	29965
	मध्य प्रदेश	2256	412	1078	1290
	महाराष्ट्र	644	273	246	1515
	उड़ीसा	54718	56968	64737	62926
	राजस्थान	16	23	12	27

1 2	3	4	5	6
निजी क्षेत्र योग	146733	148215	159388	147335
सार्वजनिक छत्तीसगढ़	30844	29747	25959	31222
झारखंड	10546	9500	9952	9820
कर्नाटक	9946	9819	8801	7695
महाराष्ट्र	18	21	4	5
उड़ीसा	15165	15659	14537	12034
सार्वजनिक क्षेत्र कुल	66518	64746	59252	60776
देश में कुल लौह अयस्क उत्पादन	213251	212961	218640	208111

विभिन्न उद्योगों द्वारा गत तीन वर्षों में लौह अयस्क की प्रतिवेदित खपत निम्न है:

(टनों में)

उद्योग	2007-08	2008-09	2009-10 (अनंतिम)
मिश्रित इस्पात	291000	291000	2910005
सीमेंट	1021600	1069300	1166000
कोयला धुलाई	43500	33900	33900
लौहमय मिश्र धातु	5400	8200	8100
लोहा एवं इस्पात	51305500	52262100	53066800
स्पंज आयरन	32608000	33744000	36048000
अन्य (रसायन, फाउंड्री, ग्लास, रिफ्रेक्ट्री)	3200	3100	3200

(अवैधानिक आधार पर संग्रहित किए गए आंकड़े और वास्तविक खपत/आकलन सम्मिलित हैं)

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार एन.एम.डी.सी. द्वारा आपूर्ति किए गए (राज्य वार) लौह अयस्क का ब्यौरा और घरेलू इस्पात संयंत्र को आपूर्ति किए गए लौह अयस्क निम्न हैं:

(मिलियन टन में)

वर्ष	एन.एम.डी.सी. द्वारा लौह अयस्क की आपूर्ति			
	छत्तीसगढ़ से		कर्नाटक से	
	कुल बिक्री	घरेलू इस्पात संयंत्रों को आपूर्ति	कुल बिक्री	घरेलू इस्पात संयंत्रों को आपूर्ति
2008-09	20.90	17.92	5.57	4.67
2009-10	17.92	14.73	6.17	5.93
2010-11	21.05	18.53	5.29	5.24
2011-12 (ति.1)	5.55	5.49	1.31	1.31

(ग) खनन सेक्टर सहित लौह अयस्क के व्यापार को 1993 से उदार बनाया गया है और बाजार की मांग पर लौह अयस्क की आपूर्ति की गई है।

[अनुवाद]

स्थानीय स्वशासी संस्थानों को निधि देना

2097. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेरहवें वित्त आयोग ने कोयला स्वशासी संस्थानों द्वारा अनटाइड गैर-योजना वित्तीय व्यय हेतु केंद्र सरकार के राजस्व का कुछ हिस्सा निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिना विपथन या विलंब के इन निधियों को स्थानीय स्वशासी संस्थानों को देने के लिए सरकार द्वारा कौन से तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) तेरहवें वित्त आयोग (एफ.सी.-XIII) ने सिफारिश की है कि उसकी अवार्ड अवधि (2010-15) के दौरान पिछले वर्ष के केंद्रीय करों और शुल्कों से हुई निवल आय की कुछ प्रतिशत राशि (राज्यों के शेयर के अतिरिक्त) स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान के रूप में अंतरित की जाए। इस अनुदान की संस्तुति राज्यों में स्थानीय निकायों के साथ-साथ संविधान की अनुसूची-V और VI के तहत आने वाले क्षेत्रों तथा संविधान के भाग IX और IXए के अधिकार क्षेत्र से मुक्त क्षेत्रों (विशेष क्षेत्रों के रूप में नामित) के लिए की गई है। सामान्य क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों से संबंधित अनुदान के दो घटक हैं - एक मूलभूत अनुदान घटक और दूसरा निष्पादन आधारित घटक।

सामान्य मूलभूत अनुदान, जो पिछले वर्ष के केंद्रीय करों और शुल्कों से हुई निवल आय के 1.5 प्रतिशत के बराबर है, एफ.सी.-XIII की अवार्ड अवधि के दौरान सभी राज्यों के लिए उपलब्ध है। विशेष क्षेत्र मूलभूत अनुदान, जो 798 करोड़ रुपए है, तेरहवें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि के लिए है। वर्ष 2011-12 से प्रारंभ सामान्य निष्पादन अनुदान उन राज्यों के लिए चार वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है जो कतिपय निष्पादन शर्तों को पूरा करते हैं। इसका परिकलन पिछले वर्ष के केंद्रीय करों और शुल्कों से प्राप्त निवल आय के 2011-12 के लिए 0.50 प्रतिशत तथा उसके बाद 2014-15 तक 1 प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान, जो 559 करोड़ रुपए है, 2011-12 से उन राज्यों के लिए उपलब्ध है जो निष्पादन संबंधी निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। विशेष क्षेत्र मूलभूत तथा निष्पादन अनुदान, सामान्य मूलभूत अनुदान में से अलग करके लिए गए हैं।

निष्पादन शर्तें वित्तीय एवं लेखांकन प्रकटन, लेखापरीक्षा, स्वतंत्र लोकपाल प्रणाली, निधियों का समय पर अंतरण, राज्य वित्त आयोगों के सदस्यों के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र व्यक्तियों की अर्हताओं का निर्धारण, संपत्ति कर की लेबी के योग्य बनाना, संपत्ति कर बोर्ड की स्थापना, सेवा सुपुर्दगी के लिए मानक, अग्रिम जोखिम प्रतिक्रिया एवं प्रशमन योजनाओं से संबंधित हैं। इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देश वित्त मंत्रालय की वेबसाइट http://www.finmin.nic.in/TFC/guidelines.asp पर उपलब्ध हैं।

(ग) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत, राज्य सरकारों को निर्धारित दिनों के भीतर (सरलता से सुलभ बैंकिंग अवसंरचना वाले राज्यों के मामले में केंद्रीय सरकार से प्राप्ति के पांच दिन अन्यथा 10 दिन) स्थानीय निकायों को निधियां अवश्य अंतरित कर देनी चाहिए। किसी भी प्रकार के विलंब हेतु जितने दिन का विलंब हुआ है, उतने दिन के विलंब के लिए राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर पर ब्याज सहित किस्त जारी की जानी अपेक्षित है। राज्य सरकारों को अगली किस्त के लिए पात्रता हेतु पहले जारी की गई किस्त के संबंध में उपर्युक्त आवश्यकता की अनुपालना के संबंध में एक प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की जरूरत होती है।

बी.पी.एल. लोगों के लिए स्वास्थ्य योजनाएं/कार्यक्रम

2098. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के व्यक्तियों/बी.पी. एल परिवारों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के शुरूआत से राज्य-वार और मद-वार अनुमानित लाभार्थी के साथ कुल स्वीकृत निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बी.पी.एल. परिवारों के लिए आनुपातिक रूप से दी गई निधि की योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिसमें उक्त योजनाओं की शुरूआत से राज्य-वार लाभार्थियों का ब्यौरा कुल स्वीकृत निधि तथा संबंधित क्रियान्वयन करने वाले राज्यों द्वारा व्यय के ब्यौरे का उल्लेख है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जननी सुरक्षा योजना एक 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित सशर्त नकदी हस्तांतरण योजना है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की श्रेणी सहित निर्धन गर्भवती महिलाओं को सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में संस्थागत प्रसव कराने के लिए नगद सहायता मुहैया कराई जाती है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाएं भी शामिल हैं, लाभार्थियों की संख्या, राज्यवार और वर्षवार और निधियां संलग्न विवरण-I में दी गई है।

अन्य प्रमुख 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं नामतः राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन, एकीकृत रोग निगरानी परियोजना, याज उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी रेखा से नीचे के सभी व्यक्तियों/परिवारों सहित सभी के लिए उपलब्ध हैं।

(ख) प्रमुख जीवन घातक रोगों से ग्रस्त गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1997 में एक राष्ट्रीय आरोग्य निधि का सृजन किया है ताकि वे सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि की योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार भी उनके द्वारा स्थापित राज्य रूग्णता सहायता निधियों के लिए विधान मंडल वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य निधियों में उनके अंशदान के 50 प्रतिशत तक अनुदान सहायता मुहैया कराती है।

राज्य आरोग्य निधि में केंद्र सरकार का अंशदान गरीबो रेखा के नीचे की वृहतर जनसंख्या और जनसंख्या की प्रतिशतता वाले राज्यों को अधिकतम 5.00 करोड़ रुपए के अध्यधीन और विधान मंडल वाले अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों अधिकतम 2 करोड़ रुपए इनमें से जो भी एक वर्ष में संसाधनों की समग्र उपलब्धता के अध्यधीन कम हो, है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी स्वयं की राज्य रूग्णता सहायता निधि है, से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जनता की जानकारी के लिए राज्य स्तर पर सभी प्रमुख समाचार पत्रों में लाभार्थियों की सूची प्रकाशित करें। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य सहायता निधि में अंशदान की गई राशि के 50 प्रतिशत तक सहायता अनुदान जारी किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियां ब्यौरा संलग्न विवरण-II दिया गया है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जेएस वाई लाभार्थियों की संख्या							
	(क) अत्यधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य							
1.	बिहार	0	89839	838481	1144000	1246566	1383000	171039
2.	छत्तीसगढ़	3190	76677	175978	225612	249488	376000	12261
3.	झारखंड	0	123910	251867	268661	215617	345000	14360
4.	जम्मू और कश्मीर	2134	13127	10568	7771	91887	112210	11618
5.	मध्य प्रदेश	68252	401184	1115841	1152115	1123729	1140000	199684
6.	उड़ीसा	26407	227204	490657	506879	587158	533000	98504

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	राजस्थान	10085	317484	774877	941145	978615	911000	178596
8.	उत्तर प्रदेश	12127	168613	797505	1548598	2085285	2339000	380673
9.	उत्तराखंड	1360	23873	69679	71285	79460	75000	
10.	हिमाचल प्रदेश	1585	6303	10371	8215	16851	21000	1274
	उप योग	125140	1448214	4535824	5874281	6671656	7235210	1068009
(ख) अन्य राज्य								
11.	आंध्र प्रदेश	167000	429000	563401	551206	318927	1439000	
12.	गोवा	57	483	898	688	650	1000	302
13.	गुजरात	0	121153	185956	213391	356263	340000	8888
14.	हरियाणा	1825	23123	35441	0	63326	63000	5017
16.	कर्नाटक	50542	233147	283000	400349	475193	340000	39887
17.	केरल	0	56072	162050	136393	134974	180000	
18.	महाराष्ट्र	5650	97390	375000	224375	347799	249000	107375
19.	पंजाब	11595	16079	9917	67911	97089	108000	12159
20.	तमिलनाडु	321567	288224	229609	386688	389320	350000	43812
21.	पश्चिम बंगाल	31363	224863	572651	748343	724804	535000	26704
	उप योग	589599	1489534	2428294	2737559	2908342	3605000	244144
(ग) संघ शासित क्षेत्र								
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	314	600	354	197	498	132	
23.	चंडीगढ़	0	14	1215	467	199	213	41
24.	दादरा और नगर हवेली	146	76	270	157	594	1273	64
25.	दमन और दीव	0	0		छा।	0	0	
26.	दिल्ली	0	242	7238	23829	21564	19000	2347
27.	लक्षद्वीप	114	42	200	288	899	548	
28.	पुदुचेरी	379	2284	4389	4807	4932	5000	867
	उप योग	953	3258	13666	29745	28686	26166	3319

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(घ) पूर्वोत्तर राज्य								
29.	अरूणाचल प्रदेश	794	1433	7689	10180	10257	9000	838
30.	असम	17523	190334	304741	327894	366433	390000	52312
31.	मणिपुर	0	7602	8664	11096	17375	20000	1693
32.	मेघालय	471	4257	1003	5329	14738	12000	2665
33.	मिजोरम	1056	7462	13371	15482	14265	14000	141
34.	नागालैंड	0	1301	8457	9790	22728	9000	2552
35.	सिक्किम	1128	1719	1616	3606	3292	4000	
36.	त्रिपुरा	2247	3203	15547	20166	20500	14000	3970
	उपयोग	23219	217311	56347	75649	469588	472000	64171
	कुल योग	738911	3158317	7328501	9036913	10078275	11338376	1379643

जेएसवाई के अंतर्गत आबंटन और व्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अत्यधिक ध्यान दिए जा रहे राज्य														
1.	बिहार	4.45	0.77	6.1	4.42	6	130.91	173.6	161.81	230	236.9	250	241.85	250.85
2.	छत्तीसगढ़	2.28	2.23	4	4.9	8.5	16.42	34.87	21.46	57.4	32.08	74.67	65.54	68.85
3.	हिमाचल प्रदेश	0.54	0.02	1	0.35	1	0.58	1.03	0.79	1.01	1.03	2.18	1.31	1.9
4.	जम्मू और कश्मीर	0.94	0.14	1.38	1.22	2	2.64	28.07	2.64	27.81	12.61	26.25	15ए46	21.93
5.	झारखंड	2.67	0	3.93	2.21	4	5.65	50	49.85	57.69	26.05	70.22	56.55	69.7
6.	मध्य प्रदेश	7.07	4.15	10.39	48.64	35	203.06	160	203.62	248.3	208.75	200.8	202.49	188.08
7.	उड़ीसा	5.99	2.54	6ए5	24.44	18	69.94	105.5	82.73	104.4	96.31	121.2	100.73	108.31
8.	राजस्थान	3.56	0.22	3	30.57	30	119.68	150	150.8	140	162.73	143	180.04	184.06
9.	उत्तर प्रदेश	10.11	2.58	13.75	19.65	13	109.4	260.9	277.5	310.3	380.63	399.4	450.18	475.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	उत्तराखंड	0.54	0.16	0.32	1.91	1	7.85	13.02	12.78	13.5	13.64	20.31	14.04	15.12
11.	अरूणाचल प्रदेश	0.18	0.24	0.26	0.12	0.25	0.45	1.7	1.08	1.6	1.27	1.64	0.99	1.41
12.	असम	4.06	1.14	5.5	29.94	15	53.98	88.95	63.79	92.83	74.56	101.5	77.96	93.39
13.	मणिपुर	0.53	0	0.58	0.57	0.75	0.59	1.15	0.88	1.18	1.04	1.32	1.22.	2.2
14.	मेघालय	0.27	0.01	0.39	0.47	0.5	0.65	1.81	0.92	1.96	1.07	2.28	1.34	1.28
15.	मिजोरम	0.53	0.28	0.96	0.59	0.8	0.89	1.33	1.36	1.47	1.42	1.66	1.29	1.78
16.	नागालैंड	0.46	0	0.65	0.42	0.5	0.35	4.02	2.29	2.36	1.21	3.66	1	2.73
17.	सिक्किम	0.09	0.06	0.09	0.1	0.15	0.21	0.2	0.38	0.22	0.23	0.53	0.41	0.59
18.	त्रिपुरा	0.8	0.5	0.8	0.33	0.6	1.14	1.8	1.42	2.29	1.98	3.17	2.39	3.36
अधिक ध्यान न दिए जा रहे राज्य														
19.	आंध्र प्रदेश	10.82	15.38	16	26.19	35	38.5	47.88	50.35	45.5	40.86	50.36	17.45	32.88
20.	गोवा	0.05	0	0.08	0.03	0.05	0.02	0.15	0.04	0.08	0.04	0.1	0.09	0.1
21.	गुजरात	5.8	2.12	8.52	8.92	10	9.55	18.08	13.64	16.1	21.28	22.38	16.65	21
22.	हरियाणा	1.61	0.19	0.9	2.15	3.5	3.7	5	3.14	6	4.28	6.99	4.29	6.6
23.	कर्नाटक	6.24	1.35	9.16	9.67	11	22.17	30	29.31	27.4	35.06	46.03	33.48	38.54
24.	केरल	3.48	1.69	5.12	3.28	5	14.83	9.36	12.82	14.79	11.61	9.66	9.2	13.55
25.	महाराष्ट्र	5.35	2.03	10.68	3.78	8.5	18.8	20	23.77	28.9	26.26	22.59	31.82	35.28
26.	पंजाब	0.99	0.35	1.45	1.05	1.45	1.74	1.86	3.85	4.9	5.65	6.12	5.61	6.46
27.	तमिलनाडु	8.91	0	14.5	20.03	16	14.85	29.18	27.01	31.68	29.32	35.3	26.71	34.52
28.	पश्चिम बंगाल	8.91	0.11	8.99	12.1	17	30.67	40	30.67	43.39	43.84	43.3	56.64	58.37
छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र														
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.03	0	0.1	0.06	0.1	0.04	0.05	0.02	0.11	0.06	0.12	0.02	0.06
30.	चंडीगढ़	0.03	0	0.05	0	0.05	0.15	0.51	0.08	0.08	0.05	0.08	0.01	0.08
31.	दादर और नगर हवेली	0.06	0	0.09	0	0.09	0	0.4	0	0.14	0	0.14	0.08	0.15
32.	दमन और दीव	0.04	0	0.05	0	0.05	0	0.02	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33.	दिल्ली	0.45	0	0.03	0.01	0.2	0.45	0.72	1.43	1.69	1.5	3.18	1.18	2.18
34.	लक्षद्वीप	0.03	0.01	0.04	0	0.06	0.02	0	0.06	0.09	0.12	0.05	0.06	0.07
35.	पुदुचेरी	0.13	0.03	0.15	0.15	0.25	0.29	0.3	0.32	0.23	0.33	0.33	0.31	0.34
36.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह					4.65								
	कुल	98	38.3	135.51	258.22	250	880.17	1281	1241.33	1515	1473.77	1670	1618.39	1741.05

विवरण II

वर्ष	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	–	500.00	–	–	–	250.00	–	–	–
बिहार	–	–	–	–	125.00	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	50.00	–		205.00
गोवा	–		–	15.00	15.00	–	–	–	90.00
गुजरात	–	–	–	100.00	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	–	25.00	–	–	–	–	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	–	20.00	–	–	12.50	–	–	24.00	–
झारखंड	–	–	–	–	–	–	150.00	50.00	–
कर्नाटक	500.0 0								100.00
केरल	–	–	100.00	–	–	–	–	100.00	–
मध्य प्रदेश	500.0	–	–	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र	–	– 111	200.00	–	–	–	–	–	–
मिजोरम	–	–	50.00	–	–	–	–	–	–
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	50.00	25.00	50.00				40.00	50.00	25.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पुदुचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	25.00
राजस्थान	–	....	100.00	100.00	50.00	–	100.00	101.00	–
सिक्किम	–	–	–	–	25.00	–	–	–	–
तमिलनाडु	–	500.00	–	–	–	–	–	–	–
त्रिपुरा	200.0 0								
उत्तराखंड	–	–	–	–	–	–	–	25.00	–
पश्चिम बंगाल	–	–	50.00	–	–	–	–	–	–
चंडीगढ़	–	–	50.00	50.00	–	50.00	–	–	–
दादरा और नगर हवेली	–	–	50.00	–	–	–	–	–	–
दमन और दीव	–	–	50.00	100.00	–	–	–	–	–
लक्षद्वीप	–	–	50.00	50.00	–	–	–	50.00	–
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	50.00	–	–	50.00	50.00	–	50.00

(लाख रु. में)

वर्ष रिलीज की गई धनराशि	2005-06	2006-07	2007-08	2009-10	2010-11	2011-12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	–	65.00	–	–	–	–	–	–	–
बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	187.50	–	–	–	–
गोवा	–	–	30.00	30.00	–	25.00	–	–	–
गुजरात	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	–	–	27.00	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जम्मू और कश्मीर	–	12.50	–	–	–	–	–	–	–
झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक	–	–	–	–	–	–		–	
केरल	–	27.50	–	200.00	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	–	–	87.50	–	–	–	–	–	–
महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मणिपुर	–	–	–	–	–	75.00	–	–	–
मिजोरम	15.00	–	–	–	–	–	–		–
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	30.00	25.00	70.00						
पुदुचेरी	25.00	25.00	–	–	–	–	–	–	
राजस्थान	100.00	100.0	100.00	–	–	–	–	–	–
सिक्किम	–	–	–	47.50	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	105.00	95.00	–	–	–	250.00	–	–	–
त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हरियाणा	50.00	–	–	–	25.00	25.00	25.00	–	–
उत्तराखंड	–	–	–	–	–	–	63.75	–	–
पश्चिम बंगाल	–	–	110.25	–	215.56	125.00	–	–	–
चंडीगढ़	5.00	–	–	–	–	–	–	–	–
पंजाब	–	–	45.25	4.75	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	–	–	–	250.00	–	–	–	–	–
दादरा व नगर हवेली	–	–	–	–	25.00	–	50.00	–	–
दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–
लक्षद्वीप	20.00	–	50.00	–	50.00	50.00	–	–	–
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	50.00	70.00	50.00	50.00	–	–	–		

ताप विद्युत संयंत्र

2099. **श्री रवनीत सिंह:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अभी तक पंजाब में शुरू न की गई ताप विद्युत संयंत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन संयंत्रों के लिए जारी और उपयोगी की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां से कब तक विद्युत उत्पादन होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) पंजाब में ताप विद्युत परियोजनाएं जो अभी चालू नहीं की गई हैं, की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं:

(I) 2×270 मेगावाट गोइंदवाल साहिब ताप विद्युत परियोजना

बॉयलर टरबाईन जेनरेटर कार्य भेल को आबंटित किया गया है। दोनों यूनिटों के बॉयलरों के बॉयलर ड्रम उठा लिए गए हैं। विकासकर्ता द्वारा जून, 2011 तक रिपोर्ट की गई निर्माण की प्रगति बॉयलर टरबाईन जेनरेटर पैकेज के लिए 15% और बैलेंस ऑफ प्लांट के लिए 19% है।

(II) 3 × 660 मेगावाट तलवंडी साबो ताप विद्युत परियोजना

विकासकर्ता ने इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) अनुबंध मैसर्स सेप्को इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन को दिया गया है, निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(III) 2×700 मेगावाट मेगावाट राजपुरा ताप विद्युत परियोजना:

मुख्य संयंत्र के लिए प्रमुख उपकरणों अर्थात् कोल हैंडलिंग प्लांट, ऐश हैंडलिंग प्लांट, अन्य सहायक उपकरणों आदि के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। विभिन्न सिविल कार्य प्रगति पर हैं।

(ख) निजी विकासकर्ताओं के द्वारा अपनी स्वयं की निधियों के जरिए बनाओ, अपनाओ और चलाओ (बीओओ) आधार पर ताप विद्युत परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। अतएव, पंजाब सरकार/पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीएल) द्वारा कोई निधि उपलब्ध कराई गई है।

(ग) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ताप विद्युत परियोजनाओं के चालू होने की तारीखें निम्नानुसार हैं:

गोइंदवाल साहिब टीपीपी	1st यूनिट-31.01.2013
	2nd यूनिट-30.04.2013
तलवंडी साबो टीपीपी	1st यूनिट-08.11.2012
	2nd यूनिट-08.02.2013
	3rd यूनिट-10.06.2013
राजपुरा टीपीपी	1st यूनिट-17.01.2014
	2nd यूनिट-17.05.2014

मोबाइल फोन आपरेटरों द्वारा नियमों का उल्लंघन

2100. **श्री एन. कृष्टप्पः** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मोबाइल फोन आपरेटरों के प्रमोटरों द्वारा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) तथा आयकर अधिनियम के विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में जांच की क्या स्थिति है; और

(ग) जांच कब तक पूरी की जाएगी तथा विभिन्न विनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रोमोटरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 1997, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 तथा आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के उल्लंघन संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) संगत सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

ब्रेन ट्यूमर के रोगियों का इलाज

2101. **श्री सी.आर. पाटिलः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के लिए नई रेडिएशन मशीन खरीदी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान वर्ष-वार कितने बी.पी.एल. के मरीज एम्स में भर्ती कराए गए तथा कितने मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया एवं समुचित उपचार के अभाव में कितने लोगों को ब्रेन ट्यूमर हुआ।;

(ग) क्या सरकार ने रेडिएशन मशीन का उपयोग करते हुए ब्रेन ट्यूमर के मरीजों को मुफ्त इलाज देने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कुल 686 मरीजों का उपचार किया गया था। विगत तीन वर्षों के दौरान नि:शुल्क उपचार किए गए मरीजों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	निशुल्क उपचार किए गए मरीज
1.	2008	26
2.	2009	27
3.	2010	16

समुचित उपचार के अभाव में ब्रेन ट्यूमर के कारण मौतों के शिकार होने वाले मरीजों के ब्यौरे का रखरखाव नहीं किया जा रहा है क्योंकि एम्स में भर्ती किए गए सभी मरीजों को समुचित उपचार दिया जाता है।

(ग) से (ङ) जहां तक एम्स का संबंध है, नई विकिरण मशीन का उपयोग करते हुए गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों को ब्रेन ट्यूमर के लिए नि:शुल्क शल्य चिकित्सा मुहैया कराई जाती है।

[अनुवाद]

आदिवासियों का शोषण

2102. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा अत्याचार, पुलिस द्वारा अंधाधुंध खाली कराया जाना तथा झूठे आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित इस प्रकार के किसी विशिष्ट मामले की रिपोर्ट मंत्रालय को नहीं दी गई है। तथापि, वन भूमि से जनजातीय समुदायों के निष्कासन का आरोप लगाने वाली कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) वन भूमि से जनजातीय समुदायों के निष्कासन के आरोप वाली प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास भेज दिया गया है।

(ग) जैसा उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है, वन भूमि से जनजातीय समुदायों के निष्कासन के आरोप वाली प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास भेज दिया गया है।

बीमा कवरेज

2103. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बीमा कवरेज के अंतर्गत लोगों की संख्या बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंतर्गत लाने के लिए बीमा क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी-भागीदारी को बढ़ावा देने तथा लोगों को बीमा के लाभ के बारे में बताने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने सूचित किया है कि बीमा के अंतर्गत कवर किए गए व्यक्तियों की संख्या का आकलन यदि देश के आकार और जनसंख्या तथा बीमा व्याप्तता (सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बीमा प्रीमियम का प्रतिशतांक) और बीमा घनत्व के संदर्भ में किया जाए तो यह संख्या कम है। बीमा व्याप्तता के अनुसार, समग्र व्याप्तता (जीवन और गैर-जीवन, दोनों मिलाकर) 2001 के 2.71%

से बढ़ाकर वर्ष 2009 में 5.20% हो गया है। भारत में बीमा व्याप्तता कई देशों जैसे मलेशिया, थाइलैंड, चीन, ब्राजील, रूस, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा है। बीमा घनत्व के रूप में, यह वर्ष 2001 के 11.5 अमेरिकी डालर से बढ़कर वर्ष 2009 में 54.3 अमेरीकी डालर हो गया है। तथापि, यह संख्या बढ़ रही है और विगत वर्षों में बीम के अंतर्गत और अधिक लोग कवर हुए हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान, जीवन बीमाकर्ता द्वारा बेची गई पालिसियों की कुल संख्या 5,31,95,191 थी और गैर-जीवन बीमाकर्ता द्वारा बेची गई पालिसियों की कुल संख्या 8,19,52,708 थी।

(ग) और (घ) आई.आर.डी.ए. 'बीमा बेमिसाल' ब्रांड नाम के अंतर्गत सतत बीमा जागरूकता अभियान चला रही है। इस अभियान के जरिए बीमा की आवश्यकता, पालिसीधारकों के अधिकार और देयताओं इत्यादि के बारे में बीमित और अबीमित को विभिन्न संचार माध्यमों यथा अखबार, रेडियो और दूरदर्शन के द्वारा शिक्षित किया जाता है। आई.आर.डी.ए., बीमा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए देश के विभिन्न भागों में बीमा पर रेमिनार और कार्यशाला आयोजित करने में ग्राहक निकायों को भी सहायता देता है। 'बीमा बेमिसाल' अभियान अंग्रेजी के अलावा हिन्दी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में चलाया जा रहा है। आई.आर.डी.ए. ने आम लोगों और पालिसीधारकों के लिए शैक्षिक सामग्री प्रकाशित की है। इसके अलावा, आई.आर.डी.ए. ने जागरूकता लाने के लिए पिछले दो वर्षों से, विशेष रूप से पालिसीधारकों के संरक्षण और कल्याण पर वार्षिक सेमिनार आयोजित करना शुरू किया है जिससे ग्राहक प्रतिनिधियों सहित सभी पणधारक एक मंच पर एकत्र होते हैं।

[हिन्दी]

क्रेडिट कार्ड

2104. श्री राकेश सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्रेडिट कार्ड धारक/ग्राहकों को चूककर्ता घोषित करने में पालन किए जाने वाले मानदण्डों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बैंक द्वारा उन ग्राहकों को जिनको विभिन्न क्रेडिट कार्ड आकर्षक पेशकशों पर प्रदान किए जाते हैं यदि वे उन्हें प्रयोग नहीं करते हैं तो उन्हें चूककर्ता दिखाया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ऐसे ग्राहकों के हितों का संरक्षण करने हेतु कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) बैंकों/एन.बी.एफ.सी. के क्रेडिट कार्ड परिचालनों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी क्रेडिट कार्डधारक की चूक स्थिति की सूचना भारतीय ऋण सूचना ब्यूरों लि. (सी.आई.बी.आई.एल.) अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य ऋण सूचना कंपनी को देने से पूर्व, बैंक/एन.बी.एफ.सी. को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि वे उनके निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रक्रिया का अनुपालन करें। इन दिशानिर्देशों का ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) देश में क्रेडिट कार्ड परिचालनों को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 01-07-2011 को बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों पर एक मास्टर परिपत्र जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, ब्याज दरों और अन्य प्रभारों, गलत बिल देने, प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों (डी.एस.ए.)/प्रत्यक्ष विपणन एजेंटों (डी.एम.ए) और अन्य एजेंटों के उपयोग, ग्राहक अधिकारों का संरक्षण, शिकायत निवारण, आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणाली एवं धोखाधड़ी नियंत्रण पर मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रावधान है। बैंक/एन.बी.एफ.सी. के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक इन निकायों द्वारा विभिन्न दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति को भी देखता है। इसके अलावा, बैंकिंग लोकपाल स्कीम, 2006 के अंतर्गत बैंकिंग लोकपाल को क्रेडिट कार्ड परिचालनों से उत्पन्न शिकायतों के मामले में ग्राहकों को हुई वास्तविक मौद्रिक हानि के अलावा 1 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति देने का अधिकार प्राप्त है।

[अनुवाद]

योजना और गैर-योजनागत व्यय

2105. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री अंजन कुमार एम. यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने योजना और गैर-योजना शीर्षों के अंतर्गत व्यय को बांट दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे श्रेणीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी हां। जबकि लेखांकन शीर्ष आयोजना तथा आयोजना-भिन्न व्यय दोनों के लिए समान हैं, वहीं व्यय को आयोजना और आयोजना-भिन्न व्यय के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

(ख) आयोजना-भिन्न व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल हैं जिन्हें आयोजना में शामिल नहीं किया गया है और जो ब्याज भुगतानों, पेंशन संबंधी प्रभारों, सब्सिडियों तथा राज्य सरकारों को सांविधिक अंतरणों जैसे अनिवार्य व्ययों की पूर्ति हेतु तथा राष्ट्र के आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय अर्थात् रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, विदेशी मामले, राजस्व संग्रहण आदि की पूर्ति हेतु हैं, दूसरी ओर आयोजना व्यय नियोजित आर्थिक विकास के लिए होता है और सरकार की भूमिका की उस वचनबद्धता को व्यक्त करता है जिससे कई सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्थानिक माध्यमों के जरिए परिणाम सामने आते हैं। आयोजना व्यय के लिए वार्षिक आवंटन (सकल बजटीय सहायता) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित होता है।

(ग) और (घ) व्यय की आयोजना तथा आयोजना-भिन्न रूप में विशिष्ट पहचान सरकार को लक्षित लक्ष्यों हेतु संसाधनों को नियोजित करने में सक्षम बनाती है।

[हिन्दी]

स्वयंसिद्धा योजना

2106. श्री अंजनकुमार एम. यादव: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में स्वयंसिद्धा योजना का क्रियान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में उक्त योजना के द्वारा कितने लोगों को लाभ हुआ है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2000-01 से 31-03-2008 तक आंध्र प्रदेश राज्य में स्वयंसिद्धा का क्रियान्वयन किया जा रहा था। इस अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार को भारत सरकार द्वारा 620.60 लाख रुपये निर्मुक्त किया गया। उनके द्वारा 100% अनुदान का उपयोग किया गया। 3800 के लक्ष्य की तुलना में 3874 स्व-सहायता दल गठित किए गए। इस स्कीम के अंतर्गत 53598 महिला लाभार्थी शामिल की गईं/लाभांवित हुई।

स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण

2107. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विशेष रूप से राजस्थान में स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के उधार ली गई राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर परियोजना-वार और राज्य-वार कितना व्यय हुआ;

(ग) प्रत्येक राज्य में प्रत्येक योजना के लिए विश्व बैंक द्वारा क्या नियम और शर्तें निर्धारित की गई है; और

(घ) राजस्थान सहित देश में एस.सी./एस.टी. से संबंधित लोगों के लाभ के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार किन परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) आर्थिक कार्य मामले विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, राज्यों में चल रही स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से उधार ली गई ऋण की धनराशि और उन पर किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

राज्य	(राशि मिलियन अमरीकी डॉलर में) उधार ली गई राशि	किया गया व्यय
तमिलनाडु सीआर.संख्या 4756-आई.एन./ 6.7.2010 हस्ताक्षर की तिथि	117.00	20.51
कर्नाटक सी.आर.संख्या 4229-आई. एन./हस्ताक्षर की तिथि 16.10.2006	141.83	109.38
राजस्थान सी.आर.संख्या 3867-आई.एन. /हस्ताक्षर की तिथि 3.6.2004	89.00	73.37

(ग) निबंधन एवं शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सेवा प्रभार के रूप में 0.75% आहरण नहीं किए गए ऋण पर भुगतान किए जाने वाला प्रतिबद्धता प्रभार शामिल है।

(घ) इन परियोजनाओं से होने वाला लाभ अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति सहित काफी बड़ी सामान्य जनसंख्या के लिए है।

[अनुवाद]

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज

2108. डॉ रतन सिंह अजनाला: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए कुछ राज्य सरकारों को विशेष पैकेज दे रही है;

(ख) यदि हां, तो पंजाब सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान वर्ष-वार राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितनी निधि आवंटित/जारी की गई तथा कितना व्यय किया गया है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (ग) धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों सहित पर्यटन स्थलों का संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.) प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन परियोजनाओं के संवर्धन के लिए, योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप, निधियों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान पंजाब सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत राशि और परियोजनाओं का ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। इस विवरण में जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं भी शामिल हैं।

घरेलू बाजार में पर्यटक गंतव्य के रूप में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर राज्य का प्रचार एवं संवर्धन करने के लिए पर्यटन मंत्रालय देश के प्रमुख चैनलों में उन पर टेलीविजन अभियान चलाता रहा है।

विवरण

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 31-03-2011 तक स्वीकृत पर्यटन परियोजनाएं

करोड़ रुपए में

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	40	193.85
2.	अरूणाचल प्रदेश	51	143.57
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0.00
4.	असम	21	84.86
5.	बिहार	18	57.59
6.	चंडीगढ़	17	30.74
7.	छत्तीसगढ़	10	45.23
8.	दादरा एवं नगर हवेली	3	0.24
9.	दमन एवं द्वीप	1	0.12
10.	दिल्ली	23	75.57

1	2	3	4
11.	गोवा	7	72.99
12.	गुजरात	14	34.61
13.	हरियाणा	29	98.98
14.	हिमाचल प्रदेश	40	128.32
15.	जम्मू और कश्मीर	112	219.94
16.	झारखंड	15	19.12
17.	केरल	33	139.77
18.	कर्नाटक	25	118.53
19.	लक्षद्वीप	1	7.82
20.	महाराष्ट्र	15	80.20
21.	मणिपुर	31	107.09
22.	मेघालय	25	61.14
23.	मिजोरम	26	65.68
24.	मध्य प्रदेश	51	162.76
25.	नागालैंड	56	111.51
26.	उड़ीसा	34	116.00
27.	पुडुचेरी	16	74.45
28.	पंजाब	14	62.30
29.	राजस्थान	25	110.91
30.	सिक्किम	78	188.53
31.	तमिलनाडु	43	140.03
32.	त्रिपुरा	42	76.12
33.	उत्तर प्रदेश	33	117.39
34.	उत्तराखंड	17	96.02
35.	पश्चिम बंगाल	37	120.74
	कुल योग:	1003	3162.65

[हिन्दी]

फर्टिलिटी क्लीनिक

2109. **श्री वीरेन्द्र कश्यप:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में फर्टिलिटी क्लीनिकों को विनियमित करने के लिए कोई मानदण्ड और नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो देश में फर्टिलिटी क्लीनिक किस प्रकार विनियमित किए जा रहे हैं; और

(घ) ऐसे क्लीनिकों द्वारा संतानहीन दंपत्तियों के शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) जी, हां। देश में प्रजनन क्लीनिकों को विनियमित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) ने मानदण्ड और दिशानिर्देश बनाए हैं अर्थात् भारत में ए.आर.टी. क्लीनिकों के प्रत्यायन, पर्यवेक्षण एवं विनियमन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश जिन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। ये दिशानिर्देश आई.सी.एम.आर. की बेबसाइट www.icmr.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(घ) इन दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 'सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक' नामक कानून का एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

महिलाओं में रक्त की कमी और कुपोषण

2110. **श्री पशुपति नाथ सिंह:** क्या **महिला और विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश की माताओं की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र की कम उम्र की माताओं में रक्त की कमी और कुपोषण के मामले पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या महिला कल्याण योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3, 2005-06 के अनुसार 15-19 वर्ष की महिलाओं में रक्ताल्पता और ऊर्जा की चिरकालिक कमी (कम बॉडी मास इन्डैक्स) क्रमश: 55.8% और 46.8% है। जबकि 15-49 वर्ष की महिलाओं में इसकी प्रतिशतता 56.2% और 35.6% है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में रक्ताल्पता का प्रतिशत क्रमश: 50.9% और 57.4% है जबकि ऊर्जा की चिरकालिक कमी क्रमश: 25.0% और 40.6% है।

रक्ताल्पता सहित कुपोषण की समस्या एक बहुआयामी और पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली समस्या है, इसके कारकों में घरेलू खाद्य असुरक्षा, निरक्षरता और विशेषकर महिलाओं में जागरुकता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और उचित पर्यावरणीय परिस्थितियों एवं पर्याप्त क्रयशक्ति आदि का अभाव है। लोगों की पोषाहारीय स्थिति एक जटिल और परस्पर संबंधित कारकों का परिणाम है और इसमें केवल एक क्षेत्र के प्रयासों और कार्यों से सुधार नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरसीएच) -II के अंतर्गत कारगर मातृत्व और बाल स्वास्थ्य देखरेख उपायों का प्रावधान है, जिनमें रक्ताल्पता के निवारण और उपचार के लिए गर्भवती एवं धानी महिलाओं को लौह तत्व और फौलिक एसिड अनुपूरण सहित प्रसव-पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव-पश्चात देखरेख; जननी सुरक्षा योजना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए नकदी लाभ स्कीम; माताओं और बच्चे के लिए सेवाप्रदायगी का मानीटरन करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से मातृ और बाल संरक्षण कार्ड; मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा देने हेतु ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण दिवस; एक नया उपाय अर्थात् जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं प्रसव करने वाली गर्भवती महिलाओं का शल्य चिकित्सा सहित नि:शुल्क उपचार किया जाता है।

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत छह सेवाओं अर्थात् पूरक पोषण, स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और रैफरल सेवाओं का एक पैकेज महिलाओं और बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है। जनसंख्या के अल्पसंख्यक श्रेणी पर विशेष ध्यान देते हुए इस स्कीम को सर्वव्यापी बनाया गया है। स्कीम के वित्तीय, पोषाहारीय और जनसंख्या संबंधी मानदंडों में भी संशोधन किया गया है। गर्भवती और धात्री माताओं के लिए पूरक पोषण संघटक में 600 किलो

कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीन घर ले जाने वाले राशन के रूप में दिया जाता है।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की बहुत सी अन्य स्कीमें/कार्यक्रम हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोषाहारीय स्थिति को प्रभावित करते हैं। इन स्कीमों में अन्य बातों के साथ-साथ राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि शामिल हैं। हाल ही में शुरू की गई राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम अर्थात् सबला के अंतर्गत सेवाओं का एक पैकेज प्रदान किया जाता है। इनमें प्रायोगिक आधार पर 20 जिलों में 11-18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों के लिए स्वास्थ्य और पोषण का प्रावधान शामिल है। दूसरी नई स्कीम, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना-सशर्त नकदी मातृत्व लाभ स्कीम में गर्भवती और धात्री माताओं को उन्नत स्वास्थ्य और पोषण हेतु बेहतर समर्थकारी माहौल प्रदान किया जाएगा और आरंभ में 52 जिलों में प्रायोगिक आधार पर शीघ्र तथा जन्म के बाद छह माह तक केवल स्तनपान कराने हेतु सशर्त नकदी अंतरण की सहायता दी जाएगी।

बहुत-सी स्कीमें अर्थात् समेकित बाल विकास सेवा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन, स्वर्णजयंत ग्राम स्वरोजगार योजना को अधिक लोगों को शामिल करने और लोगों को उन्नत सेवा मुहैया कराने के लिए विस्तारित किया गया है। जिससे पोषण की स्थिति में अधिक सुधार होगा। लोगों तक पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने हेतु विभिन्न स्कीमों को सुधारना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

कॉस्मेटिक एक्ट में दवाओं में संशोधन

2111. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट, 1940 को वर्तमान में प्रासंगिक बनाने के लिए इसमें कतिपय संशोधन का प्रस्ताव करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से उक्त अधिनियम में संशोधन सुझाव मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों से इस संबंध में प्राप्त सुझाव का ब्यौरा क्या है तथा इसे ज्यादा प्रासंगिक और प्रभावी बनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के तत्कालीन महानिदेशक डॉ. आर.ए. मासलेकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों को कार्यान्वित करने के लिए एक विधेयक नामत: औषध एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2007 राज्य सभा में दिनांक 21 अगस्त, 2007 को पुर: स्थापित किया गया था जिसमें निम्नलिखित मुख्य उपबंध निहित थे:

(i) मौजूदा केन्द्रीय औषध विनियामक निकाय की जगह एक स्वायत्त केन्द्रीय औषध प्राधिकरण नामत: केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) का सृजन करना;

(ii) आयुर्वेदिक, सिद्ध व यूनानी (आयुष) औषधियों सहित औषधियों के आयात तथा विनिर्माण को केन्द्रीयकृत लाइसेंसिंग।

(iii) नैदानिक परीक्षणों के लिए विनियामक उपबंध, तथा

(iv) औषध एवं प्रसाधन सामग्री के निर्यात के लिए विनियामक उपबंध।

विधेयक को विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को 23 अगस्त, 2007 को जांच करने तथा रिपोर्ट देने के लिए भेजा गया था। उक्त विधेयक पर संसदीय स्थायी समिति की 30वीं रिपोर्ट में दी गई संस्तुतियों के आधार पर उक्त विधेयक में प्रारूप संशोधनों को सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की टिप्पणियों के लिए परिचालित किया था। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उक्त विधेयक के कुछ उपबंधों का सामान्य विरोध होने के कारण अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है।

उत्तर-पूर्व के राज्यों में साक्षरता दर

2112. **श्री जोसेफ टोप्पो:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर-पूर्व के राज्यों विशेष रूप से असम में अन्य समुदायों की तुलना में जनजातीय समुदाय में साक्षरता दर अपेक्षाकृत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य-वार और वर्ष-वार पिछले तीन वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए शिक्षा के लिए स्वीकृत और जारी निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में आदिवासियों को साक्षरता स्तर सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) मिजोरम के मामले के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दरें तुलनात्मक रूप से कम हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में साक्षरता दरों के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर		साक्षरता दर में अंतर
		कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	
1.	अरुणाचल प्रदेश	54.3	49.6	4.7
2.	असम	63.3	62.5	0.8
3.	मणिपुर	70.5	65.9	4.6
4.	मेघालय	62.6	61.3	1.3
5.	मिजोरम	88.8	89.3	0.5
6.	नागालैण्ड	66.6	65.9	0.7
7.	त्रिपुरा	73.2	56.5	16.5

जनजातीय लोगों में कम साक्षरता दर का कारण अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों को निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(घ) जनजातीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों हेतु शिक्षा एवं संबंधित सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशिष्ट योजनाएं कार्यान्वित करता है। अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गए हैं।

विवरण I

अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना के तहत राज्यवार निर्मुक्तियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त निधियां			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	75.09	0.00

1	2	3	4	5	6
2.	असम	601.39	0.00	0.00	0.00
3.	मणिपुर	0.00	0.00	1372.54	0.00
4.	नागालैण्ड	87.50	0.00	0.00	0.00
5.	त्रिपुरा	1380.90	664.00	0.00	0.00

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत राज्यवार निर्मुक्तियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त निधियां			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	त्रिपुरा	0.00	0.00	622.76	0.00

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्तियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त निधियां			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	23.53	0.00
2.	असम	1696.18	2510.12	2881.26	1441.00
3.	मणिपुर	1912.68	2163.28	2460.01	1230.00
4.	मेघालय	1342.12	1006.57	2717.23	1359.00
5.	मिजोरम	1421.18	1571.26	1633.93	817.00
6.	नागालैण्ड	1467.27	1866.77	1908.44	954.00
7.	त्रिपुरा	433.19	538.26	380.40	190.00

* वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति के बिना ही तदर्थ अनुदान निर्मुक्त किए गए हैं।

विवरण II

प्रतिभा के उन्नयन की योजना के तहत राज्यवार निर्मुक्तियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त निधियां			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	त्रिपुरा	3.12	3.12	3.12	3.12

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना के तहत राज्यवार निर्मुक्तियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त निधियां			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	असम	130.74	0.00	150.00	0.00
2.	मिजोरम	57.08	0.00	152.88	0.00
3.	त्रिपुरा	108.00	0.00	0.00	0.00

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के रूप में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय वे निर्माण के लिए निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त निधियां			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	असम	0.00	0.00	664.16	0.00
2.	त्रिपुरा	0.00	0.00	600.00	0.00

अति गोपनीय दस्तावेजों का प्रकाशन

2113. श्री रामसिंह राठवा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर महानिदेशालय के 'अतिगोपनीय' दस्तावेज हाल ही में सार्वजनिक किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस पर क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) आयकर विभाग के अन्तर्गत अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के अलावा विभिन्न आयकर महानिदेशालय आते हैं। आयकर महानिदेशालयों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रशासन, छूट, मानव संसाधन विकास, जांच, सतर्कता, विधि एवं अनुसंधान, अन्तर्राष्ट्रीय कराधान, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एन.ए.डी.टी.) सम्मिलित हैं।

विधि के प्रावधानों के अनुसार 'अति गोपनीय' दस्तावेजों के प्रकाशन की अनुमति नहीं है।

नुस्खों पर मिलने वाली दवाओं की बिक्री

2114. **श्री सुरेश अंगड़ी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नुस्खों पर लिखी दवाएं प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर (ओ.टी.सी.) के बिना पूरे देश में बेची जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे अपराधों के लिए पकड़ी गई दवा कंपनियां/पकड़े गए लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार उक्त के नियंत्रण के लिए कोई कड़े कदम उठाने का प्रस्ताव करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाब नबी आजाद): (क) और (ख) औषधों की बिक्री पर विनियामक नियंत्रण राज्य और संघ राज्य सरकारों द्वार नियुक्त औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अर्न्तगत बन्ाई गई औषध एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के अधीन रखा जाता है। उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें जिम्मेवार हैं।

(ग) और (घ) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के लिए शांस्तियों के अधिक कड़े उपबंध बनाने के लिए वर्ष 2008 में संशोधन किया गया है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे देश में औषधों की बिक्री पर बेहतर तरीके से सतर्कता बरतने के लिए अपने औषध नियंत्रण विभागों की जनशक्ति तथा अवसंरचना को सुदृढ़ करें।

[हिन्दी]

किसानों को ऋण पर छूट

2115. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को उनके पूर्व के ऋणों के भुगतान के ब्यौरे के आधार पर ऋणों पर छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के समक्ष मामले आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से ब्याज सहायता स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि किसानों को 7% वार्षिक की ब्याज दर पर एक वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध कराए जा सकें। भारत सरकार वर्ष 2009-10 से तत्परता से समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त ब्याज सहायता उपलब्ध करवाती आ रही है। यह अतिरिक्त सहायता 2009-10 में 1% और 2010-11 में 2% थी। इसे 2011-12 में बढ़ाकर 3% किया जा रहा है।

[अनुवाद]

बाक्साइट के लिए खनन पट्टा

2116. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने संघ सरकार से गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (जी.एम.डी.सी.एल.) को राज्य में बाक्साइट के लिए खनन पट्टे प्रदान करने के लिए पूर्व अनुमति का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, हां

(ख) गुजरात सरकार ने दिनांक 23.9.2009 के पत्र के द्वारा कच्छ जिले के मोटा रातादिया, नाना रातादिया और नागरेचा गांव में 539.98 एकड़ क्षेत्र में बॉक्साइट हेतु तीस वर्षों की अवधि के लिए खनन पट्टा मैसर्स गुजरात खनिज विकास निगम के पक्ष में देने के लिए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की सिफारिश की है। मंत्रालय ने दिनांक 30.4.2010 और 2.7.2010 के पत्रों के तहत गुजरात सरकार से इस प्रस्ताव के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगे थे। गुजरात सरकार से दिनांक 27.

10.2010 के उनके पत्र के तहत उत्तर प्राप्त हुआ था। तथापि मंत्रालय के दिनांक 21.1.11 के पत्र के तहत राज्य सरकार से कुछ और स्पष्टकरण मांगे गए हैं।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा संस्तुत खनिज रियायत प्रस्तावों की खान मंत्रालय द्वारा खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 और इसके तहत बनाए गए नियमों तथा दिशानिर्देशों के उपबंधों के आलोक में और जहां आवश्यक हो राज्य सरकारों तथा संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श करके जांच की जाती है। इसलिए प्रस्तावों के निपटान के लिए किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

महिलाओं से संबंधित कानून

2117. श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं के उत्पीड़न और दहेज से जुड़े उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदम कौन-कौन से हैं;

(घ) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को संबंधित नियम और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की समीक्षा का निर्देश दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार क्रमशः वर्ष 2007, 2008 तथा 2009 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध के कुल 185312, 195856 और 203804 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 75930, 81344 और 89546 मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क (पति तथा संबंधियों द्वारा क्रूर व्यवहार) के अंतर्गत और 5623, 5555 और 5650 मामले दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए।

(ग) संविधान के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सरकार के विषय होने के कारण महिलाओं के प्रति अपराधों सहित अन्य दूसरे अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, दर्ज करने, छानबीन करने तथा दोषसिद्ध करने का दायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर अधिकाधिक ध्यान देने के लिए भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर आगाह करती रही है। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 04 सितम्बर, 2009 को एक विस्तृत एडवाइजरी जारी करके उन्हें निर्देशित किया गया कि वे महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों से निपटने में तत्संबंधी तंत्र की व्यापक समीक्षा करें तथा कानून और व्यवस्था तंत्र की जवाबदेही बढ़ाने के समुचित उपाय करें। राज्यों से यह भी कहा गया है कि महिलाओं के साथ हुए अपराधों के सभी मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) यथाशीघ्र दर्ज की जाए और मामलों की गहराई से जांच की जाए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच की गुणवत्ता बनाए रखते हुए घटना की तारीख से अगले तीन माह के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट तथा पारिवारिक न्यायालयों के गठन पर भी जोर दिया गया है।

महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में खतरनाक स्थिति तक बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने 07 जनवरी, 2009 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यह अनुरोध किया कि वे इस तरह के अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए उपचारात्मक उपाय करने हेतु संबद्ध अधिकारियों को तत्काल निर्देश जारी करें तथा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे महिलाओं से संबंधित सभी मुद्दों के बारे में पुलिस को सभी स्तरों पर संवेदनशील बनाएं तथा महिलाओं के साथ होने वाले गंभीर अपराधों को सुलझाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करें। इसके अलावा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की जरूरत पर भी जोर दिया है, ताकि पीड़ित महिला को त्वरित न्याय दिलाया जा सके।

(घ) और (ङ) माननीय उच्चतम न्यायलय ने प्रीति गुप्ता एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य सरकार (2010 का आपराधिक अपील संख्या 1512) के मामले में कहा कि भा.दं.सं. की धारा 498 क (पति तथा संबंधियों द्वारा क्रूर व्यवहार) के प्रावधानों पर गहराई से विचार किए जाने की जरूरत है। भारत के विधि आयोग से कहा गया है कि वह भा.दं.सं. की धारा 498क संशोधन के बारे में अपनी अनुशंसा दे अथवा उक्त उपबंध के कथित दुरुपयोग को रोकने और विशेषरूप से इसकी जटिलता के बारे में अन्य आवश्यक उपाय सुझाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की समीक्षा के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है।

ग्राम पंचायतों में शराब-नशा मुक्ति केन्द्र

2118. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर शराब-नशा मुक्ति केन्द्र खोलने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक उक्त योजना के क्रियान्वयन की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) से (ग) ग्राम पंचायत स्तर पर शराब-नशा मुक्ति केन्द्र खोलने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन का कोई प्रस्ताव पंचायती राज मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। तथापि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय "शराबखोरी और नशीली दवाओं की लत से मुक्ति [प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहॉलिजम एंड सबस्टांस (ड्रग) एब्यूज) हेतु सहयोग की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम" कार्यान्वित करता है जिसके तहत अन्यों के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, नेहरू युवा केन्द्र संगठन इत्यादि को राज्य सरकार की अनुशंसा के आधार पर नशा के आदि लोगों के पुनर्वास हेतु संयुक्त/एकीकृत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्र चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। शराबखोरी और नशीली दवाओं की लत से मुक्ति [प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहॉलिजम एंड सबस्टांस (ड्रग) एब्यूज] एवं सामाजिक सुरक्षा सेवाओं हेतु सहयोग की स्कीम को 01 अक्तूबर 2008 से संशोधित किया गया है। संशोधित स्कीम के अनुसार पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआईज), शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबीएज), राज्य/केन्द्र सरकारों द्वारा पूर्णतया निधियित अथवा प्रबंधित संगठन/संस्थान सहायता के पात्र हैं।

[हिन्दी]

बायोमास उत्पादन

2119. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बायोमास, बगासे और धान की भूसी के उप-उत्पादों पर आधारित विद्युत परियोजनाओं की मौजूदा संस्थापित क्षमता का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों तक चालू वर्ष के दौरान संस्थापित बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाओं की संख्या क्या है तथा प्रत्येक परियोजना की राज्यवार विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बायोमास, बगासे और धान की भूसी से विद्युत उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के तहत प्राप्त लक्ष्यों का प्रतिशत क्या है;

(ङ) क्या लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना में ले जाए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य-वार रिपोर्ट क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) जी हां, धान की भूसी और चीनी मिलों में खोई आधारित सह-उत्पादन सहित बायोमास से विद्युत उत्पादन की वर्तमान संस्थापित क्षमता क्रमशः 1045 मेवा और 1742 मेवा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक परियोजना के अंतर्गत भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय बायोमास संसाधन एटलस के अनुसार धान की भूसी सहित बायोमास से विद्युत उत्पादन की अनुमानित क्षमता लगभग, 17,536 मेवा है। इसके अतिरिक्त, देश में चीनी मिलों में खोई पर आधारित सह-उत्पादन से लगभग 5000 मेवा की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता का अनुमान किया गया है।

(ख) ऐसी परियोजनाओं की संख्या और पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल संस्थापित क्षमता के संबंध में राज्य-वार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। बायोमास विद्युत परियोजना की संस्थापित क्षमता बायोमास की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए 6 मेवा से 10 मेवा के बीच अलग-अलग होती है जबकि किसी चीनी मिल में खोई सह-उत्पादन परियोजना की संस्थापित अतिरिक्त क्षमता उनकी गन्ने की दैनिक पेराई क्षमता पर निर्भर करते हुए 6 मेवा से 25 मेवा तक अलग-अलग होती है।

(ग) से (घ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दहन/सहउत्पादन एवं गैसीकरण प्रौद्योगिकियों पर आधारित विद्युत उत्पादन के लिए खोई तथा धान की भूसी सहित विभिन्न बायोमास अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन हेतु परियोजनाओं की संस्थापना को बढ़ावा देने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। 1700 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में 1645 मेवा का क्षमतावर्धन प्राप्त किया गया है जो नियोजित लक्ष्य का 96% है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11) तथा चालू वर्ष (वर्ष 2011-12; दिनांक 30.6.2011 की स्थिति के अनुसार) के दौरान बायोमास विद्युत परियोजनाओं की संख्या और संस्थापित क्षमता का राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	कुल संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)
1.	आंध्र प्रदेश	3	29.00
2.	बिहार	1	9.50
3.	छत्तीसगढ़	10	93.60
4.	गुजरात	1	10.00
5.	हरियाणा	3	29.8
6.	कर्नाटक	8	102.90
7.	महाराष्ट्र	30	353.00
8.	पंजाब	5	62.5
9.	राजस्थान	5	60.00
10.	तमिलनाडु	17	197.70
11.	उत्तर प्रदेश	30	407.00
12.	उत्तराखंड	1	10.00
13.	पश्चिम बंगाल	2	16.00
	कुल	116	1381.00

[अनुवाद]

केरल में नौका दौड़

2120. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केरल सहित देश में नौका दौड़ आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस पर राज्य-वार और वर्ष-वार कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या सरकार को केरल में नौका दौड़ के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा नौका दौड़ को बढ़ावा देने हेतु, ताकि भारी संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके, क्या कदम उठाए जाने का प्रस्तावित हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) नौका दौड़ सहित विभिन्न पर्यटक गंतव्यों/मेलों/उत्सवों/कार्यक्रमों का विकास और संवर्धन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य

क्षेत्र प्रशासन (यूटी) द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर, उनके साथ परामर्श से अभिनिर्धारित पर्यटन अवसंचना विकास परियोजनाओं/मेलों/उत्सवों/कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

(ख) पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2009-10 के दौरान अलप्पुझा में नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ आयोजित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी।

(ग) और (घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अलप्पुझा में नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ आयोजित करने के लिए 15 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। केरल के राज्य सरकार से इस कार्यक्रम के लिए विस्तृत लागत अनुमान प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2011-12 के दौरान पर्यटन मंत्रालय को कोल्लम में प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी नौका दौड़ के लिए 50.00 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अनुदान हेतु हाल ही में एक प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है।

(ङ) पर्यटन मंत्रालय नौका दौड़ सहित विभिन्न पर्यटक गंतव्यों/मेलों/उत्सवों/कार्यक्रमों और देश के उत्पादों को शामिल करते हुए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों में भारत का एक समग्र गंतव्य के रूप में संवर्धन करता है। अन्य बातों के साथ-साथ इन पर्यटन गंतव्यों/मेलों/उत्सवों/कार्यक्रमों और उत्पादों का संवर्धन मीडिया अभियानों, पर्यटक साहित्य एवं प्रचार सामग्री के माध्यम से किया जाता है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए क्षेत्रीय इकाइयाँ

2121. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन हेतु क्षेत्रीय इकाइयां स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गुजरात सहित राज्य-वार किन स्थानों पर उक्त इकाइयां स्थापित की गई हैं; और

(ग) देश में वैकल्पिक ऊर्जा के संयंत्रों की स्थापना हेतु इन इकाइयों को क्या सुविधाएं और सहायता प्रदान की गई हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) से (ग) जी हां, सरकार द्वारा राज्यों में इस मंत्रालय की ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी करने में सहायता प्रदान करने हेतु अहमदाबाद, भोपाल, चंड़ीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, पटना, चैन्नई और भुवनेश्वर में क्षेत्रीय यूनिटें/कार्यालय स्थापित किए गए थे। राज्य नोडल एजेंसियों (एसएनए) की संस्थापना के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकता काफी कम रह गई है। अत: सरकार द्वारा एक चरणबद्ध तरीके से क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। आज की तारीख में केवल दो क्षेत्रीय कार्यालय, एक गुवाहाटी में और दूसरा भुवनेश्वर में कार्यशील है।

बायोगैस विकास

2122. श्री हेमानंद बिसवाल: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बायोगैस विकास संबंधी राष्ट्रीय परियोजना के तहत नामांकन किए गए ग्रामीण गृहस्थियों की संख्या और प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या अनेक बायोगैस संयंत्र कार्य करना बंद कर चुके हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में बायोगैस उत्पादन की संभाव्यता का आंकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रामीण परिवारों की खाना बनाने, रोशनी और बायोगैस उर्वरक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्र की संस्थापना करने हेतु राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एन.बी.एम.एम.पी.) कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मंत्रालय के राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक लगभग 44.05 लाख परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की संस्थापना की गई है। परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की अनुमानित संभाव्यता एवं उपलब्धियों तथा पंजीकृत/शामिल किए गए परिवारों की प्रतिशतता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्थापित बायोगैस संयंत्रों के प्रकार्य पर मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान एक स्वतंत्र एजेंसी से एक मूल्यांकन अध्ययन कराया गया। मंत्रालय को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण किए गए बायोगैस

संयंत्रों में से औसतन 95.80% को देश देश के 6 प्रतिनिधि राज्यों में कार्यशील पाया गया। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 123 लाख परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की संभाव्यता का अनुमान किया गया है जो वर्ष 1981-82 की पशु गणना पर आधारित है। उपर्युक्त अनुमानों के आधार पर तथा प्रतिदिन 2 घनमीटर औसत आकार के एक बायोगैस संयंत्र को लेकर किए गए अनुमान के आधार पर ऐसे संयंत्रों की कुल संभाव्यता का दोहन करने पर प्रतिदिन लगभग 246 लाख घनमीटर बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है। राज्य-वार अनुमानित संभाव्यता के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

विवरण I

राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के अंतर्गत परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की राज्य-वार अनुमानित संभाव्यता और उपलब्धियां

राज्य/संघ	अनुमानित संभाव्यता	2010-11 का कुल	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार संचयी उपलब्धियां	संभाव्यता पर उपलब्धियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1065000	16275	474213	44.52
अरुणाचल प्रदेश	7500	175	3132	41.76
असम	307000	6732	88324	28.77
बिहार	733000	350	126238	17.22
गोवा	8000	18	3911	48.88
गुजरात	554000	6105	418055	75.46
हरियाणा	300000	1379	55462	18.48
हिमाचल प्रदेश	125000	445	46161	36.92
जम्मू और कश्मीर	128000	114	2603	02.03
कर्नाटक	680000	14464	433223	63.70
केरल	150000	3941	130404	86.93
मध्य प्रदेश	1491000	16742	312322	20.94
महाराष्ट्र	897000	21456	801983	89.40
मणिपुर	38000	–	2128	05.60
मेघालय	24000	1275	7936	33.06
मिजोरम	5000	100	3920	78.40

1	2	3	4	5
नागालैंड	6700	1171	5324	79.46
उड़ीसा	605000	6050	245868	40.63
पंजाब	411000	23700	128989	31.38
राजस्थान	915000	275	67623	07.39
सिक्किम	7300	358	7691	105.35
तमिलनाडु	615000	1493	218009	35.44
त्रिपुरा	28000	89	2882	10.29
उत्तर प्रदेश	1938000	4603	426872	22.02
पश्चिम बंगाल	695000	17000	335510	48.27
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2200	–	137	06.22
चंडीगढ़	1400	–	97	06.92
दादरा और नगर हवेली	2000	–	169	08.45
दिल्ली/नई दिल्ली	12900	1	680	05.27
पुडुचेरी	4300	–	578	13.44
छत्तीसगढ़	400000	3832	35882	08.97
झारखंड	100000	913	5846	05.85
उत्तराखंड	83000	2082	12590	15.16
कुल	12339000	151138	4404762	35.69

विवरण II

राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के अंतर्गत 10वीं योजना के दौरान संस्थापित बायोगैस संयंत्रों के लिए मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार बायोगैस संयंत्रों की कार्यशीलता

क्र. सं.	राज्य/क्षेत्र का नाम	संस्थापित संयंत्र	नमूना आकार (2.5%)	कार्यशीलता की प्रतिशतता
	1	2	3	4
1.	असम: जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है (इस क्षेत्र में 5% नमूना आकार लिया गया है)	298	27	92.60%

1	2	3	4	5
2.	पश्चिम बंगाल: जो पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है	62708	1582	92.29%
3.	गुजरात: जो पश्चिमी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है	33796	879	97.61%
4.	पंजाब: जो उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है	9907	251	100%
5.	केरल: जो दक्षिणी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है	12724	298	99.32%
6.	छत्तीसगढ़: जो केन्द्रीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है	22138	540	99.44%
	कुल	141571	3577	95.80%

रोगी कल्याण समितियां

2123. श्री रुद्रमाधव राय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अधिकांश रोगी कल्याण समितियां (आर.के.एस.) ग्रामीण अस्पतालों में चिकित्सकों के अभाव के कारण काम नहीं शुरू कर सकी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आर.के.एस. को चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/जाने का प्रस्ताव क्या है; और

(घ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने के लिए अन्य कौन से उपायों को अपनाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) जी नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार राज्यवार प्रगति में देश भर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर कुल 33169 रोगी कल्याण समितियां (आर.के.एस.) कार्यरत हैं।

(घ) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अवसंरचना, मानव संसाधनों, उपकरणों, प्रशिक्षण इत्यादि संबंधी अपनी आवश्यकताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अंतर्गत अपनी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पी.आई.पी.) में प्रक्षेपित करते हैं। भारत सरकार, राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति की संस्तुतियों के आधार पर, वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना का अनुमोदन करती है, जिसका उसके बाद कार्यान्वयन किया जाता है।

विद्युत संयंत्र

2124. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 2020 तक कितने नए विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाएंगे;

(ख) अब तक कितने विद्युत संयंत्रों पर राज्य-वार कार्य आरंभ हो चुका है;

(ग) उन विद्युत संयंत्रों की संख्या और ब्यौरा क्या है जहां कार्य आरंभ होना शेष है साथ ही इसके कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) योजना आयोग के द्वारा दिसंबर, 2002 में प्रकाशित "विजन 2020" की रिपोर्ट में 2020 तक इस समय उपलब्ध क्षमता 101,000 मे.वा. से 292,000 मेगावाट तक संथापित क्षमता को तीन गुनी होने का अनुमान लगाया गया था। तथापि, विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान नहीं की गई थी। देश में 30-06-2011 तक संस्थापित उत्पादन क्षमता 1,76,990 मे.वा. है।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं का मास्टर प्लान

2125. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में विद्युत उत्पादन हेतु लगभग 900 मिलियन डालर का एक व्यापक मास्टर प्लान अनुमोदन हेतु वित्त मंत्रालय के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह विद्युत परियोजना कब से लंबित है;

(ग) उक्त विद्युत परियोजना को कब तक सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त विद्युत परियोजना को आज तक अनुमोदित न किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) लागू नहीं।

(घ) लागू नहीं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के मामले

2126. श्री निलेश नारायन राणे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को महाराष्ट्र के सेवानिवृत्त सरकार कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान प्रदान किए जाने के संबंध में महाराष्ट्र के महालेखाकार (I) मुंबई के पास अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 के बीच लंबित विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार छठे वेतन आयोग के अंतर्गत संशोधन के संबंध में महाराष्ट्र सरकार के पेंशनभोगियों से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय में सात शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) इन सभी सातों मामलों को निपटा लिया गया है। छह मामलों में आवश्यक स्वीकृति दे दी गई है और शेष एक मामले में आवश्यक स्वीकृति नहीं दी जा सकी क्योंकि पेंशन का पूंजीगत मूल्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 15-12-2009 को जारी किए गए शुद्धिपत्र के अनुसार स्वीकार्य नहीं था।

चिकित्सा आचारों का उल्लंघन

2127. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा आचारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विदेशी भेषज कंपनियों को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के विभिन्न दायरे में लाने और इसमें तदनुसार संशोधन कर चिकित्सा आचारों के उल्लंघन को एक अपराध बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नीतिशास्त्र) विनियम, 2002 में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और संबंधित राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों को नीतिशास्त्र संहित के उल्लंघन के किसी कार्य के विरूद्ध दंड देने की शक्ति दी गई है। नीतिशास्त्र संहिता के उल्लंघन और रोगियों के उपचार में लापरवाही बरतने के लिए चिकित्सकों के विरूद्ध प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या और उन शिकायतों की संख्या जिन पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा कार्रवाई की गई है, निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटान की गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
1.	2008	499	485	14
2.	2009	684	676	08
3.	2010	610	596	14
4.	2011 (मार्च, 2011 तक)	217	196	21

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण

2128. श्री विष्णु पद राय: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के मापाबंडर तहसील के पहलगांव पंचायत के तहत तुगापुर सं. 6 से तुगापुर सं. 2 तक 2.5 कि.मी. आबादी 1955 में ग्रामीण सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या वन संबंधी अनुमति हेतु उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा इसे पूरा किये जाने का क्या लक्ष्य है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) से (ग) पंचायती राज मंत्रालय की देश में ग्रामीण सड़कों के निर्माण की कोई योजना नहीं है। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के संघ शासित प्रशासन ने यह सूचना दी है कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

2129. श्रीमती रमा देवी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न एन.जी.ओ. को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो इन एन.जी.ओ. को किन योजनाओं के तहत ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ङ) उन्हें उपलब्ध कराई गई कुल धनराशि तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन एन.जी.ओ. को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) अनियमितताओं में संलिप्त एन.जी.ओ. के क्या नाम हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (च) देश में पर्यटन के संवर्धन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.) को शामिल करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए पर्यटन मंत्रालय (एम.ओ.टी.) अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उन्हें केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी.एफ.ए.) प्रदान करता है। कुछ पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्र सरकार की एजेंसियों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी दी जाती है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को सीधे तौर पर निधियां जारी नहीं करता है।

ग्रामीण पर्यटन योजना में सॉफ्टवेयर घटक के विकास का क्रियान्वयन कुछेक मामलों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा पहचान किए गए गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है, जिसके लिए भी सिर्फ सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियां जारी की जाती हैं।

[अनुवाद]

शिशु मृत्यु दर में कमी करने हेतु एम.डी.जी

2130. श्रीमती अन्नू टन्डनः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः

क्या **स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में मातृ और शिशु दर में काफी कमी हुई है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित मिलेनियम विकास लक्ष्यों (एम.डी.जी) को प्राप्त करने वाला है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और कौन-से राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट हैं;

(घ) क्या पिछले कुछ वर्षो के दौरान समग्र प्रजनन दर में गिरावट के बाद यह स्थिर बनी हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के अंतर्गत भारत को वर्ष 2015 तक प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 106 से कम मातृ मृत्यु और प्रति हजार जीवित जन्मों पर 30 से कम की नवजात शिशु मृत्यु दर के लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारत के महापंजीयक नवीनतम नमूना पंजीयन पद्धति रिपोर्ट के अनुसार देश में मातृ मृत्यु अनुपात 254 (वर्ष 2044-06) से कम होकर 212 (2007-09 में) और शिशु मृत्यु दर कम होकर 50 (नमूना पंजीयन पद्धति 2009) हो गई है। राज्य-वार ब्यौरे सलंग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(ग) मातृ मृत्यु अनुपात के लिए सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्य ने प्राप्त कर लिया है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और हरियाणा सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य के नजदीक हैं।

शिशु मृत्यु दर के सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य को प्राप्त करने वाले राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन और दीव, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, मणिपुर, नागालैंड, पाण्डुचेरी और तमिलनाडु हैं। शिशु मृत्यु दर के लक्ष्य के लगभग आस-पास पहुंच चुके राज्य अरूणाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल हैं।

(घ) और (ङ) देश की कुल प्रजनन दर वर्ष 2008 और 2009 के बीच बिल्कुल भी नहीं बदली है। तथापि, उसी अवधि के दौरान तीन राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में कुल प्रजनन दर में कमी पाई गई है। कुल प्रजनन दर की स्थिरता के कारण हैं: कम साक्षरता, छोटी आयु में विवाह और बच्चा होना और गर्भनिरोधकों का कम इस्तेमाल करना।

(च) इस संबंध में भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय हैं:

1. विभिन्न परिवार नियोजन विधियों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों का प्रशिक्षण।
2. सभी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में निर्धारित दिवस परिवार नियोजन सेवाओं को बढ़ावा देना।
3. बच्चों के जन्म में अन्तराल रखने के लिए दीर्घावधि आईयूडी-380-ए (10 वर्ष) को बढ़ावा देना।
4. संस्थागत प्रसवों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी को देखते हुए प्रसवोत्तर परिवार नियोजन सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित करना।
5. बंध्यीकरण सेवाओं की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए निजी प्रदायकों को सूचीबद्ध करना।
6. पात्र दंपत्तियों द्वारा गर्भ निरोधकों की सुलभता में सुधार करने के लिए घर पर गर्भनिरोधक प्रदान करने के लिए आशा की सेवाएं ली जाएं और इस प्रयास के लिए उसे प्रोत्साहन दिया जायेगा। आरंभ में यह पहल प्रायोगिक आधार पर 17 राज्यों के 233 जिलों में शुरू की गई है।

विवरण I

विगत दो अवधियों अर्थात वर्ष 2004-06 और 2007-2009 के लिए मातृ मृत्यु अनुपात का राज्यवार ब्यौरा मातृ मृत्यु अनुपात (भारत एवं राज्यवार)

(स्त्रोत: भारत के महापंजीयक (नमूना पंजीयन पद्धति) 2004-2006 और 2007-2009)

बड़े राज्य	मातृ मृत्यु अनुपात (2004-06)	मातृ मृत्यु अनुपात (2007-09)
भारत कुल*	254	212
असम	480	390
बिहार/झारखंड	312	261
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	335	269
उड़ीसा	303	258
राजस्थान	388	318
उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड	440	359
आंध्र प्रदेश	154	134
कर्नाटक	213	178
केरल	95	81
तमिलनाडु	111	97
गुजरात	160	148
हरियाणा	186	153
महाराष्ट्र	130	104
पंजाब	192	172
पश्चिम बंगाल	141	145
अन्य	206	160

विवरण II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1000 जीवित जन्मों पर नवजात शिशु मृत्यु दर 2005	2009
1	2	3
भारत	58	50
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	27	27
आंध्र प्रदेश	57	49
अरूणाचल प्रदेश	37	32
असम	68	61
बिहार	61	52
चंडीगढ़	19	25
छत्तीसगढ़	63	54
दादरा और नगर हवेली	42	37
दमन और द्वीप	28	24
दिल्ली	35	33
गोवा	16	11
गुजरात	54	48
हरियाणा	60	51
हिमाचल प्रदेश	49	45
जम्मू और कश्मीर	50	45
झारखंड	50	44
कर्नाटक	50	41
केरल	14	12
लक्षद्वीप	22	25
मध्य प्रदेश	76	67
महाराष्ट्र	36	67
मणिपुर	13	16
मेघालय	49	59

1	2	3
मिजोरम	20	36
नागालैंड	18	26
उड़ीसा	75	65
पुदुचेरी	28	22
पंजाब	44	38
राजस्थान	68	59
सिक्किम	30	34
तमिलनाडु	37	28
त्रिपुरा	31	31
उत्तर प्रदेश	73	63
उत्तराखंड	42	41
पश्चिम बंगाल	38	33

[हिन्दी]

जारवा जनजाति

2131. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में अंडमान और निकोबार (एनएंडएन) द्वीप समूहों में रह रही जारवा जनजातियों की अनुमानित जनसंख्या कितनी हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जारवा जनजातियों के कल्याण हेतु आवंटित एवं उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस समुदाय को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस समय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली जारवा जनजातियों की अनुमानित जनसंख्या 381 है।

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारवा जनजातियों के कल्याण के लिए उपयोग में लाई गई निधियां निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	राशि (लाख रु. में)
1.	2008-09	32.64
2.	2009-10	49.03
3.	2010-11	72.16
4.	2011-12 (31.07.2011)	38.30

(ग) इस जनजाति के लिए कल्याण कार्यकलाप "अंडमान द्वीप समूह की जारवा जनजाति नीति, 2004" के अनुसार किए जा रहे हैं जो समीक्षाधीन है।

[अनुवाद]

एनटीपीसी द्वारा फ्लाई ऐश का प्रबंधन

2132. श्री बिभू प्रसाद तराई: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) को त्रुटिपूर्ण फ्लाई ऐश प्रबंधन योजना के कारण उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ओएसपीसीबी) द्वारा उड़ीसा में इसकी कुछ इकाइयों को बंद करने का नोटिस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन संयत्रों के नाम और अन्य ब्यौरा क्या हैं तथा इससे विद्युत उत्पादन और उपभोक्त किस हद तक प्रभावित होंगे; और

(ग) एनटीपीसी द्वारा समस्या के निपटान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी हां। उड़ीस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बोएसपीसीबी) ने पर्यावरण एवं राख प्रबंधन से संबंधित मामलों के कारण उड़ीसा में कनिहा में तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन (टीएसटीपीएस) चरण-II के सभी चारों यूनिटों को बंद करने का नोटिस दिया है।

(ख) इस संयंत्र के चरण-I की क्षमता 2×500 मेगावाट है तथा संयंम के चरण-II की क्षमता 4 × 500 मेगावाट है। टीएससीपीएस में यूनिटों के बंद होने के परिणामस्वरूप 02 जुलाई से 13 जुलाई, 2011 के दौरान 340 मिलियन यूनिट उत्पादन की हानि हुई है।

(ग) बंद किए जाने का नोटिस प्राप्त होने पर एनटीपीसी ने ओएसपीसीबी तथा उड़ीस सरकार के साथ नोटिस के प्रतिसंहरण के लिए कार्रवाई की। बंद करने संबंधी नोटिस को रोक कर रखा गया था। विद्युत की उत्पादन एवं आपूर्ति 13.7.2011 से पुन: शुरू की गई है। एनटीपीसी द्वारा सुधारात्मक उपायों से युक्त कार्रवाई योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा ओएसपीसीबी द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है।

बचत खाता ब्याज दर

2133. श्री के. सुगुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बचत बैंक ब्याज दरों को विनियमों से मुक्त करने की पैरवी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरबीआई ने जनसाधारण से फीडबैक मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी फीडबैक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) ब्याज दरों में प्रगामी अविनियमन को ध्यान में रखते हुए, 02 नवम्बर, 2010 को घोषित द्वितीय तिमाही मौद्रिक समीक्षा नीति 2010-11 में यह प्रस्ताव किया गया था कि बचत बैंक के खातों की ब्याज दर को विनियमित करने से जुड़े पक्ष और विपक्ष की रूपरेखा के संबंध में एक विमर्श-पत्र तैयार किया गया और इसे आम लोगों के विचार जानने के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला जाए।

(ग) जी, हां।

(घ) तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के निहित मुद्दों पर और सुविज्ञ लोक चर्चा चलाने के लिए विमर्श-पत्र में बचत बैंक जमा ब्याज दर के अविनियमन के पक्ष विपक्ष दोनों के संबंध में रूपरेखा तैयार की और इसे 28 अप्रैल, 2011 को लोक टिप्पणियों/सुझावों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाल दिया। इस विमर्श-पत्र से पणधारकों के विभिन्न वर्गों से व्यापक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई।

[हिन्दी]

बैंकों और बीमा कंपनियों में अ.जा./अ.ज.जा/ अ.पि.वि. अधिकारी

2134. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) और सरकारी बीमा कंपनियों में महाप्रबंधक तथा इससे ऊपर के पदों पर कार्यरत अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और अन्य पिछड़ा वर्गों के अधिकारियों (अ.पि.व.) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व श्रेणी के पात्र व्यक्तियों को बैंक और बीमा कंपनियों में नीति निर्धारण हेतु विनिर्दिष्ट अनुपात में भागीदारी करने की अनुमति देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) जी, नहीं। एसीसी द्वारा यथा अनुमोदित सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा बीमा कंपनियों के पूर्णकालिक निदेशकों से संबंधित दिशानिर्देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किसी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु निधियां

2135. श्री नारायण सिंह अमलाबे: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन संयंत्र में वृद्धि करने तथा राज्यों में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु सरकार द्वारा देश में मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों को आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्यों ने आवंटित निधियों का उपयोग किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत स्तर पर कुछ प्रमुख पहले की गई हैं, जिनमें ताप-उत्पादन की डीलाईसेंसिग, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) की शुरुआत करने की पहल, निवेश के अनुकूल नई हाइड्रो नीति 2008 तथा मेगा पावर पालिसी का उदारीकरण शामिल है। इसके अलावा विद्युत मंत्रालय एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं की पहचान करना एवं पता लगाने के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी के कार्य किए जा रहे हैं।

(ग) से (च) योजना आयोग प्रत्येक वर्ष राज्यों की वार्षिक योजना परिव्यय का अनुमोदन करता है। वार्षिक योजनाओं के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना आयोग द्वारा आवंटित निधियों में विद्युत क्षेत्र के लिए आबंटित निधियां शामिल हैं। विद्युत क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों के आवंटन और विगत तीन वर्षों के दौरान इनके उपयोग के ब्यौरे इस प्रकार हैं–

(रुपए करोड़ में)

वार्षिक योजना	अनुमोदित निधि	निधि की उपयोगिता
2008-09	33493.96	31576.80
2009-10	38050.18	34077.58
2010-11	44381.64	44152.39 (संशोधित अनुमान)

चालू वित्त वर्ष के लिए कुछ राज्यों के संबंध में निधियों के आबंटन की प्रक्रिया अभी भी योजना आयोग में विचार-विमर्श के स्तर पर है।

विद्युतीकरण कार्य हेतु राजसहायता

2136. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों से देश में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विभिन्न गैर-पारंपरिक ऊर्जा के तहत राजसहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यों को राज्य-वार उपलब्ध कराई जा रही राजसहायता का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण/रोशनी सहित मंत्रालय के विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत राजसहायता उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों/उनकी नामित राज्य नोडल एजेंसियों से नैत्यिक आधार पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

(ख) विगत 3 वर्षों तथा चालू वर्ष (30.6.2011 की स्थिति के अनुसार) के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण/रोशनी हेतु विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई राजसहायता/केन्द्रीय वित्तीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले 3 वर्षों तथा चालू वर्ष (30.6.2011 की स्थिति के अनुसार) के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण/रोशनी हेतु विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राजसहायता (सब्सिडी) का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण	बायागैस से विद्युत	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां	बायोमास गैसीफायर	लघु पनबिजली*	लघु पवन/ हाइब्रिड प्रणालियां*	ग्राम ऊर्जा परियोजनाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	24.07	81.63	913.94	ग्रामीण	455.90		
2.	अरूणाचल प्रदेश	278.57		1156.12		17185.04	24.97	
3.	असम	3873.15		783.81		360.00		0.91
4.	बिहार		0.66	57.80	231.00	1035.46		
5.	छत्तीसगढ़	1330.84	8.77	4373.29		150.00		2.40
6.	गोवा	9.74		38.75			391.61	
7.	गुजरात			265.74	19.00		24.73	0.10
8.	हरियाणा	68.55	37.95	1896.90		128.00		
9.	हिमाचल प्रदेश			1286.62		9482.17	15.10	
10.	जम्मू और कश्मीर	4398.46		3358.38		1165.68	56.89	
11.	झारखंड	1956.70		855.01				0.58
12.	कर्नाटक	10.55	27.17	557.38		2984.24	2.14	
13.	केरल	330.96	32.98	46.35		1528.93		
14.	मध्य प्रदेश	2305.72		1725.11			29.42	0.33
15.	महाराष्ट्र	1094.60	28.92	1521.24		25.00	325.11	1.49
16.	मणिपुर	409.02		700.52		73.76	186.10	
17.	मेघालय	125.94		707.63		215.34	4.62	
18.	मिजोरम			246.40		373.06		
19.	नागालैंड	52.89		150.87		381.00		
20.	उड़ीसा	4602.42		30.22				1.56
21.	पंजाब		1.65	1250.30		216.77	120.70	
22.	राजस्थान	1267.00	6.28	3901.07	1.00		31.03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	सिक्किम	8.04	85.95	326.56		928.62	11.30	
24.	तमिलनाडु	66.76	0.66	383.88	27.00	88.18	12.83	
25.	त्रिपुरा	1748.26		662.34			0.90	
26.	उत्तर प्रदेश	269.74	6.93	3736.39	4.00	2.00		
27.	उत्तराखंड	134.83	5.28	3775.07		4202.41	35.00	0.37
28.	पश्चिम बंगाल	2785.24		2811.63		50.00	48.41	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह							
30.	चंडीगढ़							
31.	दादरा और नगर हवेली							
32.	दमन और दीव							
33.	दिल्ली	14.96		52.03				
34.	लक्षद्वीप			1398.33				
34.	पुडुचेरी			11.54				
	अन्य	15.04		4600.26				
	कुल	28375.01	324.83	43581.48	282.00	41031.56	1320.86	7.73

*इसमें शहरी क्षेत्रों में संस्थापित प्रणालियों के लिए सब्सिडी भी शामिल है। लघु पनबिजली के मामले में ग्रिड सम्बद्ध परियोजनाओं के लिए दी गई सब्सिडी को भी शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

मातृ और नवजात टिटनेस मृत्यु

2137. श्री अधीर चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'मातृ और नवजात टिटनेस' (एमटीएन) टीके के साथ मताओं का टीकाकरण कर ग्रामीण भारत जहां नीम-हकीमों द्वारा अस्वच्छ उपकरणों के उपयोग के कारण मृत्यु दर अत्यधिक है वहां स्वच्छ प्रसव तथा नाल देखभाल पद्धतियों पर बल देकर मातृ और नवजात टिटनेस मृत्यु से बचा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस प्रकार की मृत्यु से बचने के लिए आरंभ किये जाने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) जी, हां, मातृ और नवजात शिशु टेटनस से होने वाली मौतों को टेटनस टाक्साइड (टीटी) टीके से गर्भावस्था से पूर्व अथवा दौरान महिलाओं को रोग प्रतिरक्षित करके तथा नाभि रज्जु परिचर्या (अम्बिलिकल कॉर्ड परिचर्या), सहित स्वच्छ प्रसव पद्धतियां सुनिश्चित करके रोका जा सकता है।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2009 में नवजात शिशु टेटनस के कुल 889 मामले तथा 31 मौतें सूचित की गई थी। प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि अनिवार्य नवजात शिशु प्रशिक्षण सहित सुरक्षित व स्वच्छ प्रसव सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को टेटनस टाकसाइड दिया जाता है।

[हिन्दी]

विद्युत संयंत्रों का पुनरुद्धार

2138. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) सहित अनेक कंपनियों द्वारा उपस्कर आपूर्ति में विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) सीईए के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित कारणों की वजह से 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक विद्युत संयंत्रों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) के लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने की संभावना नहीं हैं:

* उत्पादन यूटिलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति
* अधिकतर उत्पादन यूटिलिटियों पर समर्पित आर एण्ड एम टीम की अनुपलब्धता।
* विद्युत की कमी से आर एण्ड एम कार्यों को शुरू करने के लिए यूटिलिटिज को अधिक समय तक बंद रखने की अनुमति नहीं प्रदान करता है।
* आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा उपकरणों की आपूर्ति में देरी।
* देश में बैलेन्स आॅफ (बी.ओ.पी.) के आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों की कमी।
* अप्रत्याशित रूप से, आर एण्ड एम कार्यों को शुरू करने के लिए जब यूनिट को खोला जाता है, तो नए दोष अथवा खराबियां सामने आती हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रापण एवं परिशोधन में देरी होती है।
* आर एण्ड एम ठेकों को अंतिम रूप देने में देरी।

(ग) से (ङ) विद्युत परियोजनाओं की आर एण्ड एम के कार्यान्वयन के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) सहित अनेक कंपनियों द्वारा उपस्करों की आपूर्ति में देरी हुई है। सरकार द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं –

* विद्युत मंत्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा नियमित समीक्षा तथा अनुवर्तन किया जा रहा है।
* सीईए इंजीनियर्स द्वारा बार-बार दौरे किए जाते हैं
* सीईए/एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।
* पावर फाइनेन्स कारपोरेशन (पीएफसी)/रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) के माध्यम से ऋण के रूप में निधि उपलब्ध कराई जाती है।
* आर एण्ड एम कार्यों का तेजी से क्रियान्वयन करने के लिए सीईए द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
* बड़ी संख्या में आर एण्ड एम कार्यों को शुरू करने के लिए अधिक संख्या में विक्रेताओं के लिए अन्वेषण/विकास हेतु विद्युत मंत्रालय तथा सीईए द्वारा एक साथ कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में, अनेक विद्युत उपस्कर विनिर्माण कंपनियों जैसे दुसान हैवी इंडस्ट्रीज एण्ड कंसट्रक्शन, कोरिया, अल्सटाम पावर लिमिटेड यू.के. (एनएएसएल) एनटीपीसी लिमिटेड के संयुक्त उद्यम तथा अल्सटाम सहित, तोशिबा जापान, डोंग फैंग इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, चीन एनएएसएल, एल एण्ड टी इत्यादि ने आर एण्ड एम कार्यों में रूचि दिखाई है।

[अनुवाद]

महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु योजना

2139. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश सहित राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर महिला सशक्तिकरण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार द्वारा संस्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) मुख्यत: ग्रामीण महिला सशक्तिकरण हेतु विशेषकर आंध्र प्रदेश में कम तक ऐसी योजनाएं तैयार कर ली जाएंगी?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

वित्तीय क्षेत्र के सुधार

2140. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्रीमति सुप्रिया सुले:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी वाणिज्य सचिव ने अवसरंचना क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत को वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो अमरीकी वाणिज्यिक सचिव द्वारा इंगित मुख्य कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) जी नहीं। भारत सरकार को अमरीकी वाणिज्य सचिव से अवसंरचना क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत द्वार अपने वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता संबंधी कोई शासकीय टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

आतिथ्य उद्योग

2141. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन क्षेत्र के रूप में आतिथ्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुलतान अहमद): (क) से (ग) जी हां, यद्यपि होटलों का निर्माण मुख्य रूप से निजी क्षेत्र की गतिविधि है, पर्यटन मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सहित देश में आतिथ्य उद्योग का संवर्धन करने के लिए निम्न कदम उठाए हैं:

(i) होटल परियोजनाओं द्वारा अपेक्षित क्लीयरेंसों को समयबद्ध तरीके से सुगम बनाने और आतिथ्य क्षेत्र के विकास के लिए नीति संबंधी सलाह देने के उद्देश्य से भी संघ सरकार ने 'आतिथ्य विकास और संवर्धन बोर्ड' (एचडीपीबी) के गठन को मंजूरी दी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस प्रकार के बोर्ड के गठन की सलाह दी गई है, यदि ऐसे बोर्ड उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मे विद्यमान नहीं है।

(ii) होटलों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के अनुरोध पर वर्ष 2008-09 के बजट में मुम्बई और दिल्ली के राजस्व जिलों को छोड़कर यूनेस्को द्वारा घोषित 'विश्व विरासत स्थलों' वाले निर्धारित जिलों में स्थापित दो, तीन और चार सितारा होटलों के लिए पांच वर्ष के कर अवकाश की घोषणा की गई थी। होटलों को 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2013 की अवधि के दौरान निर्मित और कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए।

(iii) सरकार ने हाल ही में भारत में कहीं भी 2-सितारा और उसके ऊपर की श्रेणी के नए होटलों को आयकर अधिनियम की धारा 35 ए डी के तहत निवेश से जुड़े कर प्रोत्साहन को बढ़ाने की घोषणा की है, जो कि देश में आवास की वृद्धि को सुगम बनाएगा।

(iv) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने कमर्शियल रियल एस्टेट (सीआरई) ऋण जोखिम के रूप में ऋण के वर्गीकरण पर संशोधित दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इस प्रकार आरबीआई ने सीआरई ऋण जोखिमों से बाहर होटलों के लिए ऋण जोखिमों को वर्गीकृत किया हैं।

[हिन्दी]

प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

2142. श्री सज्जन वर्मा:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री सी. शिवासामी:
श्री पी. कुमार:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिवास राज्य में अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) प्रमाण पत्र प्राप्त करने में प्रवासियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की शिकायतें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का सभी राज्यों द्वारा अ.ज.जा. प्रमाण पत्र जारी करने को सुकर बनाने के लिए संपूर्ण देश में एक समान अ.ज.जा. सूची बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अ.ज.जा. द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के मद्देनजर अ.ज.जा. प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनुसूचित जनजाति की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट होती है और किसी राज्य में अधिसूचित समुदाय अन्य राज्य/संघ राज्स क्षेत्र में ऐसा ही होना आवश्यक नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्रों को उचित रूप से जारी करने और उसका सत्यापन करने के लिए समय-समय पर विभिन्न परिपत्र जारी किए हैं। कुमारी माधुरी पाटिल और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में शीर्षस्थ न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करते हुए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्रों की सामाजिक स्थिति के निर्गम, उनकी संवीक्षा और उनके अनुमोदन की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने हेतु, उच्चतम न्यायालय के अनुदेशों को पुन: सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचाालित किया है।

[अनुवाद]

आईएफसी की व्यापार कार्यकरण रिपोर्ट

2143. श्री विजय बहादुर सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) की व्यापार अधिकरण रिपोर्ट 2011 में भारत का स्थान विश्व के देश में निचले पायदान पर हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार की भारत में व्यापार आरंभ करने के लिए आवश्यक पैंतीस अनुमोदनों की स्वीकृति हेतु एकल खिड़की इलेक्ट्रानिक तंत्र आरंभ करने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) अंतराष्ट्रीय वित्त निगम की "डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2011" के अनुसार, 183 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत का 134वां स्थान है। इस रिपोर्ट में भारत को ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था भी कहा गया है जहां पिछले पांच वर्षों में कारोबार करने के हालात आसान हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के अध्ययन में शामिल 17 में से 14 शहरों ने 2006 और 2009 के बीच कारोबार शुरू करने, निर्माण की अनुमति देने और संपत्ति के पंजीकरण की प्रक्रिया में आसानी लाने के लिए परिवर्तन किए।

(ख) भारत का निम्न दर्जा मुख्यत: निर्माण परमिट (177वां स्थान), संविदाएं लागू करने (182वां स्थान), कारोबार शुरू करने (165वां स्थान), कर अदायगी (164वां स्थान) और कारोबार बंद करने (134वां स्थान) से जुड़े क्षेत्रों में प्राप्त कम दर्जे के कारण है। "डूइंग बिजनेस रिपोर्ट" का कार्यक्षेत्र सीमित है। चूंकि यह रिपोर्ट मात्रात्मक आंकड़ों और बेंचमार्किंग पर आधारित है, इसमें कारोबारी माहौला के सभी पहलुओं का आकलन नहीं किया जाता जो फर्मों और निवेशकों के लिए महत्त्व रखते हैं या अर्थव्यवस्था की स्पर्धात्मकता को प्रभावित करते हैं।

(ग) विभिन्न व्यवसायों और निवेशकों के लिए जरूरी विभिन्न सेवाएं मुहैया कराने हेतु सरकार "गवर्नमेंट-टु-बिजनेस" (जी2बी) पोर्टल तैयार करने के लिए राष्ट्रीय ई-गवनेंस प्लान के लिए ईबिज मिशन मोड परियोजना कार्यान्वित कर रही है। ईबिज का उद्देश्य है "निवेशकों, उद्योगों और व्यवसायों को संपूर्ण कारोबारी जीवन-चक्रक में कार्यदक्ष, सुविधाजनक, पारदशी और समेकित इलैक्ट्रानिक सेवाएं मुहैया कराकर देश में कारोबारी माहौल में बदलाव लाना।"

(घ) यह परियोजना सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) से दस वर्ष में कार्यान्वित की जाएगी, जहां पहले तीन वर्ष प्रायोगिक चरण के तौर पर होंगे और शेष सात वर्ष विस्तार चरण के होंगे। ईबिज के लिए रियायतों को 2009 में अंतिम रूप दिया गया था। यह विचार किया गया है कि पहले वर्ष में पांच प्रायोगिक राज्यों नामशः आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 18 केंन्द्रीय सेवाएं और 11 राज्य सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र मशीन पर आयात शुल्क

2144. **श्री राजू शेट्टीः** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अत्याधुनिक तकनीक वाले वस्त्र मशीनों के आयात पर लगाए गए शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को ऐसे शुल्क में कमी करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस पलानीमनिकम): (क) सामान्य रूप से वस्त्र मशीनों पर बुनियादी सीमा शुल्क 7. 5% की दर से अतिरिक्त, सीमा शुल्क 10% की दर से तथा विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस ए डी) 4% की दर से लगता है। इसके अलावा संग्रहित शुल्कों पर 2% तथा 1 % का क्रमशः शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर भी लगता है। तथापित, 380 विनिर्दिष्ट वस्त्र मशीनों पर 5% की दर से रियायती बुनियादी सीमा शुल्क लगता है।

(ख) चालू वित्त वर्ष में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना

2145. **श्री मोहम्मद असरारूल हकः** क्या **स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना (सीएचआईएस) हेतु आज तक, वर्ष-वार केन्द्रीय वित्तपोषण का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के तहत राज्य में सीएचआईएस के तहत कितने व्यक्तियों को कवर किया गया है; और

(ग) सीएचआईएस के तहत लाभान्वितों तथा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार बिहार में स्वास्थ्य विभाग अथवा राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, बिहार सरकार द्वारा कोई सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना (सीएचआईएस) कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

खाद्य पदार्थों में मिलावट

2146. **श्री जगदीश शर्माः**
श्री विलास मुत्तेमवारः
श्री सुदर्शन भगतः
श्री वरुण गांधीः
श्री हमदुल्लाह सईदः
श्री भूपेन्द्र सिंहः
श्री सी.आर. पाटिलः
श्री एस. पक्कीरप्पाः
श्री उदय सिंहः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट की अनेक घटनाओं और मार्च-अप्रैल, 2011 में कुट्टू और सिंघाड़े के उपयोग के कारण मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा किए गए/प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) दिल्ली और राजस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार कुट्टु के आटे के उपभोग के कारण 251 लोग बीमार पड़े और एक व्यक्ति की मौत हो गई। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के कार्यकरण पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) एक नया व्यापक विधान जिसमें खाद्य संबंधी नियमों को समेकित किया गया है, संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। नया अधिनियम नामत: **"खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006" है।** इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके विनिर्माण, भंडारण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्थापित किया गया है। नए अधिनियम के अंतर्गत नियम और विनियम दिनांक 5.8.2011 से अधिसूचित किए गए है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत चलाए गए अभियोगों, दोषसिद्ध किए गए मामलों की संख्या से संबंधित तुलनात्मक विवरण

	2008		2009		2010	
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	चलाए गए अभियोगों की सख्या	दोषसिद्ध मामलों की संख्या	चलाए गए अभियोगों की सख्या	दोषसिद्ध मामलों की संख्या	चलाए गए अभियोगों की सख्या	दोषसिद्ध मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	333	54	415	32ण	382	37
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
अरूणाचल प्रदेश	3	0	10	1	16	7
असम	72	17	'105	11	103	10
बिहार	230	0	237	0	293	अनुपलब्ध
चंडीगढ़	10	78	153	7	121	118
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
दादरा और नगर हवेली	0	0	3	0	ए0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	204	18	225	99 .ट	[illegible]	127
गोवा	3	0	9	0	2	0
गुजरात	266	82	619	44	683	99

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	328	116	496	71	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
हिमाचल प्रदेश	47	12	143	18	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
जम्मू और कश्मीर	509	316	2661	1230	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
झारखंड	110	0	0	0	26	0
कर्नाटक	170	0	56	0	91	2
केरल	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	शून्य	शून्य
मध्य प्रदेश	166	13	533	23	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
महाराष्ट्र	632	82	445	68	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
मणिपुर	0	0			0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	3	3	2	3	3
उड़ीसा	18	3	82	3	29	6
पुदुचेरी	1	1	0	0	0	0
पंजाब	287	22	310	34	516	30
राजस्थान	अनुपलब्ध		1022	3	806	18
सिक्किम	8	0	3	1	3	1
तमिलनाडु	313	47	0		127	110
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	2747	169	3492	287	3789	540
उत्तराखंड	23	1	17	8	52	25
पश्चिम बंगाल	19	0	22	0	22	0
कुल	6506	1034	11061	1942	7064	1133

किसानों की ऋण देयता

2147. **श्री कालीकेश नारायण सिंह देवः**
श्री जयवंत गंगाराम आवलेः
श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डीः
डॉ. रतन सिंह अजनालाः
श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में प्रत्येक किसान की ऋण देयता वार्षिक औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक किसानों ने खेली हेतु अधिक ब्याज दर पर निजी संस्थाओं से ऋण लिया हुआ है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे ऋण की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में किसानों की ऋणग्रस्तता को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान कृषि ऋण हेतु कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) वर्ष 2010 में प्रत्येक किसान खाते की ऋण देयता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) कृषि हेतु नीजि संस्थाओं से लिए गए ऋण की प्रमात्रा का ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के माध्यम से किसानों (छोटे एवं सीमांत किसानों सहित) को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

* भारत सरकार द्वारा किसानों को एक वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण 7% वार्षिक की दर से उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2006-07 से ब्याज सहायता योजना क्रियान्वित की जा रही है। भारत सरकार तत्काल अदा करने वाले किसानों अर्थात जो अपने ऋण समय से वापिस अदा करते हैं, को वर्ष 2009-10 से अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। यह अतिरिक्त सहायता वर्ष 2009-10 में 1% और वर्ष 2010-11 में 2% थी। वर्ष 2012-12 में इसे बढ़ाकर 3% किया जा रहा है।

* कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्लयूडीआरएस), 2008 से ऋण व्यवस्था खोल दी गई है जो किसानों पर ऋण का भार होने के कारण बंद हो गई थी।

* बैंकों को छोटे एवं सीमांत किसानों, बंटाईदारों तथा किसानों को 50,000 रुपए तक के छोटे ऋणों हेतु 'अदेयता' प्रमाण-पत्र की अपेक्षा को समाप्त करने और इसके स्थान पर उधारकर्त्ता से एक स्व-घोषणा पत्र प्राप्त करने के लिए कहा है।

* भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 1,00,000 रुपए के कृषि ऋणों हेतु मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षाओं से छूट देने के लिए कहा है।

(च) और (छ) सरकार ने वर्ष 2011-12 के लिए 4,75,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है। एजेंसी-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

एजेंसी	वर्ष 2011-12 के लिए लक्ष्य
वाणिज्यिक बैंक	355,000
सहकारी बैंक	69,500
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	50,500
योग	475,000

विवरण

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रत्येक किसान खाते ऋण देयता*
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	70094
2.	आन्ध्र प्रदेश	27683

1	2	3
3.	अरूणाचल प्रदेश	90245
4.	असम	78266
5.	बिहार	46690
6.	चण्डीगढ़	1131834
7.	छत्तीसगढ़	104120
8.	दादरा और नगर हवेली	104190
9.	दमन और दीव	266629
10.	दिल्ली	122647
11.	गोवा	53905
12.	गुजरात	108646
13.	हरियाणा	231278
14.	हिमाचल प्रदेश	122668
15.	जम्मू और कश्मीर	93201
16.	झारखण्ड	22407
17.	कर्नाटक	174137
18.	केरल	94320
19.	लक्षद्वीप	28714
20.	मध्य प्रदेश	76131
21.	महाराष्ट्र	90085
22.	मणिपुर	88183
23.	मेघालय	40418
24.	मिजोरम	111085
25.	नागालैण्ड	48652
26.	उड़ीसा	46362
27.	पुडुचेरी	183078
28.	पंजाब	200192
29.	राजस्थान	143121
30.	सिक्किम	120624
31.	तमिलनाडु	131980
32.	त्रिपुरा	87627
33.	उत्तर प्रदेश	76863
34.	उत्तराखण्ड	133898
35.	पश्चिम बंगाल	112870
36.	अखिल भारत	75178

* जून 2010 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अनुसार

[हिन्दी]

जनजातियों के लिए आवासों की कमी

2148. श्रीमती ज्योति धुर्वे: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनुसूचित जनजातियों के कमजोर वर्गों के लिए आवास की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का आवासों के निर्माण हेतु ऐसी जनजातियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी जनजातियों को स्वीकृत ऋण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जी हां। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के लिए घरों में कमी है।

(ख) मंत्रालय "विशेषकर रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास" की योजना के अंतर्गत इन समुदायों से संबंधित परिवारों के लिए घरों को निःशुल्क निर्माण करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदान प्रदान कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खेलों हेतु कर रियायत

2149. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कर रियायत के संदर्भ में खेलों को कोई प्रोत्साहन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो खेलों की विधा-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) खेलों की अन्य विधाओं, यदि कोई हों, को ऐसी रियायतें नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है आयकर अधिनियम, 1961 के तहत खेल को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। ये प्रोत्साहन खेल की किसी विशेष विधा के लिए नहीं अपितु सभी पात्र खेल आयोजनों तथा खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध हैं। अधिनियम के तहत उपलब्ध प्रोत्साहन निम्न प्रकार हैं:

(i) अधिनियम की धारा 10 (39) में भारत में होने वाले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन से इस संबंध में अधिसूचित व्यक्ति को होने वाली विशिष्ट आय में छूट का प्रावधान है बशर्ते कि खेल का आयोजन उस खेल को विनियमित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा अनुमोदित हो तथा उसमें दो देशों से अधिक देश भाग ले रहे हों।

(ii) अधिनियम की धारा 80 छ में किसी भी कंपनी द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ या अधिसूचित दिशा-निर्देशों को पूरा करने वाले भारत में स्थापित किसी अन्य संघ/संस्था को, खेल-कूद के लिए अवसंरचना के विकास या भारत में खेल-कूद के प्रायोजन के लिए दी गई राशि पर 100% कटौती का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्पोर्ट्स निधि को दान की गई राशि भी 100% कटौती के लिए पात्र है।

(iii) धारा 80 छ में भी यह भी प्रावधान है कि कोई भी संघ या संस्था, जिसके उद्देश्य भारत में किसी ऐसे खेल-कूद पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन करना है (धारा 80 छ के अंतर्गत अधिसूचित खेल-कूद की एक सूची, व्याख्या 4, विवरण के रूप में संलग्न है) और जिसे केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया गया है, को भारत में धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित संस्था के रूप में माना जाएगा और तदनुसार धर्मार्थ संस्था को उपलब्ध प्रावधान उसे भी उपलब्ध कराये जाएंगे।

(iv) धारा 80 झ ड में पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित किसी भी पात्र व्यावसायिक संस्था से हुए लाभ एवं अभिलाभों की 100% कटौती का प्रावधान है। पात्र व्यवसाय में रोपवे सहित रोमांचक एवं अवकाश (लेयर) खेल शामिल है।

(v) धारा 115 ख ख क में कोई भी (एथलीट सहित) ऐसा खिलाड़ी, जो भारत का नागरिक नहीं और एक अनिवासी है, को भारत में किसी खेल-कूद, विज्ञापन में भाग लेने से, भारत में किसी समाचार पत्र, मैगजीन या पत्रिका में किसी खेल या स्पोर्टस से संबंधित लेख के योगदान से प्राप्त हुई या प्राप्त होने वाली आय पर 10% के निम्न दर पर कर लगाने का प्रावधान किया गया है । यह अनिवासी खेल संघों अथवा संस्थाओं को भारत में किसी खेल-कूद के लिए पक्के तौर पर भुगतान की जाने वाली या देय राशि पर भी लागू है। ऐसे मामलों में किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में किसी भी कटौती की अनुमति नहीं है। अधिनियम की धारा 194 ड. के तहत ऐसे मामलों में 10% की दर से कर काटा जाएगा।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, वर्तमान में कुछ विनिर्दिष्ट खेल के सामानों/उपकरणों पर सीमा शुल्क में पूरी छूट दी गई है/रियायती दर पर कर लगाया जाता है जब कि उन पर उत्पाद शुल्क भी रियायती दर पर लगाया जाता है। सेवा कर में भी छूट खेलों के संबंध में दी जा रही विशिष्ट सेवाओं पर दी जाती है। इनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क: सामान्य शारीरिक व्यायाम हेतु सामान तथा उपस्करों को छोड़कर अन्य खेलकूद के सामान पर 10% की दर से सामान्य उत्पाद शुल्क दर लगाने की बजाय 1% का नाममात्र उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।

सीमा शुल्क

(i) खेल की कई विधाओं जैसे तीरंदाजी, एथलैटिक्स, बैंडमिंटन, लॉन-टेनिस, शूटिंग, वॉलीबॉल, स्क्वैश, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, साईक्लिंग, फैन्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, गोल्फ, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, तैराकी/वाटर पोलो, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, याचिंग, घुड़सवारी (इक्वेसट्रियन), कबड्डी, कराटे, आयरन माउॅनटिनियरिंग, रॉक क्लाइम्बिंग आदि के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन विनिर्दिष्ट खेल के सामानों, उपस्करों पर सीमा शुल्क में पूरी छूट दी जाती है।

(ii) कुछ खेल-कूद सामान/उपकरणों पर भी बिना शर्त सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट भी दी गई है जैसा कि स्नो स्कीस, जल खेल उपकरण, 0.177 व्यास (केलीब्रे) की एयर राईफल/पिस्तौल, गोलियां आदि।

(iii) क्रिकेट, हॉकी, बास्केट बॉल, वॉलीबॉल आदि के लिए विनिर्दिष्ट खेलकूद सामानों पर सीमा शुल्क 5% की रियायत भी दी गई है।

(iv) विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन विख्यात शूटर उपहार के रूप में या वैयक्तिक सामान के रूप में आयातित अग्नि शस्त्र और गोला बारूद पर सीमा शुल्क 50% की दर से रियायत दी गई है।

सेवा कर

(i) वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेवा के अंतर्गत किसी भी प्रकार की खेल कूद को सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है।

(ii) अचल सम्पत्ति सेवा के अधीन खेलकूद प्रयोजन के लिए किराए पर ली गई खाली जगह को सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है।

(iii) विनिर्दिष्ट खेल निकायों द्वारा आयोजित निम्नलिखित खेलकूद प्रतियोगिताओं या चैम्पियनशिप संबंधी प्रयोजकता सेवाओं पर सेवा कर लगाने से छूट दी गई हैं:

(क) राष्ट्रीय खेलकूद महासंघों या ऐसी राष्ट्रीय महासंघों से सम्बद्ध संघ द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता या चैम्पियनशिप जहां भाग लेने वाली टीमें या व्यक्ति किसी भी जिला, राज्य या जोन का प्रतिनिधित्व करता है;

(ख) भारतीय विश्वविद्यालय संगठनों– अंतर विश्वविद्यालय खेल बोर्ड, भारतीय स्कूल खेल महासंघ, बधिरों के अखिल भारतीय खेल परिषद (विकलांगों के लिए), भारत के पैरालिम्पिक समिति, विशेष ओलम्पिक भारत (मानसिक रूप से विकलांग) द्वारा आयोजित खेल-कूद प्रतियोगिताएं या चैम्पियनशिप;

(ग) केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं खेलकूद बोर्ड द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताएं या चैम्पियनशिप;

(घ) भारतीय ओलम्पिक संगठन द्वारा राष्ट्रीय खेल के भाग के रूप में आयोजित प्रतियोगिताएं या चैम्पियनशिप;

(ङ) पंचायत युवा केन्द्र और खेल अभियान (पी वाई के के) आयोजन के अंतर्गत आयोजित खेल-कूद प्रतियोगिताएं या चैम्पियनशिप पर वित्तीय अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत उस पर लगाया गया पूरा सेवा कर;

प्राप्त अभ्यावेदनों और युवा कार्य और खेल मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर सीमा शुल्क और सेवा कर से पूरी छूट दी जाती हैं। जहां तक सेवा कर का संबंध है, सेवा कर की छूट सामान्य: खेल-कूदों में दी गई है और न कि किसी विशिष्ट विधा में।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

धारा 80 छ के अंतर्गत अधिसूचित खेलकूद निर्धारण वर्ष 2003-2004 और उत्तरवर्ती निर्धारण वर्ष के लिए व्याख्या

(i) क्रिकेट	(ii) हॉकी
(iii) फुटबॉल	(iv) टेनिस
(v) गोल्फ	(vi) राईफल शूटिंग
(vii) टेबल टेनिस	(viii) पोलो
(ix) बैडमिंटन	(x) स्विमिंग
(xi) ऐथलेटिक्स	
(xii) वालीबॉल	(xiii) बैडमिंटन
(xiv) रैस्लिंग	(xv) बास्किटबॉल
(xvi) कबड्डी	(xvii) वेड लिफ्टिंग
(xviii) जिमनास्टिक	(xix) बॉक्सिंग
(xx) स्क्वैश	(xxi) चैस
(xxii) ब्रिज	(xxiii) बिनियड्स
(xxiv) साइक्लिंग	(xxv) याचिंग

अधिसूचना सं. सा. आ. सं. 1246 (अ), दिनांक 29.11.2002

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की व्याख्या 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सांविधिक आदेश संख्या 1246 (अ.), दिनांक 29 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत::

(XXXVIII) बेसबाल*	(XXXIX) फैन्सिंग
(XL) हैंडबॉल	(XLI) आईसहॉकी
(XLII) कराटे	(XLIII) क्याकिंग एंड कनोईंग
(XLIV) नेटबाल	(XLV) स्पेक थ्रो
(XLVI) स्नूकर	(XKVII) सोफ्ट टेनिस
(XKVIII) तेयकवांडो	(XLIX) थ्रीथलॉन

(L) वींटर गेम्स (स्काईग और आईस स्केटिंग और

(LI) वुशु

सां.आ. 67(अ.) दिनांक 12.1.2010

* (XXVI) से (XXXVII) संख्याओं के लिए कोई प्रविष्टियां नहीं हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी से समुदायों को हटाना

2150. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात की कोली-वागहरी और पताडी समुदायों को वर्ष 1956 में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन जनजातियों का विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या जनजातियों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी से हटा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) कोली, पताडी तथा वागहरी समुदायों को दिनांक 29.10.56 के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 के माध्यम से तत्कालीन बंबई राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में मद संख्या 12 के जिला कच्छ में क्रम संख्या 3, 4 तथा 5 पर सूचीबद्ध किया गया था। इन समुदायों को दिनांक 20.09.76 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा गुजरात की अनुसूचित जनजातियों की सूची में क्रमशः कच्छ जिले में क्रम संख्या 15, 20 तथा 27 पर सूचीबद्ध किया गया था

(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए बने लाभ इन समुदायों को दिए गए थे।

(ग) गुजरात की अनुसूचित जनजातियों की सूची में क्रमशः कच्छ जिले में क्रम संख्या 15, 20 तथा 27 पर सूचीबद्ध कोली, पताडी तथा वागहरी समुदायों को दिनांक 08.01.03 भारत के राजपत्र में प्रकाशित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा हटा दिया गया था।

(घ) संविधान के अनुच्छेद 342 के प्रावधान के अनुसार, इन समुदायों को गुजरात राज्य सरकार के परामर्श से अनुसूचित की सूची से हटा दिया गया था।

योग को बढ़ावा देना

2151. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में योग के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वयन की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा हाल ही में इन योजनाओं की समीक्षा की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों सहित योजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान किए गए कार्य सहित प्रदान की गई राशि को इंगित करते हुए प्रयोजन हेतु गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में इन गैर-सरकारी संगठनों को आवंटित निधियों के दुर्विनियोग के मामले सामने आए हैं; और

(च) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और साथ ही उन पर क्या कार्रवाई की गयी/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) देश में योग अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग और इसके स्वायत्त निकायों द्वारा निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है:

(i) आयुष विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्रक बहिर्वर्ती अनुसंधान स्कीम (ईएमआर);

(ii) आयुष विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय, की जा रही केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) द्वारा कार्यान्वित की जा रही नैदानिक अनुसंधान स्कीम।

इसके अलावा, आयुष विभाग के अधीन एक अन्य स्वायत्त निकाय, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) द्वारा देश के प्रमुख चिकित्सा/आयुष संस्थानों में योग के आधुनिक केन्द्रों हेतु योग अनुसंधान और विकास परियोजनाएं भी मंजूर की जाती हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। ईएमआर स्कीम से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट करने के प्रयोजनार्थ इस स्कीम को अद्यतन किया जाता है, ताकि इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्कीम को बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके और स्कीम में विशिष्ट, सार्थक और अनुवीक्षणीय प्रदायों के समायोजन के द्वारा आयुष को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम के उद्देश्यों का वास्तविक अनुवीक्षण करने के साथ-साथ उन्हें प्राप्त किया जा सके। अद्यतन ईएमआर स्कीम का विवरण वेबसाइट www.indianmedic.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(घ) आयुष विभाग की ईएमआर स्कीम और सीसीआरवाईएन की नैदानिक अनुसंधान स्कीम के अंतर्गत विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्रमश: सलंग्न विवरण I और II पर दिया गया है। ये सभी संचालित परियोजनाएं हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

आयुष विभाग की ईएमआर स्कीम के अंतर्गत विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा

क्र.सं.	संस्थान का नाम	परियोजना शीर्षक	निर्मुक्त धनराशि (रुपये लाखों में) 2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
कर्नाटक				
1.	सेंट जॉन अनुसंधान संस्थान, सेंट जॉन राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान अकादमी, कोरामंगला, बंगलौर-560034	7-9 वर्ष के स्कूली बच्चों में तनाव और ज्ञानात्मक क्रिया पर योग अभ्यास का प्रभाव	0.25	-
2.	निसर्ग प्राकृतिक चिकित्सा योग अस्पताल, नाडीगल्ली, सिरसी-581401, एन.के., कर्नाटक	मधुमेह परिणामों पर प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग का प्रभाव एक यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण	4.69	-
महाराष्ट्र				
3.	लोनावाला योग संस्थान, लोनावाला, बी-17, रचना गार्डन, भांगरवाडी, लोनावाला-410401, जिला पुणे	दो योगोपनिषदों का महत्त्वपूर्ण संस्करण	3.02	-

1	2	3	4	5
4.	अंतर्राष्ट्रीय योग बोर्ड, योग भवन, श्री योगेन्द्र मार्ग, प्रभात कॉलोनी, सांताक्रूज (ईस्ट), मुंबई-400055	की माताओं में योग के माध्यम से तनाव प्रबंधन	2.00	-
पंजाब				
5.	बाबा फरीद सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन, न्यू हरिन्दर नगर, स्ट्रीट संख्या-1, समीप कनाडा हाउस फरीदकोट-152116, पंजाब	ऑटिज्म से ग्रसित रोगियों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों के तनाव और जीवन की गुणवत्ता में योग उपचार का प्रभाव	7.09	-
पश्चिम बंगाल				
6.	विद्यासागर प्रौद्योगिकीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान, (वीटीआईपीईएस), नजीर बाजार-721655, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल	कोरोनरी एथ्रोसेलेरोसिस में प्रतिक्रियाशील प्रोटीन और अन्य जैव-चिन्हकों पर योग का प्रभाव	1.46	-
		कुल	18.51	–

विवरण II

केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) की अनुसंधान स्कीम के अंतर्गत विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा

क्र.सं.	संस्थान का नाम	परियोजना शीर्षक	निर्मुक्त धनराशि (रुपये लाखों में)	
			2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	एड लाईफ-प्रकृति, इंडो अमेरिकन कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद	नॉन-हॉजकिन लिमफोमा (एनएचएल) के प्रबंधन में सहौषध के रूप में प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा की प्रभावकारिता	10.20	-
दिल्ली				
2.	आध्यात्म साधना केंद्र, छतरपुर, नई दिल्ली-110074	कोरोनरी हृदय रोग पर प्रेक्षा-ध्यान योग तथा जीवन शैलीगत परिवर्तन का व्यापक प्रभाव-यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण	4.74	–
कर्नाटक				
3.	नेचर क्योर, योग एक्यूपंचर एंड फिजियोथिरैपी हास्पिटल, निसर्ग ट्रस्ट (पंजी.), नादिग गली, सिरसी-581401 (एन.के.) कर्नाटक	मधुमेह पूर्व क्षतिग्रस्त ग्लूकोस टॉलरेंस में ठंडे और गर्म डुबकी स्नान की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण	5.19	-

1	2	3	4	5
4.	बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ आंकोलॉजी, सं-8 पी कलिंगा राव रोड, सम्पनगीरमनगर, बैंगलोर-27	सहौषध कैमोथिरेपी के बाद सीआईएनवी निष्कर्षों पर योग बनाम विशांति के प्रभावों की तुलना	-	-
5.	एएलएन राव मेमोरियल आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, कोप्पा-577126, चिकमगचूर जिला कर्नाटक	वेरिकोस नाडियों में योग और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित किए गए उपचारों की प्रभावकारिता का अध्ययन	3.72	-
6.	आईएनवाईएस मेडिकल रिसर्च सोसइटी, टुमकुर रोड, बैंगलोर-560073	गठिया में घुटनों पर सरसों के पैक की प्रभावकारिता	7.58	-
7.	स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, 19, एकनाथ भवन, गवीपुरम सर्कल, केम्पेगोडा नगर, बैंगलोर	उच्च जोखिम गर्भावस्थाओं में गर्भावस्था जटिलताओं के निवारण में योग का प्रभाव	9.45	-
8.	स्नेहकुंज ट्रस्ट (पंजी.), विवेकानंद आरोग्यधाम, कासरकोड, होन्नावर, नार्थ केनरा, कर्नाटक	मैकेनिकल लो बैक पेन के प्रबंधन में दो योग मध्यस्थताओं बनाम व्यायाम थिरेपी के प्रभावों की तुलना	6.65	-
मणिपुर				
9.	योग एंड नेचर क्योर होम, खुंद्राकपम अवांग लेड्कई, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल सैकुल रोड, पी.ओ. पेंगई-795 114, मणिपुर	आघात पश्चात् पुनर्वास और जीवन सुधार गुणवत्ता के लिए प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग मध्यस्थता-एक नियंत्रित अध्ययन	12.35	-
उत्तराखंड				
10.	योग रिसर्च डिपॉर्टमेंट, पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार-249402	बच्चों के शारीरिक, संज्ञात्मक और भावनात्मक विकास में योग का प्रभाव	4.96	-
11.	योग रिसर्च डिपॉर्टमेंट, पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार-249402	स्थूल व्यक्तियों में एंथ्रोपोमेट्रिक और जैव रसायनिक उपचारों से संबंधित योग कार्यक्रम का प्रभाव	11.17	-
		कुल	76.01	

मेडिकल कॉलेजों में अनुचित संव्यवहार

2152. श्री घनश्याम अनुरागी:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) को देश भर के कतिपय मेडिकल कालेजों में अनेक अनियमितताओं और प्रबंधन कोटे के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश देने कैपीटेशन फीस की मांग करने सहित अनुचित संव्यवहार देखने को मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एमसीआई के संज्ञान में आए ऐसे मामलों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी अनियमितताओं और अनुचित संव्यवहार में शामिल मेडिकल कॉलेजों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रबंधन कोटा समाप्त करने का निदेश दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) मेडिकल कॉलेजों और संस्थाओं में अनुचित संव्यवहार पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सूचित किया है कि उसने शिक्षण संकाय, अवसंरचना और मेडिकल कॉलेजों में स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक प्रबंधन कोटा में विद्यार्थियों के प्रवेश और कैपिटेशन शुल्क की मांग के संबंध में विभिन्न अनियमितताएं पाई हैं।

(ग) हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने जाली संकाय के मुद्दे पर कॉलेजों को बहिष्कृत कर दिया है।

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्थान में ऐसा कोई निर्णय नहीं लाया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) मानव संसाधन विकास मंत्रालय चिकित्सा संस्थाओं सहित शैक्षणिक संस्थानों में अनुचित प्रैक्टिसिस की समस्या की जांच करने के लिए तकनीकी और चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अनुचित प्रैक्टिसिस का प्रतिरोध विधेयक, 2010 नामक एक विधान को अधिनियमित करने का प्रस्ताव कर रहा है। इस समय विधेयक की जांच शिक्षा के लिए विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा की जा रही है।

विद्यालय और आंगनवाड़ी में बच्चों का अंक पत्र

2153. **श्री शैलेन्द्र कुमार:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खराब निष्पादन वाले आंगनवाड़ी केन्द्र के संबंध में स्वयंसेवी संगठनों जैसे वर्ल्ड विजन, एनसीई और वादा ना तोड़ो अभियान की सहायता से बच्चों द्वारा विद्यालय और आंगनवाड़ी में बच्चों के अंक-पत्र के संबंध में करवाये गये अध्ययन रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) भारत सरकार को रिपोर्ट के ब्यौरे की जानकारी नहीं है और यह निष्कर्षों के संदर्भ और विश्वसनीयता पर टिप्पणी करने में असमर्थ है। उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार 30.6.2011 अतक 13.67 लाख संस्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों/लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 12.66 लाख कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्र/लघु आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। समेकित बाल विकास सेवा, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को छोड़कर इस स्कीम के अंतर्गत भवन निर्माण हेतु प्रावधान नहीं है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, पंचायती राज, नरेगा और जनजातीय मामले, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम, एसएसए के तहत, वित्त आयोग, राज्य योजन के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, अभिचिन्हाकित 60 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए समेकित कार्ययोजना में उपलब्ध निधियों का उपयोग आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कहा गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की संपूर्ण स्वच्छता अभियान और प्रयजल आपूर्ति जैसी स्कीमों के साथ प्रावधान के अनुसार जल और स्वच्छता की सुविधाएं प्राप्त करने हेतु विभिन्न विभागों/स्कीमों के साथ संकेन्द्रण करने के लिए कहा गया है।

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के स्कीमगत मानदंडों के अनुसार चिकित्सा किट, स्कूल-पूर्व शिक्षा किट, संयुक्त मातृ और बाल संरक्षण कार्ड, विकास मानीटरन चार्ट अन्य छोटी-छोटी चीजें जैसे टम्बलर, बाल्टी, मग आदि के लिए प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र को निधियां प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और साहियकाओं के लिए वर्दी दी जाती है।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय

2154. **श्री वरुण गांधी:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वित्तपोषित आवासीय विद्यालयों की संख्या तथा साथ ही देश के जनजातीय क्षेत्रों में प्रस्तावित आवासीय विद्यालय की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रस्तावित विद्यालय कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सभी आवासी विद्यालय जिन्हें स्वीकृति दे दी गई थी ने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई राशि का वर्ष-वार क्या है;

(ङ) यहां हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के कार्यक्रम के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत और निधिपोषित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की संख्या दर्शाने वाले विवरण और चालू वर्ष अर्थात् 2011-12 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाने वाले अनुमोदित ईएमआरएस की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई हैं। राज्यों में ईएमआरएस की स्थापना मांग आधारित और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के निबंधन और शर्तों को पूरा करने के अधीन होती है।

(ख) राज्य सरकारें से, अनेक द्वारा प्राप्त अनुदान की प्राप्ति के 2-3 वर्षों के अंदर ईएमआरएस की स्थापना करने की प्रत्याशा की जाती है।

(ग) 10वीं योजना के अंत तथा स्वीकृत 100 ईएमआरएस में से 92 कार्यरत हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा निर्मुक्त और उपयोग में लाए गए अनुदान का ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

देश में स्वीकृत/कार्यरत ईएमआरएस का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	9वीं और 10वीं योजना के दौरान स्वीकृत ईएमआरएस की सं.	कार्यरत ईएमआरएस सं.	2010-2011 के दौरान स्वीकृत नए ईएमआरएस की सं.	2011-12 के दौरान अनुमोदित नए ईएमआरएस की सं.
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8	8	2	
2	अरूणाचल प्रदेश	2	1	-	
3.	असम	-	-	1	
4.	छत्तीसगढ़	8	8	3	
5.	गुजरात	10	10	5	7
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1	-	
7.	जम्मू और कश्मीर	2	0	-	

1	2	3	4	5	6
8.	झारखंड	4	4	1	2
9.	कर्नाटक	4	4	6	
10.	केरल	2	2	-	
11.	मध्य प्रदेश	12	12	8	
12.	महाराष्ट्र	4	4	-	
13.	मणिपुर	3	0	-	
14.	मिजोरम	1	1	-	
15.	नागालैंड	3	3	-	
16.	उड़ीसा	11	11	2	3
17.	राजस्थान	9	9	6	1
18.	सिक्किम	2	2	-	
19.	तमिलनाडु	2	2	-	
20.	त्रिपुरा	3	3	1	
21.	उत्तर प्रदेश	1	1	2	
22.	उत्तराखंड	1	1	-	
23.	पश्चिम बंगाल	7	5	-	
	कुल	100	92	37	13

*अनुदान की निर्मुक्ति संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने के अधीन हैं।

विवरण II

2008-09 से 2011-12 के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सूचित निर्मुक्ति निधियों और व्यय दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12
		निर्मुक्ति	सूचित व्यय	निर्मुक्ति	सूचित व्यय	निर्मुक्ति	सूचित व्यय	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1863.44	1863.44	1946.20	1946.20	5187.70	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	308.68	308.68	35.20	35.20	772.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	1444.88	1389.13	1240.77	0.00	3517.96	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	95.00	95.00	838.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	3211.43	3211.43	2834.80	2644.74	7786.00	0.00	0.00
6.	गोवा	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	2372.77	2372.77	4783.00	4783.00	8302.00	0.00	3015.18
8.	हिमाचल प्रदेश	148.32	148.32	360.00	360.00	377.00	377.00	215.50
9.	जम्मू और कश्मीर	193.66	193.66	282.74	190.46	607.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	1852.43	1852.43	3730.00	253.22	8004.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	1496.37	1496.37	1823.00	1823.00	3813.00	0.00	0.00
12.	केरल	159.42	159.42	387.00	387.00	405.00	175.18	0.00
13.	मध्य प्रदेश	6466.80	6466.80	6435.00	6435.00	17311.31	0.00	0.00
14.	महाराष्ट्र	2441.46	2441.46	2000.00	293.00	9442.00	0.00	0.00
15.	मणिपुर	324.44	324.44	352.50	352.50	819.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	155.33	125.30	0.00	0.00	2100.00	0.00	0.00
17.	मिजोरम	403.57	403.57	441.00	441.00	922.96	922.96	0.00
18.	नागालैंड	200.00	200.00	576.59	576.59	2047.42	1607.45	0.00
19.	उड़ीसा	4129.73	4129.73	7026.00	7026.00	11144.33	1834.48	5845.00
20.	राजस्थान	3107.04	3107.04	1500.00	848.91	8351.00	907.55	3500.00
21.	सिक्किम	65.00	65.00	149.20	149.20	226.00	194.23	0.00
22.	तमिलनाडु	291.39	217.94	342.00	333.85	358.00	38.30	0.00
23.	त्रिपुरा	434.88	434.88	780.00	780.00	1358.73	1092.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	391.28	391.28	350.00	350.00	1200.00	0.00	127.60
25.	उत्तराखंड	20.00	20.00	120.00	109.64	250.00	0.00	0.00
26.	पश्चिम बंगाल	2489.09	2489.09	2320.00	2320.00	4848.00	0.00	2774.00
	कुल योग	33978.41	33812.18	39910.00	32533.51	99988.41	7149.15	15477.28

वित्तीय हानि

2155. **श्री अर्जुन राय:**

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांविधिक लेखापरीक्षक ने पिछले कुछ महीनों के दौरान सार्वजनिक वित्त को हुई वित्तीय क्षति के मद्देनजर नीतिगत मुद्दों पर टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या तथ्य हैं;

(ग) उक्त टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या नीतिगत मामलों पर की गई ऐसी टिप्पणियां निकाय के क्षेत्राधिकार में हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सामान्य वित्तीय नियम, 2005

2156. **श्री पूर्णमासी राम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2005 के मुख्य उपबंध क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में घोटालों की बाढ़ के मद्देनजर सरकारी खरीद में परिवर्तन करने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा): (क) सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2005 सामान्य उपबंधों का एक सार संग्रह है, जिनका भारत सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा वित्तीय प्रकृति के मामलों को डील करते समय अनुपालन करना होता है। जीएफआर, 2005 में वित्तीय प्रबंधन की सामान्य प्रणाली, बजट निरूपण तथा कार्यान्वयन, सरकारी लेखों, निर्माण कार्य, सामान तथा सेवाओं का प्रापण, वस्तु-सूची (स्टॉक) प्रबंधन, संविदा प्रबंधन, सहायता अनुदान तथा ऋण, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए बजटिंग तथा लेखांकन, सरकारी गारंटी तथा संबंधित विविध मामलों हेतु उपबंध शामिल हैं।

(ख) भ्रष्टाचार को रोकने तथा सार्वजनिक प्रापण में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सभी उपायों जिनमें विधायी एवं प्रशासनिक उपाय भी शामिल हैं, और विचार करने के लिए गठित मंत्री समूह की सिफारिश पर ऐसे मुद्दों की जांच के लिए एक सार्वजनिक प्रापण समिति का गठन किया गया था जिनका सार्वजनिक प्रापण नीति, मानकों और प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता हो। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण/सहायता

2157. **डॉ. राजन सुशान्त:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के नाम क्या हैं जिनसे हिमाचल प्रदेश सहित राज्य सरकारों को राज्यवार ऋण/सहायता प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त है तथा निर्धारित राशि क्या है;

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार को कितना ऋण दिया गया तथा राज्य सरकार के अंतर्गत कौन-कौन सी विभिन्न एजेंसियां हैं तथा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान किन-किन शर्तों पर ऋण दिया गया;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश को कोई विशेष अनुदान जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा ऋण की राशि कितनी है तथा उक्त अवधि के दौरान यह किन-किन शर्तों पर दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) राष्ट्रीय एजेंसियों, जिनसे विभिन्न राज्य सरकारों ने पिछले तीन वर्षों में समझौता वार्ता करके ऋण प्राप्त किए थे, की एक विस्तृत सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। वित्त मंत्रालय तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार राज्यों के लिए निवल ऋण सीमा निर्धारित करता है। वर्ष 2011-12 के लिए सभी राज्यों की ऋण सीमा संलग्न विवरण-II में दी गई है। राज्य सरकारें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सीधे ऋण प्राप्त नहीं करती। राज्य सरकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऋण केन्द्र सरकार द्वारा लिए जाते हैं और राज्यों को दे दिए जाते हैं।

(ख) से (घ) (i) विशेष वर्ग के राज्य के तौर पर हिमाचल प्रदेश को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 90: 10 (अनुदान के रूप में 90 प्रतिशत और ऋण के रूप में 10

प्रतिशत) आधार पर सहायता प्राप्त होती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में जारी की गई अनुदान और ऋण राशि इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	2008-09	2009-100	2010-11	2011-12 (08.08.2011 तक)
ऋण	10.36	66.54	38.52	32.72
अनुदान	69.23	598.87	346.65	294.53

(ii) ऐसी परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है जिनके लिए हिमाचल प्रदेश को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में विदेशी सहायता प्राप्त हुई है।

(iii) राज्यों और ऋणदाता एजेंसियों के बीच सहमत शर्तों पर पिछले तीन वर्षों में समझौता वार्ता करके ऋण प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार की सहमति की सूचना दे दी गई है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	2008-09	2009-100	2010-11	2011-12 (08.08.2011 तक)
नबार्ड	220	300	300	220
एलआईसी	100	शून्य	शून्य	शून्य

(iv) पिछले तीन वर्षों व चालू वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय लघु बचत कोष से निम्नलिखित ऋण दिए गए हैं जिन्हें 5 वर्ष के ऋण स्थगन के साथ 25 वर्षों में 9.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर अदा किया जाना है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	2008-09	2009-100	2010-11	2011-12 (08.08.2011 तक)
एनएसएसएफ ऋण	102.75	467.75	760.61	92.73

(v) केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय से भिन्न मंत्रालयों द्वारा दिए गए ऋणों की बकाया राशि 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार 41.19 करोड़ रुपए थी।

(vi) मांग संख्या 35 के अंतर्गत हिमाचल प्रदशे को प्रदान की गई असंबद्ध विशेष केन्द्रीय सहायता और परियोजना से संबद्ध विशेष योजना सहायता का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	2008-09	2009-100	2010-11	2011-12 (08.08.2011 तक)
असंबद्ध एससीए	शून्य	शून्य	200.00	144.44
एसपीए	450.00	450.00	632.00	शून्य

विवरण-I

राष्ट्रीय एजेंसियों की विस्तृत सूची जिनसे विभिन्न राज्य सरकारों ने समझौता वार्ता करके 01..4.2008 से 10.08.2011 तक ऋण प्राप्त किए:

* राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नबार्ड)
* ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी)
* भारतीय जीवन बीमा निगम
* साधारण बीमा निगम
* राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड
* राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
* विद्युत वित्त निगम लिमिटेड
* राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड
* आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
* भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

विवरण II

वर्ष 2011-12 के लिए राज्यों की निवल ऋण सीमा

क्र.सं.	राज्य	ऋण सीमा 2011-12
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	17924.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	271.00

1	2	3
3.	असम	3447.00
4.	बिहार	6342.00
5.	छत्तीसगढ़	3842.00
6.	गोवा	981.00
7.	गुजरात	16323.00
8.	हरियाणा	8162.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1647.00
10.	जम्मू और कश्मीर	2979.00
11.	झारखंड	4141.00
12.	कर्नाटक	13028.00
13.	केरल	10418.00
14.	मध्य प्रदेश	7983.00
15.	महाराष्ट्र	35160.00
16.	मणिपुर	373.00
17.	मेघालय	466.00
18.	मिजोरम	435.00
19.	नागालैंड	425.00
20.	उड़ीसा	6107.00
21.	पंजाब	8923.00
22.	राजस्थान	9489.00
23.	सिक्किम	148.00
24.	तमिलनाडु	17437.00
25.	त्रिपुरा	508.00
26.	उत्तर प्रदेश	19134.00
27.	उत्तराखंड	2738.00
28.	पश्चिम बंगाल	17828.00

विवरण III

परियोजनाएं जिनके लिए हिमाचल प्रदेश को 01.04.2008 से 08.08.2011 तक विदेशी सहायता प्राप्त हुई है

एशियाई विकास बैंक

2461-इंड हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा विकास निवेश कार्यक्रम (एचपीसीईडीआईपी)

2596-इंड हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा विकास निवेश कार्यक्रम-परियोजना-2

2687-इंड हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा विकास निवेश कार्यक्रम-परियोजना-3

जीओजेपी जापान

आईडीपी-172 स्वान रिवर इंटीग्रटिड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट

आईबीआरडी विश्व बैंक

4860-इन हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना

4871-इन हिमाचल प्रदेश विकास नीति कार्यक्रम

आईडीए विश्व बैंक

4133-इन एच.पी. मिड हिमालयन वाटर शेड विकास योजना

4360-इन हिमाचल प्रदेश विकास नीति कार्यक्रम

4749-इन इंडिया: हाइड्रोलॉजी परियोजना-चरण-II

कॉरपोरेट अर्थव्यवस्था में छोटे निवेशक

2158. श्री सुवेन्दु अधिकारी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार भारत की कॉरपोरेट अर्थव्यवस्था में छोटे निवेशकों की क्षमता का पता करने का प्रयास कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज तथा पूंजी बाजारों और विकास में शमिल विभिन्न अन्य संगठन प्रतिभूति बाजार में छोटे निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक उपाय करते हैं। उनके द्वारा की गई कुछ महत्त्वपूर्ण पहलों में निम्नलिखित शमिल हैं:

(i) प्रतिभूतियों के निर्गम, व्युत्पादों, म्युचुअल फंडो आदि में निवेश सहित विषयों पर विभिन्न भाषाओं में निवेशकों के लिए क्या करें और क्या न करें संबंधी पर्चों का प्रकाशन और वितरण।

(ii) विभिन्न निवेशक वेबसाइटों पर विभिन्न विषयों पर शिक्षाप्रद सामग्री प्रविष्ट करना।

(iii) स्कूली बच्चों, कॉलेज विद्यालयों, मध्य आय समूह, कार्यकारियों, गृहस्वामिनियां, सेवानिवृत्त व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों की ओर लक्षित वित्तीय शिक्षा का संचालन करना।

(iv) प्रतिभूति बाजार में उपकरणों यथा मोबाइल फोन, इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाला डाटा कार्ड के साथ लैपटॉप के जरिए कारोबार को समर्थ बनाना।

(v) एक्सचेंजों को स्मार्ट आर्डर राउटिंग की सुविधा शुरू करने के लिए प्रेरित करना, जो बहुल कारोबारी स्थानों के बीच आदेशों के सर्वोत्तम कार्यान्वयन तथा मध्यस्थता कार्यवाहियों के सरलीकरण की सुविधा देता है।

(vi) सार्वजनिक निर्गमों में भाग लेने के लिए खुदरा व्यष्टि निवेशकों की मौद्रिक सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए करना।

(vii) निवेशकों को पात्र होने पर सार्वजनिक निर्गम में अभिदान करने के लिए बोली लगाने के समय पर ही डिस्काउंट निवल कीमत पर भुगतान करने की अनुमति देना, जिससे निवेशक उसी पूंजी परिव्यय के साथ अधिक शेयरों के लिए आवेदन करने में समर्थकारी होंगे।

(viii) अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन शुरू करना जिससे आवेदन धनराशि की वास्तविक धन वापसी से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।

(ix) सार्वजनिक निर्गम संबंधी प्रक्रिया की समय-सीमा को कम करना।

(x) खुदरा व्यष्टि निवेशकों के लिए निवेशकों के लिए सार्वजनिक श्रेणी को निवल प्रस्तावों का कम से कम 35% आरक्षित करना।

(xi) मान्यतप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के पंचीकृत स्टॉक ब्रोकरों के जरिए म्यूचुअल फंड संव्यवहारों को अनुमत करना।

(xii) म्यूचुअल फंडों को अपनी वेबसाइड और भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन (एएमएफआई) की वेबसाइट पर प्राप्त निवेशक शिकायतों के ब्यौरे प्रकट करने की सलाह देना।

(xiii) म्यूचुअल फंड यूनिटों को डीमेट रूप में धारित कर सकने में समर्थ बनाना।

ईंधन की किफायत हेतु मानदंड

2159. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ईंधन की किफायत हेतु नए मानदंड जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बायो डीजल का उत्पादन

2160. श्री ओम प्रकाश यादव: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में जीवाश्म ईंधन के विकल्प के तौर पर बायो-डीजल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में फिलहाल उत्पादित बायो-डीजल का ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में बायो -डीजल के उत्पदन के संबंध में निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बायो-डीजल के प्रोत्साहन और उत्पादन हेतु कोई नीति निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को दिसम्बर, 2009 में अधिसूचित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हाई स्पीड डीजल के साथ मिलाने के लिए बायो-डीजल के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विस्तुत दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा भी बायो-डीजल खरीद नीति की घोषण की गई थी जो 1. 1.2006 से लागू है। इस नीति के अनुसार तेल का विपणन करने वाली कंपनियों द्वारा बायो-डीजल की खरीद एक समान लैंडेड मूल्य पर की जाएगी जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। दिनांक 26 जून, 2010 से बायो-डीजल का मूल्य प्रति लीटर 29. 50 रुपए हैं।

(ग) और (घ) सरकार द्वार तेल का विपणन करने वाली कंपनियों (ओएमसी) को उनके द्वारा समय-समय पर घोषित मूल्य पर बायो-डीजल प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया। इस योजना के अंतर्गत ओएमसी द्वार हाई-स्पीड डीजल के साथ मिलाने के लिए बायो-डीजल की खरीद देश भर में पहचान किए गए 20 खरीद केन्द्रों से की जानी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने सूचित किया है कि अभी तक घोषित मूल्य पर प्रापण शुरू नहीं हुआ है। बायो-डीजल मिश्रण हेतु वर्तमान लक्ष्य 5% है। तथापि 11वीं योजना अवधि के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं था।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति के अनुसार वर्ष 2017 अर्थात् बारहवीं योजना अवधि के अंत तक बायो-डीजल मिश्रण हेतु निर्देशात्मक लक्ष्य 20% है।

[अनुवाद]

उद्योगों को रियायतें

2161. श्री आर. थामराईसेलवनः
श्री हरीश चौधरीः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री रवनीत सिंहः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कार्यरत उद्योगों को प्रदत्त कर रियायत और उन्हें दिए जा रहे ऋण की ब्याज दर का श्रेणी-दर ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में इन रियायतों को हटाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की सहायता हेतु उठाए गए अथवा प्रस्तावित राजकोष संबंधी और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) देश में उद्योगों को उपलब्ध प्रत्यक्ष कर रियायतें आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण कर रियायतें इस प्रकार हैं:

(i) **कर योग्य आय से आय की कटौतीः** जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय VI क के कतिपय धाराओं में वर्णित है, इसमें यथानिर्दिष्ट उद्योगों की ऐसी आय, उनकी कर-योग्य आय में शमिल नहीं है, बशर्ते पूरी हों। इस संबंध कर रियायतों को प्रदान करने संबंधी कुछ धाराएं 80 झ क, 80 झ क ख, 80 झ ख, 90 झ ग, 80 झ घ, 80 जे जे ए, 80 जे जे ए ए और 80 ठ क हैं।

(ii) **कर भुगतान से आय छूटः** प्रत्यक्ष कर रियायतें आयकर अधिनियम, 1961 की धाराओं 10 क, 10 ख, 10 क क और 10 ग के अनुसार निर्दिष्ट उद्योगों की छूट आय के रूप में भी उपलब्ध हैं बशर्ते कि निर्धारित शर्तें पूरी हों।

(iii) **अन्य प्रोत्साहनः** कर रियायतगामी प्रोत्साहन आयकर कर अधिनियम, 1961 के अध्याय IV, की कतिपय धाराओं के तहत भी उपलब्ध हैं। इसमें कतिपय उद्योगों को त्वरित मूल्य ह्रास के रूप में प्रोत्साहन, कतिपय निर्दिष्ट उद्योगों के लिए पूंजीगत व्यय की कटौती, अनुसंधान और जानकारी इत्यादि पर व्यय हेतु भारित कटौती शामिल है। ऐसे उद्योगों को भी पूंजीगत लाभ पर छूट प्रदान की जाती है जोकि आयकर अधिनियम की धारा 54 छ क की धारा के अनुसार शहरी क्षेत्रों से विशेष आर्थिक जोन में शिफ्ट होते हैं।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट समय-समय पर देश में क्रियाशील उद्योगों को प्रदान की जाती है ताकि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सके जैसे, मुख्य सेक्टर या पिछड़े क्षेत्रों/राज्यों का विकास, घरेलु मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन, माइक्रो और लघु स्तर सेक्टर का संरक्षण या पर्यावरण अनुकूल सामानों के उत्पादन या खपत को प्रोत्साहन किया जा सके। इनमें से कुछ छूटों का अभिप्राय देश में भौतिक और सामाजिक अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। गैर-पैट्रोलियम उत्पादों को लागू केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की मानक दर को 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के संदर्भ में दो किस्तों में घटाकर 14% से 8% किया गया। सेवा कर की दर को भी फरवरी, 2009 में 12% से कम करके 10% किया गया। ये उपाय केन्द्र सरकार द्वारा घोषित राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज के भाग थे।

(ख) और (ग) चूंकि समग्र नीति निर्देशन छूट संख्या को समाविष्ट करना और समग्र कर दरों को संयत करना है, अत: इन छूटों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

आयकर अधिनियम के तहत उपलब्ध निम्न कटौतियां 31.3. 2011 को समाप्त हो गई हैं।

(i) अधिनियम की धारा 10 क जिसमें किसी उपक्रम द्वारा वस्तुओं या चीजों या कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न शत-प्रतिशत लाभ और अभिलाभों की कुल आया से 10 क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए, 31.3.2011 तक कटौती का प्रावधान था।

(ii) अधिनियम की धारा 10 ख, जिसमें किसी शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम द्वारा वस्तुओं या चीजों या कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात के व्युत्पन्न शत-प्रतिशत लाभ और अभिलाभ की कुल आय से 10 क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए, 31.3.2011 तक कटौती का प्रावधान था।

(iii) धारा 80-झ क में ऐसे उपक्रमों जो केन्द्र सरकार द्वारा 31.3.2011 तक अधिसूचित किसी औद्योगिक पार्क का विकास करता है, विकास और प्रचालन करता है या अनुरक्षण और प्रचालन करता है, को 10 क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए शत-प्रतिशत लाभ-सम्बद्ध कटौती का प्रावधान था।

इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 2011 से पहले धारा 115 जे ख के अंतर्गत एक यूनिट अथवा सेज के अंतर्गत एक उद्यमी अथवा एक विकासक को न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम ए टी) से छूट प्रदान करने अथवा धारा 45-ण के तहत तक उद्यम अथवा उद्योग, जोकि एक सेज के विकास मे अथवा विकास अथवा उसे चलाने अथवा उसके विकास, उसे चलाने तथा सम्पोषित करने में शमिल है, को लाभांश वितरण कर (डी डी टी) से छूट देने के लिए कोई समाप्ति तिथि प्रदान नहीं की गई थी। अत: सेज विकासकों तथा सेज की यूनिटों को मेट से मिलने वाली छूट अब निर्धारण वर्ष 2012-13 तथा उत्तरवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए आयकर अधिनियम में समाप्त की जा रही है। सेज विकासकों के मामले मे डीडीटी से जो छूट प्रदान की जा रही थी, अब आयकर अधिनियम के साथ-साथ सेज अधिनियम लाभांश हेतु जोकि दिनांक 01.06.2011 को अथवा उसके बाद घोषित, वितरित और प्रदत्त किए जाते हैं, के तहत बंद की जा रही है।

आयकर अधिनियम की लाभ संबंधी कटौतियों को भी चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जा रहा हैं क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से अक्षम हैं और इनका दुरूप्रयोग किया जा सकता हैं। इस प्रकार के नीतिगत निर्णय लेने के बारे में प्रत्यक्ष कर संहिता (अगस्त, 2010 में संसद में विधेयक के रूप में पुर:स्थापित) में भी विचार किया गया है, जिसमें लाभ संबंधी कटौतियों को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जा रहा है।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, वर्ष 2011-12 के बजट में शमिल प्रस्तावों के एक भाग में, 130 वस्तुओं पर मिलने वाली उत्पाद रियायतों को हटा लिया गया था, जिन को अब तक उत्पाद शुल्क के छूट मिलती रही है अथवा जिन पर शून्य की दर से शुल्क लगाया जाता है और सेनवेट के बगैर 1% और सेनवेट सहित 5% पर सामान्य उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है। माल एवं सेवा दोनों के लिए कर आधार को व्यापक करने की सरकार की नींति के अनुरूप यह कार्य किया जा रहा है, जोकि माल एवं सेवा कर (जी एस टी) को लागू करने की दिशा की ओर एक कदम है, हालांकि ऐसा करते समय यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उत्पाद शुल्क से छूट केवल उन्हीं वस्तुओं पर हटाई गई जिन पर वर्तमान समय में वैट लगाया जा रहा है और जोकि तैयार माल के रूप में हैं। इसके अतिरिक्त इन पर लागू एस एस आई छूट मिलनी जारी रहेगी। बजट 2010-11 के दौरान राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज को जारी रखने की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया गया था तथा हमारे आर्थिक निष्पादन में सुधार तथा राजकोषीय सुदृढ़करण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में दी गई कमी को आंशिक रूप से वापिस लेते हुए 8% से 10% किया गया था।

(घ) विनिर्माताओं या आयातकों के आकार पर ध्यान दिए बिना सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क में रियायतें समान रूप से दी जाती हैं, हालांकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की विशेष

आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कारोबार पर आधारित शुल्क (सामान्य रूप से लघु स्तर की छूटों के रूप में उल्लिखित) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर दोनों के तहत उपलब्ध है।

व्यायाम-सह-खुराक योजना

2162. श्री रघुवीर सिंह मीणाः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा यथा परिभाषित औसत भारतीयों के लिए व्यायाम-सह-खुराक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को लोकप्रिय बनाने हेतु उठाए गए/प्रस्तावित कदमों को ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जी, हां, आईसीएमआर के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने हाल ही में "भारतीयों के लिए खाद्य संबंधी दिशा-निर्देश"-एक मैनुअल (संशोधित) नामक पुस्तक रिलीज की है जिसमें घर में बैठे रहने वाले वयस्क पुरूष और वयस्क महिला के लिए अल्प भोजन संबंधी सूचना प्रदान की गई है। इस पुस्तक में "नियमित रूप से व्यायाम करना और आदर्श शरीर वजन बनाए रखने के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय" रहना शीर्षक के अंतर्गत शरीरिक क्रियाकलाप संबंधी दिशानिर्देश भी पुस्तक में दिए गए हैं।

(ग) जुलाई, 2010 में पुस्तक की रिलीज के समय प्रिंट और टेलीविजन मीडिया दोनों को भोजन संबंधी दिशा-निर्देशों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई थी। उक्त पुस्तक आम जनता के लिए रियायती कीमत पर उपलब्ध है। विस्तृत व्याख्यानों, प्रिंट और टेलीविजन मीडिया के जरिए समुदाय में आहार और शारीरिक क्रियाकलापों के बारे में सूचना का प्रचार करने में एनआईएन शामिल हैं।

बैंकों में धोखाधड़ी

2163. श्री बलीराम जाधवः
श्री मिथिलेश कुमारः
श्री तूफानी सरोजः
श्री नवजोत सिंह सिद्धूः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों में धोखाधड़ी और अन्य अनियमतताओं की घटनाएं प्रकाश में आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी घटनाओं/मामलों और इनमें शामिल राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और साथ ही इन धोखाधड़ियों में शामिल ऐसे दोषी बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा सूचित पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बैंकिग धोखाधड़ी से संबंधित घटनाओं के आंकड़े निम्नलिचित तालिका के दिए गए हैं:

क्र.सं.	वर्ष	कुल संसूचित मामले	सम्मिलित राशि
1.	2008	22156	1456.86
2.	2009	26913	2392.19
3.	2010	20638	2634.87
4.	जून 2011 तक	7863	2766.04

(ग) से (ङ) बैंकों से धोखाधड़ी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, आरबीआई के बैंकिग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच की जाती है और संबंधित बैंकों को सीबीआई/पुलिस/गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय (एएफआईओ) को मामले की रिपोर्ट करने/कर्मचारी की जवाबदेही की जांच करने, गलती करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध शीघ्रता से कार्यवाही पूर्ण करने, धोखाधड़ी में फंसी राशि की वसूली के लिए कदम उठाने, बीमा दावा बन [illegible] हो तो वहां बीमा दावा करने और प्रणाली और प्रक्रिया को भी [illegible]त और कारगर बनाने की सलाह दी जाती है ताकि धोखाधडि[illegible] की पुनरावृत्ति न हो।

भार[illegible]य रिजर्व बैंक अपने पर्यवेक्षीय प्रक्रिया के भाग के रूप में धोखाधड़ी की घटना को रोकने/कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ियों और उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों के संबंध में कार्य प्रणाली परिपत्र

जारी करके सामान्य धोखाधड़ी संभावित क्षेत्रों के समय-समय पर बैंकों को संवेदनशील बनाना।

(ii) उन उधाकर्ताओं के संबंध में, जिन्होंने बैंकों के साथ धोखा किया है, चेतावनी परामर्श जारी करता है। तावनी परामर्श में बैंकों को ऐसे उधारकर्ताओं से प्राप्त नए ऋण प्रस्ताव पर विचार करते समय समुचित सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

(iii) पूर्व में, धोखाधड़ी की घटनाओं सहित बैंक के परिचालनों से उत्पन्न विभिन्न मुद्दों पर विचार करते हुए आरबीआई ने बैंकों को निम्नलिखित सलाह दी हैं:

(क) संगामी लेखा परीक्षा प्रणाली शुरू करना।

(ख) बैंकों में आंतरिक निरीक्षण और लेखा परीक्षा तंत्रों के कार्यों की निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा करना।

(ग) सिर्फ 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति गठित करना।

(iv) इसके अलावा, राष्ट्रीयकृत बैंकों से धोखाधड़ी की रिपोर्टों की प्राप्ति पर, उन्हें कर्मचारी जवाबदेही की जांच करने और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विहित समय सीमा के अंदर कार्यवाही पूरी करने की सलाह दी जाती है। आरबीआई ने "बैंक में धोखाधड़ी-दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई" "सतर्कता मामले-सीवीसी दिशा निर्देशों का अनुपान" पर परिपत्र भी जारी किए है।

(v) बैंक धोखाधड़ियों के विधिक पहलुओं पर मित्रा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर बैंकों को बीपीसी का आंतरिकीकरण प्रणाली, आंतरिक पड़तालों और आंतरिक नियंत्रणों को सशक्त करना और विधिक अनुपालन लेखा परीक्षा शुरू करने जैसे विभिन्न उपाय करने की सलाह भी दी गई थी।

(vi) चूंकि आवास ऋण क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हो रही थी इसलिए आरबीआई ने ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंकों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी देने वाले ऐसे कई परिपत्र जारी किए है। ये कदम है उधारकर्ताओं/निर्माताओं पर उचित सावधानी बरतना, विधिक विशेषज्ञों द्वारा दस्तावेजों की छानबीन, उधारकर्ताओं की पहचान का सत्यापन, बहुस्तरीय निर्णयन प्रक्रिया, संस्वीकृति पूर्व परियोजना स्थल का दौरा और संस्वीकृति पश्चात् कड़ा पर्यवेक्षण इत्यादि।

(vii) 'बहु बैंकिंग' व्यवस्था के अंतर्गत उधारकर्ता को वित्त पोषित करने वाले सभी बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे समान रूप से सहमत रणनीति के आधार पर कानूनी/आपराधिक कार्रवाईयों, वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई, कार्य पद्धति के ब्यौरों का आदान-प्रदान, भारतीय रिजर्व बैंक को संसूचित धोखाधड़ियों के आंकड़ों/की सूचना के संबंध में निरंतरता प्राप्त करने के लिए समन्वित कार्रवाई करे। बहु बैंकिंग व्यवस्था के अधीन, धोखाधड़ी का पता लगाते वाले बैंक को धोखाधड़ी के ब्यौरों की जानकारी शीघ्रता से बहु बैंकिंग व्यवस्था के सभी अन्य बैंकों को भी देनी चाहिए।

(viii) तृतीय पक्ष जैसे निर्माताओं, गोदाम/शीतगृह मालिकों, मोटरयान/ट्रेक्टर डीलरों, यात्रा एजेंटों इत्यादि और वास्तुकारों, मूल्याकंकों, सनद लेखाकरों, वकीलों इत्यादि जैसे वृत्तिकों, जिन्होंने ऋण संस्वीकृति/संवितरण में अहम भूमिका निभायी है अथवा धोखाधड़ी करने में सहायता दी हैं, को जवाबदेह बनाने के लिए बैंकों को ऐसे पक्षों का ब्यौरा भारतीय बैंक संघ को सूचित करने की सलाह दी है। तत्पश्चात आईबीए बैंकों में परिचालित करने के लिए ऐसे पक्षों की चेतावनी सूची बनाएगा।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी संस्था

2164. श्री रेवती रमन सिंहः
श्री विश्व मोहन कुमारः
श्री निशिकांत दुबेः
श्री पी.सी. मोहनः
श्री के.सी. सिंह 'बाबा':
डॉ. रघुवंश. प्रसाद सिंहः
श्रीमती प्रिया दत्तः
श्री गोपीनाथ मुंडेः
श्री महाबल मिश्राः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न स्थानों पर सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसी संस्थाओं/परियोजनाओं के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन संस्थाओं/परियोजनाओं को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) पहले चरण में एम्स जैसे छह संस्थानों में मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पताल परिसरों को निर्माण कार्य शुरू हो गया है और पूरे जोर-शोर से चल रहा है। जोधपुर एवं रायपुर में आवासीय परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और शेष स्थलों पर कार्य प्रगति पर है। कार्य की प्रगति इस प्रकार है:

स्थल का नाम	कार्य की प्रगति का प्रतिशत		
	मेडिकल कॉलेज	अस्पताल	आवसीय परिसर
भोपाल	39.23	11.80	72.41
भुवनेश्वर	37.95	17.50	18
जोधपुर	40.0	20	पूर्ण हो गया है
पटना	44.83	21	78.63
रायपुर	26.3	18.0	पूर्ण हो गया है
ऋषिकेश	35	24	88

(ख) सभी छह संस्थानों के लिए एकल परियोजना परामर्शदाता के चयन के लिए वर्ष 2006 में शुरू की गई निविदा प्रक्रिया के विफल होने ओर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित अत्यधिक मूल्य के कारण वास्तु डिजाइन हेतु निविदाओं को अस्वीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप पूरी प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी पड़ी। तदनुसार, जनवरी, 2007 में यह निर्णय लिया गया कि सभी छह स्थलों को एक साथ करने के बजाए प्रत्येक एम्स स्थल को अलग एवं स्वतंत्र परियोजना माना जाना चाहिए तथा यह कि आवासीय परिसर के निर्माण कार्य को अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य से अलग किया जाना चाहिए ताकि इसका निर्माण पहले किया जा सके।

कतिपय परिवर्तनों को शामिल करने एवं कुछ अतिरिक्त विशिष्टताओं जैसे कि भवनों के डिजाइन में हरित भवन संकल्पना आदि को अपनाए जाने के परिणामस्वरूप मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसरों हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को अंतिम रूप देने में भी विलंब हुआ है।

(ग) छह स्थलों पर मेडिकल कॉलेजों के शैक्षणिक सत्र 2012-12 से और अस्पतालों के वर्ष 2013-14 से कार्य शुरू किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

केरल में पवन ऊर्जा परियोजना

2165. श्री एंटो एंटोनी: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल राज्य सरकार के साथ पवन ऊर्जा के उत्पादन हेतु समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिस्थापित स्थान, परियोजना की अनुमति लागत और प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा और ग्रामीण प्रौद्योगिकी एजेंसी (एएनईआरटी), केरल द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, केवल सरकार ने केरल में पवन ऊर्जा से 200 मेवा. उत्पादन हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के साथ दिनांक 18.07.2011 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है और परियोजना हेतु राज्य के सभी संभाव्यता वाले क्षेत्रों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) एएनआईआरटी द्वारा यह जानकारी दी गई है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को 3 माह के भीतर तैयार कर लिए जाने की संभावना है। इसके अलावा उन्होंने यह सूचित किया है कि रामक्कलमेडु, इडुक्की जिले में चालू वित्त वर्ष में 10 मेगावाट की पवन विद्युत परियोजनाएं अपेक्षित हैं।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अपील

2166. श्री अब्दुल रहमान: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत दी गई स्वीकृति के विरुद्ध अपीलों की समीक्षा की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो सरकार में ऐसे पुनरीक्षण निकायों की संरचना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क हेतु दिए गए गलत आबंटनों और स्वीकृतियों को समाप्त करने हेतु किए गए उपायों अथवा प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी हां, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 30, केन्द्र सरकार को प्रमुख खनिजों के संबंध में अधिनियम के तहत राज्य सरकार के किसी भी आदेश को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करती है।

(ख) केन्द्र सरकार की पुनरीक्षण शक्तियां खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव को प्रत्यायोजित की गई है और अभिनामित अधिकारी यथोचित प्रक्रिया का पालन करते हुए अर्थात् खनिज रियायत नियमावली के नियम 54 एवं 55 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करके और सुनवाई के पश्चात् पुनरीक्षण आवेदनों को निपटान करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

(ग) राज्य सरकारों को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार खनन पट्टे प्रदान करना अपेक्षित होता है। व्यथित पक्षों द्वारा किए गए आवेदनों को पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निपटाया जाता है और जहां यह माना जाता है कि आदेश एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार नहीं है तो रियायत की समीक्षा करने के लिए, जहां आवश्यक होता है, राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाते हैं। वर्ष 2009, 2010 और 2011 (जुलाई तक) लौह अयस्क से संबंधित रियायतों सहित पुनरीक्षण प्रधिकारियों द्वारा क्रमशः 198, 740 और 532 पुनरीक्षण आवेदनों पर निर्णय दिया गया।

[हिन्दी]

तम्बाकू संबंधी रोग और मृत्यु

2167. श्री मकनसिंह सोलंकी:
श्री अर्जुन मेघवाल:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री के.पी. धनपालन:
श्री रतन सिंह अजनाला:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:
श्री हंसराज गं. अहीर:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री सज्जन वर्मा:
श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक व्यस्क तम्बाकू सर्वेक्षण, (जीएटीएस) रिपोर्ट के अनुसार देश में तम्बाकू उत्पादों की खपत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही देश में गुटका और पान मसाला, सहित विभिन्न प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के आदी लोगों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कैंसर और अन्य तम्बाकू संबंधी बीमारियों से ग्रस्त लोगों की संख्या और इससे प्रतिवर्ष मरने वाले लोगों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) लोगों को तम्बाकू उत्पादों के उपभोग को रहने हेतु उठाए कदमों के साथ ही गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु आबंटित निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का देश में गुटका और पान मसाला सहित तम्बाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण, 2010 के अनुसार भारत में एक तिहाई से अधिक (34.6%) वयस्क (15 वर्ष और इससे अधिक की आयु वाले) किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं। धुम्र रहित तम्बाकू का सेवन (25. 9%), धुम्रयुक्त तम्बाकू का सेवन (14.1%) से अधिक व्याप्त है। भारत में तम्बाकू सेवन करने वाले व्यक्तियों की संख्या 274.9 मिलियन है जिनमें से 111.2 मिमियन धुम्रयुक्त तम्बाकू का सेवन करते हैं और 206 मिलियन धुम्ररहित तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते हैं। लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के सेवन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर पंजीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या आधारित कैंसर पंजीकरणों के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2008, 2009, 2010 के दौरान जिह्वा, मुख एवं हायपोफेरिंक्स के कैंसर की अनुमानित संख्या क्रमशः 66,

129, 68,160 और 70,261 है। भारत में तम्बाकू नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट, 2004 के अनुसार लगभग 8-9 लाख व्यक्ति प्रत्येक वर्ष तम्बाकू से होने वाले रोगों से मरते हैं।

(घ) भारत सरकार ने नागरिकों विशेषकर जोखिम समूहों अर्थात गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षित करने के लिए तथा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के सेवन को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियिम, 2003 अधिनियमित किया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान पर प्रतिबन्ध (धारा 4)

(ii) तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष विज्ञापन, सर्वधन और प्रायोजन पर प्रतिबन्ध (धारा 5)

(iii) 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध तथा शैक्षिक संस्थान के 100 गज के भीतर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध। (धारा 6)

(iv) सभी तम्बाकू उत्पादों पर अनिवार्य रूप से विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों को लिखना।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत प्रावधानों को लागू करने, तम्बाकू सेवन के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा कने के उद्देश्य से तथा एफसीटीसी के प्रति एक दायित्व के रूप में वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस समय राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम 21 राज्यों (42 जिलें) में कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य/जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठों की स्थापना करने हेतु इन राज्यों को निधियां भी विमुक्त की गईं। राज्यों को निधियों के आवंटन संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है –

राष्ट्रीय स्तर

(I) विभिन्न माध्यमों से जागरूकता बढ़ाने और व्यवहार परिवर्तन हेतु राष्ट्र स्तरीय जन जागरूकता/मास मीडिया अभियान।

(II) सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत यथापेक्षित विनियामक क्षमता निर्मित करने के लिए तम्बाकू उत्पाद जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना।

(III) एनआरएचएम कार्यढांचा के अंतर्ग स्वास्थ्य प्रदानगी तंत्र के भाग के रूप में कार्यक्रम घटकों को मुख्य धारा में लाना।

(IV) वैकल्पिक फसलों और जीविकाओं से संबंधित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण को अन्य नोडल मंत्रालयों के साथ मुख्य धारा में लाना।

(V) निगरानी सहित मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन अर्थात् वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण

राज्य स्तरीय

(i) स्वास्थ्य रोधी पहलों के प्रभावी कार्यन्वयन एवं मानीटरिंग के लिए समर्पित तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ।

जिला स्तरीय

(i) तम्बाकू एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, स्कूली शिक्षकों आदि का प्रशिक्षण।

(ii) स्थानीय सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलाप।

(iii) स्कूली कार्यक्रम।

(iv) तम्बाकू नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना।

(v) तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की मानीटरिंग।

(ङ) और (च) इस समय, देश में तम्बाकू उत्पादों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण I

पुदुचेरी में (1%)। इसी प्रकार गुजरात (22%) एवं और अरूणाचल प्रदेश (21%) उप राज्य है। जहां यह जैसे राज्यों में अधिक अनुपात में पुरूष गुटखा का सेवन करते है। 4.73% विभिन्न धूम्र रहित तम्बाकू उत्पादों के मौजूदा सेवन करने वाले 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के वयस्क का प्रतिशत, क्षेत्रों एवं राज्यों के अनुसार, गेटस इंडिया , 2009-2010

क्षेत्र एवं राज्य/ संघक्षेत्र	कोई भी धुम्ररहित तम्बाकू उत्पाद	तम्बाकू के साथ पान चबाना	खैनी तम्बाकू मिक्सचर	गुटखा तम्बाकू सुपारी मिक्चर	सुखा तम्बाकू जैसे मिसरी गुल, गुडाकुल	अन्य धुम्ररहित तम्बाकू
1	2	3	4	5	6	7
उत्तर भारत	25.9	6.5	11.6	8.2	4.7	4.4
	7.2	0.7	3.8	2.8	0.3	0.8
जम्मू और कश्मीर	7.6	1.5	2.8	2.6	0.8	2.7
हिमाचल प्रदेश	4.5	0.5	3.4	0.8	0.1	0.6
पंजाब	6.5	0.5	3.7	2.7	0.2	0.0
चंडीगढ़	5.4	0.5	2.9	2.1	0.1	0.2
उत्तराखण्ड	11.6	0.5	7.1	4.1	0.0	1.3
हरियाणा	6.4	0.6	3.1	3.1	0.1	0.4
दिल्ली	10.5	1.4	3.1	8.2	0.3	0.4
केन्द्रीय	29.2	5.5	14.1	12.1	6.9	2.8
राजस्थान	18.9	1.3	7.3	11.5	1.6	1.3
उत्तर प्रदेश	25.3	6.7	13.7	10.5	1.6	1.3
छत्तीसगढ़	47.2	4.8	21.2	11.9	28.3	4.6
मध्य प्रदेश	31.4	6.8	14.0	17.0	4.5	6.1
पूर्वी	37.6	9.7	18.4	6.9	5.2	10.9
पश्चिम बंगाल	21.9	9.2	8.9	4.5	4.3	2.1
झारखंड	47.9	5.2	32.6	9.7	7.9	10.4
ओडिशा	43.1	17.7	11.0	9.4	7.3	12.4
बिहार	48.7	7.7	27.6	7.5	4.3	20.0
पूर्वोत्तर	34.6	17.2	14.3	6.6	1.5	10.3
सिक्किम	25.6	7.4	14.7	6.3	0.9	6.2

1	2	3	4	5	6	7
अरूणाचल प्रदेश	36.2	14.3	18.0	15.9	2.3	20.5
नागालैंड	45.3	25.0	26.2	9.8	0.9	13.3
मणिपुर	44.5	29.5	19.2	3.9	0.8	14.9
मिजोरम	40.7	6.9	24.5	4.1	3.1	18.4
त्रिपुरा	41.4	32.8	5.8	2.2	0.4	2.8
मेघालय	28.2	14.3	5.9	1.2	1.3	6.7
असम	32.7	14.7	14.3	7.3	1.7	10.4
पश्चिम	25.3	3.7	11.2	9.8	6.6	2.6
गुजरात	21.6	3.1	5.3	12.8	4.2	4.0
महाराष्ट्र	27.6	4.1	14.5	8.3	8.0	1.9
गोवा	4.6	1.9	2.0	0.7	0.6	0.5
दक्षिण	13.4	5.3	3.3	4.2	1.4	1.8
आंध्र प्रदेश	15.1	1.7	6.9	7.0	0.7	2.0
कर्नाटक	19.4	9.9	2.4	5.8	1.9	1.8
केरल	10.7	7.6	2.2	1.9	1.6	2.1
तमिलनाडु	8.1	4.7	0.5	0.7	1.9	1.6
पुदुचेरी	6.1	4.2	1.1	0.6	1.3	0.9

नोट: इसमें पान मसाला, तम्बाकू रहित पान चबाना और व्यास (स्नफ) को सूंघना

पुदुचेरी में (1%)। इसी प्रकार गुजरात (22%) एवं और अरूणाचल प्रदेश (21%) उप राज्य है। जहां यह जैसे राज्यों में अधिक अनुपात में पुरूष गुटखा का सेवन करते है। 4.43% विभिन्न धूम्र रहित तम्बाकू उत्पादों के मौजूदा सेवन करने वाले 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के वयस्क का प्रतिशत, क्षेत्रों एवं राज्यों के अनुसार, गेटस इंडिया , 2009-2010

क्षेत्र एवं राज्य/ संघक्षेत्र	कोई भी धुम्ररहित तम्बाकू उत्पाद	तम्बाकू के साथ पान चबाना	खैनी तम्बाकू मिक्सचर	गुटखा तम्बाकू सुपारी मिक्चर	सुखा तम्बाकू जैसे मिसरी गुल, गुडाकुल	अन्य धुम्ररहित तम्बाकू
1	2	3	4	5	6	7
उत्तर भारत	14.0	5.7	9.2	0.6	0.9	0.4
	13.8	6.1	7.7	0.3	2.8	0.2
जम्मू और कश्मीर	21.9	12.0	3.8	0.6	10.7	1.2

1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश	18.3	7.7	14.5	03	1.8	0.1
पंजाब	6.9	3.7	4.2	0.2	0.1	0.0
चंडीगढ़	11.0	5.3	6.0	0.2	0.1	0.0
उत्तराखंड	22.1	4.1	19.2	0.1	2.2	0.0
हरियाणा	19.6	3.8	15.4	0.0	5.7	0.0
दिल्ली	17.4	9.9	8.7	0.0	0.3	0.0
केंद्रीय	15.5	3.5	12.6	0.5	1.5	0.6
राजस्थान	18.8	2.8	16.0	0.4	2.4	0.6
उत्तर प्रदेश	14.9	2.3	12.4	0.0	1.4	0.1
छत्तीसगढ़	12.6	5.7	9.5	1.7	1.7	1.8
मध्य प्रदेश	16.9	5.1	13.4	0.8	0.8	0.7
पूर्वी	15.7	7.4	10.3	0.2	0.4	0.4
पश्चिम बंगाल	21.3	10.3	15.7	0.3	0.3	0.3
झारखंड	9.6	6.8	4.1	0.1	0.0	0.2
ओडिसा	10.3	4.7	6.5	0.2	0.4	0.4
बिहार	14.2	5.9	8.4	0.1	0.6	0.6
पूर्वोत्तर	19.3	12.1	8.6	0.8	0.9	0.5
सिक्किम	26.4	19.4	10.8	2.3	1.5	1.6
अरूणाचल प्रदेश	29.4	20.6	21.9	1.7	2.4	4.0
नागालैंड	31.5	26.3	11.8	0.3	0.5	0.5
मणिपुर	25.7	19.2	10.7	0.7	0.8	0.9
मिजोरम	39.7	37.2	6.1	1.2	2.0	0.1
त्रिपुरा	27.3	7.3	21.5	1.2	2.4	0.5
मेघालय	35.7	27.2	18.7	0.2	0.5	0.7

1	2	3	4	5	6	7
असम	14.4	8.8	5.3	0.7	0.7	0.3
पश्चिम	8.1	3.1	4.8	0.3	0.4	0.3
गुजरात	11.0	2.6	8.9	0.8	0.7	
महाराष्ट्र	6.6	3.4	2.7	0.1	0.1	0.0
गोवा	4.8	3.7	1.5	0.1	0.0	0.0
दक्षिण	13.3	8.0	6.5	1.2	0.2	0.2
आंध्र प्रदेश	17.4	11.1	6.8	2.9	0.1	0.0
कर्नाटक	11.9	4.4	8.3	0.0	0.1	0.0
केरल	13.4	10.5	4.9	0.0	0.0	02
तमिलनाडु	9.6	6.0	5.3	0.8	0.5	0.5
पुदुचेरी	10.3	8.2	2.8	1.2	0.4	1.2

नोटः इसमें विनिर्मित सिगरेट एवं कागज का पत्ते में रॉल किए गए तंबाकू

विवरण II

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को विमुक्त की गई विधियां

एमटीसीपी के अंतर्गत राज्यों को निधि आवंटन

क्रसं. राज्य	जिला	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
1. राजस्थान	राजस्थान और झुनझुन	17,24,000	–	–	–	7,97,626%
2. असम	कामरूप जोरहत	17,24,000	4,31,000%	12,93,000%		
3. कर्नाटक	बंगलौर गुलबर्ग	17,24,000	–	–	13,29,472%	
4. पश्चिम बंगाल	मुशीर्दाबाद कूचबिहार	1 7,24,000	–	–		
5. तमिलनाडु	कांचीपुरम	1 7,24,000	4,31,000%	–	5,78,000%	–
6. उत्तर प्रदेश	लखनऊ कानपुर	17,24,000	–	–	–	12,53,000%
7. गुजरात	बडोदरा साबरकंटक	17,24,000	4,31,000%	–	1293,000%	

1	2	3	4	5	6	7
8. दिल्ली	पूर्वी दिल्ली नई दिल्ली	17,24,000	4,31,000%	–		
9. मध्य प्रदेश	ग्वालियर खंडवा	17,24,000	–	–		
10. नागालैंड	कोहिमा दीमापुर	–	12,12,000%	–	14.84000%	
11. त्रिपुरा	पश्चिमी त्रिपुरा धलाई जिला	12,12,000%	–	14.84000%	18,91,324%	
12. मिजोरम	आइजॉल लुगलेई	–	12,12,000ध.	–	10,01,382%	
13. अरूणाचल प्रदेश	तवांग पश्चिमी केमंग	–	12,12,000%	–		
14. सिक्किम	पूर्वी सिक्किम दक्षिणी सिक्किम	–	12,12,000%	–	14.84,000%	
15. झारखंड	धनबाद जमशेदपुर	–	12,12,000%	–		
16. बिहार	पटना मुंगेर	–	12,12,000%	–		
17. उत्तराखंड	देहरादून उसनगर	–	12,12,000%	–		
18. महाराष्ट्र	थाने औरंगाबाद	–	12,12,000%	–		
19. गोवा	उत्तरी गोवा दक्षिणी गोवा	–	12,12,000%	–		13,88,944
20. आंध्र प्रदेश	गुंडर हैदराबाद	–	12,12,000%	–	7,42,000%	
21. उड़ीसा	कोरापुट जगतसिंहपुर	–	12,12,000%	–		

[हिन्दी]

गुटका, पान मसाला और सिगरेट विनिर्माताओं के विरुद्ध मामले

2168. श्री अशोक अर्गलः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गुटका, पान मसाला, सिगरेट विनिर्माताओं द्वारा कर अपवंचन के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग द्वारा पंजीकृत किए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किए गए साथ ही इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन मामलों में जिनमें कारण बताओं नोटिस जारी नहीं किया गया में शामिल उत्पाद शुल्क की राशि का ब्यौरा क्या हैं;

(घ) कितने मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और कितने मामलों में कर अपवंचन की पुष्टि हुई और इसमें शामिल उत्पाद शुल्क की राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बकाए शुल्क की शीघ्रातिशीघ्र वसूली हेतु उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

विद्युत वितरण नीति

2169. डॉ. भोला सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राज्य में स्थित विद्युत संयंत्र से विद्युत के राज्य के हिस्से के आवंटन के लिए विद्युत वितरण में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) भारत सरकार ने एनटीपीसी लिमिटेड की 14 भावी विद्युत परियोजनाओं तथा न्यूक्लीयर पावन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की सभी नई परियोजनाओं से 'गृह' राज्यों को 50% विद्युत के आवंटन को पहले ही अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस मंत्रालय का दिनांक 17 जनवरी, 2011 का आदेश संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

सं. 5/12/2009-थर्मल II

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एनटीपीसी लिमिटेड
7, इन्स्टीटयूशनल एरिया,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय: एनटीपीसी की 14 भावी विद्युत परियोजनाओं से विद्युत का आवंटन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने एनटीपीसी की निम्नलिखित नई विद्युत परियोजनाओं से 'गृह' राज्यों को 50% विद्युत के आवंटन हेतु अनुमोदन प्रदान किया है:

क्रम संख्या	स्टेशन	क्षमता	गृह राज्य
1.	गदरवाड़ा	2640 मे.वा.	मध्य प्रदेश
2.	लारा	4000 मे.वा.	छत्तीसगढ
3.	तालचेर एक्सपेंशन	1320 मे.वा.	उड़ीसा
4.	कुडगी	4000 मे.वा.	कर्नाटक
5.	दारलीपल्ला	3200 मे.वा.	उड़ीसा
6.	गजमारा	3200 मे.वा.	उड़ीसा
7.	गिदरबाहा	2640 मे.वा.	पंजाब
8.	कटवा	1600 मे.वा.	पं. बंगाल
9.	धुवरन	1980 मे.वा.	गुजरात
10.	खरगोन	1320 मे.वा.	मध्य प्रदेश
11.	पुदीमदका	4000 मे.वा.	आंध्र प्रदेश
12.	बिल्होर	1320 मे.वा.	उत्तर प्रदेश
13.	कठुआ	500 मे.वा.	जम्मू और कश्मीर

2. इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि एनटीपीसी की उपरोक्ट परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता से 15% विद्युत भारत सरकार के निपटारे पर अनाबंटित कोटे के रूप में रहेगी। उपरोक्त परियोजनाओं से शेष 35% विद्युत विगत 5 वर्षों के लिए समग्र रूप में क्षेत्र के संदर्भ में केन्द्रीय योजना सहायता और प्रत्येक राज्य द्वारा ऊर्जा उपभोग की प्रतिशतता को बराबर का महत्त्व देते हुए विद्युत के आबंटन (इस मंत्रालय के दिनांक 27.04.2000 के पत्र संख्या 8/1/96 ओ एम के माध्यम से संशोधित) पर प्रचलित दिशानिर्देशों के आधार पर विशेष क्षेत्र के अन्य संघटकों (गृह राज्य के सिवाय) को आबंटित की जाएगी।

3. भारत सरकार ने क्रमश: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को बरेली विद्युत परियोजना (3960 मेगावाट) से विद्युत के 50% और 35% आबंटन हेतु प्रस्ताव को अनुमोदन भी प्रदान किया है; क्षेत्र में अवसंरचना के विकास को सुगम बनाने के मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में छतरपुर जिले में परियोजना की स्थापना की जा रही है। इस परियोजना की संस्थापित क्षमता में स 15% विद्युत भारत सरकार के निपटारे पर अनाबंटित कोटे के रूप में रहेगी।

4. यद्यपि प्रत्येक परियोजना से विद्युत का आबंटन पृथक रूप से किया जाएगा तथापि, यह परिकल्पना की जाती है कि केन्द्र सरकार के इस निर्णय से परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन हेतु आवश्यक इनपुट अर्थात भूमि, जल, ईंधन, पर्यावरणीय स्वीकृतियां आदि के लिए बातचीत करने में साथ-साथ कार्य करने के लिए एनटीपीसी और 'गृह' राज्य सरकारों को सहूलियत होगी। 'गृह' राज्यों में भूमि, जल आदि शीघ्रता से उपलब्ध कराने की आशा की जाती है। सन् 2000 के दिशानिर्देशों की सभी शर्तें लागू होगी।

5. एनटीपीसी को कार्य पूरे करने चाहिए तथा उपरोक्त सूचीबद्ध परियोजनाओं पर 12-18 माह के भीतर कार्य प्रारंभ कर लेने चाहिए।

भवदीय

ह./-

(के.सी. शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति:

सचित (ऊर्जा)-मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़/उड़ीसा/कर्नाटक/पंजाब/पश्चिम बंगाल/ गुजराज/आन्ध्र प्रदेश/उत्तर प्रदेश/जम्मू व कश्मीर

सूचनार्थ प्रति:

(i) निदेशक (ओ.एम.)

(ii) निदेशक (राज्य थर्मल)

सं. 5/12/2009-थर्मल-II
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली-110001

कार्यालय ज्ञापन

विषय: न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की परियोजनाओं से विद्युत का आबंटन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश दिया जाता है कि भारत सरकार ने न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की नई परियोजनाओं से 'गृह' राज्यों को 50% विद्युत के आबंटन को अनुमोदन प्रदान किया है।

2. यह भी बताया जाता है कि न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता से 15% विद्युत भारत सरकार के निपटारे पर अनाबंटित कोटे के लिए रूप में रहेगी। उपरोक्त परियोजनाओं से शेष 35% विद्युत विगत पांच वर्षों के लिए समग्र रूप में क्षेत्र के संदर्भ में केन्द्रीय योजना सहायता के प्रतिशत तथा प्रत्येक राज्य द्वारा ऊर्जा उपभोग के प्रतिशत को समान रूप के महत्त्व देते हुए विद्युत के आबंटन पर विस्तृत दिशा-निर्देशों के आधार पर विशेष क्षेत्र के अन्य संघटकों (गृह राज्य के सिवाय) को आबंटित की जाएगी।

3. प्रत्येक परियोजना से विद्युत का आबंटन एनपीसीआईएल से प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात् उपर्युक्त समय तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पृथक रूप से किया जाएगा। 'गृह' राज्यों से शीघ्र ही भूमि, जल, स्वीकृति आदि उपलब्ध कराने की आशा की जाती है।

ह./

(के.सी. शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23719710

सचिव (परमाणु ऊर्जा विभाग) अवर सचिव, भारत सरकार, अणुशक्ति भवन, सीएसएम मार्ग, मुंबई-400001।

[अनुवाद]

घटिया किस्म की दवाओं की आपूर्ति

2170. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के विभिन्न औषधालयों में घटिया दवाओं/इन्जेक्शनों की आपूर्ति के संज्ञान में आए मामलों की संख्या का दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) घटिया दवाओं/इन्जेक्शन आपूर्ति करने वाली कंपनियों का दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, औषधालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) रोगियों को आपूर्ति की गई घटिया दवाओं/इन्जेक्शन की मात्रा और कंपनियों को वापस लौटाए गए स्टॉक का दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके लिए उत्तरदायी पाए गए लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हीरा व्यापारियों द्वारा कर अपवंचन

2171. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा हीरा व्यापारियों से संग्रहित कर तथा इनके परिसरों पर डाले गए छापों से संबंधित आंकड़े रखे जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान हीरा व्यापारियों से संग्रहित करों, हीरा व्यापारियों द्वारा अपवंचन किए गए करों तथा उनके परिसरों पर डाले गए छापों का आयुक्तालय-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) आयकर विभाग व्यक्तियों के बारे में विश्वसनीय सूचना के आधार पर तलाशी, जब्ती एवं सर्वेक्षण अभियान चलाता है जिनमें व्यष्टि, अविभाजित हिन्दू परिवरा (एच यू एफ), फर्म, कम्पनी, व्यक्तियों का संघ (ए ओ पी), व्यष्टियों का निकाय (बी ओ आई), स्थानीय प्राधिकरण एवं अन्य कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति शामिल हैं जिनके कब्ज़े में ऐसा कोई पैसा, सोना-चांदी, जेवर अथवा अन्य कोई बहुमूल्य वस्तु अथवा चीज़ हो जो पूर्णतः अथवा अंशतः आय अथवा सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करती है जिसे प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रयोजनार्थ प्रकट नहीं किया गया है अथवा प्रकट नहीं किया जाएगा। तलाशी, जब्ती एवं सर्वेक्षण अभियान आयकर विभाग की एक सतत् एवं चालू प्रक्रिया है। आयकर विभाग ऐसे अभियानों की क्षेत्र-वार, व्यक्ति-वार अथवा आयुक्तालय-वार ब्यौरे नहीं रखता क्योंकि ऐसे अभियान विभिन्न बहु-क्षेत्रों में फैले व्यक्तियों के समूहों, देश भर में फैले कारोबारों पर चलाए जाते हैं।

लिंग चयन गर्भपात

2172. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड:
श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई शिक्षित और धनी परिवार लिंग चयन कर गर्भपात करा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विषम लिंगानुपात से आगामी वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध होने की आशंका है; और

(घ) यदि हां, तो संतुलित लिंगानुपात हासिल करने के लिए, इस समस्या से निपटाने के लिए तथा कड़े कानून बनाने के लिए, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) लिंग चयन जिसके कारण बालिका भ्रूण हो रही है, पूरे देश में व्यापक हो गया है जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। वर्ष 2011 की जनगणना (अनंतिम) के अनुसार बाल लिंग अनुपात वर्ष 2001 में 927 से कम होकर वर्ष 2011 में 914 हो गया है।

(ख) शहरी और ग्रामीण बाल लिंगानुपात के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) एक विषम लिंगानुपात के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं जो समाज में महिलाओं की बढ़ती असुरक्षा और महिलाओं के प्रति हिंसा सहित उनकी समग्र स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।

(घ) गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्ण नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994 जिसमें वर्ष 2003 में आगे संशोधन किया गया है, एक व्यापक कानून (विधान) है जिसमें गर्भाधारण पूर्व और उसके पश्चात् लिंग चयन के निषेध और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों के विनियमन की व्यवस्था है।

अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू हो गई हाल ही की पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

* पीसी एंड पीएनडीटी नियमावली, 1996 के नियम 11(2) को संशोधित किया गया है ताकि अधिनियम के अंतर्गत अपने को पंजीकृत करवाने में विफल रहने वाले संगठनों की गैर-पंजीकृत मशीनों को जब्त करने और संगठनों को आगे दंडित करने के लिए प्रावधान किया जा सके।

* राष्ट्रीय निरीक्षण और मानीटरिंग समिति का पुनर्गठन किया गया है और निरिक्षणों के अतिरिक्त इसको और अधिक अधिकार दिया गया है ताकि निरीक्षणों के दौरान अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघन के दोषी पाए गए संगठनों के विरूद्ध समुचित प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी की जा सके। पीएनडीटी-एनजीओ सहायात अनुदान योजना के लिए प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संसाधनों के लक्षित उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष 2001)			बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष 2011)		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत	927	934	906	914	919	902
1.	जम्मू और कश्मीर	941	957	873	859	860	854
2.	हिमाचल प्रदेश	896	900	844	906	909	878
3.	पंजाब	798	799	796	846	843	851
4.	चंडीगढ़	84.5	847	845	867	862	867
5.	उत्तरखंड	908	918	872	886	894	864
6.	हरियाणा	819	823	808	830	831	829
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	868	850	870	866	809	868
8.	राजस्थान	909	914	887	883	886	869
9.	उत्तर प्रदेश	916	921	890	899	904	879
10.	बिहार	942	944	924	933	935	906
11.	सिक्किम	963	966	922	944	952	917
12.	अरूणाचल प्रदेश	964	960	980	960	964	944
13.	नागालैंड	964	969	939	944	932	979

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	957	956	961	934	929	945
15.	मिजोरम	964	965	963	971	966	978
16.	त्रिपुरा	966	968	948	953	955	945
17.	मेघालय	973	973	969	970	972	957
18.	असम	965	967	943	957	957	955
19.	पश्चिम बंगाल	960	963	948	950	952	943
20.	झारखंड	965	953	973	955	930	933
21.	उड़ीसा	943	934	952	939	904	909
22.	छत्तीसगढ़	975	982	938	964	972	932
23.	मध्य प्रदेश	932	939	907	912	917	895
24.	गुजरात	883	906	837	886	906	852
25.	दमन और द्वीव	926	916	943	909	925	903
26.	दादरा और नगर हवेली	979	1003	888	924	961	878
27.	महाराष्ट्र	913	916	908	883	880	888
28.	आंध्र प्रदेश	961	963	955	943	942	946
29.	कर्नाटक	946	949	940	943	945	941
30.	गोवा	938	952	924	920	924	917
31.	लक्षद्वीप	959	999	900	908	888	915
32.	केरल	960	961	958	959	960	958
33.	तमिलनाडु	942	933	955	946	937	957
34.	पुदुचेरी	967	967	967	965	957	969
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	957	966	936	966	975	947

*भारतीय जनगणना 2011 अनंतिम जनसंख्या योग

गैर-वित्तीय कंपनियों में बैंकिंग इक्विटी निवेश

2173. श्री संजय भोई:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों को गैर-वित्तीय कंपनियों में निवेश की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय सेवाओं में नहीं लगी कंपनियों में किसी बैंक की हिस्सेदारी के निवेश की कोई सीमा का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत ऐसी कंपनियों में बैंक के निवेश अधिचालित किए जाते हैं जो सहायक कपंनियां नहीं है और वर्तमान में ऐसे निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं है लेकिन इस संदर्भ में वे मामले शामिल नहीं है जहां निवेशक कपंनियां, वित्तीय सेवाएं कंपनी है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 जुलाई, 2011 को दिशा-निर्देशों का प्रारूप जारी किया था जिसमें सहायक कंपनियों और अन्य कंपनियों में इक्विटी निवेश की सीमा प्रस्तावित थी क्योंकि यह संभव हो सकता है कि बैंक अन्य कंपनियों में अपनी धारिता के माध्यम से ऐसी कंपनियों पर अपना नियंत्रण बना सकते हैं अथवा उल्लेखनीय प्रभाव डाल सकते और इस स्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्यकलाप कर सकते हैं जिनकी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6(1) के अंतर्गत अनुमति नहीं दी गई हैं। ऐसा करना अधिनियम के उपबंधों की भावना के विरूद्ध होगा और इसे विवेकपूर्ण परिप्रेक्ष्य से भी उपयुक्त नहीं समझा जाता है।

आउटसोर्सिंग पर सेवा कर

2174. चौधरी लाल सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवसंरचना परियोजनाओं की आउटसोर्सिंग या उप-ठेकेदारी पर पूरे देश में सेवाकर लागू है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अवसरंचना परियोजनाओं की आउटसोर्सिंग/उप-ठेकेदारी पर कर लगाने के प्रभाव से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए कोई रक्षोपाय है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं जिनमें सड़कों, विमानपत्तनों, रेल मार्गो, परिवहन टर्मिनलों, सेतुओं, सुरंगों और डैमों का निर्माण शामिल है, पर सेवा कर उद्ग्रहणीय नहीं है। ऐसे कार्यकलाप को निर्माण ठेका सेवा [वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) (ययययक) तथा वाणिज्यिक अथवा निर्माण सेवा [वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(25ख) के साथ पठित धारा 65(105) (ययथ)] की कराधेय सेवा से अलग रखा गया है। इसलिए ऐसी अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं पर सेवा कर देय नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लघु बचत संबंधी समिति

2175. श्री पी. करुणाकरन:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने देश में लघु बचत योजनाओं का अध्ययन कर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सिफारिश पर सरकार की बिंदु-वार प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) इस सिफारिश को लागू करने के लिए तथा लघु बचत योजनाओं को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी हां।

(ख) समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

(i) वर्तमान लघु बचत योजनाओं के लिए मौजूदा मानदंडों की समीक्षा करना और उन्हें अधिक लोचनीय और बाजार संबद्ध बनाने के लिए व्यवस्थाओं की सिफारिश करना।

(ii) केन्द्र और राज्यों को एनएसएसएफ से दिए जाने वाले ऋणों की मौजूदा शर्तो की समीक्षा करना और लघु बचतों के निवल संग्रहण को केन्द्र और राज्यों को ऋण देने की व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करना।

(iii) लघु बचतों से प्राप्त संग्रहणों के लिए अन्य संभाव्य निवेश अवसरों तथा राज्यों और केन्द्र को दिए जाने वाले एनएसएसएफ ऋणों की वापसी अदायगी संबंधी

आय की समीक्षा करना और इस संबंध में सिफारिश करना।

(iv) प्रचालन लागत सहित प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करना और इस संबंध में सिफारिश करना।

(v) राज्यों द्वारा लघु बचत निवेशों पर दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की समीक्षा करना और इस संबंध में सिफारिश करना।

अपनी सिफारिश करते समय समिति को निम्नलिखित पर भी विचार करना था:

(i) अर्थव्यवस्था में समग्र बचतों के भीतर लघु बचतों, विशेषकर लघु निवेशकों में बचतों को बढ़ावा देने में इसके योगदान का महत्त्व।

(ii) एनएसएसएफ की व्यवहार्य निधि के रूप में आवश्यकता जिसमें यह सुनिश्चित हो कि निवेशकों को ब्याज भुगतान और प्रशासनिक लागत के रूप में व्यय की पूर्ति लघु बचतों के निवल संग्रहणों से किए गए निवेश संबंधी आय से हो जाए।

(ग) से (ङ) जी, हां।

समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की:

1. किसान विकास पत्र (केवीपी) को समाप्त करने के साथ योजनाओं का यौक्तिकीकरण।

2. समतुल्य परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में बेंचमार्क किए जाने के लिए लघु बचत योजनाओं और एनएसएसएफ निवेशों की वार्षिक समीक्षा और ब्याज दरों का पुनर्निर्धारण।

3. निवल लघु बचत संग्रहणों में राज्यों के अनिवार्य हिस्से को 100 प्रतिशत तक लेने के विकल्प के साथ मौजूदा 80 प्रतिशत के घटाकर 50 प्रतिशत किया जाना है।

4. केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ के निवेश की अवधि वर्तमान के 25 वर्ष के मुकाबले 10 वर्ष की जानी है। आधारभूत संरचना संबंधी कंपनियों यथा-आईआईएफसीलएल, एनएचएआई तथा आईआरएफसी में जो पूर्णत: सरकार के स्वामित्व में हैं, में भी निवेश किया जा सकेगा।

5. लघु बचत एजेंटो को देय कमीशन को क्रमिक रूप से घटाया जाना है।

समिति की सिफारिशें, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दी गई हैं।

कार्पोरेशन बैंक को धनराशि

2176. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान किसानों को पशुपालन के विकास के लिए ऋण देने हेतु तथा खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना के लिए कार्पोरेशन बैंक को धनराशि उपलब्ध करायी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त धनराशि किसानों को सफलतापूर्वक वितरित नहीं की जा सकी;

(घ) यदि हां, तो इसके राजस्थान सहित राज्य-वार क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) सरकार ने कार्पोरेशन बैंक को खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना एवं पशुपालन के विकास हेतु किसानों को ऋणों का संवितरण करने के लिए विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान कोई धनराशि प्रदान नहीं की है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं

2177. डॉ. संजय जायसवाल: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत रहित तथा अल्पसुविधा वाले क्षेत्रों में बढ़ती हुई विद्युत मांग को पूरा करने के लिए विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रभावी हल प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में विद्युत जरूरत का कोई आकलन किया है जिसे विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों द्वार पूरा किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे क्षेत्रों में विशेषकर पूर्वी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए सराकर द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) विकेन्द्रित अक्षया ऊर्जा प्रणालियां अविद्युतीकृत क्षेत्रों अथवा बिजली की कमी की समस्या वाले क्षेत्रों में ऊर्जा/विद्युत संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो सकती हैं उनकी व्यवहार्यता क्षेत्र/स्थान विशिष्ट है और कई कारकों, विशेषत: उपलब्ध अक्षय संसाधनों की संभाव्यता, विद्युत की मांग के स्तर एवं पद्धति और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

देश के विभिन्न भागों में खाना बनाने, रोशनी और विद्युत संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों की बड़ी संख्या में संस्थापना की गई है। दिनांक 30.6.2011 की स्थिति के अनुसार संचयी संस्थापना निम्नानुसार है:

* लगभग 6446 दूरस्थ गांवों तथा 1587 बस्तियों को मुख्य रूप से सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों से कवर किया गया 8,35,204 एसपीवी लालटेन 7,48,676 एसपीवी घरेलू रोशनी, 2,04,523 एसपीवी स्ट्रीट लाइट, 7373 एसपीवी पंप और स्टैंड अलोन एसपीवी विद्युत संयंत्रों की 9.10 मेगावाट पीक समग्र क्षमता।
* 6.98 मेगावाट की समग्र विद्युत उत्पादन क्षमता के साथ 1397 माइक्रो हाइडल संयंत्र/पन चक्कियां
* 14.80 मेगावाट समतुल्य की समग्र विद्युत उत्पादन क्षमता युक्त बायोमास गैसीफायर।
* 1.56 मेगावाट की समग्र विद्युत उत्पादन क्षमता युक्त 112 बायोगैस से विद्युत संयंत्र।

(ग) और (घ) विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालियों की किसी क्षेत्र में विद्युत संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता उस क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा संसाधनों की उपब्लधता, जिनका संसाधन-वार सामान्य आकलन विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है, से सीमित हो जाती है। क्षेत्र/स्थान विशिष्ट आकलन सामान्यत: परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करते समय किया जाता है।

(ङ) सरकार द्वारा विभिन्न अक्ष्या ऊर्जा संसाधनों, मुख्यत: बायोमास, पवन लघु पनबिजली और सौर ऊर्जा से विकेन्द्रित विद्युत उत्पादन हेतु परियोजनाओं की संस्थापना में समुदाय के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी परियोजनाओं की संस्थापना में समुदाय के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जिसकी मात्रा संसाधन और क्षेत्र-विशिष्ट है। यह सहायता परियोजना लागत के लगभग 10% से 90% तक अलग-अलग है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र/विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में परियोजनाओं के लिए उच्चतर स्तर की सहायता दी जा रही है। विभिन्न ऑफ-ग्रिड/विकेन्द्रित अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही केन्द्रीय वित्तीय सहायता के मौजूदा स्तर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विभिन्न ऑफ-ग्रिड/विकेन्द्रीकृत अक्षय ऊर्जा प्रणालियों के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन/केन्द्रीय वित्तीय सहायता

क्रम.सं.	स्कीम/कार्यक्रम	उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता
1	2	3
1.	दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गांवों/बस्तियों में घरों के लिए विद्युत उत्पादन/रोशनी हेतु अक्षय ऊर्जा प्रणालियां।	प्रत्येक प्रौद्योगिकी हेतु एक पूर्व निर्दिष्ट अधिकतम राशि और प्रति घर 18,000 रु. की समग्र सीमा के अध्यधीन विद्युत उत्पादन प्रणालियों की लागत का 90%। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों हेतु एक सिंगल लाइट एसपीपी घरेलू रोशनी प्रणाली की 10% लागत

1	2	3
2.	परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्र सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य (असम के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर)	प्राप्त सीडीएम लाभों और संयंत्र की क्षमता पर निर्भर करते हुए प्रति संयंत्र 11,700 से 14,700 रु.
	असम के मैदानी क्षेत्र	प्राप्त सीडीएम लाभों और संयंत्र की क्षमता पर निर्भर करते हुए प्रति संयंत्र 9000 से 10,000 रु.
		प्राप्त सीडीएम लाभों और संयंत्र की क्षमता पर निर्भर करते हुए प्रति संयंत्र 3000 से 10,000 रु.।
		प्राप्त सीडीएम लाभों और संयंत्र की क्षमता पर निर्भर करते हुए प्रति संयंत्र 2100 से 8,000 रु.
	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड (तराई क्षेत्र को छोड़कर) तमिलनाडु का नीलगिरी, दार्जिलिंग का कुरसियोंग और कालिमपोंग सब-डिवीजन, सुन्दरबन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अन्य सभी	
3.	बायोमास गैसीफायर	**ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए** 100% प्रोड्यूसर गैस ईंजन के साथ ग्राम स्तरीय विद्युत उत्पादन हेतु 15.00 लाख रु./100 किवा.। विशेष श्रेणी के राज्यों और द्वीप समूह के लिए 20% उच्चतर सब्सिडी। औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए तापीय अनुप्रयोगों के लिए 2.00 लाख रु./300 किवा.ई. दोहरे ईंधन ईंजन के साथ 2.50 लाख रु./100 किवा.ई. 100% प्रोड्यूसर गैस इंजिन के साथ 10.00 लाख रु./100 किवा.ई.। संस्थागत अनुप्रयोगों के लिए 100% प्रोड्यूसर गैस इंजिन के साथ 15.00 लाख रु./100 किवा.ई.
4.	उद्योग में कैप्टिव प्रयोग हेतु बायोमास सह-उत्पादन (गैर-खोई)	अधिकतम 1 करोड़ रु./परियोजना के अध्यधीन प्रति मेवा. 20.00 लाख रु. (विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु 20% उच्चतर सब्सिडी)
5.	शहरी अपशिष्ट से ऊर्जा।	प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते हुए 1.0 से 3.00 करोड़ रु./मेवा.ई. (विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु 20% उच्चतर सब्सिडी)
6.	औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र	प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते हुए 20.00 लाख रु. से 1.00 करोड़ रु. /मेगावाट ई. (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 20% उच्चतर सब्सिडी)
7.	सौर ऊर्जा प्रणालियां (प्रकाशवोल्टीय/तापीय)	परियोजना लागत की 30% की सब्सिडी और/अथवा 5% ब्याजधारी ऋण

1	2	3
8.	लघु एरोजनरेटर और हाइब्रिड प्रणालियां	वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक लाभार्थियों के लिए क्रमशः 1.00 लाख रु. और 1.50 लाख रु. प्रति किवा.। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर में परियोजनाओं हेतु 2.25 लाख रु. प्रति किवा. की उच्चतर सहायता।
9.	माइक्रो-हाइडल संयंत्र/पवन चक्की	मैकेनिकल अनुप्रयोग के लिए 0.35 लाख रु. प्रति पन चक्की विद्युतीय अनुप्रयोग के लिए 1.10 लाख रु. प्रति पन चक्की

दुर्घटना के शिकार लोगों को मुआवजा

2178. श्री बाल कुमार पटेलः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टक्कर मारने के बाद वाहन पहचान किए बगैर ओझल हो जाता है या यदि वाहन बगैर बीमा के है तो क्या दुर्घटना के शिकार लोगों को मुआवजे देने से इंकार कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दुर्घटना के शिकार सभी लोगों को मुआवजे देने को ध्यान में रखकर केन्द्रीय एजेंसी द्वारा प्रत्येक बेचे गए वाहन पर एकमुश्त तीसरा पार्टी बीमा प्रीमियम लगाने के लिए किसी समुचित विधान बनाने का कोई सुझाव सरकार को प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) 'हिट एवं रन' मामलों में दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163 के निबंधन के अनुसार गठित 'क्षतिपूरण निधि' नामक विशेष निधि के माध्यम से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के पात्र होते हैं। मृत्यु होने पर 25,000/रुपए और गंभीर रूप से घायल होने पर 12,500/रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी जाती है। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों बीमाकर्ताओं द्वारा सकल लिखित प्रीमियम का एक हिस्सा प्रति वर्ष इस निधि में दिया जाता है। यदि वाहन का बीमा न हुआ हो तो पीड़ित व्यक्तियों/आश्रितों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मालिक/चालक से क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार है।

(ग) से (घ) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नियुक्त सुंदर समिति ने सिफारिश की है कि बीमा का प्रमाण-पत्र मोटर वाहन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता से सहयोजित होना चाहिए।

(ङ) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति करने के लिए नए वाहनों से एककालिक बीमा प्रीमियम की उगाही करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट-ग्रेजुएट सीटें

2179. श्री के. शिव कुमार उर्फ **जे.के. रितीशः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में मेडिकल कॉलेजों में अंडर-ग्रेजुएट तथा पोस्ट-ग्रेजुएट सीटों की कुल राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार मेडिकल कॉलेजों में अंडर-ग्रेजुएट सीटों के अनुपात में पोस्ट-ग्रेजुएट सीटों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) फिलहाल देश में लगभग 51569 सीटें एमबीबीएस और 20868 स्नातकोत्तर सीटें हैं। स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर सीटों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) मेडिकल कॉलेजों में स्नातकपूर्व सीटों के समानुपात में स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार ने अनेक पहले शुरू की हैं जिनमें शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को 1:1 से परिवर्तन करके 1:2 करना शामिल है। इन पहलों में कारण विगत दो शैक्षिणिक वर्षों 2010-11 से 2011-12

के दौरान मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न विषयों में लगभग 6000 अतिरिक्त स्नातकोत्तर सीटों की बढ़ोत्तरी हुई है।

इसके अतिरिक्त, नए स्नातकोत्तर विषय शुरू करने के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करने और केन्द्रीय वित्त पोषण द्वारा स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि करने की योजना के अंतर्गत लगभग 4000 और स्नातकोत्तर सीटों की बढ़ोत्तरी करना परिकल्पित है।

विवरण

देश में मेडिकल कालेजों की संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	सीटों की संख्या	
		एमबीबीएस	पीजी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4825	2392
2.	असम	526	363
3.	बिहार	760	425
4.	चंडीगढ़	50	38
5.	छत्तीसगढ़	300	79
6.	दिल्ली	800	938
7.	गोवा	100	71
8.	गुजरात	2730	1537
9.	हरियाणा	600	273
10.	हिमाचल प्रदेश	200	121
11.	जम्मू और कश्मीर	350	331
12.	झारखंड	250	174
13.	कर्नाटक	5625	2833
14.	केरल	2800	920
15.	मध्य प्रदेश	1570	554
16.	महाराष्ट्र	4910	2832
17.	मणिपुर	200	72
18.	उड़ीसा	764	368
19.	पांडिचेरी	1150	301
20.	पंजाब	1145	960
21.	राजस्थान	1350	806
22.	सिक्किम	100	14
23.	तमिलनाडु	5115	2119
24.	त्रिपुरा	200	17
25.	उत्तर प्रदेश	2899	1119
26.	उत्तरांचल	400	119
27.	पश्चिम बंगाल	1850	1092
	महायोग	41569	20868

पोलियो के मामले

2180. श्री विश्व मोहन कुमार:
श्री रमेश बैस:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री गोपीनाथ मुंडे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व के उन चार देशों में से एक हैं जो पोलियो विषाणु से ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में दर्ज पोलियो के मामलों की कुल राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) पोलियो के मामलों में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पोलियो नियंत्रण कार्यक्रम के लिए आबंटित, जारी तथा उपयोग की गयी धनराशि राज्य-वार कितनी है;

(ङ) क्या निर्धारित लक्ष्य को उक्त अवधि के दौरान हासिल किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में पोलियो के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जी हां, भारत विश्व में पोलियो स्थानिकमारी वाले 4 देशों में से एक है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में सूचित किए गए वाइल्ड वायरस पोलियो रोगियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न-I में दिए गए हैं।

(ग) देश में वाइल्ड वायरस पोलियो रोगियों की संख्या में वृद्धि नहीं दर्शाई गई है। वास्तव में, पोलियो रोगियों की संख्या में कमी हुई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पोलियो नियंत्रण कार्यक्रम के लिए आबंटित, निर्मुक्त और उपयोग की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) वर्ष 2009 से 2010 में वाइल्ड वायरस पोलियो रोगियों की संख्या में 96 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2011 में केवल 1 वाइल्ड पोलियो रोगी है जबकि वर्ष 2010 की उसी अवधि में 27 रोगी थे।

सरकार द्वारा भारत से वाइल्ड पोलियो वायरस के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) वर्ष 2010 में द्विसंयोजक पोलियो वैक्सीन की शुरुआत (ii) दो राष्ट्रव्यापी पोलियो अभियान और उसके बाद अधिक जोखिम वाले राज्यों (उप राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस) में बड़े पैमाने वाले 6 पोलियो अभियान (राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवस), (iii) उत्तर प्रदेश और बिहार के 107 अधिक जोखिम वाले खंडों में स्वच्छता, साफ सफाई में सुधार, स्वच्छ जल की उपलब्धता और अतिसार के नियंत्रण के लिए बहुआयामी कार्यनीति, (iv) सचल और प्रवासी जनसंख्या को शामिल करने और नेमी रोग प्रतिरक्षण के तीव्रीकरण के लिए विशेष सूक्ष्म योजनाएं; (v) किसी वाइल्ड पोलियो वायरस रोगी के प्रबंधन के लिए आपाती तैयारी और अनुक्रिया योजना (vi) सतत् निगरानी।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में पोलियो रोगियों के राज्यवार ब्यौरे

(30 जुलाई, 2011 की स्थिति के अनुसार)

		वाइल्ड पोलियो वायरस रोगी			
क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
1.	पश्चिम बंगाल	2	-	8	1
2.	उत्तर प्रदेश	305	602	10	
3.	बिहार	233	117	9	
4.	झारखंड		2	8	
5.	महाराष्ट्र	2		5	
6.	हरियाणा	2	4	1	
7.	जम्मू और कश्मीर	-	-	1	
8.	दिल्ली	5	4		
9.	पंजाब	2	4		

1	2	3	4	5	6
10.	उत्तराखंड	1	4		
11.	राजस्थान	2	3		
12.	हिमाचल प्रदेश		1		
13.	उड़ीसा	2	-		
14.	आंध्र प्रदेश	1			
15.	मध्य प्रदेश	1			
16.	असम	1	-		
	कुल	559	741	42	1

विवरण II

2008-09 से 2011-12 के लिए पल्स पोलियो रोड प्रतिरक्षण के अंतर्गत आबंटन, निर्मुक्ति और व्यय (लाख रुपये में)

		2008-09				2009-10				2011-12			
क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	27.00	27.15	33.18	27.16	71.68	33.18	70.68	73.70	148.00	73.70	0	–
2.	आंध्र प्रदेश	205000	2996.13	2169.26	2069.70	1897.78	2169.26	1825.68	1917.01	1830.00	1917.01		
3.	अरूणाचल प्रदेश	82.00	87.50	77.54	87.50	80.95	77.54	80.95	84.10	78.00	84.10	0	
4.	असम	750.00	1928.71	1575.481	2621.42	1066.99	1575.48	1066.95	893.23	893.00	8932	0	
5.	बिहार	7136.00	7560.68	377	1.37	7697.74	9667.84	3771.37	7087.06	8027.26	6595.00	6087.06	0
6.	चंडीगढ़	16.00	34.82	41.87	17.36	6001	41.87	43.92	37.41	36.00	17.55	0	
7.	छत्तीसगढ़	438.00	671.79	630.71	671.8	458.71	630.71	458.71	558.89	483.00	463.8	0	
8.	दादरा और नगर हवेली	6.00	5.31	5.23	5.31	5.51	5.23	5.51	5.51	5.00	5.51	0	
9.	दमन और दीव	4.00	3.57	3.07	3.57	3.89	3.07	3.89	3.89	3.00	3.89	0	
10.	दिल्ली	1360.00	2151.06	1175.15	149170	215221	1175.15	1860.70	1835.37	1141.00	1496.06	0	
11.	गोवा	17.00	17.98	15.70	17.98	18.00	15.70	18.00	18.05	17.00	18.05	0	
12.	गुजरात	1032.00	1127.01	838.93	1218.91	1277.84	838.93	125000	1299.29	856.00	1102.64	0	
13.	हरियाणा	149900	1802.12	1804.51	1333.54	1407.22	1804.51	1086.54	1438.85	927.00	108654	0	
14.	हिमाचल प्रदेश	192.00	192.51	140.28	328.9	233.97	140.28	219.19	188.72	194.00	188.7	0	
15.	जम्मू और कश्मीर	338.00	338.03	286.26	500.1	409.30	286.26	360.42	523.81	440.00	360.4	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	झारखंड	1847.00	676.87	840.10	676.8	919.20	840.10	753.57	1356.55	313.00	753.5	0	
17.	कर्नाटक	999.00	999.13	1014.05	1478.04	991.01	1014.05	99101	991.01	970.00	991.0	0	
18.	केरल	383.00	383.46	383.46	383.4	372.42	383.46	372.42	372.82	131.00	372.8	0	
19.	लक्षद्वीप	5.00	504	4.53	5.04	4.28	4.53	4.28	4.28	2.00	4.28	0	
20.	मध्य प्रदेश	4280.00	1957.32	1878.41	5519.75	1471.73	1878.41	1471.73	1500.08	494.00	149968	0	
21.	महाराष्ट्र	3576ए00	4233.23	3130.99	3673.96	4238.36	3130.99	3798.01	641510	3981.00	2798.01	0	
22.	मणिपुर	11700	117.73	120.71	117.7	11781	120.71	117.85	120.37	107.00	1203	0	
23.	मेघालय	109.00	282.71	136.62	1445	147.55	136.62	147.55	155.78	102.00	155.7	0	
24.	मिजोरम	4000	43.21	43.21	43.21	44.84	43.21	44.84	45.52	23.00	45.52	0	
25.	नागालैंड	92.00	14 1.61	141.61	96.58	87.81	141.61	87.81	90.61	94.00	90.61	0	
26.	उड़ीसा	611.00	1190.93	108325	1545.53	60254	1083.25	628.54	607.99	625.00	607.9	0	
27.	पुदुचेरी	15.00	16.48	14.77	14.94	14.31	14.77	14.31	14.42	13.00	14.42	0	
28.	पंजाब	1008.00	724.39	746.75	729.3	1184.05	74675	1016.58	759.68	464.00	750.1	0	
29.	राजस्थान	1806.00	2596.48	1676.64	1904.70	2118.86	1676.64	1963.12	1678.35	1179.00	1458.46	0	
30.	सिक्किम	25.00	2488	33.59	24.88	23.13	33.59	23.13	23.13	10.00	23.13	0	
31.	तमिलनाडु	960.00	969.70	33109	969.7	936.19	33109	936.19	936.99	936.00	936.1	0	
32.	त्रिपुरा	125.00	139.96	148.36	139.9	140.13	14836	140.13	140.13	12800	140.1	0	
33.	उत्तर प्रदेश	1930100	24927.62	18907.52	21922.30	23420.48	18907.52	17858.38	0.00	12866.00	3028.52	0	
34.	उत्तराखंड	1215.00	1188.55	897.69	1068.86	1501.33	897.69	844.52	965.39	63900	844.5	0	
35.	पश्चिम बंगाल	5020.00	2239.45	3012.93	154192	2197	3012.93	1904.83	3899.09	282100	1500.46	0	
	अन्य	0.00	487.91	487.91	0.00	0	0.00	0.00	51653	0.00	0	0.87	
	कुल	56481.00	62291.13	47602.73	60094.00	59345.51	47114.82	48557.00	37498.91	39544.00	29934.00	0.87	

विनियामकों द्वारा अतिरिक्त धनराशि अपने पास रखना

2181. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांविधिक लेखा परीक्षक निकाय को विभिन्न विनियामकों द्वारा अतिरिक्त धनराशि अपने पास रखने के मामले मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे प्रत्येक विनियामक द्वारा अपने पास रखी गयी अतिरिक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विनियामकों द्वारा अतिरिक्त धनराशि अपने पास रखने के क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में मौजूद विस्तृत दिशानिर्देश क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा की गयी/प्रस्तावित कार्रवाई क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी हां। भारतीय नियंत्रक और महालेखाकार (सीएंडएजी) ने अपनी पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2008-09 में, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

(इरडा) और पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) के लिए यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया है कि विनियामकीय निकाय अपनी अधिशेष निधि सरकारी खातों में रखे।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एस.ई.बी.आई. और आई.आर.डी.ए. द्वारा प्रतिधारित अधिशेष निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपये में)

विनियामक का नाम	2008-09	2009-10	2010-11
सेबी	1235.83	1467.81	*
इरडा	121.12	137.84	114.27

* सी.एंड ए.जी. द्वारा सेबी के खातों का लेखा परीक्षण किया जाना शेष है।

पी.एफ.आर.डी.ए सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करती है और अपने लाइसेंसदारों से कुछ गौण राशि भी प्राप्त करता है, नगण्य है और अनुदान के साथ समायोजित कर दिए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा पी.एफ.आर.डी.ए. को जारी की गई सहायता अनुदानों का ब्यौरा निम्नवत है:-

(करोड़ रुपये में)

	2008-09	2009-10	2010-11
बजट प्राक्कलन	6.30	16.00	16.00
जारी	4.50	11.70	8.00

अविगत शेष, यदि कोई होता है, इसे वित्तीय वर्ष के अंत में बाद के वर्ष की सहायता अनुदानों के विरुद्ध प्रतिविरूपित किया जाता है।

(ग) और (घ) सेबी द्वारा यथासूचित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड 1992 की धारा 14 में यह प्रावधान है कि सेबी सामान्य निधि के रूप में एक निधि गठित की जानी चाहिए जिसमें सेबी द्वारा प्राप्त सभी शुल्क और अन्य प्रभारों को जमा किया जाना चाहिए।

आई.आर.डी.ए. द्वारा यथासूचित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14 में प्रावधान है कि आई.र.डी.ए. निधि के रूप में एक निधि गठित की जानी चाहिए जिसमें आई.आर.डी.ए. द्वारा प्राप्त सभी शुल्क और प्रभार जमा किए जाएं जिसका उपयोग अधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए वेतन, भत्ता और अन्य पारिश्रमिक देने के लिए किया जाना चाहिए।

(ङ) सरकार ने निर्णय लिया है कि विनियामक निकायों की निधियां को सरकारी खातों में रखा जाए परन्तु इसका परिचालन इस तरह किया जाए जैसे कि यह उनके स्वतंत्र आस्तित्व की रक्षा करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधवा दिवस

2182. डॉ. शशी थरूर: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विधवाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मानने के लिए 23 जून को कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विधवाओं की समस्याओं तथा उनकी जरूरतों के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकार ने कोई पहल की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिसके लिए सूचना उपलब्ध है। देश में 3.43 करोड़ विधवाएं थीं। दिनांक 21 दिसंबर, 2010 के आम सभा संकल्पना 65/189 के अंगीकरण के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 23 जून, को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाने का निर्णय लिया। अभी तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। इस समय सरकार 08 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाती है। यह दिवस विधवाओं, महिला-पुरुष विशिष्ट बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए उसकी उपलब्धियों और प्रयासों को मनाने के साथ-साथ सभी महिलाओं से संबंधित बहुत से मुद्दों का सामना करने का अवसर देता है। यह आगे आने वाली चुनौतियों का भी स्मरण दिलाता है।

(घ) से (च) सरकार विधवाओं सहित महिलाओं के कल्याण हेतु अनेक स्कीमों/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती आ रही है:-

(i) कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं की सहायता और पुनर्वास हेतु स्वाधार और अल्पावास गृह।

(ii) प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (स्टेप) जिसके अंतर्गत परिसंपत्तिविहीन और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(iii) कामकाजी महिला होस्टल स्कीम इसके अंतर्गत, अकेले रहने वाली कामकाजी अविवाहित महिलाओं, विधवाओं तलाकशुदा या पति से अलग रहने वाली महिलाओं तथा विवाहित महिलाओं जिनके पति या परिवार इसी क्षेत्र में नहीं रहते हों, के लिए सुरक्षित आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से होस्टल भवन के निर्माण/विस्तार/किराए पर लेने हेतु सहायता दी जाती है।

(iv) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम, इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 40-59 आयु वर्ग की विधवा को पेंशन दिया जाता है।

(v) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन स्कीम, यह 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए लागू होती है।

(vi) बुजुर्गों के लिए समेकित कार्यक्रम के अंतर्गत निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्ध आश्रम, मोबाइल चिकित्सा यूनिट आदि चलाने और वृद्ध विधवाओं के लिए पूर्णकालिक आश्रय, देखरेख आयोत्पादक क्रियाकलापों में प्रशिक्षण, धार्मिक कार्यक्रम योगा आदि कार्यक्रम चलाने हेतु बहु सुविधा देखरेख केंद्र स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम

2183. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर.ए.पी.डी.आर.पी) के अंतर्गत नई परियोजनाओं के लिए धनराशि/सहायता जारी की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत जारी तथा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) जिसके अंतर्गत ऐसी सहायता जारी की गई है उन निबंधनों तथा शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न राज्यों में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत विकास तथा सुधार के लिए पहचानी गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में आर.ए.पी.डी.आर.पी. की शुरुआत के बाद किस सीमा तक सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (ए.टी. एंड सी.) हानियां कम की गयी हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी महोदय, जुलाई 2008 में विद्युत मंत्रालय के द्वारा देश में शहरी बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर.ए.डी.आर.पी.) प्रारंभ किया गया था। आर-एपी.डी.आर.पी. योजना में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए.टी. एण्ड सी.) हानियों में कमी के मामले में यूटिलिटियों द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर बल दिया जाता है। योजना के तहत परियोजनाओं को दो भागों में शुरू किया गया है: भाग-क एवं भाग-ख। योजना का भाग-क, विश्वसनीय और प्रमाण योग्य आधारभूत डेटा को प्राप्त करने के लिए आई.टी. सक्षम प्रणाली की स्थापना हेतु समर्पित है, जिससे वह उन आधारभूत डेटा को प्राप्त करने के लिए आई.टी. सक्षम प्रणाली की स्थापना हेतु समर्पित है, जिससे वह उन नगरों में जहां योजना कार्यान्वित की जा रही है उसके सही और प्रमाण योग्य ए.टी. एण्ड सी. के सक्षम मूल्यांकन में सक्षम होगा। योजना का भाग-ख, उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के वास्तविक उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु है।

आर - ए.पी.डी.आर.के. भाग-क के तहत, देश के सभी पात्र शहरों (1401) के लिए 5177 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पहले से ही मंजूर की गई है।

* आर - ए.पी.डी.आर.पी. के भाग-क के तहत, आठ राज्यों (महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल) के लिए 982.45 करोड़ रुपए की 42 पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण (एस.सी.ए.डी.ए.) परियोजनाएं भी मंजूर की गई है।

* आर - ए.पी.डी.आर.पी. के भाग-ख के तहत, 15 राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के लिए 19367.43 करोड़ रुपए की 907 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान आर - ए.पी.डी.आर.पी. योजना के तहत विभिन्न राज्य विद्युत यूटिलिटियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता की संस्वीकृत एवं संवितरित की गई कुल राशि विवरण-I में संलग्न है।

(ग) यूटिलिटियों को जारी की गई निधियों के निबंधन और शर्तें विवरण-II में संलग्न है।

(घ) आर - ए.पी.डी.आर.पी. कार्यक्रम के भाग-क एवं भाग-ख के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्रमशः विवरण-III एवं IV में संलग्न है।

(ङ) भाग-क एवं भाग-ख योजनाओं के लिए मानक परियोजना पूर्णतः अवधि क्रमशः 24 माह और 36 माह है। स्वीकृत परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

आरएपीडीआरपी के अंतर्गत वर्षवार अनुमोदन एवं वितरण

(सभी राशि करोड़ रुपए में)

08.08.2011 तक

राज्य	यूटिलिटी	विवरण 2008-09	विवरण 2009-10	विवरण 2010-11	विवरण 2011-12	विवरण	विवरण 2008-09	विवरण 2009-10	विवरण 2010-11	विवरण 2011-12	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
हरियाणा	यूएचबीवीएनएल	75.16	0.00	230.69	0.00	305.85	21.47	1.07	0.00	0.00	22.54
	डीएचबीवीएनएल	70.88	19.59	0.00	185.10	275.57	20.24	6.90	0.00	0.00	27.14
	कुल	146.04	19.59	230.69	185.10	581.42	41.71	7.97	0.00	0.00	49.68
हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	0.00	81.06	337.52	0.00	418.58	0.00	24.32	101.25	0.00	125.57
जम्मू और कश्मीर	जे एंड के पीडीडी	0.00	134.49	17.50	0.00	151.99	0.00	40.35	5.25	0.00	45.60
पंजाब	पीएइबी	0.00	784.68	0.00	984.31	1768.99	0.00	150.40	0.00	0.00	150.40
चंडीगढ़	ईडी	0.00	0.00	33.34	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	एवीवीएनएल	52.03	155.01	255.63	0.00	462.67	14.87	18.89	46.39	0.00	80.15
	जेएवीवीएनएल	163.53	63.78	476.06	0.00	703.37	46.50	7.87	86.18	0.00	140.56
	जेओवीवीएनएल	100.38	23.96	716.93	0.00	841.27	28.68	1.43	119.64	0.00	149.76
	कुल	315.94	242.75	1448.62	0.00	2007.31	90.05	28.19	252.22	0.00	370.46
उत्तर प्रदेश	एमवीवएनएल	2.50	228.36	470.93	0.00	701.79	0.00	69.26	70.64	0.00	139.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	पूर्वी वीवीएनएल	0.00	108.97	350.85	0.00	459.82	0.00	32.69	52.63	0.00	85.32
	पश्चिम वीवीएनएल	0.00	203.01	474.11	0.00	677.12	0.00	60.90	71.12	0.00	132.02
	डीवीवीएनएल	0.00	93.69	535.81	562.53	1192.03	0.00	27.37	80.37	0.00	107.74
	कुल	2.50	663.00	1831.70	562.53	3059.73	0.00	190.22	274.76	0.00	464.98
उत्तराखंड	यूपीसीएल	8.55	117.27	0.00	0.00	125.82	2.44	35.31	0.00	0.00	37.75
कुल यूटिलिटी (उ.)		473.03	2013.87	3899.37	1734.94	8118.21	134.20	476.76	633.49	0.00	1244.45
मध्य प्रदेश	एमपीएमकेवीवीएसीएल (ई)	86.50	0.00	679.81	0.00	766.31	0.00	22.14	97.97	0.00	120.11
	एमपीएमकेवीवीसीएल (सी)	92.04	23.02	862.64	0.00	977.70	0.00	34.85	134.69	2.55	172.09
	एमपीएमकेवीवीसीएल (डब्लू)	49.55	338.03	166.64	11.24	565.46	0.00	65.58	21.58	0.00	87.15
	कुल	228.09	361.05	1709.09	11.24	2309.47	0.00	122.56	254.24	2.55	379.35
गुजरात	पीजीवीसीएल	0.00	637.57	166.93	0.00	804.50	0.00	22.58	118.95	0.00	141.52
	डीजीवीसीएल	0.00	206.60	32.18	0.00	238.78	0.00	7.01	34.53	0.00	41.55
	एमजीवीसीएल	47.37	149.41	26.18	0.00	222.96	13.54	14.59	23.30	0.00	51.43
	यूजीवीसीएल	0.00	57.59	33.82	0.00	91.41	0.00	9.89	13.84	0.00	23.73
	कुल	47.37	1051.17	259.11	0.00	1357.65	13.54	54.07	190.62	0.00	258.23
छत्तीसगढ़	सीएसइबी	0.00	122.45	0.00	216.56	339.01	0.00	36.74	0.00	0.00	36.74
महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	162.18	162.24	1793.51	1652.31	3770.24	46.34	50.99	197.09	28.95	323.37
	बीईएसटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गोआ	गोआ इडी	104.89	5.84	0.00	0.00	110.73	0.00	31.47	0.00	0.00	31.47
दमन एवं दीव	ईडी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल पश्चिम		542.53	1702.75	3781.71	1880.11	7887.10	59.88	295.83	641.95	31.50	1029.15
आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	175.03	0.00	823.91	65.15	1064.09	50.03	2.49	123.59	0.00	176.11
	एपीसीपीडीसीएल	60.66	3.31	0.79	0.00	64.76	17.38	0.82	0.74	0.00	18.94
	एपीईपीडीसीएल	44.50	160.94	12.47	0.00	217.91	12.75	24.72	0.00	0.00	37.47
	एपीएनपीडीसीएल	107.83	68.43	39.19	0.00	215.45	30.84	11.78	0.00	0.00	42.62
	कुल	388.02	232.68	876.36	65.15	1562.21	111.00	39.81	124.32	0.00	275.13
कर्नाटक	बेस्कॉम	260.57	291.07	0.00	0.00	551.64	0.00	78.17	43.78	0.00	121.95
	सेसकॉम	27.73	103.14	76.42	0.00	207.29	0.00	8.32	26.93	0.00	35.25
	जेसकॉम	30.32	207.84	0.00	0.00	238.16	0.00	11.21	30.12	0.00	41.33
	हेसकॉम	52.62	205.48	72.88	0.00	330.98	0.00	15.78	0.00	41.75	57.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	मेसकॉम	12.07	0.00	0.00	0.00	12.07	0.00	3.62	0.00	0.00	3.62
	कुल	383.31	807.53	149.30	0.00	1340.14	0.00	117.11	100.83	41.75	259.68
केरल	केएसइबी	0.00	214.40	926.33	28.99	1169.72	0.00	64.31	75.51	71.56	211.39
तमिलनाडु	टीएनइबी	70.04	450.87	3357.82	0.00	3878.73	19.93	120.76	526.23	4.77	671.69
पुदुचेरी	पीडी	0.00	27.53	0.00	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (दक्षिणी)		841.37	1733.01	5303.81	94.14	7978.33	130.93	341.99	826.89	118.08	1417.89
बिहार	बीएसइबी	81.18	113.40	0.00	0.00	194.58	0.00	58.37	0.00	0.00	58.37
झारखंड	जेएसइबी	8.82	151.78	0.00	0.00	160.60	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
पश्चिम बंगाल	डब्लूबीपीडीसीएल	0.00	159.98	551.41	0.00	711.39	0.00	47.99	82.05	0.00	130.04
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पीडी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (पूर्वी)		90.00	425.6	551.41	0.00	1066.57	0.00	136.37	82.05	0.00	218.42
असम	एपीडीसीएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	173.18	0.60	0.00	173.78	0.00	51.95	0.00	0.00	51.95
अरूणाचल प्रदेश	पीडी	0.00	0.00	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	11.30	0.00	11.30
नागालैंड	पीडी	0.00	0.00	34.58	0.00	34.58	0.00	0.00	10.37	0.00	10.37
मणिपुर	पीडी	0.00	31.55	0.00	0.00	31.55	0.00	0.00	9.47	0.00	9.47
मेघालय	पीडी	0.00	33.97	0.00	0.00	33.97	0.00	0.00	10.19	0.00	10.19
मिजोरम	पीडी	0.00	34.26	0.86	0.00	35.12	0.00	0.00	10.54	0.00	10.54
सिक्किम	पीडी	0.00	26.30	68.46	0.00	94.76	0.00	7.89	20.54	0.00	28.43
त्रिपुरा	पीडी	0.00	34.37	0.82	0.00	35.19	0.00	10.31	0.00	0.00	10.31
कुल (उ.पू.)		0.00	333.63	143.00	0.00	476.63	0.00	70.14	72.41	0.00	142.56
कुल		1948.93	8206.42	13665.30	3706.19	25526.84	325.01	1321.09	2256.79	149.58	4025.46

टिप्पणी: अनुमोदित परियोजना वे है जो आएपीडीआरपी स्टीयरिंग कमीटी द्वारा अनुमोदित परियोजना है।

(स्रोत: पीएफसी)

विवरण II

आर-ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत निधियां जारी करने की शर्तें एवं निबंधन।

1. ऋण की शर्तों

(क) ब्याज की दर (भाग-(क) और (ख) दोनों के लिए)

जैसा कि मांगकर्ता और ऋण के प्रकार, जो कि वर्तमान में 31-12-2010 से 11.50% प्रति वर्ष है, के लिए तालिका में क्रम संख्या 4 (iv) पर "अन्यों" के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(ख) विलंब अवधि

भाग-क: निष्पाद की मंजूर की गई अवधियों के लिए मुख्य राशि तथा ऋण पर ब्याज के पुन-भुगतान पर विलंब अवधि होगी जो किसी भी मामले में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भाग-ख: निष्पाद की मंजूर अवधियों के लिए मूल राशि और ऋण पर ब्याज के पुनर्भुगतान पर विलंब अवधि होगी जोकि किसी भी मामले में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ग) ऋण की अवधि

भाग क: ऋण की अवधिकाल विलंब अवधि की समाप्ति के पश्चात् शुरू होने वाले बकाया शेष पर ब्याज के साथ विलंब अवधि तथा समान वार्षिक किश्तों में किए जा रहे पुनर्भुगतानों सहित 10 वर्ष होगी। वार्षिक रूप से देय राशियां (मूल राशि तथा ब्याज के माध्यम से) प्रत्येक वर्ष जून से मार्च तक प्रत्येक माह की 15वीं तारीख को दस बराबर की किश्तों में वसूल की जाएगी।

भाग ख: ऋण की अवधिकाल विलंब अवधि की समाप्ति के पश्चात् आरंभ होने वाले बकाया शेष पर ब्याज के साथ विलंब अवधि तथा समान वार्षिक किश्तों में किए जा रहे पुनर्भुगतानों सहित 10 वर्ष होगी। वार्षिक रूप से देय राशियां (प्रधान राशि तथा ब्याज के माध्यम से) प्रत्येक वर्ष जून से मार्च तक प्रत्येक माह की 15वीं तारीख को दस बराबर की किश्तों में वसूल की जाएगी।

(घ) ब्याज की दंडात्मक दर (भाग (क) और (ख) दोनों के लिए)

मूल राशि तथा/या ब्याज के पुनर्भुगतान में व्यक्तिक्रम होने की दशा में, ब्याज (जिस पर ऋण को मंजूरी प्रदान की गई है) की सामान्य दर से 2.5% अवधि की दर पर दंडात्मक ब्याज सभी बकाया किश्तों पर लागू होगा। भाग क और ख दोनों की अन्य शर्तें एवं निबंधन वे होंगे जो एमओएफ के कार्यालय ज्ञापन फाइल संख्या 5 (3) बी (पीडी)/2010 दिनांक 31.12.10 में अधिसूचित है तथा समय-समय पर एमओएफ द्वारा बाद में संशोधित किए गए हैं।

2. ऋण जारी करना/वितरण

भाग क अनुमोदित परियोजना लागत का 100% सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के माध्यम से भारत सरकार से ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार का ऋण नोडल एजेंसी के माध्यम से राज्य विद्युत यूटिलिटियों को वितरित किया जाएगा जोकि निम्नवत है:

(क) 30% तक की परियोजना लागत परियोजना के अनुमोदन पर अपफ्रंट भारत सरकार के ऋण के रूप में जारी की जा सकती है।

(ख) 6% परियोजना लागत जारी की गई संचयी राशि के उपयोग तथा चिन्हित माइलस्टोन की उपलब्धि के विरुद्ध प्रगति/उपयोग के आधार पर पीएफसी को यूटिलिटियों द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित समर्थन दस्तावेजों/दावों के प्रस्तुतिकरण पर भारत सरकार के ऋण के रूप में दो बराबर के भागों (30% प्रत्येक के) में वितरित की जाएगी।

(ग) शेष 10% परियोजना लागत पूर्व के भागों के माध्यम से वितरित किए गए ऋण के पूर्ण उपयोग के पश्चात् ही केवल भारत सरकार के ऋण के रूप में वितरित की जाएगी।

भाग ख. अनुमोदित परियोजना लागत के 25% तक भारत सरकार से ऋण के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। शेष निधियां वित्तीय संस्थानों (एफ.आई.) अर्थात् पी.एफ.सी./आई.ई.सी./बहु-स्तरीय संस्थान तथा अथवा स्वयं के संसाधनों से जुटाई जाएंगी। विशेष श्रेणी राज्यों अर्थात् सभी पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के लिए, परियोजना लागत का 90% तक भारत सरकार का ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। ऋण नोडल एजेंसी के माध्यम से राज्य विद्युत यूटिलिटियों को वितरित किया जाएगा जोकि निम्नवत है-

गैर विशेष श्रेणी राज्य

(क) परियोजना का 15% परियोजना के अनुमोदन पर भारत सरकार ऋण अपफ्रंट के रूप में जारी किया जाएगा।

(ख) चिन्हित माइस्टोन की उपलब्धियों के प्रति प्रगति। उपयोग के आधार पर वित्तीय संसाधनों (एफ.आई.) से खुद के संसाधनों के आधार पर ऋण के रूप में परियोजना लागत के 75% को उत्तरोत्तर रूप से जारी करना।

(ग) परियोजना लागत के शेष 10% को पूर्व ट्रेंचों के माध्यम से संवितरित भारत सरकार तथा वित्तीय संसाधनों के ऋणों के पूर्ण उपयोग के पश्चात् ही भारत सरकार के ऋण में संवितरित किया जाएगा।

विशेष श्रेणी के राज्य:

(क) परियोजना के अनुमोदन पर भारत सरकार ऋण अपफ्रंट के रूप में परियोजना लागत का 30% जारी किया जाएगा।

(ख) चिन्हित उपलब्धियों की प्राप्ति की तुलना में प्रगति/उपयोग के आधार पर वित्तीय संस्थानों (एफ.आई.)/स्वयं के संसाधनों से ऋण के रूप में परियोजना लागत का 10% की राशि प्रतीकात्मक जारी करना।

(ग) चिन्हित माइलस्टोन की उपलब्धि की तुलना में प्रगति/उपयोग के आधार पर यूटिलिटि से प्रमाणीकृत दावों के विरुद्ध प्रगतिकात्मक रूप से भारत सरकार को ऋण के रूप में परियोजना लागत का 50% वितरित किया जाएगा।

(घ) परियोजना लागत का शेष 10% पूर्व भागों के माध्यम से वितरित भारत सरकार और एफ.आई. के पूर्ण उपयोग की तुलना में केवल भारत सरकार के ऋण के रूप में वितरित किया जाएगा।

3. अनुदान में ऋण का परिवर्तन

भाग क: ब्याज सहित ऋण को विद्युत मंत्रालय द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अपेक्षित प्रणाली की स्थापना तथा जांच के पश्चात् अनुदान में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यदि परियोजनाएं परियोजना की मंजूरी की तारीख से 3 वर्ष के भीतर पूरी नहीं की जाती है तो अनुदान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के मामलों में संबंधित यूटिलिटि को पूरा ऋण तथा ब्याज पुनर्भुगतान वहन करना होगा। परियोजना विद्युत मंत्रालय द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सम्यक रूप से जांच की गई अपेक्षित प्रणाली की स्थापना पर पूरी की गई समझी जाएगी।

भाग-ख: यदि वितरण यूटिलिटियां परियोजना क्षेत्र में 5 वर्षों की अवधि के लिए सतत आधार पर 15% एटी एंड सी हानि कमी के लक्ष्य को प्राप्त कर लेती हैं और परियोजना संचालन समिति द्वारा निर्धारित समय सूची के भीतर पूरी कर ली जाती हैं, जोकि परियोजना अनुमोदन की तारीख से 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी, भाग-ख परियोजनाओं की तुलना में 50% (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90%) ऋण तक 5 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष बराबर के भागों में अनुदान में परिवर्तित की जाएगी जिसमें परियोजना क्षेत्र की आधारभूत आंकड़ा प्रणाली (भाग-क) विद्युत मंत्रालय द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी द्वारा स्थापित और जांच की जाती है। यदि यूटिलिटि विशेष वर्ष में 15% एटी एंड सी हानि लक्ष्य को प्राप्त करने तथा बनाए रखने में असफल रहती है तो अनुदान में ऋण के परिवर्तन के उस वर्ष का भाग आरंभिक आधार पर मूल्यांकित आंकड़ों से 15% सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि के लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी के अनुपात में कम किया जाएगा। भारत सरकार से ऋण को सबसे पहले अनुदान में परिवर्तित किया जाएगा। वित्तीय संस्थानों से ऋण को पूर्ण भारत सरकार के ऋण को अनुदान में परिवर्तन के पश्चात् ही केवल अनुदान में परिवर्तित किया जाएगा।

जब भी भारत सरकार और वित्तीय संस्थानों से ऋण को अनुदान में परिवर्तित किया जाएगा तो परिवर्तित राशि पर दिए गए ब्याज तथा अन्य शुल्कों को अनुदान के रूप में भी माना जाएगा और यूटिलिटि को प्रदान किया जाएगा। ऋण और ब्याज के लिए जिन्हें परिवर्तन की शर्तों को पूरा न करने के कारण अनुदान में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था, यूटिलिटि/राज्य को ऋण और ब्याज पुनर्भुगतान के शेष भार को वहन करना होगा।

4. भारत सरकार के ऋण की सुरक्षा

यूटिलिटि से मूल राशि, ब्याज तथा लागू अन्य प्रभारों के भुगतान के लिए समयबद्ध ऋण सेवा को सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है।

एस्क्रो लेखा: आर.ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाली यूटिलिटि को प्रधान राशि, ब्याज तथा अन्य शुल्कों की ऋण सेवा को सुनिश्चित करने के लिए भाग (क) और (ख) के लिए बैंक में एस्क्रो लेखा खोलना होगा।

परिसंपत्तियों पर शुल्क: प्रथम शुल्क (समरूप आधार पर, यदि व्यवसाय में है तो) परियोजना के अंतर्गत नई वित्तीय परिसंपत्तियोंपर किया जाएगा। जहां भी यह संभव नहीं है अथवा इन परिसंपत्तियों की कीमत पर्याप्त नहीं है वहां शुल्क यूटिलिटि की अन्य परिसंपत्तियों पर भी लगाया जा सकता है निस्तारित किया जा सकता है। वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्य मूल्यह्रास पुनर्स्थापना लागत के आधार पर किया जाएगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों की कीमत 1.1 के कवरेज कारक को लागू करके निर्धारित की जाएगी। अत: जहां ऋण के अंतर्गत वित्तपोषण परिसंपत्तियों में उक्त कारक शामिल नहीं होते हैं तो यूटिलिटि को उक्त कारक को पूरा करने के लिए अन्य परिसंपत्तियां प्रदान करनी होगी।

राज्य सरकार की गारंटी: राज्य सरकारे इस बात का भी दायित्व उठाएगी कि यूटिलिटि द्वारा व्यक्तिक्रम के मामले में यूटिलिटियों के सभी बकाया ऋण राज्यों को बकाया केन्द्रीय योजना सहायता से वसूल किए जाएंगे।

राज्य को बकाया केन्द्रीय योजना सहायता से वसूली के रूप में राज्य सरकार की गारंटी एस्क्रो लेखा तथा परिसंपत्तियों पर समरूप शुल्क लगाने के पश्चात् प्राप्त की जा सकती है।

(i) इस प्रकार जारी किया गया अग्रिम भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

(क) निधि स्थानांतरण की आर.टी.जी.एम./ई.टी. प्रणाली परियोजना स्तर की इकाइयों तक विस्तरित की जानी चाहिए ताकि निधियों के स्थानांतरण में होने वाले विलम्ब को कम किया जा सके-सम्यक अनुक्रम में उत्तरपूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर के लिए अपवाद किया जा सकता है, विद्युत मंत्रालय में स्थानांतरण भी इस प्लेटफार्म पर लगाए जाएं। इससे परियोजना स्तर लेखे को प्रत्यक्ष रूप से ई-बैंकिंग तरीके से वित्त मंत्रालय की सलाह का पालन सुनिश्चित होगा ताकि पी.एफ.सी. के माध्यम से निधियों में विलम्ब को कम किया जा सके।

(ख) वित्तपोषण के प्रत्येक स्तर पर आगामी न्यूनतम स्तर-परियोजनावार के लेखों में तैयार निधियों पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए और अपेक्षित व्यय को सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए यदि उपयोग एक निश्चित सीमा से कम रहता है, प्रत्येक स्तर पर सीमा विद्युत मंत्रालय/पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा निर्धारित की जाए।

(ग) भूमि पर व्यय की गई निधियों को भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि से सह सम्बद्ध/सम्बद्ध होना चाहिए ताकि स्कीम की प्रभाविकता को सुनिश्चित किया जा सके-पी. एफ.सी. के पास कोई शेष राशि उपलब्ध नहीं है।

(घ) सम्यक अनुक्रम में, इस बात पर विचार किया जाए कि किस प्रकार पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यू.सी. जारी की जाने वाली निधियों के लिए वैद्युत रूप से भी प्राप्त की जा सके तथापि पूर्व आवश्यकता भूमिगत आधार पर निगरानी प्रगति की सुदृढ़ प्रणाली होगी ताकि यू. सी. का उत्पादन वास्तविक परिणाम से विश्वसनीय रूप से सम्बद्ध हो सके।

(ङ) यह जारी इस शर्त के अधीन है कि भाग क आई. टी. परियोजनाएं स्टीरिंग समिति द्वारा परियोजनाओं की मंजूरी की तारीख के तीन माह के भीतर सौंपी जानी चाहिए। चूंकि जारी की गई राशि पर्याप्त नहीं है अत: पी.एफ.सी. दी गई मंजूरी की कुल राशि से अधिक और व्यक्तिगत परियोजना के लिए 30% से अधिक जारी न करने के मामले में प्रो रैटा आधार पर राज्यों को मंजूरी तथा अग्रिम राशि जारी कर सकती है।

(च) पी.एफ.सी. केवल उन राज्यों को परियोजना लागत का 30% तक जारी करेगी। जिन्होंने त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं और त्रिपक्षीय करार में सहमत पूर्व शर्तों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया है। जारी आदेश की एकप्रति विद्युत मंत्रालय तथा लेखा नियंत्रक को पी.एफ.सी. द्वारा पृष्ठांकित की जाएगी।

(छ) पावर फाइनेंस कारपोरेशन को विद्युत मंत्रालय द्वारा ऋण जारी करने की तारीख से भारत सरकार के ऋण पर उचित ब्याज संबंधित राज्य यूटिलिटियों द्वारा वहन किया जाएगा। जिन्हें पी.एफ.सी. द्वारा निधियां जारी की जाती हैं। यह शर्त त्रिपक्षीय करार के खंड 15 के अनुसार हस्ताक्षरित किए जाने वाले ऋण करार में शामिल की जाएगी।

(ज) भारत सरकार द्वारा की जारी की गई आर-ए.पी.डी.आर.पी. निधियों के संबंध में एक पृथक खाता खोला जाएगा तथा बनाए रखा जाएगा।

(i) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गैर एन.ई.आर. परियोजनाओं के लिए एन.ई.आर. परियोजनाओं या इसके विपरीत परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) एक मासिक निगरानी रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक पीएफसी द्वारा परियोजनावार प्रकाशित की जाएगी। अतिरिक्त निधियाँ कार्य की प्रगति तथा क्षेत्र में वहन किए गए व्यय के आधार पर जारी की जाएगी। वास्तविक वितरण की सहमत स्थिति विद्युत मंत्रालय को निधियों के अगले अनुरोध के साथ पीएफसी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

(iii) मंजूर किए गए उद्देश्य के लिए ऋण राशि के उपयोग (फार्म 19वीं में) पर प्रमाणमत्र जीएफआर के नियम 226 के अनुसार अर्थात् वित्तीय वर्ष जिसमें ऋण वितरित किया गया है के समाप्त होने से 18 माह तक के उचित समय के भीतर प्रदान किया जाएगा।

(iv) ऋण का लेखा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा के लिए खुला रहेगा तथा मंत्रालय द्वारा प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए खुला होगा।

(v) जारी की गई निधियों, वास्तविक उपयोग, जारी की गई निधियों की तुलना में प्राप्त किए गए भौतिक लक्ष्यों आदि के संबंध में वर्ष के अंत तक ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 5.6.2008 के निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

विवरण III

आर.ए.पी.डी.आर.पी. के भाग क के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजना की संख्या	स्वीकृत परियोजना लागत
1	2	3	4
गैर विशेष श्रेणी राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	113	388.81
2.	बिहार	71	194.60
3.	चंडीगढ़	01	33.34
4.	छत्तीसगढ़		122.45
	दिल्ली	निजी यूटिलिटी होने के कारण आर.ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया	
5.	गोवा	4	110.74
6.	गुजरात	84	225.35
7.	हरियाणा	36	165.63
8.	झारखंड	30	160.61
9.	कर्नाटक	98	391.14
10.	केरल	46	214.40
11.	मध्य प्रदेश	83	228.89
12.	महाराष्ट्र	130	324.42
	उड़ीसा	निजी यूटिलिटी होने के कारण आर.ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया	
13.	पुडुचेरी	4	27.53
14.	पंजाब	47	272.85
15.	राजस्थान	87	315.93
16.	तमिलनाडु	110	417.00

1	2	3	4
17.	उत्तर प्रदेश	168	636.53
18.	पश्चिम बंगाल	62	164.37
	उप-जोड़	1191	4394.60
19.	अरुणाचल प्रदेश	10	37.68
20.	असम	67	173.78
21.	हिमाचल प्रदेश	14	96.41
22.	जम्मू और कश्मीर	30	141.99
23.	मणिपुर	13	31.55
24.	मेघालय	9	33.99
25.	मिजोरम	9	35.12
26.	नागालैंड	9	34.58
27.	सिक्किम	2	26.30
28.	त्रिपुरा	16	35.18
29.	उत्तराखंड	31	125.82
	उप-जोड़	210	782.40
	कुल	1401	5177.00

आर.ए.पी.डी.आर.पी. के भाग क के अंतर्गत स्वीकृत स्काडा परियोजनाओं का ब्यौरा

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजना लागत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5	116.81
2.	गुजरात	6	138.51
3.	केरल	3	83.15
4.	मध्य प्रदेश	5	102.94
5.	राजस्थान	5	150.90
6.	तमिलनाडु	7	182.17
7.	महाराष्ट्र	8	161.62
8.	उत्तर प्रदेश	3	46.35
	कुल	42	982.45

विवरण IV

आर.ए.पी.डी.आर.पी. के भाग ख के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	यूटिलिटी/राज्य	परियोजनाओं की संख्या (शहर/परियोजना क्षेत्र) संख्या	स्वीकृत परियोजना लागत रुपए करोड़ में
1.	आंध्र प्रदेश	42	1056.59
2.	गुजरात	63	993.78
3.	हरियाणा	22	415.79
4.	कर्नाटक	88	948.99
5.	हिमाचल प्रदेश	14	322.18
6.	केरल	42	872.17
7.	मध्य प्रदेश	82	1977.64
8.	महाराष्ट्र	122	3284.20
9.	पंजाब	42	1496.14
10.	राजस्थान	82	1540.47
11.	सिक्किम	2	68.46
12.	तमिलनाडु	87	3279.56
13.	उत्तर प्रदेश	158	2347.88
14.	पश्चिम बंगाल	45	547.02
15.	छत्तीसगढ़	16	216.56
	कुल	907	19367.43

[हिन्दी]

दवाओं की गुणवत्ता

2184. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) औषधालयों के लिए लगभग 80 प्रतिशत औषधियां स्थानीय बाजार से खरीदी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सही गुणवत्ता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निम्नतम निविदाकर्ता (एल-I) से दवाएं खरीदती है और इस प्रकार दवाओं की गुणवत्ता से समझौता करती है;

(घ) यदि हां, तो खरीद प्रक्रिया में परिवर्तन लाने का कोई प्रस्ताव है ताकि सर्वोत्तम गुणवत्ता की दवाएं लोगों को दी जाएं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के सी.जी.एच.एस. औषधालयों तथा अन्य अस्पतालों द्वारा खरीदी गयी दवाओं की मात्रा तथा खरीद के स्रोत क्या हैं एवं नकली दवाओं की आपूर्ति के कारण काली सूची में डाली गयी कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) दवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने एवं उसे बनाए रखने के उद्देश्य से हाल के वर्षों में दवाओं का विनिर्माताओं/वितरकों से सीधे प्रापण करने पर अधिक बल दिया गया है जिसमें एक उचित गुणवत्ता नियंत्रण क्रियाविधि का अनुपालन किया जाता है। दो-बोली निविदा प्रक्रिया जिसमें तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली शामिल है, के माध्यम से प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों को नियुक्त किया जाता है ताकि वे भी गुणवत्ता वाली दवाओं की आपूर्ति कर सकें।

(च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्मार्ट ग्रिड कृतक बल

2185. श्री आनन्दराव अडसुल:
श्री उमाशंकर सिंह:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विद्युत क्षेत्र में स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों के माध्यम से दक्षता बेहतर करने के लिए भारत स्मार्ट ग्रिड कृतक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त समूह के गठन करने के मूल लक्ष्य क्या हैं;

(घ) उपर्युक्त परियोजना पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) उनसे संभावित लाभ क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, हां। विद्युत मंत्रालय ने सितंबर, 2010 में जन सूचना अवसरंचना एवं नवप्रवर्तन पर प्रधानमंत्री के सलाहकार श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में देश में स्मार्ट ग्रिडों के कार्यान्वयन हेतु एक रोडमैप तैयार करने के लिए इंडिया स्मार्ट ग्रिड टास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें संबंधित मंत्रालयों (गृह, रक्षा, संचार एवं सूचना तकनीक, गैर-नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण एवं वन, वाणिज्य एवं उद्योग, वित्त आदि) और संगठनों (योजना आयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, पारवग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय मानक ब्यूरो, पावर फाइनेंस कारपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन) के सदस्य शामिल हैं।

(ग) इंडिया स्मार्ट ग्रिड टास्क फोर्स देश में स्मार्ट ग्रिड के कार्यान्वयन हेतु स्मार्ट ग्रिड से संबंधित क्रियाकलापों तथा रोड मैप तैयार करने के लिए सरकार के केन्द्रक बिंदु के रूप में कार्य करेगा। स्मार्ट ग्रिड अनुसंधान एवं विकास अन्य अंत: सरकारी गतिविधियों से संबंधित के समन्वय एवं समेकन: इंट्रोपैरेबिलिटी फ्रेमवर्क पर सहयोग; इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम से सिफारिशों की समीक्षा एवं वैधीकरण हेतु स्मार्ट ग्रिड तकनीकों पद्धतियों और सेवाओं से संबंधित प्रतिकूल कार्यों की जागरूकता, समन्वय तथा समेकन को सुनिश्चित करना होगा।

(घ) और (ङ) कार्यबल को अपनी सिफारिशें/परियोजनाएं अभी प्रस्तुत करनी हैं। वर्तमान में संभावित व्यय एवं लाभ पर कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

नगरपालिका के कचरे से बिजली

2186. श्री इज्यराज सिंह:
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री वैजयंत पांडा:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आयातित प्रौद्योगिकी के उपयोग से नगरपालिका कचरे से बिजली के उत्पादन के लिए बनी योजनाएं/बने कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्थापित संयंत्र का उनकी क्षमता सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नगरपालिका कचरे को बिजली में बदलने की प्रक्रिया से वायु प्रदूषण होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बिजली की जरूरत पूरी करने तथा उक्त प्रक्रिया के दौरान वायु प्रदूषण होने की समस्या से निपटने के लिए भी ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ फारुख अब्दुल्ला): (क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नगरीय ठोस अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति पर पांच नई परियोजनाएं संस्थापित करने हेतु एक कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के तहत संस्थापित की जाने वाली परियोजनाएं स्वेदशी अथवा आयातित प्रौद्योगिकियों पर आधारित हो सकती है। यह कार्यक्रम प्रति परियोजना 10.00 करोड़ रु. की उच्च सीमा के साथ 2.00 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराता है। नगरीय ठोस अपशिष्टों पर आधारित परियोजनाओं हेतु सीमा शुल्क लाभ और उत्पाद शुल्क रियायतें भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ख) उपर्युक्त उल्लिखित स्कीम के तहत अब तक कोई संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है। तथापि, नगरीय ठोस अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन हेतु पूर्व में स्थापित चार परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

(i) उत्तर प्रदेश में 5 मेगावाट बायोमिथेनिकरण प्रौद्योगिकी परियोजना।

(ii) आंध्र प्रदेश में कूड़े-कचरे से प्राप्त ईंधन दहन प्रौद्योगिकी पर आधारित 12.6 मेगावाट क्षमता की दो परियोजनाएं।

(iii) दिल्ली में भस्मीकरण प्रौद्योगिकी पर आधारित 3.5 मेगावाट की एक परियोजना।

(ग) और (घ) यदि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्सर्जन नियंत्रण हेतु निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करने हेतु ऐसी परियोजनाओं का सावधानीपूर्वक उपचार नहीं किया जाता है तो दहन/भस्मीकरण की प्रौद्योगिकी के माध्यम से नगरीय ठोस अपशिष्ट का बिजली में रूपांतरण करने से वायु प्रदूषण हो सकता है।

(ङ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा स्रोतों नामत: सौर, पवन, लघु, पनबिजली, बायोमास और शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से विद्युत उत्पादन पर विभिन्न कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहा है। शहरी और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा पर कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सभी आवश्यक उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण लगाना और प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।

[अनुवाद]

मानव अंगों की मांग और उपलब्धता

2187. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी.पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मानव अंगों की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच बड़े अंतर को ध्यान में रखते हुए मानव अंगों और उत्तकों को दान करने के बारे में जागरुकता फैलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जी, हां। आम जनता के बीच अंग दान की जागरूकता पैदा करने के लिए, छठे विश्व तथा पहले भारतीय अंगदान दिवस समारोहों का आयोजन नई दिल्ली में 27 तथा 28 नवम्बर, 2010 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में किया गया था। मानव अंगों तथा उत्तकों के दान के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयोजन से बंगलौर और हैदराबाद में क्रमश: दिनांक 8.4.2011 तथा 27.6.2011 को दो कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

[हिन्दी]

कोरवां और पहाड़ी खोबा जनजातियां

2188. श्री मधुसूदन यादव: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पहाड़ियों में कोरवां तथा पहाड़ी खोबा जनजातियों के उत्थान के लिए नवसृजित छत्तीसगढ़ राज्य में केन्द्रीय योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत, जारी और व्ययित कुल राशि जनजाति-वार क्या है; और

(ग) इन जनजातियों के "प्रकाशास" तथा अन्य सांस्कृतिक विरासतों के प्रलेखन के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में सभी अनुसूचित जनजातियों तथा पी.टी.जी. के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) इन योजनाओं के तहत अभिज्ञात गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा अन्य कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं तथा ये निधियां जनजातिवार नहीं हैं। अत: कोई जनजातिवार सूचना नहीं रखी जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान मुख्य योजनाओं के संबंध में स्वीकृत/निर्मुक्त तथा उपयोजित निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) नवसृजित छत्तीसगढ़ राज्य के पहाड़ों में रहने वाली कोरवां तथा पहाड़ी खोबा के प्रकाशास तथा अन्य सांस्कृतिक विरासतों का कोई प्रलेखन नहीं किया गया है।

विवरण I

क्रम सं.	योजनाओं के नाम
क	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (एस.ए.पी.)
1.	जनजातीय उपयोजना (टी.एस.पी.) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.)
2.	संविधान का अनुच्छेद 275 (1)
ख	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं (सी.एस.)
3.	कोचिंग और संबद्ध योजनाओं एवं अनुकरणीय सेवाओं हेतु पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को सहायता अनुदान
4.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
5.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण
6.	जनजातीय/उत्पादों/उपज का बाजार विकास
7.	लघुवन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान
8.	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.टी.जी.) का विकास
9.	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को समर्थन
10.	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
11.	उत्कृष्टता संस्थान/उच्च श्रेणी संस्थान की योजना
12.	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना
ग.	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (सी.एस.एस.)
13.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा के उन्नयन की योजना
14.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावासों की योजना
15.	आश्रम विद्यालयों की स्थापना
16.	अनुसंधान, सूचना एवं जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य

विवरण II

विगत तीन वर्षों के दौरान योजनाओं के तहत स्वीकृत/निर्मुक्त/व्यय तथा उपयोजित निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09		2009-10		2010-11	
		स्वीकृत/निर्मुक्त	उपयोजित	स्वीकृत/निर्मुक्त	उपयोजित	स्वीकृत/निर्मुक्त	उपयोजित
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	**विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (एसएपी)**						
1.	जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)	631.35	621.81	481.24	453.78	901.70	321.84
2.	संविधान का अनुच्छेद 275 (1)	339.78	338.12	399.10	325.34	999.88	71.49
ख.	**केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं (सीएस)**						
1.	कोचिंग और संबद्ध योजनाओं एवं अनुकरणीय सेवाओं हेतु पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता अनुदान	42.40	42.40	49.55	49.55	54.12	54.12
2.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	8.44	5.89	2.00	2.00	6.88	1.52
3.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	40.00	40.00	33.50	33.50	37.56	37.56
4.	जनजातीय उत्पादों/उपज का बाजार विकास	21.20	21.20	19.36	19.36	14.53	0.00
5.	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान	16.00	14.25	10.00	5.90	15.00	2.55
6.	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास	192.07	180.04	83.62	71.75	232.44	66.55
7.	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों को समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	69.99	53.52
8.	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी अध्येतावृत्ति	31.03	29.83	30.00	29.14	60.68	60.65
9.	उत्कृष्ट संस्थान/उच्च श्रेणी संस्थान की योजना	1.22	1.22	1.75	1.75	5.00	5.00
10.	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना	0.01	0.01	0.31	0.31	0.30	0.30

1	2	3	4	5	6	7	8
ग.	**केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)**						
1.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति पुस्तक बैंक तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा के उन्नयन की योजना	226.59	212.20	271.37	256.15	556.75	312.08
2.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रवास की योजना	65.00	48.06	64.00	16.35	78.00	5.95
3.	आश्रम विद्यालयों की स्थापना	30.00	30.00	41.00	30.28	65.00	21.16
4.	अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य	7.04	6.36	6.35	4.29	4.46	2.21

पर्यटन को बढ़ावा

2189. श्री आर.के. सिंह पटेलः
श्री अशोक कुमार रावतः

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित देश में पर्यटन के संवर्धन और विकास हेतु सरकार ने कोई रोडमैप तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस तिथि को स्थिति क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) और (ख) पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेवारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों एवं उत्पादों को शामिल करते हुए एक संपूर्ण गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करता है। इन पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन मीडिया अभियानों, पर्यटक साहित्य एवं प्रचार सामग्री के माध्यम से किया जाता है।

[अनुवाद]

नैदानिक परीक्षण

2190. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाटः
श्री रूद्रमाधव रायः
श्री पी.के. बिजूः
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मीः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्री भूपेन्द्र सिंहः
श्री विजय बहादुर सिंहः
श्री गजानन ध. बाबरः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों से औषधियों/टीकों के नैदानिक परीक्षण का अंग रहे लोगों की मौतों की संख्या बढ़ने की खबरें हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पता चली ऐसी मौतों की संख्या तथा इन मामलों में लिप्त दवा कंपनियां, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कौन-कौन सी हैं;

(ग) उन मौतों के मामलों की संख्या क्या है जिसमें दवा कंपनियों द्वारा मुआवजे का भुगतान किया गया था तथा इनकी राशि क्या थी एवं मौत के अन्य मामलों में मुआवजे का भुगतान करने में चूककर्ता कंपनियों को निर्देश देने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने तथाकथित स्वायत्त आचार समितियों (आईईसी) द्वारा नैदानिक परीक्षणों के अनुमोदन के मामलों पर गौर किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन मानदंडों एवं दिशानिदेशों के अंतर्गत इन आई.ई.सी. के कार्य का नियमन किया जा रहा है; और

(च) नैदानिक परीक्षणों के समुचित विनियमन, पंजीकरण तथा निगरानी तथा ऐसे परीक्षणों के पीड़ितों के लिए मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) नैदानिक परीक्षणों में नामांकित व्यक्ति की परीक्षण के दौरान मृत्यु विभिन्न कारणों से हो सकती है। ये रोग से जुड़ी मृत्यु हो सकती है जैसे कि कैंसर या अन्य गंभीर रोग, गंभीर एवं मरणांसन्न रोगियों को औषधि देने, अनुषंगी प्रभाव या अन्य असंबद्ध कारणों से अध्ययन परीक्षण से इसके सांयोगिक संबंध का पता लगाने के लिए ऐसी मृत्यु की जांच की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एवं चालू वर्ष में जनू, 2011 तक सूचित मृत्यु एवं साथ ही संबंधित फार्मास्यूटिकल कंपनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2010 में परीक्षण से जुड़ी मृत्यु के 22 मामले की सूचना दी गई। प्रायोजक द्वारा प्रत्येक मामले में मुआवजे के रूप में भुगतान की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। मृतकों के आश्रितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए वर्ष 2010 में नैदानिक परीक्षणें में शामिल प्रायोजक/नैदानिक अनुसंधान संगठनों को औषध महानियंत्रक (भारत) ने अप्रैल, 2011 ने निदेश दिया। संबंधित नैतिकता समितियों से भी उक्त मृत्यु के मामलों की समीक्षा करने और मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश करने के लिए अनुरोध किया गया था। संबंधित प्रायोजक/सी.आर.ओ. को भुगतान किए गए मुआवजे और वर्ष 2011 में (जून, 2011 तक) नैदानिक परीक्षणों के कारण होने वाली मौतों से संबंधित ब्यौरों की अपेक्षित सूचना मुहैया कराई जाती है।

(घ) और (ङ) औषधि तथा सौन्दर्य प्रसाधन, नियमावली, 1945 के अंतर्गत एक नई औषधि के संबंध में नैदानिक परीक्षण केवल नियम 21 (ख) के अंतर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकारी अर्थात् औषध महानियंत्रक (भारत) द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने और संबंधित नैतिकता समिति से प्राप्त किए गए अनुमोदन के पश्चात् ही शुरू किए जा सकते हैं। परीक्षण स्थल, अन्य परीक्षण स्थल की नैतिकता समिति द्वार प्रोटोकॉल का दिए गए अनुमोदन अथवा स्वतंत्र नैतिकता समिति (उक्त नियमों की अनुसूची वाई के अंतर्गत उपबंधों के अनुसार गठित) द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन को स्वीकृत कर सकता है, बशर्ते कि अनुमोदन करने वाली नैतिकता समिति, इस प्रकार के परीक्षण स्थल पर अध्ययन के लिए उनकी जिम्मेवारियों को स्वीकृत करने की इच्छुक हो और परीक्षण स्थल इस प्रकार के प्रबंध को स्वीकार करने के इच्छुक हो और सभी परीक्षण स्थलों पर प्रोटोकोल स्वरूप समान हो।

इसके अतिरिक्त परीक्षण प्रोटोकाल को स्वीकृति प्रदान करने वाली नैतिकता समिति का उत्तरदायित्व है कि वह सभी परीक्षण किए जा रहे व्यक्तियों के अधिकारों, सुरक्षा और कुशल क्षेम को सुरक्षित रखे। नैतिकता समिति को चाहिए कि वह मानक प्रचालन प्रक्रिया विधियों का प्रलेखन करें और इसकी कार्यवाहियों को रिकार्ड कर रखरखाव रखें। नैतिकता समिति को चाहिए कि वह समुचित अंतरालों पर परीक्षणों की एक सतत समीक्षा करें जिसके लिए वे प्रोटोकाल की समीक्षा करते हैं।

(च) नैदानिक परीक्षणों की मानीटरिंग को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

* सभी नैदानिक परीक्षणों को पंजीकृत करने के लिए यह अनिवार्य बनाया गया है, जिसके लिए आई.सी.एम.आर. नैदानिक परीक्षण पंजीकरण में www.ctvi.in पर 15 जून, 2009 को या उसके बाद भारत के औषध महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा अनुमति दी गई है।
* नैदानिक परीक्षण स्थलों और नैदानिक अनुसंधान संगठनों/प्रयोजकों के निरीक्षण के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

यह प्रस्ताव है कि परीक्षण संबंधी चोट या मृत्यु के मामले में परीक्षण में शामिल व्यक्तियों को वित्तीय क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम के अंतर्गत विशेष प्रावधान बनाकर नैदानिक परीक्षणों से संबंधित विनियमों को और सुदृढ़ बनाया जाए। नैतिक समिति, प्रायोजक और अन्वेषक की जिम्मेदारियों को भी बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षण में लिए गए व्यक्तियों को वित्तीय क्षतिपूर्ति और चिकित्सा परिचर्या प्रदान की जाए जो परीक्षण संबंधी चोट या मौत का सामना करते हैं और ऐसी सूचना भारत के औषध महानियंत्रक को दी जाती है। परीक्षण में शामिल व्यक्तियों की सूचित सहमति प्राप्त करने के लिए प्रपत्र को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे कि व्यक्ति के पते, व्यवसाय, वार्षिक आय के विवरण को शामिल किया जा सके ताकि परीक्षण में लिए गए व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधित सूचना रखी जा सके।

नैदानिक अनुसंधान संगठनों के पंजीकरण के लिए दिनांक 19. 1.2010 को एक अनुसूची वाई मसौदा अधिसूचना भी प्रकाशित की गई है।

विवरण I

2011 (जन-जून) कुल मामले 161		2010 कुल मामले 668		2009 कुल मामले 637		2008 कुल मामले 288	
क्र.सं.	प्रायोजक/सीआरओ	क्र.सं.	प्रायोजक/सीआरओ	क्र.सं.	प्रायोजक/सीआरओ	क्र.सं.	प्रायोजक/सीआरओ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एमजेन	1.	एसेटिलियोन	1.	एबोट	1.	एमजेन
2.	बेयर	2.	एक्यूनोवा	2.	एक्टीलियोन	2.	एक्सट्रा जेनिका
3.	भारत सीरम	3.	एलयेन	3.	एलरजेन	3.	बेयर हेल्थ
4.	बोहरिंगर इजलहियम	4.	एम्जेन	4.	एमजेन	4.	ब्रिस्टल मेयर्स
5.	कटालिस्ट	5.	एस्ट्राजेनिका	5.	बेयर हेल्थ	5.	क्लिनीजिन
6.	सीडी फार्मा	6.	बेयर	6.	बीएमएस	6.	क्लिनीआरएक्स
7.	डा. रेड्डी	7.	बोहरिंगर	7.	कैडिला	7.	क्लिनीवेंट
8.	एक्सल लाइफ साइंस	8.	ब्रिस्टल मेयर्स	8.	केटालिस्ट	8.	आईकॉन
9.	फ्रीसीनियमस कबी	9.	चिल्टर्न	9.	चिल्ट्रन	9.	आईकोन
10.	जीएसके	10.	क्लिनीजिन	10.	सिप्ला	10.	आईओडब्ल्यूएस
11.	आइकल	11.	क्लिनीआरएक्स	11.	क्लिनीआरएक्स	12.	लैम्बडा
12.	आईएनसी जीवीके बायो	12.	डायग्नोसर्च	12.	क्लिनीआरएक्स	13.	लिली
13.	इनवीडा	13.	डा॰ रेड्डी	13.	डायग्नोसर्च	14.	मेडपेस
14.	जे एंड जे	14.	जीएसके	14.	डीएंडडीआई इंडिया	15.	नीमैन
15.	जूबिजेंट क्लिसिस	15.	जीवीके बायो	15.	आईसाई	16.	निकोलस पिरामल
16.	लेम्बडा थेराप्यूटिक	16.	आईकन	16.	फुलफोर्ड	17.	नोवानोडिस्क
17.	एलजी लाइफ साइंसेज	17.	इंटास	17.	जीएसके	18.	नोवार्टिस
18.	मनिपाल एक्यूनोवा	18.	बनवीडा	18.	आईकन	19.	नोवानोडिस्क
19.	मैक्सनीमान	19.	जे एंड जे	19.	आईपीसीए	20.	फीजर
20.	मर्क स्पेसियलिटी	20.	जुबुलेंट क्लिसेस	20.	जेएंड जे	22.	पीपीडी
21.	एमएसडी	21.	केमिन	22.	लैम्बडा	22.	निम्र, नई दिल्ली

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	नोवार्टिस	22.	लिली	22.	लैम्बडा	22.	पीपीडी
24.	पारएक्सल	23.	मैक्सनीमैन	23.	लिली	23.	पीआरए
25.	फीजर	24.	मायाक्लिनिक्स	24.	मेडपेस	24.	क्यूंटाइल्स
26.	पीरामल लाइफसाइंसेज	25.	मर्क	25.	मर्क	25.	रैनबैक्सी
27.	पीपीडी	26.	एमएसडी	26.	एमएसडी	26.	रिलायंस
28.	क्यूनटाइल्स	27.	नोवार्टिस	27.	नेशनल एड्स रिसर्च	27.	रोछ
29.	सलोफी एवेंटिस	28.	पारएक्सल	28.	निकोलस	28.	सनोफीएवेंटिस
30.	सीरा क्लिनफार्म प्रा.लि.	29.	फिजर	29.	नोवार्टिस	30.	सिरम
31.	स्पेक्ट्रम	30.	फार्म-ओलाम	30.	ओमनीकेयर	30.	सिरम
32.	श्रीस्टक, हैदराबाद	31.	पिरामल	31.	पारएक्सल	31.	सिरो
33.	सेंट जान नेशनल	32.	पीपीडी	32.	फिजर	32.	स्पेक्ट्रम
	एकाडमी आफ हेल्थ साइंसेज	33.	पीआरए	33.	फार्मालीफ	33.	ट्रिडेंट
34.	सन फार्मा	34.	क्यूनटाइल्स	34.	फार्मलिंक	34.	वेथ
35.	द जार्ज इंस्टीटयूट	35.	रिलायंस	35.	पिरामल लाइफ साइंस		
		36.	सनोफी	36.	पीपीडी		
		37.	सरडिया	37.	पीआरए		
		38.	सिरो	38.	क्यूनटाइल्स		
		39.	स्पेक्ट्रम	39.	रिलायंस		
		40.	टाकेडा	40.	राक		
		41.	टोरेंट	41.	सैंडोज		
		42.	वीडा	42.	सनोफी		
		43.	विरचो	43.	स्कीरिंग प्लग		
		44.	वेथ	44.	सरडिया		

1	2	3	4	5	6	7	8
				45.	सिरो		
				46.	स्पेक्ट्रम		
				47.	श्रीस्टिक		
				48.	टाकेडा		
				49.	वीडा		
				50.	वेथ		

विवरण II

क्र.सं.	प्रायोजक/नैदानिक अनुसंधान संगठन	जांच किया जाने वाला उत्पाद	दिया गया मुआवजा (रुपए)
1	2	3	4
1.	मर्क	सैफिनामाइड	1,50,000
2.	व्येथ	टेमसीरालिमस	1,50,000
3.	क्लीनटाइल्स	एमएलएन 0002/प्लेसबो	3,00,000
4.	क्वीनटाइल्स	बीआई 177/परीक्षण प्रक्रिया	3,00,000
5.	लिली	एच3ई-एमसी-जेएमएचआर	1,08,000
6.	लिली	एच3ई-ईडब्ल्यू-एस 124	2,00,000
7.	लिली	पेमीट्रेक्सड	2,00,000
8.	बेयर	राइवर ओक्साबान/प्लेसबो/वारफेरीन	2,50,000
9.	बेयर	राइवर ओक्साबान	2,50,000
10.	बेयर	क्लिकसेन/प्लेसबो	2,50,000
11.	बेयर	राइवर ओक्साबान	2,50,000
12.	बेयर	रावर ओक्साबान	2,50,000
13.	एमजेन	एएमजी-706	1,50,000
14.	एमजेन	एएमजी-479/एमजी 102	11,50,000
15.	ब्रिस्टल मेयर्स	ब्राइवेनीबालानीनेट/सोराफेनिब	2,50,000
16.	सनोफी	ब्लाइंड	1,50,000

1	2	3	4
17.	सनोफी	ब्लाइंड	1,50,000
18.	सनोफी	ब्लाइंड	2,00,000
19.	पीपीरी	एक्स एल-184/प्लेसबो	10,00,000
20.	फिजर	सीटैसेंटन/प्लेसबो	1,50,000
21.	फिजर	सीटैक्संटन/सिल्डेनाफिल	2,25,000
22.	फिजर	एक्सीटिनिब	1,50,000

बैंकों द्वारा माइक्रो वित्त

2191. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री रायापति सांबसिवा राव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ बैंक, विशेषकर निजी बैंक का लक्ष्य माइक्रो वित्त पोर्टफोलियों में तिगुनी वृद्धि का है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश सहित देश में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में इस संबंध में बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तब आबंटित तथा जारी धनराशि कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में ऋण मुख्यतः स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.) बैंक सहलग्नता माडल तथा सूक्ष्म वित्त संस्था (एम.एफ.आई.) बैंक सहलग्नता माडल में बैंककारी एजेंसियों, एस.एच.जी. तथा अन्य छोटे उधारकर्ताओं को ऋण देने के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एम.एफ.आई.) को वित्तपोषित करती हैं। विगत तीन वर्षो (2007-08 से 2009-10) के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एस.एच.जी. तथा एम.एफ.आई. को किया गया संवितरण निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ रुपये में)

	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संवितरित			ऋण सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संवितरित ऋण		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
एस.एच.जी.	364.45	209.83	215.40	848.81	12043.69	14237.90
एम.एफ.आई.	1489.33	3156.99	3762.00	470.82	575.34	4300.74

क स्रोतः भारत में सूक्ष्म वित्त की नाबार्ड (2008, 09 और 2010) का स्थिति अध्ययन।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा के उपयोग

2192. श्री संजय सिंह चौहान: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के महानगरों में सभी गृहस्वामियों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग अनिवार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2012 तक सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को हासिल

करने के लिए इस क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) और (ख) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को क्रियाशील भवनों में सौर सहायता प्राप्त जल तापन प्रणालियों की संस्थापना हेतु कुछ श्रेणी के भवनों में इन प्रणालियों की संस्थापना को अनिवार्य बनाने के लिए मानक नियम/उप-नियम परिचालित किए गए हैं। इस आधार पर अब तक 21 राज्यों ने अपने शहरी स्थानीय निकायों को जरूरी आदेश जारी किए हैं और 8 राज्यों में 90 नगर निगमों/नगरपालिका समितियों/विकास प्राधिकरणों ने अपने भवन उप-नियम में संशोधन किए हैं अथवा इस संबंध में उनके द्वारा आदेशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ग) देश में सौर ऊर्जा के संवर्धन हेतु सरकार ने वर्ष 2022 तक 20 मिलियन सौर लाइटों और सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र के अतिरिक्त 20,000 मेगावाट सौर विद्युत और 2000 मेगावाट समतुल्य ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोगों के लक्ष्य के साथ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की घोषणा की है। इस मिशन में नीति बनाई गई है जिसमें उत्पादन लागत को कम करने हेतु मेगावाट क्षमता आधार पर सौर विद्युत का पारंपरिक तापीय विद्युत के साथ मिश्रण, 33 किलोवाट से निम्न के वोल्टेज स्तरों पर वितरण नेटवर्क पर जुड़े लघु सौर विद्युत संयंत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, सौर विशिष्ट अक्षय खरीद बाध्यताओं (सौर आर.पी.ओ.) का प्रावधान और अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र तंत्र शामिल है। वर्ष 2013 तक मिशन के प्रथम-चरण के दौरान 1100 मेगावाट क्षमता के सौर विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं

2193. श्री संजय दिना पाटील
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पहले ही प्रदत्त विद्युत परियोजनाओं तथा क्रियान्वयन हेतु लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में और ऐसी परियोजनाओं की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) जी, हां विद्युत मंत्रालय ने प्रतिस्पर्द्धा बोली प्रक्रिया के माध्यम से त्वरित वृद्धि के उद्देश्य से लगभग 4000 मे.वा. क्षमता वाली प्रत्येक कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यू.एम.पी.पी.एस.) को विकसित करने की पहल की है। चार यू.एस.पी.पी.एस., अर्थात् मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुंद्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम तथा झारखंड में तिलैया के अवार्ड दिए गए हैं तथा निर्धारित विकासकों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं एवं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं के लाभ 12वीं योजना में प्राप्त होने की संभावना है, तथापि परियोजनाओं के विकास की वर्तमान स्थिति के अनुसार मुंद्रा यू.एम.पी.पी. की दो यूनिटों के 11वीं योजना में पूरा होने की संभावना है। इन यू. एम.पी.पी.एस. के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्रमांक	यू.एम.पी.पी. का नाम	प्रकार	हस्तांतरण की तारीख	लेवलीकृत टेरिफ (रु. प्रति के डब्ल्यूएच) में	सफल विकासक
1.	मुंद्रा, गुजरात	तटीय (आयातित कोयला)	23.04.2007	2.264	टाटा पावर लिमिटेड
2.	सासन, मध्य प्रदेश	पिटहेड	07.08.2007	1.196	रिलायंस पावर लिमिटेड
3.	कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश	तटीय (आयातित कोयला)	29.01.2008	2.333	रिलायंस पावर लिमिटेड
4.	तिलैया, झारखंड	पिटहेड	7.8.2009	1.77	रिलायंस पावर लिमिटेड

(घ) और (ङ) फिलहाल दो यू.एम.पी.पी.एस. अर्थात् छत्तीसगढ़ में सरगुजा तथा उड़ीसा में बेदाबहल बोली की प्रक्रिया में है। उड़ीसा में बेदाबहल यू.एम.पी.पी. के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) बोली दिनांक 01.08.2011 को प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा यू.एम.पी.पी. के लिए आरएफक्यू बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 05 सितम्बर, 2011 है।

पहली यू.एम.पी.पी. की स्थापना हेतु स्थल तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के चेय्यूर में तथा दूसरी यू.एम.पी.पी. की स्थापना हेतु स्थल आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के नयनपल्ली गांव में अंतिम रूप से दिया जा रहा है। अन्य प्रस्तावित यू.एम.पी.पी.एस. कर्नाटक, महाराष्ट्र में, दो अतिरिक्त यू.एम.पी.पी.एस. उड़ीसा में, एक अतिरिक्त यू.एम.पी.पी.एस. गुजरात, झारखंड तथा तमिलनाडु प्रत्येक में हैं। इन यू.एम.पी.पी.एस. में बोली प्रक्रिया की शुरुआत स्थल विनिर्धारण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय (पिट-हेतु परियोजनाओं के लिए) आवश्यक निवेश की उपलब्धता राज्य सरकार की स्वीकृतियों पर निर्भर है।

विवरण

वर्ष 2008-2010 में मेनिनगोकोकोल मेनिनजाइटिस के राज्यवार मामले व मौतें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008		2009		2010		मई 2011 तक	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	609	9	1313	10	840	10	503	14
2.	अरूणाचल प्रदेश	12	0	5	0	0 4	0	0	0
3.	असम	0	0	0		0	0	0	0
4.	बिहार	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
5.	छत्तीसगढ़	14	0	12	1	2	0	0	0
6.	गोवा	1	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	15	4	0	0	1	0	0	0
8.	हरियाणा	23	1	36	5	14	5	!	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	13	0	8	1
11.	झारखंड	90	0	5	2	425	0	2	0
12.	कर्नाटक	1218	13	1145	6	785	7	20	1
13.	केरल	230	0	197	1	60	1	सूचित नहीं	सूचित नहीं
14.	मध्य प्रदेश	310	12	403	18	516	13	सूचित नहीं	सूचित नहीं
15.	महाराष्ट्र	201	3	126	0	53	0	5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	मणिपुर	2	0	14	0	10	3	30	0
17.	मेघालय	389	46	45	28	99	4	2	0
18.	मिजोरम	67	19	60	22	49	14	8	2
19.	नागालैंड	0	0	3	0	21	0	0	0
20.	उड़ीसा	148	1	22	0	161	21	1	0
21.	पंजाब	104	7	64	6	33	8	14	2
22.	राजस्थान	5	1	3	0	0	0	9	0
23.	सिक्किम	6	1	17	1	1	0	0	0
24.	तमिलनाडु	69	0	167	2	438	0	149	0
25.	त्रिपुरा	9	1	155	20	54	6	25	5
26.	उड़ीसा	76	10	48	3	91	8	17	0
27.	उत्तर प्रदेश	45	5	64	10	42	4	1	0
28.	पश्चिम बंगाल	1910	369	1977	307	2057	213	393	65
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	3	48	7	55	5	20	4
30.	चंडीगढ़	सूचित नहीं	सूचित नहीं	74	0	सूचित नहीं	सूचित नहीं	26	0
31.	दादर और नगर हवेली	6	2	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और द्वीव	12	2	1	0	2	0	0	0
33.	दिल्ली	324	24	239	13	663	16	95	2
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	78	9	131	5	58	3	7	0
	कुल	5982	542	6745	467	6547	341	1336	97

स्रोत: केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो (सीबीएचआई), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा निकाला गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य रूपरेखा

[हिन्दी]

मेनिनजाइटिस के मामले

2194. योगी आदित्य नाथ: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेनिनजाइटिस तथा इससे मृत्यु के मामलों की खबर देश के विभिन्न भागों से मिली है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पाए गए ऐसे मामलों की संख्या तथा उक्त रोग से मर गए व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) कुछेक क्षेत्रों में इस रोग की अधिक व्यापकता के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में मेनिनजाइटिस के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा बनायी गयी/प्रस्तावित कार्य-योजना क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान मेनिनजाइटिस के मामलों तथा इससे हुई मौतों की सूचित की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) मेनिनगोकोकल मेनिनजाइटिस की एक स्थायी मौसमी तथा चक्रीय प्रवृत्ति है और यह ज्यादातर वर्ष के शुष्क तथा सर्दी वाले मौसम में होती है। अत्यधिक भीड़ व निम्न सामाजिक आर्थिक स्थितियां मुख्य पूर्ववृत्ति कारक हैं। यह रोग वायु तथा सीधे संपर्क से भी हर व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है।

(घ) केन्द्रीय त्वरित अनुक्रिया दलों को प्रभावित क्षेत्रों में मौके पर आकलन की जांच करने के लिए तथा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को नियंत्रण उपाय शुरू करने में सहायता करने के लिए तुरंत भेजा जाता है। राज्यों/जिलों में एक नियमित निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है।

मेनिनगोकोकोल मेनिनजाइटिस व अन्य संचारी रोगों से संबंधित सूचना स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं की जागरूकता के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एन.सी.डी.सी.) की मासिक समाचार पत्रिका 'सी.डी. एर्लट' में नियमित प्रकाशित की जाती है।

सोने और चांदी में काले धन का निवेश

2195. श्री हरीश चौधरी:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सोने और चांदी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन दोनों वस्तुओं में काले धन का निवेश किया जा रहा है;

(घ) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में उठाए गए कदमों के माध्यम से सरकार को कितनी सफलता मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी, हां। भारत सोने और चांदी का वास्तविक आयातक है और इसलिए इन मूल्यवान धातुओं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करती हैं। भारत में सोने और चांदी की कीमतों में व्याप्त अस्थिरता मुख्यत: अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन वस्तुओं की कीमतों में होने वाली घट-बढ़ के कारण हैं।

(ग) आयकर विभाग द्वारा की गई जांच के दौरान, सोने और चांदी में काले धन के निवेश के मामले अवश्य सामने आते हैं।

(घ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 26 मई, 2011 को अधिसूचना संख्या 21/2011 जारी की जिसमें 5 लाख रुपये या उससे अधिक के जेवर या बुलियन खरीदने के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह जेवर और बुलियन की खरीद में काले धन के निवेश को रोकने के लिए किया गया है।

(ङ) विभाग द्वारा सोने और चांदी में किए गए गुप्त निवेश पर कर लगाने और उस कर को वसूलने के लिए कदम उठाए जाते हैं। तथापि, इस संबंध में केन्द्रीय तौर पर मंत्रालय में कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते।

[अनुवाद]

सीजीएचएस औषधियों की बाजार में बिक्री

2196. श्री नवजोत सिंह सिद्धूः
प्रो. रंजन प्रसाद यादवः
डॉ. मन्दा जगन्नाथः
श्रीमती तबस्सुम हसनः
श्री पशुपति नाथ सिंहः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले उपकरण/औषधियों पूरे देश में खुले बाजार में बेची जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जानकारी में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान खुले बाजार में सीजीएचएस औषधियां बेचने के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इससे राजकोष को कुल कितनी हानि हुई और सरकार ने दोषी पाए गए व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) सरकार ने भविष्य में ऐसे कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं/कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने विगत तीन वर्षों के दौरान चुराई गई सीजीएचएस औषधों को खुले बाजार में बेचने के आरोपों की जांच करने के लिए सीजीएचएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है जैसा कि नीचे दिया गया है:

2009: श्री रेवती प्रसाद शर्मा, फार्मासिस्ट/स्टोरकीपर, विवेक विहार औषधालय और श्री मिथुन त्यागी, कंप्यूटर आपरेटर, यमुना विहार वेलनेस सेंटर।

2010: शून्य

2011: नानकपुरा/तिलक नगर स्थित सीजीएचएस औषधालयों के निम्नलिखित पांच अधिकारी: सर्वश्री अत्तर सिंह मस्तवाल, फार्मासिस्ट/स्टोरकीपर, रविन्द्र कुमार, फार्मासिस्ट, कृष्ण कुमार, फार्मासिस्ट, सुनील कुमार, फार्मासिस्ट और बच्चा सिंह, ड्रेसर।

(घ) अभी तक हुई हानियों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया है। जबकि श्री मिथुन त्यागी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, अन्य सभी अधिकारियों की सेवाएं निलंबित की गई हैं। उनके मामले वर्तमान में निर्णयाधीन हैं।

(ङ) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औषध के स्टॉकों के बार-बार आकस्मिक निरीक्षण, किसी बाह्य दल द्वारा वर्ष में स्टॉकों का प्रत्यक्ष सत्यापन, सतत सतर्कता के बारे में वेलनेस केन्द्रों के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सुग्राही बनाना, और अवितरित पड़े हुए सीजीएचएव प्लास्टिक कार्डों की पूर्ण जांच करना जैसे उपाय शुरू किए गए हैं।

[हिन्दी]

नवजात शिशुओं का टीकाकरण

2197. कुमारी मीनाक्षी नटराजनः
श्रीमती सुमित्रा महाजनः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अस्पतालों में टीकाकरण के अतिरिक्त दूरदराज के क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एस.) के अंतर्गत प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के माध्यम से सभी नवजात शिशुओं का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के पहले वर्ष में देश और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में कवर किए गए जिलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) आशा कार्यकर्ताओं के कर्त्तव्यों का ब्यौरा क्या है और इन कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उनके लिए कितना पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है; और

(ङ) उक्त योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है और उक्त योजना हेतु विशेष रूप से मध्य प्रदेश के लिए किए गए प्रावधानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत, प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य

कार्यकर्ता (आशा) अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिरक्षण सत्र के दौरान प्रतिरक्षण सेवाओं के लिए बच्चों को जुटाने में लगी हुई हैं।

(ग) यह पूरे देश में लागू हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों को शामिल किया गया है।

(घ) आशा को हर प्रतिरक्षण के हिसाब से 150 रुपये का भुगतान किया जाता है। उनका मुख्य दायित्व टीकाकरण के लिए रह रहे बच्चों को जुटाना है।

(ङ) वर्ष 2011-12 में आशा के माध्यम से बच्चों को जुटाने के लिए प्रतिरक्षण संघटक में किए गए प्रावधान का मध्य प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

विवरण

2011-12 में आशा के माध्यम से बच्चों को जुटाने के लिए प्रतिरक्षण संघटक में किए गए राज्यवार प्रावधान का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आशा के माध्यम से बच्चों का जुटाव (लाख रुपये में)
1	2
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	0.40
आंध्र प्रदेश	1272.60
अरुणाचल प्रदेश	15.52
असम	505.89
बिहार	211.20
चंडीगढ़	7.50
छत्तीसगढ़	200.00
दादरा और नगर हवेली	2.70
दमण और द्वीव	0.00
दिल्ली	8.00
गोआ	0.00
गुजरात	551.22
हरियाणा	177.48
हिमाचल प्रदेश	105.00
जम्मू और कश्मीर	60.00
झारखंड	738.00
कर्नाटक	250.00
केरल	37.20
लक्षद्वीप	0.50
मध्य प्रदेश	900.00
महाराष्ट्र	854.72
मणिपुर	21.83
मेघालय	88.09
मिजोरम	15.48
नागालैण्ड	23.80
उड़ीसा	546.26
पुदुच्चेरी	0.00
पंजाब	255.42
राजस्थान	620.00
सिक्किम	10.49
तमिलनाडु	6.00
त्रिपुरा	41.13
उत्तर प्रदेश	2858.58
उत्तराखंड	116.42
प. बंगाल	901.44

[अनुवाद]

करेंसी नोटों में सुरक्षा विशेषताएं

2198. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:
श्री कमल किशोर 'कमांडो':

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मौजूदा भारतीय बैंक/करेंसी नोटों में निहित सुरक्षा विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जाली करेंसी के खतरे पर रोक लगाने के लिए मंत्रालय सभी मूल्यवर्ग के भारतीय बैंक/करेंसी नोटों में सुरक्षा विशेषताएं शामिल करने जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कब तक प्रचलन में आ जाएगा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) विद्यमान भारतीय बैंक/करेंसी नोटों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं का ब्यौरा निम्नलिखित हैं

1. जल-चिह्न
2. गुप्त छवि
3. उत्कीर्ण मुद्रण
4. प्रदीप्त संख्या पैनल
5. पारदर्शी सूचक
6. सुरक्षा संबंधी धागा
7. सूक्ष्म अक्षर (आवर्धक लैंसों के जरिए देखे जाने वाले)
8. तंतु (यूवी के जरिए दृष्टिगोचर)
9. प्रकाश द्वारा परिवर्ती स्याही
10. एम-विशेषता (केवल भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध विशेष संवेदक के जरिए)

(ख) और (ग) जी, हां। करेंसी नोटों में मुख्य सुरक्षा संबंधी विशेषताओं की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है, जिसे समय-समय पर सभी हितधारकों के परामर्श से संपन्न किया जाता है।

[हिन्दी]

सीजीएचएस औषधालयों में औषधियों का अभाव

2199. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के औषधालयों में औषधियों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आज तक सीजीएचएस के लाभार्थियों के लिए औषधियों की खरीद और आपूर्ति में अनियमितताओं संबंधी कई रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या सीजीएचएस लाभार्थियों को विशेषज्ञ व डाक्टरों द्वारा इंडेंट की गई औषधियां इंडेंट किए जाने की तिथि से कई दिनों के पश्चात् प्राप्त होती है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी नहीं, विगत दो वर्षों में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(च) से (ज) जी नहीं। औषधियों का ऑनलाइन इंडेंट शुरू किए जाने के पश्चात् औषधियां लगभग सभी मामलों में अगले ही दिन उपलब्ध करा दी जाती है।

[अनुवाद]

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण

2200. श्री पी. लिंगम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जिला और ब्लाक स्तरों पर कुल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और मातृ दर में कमी का पता लगाने को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों, स्थानीय निकायों आदि को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विशेषरूप से दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों में जिला स्तर पर निगरानी तंत्र की स्थापना करने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की निधियन सहायता से वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण आरंभ किया है। इस सर्वेक्षण को संचालित करने के लिए नोडल एजेंसी भारत के महा-पंजीयक (आर.जी.आई.) हैं तथा इसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और असम आदि राज्यों को शामिल किया गया है। इस सर्वेक्षण में इन राज्यों के लगभग 284 जिलों के लिए वार्षिक आधार पर, जिला-स्तर पर कुल जननक्षमता (टी.एफ.आर.), शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) तथा क्षेत्रीय स्तर पर मातृ मृत्यु अनुपात (एम.एम.आर.) की दरों का अनुमान लगाते हुए, विभिन्न स्वास्थ्य संकतकों के बारे में डाटा उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ग) और (घ) सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की मानीटरिंग तथा क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित विभिन्न तंत्र स्थापित किए हैं:

* ऑनलाइन स्वास्थ्य प्रबंधक सूचना प्रणाली (एच.एम. आई.एस.) के माध्यम से मानीटरिंग।
* राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की निष्पादन संबंधी तिमाही मानीटरिंग रिपोर्टें।
* क्षेत्रीय मूल्यांकन दलों द्वारा मानीटरिंग।
* निधियों का उपयोग किए जाने संबंधी तिमाही मानीटरिंग रिपोर्टें।
* वित्तीय मानीटरिंग ग्रुप (एम.एम.जी.) द्वारा आवधिक दौरे।
* वार्षिक सामान्य पुनरीक्षा मिशन।
* संयुक्त पुनरीक्षा मिशन।

एल.आई.सी. की बाजार हिस्सेदारी

2201. **श्री निशिकांत दुबे:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) की वर्ष 2009-10 और 2010-11 हेतु बीमा उद्योग में वर्ष-वार बाजार हिस्सेदारी कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान एल.आई.सी. की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) बीमा उद्योग में भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) का बाजार हिस्सा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए निम्नानुसार है:

वर्ष	बाजार हिस्सा (%)	
	प्रथम वर्ष प्रीमियम	पॉलिसियां
2009-10	64.86	73.02
2010-11	68.70	76.92

(ख) से (घ) जी, हां। एल.आई.सी. के बाजार हिस्से में विगत दो वर्षों से लगातार वृद्धि हो रही है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य पर मोबाइल विकिरण का प्रतिकूल प्रभाव

2202. **श्री हर्षवर्धन:**
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्रीमती अन्नू टन्डन:
श्री उदय सिंह:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री नवीन जिन्दल:
श्री एम.बी. राजेश:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के हाल के एक अध्ययन सहित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा संचालित विभिन्न अध्ययनों को संज्ञान में लिया है जिनमें मोबाइल फोनों और

टावरों से निकलने वाले विकिरण से कैंसर और अन्य बीमारियों के होने की संभावना की चेतावनी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे संबंधित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा मोबाइल फोनों और टावरों से निकलने वाले विकिरण के मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है/करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो संचालित किए गए/संचालित किए जा रहे प्रस्तावित अध्ययनों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जी, हां। अंतरर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (आई.ए.आर.सी.) जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) का एक भाग है, ने दिनांक 31.05.2011 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति में वायरलेन फोन के प्रयोग से संबद्ध एक घातक किस्म के मस्तिष्क कैंसर ग्लाइओमा के बढ़ते खतरे के आधार पर, रेडियोफ्रीक्वेंसी इलैक्ट्रोमेग्नेटिक क्षेत्रों को मानवों (समूह 2 बी) के लिए संभावित कैंसरजनित के रूप में वर्गीकृत किया है।

तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि यह आकलन करने कि क्या मोबाइल फोनों से स्वास्थ्य को संभावित खतरा हो सकता है, के लिए पिछले दो दशकों से बड़ी संख्या में अध्ययन किए गए हैं। आज की तारीख तक मोबाइल फोन प्रयोग किए जाने के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों की पुष्टि नहीं हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन रेडियोफ्रीक्वेंसी क्षेत्रों से अध्ययन किए गए स्वास्थ्य संबंधी सभी अध्ययनों के निष्कर्षों का 2012 तक औपचारिक जोखिम आकलन करेगा।

(ग) और (घ) सैल फोनों के प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन करने के लिए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) ने दिल्ली में इस बात की जांच करने के लिए एक अध्ययन करना शुरू किया है कि क्या सैल फोनों के प्रयोग से तंत्रिका विज्ञानी, कार्डियोलाजीकल संबंधी कैंसर, ई.एन.टी. तथा प्रजनन विकार पैदा होते हैं। इस अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सैल फोनों तथा सैल फोन टावरों से निकलने वाली आर.एफ.आर. की फ्रीक्वेंसी, विद्युत सघनता वेवलैंथ तथा विशेष अवशोषण दर को मापने के लिए भी उपाय किए जाएंगे।

उपरोक्त के अलावा, इस बारे में किए गए कुछ अध्ययन निम्नलिखित हैं:

(i) जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में पुरुष प्रजननता पर आर.एफ.आर. (रेडियोफ्रीक्वेंसी रेडिएशन) के प्रभाव का पता लगाने के लिए आई.सी.एम.आर. द्वारा अनुसमर्थित पशु अध्ययन (2005-08) में सुझाव दिया गया कि नपुंसकता बढ़ने के लिए मोबाइल विकिरण एक्सपोजर के कारण शुक्राणुओं की मात्रा में कमी होना तथा अपोप्टोसिस में बढ़ोतरी होना भी इसका कारण हो सकता है।

(ii) पी.जी.आई.एम.ई.आर. (पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फार मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ (2010) द्वारा किए गए एक अध्ययन में सूचित किया गया कि दीर्घावधिक तथा गहन मोबाइल प्रयोग के कारण कान को आंतरिक नुकसान हो सकता है।

(iii) मानव आनुवांशिक विभाग, गुरूनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर (2007) द्वारा किए गए अध्ययनों में से एक अध्ययन में मोबाइल फोन के प्रयोग और डी.एन.ए. के बीच सह-सम्बद्धता पाई गई तथा मोबाईल फोन प्रयोग करने वाले अलग-अलग व्यक्तियों के लिम्फोसाईटिस में क्रोमोसोमल हानि होना पाया गया जिसके कारण लम्बे समय तक न्योप्लासिया तथा/अथवा आयु से सम्बद्ध परिवर्तन हो सकते हैं। अन्य अध्ययन (2005) ने लम्बे समय से सैल फोन प्रयोग करने वाले अलग-अलग कुछ व्यक्तियों के ऊतकों (टिश्यू) में साइटोजेनेटिक हानि होने के बारे में सूचित किया।

(iv) अन्य अध्ययन (2010) में विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की अपेक्षा पुरुष अध्ययनों से प्रदर्शित एक्यूट आर.एफ.आर. में पीक हार्ट रेट, सेरम टोटल कोलेस्टरोल, वी.एल.डी.एल., कोलेस्टरोल तथा ट्रिग्लाईसेरिड्स कन्सेंट्रेशन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखी गई।

(v) पशु अध्ययन (2011) द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य से पता चला कि कम सघनता के माइक्रोवेव विकिरण के लगातार एक्सपोजर से एल्टरिंग सिरकेडियन सिस्टम और डी.एन.ए. हानि की दर द्वारा मस्तिष्क के काम करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(ङ) इस बारे में विभिन्न उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है:

(i) मोबाइल हैंडसेटों का विनिर्माण करने वाले स्वदेशी विनिर्माताओं को आई.सी.एम.आई.आर.पी. (इन्टरनेशनल कमीशन आन नान-आइओनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन) दिशानिर्देशों का अनुपालन करने और स्वयं-प्रमाणपत्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं;

(ii) मोबाइल हैंडसेट विनिर्माताओं को स्वयं के उत्पाद पर रेडिएशन का स्तर सूचित करने और मोबाइल फोन रेडिएशन तथा एक्सपोजर के संभावित खतरे के बारे में स्पष्ट रूप से बताने के अनुदेश दिए गए हैं;

(iii) स्वदेशी तथा आयातित मोबाइल फोन को विनियमित करने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो (बी.एस.आई.) से बी.आई.एस. अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सभी मोबाइल फोनों के लिए मानक तैयार करने का अनुरोध किया गया है;

(iv) मीडिया रिपोर्टों तथा जनता की चिन्ताओं के आधार पर दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) ने 24-8-2010 को एक समिति का गठन किया है जिसमें दूरसंचार विभाग, आई.सी.एम.आर. पर्यावरण तथा वन मंत्रालय तथा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे जो मोबाइल टावरों और मोबाइल फोनों से निकलने वाले विकिरण के प्रभाव पर विभिन्न अध्ययनों की जांच करेगी। समिति को अभी तक प्राप्त रिपोर्ट स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियों के लिए दूरसंचार विभाग की वेबसाईट पर डाल दी गई है। सरकार द्वारा इस मामले पर उचित कार्रवाई करने के लिए समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण

2203. श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए कुल ऋण का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कुल ऋण में से अल्पसंख्यक समुदाय, किसानों और लघु उद्योगों के लिए स्वीकृत ऋण का पृथक-पृथक प्रतिशत क्या है;

(ग) सरकार के अनुदेशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभिन्न वर्गों को कुल ऋण में से वितरित किए जाने वाले ऋण के प्रतिशत का वर्ग-वार विशेषरूप से अल्पसंख्यक, किसानों और लघु उद्योगों (एम.एस.आई.) का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा ऐसे चूककर्ता बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/प्रस्तावित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) मार्च, 2011 और जून 2011 को समाप्त माह की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए सकल अग्रिम और सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को दिए गए ऋण की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

मार्च 2010 तथा मार्च, 2011 को समाप्त हो रहे वर्ष के दौरान कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों में से अल्पसंख्यक समुदायों को संस्वीकृत ऋण का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

समाप्त वर्ष	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (पी.एस.) (ख)	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों का हिस्सा (सभी जिलों में) राशि (क)	पी.एस. को प्रतिशत हिस्सा (क/ख)	121 चिन्हित जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण की राशि
मार्च 2010	863777	111327	12.88	35645
मार्च 2011	1022925	143514	14.03	44465

स्रोत: सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार के बैंकों के लिए पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार समायोजित निवल बैंक ऋण (ए.एन.बी.सी.) का 40% का अथवा तुलन-पत्र बाह्य निवेश (ओ.बी.ई.) के समकक्ष राशि का ऋण, जो भी अधिक हो, संबंधी अनिवार्य लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत, पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, क्रमशः कृषि तथा कमजोर वर्गों को उधार देने के लिए ए.एन.बी.सी. के 18 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत अथवा ओ.बी.ई. की ऋण समतुल्य राशि जो भी उच्च हो, का लक्ष्य अनिवार्य बनाया गया है। सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत दिया गया ऋण, जिसका लक्ष्य ए.एन.बी.सी. अथवा सी.ई. अथवा ओ.बी.ई. का 10% हो, जो भी अधिक हो, कमजोर वर्गों को उधार के तहत माना जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए गए अग्रिमों को ए.एन.बी.सी. के 40% के समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र लक्ष्य अथवा ओ.बी.ई. की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, के तहत कार्यनिष्पादन की गणना करने के लिए हिसाब में लिया जाता है। इसके अलावा, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि;

(i) कुल एम.एस.ई. अग्रिमों का 40 प्रतिशत भाग प्लांट और मशीनरी में 5 लाख रुपये तक निवेश करने वाले सूक्ष्म (विनिर्माण) उद्यमों तथा उपकरणों में 2 लाख रुपये तक का निवेश करने वाले सूक्ष्म (सेवा) उद्यमों को मिलना चाहिए;

(ii) कुल एम.एस.ई. अग्रिमों का 20 प्रतिशत भाग प्लांट और मशीनरी में 5 लाख रुपये से अधिक का निवेश करने वाले सूक्ष्म (विनिर्माण) उद्यमों तथा उपकरण में 2 लाख रुपये से अधिक का निवेश करने वाले सूक्ष्म (सेवा) उद्यमों को मिलना चाहिए। (इस प्रकार, सूक्ष्म और लघु उद्यम अग्रिमों का 60 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यमों को मिलना चाहिए।)

(घ) और (ङ) कुछ बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के तहत विनिर्दिष्ट लक्ष्य/उप-लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सूचित अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2011 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के 26 बैंकों में से 7 बैंक 40% का समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे तथा 17 सरकारी क्षेत्र बैंक कृषि क्षेत्र को उधार का उप-लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे।

(च) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहने वाले सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे राशि को और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई अन्य राशि को और आर.बी.आई. द्वारा उनको आबंटित की गई ऐसी किसी भी राशि को, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) में जमा कराएं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण

(करोड़ रुपये में)

बैंक का नाम	मार्च-11			जून-11		
	कुल सकल अग्रिम	कृषि क्षेत्र को ऋण	एमएसई को ऋण	कुल सकल अग्रिम	कृषि क्षेत्र को ऋण	एमएसई को ऋण
1	2	3	4	5	6	7
इलाहाबाद बैंक	91585	13387	11980	94535	13679	12620
आन्ध्रा बैंक	72154	10369	7112	75712	10469	7560
बैंक ऑफ बड़ौदा	171801	22510	22275	171047	20337	22407
बैंक ऑफ इंडिया	165147	22069	31297	161124	22191	30208

1	2	3	4	5	6	7
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	47487	4691	7037	47082	4969	7030
केनरा बैंक	202724	29656	29558	204283	30463	28656
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	131390	20111	12417	126035	19699	11822
कारपोरेशन बैंक	87213	5513	10707	79309	5961	11027
देना बैंक	45163	6389	6194	42871	6094	5795
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	155996	15523	11362	153076	11968	11224
इंडियन बैंक	72587	11048	7724	79143	11640	9634
इंडियन ओवरसीज बैंक	103087	16056	0	106696	16872	9633
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	96839	12367	9569	98216	13240	15709
पंजाब एंड सिंध बैंक	42833	5993	5094	43175	5750	5423
पंजाब नेशनल बैंक	243999	35315	28932	245245	33987	30045
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	41744	7315	4878	41922	7066	5143
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	65423	10675	7186	66235	11504	6248
भारतीय स्टेट बैंक	662444	94826	76494	662734	94826	76494
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	34426	5378	3658	34105	4807	3360
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	52331	6827	5720	50951	6225	4917
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	46471	5580	1809	47515	5566	1886
सिंडीकेट बैंक	97535	14746	3950	98764	15242	3639
यूको बैंक	93246	11643	11973	88764	10405	10924
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	153022	20681	16233	1 38858	19553	15638
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	53934	5708	7001	53106	5635	6933
विजया बैंक	49222	4969	5812	51133	5541	6162
कुल	3079803	419345	345972	3061636	413689	360137

स्रोतः आफ साइट विवरणियां: जून, 2011 के आंकड़े अनंतिम है।

[हिन्दी]

सी.जी.एच.एस. औषधि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा हड़ताल

2204. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) को औषधियों के आपूर्तिकर्ताओं के बकाए का समय पर भुगतान न किए जाने के कारण बार-बार हड़ताल पर चले जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान सरकार द्वारा इस शीर्ष के अंतर्गत आवंटित निधियों का राज्य-वार/संघराज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) हाल के समय में ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

सी.जी.एच.एस. के संबंध में दवाओं के लिए बजट का आवंटन/चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (एमआरसी) को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए हजार में)

क्र.सं.	सीजीएचएस	2008-09		2009-10		2010-11	
		एम एंड एस*	पीओआरबी**	एम एंड एस*	पीओआरबी**	एमएंडएस*	पीओआरबी**
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अहमदाबाद	18700	30000	22700	45600	28000	55000
2.	इलाहाबाद	37000	50200	33760	110600	36700	83200
3.	बंगलौर	50000	93000	89700	108000	98000	140900
4.	चेन्नई	33600	143200र	73600	165000	70300	162900
5.	दिल्ली	1564800	2626900	1554320	3430460	1852590	3650000
6.	हैदराबाद	100000	345000	99300	387400	98000	368200
7.	जयपुर	20000	70000	35400	102200	25000	94000
8.	कानपुर	57000	120000	66200	270000	68600	293800
9.	कोलकाता	68000	150000	100000	250000	146500	297800
10.	लखनऊ	29750	41500	49500	80000	65300	90600
11.	मेरठ	35000	67600	46700	87500	53000	87800
12.	मुंबई	82000	165900	87800	202300	129400	217000
13.	नागपुर	40000	77600	52030	178970	61200	143200

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	पटना	25000	47500	35500	45000	36400	71600
15.	पुणे	24700	135100	21200	250000	29400	270500
16.	भुवनेश्वर	9200	8900	9500	14200	12800	16800
17.	रांची	7000	9100	7000	15200	10500	15700
18.	भोपाल	6000	13900	7900	54540	4600	36800
19.	चंडीगढ़	20500	35800	21000	75000	18000	72500
20.	देहरादून	3150	14600	4500	32100	5000	46100
21.	जबलपुर	23500	91300	35000	180000	27100	170000
22.	त्रिवेन्द्रम	18300	48500	15870	82730	26140	78300
23.	गुवाहाटी	13000	13100	20040	11700	36000	19300
24.	शिलांग	1500	1300	1000	2500	4900	4000
कुल (रुपए हजार में)		2287700	4400000	2489520	6181000	2943430	6486000

*एम एंड एस: सामग्री एवं आपूर्ति-दवाओं के प्रापण के लिए अभिप्रेत

**पी ओ आर बी: दवाओं सहित पेंशनभोगियों के चिकित्सीय प्रतिपूर्ति दावे (एम आर सी)

सीमा पार धन अंतरण

2205. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री एस. अलागिरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मौजूदा सीमा पार धन अंतरण प्रणाली का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक ऐसी प्रणाली में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की क्या भूमिका है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले में बैंकों की गतिविधियों को विनियमित करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारत में सीमापार जावक एवं आवक धन-प्रेषण बैंकिंग 'चैनल' और डाक 'चैनल' के माध्यम से भेजे जा सकते हैं जिसके लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I (ए.डी. श्रेणी-I) बैंकों और डाक विभाग, भारत सरकार को सामान्य अनुमति दी गई है। इन दो चैनलों के अतिरिक्त सीमापार आवक धन-प्रेषण फेमा, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के पूर्व अनुमोदन से भारत में ए.डी. श्रेणी-I बैंकों द्वारा खाड़ी देशों, हांगकांग और सिंगापुर के विनिमय प्रतिष्ठानों के साथ की गई रुपया आहरण व्यवस्थाओं (आर.डी.ए.) के माध्यम से और भारतीय एजेंटों, जो ए.डी. श्रेणी-I बैंक, ए.डी. श्रेणी-II और सम्पूर्ण रूप में मुद्रा परिवर्तक होते हैं, के द्वारा धन अंतरण सेवा स्कीम (एम.टी.एस.एस.) के अंतर्गत विदेश स्थित धन अंतरण आपरेटरों के साथ की गई व्यवस्थाओं के माध्यम से किए जाते हैं।

(ख) से (घ) आर.बी.आई. ने दिनांक 13.04.2007 के अपने परिपत्र के जरिए बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी थी

कि सभी सीमापार वायर अंतरणों के साथ सही एवं अर्थपूर्ण आरंभक सूचना अवश्य संलग्न होनी चाहिए। सीमापार वायर अंतरणों से सहवर्ती सूचना में आरंभक का नाम और पता तथा जहां खाता विद्यमान हो वहां उस खाते की संख्या अवश्य होनी चाहिए। खाता न होने पर एक विशिष्ट संदर्भ संख्या, जैसा कि संबंधित देश में प्रचलित हो, अवश्य शामिल की जानी चाहिए। जहां एक एकल आरंभक से कई व्यक्तिपरक अंतरणों को दूसरे देश में लाभार्थियों को पारेषित करने के लिए बैच फाइल में बंडल बनाकर भेजा गया हो वहां उन्हें आरंभक की पूर्ण सूचना देने से छूट दी जा सकती है बशर्ते की वे आरंभक की खाता संख्या या विशिष्ट संदर्भ संख्या को सम्मिलित करें।

आई.बी.एम. द्वारा खानों का निरीक्षण

2206. श्री यशवंत लागुरी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) विनियामक कार्य करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ब्यूरो द्वारा किए गए ऐसे विनियामक कार्यों का ब्यौरा क्या है और उन खानों के नाम क्या हो जिनमें विनियामक कार्य किए गए हों;

(ग) उन फर्मों/कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने विनियामक ढांचे के तहत निर्धारित निबंधनों और शर्तों का पालन नहीं किया है और उन निबंधनों और शर्तों का ब्यौरा क्या है जिनका उल्लंघन किया गया है; और

(घ) सरकार ने ऐसी फर्मों/कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) जी, हां। भारतीय खान ब्यूरो, खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 के अनुसार विनियामककारी कार्य करता है, जिसमें खनन योजना/स्कीम का अनुमोदन, भराई संबंधी अनुमति का अनुमोदन, खानों का निरीक्षण क्रमिक रूप से खान बंदी योजना (पी.एम.सी.पी.) और अंतिम खान बंदी योजना (एफ.एम.सी.पी.) का अनुमोदन, मान्यता-प्राप्त अर्हता प्राप्त व्यक्ति का पंजीकरण (आर.क्यू.पी.), टोही परमिट (आर.पी.) और पूर्वेक्षण लाइसेंस (पी.एल.) की स्कीमों की जांच शामिल है। पिछले तीन वर्षों में किए गए विनियामककारी कार्य के ब्यौरे, खानों के निरीक्षण के ब्यौरे, उन खानों की कुल संख्या, जिन्होंने एम.सी.डी.आर., 1988 का अनुपालन नहीं किया है, और आई.बी.एम. द्वारा की गई कार्रवाई संलग्न विवरण-I और संलग्न विवरण-II में दी गई है। निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघन मुख्यत: अनुमोदित खनन योजना से हटने और खनन की अनुमोदित योजना के बिना खनिज खनन से संबंधित हैं। ऐसे मामलों में खान मालिकों के उल्लंघनों के स्वरूप का उल्लेख करते हुए उसमें सुधार करने की सलाह देते हुए उल्लंघन पत्र जारी किए जाते हैं। उल्लंघन का सुधार न किए जाने की दिशा में कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। नियम के लगातार अपालन के लिए चूककर्ता खान मालिकों के विरुद्ध अभियोजन मामले शुरू किए जाते हैं और उल्लंघन के पुराने मामलों में आई.बी.एम. खनन प्रचालनों को निलम्बित कर देता है। उन खानों, जिनमें विनियामककारी कार्य किया गया है, और उन खानों के नाम, जिन्होंने एम.सी.डी.आर., 1988 का अनुपालन नहीं किया है के ब्यौरे आई.बी.एम. की वेबसाइट (http://ibm.nic.in) पर उपलब्ध है, इसलिए इन्हें यहां दोहराया नहीं जा रहा है क्योंकि ये बड़ी मात्रा में हैं।

[अनुवाद]

लघु अवधि सहकारी ऋण ढांचा

2207. श्री संजय निरूपम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसाइटियों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले पैकेज के अंतर्गत लघु अवधि सहकारी ऋण ढांचा (एस.टी.सी.सी.एस.) वित्तीय सहायता के पुनर्गठन हेतु वैद्यनाथन पैकेज के अंतर्गत निधियां जारी करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अनुरोध की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/कदम प्रस्तावित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) प्रो. वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने अल्पावधिक सहकारी ऋण संरचना (एस.टी.सी.सी.एस.) के लिए पुनरुज्जीवन पैकेज तैयार किया है। इस पुनरुज्जीवन पैकेज के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) मुख्य क्रियान्वयनकर्ता एजेंसी है। नाबार्ड को महाराष्ट्र स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय से महाराष्ट्र राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को निधियां जारी करने से संबंधित दावे प्राप्त हुए हैं। नाबार्ड को प्राप्त दावों तथा रिलीज की गई राशि का ब्यौरा और संगत टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए)

दावों की संख्या	दावा प्राप्त होने की तारीख	पी.ए.सी.एस. की संख्या	कुल दावे	रिलीज की गई राशि तारीख	राशि	टिप्पणियां
1 से 10	04 जनवरी, 2008 से 27 अगस्त 2009 के बीच विभिन्न तारीखों पर	15302	1418.46	2 अप्रैल 2008 से 12 जनवरी 2011 के बीच विभिन्न तारीखों पर	1414.64	अतिरिक्त दावे घटाए गए तथा उपयुक्त राशि जारी की गई
11	26.08.2009	4202	789.29	-	-	राज्य सरकार द्वारा पूरे न किए गए पुनरुज्जीवन पैकेज में यथाविनिर्दिष्ट बेंचमार्क कार्यकलाप (राज्य सरकार द्वारा एस.सी.बी./सी.सी.बी. को प्रतिबद्ध देयता जारी करना)
12	26.08.2009	928	137.13	-	-	उक्त
13	24.03.2011	23	3.82	-	-	उक्त
	सकल योग	20455	2348.70		1414.64	

अस्पतालों में हड़ताल

2208. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सहित देश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की घटनाओं में वृद्धि हो रही है जिससे इन अस्पतालों पर पूर्णतः निर्भर असहाय निर्धन रोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो अस्पताल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में केन्द्र सरकार के अस्पतालों में निर्बाध स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/कार्यवाही प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) स्वास्थ्य के राज्य का विषय होने के नाते, ऐसी जानकारी का केन्द्र द्वारा रख-रखाव नहीं किया जाता है।

जहां तक केन्द्र सरकार के दिल्ली के अस्पतालों यथा डा. आर. एम.एल. अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल एवं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं इसके सम्बद्ध अस्पतालों का संबंध है, इन अस्पतालों में विगत समय में स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा कोई प्रमुख हड़ताल नहीं हुई है जिसके चलते निर्धन रोगियों को कोई परेशानी हुई हो।

केन्द्र सरकार के उपर्युक्त तीनों अस्पतालों ने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाने, पेशेवर सुरक्षा प्रबंधक इत्यादि को रखे जाने सरीखे कई उपाय अपनाए हैं ताकि निर्बाध स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित किया जा सके।

धन शोधन

2209. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:
श्री उमा शंकर सिंह:
श्री ए. सम्पत:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में धन शोधन संबंधित गतिविधियों में वृद्धि हो रही है और सरकार ने धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण के बीच के संबंध को ध्यान में लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण के विरुद्ध क्या उपाय किए हैं;

(घ) क्या सरकार धन शोधन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन करने और प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत रियल एस्टेट लेन-देन को लाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत रजिस्टर धन शोधन निवारण मामलों की संख्या संबंधित एजेन्सियों द्वारा रजिस्टर अनुसूचित अपराधों और सूचना के आधार पर 31-3-2010 में 1014 मामले थे जो बढ़कर 31-3-2011 को 1269 हुए हैं। 31-3-2011 को रजिस्टर हुए 1269 मामलों में से, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अनुसूचित अपराधों के 11 मामले हैं जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धनशोधन के संभावित अपराध की जांच करने हेतु रजिस्टर किया गया है।

(ग) सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रक्रिया के अनुसार धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण को नियंत्रित करने के लिए व्यापक उपाय किए हैं। इन उपायों में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन, विनियामक और कानून प्रवर्तन/आसूचना सिस्टम को सुदृढ़ करना और विनियमित संस्थाओं द्वारा अनुपालना को बेहतर बनाना शामिल हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी में आतंक वित्त पोषण और जाली मुद्रा सैल नामक एक अलग विशेष सैल, आतंक वित्त पोषण के मामलों की जांच करने के लिए बनाई गई है। धन शोधन के मामलों की जांच करने संबंधी प्रवर्तन निदेशालय की स्वीकृत संख्या में यथेष्ट वृद्धि की गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारत, वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफ.ए.टी.एफ.) धनशोधन संबंधी एशिया/प्रशान्त समूह (ए.पी.जी.), धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण का सामना करने संबंधी यूरेशियन समूह (ई.ए.जी.) और वित्तीय आसूचना यूनिटों के एगमोन्ट समूह का सदस्य है। इन संगठनों में सदस्यता, धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण का सामना करने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को सुकर बनाती है।

(च) और (छ) जी हां, सरकार धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधनों को प्रस्तावित कर रही है। प्रस्तावित संशोधन मसौदा स्तर पर हैं और इन्हें अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विदेशों में खानों का अधिग्रहण

2210. श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में खनिजों की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर विदेशों में खानें खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनमें खनिज संपदा में भारत की हिस्सेदारी है; और

(घ) देश में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्ययोजना प्रस्तावित है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में धातुजनिक ग्रेड कोयला और तापीय कोयला की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, विदेशों से धात्विक एवं कोयला आस्तियों के अधिग्रहण के लिए सेल (एस.एस.आई.एल.), कोल इंडिया लि., आर.आई.एन.एल., एन.एम.डी.सी. और एन.टी.पी.सी. लि. द्वारा 3500 करोड़ रुपए की सीमा तक इक्विटी भागीदारी के साथ इन्टरनेशनल कोल वेंचर लि. (आई.सी.बी.एल.), एक विशेष प्रयोजन साधन की स्थापना की गई है। आई.सी.वी.एल. एक नवरत्न कम्पनी जैसे कार्य करेगी (इसके पास 1500 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले प्रस्तावों को स्वीकृत करने की शक्तियां होंगी)। आई.सी.वी.एल. को इक्विटी खरीद, आस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया, मोजाम्बिक, रूस और यू.एस.ए. में

मौजूदा खानों अथवा ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के माध्यम से कोयला आस्तियों के अधिग्रहण पर निवेश बैंकरों के पैनल से सहायता प्राप्त है। 25 जनवरी, 2011 को आई.सी.वी.एल. और कालीमेनटेन, इंडोनेशिया के प्रांतीय गवर्नर के बीच एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें आई.सी.वी.एल. के लिए प्रांत में खनिज संसाधनों के प्रत्यक्ष आवंटन की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) हालांकि उन देशों के नाम जिनमें भारत की खनिज सम्पदा में हिस्सेदारी है, अलग से नहीं बताए गए हैं क्योंकि कच्ची सामग्री की आस्तियों का अधिग्रहण मुख्यत: घरेलू उद्योग की जरूरतों, जैसाकि समय-समय पर पैदा होती हैं, द्वारा चालित होता है, फिर भी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, उत्तरी अमरीका, रूस और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में आस्तियों के अधिग्रहण में भारतीय कम्पनियों द्वारा दिलचस्पी दिखाई गई है।

बी.पी.एल. परिवारों के लिए बीमा योजना

2211. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए कोई नई बीमा योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) हाल ही में सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के लिए कोई नई योजना तैयार नहीं की है। हालांकि, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन घर-परिवार/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:

(i) आम आदमी बीमा योजना (ए.ए.बी.वाई.)

(ii) जनश्री बीमा योजना (जे.बी.वाई.)

(iii) सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यू.एच.आई.एस.)

(iv) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.)

(v) कपड़ा मंत्रालय की महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना

[हिन्दी]

पवन ऊर्जा उत्पादन संबंधी अध्ययन

2212. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:**
श्री पी.टी. थामस:
श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री देवजी एम. पटेल:
श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पवन ऊर्जा के उत्पादन की व्यवहार्यता संबंधी कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने पवन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में निवेश हेतु उपरोक्त राज्यों के उद्यमियों को प्रोत्साहन और राजसहायता देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट), जो इस मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है, द्वारा देश के 627 स्थलों में पवन संसाधन मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं, जिनमें गुजरात (69 स्थल), मध्य प्रदेश (37 स्थल), महाराष्ट्र (112 स्थल) और राजस्थान (36 स्थल) शामिल हैं। इन स्थलों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार द्वारा 80% त्वरित मूल्यह्रास, पवन इलैक्ट्रिक जनरेटरों के कुछ संघटकों पर रियायती आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क से छूट, पवन विद्युत परियोजनाओं से अर्जित आय पर 10 वर्षों का करावकाश जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर पवन विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट), चेन्नई द्वारा संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान करने के लिए पवन संसाधन मूल्यांकन सहित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, अधिकांश राज्यों में अधिमान्य शुल्कदर उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार द्वारा एक उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जी.बी.आई.) स्कीम भी आरंभ की गई है जिसके तहत त्वरित मूल्यह्रास का लाभ न लेने वाली परियोजनाओं को 0.50 रु./यूनिट का प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाता है।

विवरण

पवन निगरानी केन्द्रों की सूची (30.06.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	स्टेशन	मास्ट ऊंचाई (एम)	अक्षांश एन			देशान्तर			उन्नतांश	एमएडब्ल्यूएस	एमएडब्ल्यूपीडी	डब्ल्यूपीडी एक्सट्रापोला मापे गए
			डिग्री	मि.	सै.	डिग्री	मि.	सै.	(एमएएसएल)	पर 20/25/30/50 मी. (एस/सए)	पर 20/25/30/50 (डब्ल्यू/वर्गमी.)	पर 50 मी. (डब्ल्यू/वर्गमी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गुजरात												
1.	अदेसर	20	23	33	27	70	58	45	30	4.33	93	201
2.	असरापर (गिर)	20	21	10	46.9	70	25	5.2	146	5.47	147	241
3.	अमरापर (सेठ)	20	21	43	48.7	70	01	37.8	102	5.33	151	221
4.	बमनबोर 1	20	22	24	25.3	71	01	34.4	186	4.31	108	175
5.	बमनबोर 2	20	22	25	49.6	71	03	24.5	227	5.64	171	243
6.	बयाथ	20	22	56	26	69	10	17	20	5.00	118	204
7.	भंडारिया	20	22	05	21	69	40	57	97	5.42	162	208
8.	बूटावडर	20	21	56	58.6	70	12	08.3	119	4.56	98	200
9.	दहोड	20	22	50	31	74	10	35	360	4.72	108	199
10.	डांडी	20	20	53	29	72	48	31	3	4.03	72	106
11.	धंधालपुर	25	22	23		71	22		185	5.51	144	193
12.	धंक 1 1)	20	21	47	14.2	70	07	18.9	154	6.78	312	414
	धंक 2)	25								5.02	122	177
13.	धंक 2	20	21	47	24.47	70	07	2.9	187	6.97	327	367
14.	धरोबाना	25	23	56	27	69	44	51	40	4.81	124	178
15.	दुमधा	25	21	12		73	32		145	4.14	094	100
16.	गाला	20	22	14	51.6	70	06	51.2	111	5.49	175	254
17.	गोडलाधार	20	22	03	15.4	71	18	48.5	240	5.52	144	212
18.	हरिपर	20	22	15	56.5	69	38	21.5	51	5.46	160	210
19.	हर्षद	20	21	50	14.6	69	21	50.2	15	5.56	164	239
20.	जाफराबाद	20	20	53	49.87	71	23	33.09	25	4.86	137	242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	जामनवाडा	20	23	34	42	68	35	53	60	5.17	149	299
22.	जसावर	20	21	21	25.4	71	05	30.0	224	4.78	104	201
23.	कागावड	20	21	47	31	70	41	50	132	5.13	141	212
24.	कल्याणपुर	20	22	03	24.2	69	24	05.8	92	6.14	208	327
25.	केरा	20	23	03	21	69	36	51	120	5.39	135	172
26.	खम्बाडा	20	21	58	20.7	71	21	39.1	169	4.94	126	204
27.	कुकमा	20	23	10	20.78	69	46	42.32	224	5.33	150	239
28.	लाम्बा	20	21	53	25.4	69	17	28.4	8	5.56	164	232
29.	लिम्बारा	20	22	33	15.6	70	59	09.4	165	5.31	166	227
30.	महिदाद	25	22	16	49.6	71	11	31.7	326	5.97	178	231
31.	मेसारिया	20	22	28	03.8	71	05	44.2	193	5.11	124	180
32.	मोटा दादावा	20	22	00	14.7	71	00	47.4	179	4.92	113	166
33.	मोती सिंधोली	20	23	09	24	68	47	00	10	4.87	118	204
34.	मंडरा	20	22	47	29	69	43	18	02	5.42	168	303
35.	नानी कुंडल	20	21	54	38.6	71	27	03.5	166	5.74	163	278
36.	नवादरा	20	21	56	49.5	69	14	26.5	24	5.78	183	297
37.	नवी बंदर	20	21	26	53.5	69	47	19.3	12	5.42	153	213
38.	ओखा	20	22	27	26.2	69	02	29.4	3	5.39	150	260
39.	ओखामाधी	20	22	05	05.0	69	06	19.7	20	5.28	129	209
40.	पारेवाडा	25	22	20	13.2	71	0	52.23	176	4.91	122	159
41.	पोलादिया	20	23	03	30	69	13	14	138	5.72	177	278
42.	रताभी	20	22	50	58.8	70	59	22.3	88	4.86	123	212
43.	रोजमल 1	20	22	01		71	28		140	4.44	081	117
	रोजमल 2	20	22	00	46.8	71	28	38.6	137	5.12	129	200
44.	सदोदर	20	22	02	06.3	70	14	40.6	241	5.19	126	179
45.	सनोदर	20	21	33	25.6	72	06	30.9	195	6.24	197	373
46.	सपुत्रा	20	20	34	52	73	45	20	880	3.22	40	59
47.	सिनाई	20	23	02	45	70	03	44	57	5.77	183	244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48.	सिंगुरा	20	23	05	16	69	57	44	100	4.79	103	161
49.	सिवालखा	25	23	23		70	38		100	4.52	091	122
50.	सूरजबाड़ी	20	23	13	0.63	70	42	19.49	11	5.42	184	270
51.	सुवारदा	20	22	24	06.9	70	09	50.8	80	5.61	166	243
52.	टागा	20	23	49	47	69	50	58	47	4.53	99	177
53.	वध्या	45	23	13	06	70	36	04	14	576	196	203
54.	वेलन	20	20	42	53.8	70	49	66.7	6	442	100	197
55.	वेरावल	20	20	54	40.8	70	21	09.6	6	4.89	129	168
56.	वरसामेडी	20	22	58	16.1	70	33	59.5	9	5.67	192	282
57.	बडगम	50	22	20	25	72	34	33	10	5.09	188	188
58.	संसागर	50	22	41	40.8	74	10	6.9	481	6.00	207	207
59.	नवा	50	22	29	33	71	12	57	185	5.57	139	139
60.	छावरियाली	50	21	19	40.8	71	40	1.9	204	5.70	151	151
61.	वेकारिया	50	21	19	40.6	70	52	59.1	284	5.40	130	130
62.	नाना असोता	50	22	15	14.3	69	32	18.3	39	5.76	151	151
63.	लोधरानी	50	23	52	59.1	70	38	30	30	5.74	166	166
64.	लाम्बा	120	21	54	14.8	69	16	52.7	10	6.85	261	183
65.	सरवा	50	22	13	28	71	29	29.8	151			
66.	जेगावाड़ा	50	22	57	33.1	71	30	30	87			
67.	वीरेवाडी	50	22	02	14.9	71	28	2.4	162			
68.	बलावा	50	21	52	8.6	69	57	39.5	156			
69.	जिकीयाली	50	21	16	44.3	71	15	48	224			
महाराष्ट्र												
1.	आलमप्रभु पथार	25	16	45	56	74	22	26	790	5.58	164	224
2.	अलकुड	25	16	59	32.99	74	46	16.59	704	4.75	117	130
3.	अमबेड (II)@	50	17	5	51.6	73	29	28.2	231	3.70	78	78
4.	अमबेरी	25	17	35	6.78	74	17	56.56	980	6.39	237	275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	अम्बराल @	25	17	54	26.3	73	49	59.1	1302	5.11	134	175
6.	औंधेवाडी @	25	19	45	53.3	73	52	55.8	858	6.58	294	324
7.	बेडाग	25	16	48	17.7	74	45	39.6	620	4.18	83	126
8.	बेदारवाडी	20	18	56	52.92	75	32	1.10	750	4.38	86	152
9.	भुड @	25	17	20	33.5	74	42	6.8	809	5.48	160	224
10.	ब्राहमणवेल	25	21	09	24.83	74	12	19.19	596	6.42	278	324
11.	चकला	25	21	19	0.14	74	18	59.9	352	6.02	242	323
12.	चकलावाडी	20	17	37	25	73	48	41	1185	5.61	206	218
13.	देवगढ़	20	16	22	10.8	73	22	22	40	4.58	124	172
14.	ढाकले	25	19	01	10.5	73	47	12.4	880	3.91	69	115
15.	ढालगांव	20	17	08	11	74	58	51	805	5.89	216	260
16.	डांगरवाडी-II @	25	16	09		73	36		191	03.69	049	096
17.	डांगर मालेगांव	50	20	20	23.3	75	19	19.6	838	5.53	126	126
18.	डोंगरवाडी	25	16	53	58.53	74	50	18.30	830	5.94	179	284
19.	दुधा	50	20	25	29.6	76	3	21.3	718	5.57	130	130
20.	एलीफेंटा द्वीप @	25	18	57	16.3	72	56	3.1	20	4.48	120	158
21.	ग्वालवाडी	20	20	06	5.4	73	45	3.9	750	5.28	140	278
22.	गुडे पंचगनी	20	17	06	50	73	58	48	903	5.50	178	296
23.	जाम्बुलमुरे @	25	17	442	33.91	73	ट 54	15.67	1107	4.19	109	160
24.	कमरावाड	25	21	35	10.2	74	43	30.2	300	5.04	142	189
25.	कामथी	20	17	23	0.29	74	15	30.25	876	4.74	116	130
26.	कंकोरा @	25	19	58	20	75	26	16	920	5.56	127	204
27.	कास @	25	17	44	22.2	73	48	32.4	1232	5.69	194	277
28.	कासिरसी @	25	17	54	22.9	76	45	7.8	665	5.09	109	156
29.	कवलधारा	20	18	05		76	05		670	4.73	092	135
30.	कावदाया डोंगर	25	19	00	24.9	74	32	2.0	900	6.44	224	277
31.	खांडके	20	19	08	00	74	52	31	920	5.44	146	250
32.	खारूमभापडा @	25	19	55		73	14		517	4.81	098	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33.	खोकाड़े	25	17	48	25.8	74	22	18.4	1047	5.03	114	192
34.	कोगडा @	20	19	58		73	12		474	4.03	055	156
35.	कोगिल	25	16	36	39.5	74	14	50.1	718	4.50	106	129
36.	कोलगांव	25	18	50	2	74	42	32	800	5.69	177	238
37.	कोथोली	20	16	57	54.2	73	58	28.4	782	4.96	164	180
38.	लोनावाला	20	18	46	40	73	22	39	580	4.31	122	200
39.	महालुंग	50	16	25	25.4	73	34	6.3	196	4.60	100	100
40.	माहीजलगांव	20	18	38	5.0	75	1	54.3	590	4.67	127	175
41.	महिसमल	25	20	05		75	11		870	4.56	073	088
42.	मालेगांव करियात	25	20	12		74	30		690	4.97	111	164
43.	मालवा	20	16	03	59	73	28	52	50	3.72	64	140
44.	मांधेरदेव	25	18	01	34.3	73	53	9.4	1286	5.64	153	206
45.	मसाईपथार	25	16	49	6.07	74	04	50.06	970	5.28	138	169
46.	मात्रेवाडी	25	17	11	25	73	55	58	898	5.67	211	253
47.	मोगराल	25	17	52	19.5	74	30	40.2	835	4.67	88	113
48.	मोथा	25	21	23	40	77	21	44	1075	5.19	146	179
49.	मुरूद @	50	18	21		76	12		7.16	05.15	115	143
50.	नन्दीवाडे	20	17	16	31 43	73	12	17.96	40	4.87	131	158
51.	नेरकेवाडी @	25	16	40	16.6	73	33	49.6	252	4.11	77	118
52.	पालसी	25	17	17	8.99	73	51	34.02	970	5.24	137	203
53.	पंचगनी	20	17	55	39	73	48	45	1318	5.11	133	205
54.	पंचपट्टा	25	19	43	40	73	53	4	1049	5.70	201	236
55.	पनहल साथे	25	20	09	15.4	74	35	25.1	643	4.69	94	130
56.	पथार	50	21	17	37.3	78	37	39	495	4.61	79	79
57.	पिम्पलगांव	20	19	07	30.2	74	19	45.5	875	4.52	76	157
58.	पिरथांडा	25	18	25	3.29	77	6	10.98	640	5.10	98	154
59.	रायपुर	25	21	02	59	74	22	21	500	5.25	162	214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60.	राजाचिकुरली	25	17	25	19.7	74	16	58.2	896	5.01	133	171
61.	राजेवाडी	25	19	05	10.8	73	42	25.2	1007	5.08	119	182
62.	रानीगांव	20	21	17	36.78	77	5	21.65	1065	3.31	34	43
63.	रेनावी	25	17	16	5.5	74	36	40.7	877	5.01	113	170
64.	रोहिना @	25	18	28	59.95	76	56	16.88	662	5.57	149	226
65.	रोटी	25	18	23	32.5	74	27	52.5	653	4.69	103	130
66.	सपथासरीनीगाड	20	20	24	18.81	73	53	53.75	1144	4.94	123	161
67.	सौताडी	25	18	47	52	75	20	14	800	5.68	167	223
68.	शिरासगांव	25	19	28		74	02		940	4.48	083	128
69.	शिवाने @	50	17	16	31.2	73	20	29.4	232	5.07	129	129
70.	ताकरमोली	25	21	04	40	74	02	48	624	5.78	186	224
71.	थोकालवाडी	25	20	06	16.4	74	11	36.4	601	5.00	117	162
72.	यासेधुर	20	17	35	33.8	73	53	15	1140	6.03	229	336
73.	वागेरा	25	19	02		73	08		260	3.67	093	104
74.	वासपेट @	50	17	06	10.3	75	21	24.4	680	5.62	220	220
75.	वंकुसवाडे	50	17	27		73	50		1100	5.68	188	249
76.	वंकुसवाडे	25	17	27	14	73	49	58	1100	5.89	231	293
77.	वारेकवाडी	20	17	12	27.9	73	59	3.8	920	5.46	204	216
78.	वेडी	25	19	34	32.5	72	46	15.5	10	3.57	63	97
79.	वेंगुरना	20	15	53	03.3	73	37	24.7	80	3.78	67	98
80.	विजयदुर्ग	20	16	30	02	73	19	59	100	5.44	207	253
81.	वाघापुर साडा @	25	17	26	04	71	55	58.5	1086	5.12	129	158
82.	पोलिसवाडी	50	18	45	58.5	77	08	19.4	535	4.97	108	108
83.	गंगामल	50	19	42	35.1	77	38	14.9	511	4.51	78	78
84.	सोंगिरपाडा	50	21	18	53	74	10	0.2	294			
85.	जयदेववावडी	50	20	31	26	75	58	19	725	5.25	109	109
86.	केसापुर	50	19	44	15	77	02	42	500	4.76	090	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87.	उमेरी	50	21	04	26	78	47	49	441			
88.	बहादुरी	50	20	16	52	74	00	2	721	5.21	124	124
89.	लावाडा	50	21	23	42	77	20	16	1103	5.54	167	167
90.	भिंगारा	50	21	08	53.9	76	31	39.9	754	5.69	153	153
91.	खायरखेडा	50	19	54	36.7	76	52	33.9	599	4.74	90	90
92.	बाहिरवाडी	50	19	02	5.4	75	19	13.2	714	5.19	127	127
93.	गुबाडी	50	21	05	41.8	78	42	1.9	477	4.45	81	81
94.	जगमिन	120	17	37	26	73	48	54.5	1185	7.42	410	288
95.	केसरकारवाडी	50	16	50	27.5	73	44	38.6	675	4.67	109	109
96.	डालासाने	50	19	23	58	74	13	6.5	812	4.89	106	106
97.	गिरदा	50	20	33	43.9	77	06	56.9	340			
98.	कोलुरा	50	20	27	11.6	77	54	26.2	345			
99.	ढुंडी	50	20	00	17.8	77	34	56.7	401			
100.	पोस्टगावन	50	20	22	6.9	78	25	1.3	389			
101.	मेथेपाटर	50	21	10	59.1	78	37	28.01	500			
102.	जावला	50	20	14	12.1	77	42	28.38	423			
103.	रसूलपुरा	50	19	58	38.1	75	16	1.4	759			
104.	चिंचोली	50	20	14	17.2	75	25	21.3	737			
105.	शेवगा	50	19	55	58.5	75	37	3.4	670			
106.	साराटी	50	20	30	27.0	75	41	45.1	720			
107.	हरनही	50	20	29	22.7	76	26	5.0	574			
108.	गारपित	50	21	04	19.8	78	22	50.5	494			
109.	कोलासा	50	20	42	24.7	76	41	12.2	276			
110.	वीरगावाहन	50	20	55	34.6	77	58	15.6	392			
111.	गोनहडालवाडी	50	20	22	24.1	76	57	15.5	462			
112.	जलोरी	50	20	33	53.3	77	20	40.9	364			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
राजस्थान												
1.	1.6 आरडी	20	29	11	31	73	55	11	191	3.31	38	56
2.	बलेसर	25	26	23	07	72	29	58	250	4.50	116	192
3.	बारी सदरी	25	24	24	32.6	74	28	36	572	5.19	121	142
4.	बरली	20	26	18	42	72	54	28	290	4.49	99	145
5.	बासी	20	25	00	32.14	74	46	41.5	560	4.41	83	114
6.	भाडखा	20	26	00	12	71	21	44	189	4.20	99	185
7.	भगवानपुर	20	25	46	47.89	74	01	29.31	537	3.89	88	169
8.	बिसेनगढ़	20	25	27	23	72	34	25	145	3.07	60	88
9.	बिसाऊ	20	28	14	26	75	05	34	298	2.68	30	44
10.	दारेवा	25	28	40	30	75	13	48	230	3.66	60	80
11.	दमोतर	20	24	7	07	74	44	12	526	5.31	149	189
12.	देरासर	20	25	47	53	71	11	7	240	3.52	77	113
13.	देवगढ़	25	24	02	35	74	39	10	520	5.62	151	202
14.	गडोली	20	25	40	45	75	22	18	410	3.46	50	96
15.	गजनेर	50	27	57	40	73	03	11	222	4.95	130	130
16.	हर्षनाथ	25	27	29	59	75	10	24	891	5.73	206	276
17.	जैसलमेर 1	20	26	56	33	70	53	38	241	4ए83	159	274
	जैसलमेर 2 1	25	26	56	24	70	53	16	255	5.50	182	244
18.	जसवंतगढ़	20	24	46	33	73	28	17	995	5.25	142	166
19.	कनोड	20	27	07	03	71	05	33	157	5.23	153	220
20.	कथोटी	25	27	14	48	74	16	26	310	3.69	52	70
21.	खेरवाडा	20	23	59	43	73	31	54	546	4.08	67	73
22.	खोडल	20	26	21	53	71	12	59	269	4.68	135	229
23.	खोडल-2#	50	26	22	21	71	11	17	290	5.86	188	188
24.	महाजन	25	28	40		73	50		219	3.99	069	112
25.	मंडल	25	25	30	21	74	38	09	510	4.48	88	136
26.	मोहनगढ़	20	27	17	36	71	13	19	155	4.02	117	243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	नहारगढ़	20	26	56	34	75	49	06	592	3.78	63	90
28.	नांडली अहादा	20	23	56	3.66	74	02	21.25	262	4.28	87	119
29.	नापासर	25	27	56	57	73	33	40	245	4.16	80	107
30.	पथपदरा	20	25	57	28	72	11	04	100	3.35	71	104
31.	फलोदी	20	27	06	17	72	19	17	250	4.83	142	261
32.	सावा	20	24	44	55	74	33	42	500	4.42	119	146
33.	शेवपुरा घाट	20	26	01	52	74	22	41	565	4.46	104	149
34.	सिसोदा	20	23	57		73	33	400		3.95	059	072
35.	उन्डारी	25	24	28	43	73	37	34	880	4.49	99	109
36.	अकाल	120	26	47	59.7	71	3	58.4	278	6.58	273	138
मध्य प्रदेश												
1.	अलोट	25	23	44	39.8	75	31	52.0	477	4.63	96	148
2.	बारखेरी बाजार	25	23	23	30.50	75	49	29.6	520	5.11	110	150
3.	बारोली	20	22	49	42	75	50	45	570	4.47	103	151
4.	बेतमा	20	22	40	48.8	75	39	10.30	572	4.18	79	138
5.	बोधिना	25	23	28	24.20	74	57	33.80	540	5.14	131	189
6.	चोरसिया बदाइला	20	23	34	4.5	75	05	5.50	521	4.95	121	174
7.	गढ़ीदादर	50	22	51	09	81	37	10	1123	5.16	111	111
8.	जैथल हिल	25	23	17	08.5	75	49	24.1	507	4.53	82	110
9.	जामगोदरानी	20	22	59	9	76	09	56.5	580	5.00	130	222
10.	झाबुआ	20	22	59	9	76	09	56.5	580	5.00	130	222
11.	कालापहाड़	20	22	46	2.60	74	34	16.1	432	4.22	74	144
12.	कवासा	20	23	07	41.9	77	02	31.5	538	3.94	60	88
13.	खेडा	20	22	36	13	75	37	48	606	5.05	126	192
14.	कुकरू	20	21	29	35.40	77	28	38.7	1133	5.28	157	255
15.	लाहोरी	25	23	20	21.9	76	21	19.8	529	4.81	100	145
16.	मछालिया घाट	25	22	45	17.40	74	47	47.50	520	4.94	106	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	माछला	25	22	37	39.7	75	51	2.40	626	4.70	96	153
18.	महुरिया	25	23	50	0.3	76	05	26.8	508	5.28	171	217
19.	ममाटखेडा	20	23	40	44.7	75	03	29.5	543	5.57	159	255
20.	मिर्जापुर	20	23	01	09.2	76	38	23.40	544	4.27	76	146
21.	नागदा-2	25	22	53	51	76	02	31	656	6.25	219	371
22.	पुरताला	50	22	2	54	79	02	53	908	5.02	101	101
23.	सानावाड	20	22	11	25.60	76	03	18.0	216	3.86	85	117
24.	सेंधवा	20	21	37	51	75	02	35	540	5.03	163	215
25.	सोदांग हिल	25	23	14	11.5	75	43	45.4	516	4.95	121	162
26.	तनोरिया	20	23	36	45.7	75	56	12.80	497	4.38	93	148
27.	वलियारपानी	20	21	39	37.4	74	57	13.7	510	5.25	191	287
28.	बडोदिया	50	24	36	53	75	41	09	490	4.74	92	92
29.	बनबीर खेरी	50	24	25	24	77	22	35	533	5.62	145	145
30.	मंडवा	50	21	28	42	75	56	38	671	5.10	123	123
31.	कंछरूटा	50	22	33	57	74	54	36	541	5.26	119	119
32.	नाचनबोर	50	22	26	06	75	26	43	570	5.07	120	120
33.	बोरी	50	21	27	17	76	50	33	347	5.24	151	151
34.	पहेरी	50	24	24	05	80	30	00	500			
35.	उभारिया	50	21	49	58.8	78	08	27.7	776	5.16	117	117
36.	घाटा	50	21	53	11.6	78	31	55	751	4.89	113	113
37.	सीयरमाऊ	50	23	24	09	78	34	35.7	625			

[अनुवाद]

डाक्टरों और नर्सों का प्रवास

2213. श्रीमती सुप्रिया सुलेः

डॉ. संजीव गणेश नाईकः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विश्व प्रवास रिपोर्ट को संज्ञान में लिया है जिसमें कहा गया है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) में प्रवासी डाक्टरों और नर्सों की सर्वाधिक संख्या भारत से है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या तथ्य हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अन्य देशों में प्रवास करने वाले डाक्टरों और नर्सों की संख्या कितनी

है और बड़ी संख्या में ऐसे प्रवास करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ उपाय करने और प्रोत्साहन देने और इन डाक्टरों और नर्सों को वापस देश में लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) विश्व प्रव्रजन रिपोर्ट 2010 के अनुसार भारत यूरोपीय सहयोग और विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) के देशों में नर्सों/डाक्टरों के निर्वासन के संदर्भ में अग्रणी देश के रूप में है। तथापि, इस रिपोर्ट में खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय नर्सों की बृहत संख्या शामिल नहीं है।

(ग) अन्य देशों में प्रवास करने वाले डाक्टरों एवं नर्सों के संबंध में कोई केन्द्रीकृत आंकड़ा नहीं रखा जाता है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सूचित किया है कि वर्ष 2008 से 2011 तक के दौरान उनके द्वारा जारी उत्तम स्थायी प्रमाणपत्रों (जी.एस.सी.) के आधार पर अन्य देशों में प्रवास करने वाले डाक्टरों का अनुमान लगाया जा सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा जारी किए गए उत्तम स्थायी प्रमाण-पत्रों (2008-2011) का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	जारी किए गए उत्तम स्थायी प्रमाणपत्रों की कुल संख्या
2008	1002
2009	1386
2010	1264
2011 (27 जुलाई 2011 तक)	767

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार ने चिकित्सीय व्यवस्था को लाभकारी बनाने के लिए वेतनमानों में वृद्धि सहित अनेक उपाए एवं योजनाएं जैसे कि अशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रगति शुरू की हैं। सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्था में तथा विशेषतौर पर चिकित्सा परिचर्या क्षेत्र में विकास भी डाक्टरों एवं नर्सों को देश में वापस आने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

किराये/पट्टे पर बैंक परिसर

2214. श्री प्रबोध पांडा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक विशेषकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किराये/पट्टे पर अधिगृहित भवनों के संबंध में कोई अग्नि शमन सुरक्षा दिशानिर्देश विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकारी क्षेत्र के बैंक-वार, राज्य-वार ये दिशानिर्देशों के किस स्तर तक अनुकूल हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये या उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

आर.बी.आई. खातों से धन अंतरण

2215. श्री रमेश बैस: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के खातों से विदेशी बैंकों में गोपनीय रूप से लगभग 23,000 करोड़ रुपए अंतरित कर दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आर.बी.आई. द्वारा विदेशी मुद्रा के प्रबंधन पर किसी सांविधिक लेखापरीक्षक ने प्रश्न चिन्ह लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारू जनजातियों के लिए विशेष पैकेज

2216. श्री जफर अली नकवी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारू जनजातीय लोगों के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने अथवा पुनर्वास और रोजगार हेतु कोई कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 के अंतर्गत लाइसेंस/पट्टा

2217. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों के खनन के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे प्रदान करने हेतु उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपरोक्त लाइसेंस या पट्टे पर दिए जाने के पश्चात् लाइसेंस लेने वाले या पट्टा लेने वालों के द्वारा पालन की जाने वाली शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार खनिज के पूर्वेक्षण लाइसेंसों या खनन पट्टों जिनकी लाइसेंस या पट्टा देते समय निर्धारित शर्तों के उल्लंघन के लिए सरकार द्वारा समीक्षा की गई है का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनके लाइसेंस उक्त अवधि के दौरान समीक्षा के बाद समाप्त कर दिए गए और प्रत्येक के क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टों सहित सभी खनिज रियायतें खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम.एम.डी.आर. एक्ट) और इसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार दिया जाना अपेक्षित है। एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की पहली अनुसूची के खनिजों के मामले में केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। पूर्व अनुमोदन देते समय यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाता है कि खनिज रियायतों के प्रस्ताव, अधिनियम तथा नियमों में दी गई कार्यवाही के अनुरूप हो और जो प्रस्ताव इनके अनुरूप नहीं होते उन्हें अस्वीकार/वापस कर दिया जाता है।

(ग) सभी लाइसेंस धारकों और पट्टाधारकों को लाइसेंस अथवा पट्टा विलेख की उन शर्तों का पालन करना होता है जिनका उल्लेख खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 7 (टोही परमिट हेतु), नियम 14 (पूर्वेक्षण लाइसेंस हेतु) और नियम 27 (खनन पट्टा हेतु) में किया गया है।

(घ) और (ङ) चूंकि लाइसेंस अथवा पट्टा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है इसलिए लाइसेंस अथवा पट्टे की शर्तों के उल्लंघन की निगरानी राज्य सरकार द्वारा की जाती है और केंद्रीय स्तर पर इसका डाटा नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

आर्थिक विकास में किसानों की भागीदारी

2218. श्री सुदर्शन भगत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के आर्थिक विकास में किसानों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों को ऋण के बोझ से मुक्त कराने के लिए अन्य कौन से ऋण और राजकोषीय उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) किसी देश का आर्थिक विकास उसके सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रकों जिनमें कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रक शामिल हैं, के विकास पर निर्भर करता है। भारत की अर्थव्यवस्था के मामले में, कृषि और सहबद्ध क्षेत्रक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 14 प्रतिशत का योगदान करते हैं और इसीलिए इस क्षेत्र का विकास अर्थव्यवस्था के समग्र कार्य निष्पादन के लिए बहुत महत्व रखता है। इसलिए, किसानों की अधिकाधिक भागीदारी जरूरी है। कृषि क्षेत्र में जान डालने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना तथा किसानों की आय बढ़ाना शामिल है। उल्लेखनीय उपायों में, 11वीं योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत

करना शामिल है जिनका परिव्यय क्रमश: 25000 करोड़ रुपये और 4882.48 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, विस्तार सुधारों हेतु राज्य-विस्तार कार्यक्रम को सहायता, लघु सिंचाई, तिलहनों, दालों, ऑयल पाम तथा मक्का की समेकित योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि जैसी स्कीमें 10वीं योजना से जारी हैं। हाल के वर्षों में, विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) में पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है ताकि खेती-बाड़ी को अधिक लाभकारी बनाया जा सके। इन उपायों के फलस्वरूप विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि का रुख देखा गया है। चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2010-11 में 241.56 मिलियन टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हासिल किया गया था। इसके अलावा, सरकार ने कृषि संबंधी कारणों और ऋण के बोझ के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मुद्दे का समाधान करने के लिए कुछ उपाय किए हैं जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के आत्महत्या संभावित 31 जिलों में 1678.69 करोड़ रुपये का पुनर्वास पैकेज तथा 3.69 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने वाली और 65,318.33 करोड़ रुपये की ऋण माफी और ऋण राहत वाली कृषि ऋण माफी और ऋण राहत (ए.डी. डब्ल्यू.डी.आर.) योजना। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट 2011-12 में, पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति लाने, वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, वर्षापोषित क्षेत्रों में 60,000 दलहन गांवों का समेकित विकास, सब्जी क्लस्टरों संबंधी पहल, पोषक-अनाज, प्रोटीन पूरकों हेतु राष्ट्रीय मिशन तथा त्वरित चारा विकास कार्यक्रम और 3 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता के साथ किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज पर अल्पावधिक फसल ऋण देने जैसे नए उपायों की घोषणा की गई है ताकि कृषि क्षेत्र आर्थिक वृद्धि और विकास में अपनी वांछित भूमिका अदा कर सके।

[अनुवाद]

ग्रामीण चिकित्सा सेवाओं हेतु प्रोत्साहन

2219. श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी:
श्री सुखदेव सिंह:
श्रीमती मीना सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक चिकित्सा और अर्द्ध चिकित्सा पेशेवरों को कतिपय प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इसके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं;

(ग) क्या इन सेवा रहित क्षेत्रों में चिकित्सा कालेज और अस्पताल खोलने हेतु कतिपय छूट भी प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा और सेवाओं में वृद्धि करने हेतु कौन से अन्य उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद् के साथ सलाह मशविरा करके ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमों में निम्नलिखित संशोधन किए हैं:

सरकारी सेवा में संलग्न उन चिकित्सा अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50% आरक्षण जिन्होंने कम से कम तीन वर्षों तक सुदूर तथा दुर्गम क्षेत्रों में कार्य किया है; तथा

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अधिकतम 30% तक दूर-दराज के अथवा दुर्गम क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए प्राप्त अंकों के 10% की दर पर प्रोत्साहन।

इन संशोधित विनियमों के अनुसार हुई उपलब्धियों की निगरानी करने के लिए कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम.सी.आई.) के साथ सलाह-मशविरा करके ग्रामीण एवं अल्पसेवित क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने के लिए बिस्तरधारिता की अपेक्षा एवं भूमि की अपेक्षा में छूट दी है।

(ङ) केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत कर रही है तथा विशेष तौर पर इस प्रयोजनार्थ अप्रैल, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) की शुरुआत की है। अपनी शुरुआत से एन.आर.एच.एम. ने निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की हैं:

डाक्टरों तथा विशेषज्ञों को नियोजित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। 31-3-2011 की स्थिति के अनुसार, 9432 डाक्टरों तथा 7063 विशेषज्ञों को राज्यों द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित किया गया था।

एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत आयुष डाक्टरों को संविदा के आधार पर नियोजित करने तथा उन्हें पी.एच.सी./सी.एच.सी. में साथ-साथ रखने के लिए भी वित्तीय सहायता दी गई है।

31-3-2011 की स्थिति के अनुसार, 11575 आयुष डाक्टरों को राज्यों द्वारा नियोजित किया गया था।

दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने वाले डाक्टरों एवं विशेषज्ञों को प्रोत्साहन-राशियों का भुगतान।

जीवन रक्षक संज्ञाहरण कौशलों (एल.एस.ए.एस.) तथा व्यापक आपाती प्रसूति परिचर्या में प्रशिक्षण देते हुए डाक्टरों को बहु-कौशल प्रदान करना।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस. एस.वाई.) के अंतर्गत, एम्स सरीखे छह संस्थानों की स्थापना की जा रही है। पृथक तौर पर, राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन की योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन करने के लिए 1350 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

औषधियों और उपकरणों की खरीद

2220. श्री लालचंद कटारिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी अस्पतालों द्वारा वर्तमान में किस एजेंसी के माध्यम से औषधियां और अन्य चिकित्सा उपकरण खरीदे जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए औषधियों और अन्य उपकरणों की खरीद हेतु एक पृथक निकाय स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा; और

(घ) वर्तमान खरीद प्रणाली में कौन-कौन सी खामियां पाई गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) औषधों एवं दवाओं का घरेलू वित्तपोषित प्रापण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तथापि, बाह्य वित्तपोषित प्रापण का संचालन मंत्रालय द्वारा नियुक्त प्रापण एजेन्ट अर्थात् मैसर्स राइट्स लिमिटेड के जरिए किया जाता है।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने व्यावसायिक, सक्षम और पारदर्शी तरीके से दवाओं एवं उपस्करों के प्रापण के लिए एक स्वायत्तशासी केन्द्रीय प्रापण अभिकरण (सी.पी.ए.) की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) कोई समय सीमा नियत नहीं की गई है।

(घ) वर्तमान प्रापण प्रणाली में मौजूद कमियां निम्नलिखित हैं:

(i) आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का अभाव

(ii) अपर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना

(iii) आंकड़ों का हस्तचालित संग्रहण और समुचित भंडारण एवं सामान-सूची प्रबंधन के लिए किसी विश्वसनीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) का अभाव।

(iv) मंत्रालय में अपर्याप्त व्यावसायिक प्रापण विशेषज्ञता।

बच्चों के हृदय रोग का मुफ्त उपचार

2221. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री भूदेव चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निम्न आय वर्ग के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त के मामले में जारी निदेशों के अनुसरण में मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निम्न आय वर्ग को परिभाषित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और इस मामले में राज्यों को क्या सलाह जारी की गई है; और

(ग) देश के किन-किन अस्पतालों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है अथवा उपलब्ध कराई जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) हृदय रोगों वाले बच्चों का उपचार जिला अस्पतालों तक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली तथा मेडिकल कालेजों एवं केन्द्र सरकार के अस्पतालों में निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आर.ए.एन.) एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध है। सामान्यतया यह लाभ गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारकों को उपलब्ध है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर हिदायतें दी जाती हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, सी.वी.डी. एवं आघात (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम हृदय रोगों सहित गैर-संचारी रोगों (एन.सी.डी.) के उपचार में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वर्ष 2010-11 से देश के 21 राज्यों के 100 जिलों में चल रहा है।

[अनुवाद]

बैंक द्वारा स्व-सहायता समूहों को ऋण देना

2222. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को दिए जाने वाले बैंक ऋण पर ब्याज दर को कम करके किसानों को मिलने वाले फसल ऋण पर ब्याज के बराबर लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की तर्ज पर महिला स्व-सहायता समूहों के लिए एक समर्पित बैंक की स्थापना करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) भारत सरकार की ब्याज सहायता योजना का क्रियान्वयन सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष 2006-07 से किया जा रहा है ताकि किसानों को 7% वार्षिक की ब्याज दर पर एक वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध कराए जा सकें। भारत सरकार, वर्ष 2009-10 से तत्परता से समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त ब्याज सहायता उपलब्ध करवाती आ रही है। यह अतिरिक्त सहायता 2009-10 में 1% और 2010-11 में 2% थी। इसे 2011-12 में बढ़ाकर 3% किया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने वर्ष 2011-12 के केन्द्रीय बजट में 500 करोड़ रुपये की आधारभूत राशि (कार्पस) सहित "महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि" को सृजित करने की घोषणा की थी ताकि महिलाओं को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को फिर से वित्त प्रदान किया जा सके।

बेसहारा बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

2223. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वंचित, नि:शक्त, उपक्षित आर असहाय बच्चों, विशेषकर कार्य करने वाले अथवा विद्यालय न जाने वाले बेसहारा बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्य योजना को किस प्रकार से कार्यान्वित किया जाएगा;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में भारत सरकार ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, गैर-सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2005 तैयार किया था। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना में बेसहारा बच्चों, कामकाजी बच्चों, कमजोर बच्चों आदि सहित देश में बच्चों की स्थिति सुधारने तथा उनका अधिकार देने हेतु लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यनीतियां और क्रियाकलाप शामिल हैं।

राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2005 के क्रियान्वयन और बच्चों के अधिकारों तथा खुशहाली लाने हेतु समर्थकारी माहौल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों की है।

बेसहारा, अनाथ परित्यक्त, अभ्यर्पित या कामकाजी और अन्य कमजोर बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की आवश्यकताओं का समाधान करने हेतु अपने कर्त्तव्य के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सरकार ने व्यापक केंद्रीय प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण स्कीम 2009-10 में शुरु की है।

समेकित बाल संरक्षण स्कीम के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इसके क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके समेकित बाल संरक्षण स्कीम का क्रियान्वयन आरंभ कर दिया है।

मातृ मृत्यु

2224. शेख सैदुल हक:
डॉ. एम. तम्बिदुरई:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की संख्या का पता लगाने के लिए राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) प्रसव के दौरान होने वाली माताओं की मौत को रोकने और माता तथा शिशु का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) प्रसूति से संबंधित मौतों संबंधी आंकड़े भारत के महा-पंजीयक (आर.जी.आई.) द्वारा उनकी नमूना पंजीकरण प्रणाली (एस.आर.एस.) के माध्यम से मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.) के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। ये आंकड़े वार्षिक आधार पर नहीं बल्कि आर.जी.आई. द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि में प्रकाशित किए जाते हैं। एम.एम.आर. संबंधी उपलब्ध नवीनतम आंकड़े 2007-09 की अवधि के हैं।

इस रिपोर्ट के अनुसार, मातृ मृत्यु दर में 2004-06 की अवधि में प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 254 से कम होकर 2007-09 की अवधि में प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 212 तक की कमी हुई है। एम.एम.आर. का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दर्शाया गया है।

देश में एम.एम.आर. तथा आई.एम.आर. की कमी की गति को तेज करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं।

* जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देना।
* समुदाय द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की मांग उत्पन्न करने तथा उनके मूल्यांकन को सुकर बनाने के लिए 8.05 लाख से अधिक प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (आशा) को नियोजित करना।
* विभिन्न कौशल-आधारित प्रशिक्षणों यथा सहायक नर्सधात्रियों/स्टाफ नर्सों/महिला स्वास्थ्य परिदर्शकों के लिए कुशल जन्म परिचर, जीवन रक्षक संज्ञाहरण कौशलों में एम.बी.बी.एस. डाक्टरों का प्रशिक्षण, तथा सीजेरियन सेक्शन सहित आपाती प्रसूति परिचर्या, स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों हेतु नवजात एवं बचपन की बीमारियों (एम-आई.एम.एन.सी.आई.) के सुविधा आधारित एकीकृत प्रबंधन तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (एन.एस.एस.के.), आधारभूत नवजात परिचर्या एवं पुनरुज्जीवन संबंधी एक प्रशिक्षण के साधनों से कुशल जनशक्ति की उपलब्धता को बढ़ाना।
* गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा 6 माह से 10 वर्ष के बच्चों में रक्ताल्पता की रोकथाम एवं उपचार के लिए आयरन तथा फोलिक एसिड का गोलियों तथा तरल रूप में सम्पूरण।
* अतिसारीय एवं गंभीर श्वसनी रोगों की समय पर जांच एवं समुचित प्रबंधन।
* शिशु एवं छोटे बच्चे को स्तनपान जिसमें पहले छह: महीने तक विशेष रूप से स्तनपान पर बल दिया गया हो।
* छह: वैक्सीन निवार्य रोगों के लिए प्रतिरक्षण।
* अत्यधिक एवं गंभीर कुपोषण दूर करने के लिए पोषण पुनर्वास केन्द्रों (एन.आर.सी.) की स्थापना।
* प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन एवं प्रसवोपरांत परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए नाम के आधार पर गर्भवती महिला का पता लगाना।
* माताओं एवं बच्चों हेतु सेवा प्रदानगी की निगरानी करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से माता और बच्चा सुरक्षा कार्ड की शुरुआत करना।
* माता एवं बच्चे की स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आउटरीच क्रियाकलाप के तौर पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाना।
* हाल ही में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.) नामक एक नई पहल की शुरूआत की गई है, जिसके तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाएं सीजेरियन सेक्शन सहित पूर्णतया नि:शुल्क एवं 'प्रसव बिना खर्च' के

लिए हकदार हैं। इस पहल में जरूरत पड़ने पर उच्च स्वास्थ्य संस्थान जाने व वापस घर आने के मामले में तथा घर से संस्था तक, सुविधा केन्द्रों के बीच मुफ्त परिवहन के अलावा मुफ्त औषधें, रोग निदान, रक्त एवं आहार नियत किए गए हैं। बीमार नवजातों के लिए जन्म के 30 दिन तक ऐसी ही पात्रताएं रखी गई हैं।

विवरण

मातृ मृत्यु दर

भारत एवं राज्यवार

[स्त्रोत: आर.जी.आई., (एस.आर.एस.), 2001-03, 2004-06, 2007-09]

प्रमुख राज्य	एम.एम.आर. (2001-03)	एम.एम.आर. (2004-06)	एम.एम.आर. (2007-09)
भारत कुल*	301	254	212
असम	490	480	390
बिहार/झारखंड	371	312	261
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	379	335	269
उड़ीसा	358	303	258
राजस्थान	445	388	318
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	517	440	359
आंध्र प्रदेश	195	154	134
कर्नाटक	228	213	178
केरल	110	95	81
तमिलनाडु	134	111	97
गुजरात	172	160	148
हरियाणा	162	186	153
महाराष्ट्र	149	130	104
पंजाब	178	192	172
पश्चिम बंगाल	194	141	145
*अन्य	235	206	160

*: अन्य शामिल हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग

2225. श्री वैजयंत पांडा:
डॉ. थोकचोम मैन्या:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.) की दृष्टि में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग देश-भर में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने तथा इस वृद्धि को रोकने में स्टाफ की कमी के संकट का सामना कर रहा है;

(घ) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग में कतिपय महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस मुद्दे का समाधान करने और पीड़ितों को ईमानदारी से न्याय उपलब्ध कराने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2008, 2009 और 2010 के दौरान उत्पीड़न और महिलाओं के विरुद्ध अपराध की कुल 13,190, 15,566 और 15700 शिकायतें दर्ज कीं, जो अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास दर्ज की गई शिकायतों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के तीन सदस्यों के पद खाली हैं और सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के उपबंधों के अनुसार उन पदों को भरने की प्रक्रिया कर रही है। अन्य कर्मचारियों के संबंध में अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता का औचित्य देते हुए एक व्यापक प्रस्ताव भेजने हेतु सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग से कहा है।

विवरण

राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज शिकायतों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	2008	2009	2010
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	121	110	132
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	4	3
3.	असम	38	39	29
4.	बिहार	377	409	502
5.	छत्तीसगढ़	88	72	96
6.	गोआ	4	4	8
7.	गुजरात	94	109	126
8.	हरियाणा	718	642	940
9.	हिमाचल प्रदेश	27	52	53
10.	जम्मू और कश्मीर	23	26	31

1	2	3	4	5
11.	झारखंड	180	173	272
12.	कर्नाटक	75	81	72
13.	केरल	20	19	36
14.	मध्य प्रदेश	459	585	777
15.	महाराष्ट्र	252	349	432
16.	मणिपुर	4	2	3
17.	मेघालय	7	10	2
18.	मिजोरम		2	2
19.	नागालैंड	3	2	3
20.	उड़ीसा	59	54	61
21.	पंजाब	216	203	242
22.	राजस्थान	988	1206	1541
23.	सिक्किम	1	3	
24.	तमिलनाडु	166	193	111
25.	त्रिपुरा	5	4	1
26.	उत्तर प्रदेश	6988	8741	7220
27.	उत्तरांचल	210	277	366
28.	पश्चिम बंगाल	135	143	164
	संघ राज्य क्षेत्र			
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	13	3	4
30.	चंडीगढ़	17	8	18
31.	दादरा और नगर हवेली	1896	2028	2434
32.	दमन व दीव	2	2	8
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र		0	4
34.	लक्षद्वीप	1	0	
35.	पुडुचेरी	2	11	7
	कुल	13190	15566	15700

[हिन्दी]

योग प्रशिक्षण केन्द्र

2226. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में योगा शिक्षा का प्रसार करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश-भर में ऐसे और अधिक केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित और आबंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) आयुष विभाग के अधीन एक पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त निकाय, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एम.डी.एन.आई.वाई.) ने देश में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संलग्न विवरण में दी गई सूची के अनुसार योग शिक्षा के प्रसार हेतु 132 प्रशिक्षण केंद्र (एम.डी.एन.आई.वाई. सहित) स्थापित किए हैं।

(ख) से (घ) जी, हां। एम.डी.एन.आई.वाई. अगले दो वर्षों में देश में ऐसे 200 और केंद्र स्थापित कर सकता है, बशर्ते निधियां उपलब्ध हों।

विवरण

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान

देश में योग शिक्षा का प्रचार-प्रसार कर रहे प्रशिक्षण केंद्रों की सूची

1.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली	01
2.	स्वामी विवेकानंद जिला योग स्वास्थ्य केंद्र (एस.वी.डी.वाई.डब्ल्यू.सी.)	
	(क) आंध्र प्रदेश	05
	(ख) बिहार	01
	(ग) छत्तीसगढ़	03
	(घ) दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	02
	(ङ) गुजरात	05
	(च) हरियाणा	04
	(छ) हिमाचल प्रदेश	01
	(ज) झारखंड	01
	(झ) कर्नाटक	06
	(ञ) केरल	02
	(ट) मध्य प्रदेश	10
	(ठ) महाराष्ट्र	08
	(ड) असम	05
	(ढ) मणिपुर	03
	(ण) मेघालय	01
	(त) त्रिपुरा	02
	(थ) नागालैंड	01
	(द) मिजोरम	01
	(ध) उड़ीसा	06
	(न) पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	01
	(प) पंजाब	03
	(फ) राजस्थान	06
	(ब) तमिलनाडु	03
	(भ) उत्तर प्रदेश	12
	(म) उत्तराखंड	03
	(य) पश्चिम बंगाल	05
3.	सी.जी.एच.एस. औषधालयों में निवारक योग स्वास्थ्य परिचर्या एकांश	
	(क) दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	20
4.	सरकारी/तृतीयक अस्पतालों में योग उपचार केंद्र	
	(क) दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	04
	(ख) आंध्र प्रदेश	01

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	01
5. प्रतिष्ठित/सरकारी संस्थाओं में आधुनिक योग केंद्र	
(क) कर्नाटक	01
(ख) पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	01
(ग) गुजरात	01
(घ) दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	01
(ङ) जम्मू और कश्मीर	01
कुल	132

[अनुवाद]

2जी स्पेक्ट्रम और पेट्रोलियम अनुबंधों में लेखापरीक्षा

2227. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन और पेट्रोलियम क्षेत्र में निजी कंपनियों के साथ लाभ हिस्सेदारी अनुबंधों में लेखापरीक्षा करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की शक्तियों पर आपत्ति जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दोनों मामलों में निजी कंपनियों को सस्ती दर पर सरकारी वस्तुएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर का अपवंचन

2228. श्री शिवकुमार उदासी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने लोगों ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लिए व्यक्तिगत आयकर विवरणी दाखिल की है;

(ख) उक्त निर्धारण वर्षों के दौरान सरकार को कितनी कर आय प्राप्त हुई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान व्यक्तिगत करदाताअें द्वारा आयकर के अपवंचन के कारण कितना अनुमानित राजस्व घाटा हुआ है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश में व्यक्तिगत कर चूककर्ताओं की संख्या कितनी है और आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान वर्ष-वार दस शीर्ष चूककर्ताओं के नाम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) ब्यौरा निम्नानुसार है:

कर निर्धारण वर्ष	व्यष्टिगत विवरणी दाखिल करने वालों की कुल संख्या
2007-08	14782316
2008-09	22677296
2009-10	27599417

(ख) आयकर अधिनियम की योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के करदाताओं पर भिन्न-भिन्न दरों से कर लगता है तथा कर प्रभार्य न्यूनतम आय भी भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए भिन्न-भिन्न है। इसके अलावा, कोई करदाता आय विवरणी दाखिल कर सकता है भले ही उसकी आय पर प्रभार्य न हो। इस प्रकार, विभिन्न श्रेणी के करदाताओं द्वारा सरकार को सूचित कराधेय आय के बारे में कोई केन्द्रीकृत डाटा मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ग) आयकर कानून के अंतर्गत, व्यष्टियों समेत करदाताओं की विभिन्न श्रेणियां हैं। कर निर्धारितीवार कर अपवंचन के संबंध में मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से कोई डाटा नहीं रखा जाता है। आयकर विभाग द्वारा व्यष्टि करदाताओं द्वारा कर अपवंचन समेत

जब भी कर अपवंचन के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त की जाती है, प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) आयकर अधिनियम, 1961 की योजना के अंदर कर निर्धारितियों के स्तर के आधार पर उनकी भिन्न-भिन्न श्रेणियां हैं। मंत्रालय में किसी विशिष्ट श्रेणी के चूककर्ताओं के संबंध में कोई डाटा नहीं रखा जाता है। हालांकि, ऐसे सभी मामलों में सरकारी बकायों की वसूली के लिए क्षेत्रीय स्तर पर तदनुरूप कार्रवाई की जाती है। इन वर्षों के लिए शीर्ष 10 व्यष्टि चूककर्ताओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

वित्त वर्षवार शीर्ष 10 कर चूककर्ता (व्यष्टि)

(वित्त वर्ष 2006-07 कर निर्धारण वर्ष 2007-08)

क्र.सं.	चूककर्ता का नाम	निवल मांग क्यू.ई. 31/3/2007 (लाख में)
1	2	3
1.	हर्षद एस. मेहता (स्वं.)	1342828
2.	ए.डी. नरोत्तम	560828
3.	हितेन पी. दलाल (आई.टी.)	240449
4.	ज्योति एच. मेहता	160368
5.	बी.सी. दलाल (आई.टी.)	160049
6.	अश्विन एस. मेहता	159065
7.	एस. रामास्वामी	111254
8.	दीपिका मेहता	34712
9.	जे.पी. गांधी	34033
10.	सुधीर एस. मेहता	32833

(वित्त वर्ष 2007-08 कर निर्धारण वर्ष 2008-09)

1	2	3
1.	हर्षद एस. मेहता (स्वं.)	1341439
2.	ए.डी. नरोत्तम	584614
3.	हितेन पी. दलाल (आई.टी.)	279378
4.	ज्योति एच. मेहता	171369
5.	अश्विन एस. मेहता	160181
6.	बी.सी. दलाल (आई.टी.)	153554
7.	एस. रामास्वामी	111420
8.	उदय एम. आचार्य	68322
9.	जे.पी. गांधी	35717
10.	दीपिका ए. मेहता	31412

सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम

2229. श्री गजानन ध. बाबर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत छह रोगों पर हजार करोड़ रुपये खर्च करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या मधुमेह जैसे गैर-संक्रमित रोगों की जांच और उपचार उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) सरकार ने छह रोगों के टीकाकरण के लिए सबके लिए प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में 571.31 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग और आघात रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) की शुरुआत की है। वर्ष 2010-11 और 2011-12 में यह कार्यक्रम 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 100 जिलों में क्रियान्वित किया जाता है। इस कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम, मानव संसाधनों सहित क्षमता निर्माण, शीघ्र निदान और उपचार तथा विभिन्न स्तरों पर गैर संचारी रोगों के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के साथ समेकन करने पर है। गैर संचारी रोग प्रकोष्ठों में शीघ्र निदान संबंधी

कार्यनीति में किसी भी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्र, चाहे वह उप केन्द्र हों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हों, जिला अस्पताल अथवा तृतीयक परिचर्या अस्पताल हों, में सबसे पहले संपर्क स्थापित करने के स्तर पर 30 वर्ष अथवा उससे ज्यादा के आयु के व्यक्तियों की समयानुकूल जांच शामिल हैं। ऐसी जांच में ऐसी सामान्य नैदानिक जांचें शामिल हैं जिनमें संबद्ध प्रश्नोत्तर, सहजतापूर्वक किए जाने वाले शारीरिक माप तथा रक्तचाप और रक्त शर्करा की माप शामिल हैं जिससे कि ऐसे व्यक्तियों का पता लगाया जा सके जिन्हें कैंसर, मधुमेह और हृदवाहिका रोग (सी.वी.डी.) होने का सबसे अधिक खतरा है। जिला एन.सी.डी. क्लीनिक सर्विक्स कैंसर और स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए अस्पताल में आने वाली 30-69 वर्ष के आयु समूह की महिलाओं की भी जांच करेगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और जिला अस्पताल में एन.सी.डी. क्लीनिक की यूनिट आम गैर संचारी रोगों जैसे (सी.वी.डी.), मधुमेह और आघात (बहिरंग रोगी और अंतरंग रोगी) का निदान और उपचार करेंगी। जिला अस्पताल में स्थित कार्डिएक परिचर्या यूनिट हृदवाहिका रोगों के तीव्र और आपातकालीन मामलों का उपचार करेंगी।

इसके अलावा, 13-15 वर्ष के आयु समूह में स्कूल के बच्चों के बीच एन.सी.डी. जोखिम घटक निगरानी संबंधी एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की जाती है ताकि देश के छह जिलों में स्कूल के बच्चों में जोखिम घटकों (तंबाकू सेवन, मद्यपान व्यसन, व्यायाम न करना, बी.एम.आई., उच्च रक्तचाप एवं रक्त शर्करा) की व्याप्तता का पता लगाया जा सके।

[हिन्दी]

जाली मुद्रा

2230. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ए.टी.एम. मशीनों से जाली मुद्रा नोटों के निकलने के मामले जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय स्टेट बैंक सहित बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि जुलाई, 2009 से अप्रैल, 2011 के दौरान उन्हें बैंकों के ए.टी.एम. से जाली मुद्रा नोटों के संबंध में कुल मिलाकर 17 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें 5 शिकायतें भारतीय स्टेट बैंक, 2 शिकायतें पंजाब नेशनल बैंक, 1 शिकायत इलाहाबाद बैंक, 1 शिकायत केनरा बैंक, 2 शिकायतें आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, 1 शिकायत एच.डी.एफ.सी. बैंक और 2 शिकायतें स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद से संबंधित हैं। संबंधित बैंकों को शिकायतों का ग्राहकों की संतुष्टि के अनुरूप निवारण करने की समुचित सलाह दी गई।

(ग) और (घ) ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर आर.बी.आई. ने मामले को सभी बैंकों के साथ उठाया और उन्हें यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि ए.टी.एम. के माध्यम से काउंटरों पर केवल उचित तरीके से छांटे और जांचे गए नोट ही उपलब्ध कराए जाएं। आर.बी.आई. ने, तदनुसार, बैंकों को अनुदेश दिया है कि 100/- और अधिक मूल्यवर्ग के बैंक नोट बैंकों द्वारा केवल तभी काउंटरों पर या ए.टी.एम. के माध्यम से पुनर्निगत किए जाएं जब उन बैंक नोटों की उनकी प्रामाणिकता/वास्तविकता और उपयुक्तता की दृष्टियों से नोट छंटाई मशीनों द्वारा विधिवत रूप से जांच कर ली जाए। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे जाली नोटों की समस्या से निपटने और जाली नोटों को जब्त करने और पुलिस प्राधिकारियों में एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए अपने प्रधान कार्यालयों में जाली नोट सत्यापन प्रकोष्ठों की स्थापना करें।

इसके अतिरिक्त, जनता को जानकारी देने के लोक जागरूकता अभियान के भाग के तौर पर आर.बी.आई. अपनी वेबसाइट, बैंक की शाखाओं में प्रदर्शित पोस्टरों आदि के माध्यम से बैंक नोटों की सुरक्षापरक विशिष्टताओं को भी लोकप्रिय बना रहा है। असली नोट की सुरक्षापरक विशिष्टताओं का वर्णन करने वाली एक फिल्म भी थिएटरों में रिलीज की गई है। इसके अलावा, आर.बी.आई. के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा यह फिल्म विभिन्न प्रदर्शनियों, बस-स्टाप/रेलवे स्टेशनों आदि में भी प्रदर्शित की जा रही है। बैंक नोटों की जालसाजी की परिपाटी की रोकथाम करने के लिए आर.बी.आई. ने कई प्रकार के उपाय किए हैं जिसमें बैंक नोट की सुरक्षापरक विशिष्टताओं को और सुदृढ़ करना शामिल है जिससे कि नोटों की जालसाजी करना और अधिक मुश्किल और खर्चीला हो जाए।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन

2231. श्री जगदम्बिका पाल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निजी कंपनियों द्वारा राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना अतिरिक्त विद्युत उत्पादन-क्षमता का संवर्धन किया गया है;

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन क्षमता में संवर्धन करने में उल्लेखनीय कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निजी कंपनियों को विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल करने में समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10.08.2011 तक निजी क्षेत्र द्वारा 13761 मेगावाट (थर्मल 13069 मेगावाट और हाइड्रो 692 मेगावाट) की क्षमता की वृद्धि की गई है। 11वीं योजना के दौरान निजी क्षेत्र में चालू की गई ताप और जल विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मध्यावधिक समीक्षा के अनुसार, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निजी क्षेत्र द्वारा 19796.5 मेगावाट क्षमता चालू किए जाने का लक्ष्य रखा गया था।

(ग) जी, नहीं। 11वीं योजना के दौरान निजी क्षेत्र द्वारा 10.08.2011 तक अपने लक्ष्य का 69.5% पहले ही प्राप्त किया जा चुका है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने निजी क्षेत्र में उन विद्युत परियोजनाओं सहित विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु निम्नलिखित गहन बहुस्तरीय निगरानी तंत्र की स्थापना की है-

(I) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निगरानी:

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) बारम्बार स्थल दौरों तथा ई.पी.सी. संविदा हेतु विकासकर्ताओं और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं से बातचीत के द्वारा प्रगति की निरंतर निगरानी करता है। सी.ई.ए. विकासकर्ताओं और अन्य पणधारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करता है तथा उसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर देता है।

(II) पावर प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग पैनल (पी.पी.एम.पी.) द्वारा निगरानी

वर्ष 2007 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप संबद्ध पारेषण स्कीमों सहित 11वीं योजना के दौरान चालू किए जाने के लिए लक्षित ताप और जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की निगरानी के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग पैनल (पी.पी.एम.पी.) का गठन किया गया है।

(III) समस्याग्रस्त क्षेत्रों के निर्धारण तथा अंतर-मंत्रालयी और अन्य लंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, योजना आयोग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा की जाती है।

(IV) सभी पणधारियों को विक्रेता आधार बढ़ाने के लिए सुग्राही बनाया गया है ताकि बैलेंस ऑफ प्लांट्स (बी.ओ.पी.) की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

(V) कुशल कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से 'आई.टी.आई. अपनाओ' की पहल की गई है।

विवरण

11वीं योजना के दौरान निजी क्षेत्र में चालू होने वाले वर्ष वार एवं राज्य वार ताप विद्युत इकाईयां

10- अगस्त 2011 को

क्षेत्र राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	इकाई सं.	क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक (ए). चालू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
वर्ष 2007-08					
छत्तीसगढ़	ओ.पी. जिंदल एस.टी.पी.पी.	जिंदल पावर लि.	यू-1	250	02-09-07(ए)
			यू-2	250	06-03-08(ए)

1	2	3	4	5	6
			यू-3	250	10-02-08(ए)
			कुल (2007-08):		750
वर्ष 2008-09					
छत्तीसगढ़	ओ.पी. जिंदल एस.टी.पी.पी.	जिंदल पावर लि.	यू-4	250	17-06-08(ए)
गुजरात	सुजेन सी.सी.पी.पी. (अखाखोल)	टोरेंट पावर जेन लि.	ब्लॉक-I	382.5	04-02-09(ए)
महाराष्ट्र	ट्रांबे टी.पी.एस. एक्सटें	टाटा पावर कंपनी	यू-8	250	26-03-09(ए)
		कुल (2008-09):	882.5		
वर्ष 2009-10					
आंध्र प्रदेश	गौतमी सी.सी.पी.पी.	गौतमी पावर लि.	जी.टी.-1	145	03-05-09(ए)
			जी.टी.-2	145	03-05-09(ए)
			एस.टी.	174	03-05-09(ए)
	कोनासीमा सी.सी.पी.पी.	कोनासीमा गैस पावर लि.	जी.टी.-1	140	01-05-09(ए)
			जी.टी.-2	140	01-05-09(ए)
	लैंको कोंडापल्ली फेज-II	लैंको कोंडापल्ली	जी.टी.	233	05-12-09(ए)
छत्तीसगढ़	लैंको कोंडापल्ली टी.पी.एस. फेज-1,	लैंको अमरकंटक पावर प्रा. लि.	यू-1	300	04.-06-09(ए)
	लैंको अमरकंटक टी.पी.एस. फेज 1,	लैंको अमरकंटक पावर प्रा.लि.	यू-2	300	26-03-10(ए)
गुजरात	मुंद्रा टी.पी.पी. फेज-1(यू-1&2)	अदानी पावर लि.	यू-1	330	04-08-09(ए)
			यू-2	330	17-03-10(ए)
	सुजेन सी.सी.पी.पी. (अखाखोल)	टॉरेंट पावर जेन. लि.	ब्लॉक-II	382.5	07-05-09(ए)
			ब्लॉक-III	382.5	08-06-09(ए)

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक	तोरांगलू टी.पी.पी.	जे.एस.डब्लू. एनर्जी (विजयनगर) लि.	यू-1	300	27-04-09(ए)
			यू-2	300	24-08-09(ए)
राजस्थान	जलीपा कपूर्डी टी.पी.पी.	राज वेस्ट पावर लि. (जे.एस.डब्लू.)	यू-1	135	16-10-09(ए)
उत्तर प्रदेश	रोजा टी.पी.पी. फेज-4	रोजा पावर सप्लाई	यू-1	300	10-02-10(ए)
	कं.लि. - रिलायंस एनर्जी				
प.बंगाल	बज-बज-III	सी.ई.एस.सी.	यू-3	250	29-09-10(ए)
		कुल (2009-10):	4287		
वर्ष 2010-11					
आंध्र प्रदेश	कोनासीमा सी.सी.पी.पी.	कोनासीमा गैस पावर लि.	एस.टी.	165	30-06-10(ए)
	लैंको कोंडापल्ली फेज-II (एस.टी.)	लैंको कोंडापल्ली	एस.टी.	133	19-07-10(ए)
दिल्ली	रिठाला सी.सी.पी.पी.	एन.डी.पी.एल.	जी.टी.-1	35.75	09-12-10(ए)
			जी.टी.-2	35.75	04-10-10(ए)
क्षेत्र राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	इकाई सं.	क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक (ए). चालू होने की तिथि
गुजरात	मुंद्रा टी.पी.पी. फेज-I (यू-3&4)	अदानी पावर लि.	यू-3 यू-4	330 330	02-08-10(ए) 20-12-10(ए)
	मुंद्रा टी.पी.पी. फेज-II		यू-1	660	26-12-10(ए)
कर्नाटक	उडुपी टी.पी.पी.	यू.पी.सी.एल.	यू-1#	600	23-07-10(ए)
महाराष्ट्र	जे.एस.डब्लू. रत्नागिरी टी.पी.पी.	जे.एस.डब्लू. एनर्जी (रत्नागिरि) लि.	यू-1	300	24-08-10(ए)
			यू-2	300	09-12-10(ए)
	वर्धा वरोरा टी.पी.पी.	डब्लू.पी.सी.एल.	यू-1*	135	05-06-10(ए)
			यू-2*	135	10-10-10(ए)
			यू-3*	135	13-01-11(ए)

1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	स्टर्लाइट टी.पी.पी.	एस.टलाईट एनर्जी लि.	यू-1	600	14-10-10(ए)
			यू-2	600	29-12-10(ए)
राजस्थान	जलीपा कपूर्डी टी.पी.पी.	राज वेस्ट पावर लि. (जे.एस.डब्लू)	यू-2	135	08-07-10(ए)
उत्तर प्रदेश	रोजा टी.पी.पी. फेज-I	रोजा पावर सप्लाई कं लि. - रिलायंस एनर्जी	यू-2	300	28-06-10(ए)
		कुल (2010-11):	4929.5		
वर्ष 2011-12					
गुजरात	मुंद्रा टी.पी.पी. फेज-II	अदानी पावर लि.	यू-2	660	20-07-11(ए)
झारखंड	मैथन आरबी टी.पी.पी.	डी.वी.सी.	यू-1	525	30-06-11(ए)
कर्नाटक	उडुपी टी.पी.पी.	यू.पी.सी.एल.	यू-2#	600	17-04-11(ए)
महाराष्ट्र	जे.एस.डब्लू. रत्नागिरि टी.पी.पी.	जे.एस.डब्लू. एनर्जी (रत्नागिरि) लि.	यू-3	300	06-05-11(ए)
	वर्धा वरोरा टी.पी.पी.	डब्लू.पी.सी.एल.	यू-4*	135	30-04-11(ए)
		कुल (2011-12):	2220		
		कुल (11वीं योजना):	13069		
हिमाचल प्रदेश	अलीआन दुहांगन	ए.डी. हाइड्रो पावर लि.	यू-1	96	16-09-10(ए)
			यू-2	96	18-09-10(ए)
		कुल (2010-11):	192		
वर्ष 2010-11					
हिमाचल प्रदेश	करचम वांगटू	जे.पी. करचम हाइड्रो कॉर्पोरेशन लि.	यू-1	250	24-05-11(ए)
			यू-2	250	21-06-11(ए)
		कुल (2010-11):	500		
		कुल (11वीं योजना):	692		

टिप्पणी: # उडूपी टी.पी.पी. यू-1 एवं यू-2 के क्षमता 507.5 मेगावाट से 600 मेगावाट कर दिया गया है।

* 11वीं योजना के मध्यावधि के अनुमानित लक्ष्य में शामिल नहीं है।

एन.टी.पी.सी. द्वारा पवन ऊर्जा

2232. श्री पी.टी. थामस: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) का विचार केरल सहित देश में पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.टी.पी.सी. ने पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए कुछेक राज्य सरकारों के साथ समझौता किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) एन.टी.पी.सी. ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और केरल में पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) एन.टी.पी.सी. ने, पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य सरकारों के साथ विद्युत क्रय के करार पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने केरल और गुजरात के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के लिए योजना

2233. श्री गोपाल सिंह शेखावत: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कोई विशेष योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा कितनी धनराशि संस्वीकृत/आबंटित की गई और उपयोग में लाई गई?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

एल.आई.सी. के प्रश्न-पत्र का लीक होना

2234. प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) भर्ती परीक्षा के प्रश्न-पत्र हाल ही में हैदराबाद और दिल्ली तथा अन्य परीक्षा केन्द्रों पर भी लीक हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कितने परीक्षार्थी प्रभावित हुए;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या पेपर के लीक होने के संबंध में जिम्मेवार व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने यह सूचित किया है कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी (सामान्य) की भर्ती हेतु 27.02.2011 को निर्धारित लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र दिल्ली एवं हैदराबाद केन्द्रों पर लीक हुए थे।

(ग) परीक्षा में भाग लेने के लिए लगभग 1,65,000 उम्मीदवार पंजीकृत थे।

(घ) से (ज) सरकार ने एल.आई.सी. को यह निदेश जारी किए हैं कि उस कंपनी को काली सूची में डाला जाए जिसे परीक्षा आयोजित करने का कार्य सौंपा गया था और इस मामले को अपने बोर्ड के समक्ष लाया जाए। एल.आई.सी. बोर्ड ने दिनांक 23.7.2011 को हुई अपनी बैठक में कंपनी को काली सूची में डालने और निगम के लिए भविष्य में भर्ती संबंधी कार्य करने से इसे रोकने का निर्णय लिया है।

मितव्ययिता उपायों का कार्यान्वयन

2235. श्री जे.एम. आरुन रशीद:
श्री मानिक टैगोर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों में नए पदों के सृजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने सहित मितव्ययिता उपायों की एक लंबी सूची जारी की है;

(ख) यदि हां, तो किए गए मितव्ययिता उपायों का पूर्ण ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मंत्रालय-वार कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ग) क्या मितव्ययिता उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारत सरकार में व्यय प्रबंधन संबंधी मितव्ययिता उपायों एवं व्यय के विवेकपूर्ण उपयोग संबंधी अनुदेश 11 जुलाई, 2011 को जारी किए गए हैं। इन अनुदेशों में, पहले से ही अनुमोदित स्कीमों के आधार पर मौजूदा वर्ष के दौरान स्थापित नए संगठनों को छोड़कर, योजना एवं गैर-योजना पदों के सृजन पर रोक शामिल है। इन अनुदेशों में संगोष्ठियों/सम्मेलनों, वाहनों की खरीद, विदेश यात्रा, परामर्शदायी कार्यों से संबंधित मितव्ययिता उपाय तथा राज्यों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों को राजकोषीय अंतरण में अनुशासन के अनुपालन तथा संतुलित व्यय हेतु दिशा-निर्देश भी शामिल हैं।

2008 और 2009 में लागू किए गए मितव्ययिता उपायों में गैर-योजना व्यय में कटौती, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों, विदेश यात्रा, वाहनों की खरीद आदि से संबंधित अनुदेश शामिल थे। वर्ष 2010 में कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए थे।

कार्यान्वयन का मंत्रालय-वार ब्यौरा केंद्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इन अनुदेशों को कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी संबंधित मंत्रालयों/विभागों की होती है।

एम्स में पैकेज प्रभार प्रणाली

2236. डॉ. गिरिजा व्यास: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आम लोगों और चिकित्सकों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पैकेज प्रभार प्रणाली का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) वर्ष 1995 से कार्डियो थोरेसिक वस्कुलर सर्जरी तथा कार्डिएक प्रक्रियाओं के लिए पैकेज प्रभार चलन में हैं। इन प्रभारों का कोई विरोध नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

गर्भवती महिलाओं की मुफ्त स्वास्थ्य जांच

2237. श्री रमाशंकर राजभर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गर्भवती महिलाओं और उनके शिशुओं की मुफ्त स्वास्थ्य जांच के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अन्तर्गत नवजात शिशुओं को पौष्टिक भोजन सहित दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (घ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के संपूर्ण संरक्षण के अंतर्गत दिनांक एक जून, 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.) शुरू किया है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में बच्चे को जन्म देने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सीजेरियन सेक्शन सहित पूर्णतया नि:शुल्क और व्ययरहित प्रसव हेतु पात्र बनाता है। जन्म के उपरांत 30 दिनों तक बीमार नवजात शिशु भी

सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में पूर्णतया नि:शुल्क उपचार हेतु पात्र हैं।

इन पात्रताओं में नि:शुल्क औषधें और उपभोज्य, सामान्य प्रसव के लिए 3 दिनों और सी-सेक्शन के लिए 7 दिनों तक नि:शुल्क आहार, नि:शुल्क निदान तथा यथापेक्षित नि:शुल्क रक्त शामिल है। इस पहल में घर से संस्था तक, रेफरल के संबंध में एक सुविधा केन्द्र से दूसरे सुविधा केन्द्र तक तथा वापिस घर छोड़ने के लिए नि:शुल्क परिवहन व्यवस्था का भी प्रावधान है। इसी प्रकार की पात्रताएं सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में आने वाले सभी नवजात शिशुओं के लिए जन्म के उपरांत 30 दिनों तक उपचार हेतु निर्धारित की गई हैं।

दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी नवजात शिशुओं को 6 माह तक केवल स्तनपान ही कराया जाना चाहिए तथा इसलिए किसी नवजात शिशु के लिए किसी भी अनुपूरक आहार की आवश्यकता नहीं है।

स्कीम के इन दिशानिर्देशों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है ताकि इनका सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में कार्यान्वयन किया जा सके।

[अनुवाद]

बी.सी.जी. टीकों का परीक्षण

2238. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नै स्थित बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला बी.सी.जी. टीके की एकमात्र विनिर्माता है;

(ख) क्या इस प्रयोगशाला का बी.सी.जी. के सभी उपलबध टीकों का परीक्षण करने के लिए एक केंद्र के रूप में उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस टीके के निजी क्षेत्र में विनिर्माण का विकल्प चुनने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

करेंसी का परिचालन

2239. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर:
श्री एस.आर. जेयदुरई:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार परिचालन में मुद्रा की मूल्यवर्ग-वार कीमत कितनी है;

(ख) क्या किसी पक्ष की ओर से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों के परिचालन को रोकने की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस मांग के पीछे क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) मुद्रा के परिचालन को कम करने के संबंध में लिए गए नीतिगत निर्णयों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इससे क्या उपलब्धियां हासिल हुईं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 30 जून, 2011 को परिचालन में मुद्रा की मूल्यवर्ग-वार कीमत निम्नानुसार है:

मूल्य वर्ग में रुपए	कीमत (करोड़ रुपए)
2 और 5	4,349
10	21,663
20	6,279
50	16,431
100	144,753
500	469,080
1000	307,290

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ये कारण निम्न से संबंधित हैं-

1. बिना हिसाब-किताब वाले धन के जोखिम को रोकना,
2. करेंसी की जालसाजी बंद करना,
3. देश में राष्ट्र विरोधी और बेईमान तत्वों को नियंत्रित करना, और
4. धन शोधन (मनी लांडरिंग) को रोकना।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने करेंसी के परिचालन को घटाने का कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया है।

निजी चिकित्सकों द्वारा प्रभारित शुल्क

2240. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी चिकित्सकों और अस्पतालों द्वारा प्रभारित किए जाने वाले शुल्क को विनियमित करने के लिए कोई नीति निर्धारित की है ताकि गरीब मरीज भी उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार निजी चिकित्सकों और अस्पतालों द्वारा विभिन्न चिकित्सा उपचारों के लिए प्रभारित किए जाने वाले शुल्क को निर्धारित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) भारत सरकार ने नैदानिक संस्थापना (पंजीकरण तथा विनियमन) अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया है जो उन राज्यों, जहां यह प्रयोज्य होगा, में नैदानिक संस्थापनाओं के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए, 19.8.2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। राज्यों द्वारा इसे एक बार स्वीकार कर लेने के बाद, यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होगा कि वे कोटिपरक सेवाएं, वहन करने योग्य शुल्क (फीस) तथा प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होम्स तथा विशेष परिचर्या सुविधा केन्द्रों में कदाचार पर नियंत्रण सुनिश्चित करें।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र के बैंकों की निगरानी

2241. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किन्हीं विसंगतियों को टालने के उद्देश्य से देश में विभिन्न निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की सरकार द्वारा निगरानी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के निबंधनों के अनुसार भारत में कोई भी कंपनी बैंकिंग व्यवसाय तब तक नहीं करेगी जब तक कि उस कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा उस निमित्त निर्गत लाइसेंस प्राप्त नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त, आर.बी.आई. गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथाविहित सांविधिक उपबंधों के अंतर्गत और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, निदेशों आदि के माध्यम से विनियमन और पर्यवेक्षण करता है।

हमारे दिशा-निर्देशों के प्रति बैंक के अनुपालन (गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक सहित) की, वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के दौरान, अन्य पहलुओं के साथ-साथ नमूना आधार पर और उनके द्वारा प्रस्तुत ऑफ-साइट रिटर्नों से भी जांच की जाती है।

[हिन्दी]

कोयला आधारित विद्युत संयंत्र

2242. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल विद्युत उत्पादन की तुलना में विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की संयंत्र-वार और राज्य-वार विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या अनेक विद्युत संयंत्र संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता के अनुसार विद्युत का उत्पादन नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) वर्ष 2011-12 (जुलाई, 2011 तक) के दौरान देश में विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता, राज्यवार तथा संयंत्र-वार विद्युत उत्पादन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) विद्युत संयंत्र का कार्य निष्पादन कई घटकों यथा संयंत्र का प्रकार/श्रेणी (जल, तापीय, परमाणु), स्थापित क्षमता, यूनिटों की डिजाइन और आयु, मरम्मत हेतु बंदी (जबरन) और नियोजित अनुरक्षण, जल उपलब्धता, ईंधन की मात्रा और गुणवत्ता आदि पर निर्भर करता है। संयंत्र भार घटक (प्लांट लोड फैक्टर) ताप विद्युत उत्पादक यूनिकों की स्थापना क्षमता के उपयोग का सूचक है। अप्रैल-जुलाई, 2011 की अवधि में राष्ट्रीय औसत पी.एल.एफ. से निम्न पी.एल.एफ. वाले कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों का ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है। कम पी.एल.एफ. के मुख्य कारण यूनिटों की विंटेज, अप्रचलित तकनीक, दीर्घावधिक जबरनबंदी, कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता इत्यादि है।

(घ) देश में ताप विद्युत स्टेशनों का पी.एल.एफ. बढ़ाने हेतु लिए गए/लिए जा रहे कदमों में (I) पुरानी तथा अकुशल उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार (II) बड़े आकार की यूनिटों/सुपर क्रिटिकल उत्पादन यूनिटों की शुरूआत (III) कोयले की मांग तथा उसकी घरेलू स्त्रोतों से उपलब्धता के बीच के अंतर को पाटने के उद्देश्य से विद्युत यूटिलिटियों द्वारा कोयला आयात करने पर बल देना इत्यादि शामिल है।

विवरण I

देश में वर्ष 2011-12 (जुलाई, 2011 तक) के दौरान राज्यवार एवं संयंत्रवार ताप विद्युत उत्पादन क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन

क्षेत्र	राज्य	क्षेत्र	ताप विद्युत केंद्र	क्षमता (मेगावाट) 31.07.11 को	वास्तविक उत्पादन* (मिलियन यूनिट)
1	2	3	4	5	6
उ. क्षेत्र	दिल्ली	केंद्र	बदरपुर टीपीएस	705.0	1671
		राज्य	आईपी. सीसीपीपी	270.0	423
			प्रगति सीसीजीटी-III	500.0	5
			प्रगति सीसीपीपी	330.4	778
			राजघाट टीपीएस	135.0	288
		निजी	रिठाला सीसीपीपी	71.5	105
	हरियाणा	केंद्र	फरीदाबाद सीसीपीसी	431.6	826
			इंदिरा गांधी एसटीपीपी	500.0	548
		राज्य	पानीपत टीपीएस	1360.0	3221
			राजीव गांधी टीपीएस	1200.0	1648

1	2	3	4	5	6
			यमुना नगर टीपीएस	600.0	1338
जम्मू और कश्मीर		राज्य	पंपोर जीपीएस (लिक्विड)	175.0	0
	पंजाब	राज्य	जीएच टीपीएस (लेहरा मोह)	920.0	2349
			जीएनडीटीपीएस (भटिंडा)	440.0	593
			रोपर टीपीएस	1260.0	3236
	राजस्थान	केंद्र	अंता सीसीपीपी	419.3	849
			बरसिंगसर लिग्नाईट	250.0	37
		राज्य	छाबरा टीपीपी	500.0	722
			धोलपुर सीसीपीपी	330.0	830
			गिराल टीपीएस	250.0	141
			कोटा टीपीएस	1240.0	3271
			रामगढ़ सीसीपीपी	113.8	178
			सुरतगढ़ सीसीपीपी	1500.0	3499
		निजी	जपीलाकपुर्डी टीपीपी	270.0	62
	उत्तर प्रदेश	केन्द्र	औरैया सीसीपीपी	663.4	1224
			दादरी (एनसीटीपीपी)	1820.0	4908
			दादरी सीसीपीपी	829.8	1646
			रिहंद एसटीपीएस	2000.0	5810
			सिंगरौली एसटीपीएस	2000.0	5057
			टांडा टीपीएस	440.0	1072
			ऊंचाहार टीपीएस	1050.0	2714
		राज्य	अनपारा टीपीएस	1630.0	4003
			हरदुआगंज टीपीएस	220.0	0
			ओबरा टीपीएस	1372.0	1268
			पनकी टीपीएस	210.0	302
			परीछा टीपीएस	640.0	1110
		निजी	रोजा टीपीपी फेज-I	600.0	1615
उ.क्षेत्र कुल				27246.8	57349

1	2	3	4	5	6
पश्चिम क्षेत्र	छत्तीसगढ़	केन्द्र	भीलाई आइएमपी		
			भीलाई टीपीएस	500.0	1232
			कोरबा एसटीपीएस	2600.0	6547
			सिपत एसटीपीएस	1660.0	2795
		राज्य	डीएसपीएम टीपीएस	500.0	886
			कोरबा II	200.0	470
			कोरबा III	240.0	553
			कोरबा वेस्ट टीपीएस	840.0	2229
		निजी	ओपी जिंदल टीपीस	1000.0	2916
			पथाडी टीपीपी	600.0	1196
	गोआ	निजी	गोआ सीपीपी (लिक्विड)	48.0	75
	गुजरात	केन्द्र	गंधार सीसीपीपी	657.4	1315
			कवास सीसीपीपी	656.2	1030
		राज्य	एक्रीकोटा लिंग टीपीएस	250.0	446
			ध्रुवरान सीसीपीपी	218.6	435
			गांधी नगर टीपीएस	870.0	1789
			हजीरा सीसीपीपी	156.1	290
			कच्छ लिग टीपीएस	290.0	430
			सिक्का रिप टीपीएस	240.0	382
			उकाई टीपीएस	850.0	1779
			उतरान सीसीपीपी	518.0	1091
			वानकबोरी टीपीएस	1470.0	3453
		निजी	बरौदा सीसीपीसपी	160.0	302
			एस्सार सीसीपीपी	515.0	193
			जीआईपीसीएल जीटी आईएमपी		65
			मुंद्रा टीपीएस	1980.0	4111
			पेगुथान सीसीपीपी	655.0	1067
			सुजेन सीसीपीपी	1147.5	2896
			सुरत लिंग टीपीएस	500.0	1035

1	2	3	4	5	6
		निजी यूटीलिटी	साबरमती (सी स्टेशन)	60.0	117
			साबरमती (डी-एफ-स्टेशन)	340.0	867
			वतवा सीसीपीपी	100.0	171
	मध्य प्रदेश	केन्द्र	विंध्याचल एसटीपीएस	3260.0	8707
		राज्य	अमरकंटक एक्टें टीपीएस	450.0	686
			संजय गांधी टीपीएस	1340.0	2726
			सतपुरा टीपीएस	1142.5	1679
	महाराष्ट्र	केन्द्र	रत्नागिरी सीसीपीपी I	740.0	909
			रत्नागिरी सीसीपीपी II	740.0	1699
			रत्नागिरी टीपीएस III	740.0	1723
		राज्य	भुसावल टीपीएस	420.0	850
			चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	2340.0	4494
			खापड़खेरा टीपीएस-II	840.0	2026
			कोराडी टीपीएस	1040.0	1380
			नासिक टीपीएस	880.0	1596
			नई पार्ली टीपीएस	500.0	762
			पारस एक्सपैं.	500.0	1002
			पार्ली टीपीएस	630.0	1010
			उरान सीसीपीपी	672.0	1440
		निजी	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	900.0	1764
			वर्धा वरोरा टीपीपी	540.0	962
			निजी यूटीलिटी दहानु टीपीएस	500.0	1504
			ट्रांबे सीसीजीटी	180.0	537
			ट्रांबे टीपीएस	1400.0	2593
पश्चिम क्षेत्र कुल				39576.3	82191
दक्षिण क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	केन्द्र	रामागुंडम एसटीपीएस	2600.0	7111
			सिम्हाद्री	1500.0	2994

1	2	3	4	5	6
		राज्य	डा. एन. टाटा राव टीपीएस	1760.0	4837
			काकतिया टीपीएस	500.0	968
			कोथागुडेम टीपीएस	720.0	1708
			कोथागुडेम टीपीएस (नया)	1000.0	1267
			रामागुंडम बी (टीपीएस)	62.5	163
			रायलसीमा टीपीएस	1050.0	2733
		निजी	गौतमी सीसीपीपी	464.0	1148
			जीएमआर एनर्जी लि.–काकीनाडा	220.0	580
			गोदावरी सीसीपीपी	208.0	440
			जेगुरूपाडु सीसीपीपी	455.4	1019
			कोनासीमा सीसीपीपी	445.0	919
			कोंडापल्ली एक्स. सीसीपीपी	366.0	845
			कोंडापल्ली सीसीपीपी	350.0	710
			एलवीएस पावर डीजी	36.8	13
			पेड्डापुरम सीसीपीपी	220.0	446
			वेमागिरी सीसीपीपी	370.0	988
	कर्नाटक	राज्य	बेल्लारी टीपीएस	500.0	1036
			रायचुर टीपीएस	1720.0	3536
			येलहांका (डीजी)	127.9	178
		निजी	बेलगांव डीजी	81.3	45
			बेल्लारी डीजी	25.2	11
			तारांगलू टीपीएस (एमबीयू I)	260.0	684
			तारांगलू टीपीएस (एसबीयू-II)	600.0	1144
			उडुपी टीपीपी	1200.0	1069
	केरल	केन्द्र	आर.गांधी सीसीपीपी (लिक्विड)	359.6	423
		राज्य	ब्रह्मपुरम डीजी	106.6	25
			कोझीकोड डीजी	128.0	80
		निजी	कोचीन सीसीपीपी (लिक्विड)	174.0	49

1	2	3	4	5	6
	पुडुचेरी	राज्य	करैकाल सीसीपीपी	32.5	78
	तमिलनाडु	केन्द्र	नेवेली (एक्स). टीपीएस	420.0	1053
			नेवेली टीपीएस-I	600.0	1221
			नेवेली टीपीएस-II	1470.0	3886
		राज्य	बेसिन ब्रीज जीटी (लिक्विड)	120.0	30
			इन्नौर टीपीएस	450.0	418
			कोवीकलप्पल सीसीपीपी	107.0	234
			कुट्टलम सीसीपीपी	100.0	113
			मेट्टूर टीपीएस	840.0	2341
			नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	630.0	1698
			तूतीकोरीन टीपीएस	1050.0	2751
			वलूथूर सीसीपीपी	186.2	282
		निजी	बे. ब्रीज डीजी	200.0	313
			करूपुर सीसीपीपी	119.8	254
			नेवेली टीपीएस (जेड)	250.0	636
			पी. नल्लूर सीसीपीपी	330.5	564
			सामलपट्टी डीजी	105.7	96
			समयानल्लूर डीजी	106.0	90
			वेलनथारवी सीसीपीपी	52.8	123
दक्षिण क्षेत्र कुल				24780.8	53351
पूर्वी क्षेत्र	अंडमान और निकोबार	राज्य	अंडमान निकोबार डीजी	40.1	30
	बिहार	केन्द्र	कहलगांव टीपीएस	2340.0	4352
			मुजफ्फरपुर टीपीएस	220.0	119
		राज्य	बरौनी टीपीएस	310.0	48
	डीवीसी	केन्द्र	बोकारो बी टीपीएस	630.0	1120
			चंद्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस	890.0	997
			दुर्गापुर टीपीएस	340.0	486

1	2	3	4	5	6
			कोडरमा टीपीपी	500.0	
			मैथन जीटी (लिक्विड)	90.0	0
			मैथन आबी टीपीपी	525.0	0
			मेजिआ टीपीएस	2340.0	3071
	झारखंड	राज्य	पतरातू टीपीएस	770.0	114
			तेनुघाट टीपीएस	420.0	629
		निजी	जोजोबरा टीपीएस	360.0	759
	उड़ीसा	केन्द्र	तलचर (ओल्ड) टीपीएस	470.0	1292
			तलचर एसटीपीएस	3000.0	7245
		राज्य	आईबी वेली टीपीएस	420.0	968
		निजी	स्टर्लाइट टीपीपी	1200.0	1904
	पश्चिम बंगाल	केन्द्र	फरक्का एसटीपीएस	2100.0	3311
		राज्य	वकरेश्वर टीपीएस	1050.0	2557
			बंडेल टीपीएस	450.0	649
			डीपीएस टीपीएस	690.0	498
			हल्दीया जीटी (लिक्विड)	40.0	0
			कसबा जीटी (लिक्विड)	40.0	0
			कोलाघाट टीपीएस	1260.0	2493
			सागरदीघी टीपीएस	600.0	1388
			संतालडीह टीपीएस	980.0	694
		निजी	चीनाकुरी टीपीएस	30.0	34
		निजी यूटीलिटी	बज-बज टीपीएस	750.0	2096
			नई कोसीपुर टीपीएस	160.0	110
			सदर्न रिप्लेसमेंट टीपीएस	135.0	379
			टीटागढ़ टीपीएस	240.0	633
पूर्वी क्षेत्र कुल				23390.1	38118

1	2	3	4	5	6
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	असम	केन्द्र	कथनगुरी सीसीपीपी	291.0	621
		राज्य	चंद्रपुर (असम) टीपीएस	60.0	0
			लकवा जीटी	120.0	238
			नामरूप सीसीपीपी	95.0	192
			नामरूप एसटी	24.0	0
	मणिपुर	राज्य	लिमखोंगडीजी	36.0	0
	त्रिपुरा	केन्द्र	अगरतला जीटी	84.0	213
		राज्य	बारामुरा जीटी	58.5	118
			रोखिया जीटी	90.0	136
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कुल				858.5	1518
अखिल भारतीय थर्मल (कुल)				115852.4	232527

*अनंतिम

विवरण II

2011-12 (जुलाई, 2011 तक) के दौरान कोयला आधारित ताप केन्द्र जिनका पीएलएफ राष्ट्रीय औसत पीएलएफ 75% के कम है

क्षेत्र	राज्य	क्षेत्र	केंद्र का नाम	क्षमता (मेगावाट) 1.07.2011 तक	पीएलएफ (%)*
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र	दिल्ली	राज्य	राजघाट टीपीएस	135	72.8
	हरियाणा	केन्द्र	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	500	37.5
	पंजाब	राज्य	जीएनडी टीपीएस (भटिंडा)	440	46.0
	राजस्थान	निजी	जलिपा कपूर्डी टीपीपी	270	7.8
		राज्य	छाबरा टीपीपी	500	63.4
			गिरल टीपीएस	250	12.9
	उत्तर प्रदेश	राज्य	ओबरा टीपीएस	1372	31.6
			पनकी टीपीएस	210	49.2

1	2	3	4	5	6
			परीछा टीपीएस	640	59.3
पश्चिमी क्षेत्र	छत्तीसगढ़	निजी	पथाडी टीपीपी	600	68.1
		राज्य	डीएसपीएम टीपीएस	500	60.5
	गुजरात	निजी	मुंद्रा टीपीएस	1980	70.3
			सुरत लिग टीपीएस	500	69.0
		निजी यूटीलिटी	साबरमती (सी स्टेशन)	60	66.4
		राज्य	एक्रीमोटा लिग टीपीएस	250	60.9
			गांधी नगर टीपीएस	870	70.2
			कच्छ लिग टीपीएस	290	50.7
			सिक्का रिप्ले टीपीएस	240	54.3
			उकाई टीपीएस	850	71.5
	मध्य प्रदेश	राज्य	एक्रीमोटा एक्टें टीपीएस	450	52.1
			संजय गांधी टीपीएस	1340	69.5
			सतपुरा टीपीएस	1142.5	50.2
	महाराष्ट्र	निजी	वर्धा वरोरा टीपीपी	540	68.2
		निजी यूटीलिटी	ट्रांबे टीपीएस	1400	63.3
		राज्य	भुसावल टीपीएस	420	65.2
			कोराडी टीपीएस	1040	45.3
			नासिक टीपीएस	880	62.0
			नई पार्ली टीपीएस	500	52.1
			पारस एक्सपैं.	500	68.5
			पार्ली टीपीएस	630	53.1

1	2	3	4	5	6
			चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	2340	65.6
दक्षिण क्षेत्र	कर्नाटक	निजी	तोरांगलू टीपीएस (एसबीयू-II)	600	65.1
		राज्य	बेल्लारी टीपीएस	500	70.7
			रायचूर टीपीएस	1720	70.2
	तमिलनाडु	केन्द्र	नेवेली टीपीएस-I	600	69.5
		राज्य	इन्नौर टीपीएस	450	31.7
	आंध्र प्रदेश	राज्य	काकतीया टीपीएस	500	66.1
पूर्वी क्षेत्र	बिहार	केन्द्र	कहलगांव टीपीएस	2340	63.5
			मुजफ्फरपुर टीपीएस	220	18.5
		राज्य	बरौनी टीपीएस	310	5.3
	डीवीस	केन्द्र	बोकारो बी टीपीएस	630	60.7
			चंद्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस	890	64.1
			दुर्गापुर टीपीएस	340	48.8
	झारखंड	निजी	जोजोबेरा टीपीएस	360	72.0
		राज्य	पतरातू टीपीएस	770	5.1
			तेनुघाट टीपीएस	420	51.2
	पश्चिम बंगाल	केन्द्र	फरक्का एसटीपीएस	2100	70.7
		निजी	चीनाकुरी टीपीएस	30	38.2
		निजी यूटीलिटी	नई कोसीपुर टीपीएस	160	23.6
		राज्य	बंडेल टीपीएस	450	49.3
			डीपीएल टीपीएस	690	24.6
			कोलाघाट टीपीएस	1260	67.6
			संतालडीह टीपीएस	980	32.5

*अनंतिम

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ द्विपक्षीय समझौता

2243. श्री राधे मोहन सिंह:
श्री एम.के. राघवन:
श्री प्रेमदास राय:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों और विदेशी बाजार में भारतीय पर्यटन विपणन सहित देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश/अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ द्विपक्षीय समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार को देश-वार कितनी विदेशी वित्तीय सहायता मिली है; और

(ग) उक्त समझौते से कितना राजस्व अर्जित किये जाने का अनुमान है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (ग) भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ गंतव्य विकास, प्रबंधन, संवर्धन, विपणन और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से 46 देशों के साथ द्विपक्षीय करारों/समझौता ज्ञापनों, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (आई.बी.एस.ए.) के मध्य एक त्रिपक्षीय करार एवं इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन फॉर टूरिज्म कोऑपरेशन के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

वर्ष 2003 में अजंता एलोरा संरक्षण के चरण-II और पर्यटन विकास परियोजना के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) के साथ 7331 मिलियन जापानी येन के बराबर की राशि हेतु एक ऋण करार पर भी हस्ताक्षर किये गये।

पर्यटन मंत्रालय इनबाउण्ड पर्यटन और विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि की अपेक्षा करता है।

आई.एफ.सी.आई. का पुनर्गठन

2244. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.), बीमा कंपनियों और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यू.टी.आई.) आदि जैसे सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम (आई.एफ.सी.आई.) में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) आई.एफ.सी.आई. में अपनी देनदारियों के पुनर्गठन के लिए उक्त संस्थाओं को पृथक रूप से कितनी धनराशि गंवानी पड़ी; और

(ग) एक कंपनी के रूप में इसके पंजीकरण के पश्चात आई.एफ.सी.आई. को वित्त मंत्रालय द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आई.एफ.सी.आई.) द्वारा यथा-सूचित 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियां तथा यू.टी. आई. आदि सहित वित्तीय संस्थानों द्वारा आई.एफ.सी.आई. लिमिटेड में किए गए निवेश का विवरण निम्नानुसार है:

सुविधा	सरकारी क्षेत्र के बैंक	बीमा कंपनियां	कुल
बांड और डिबेंचर	3112.36	1574.80	4687.16
अधिमानी शेयर	256.18	5.65	261.83
सकल योग	3368.54	1580.45	4948.90

इसके अलावा, सरकार क्षेत्र के बैंक तथा यू.टी.आई. सहित बीमा कंपनियां 20,01,14,274 इक्विटी शेयर (संख्या) रखते हैं, जिनका अंकित मूल्य 10/रुपए प्रति शेयर है, तथा दिनांक 31.12. 2010 की स्थिति के अनुसार आई.एफ.सी.आई. में उनकी प्रतिशत शेयर धारिता 27.122 थी।

(ख) मूल राशि के संबंध में कोई घाटा नहीं रहा है। गैर-एस. एल.आर. निवेश पर, लगभग 13% से 6% की एक औसत दर से निवेश के 50% पर ब्याज दर में कटौती के जरिए एक पुनर्गठन किया गया तथा शेष 50% निवेश को शून्य कूपन वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचरों में परिवर्तित किया गया।

(ग) भारत सरकार द्वारा आई.एफ.सी.आई. को कंपनी के रूप में पंजीकृत होने के समय से प्रदत्त वित्तीय सहायता का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
2001-2002	400.00
2002-03	523.00
2003-04	1573.00
2004-05	316.00
2005-06	300.00
2006-07	220.31
कुल	3332.31

यह वित्तीय सहायता चूक रोकने, प्रणालीगत जोखिमों को कम करने, छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा करने तथा वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए थी।

सहकारी ऋणप्रदाता संस्थाओं को ब्याज राजसहायता

2245. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा:
श्री हरिभाऊ जावले:
श्री रूद्र माधव राय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी ऋणप्रदाता संस्थाओं को ब्याज की राजसहायता दर पर किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार किस प्रकार से व्यवस्था की सहायता करती है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सहकारी ऋणप्रदाता संस्थाओं को हुई हानि, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ब्याज रियायत के लिए फसल ऋण की सीमा बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) भारत सरकार द्वारा किसानों को एक वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2006-07 से ब्याज सहायता योजना क्रियान्वित की जा रही है। भारत सरकार तत्काल भुगतान करने वाले किसानों अर्थात जो अपने ऋण समय पर वापिस अदा करते हैं, को वर्ष 2009-10 से अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। यह अतिरिक्त सहायता 2009-10 में 1% और 2010-11 में 2% थी। वर्ष 2011-12 में इसे बढ़ाकर 3% किया जा रहा है।

सहकारी बैंकों को ब्याज सहायता योजना के कार्यान्वियन हेतु रियायती दर पर पुनर्पूंजीकृत किया जा रहा है। सहकारी बैंकों सहित बैंकों को ब्याज सहायता की दर को निधियों की लागत को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। सरकार राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को सहकारी बैंकों को रियायती पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए भी सहायता दे रही है। सहकारी बैंकों को अल्पावधि फसल ऋणों हेतु पुनर्वित्त की दर वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में क्रमश: 2.5%, 3%, 3.5%, 4% एवं 4% थी।

[हिन्दी]

पंचायत में महिलाओं का सशक्तिकरण

2246. श्रीमती दीपा दासमुंशी:
डा. कृपारानी किल्ली:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पंचायतों के कार्यकरण में महिला सरपंचों के संबंधियों/पुरुष सदस्यों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर गौर किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस परिपाटी को समाप्त करने के लिए कोई दिशानिर्देश तैयार किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार पंचायती राज संस्थाओं की चुनी गयी महिला प्रतिनिधियों के सशक्तीकरण हेतु प्रशिक्षण एवं ज्ञान प्रदान करती है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में लागू की जा रही योजना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित और जारी की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) से (घ) विभिन्न मंचों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि कभी-कभी, जब एक महिला सदस्य पंचायती राज संस्थान में कार्यभार संभालती है, उसके पति, पिता अथवा भाई उस संस्थान को चलाने का प्रयास करते हैं तथा कई बार कार्यालय में आते हैं और संस्थान का औपचारिक काम करने वाले अध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख के साथ बैठ जाते हैं। महिला सशक्तिकरण में निहितार्थ यह है कि महिला स्वयं अपने कार्यालय के उत्तरदायित्व को संभाले तथा अपने निकट संबंधियों के पक्ष में कार्यभार नहीं छोड़ेगी। चूंकि पंचायती राज संस्थान संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायत अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के तहत अधिशासित किए जा रहे हैं तथा आरंभिक रूप से उन्हें ही ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करनी होती है इसलिए दिनांक 19.01.2010 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक पत्र भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि संबद्ध पंचायती राज संस्थान अधिनियम के तहत इस सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले आचरण को संबंधित पंचायती राज संस्थान अधिनियम के अंतर्गत दुराचरण माना जाएगा तथा तदनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी उस महिला पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे जो कार्यालय प्रशासन में अपने संबंधियों को हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त दिनांक 16.2.2010 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह बताया गया था कि यह उत्तरदायित्व पंचायत अधिकारियों/सचिवों का भी होगा कि वे पंचायत बैठकों में निर्वाचित प्रतिनिधि के स्थान पर उनके संबंधियों को भाग न लेने दें। जो अधिकारी/सचिव पदाधिकारी के स्थान पर उनके संबंधी को भाग लेने की अनुमति प्रदान करेगा वह भी ऐसे हस्तक्षेप का समान रूप से अपराधी होगा तथा ऐसे चूककर्ता अधिकारियों/सचिवों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) सरकार पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा कर्मियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए प्रबंध करती है जिससे वे उन्हें अंतरित कार्यों को कर पाएं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है।

(च) वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आर.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत जारी की गई राशि इस प्रकार है:

वर्ष	रु. करोड़ों में
2008-09	46.35
2009-10	44.23
2010-11	72.70

आर.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2010-11 के दौरान प्रशिक्षित की गई निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 380995 है।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों पर किए गए एक अध्ययन, जिसे वर्ष 2008 में जारी किया गया था, में यह दर्शाया गया है कि चुनाव के पश्चात प्राप्त प्रशिक्षण का निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों पर उनके कार्य निष्पादन के साथ महत्वपूर्ण सकारात्मक पारस्परिक संबंध है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि चुनाव के पश्चात 54.1 प्रतिशत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों तथा 81.8 प्रतिशत महिला प्रधानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

कृषिगत आय गारंटी योजना

2247. श्री भूदेव चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कृषिगत आय बीमा योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों की आय के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (ए.आई.सी.आई.) द्वारा रबी 2003-04 तथा खरीफ 2004 के दौरान गेहूं एवं धान के लिए कृषि आय बीमा योजना का कार्यान्वयन प्रायोगिक आधार पर 13 राज्यों में किया गया था, परन्तु तत्पश्चात् इस योजना को वापिस ले लिया गया था। किसानों की आय की सुरक्षा विभिन्न उपायों द्वारा की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल बीमा, निविष्टि आर्थिक सहायता (इन्पुट सब्सिडी) शामिल है।

[अनुवाद]

निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं

2248. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक और अन्य एजेन्सियों की सहायता से देश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन एजेन्सियों द्वारा प्रत्येक परियोजना को कितनी निधियां आबंटित की गईं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) विश्व बैंक और अन्य एजेंसियों की सहायता से देश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे, राज्यवार, इन एजेंसियों द्वारा प्रत्येक परियोजना को आबंटित राशि और इन परियोजनाओं को पूरा किए जाने में लगने वाला संभावित समय संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता से देश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वित्तपोषक एजेंसी (मुद्रा)	ऋण राशि (मिलियन)	क्रियान्वयन एजेंसी	राज्य	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	हैदराबाद में आई.डी.पी. 178 पारेषण प्रणाली का आधुनिकीकरण	जे.आई.सी.ए. (जेवाई)	23697.00	ए.पी. ट्रांस्को	आंध्र प्रदेश	11/07/2014
2.	आई.डी.पी. 216 आंध्र प्रदेश गामीण उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली परियोजना	जे.आई.सी.ए. (जेवाई)	18590.00	ए.पी. ट्रांस्को	आंध्र प्रदेश	16/06/2019
3.	200166298-2*800 मेगावाट कृष्णापटनम टी.पी.पी.	के.एफ.डब्ल्यू. (यूरो)	281.00	ए.पी.पी.डी.सी.एल.	आंध्र प्रदेश	30/12/2012
4.	2592-इंड. असम विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस्त-1	ए.डी.बी. (यू.एस.डी.)	60.30	ए.एस.ई.बी.	असम	28/02/2014
5.	2677-इंड असम विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस्त-II	ए.डी.बी. (यू.एस.डी.)	89.70	ए.एस.ई.बी.	असम	30/11/2013
6.	2681-इंड. बिहार विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना	ए.डी.बी. (यू.एस.डी.)	132.20	बी.एस.ई.बी.	बिहार	30/06/2016
7.	7748-इन हरियाणा विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना	आई.बी.आर.डी. (यू.एस.डी.)	330.00	एच.वी.पी.एन.एल./डी. एच.बी.वी.एन.एल.	हरियाणा	31/12/2014
8.	2461-इंड. हि.प्र. स्वच्छ ऊर्जा विकास निवेश कार्यक्रम किस्त-I	ए.डी.बी. (यू.एस.डी.)	150.00	एच.पी.पी.सी.एल.	हिमाचल प्रदेश	31/03/2014
9.	2596-इंड. हि.प्र. स्वच्छ ऊर्जा विकास निवेश कार्यक्रम किस्त-II	ए.डी.बी. (यू.एस.डी.)	59.10	एच.पी.पी.सी.एल.	हिमाचल प्रदेश	30/06/2014
10.	2687-इंड. हि.प्र. स्वच्छ ऊर्जा विकास निवेश कार्यक्रम किस्त-III	ए.डी.बी. (यू.एस.डी.)	208.00	एच.पी.पी.सी.एल.	हिमाचल प्रदेश	30/06/2016
11.	आई.डी.पी.-177 बंगलौर वितरण उन्नयन परियोजना	जे.आई.सी.ए. (जेवाई)	10643.00	बेस्कॉम	कर्नाटक	11/07/2015
12.	2323-इंड. मध्य प्रदेश विद्युत विकास कार्यक्रम-किस्त-I	ए.डी.बी. (यू.एस.डी.)	106.00	एम.पी.पी.टी.सी.एल.	मध्य प्रदेश	31/03/2012
13.	2324-इंड. मध्य प्रदेश विद्युत विकास कार्यक्रम किस्त-II	ए.डी.बी. (यू.एस.डी.)	45.00	डिस्कॉम-ई	मध्य प्रदेश	30/06/2012
14.	2346-इंड. मध्य प्रदेश विद्युत विकास कार्यक्रम किस्त-III	ए.डी.बी. (यू.एस.डी.)	144.00	एम.पी.पी.टी.सी.एल.	मध्य प्रदेश	31/03/2012
15.	2347-इंड. मध्य प्रदेश विद्युत विकास कार्यक्रम किस्त-IV	ए.डी.बी. (यू.एस.डी.)	90.00	डिस्कॉम-ई.डब्ल्यू.सी	मध्य प्रदेश	30/06/2012
16.	2520-इंड, मध्य प्रदेश विद्युत विकास कार्यक्रम किस्त-V	ए.डी.बी. (यू.एस.डी.)	166.00	डिस्कॉम-ई.डब्ल्यू.सी.	मध्य प्रदेश	30/06/2013
17.	2732-इंड. मध्य प्रदेश विद्युत विकास कार्यक्रम किस्त-VI	ए.डी.बी. (यू.एस.डी.)	69.00	डिस्कॉम-ई.डब्ल्यू.सी.	मध्य प्रदेश	30/06/2014
18.	आई.डी.पी.-217 मध्य प्रदेश पारेषण प्रणाली आधुनिकीकरण परियोजना	जे.आई.सी.ए. (जेवाई)	18475.00	एम.पी.पी.टी.सी.एल.	मध्य प्रदेश	16/06/2018
19.	आई.डी.पी.-188 महाराष्ट्र पारेषण प्रणाली	जे.आई.सी.ए. (जेवाई)	16749.00	एम.एस.ई.टी.सी.एल.	महाराष्ट्र	28/11/2014
20.	7687-इन कोल फायर्ड जेनरेशन रिहैब्लिटेशन प्रोजेक्ट का आर. एंड एम.	आई.बी.आर.डी./जी.ई.एफ. (यू.एस.डी.)	225.40	डब्ल्यू.बी.पी.डी.सी.एल. एम.एस.पी.जी.सी.एल. एच.पी.जी.सी.एल.	पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र हरियाणा	31/12/2014

1	2	3	4	5	6	7
21.	आई.डी.पी.-156 उमियम चरण-II नवीकरण एवं आधुनिकीकरण परियोजना	जे.आई.सी.ए. (जेवाई)	1964.00	एम.ई.एस.ई.बी.	मेघालय	18/06/2012
22.	2309-इंड उत्तराखंड विद्युत विकास परियोजना किस्त-I	ए.डी.बी. (यू.एस.डी.)	41.92	यू.जे.वी.एन.एल.	उत्तराखंड	30/06/2012
23.	2498-इंड उत्तराखंड विद्युत विकास परियोजना किस्त-II	ए.डी.बी. (यू.एस.डी.)	62.40	पी.टी.सी.यू.एल.	उत्तराखंड	30/06/2012
24.	2502-इंड उत्तराखंड विद्युत विकास परियोजना किस्त-III	ए.डी.बी. (यू.एस.डी.)	30.6.	पी.टी.सी.यू.एल.	उत्तराखंड	30/06/2012
25.	आई.डी.पी.-169 ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	जे.आई.सी.ए. (जेवाई.)	20629.00	आर.ई.पी.	आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश	31/03/2012
26.	आई.डी.पी.-90 हरियाणा में ई.एच.वी. पारेषण प्रणाली	जे.आई.सी.ए. (जेवाई)	20909.00	आर.ई.सी./एम.वी. पी.एन.एल.	हरियाणा	24/07/2014
27.	2005-66-638 हरियाणा में उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली	के.एफ.डब्ल्यू. (यूरो)	70.00	आर.ई.सी./यू.एच. बी.वी.एन.एल.	हरियाणा	30/12/2013
28.	एच.ई.पी.एस. के आर. एंड एम. के लिए अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम	के.एफ.डब्ल्यू. (यूरो)	103.59	पी.एफ.सी./ यू.जे.वी.एन.एल.	उत्तराखंड	30/06/2014
29.	4890-इन विद्युत प्रणाली विकास परियोजना-4	आई.बी.आर.डी. (यू.एस.डी.)	600.00	पावरग्रिड	बहुराज्यीय	31/07/2013
30.	7593-इन अतिरिक्त वित्तपोषण विद्युत प्रणाली विकास परियोजना-4	आई.बी.आर.डी. (यू.एस.डी.)	400.00	पावरग्रिड	बहुराज्यीय	31/07/2014
31.	7787-इन विद्युत प्रणाली विकास परियोजना-5	आई.बी.आर.डी. (यू.एस.डी.)	1000.00	पावरग्रिड	बहुराज्यीय	31/06/2015
32.	2152-इंड. पावरग्रिड पारेषण (क्षेत्र) परियोजना-III	ए.डी.बी. (यू.एस.डी.)	400.00	पावरग्रिड	बहुराज्यीय	31/06/2013
33.	2415-इंड. राष्ट्रीय पावरग्रिड विकास निवेश कार्यक्रम किस्त-I	ए.डी.बी. (यू.एस.डी.)	400.00	पावरग्रिड	बहुराज्यीय	31/06/2013
34.	2510-इंड. राष्ट्रीय पावरग्रिड विकास निवेश कार्यक्रम किस्त-II	ए.डी.बी. (यू.एस.डी.)	200.00	पावरग्रिड	बहुराज्यीय	31/06/2014
35.	200765883 पारे एच.ई.पी.	के.एफ.डब्ल्यू. (यूरो)	80.00	नीपको	बहुराज्यीय	31/03/2014
36.	4870-इन रामपुर एच.ई.पी.	आई.बी.आर.डी. (यू.एस.डी.)	400.00	एस.जे.वी.एन.एल.	बहुराज्यीय	30/09/2013
37.	8078-इन विष्णुगाड पीपलकोटी एच.ई.पी. #	आई.बी.आर.डी. (यू.एस.डी.)	648.00	एस.जे.वी.एन.एल.	बहुराज्यीय	31/05/2016

करार हस्ताक्षरित, ऋण अभी प्रभावी किया जाना है।

राज्यों की खराब वित्तीय स्थिति

2249. श्री अम्बिका बनर्जी:
श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान विशेषकर पश्चिम बंगाल में किए गए विश्लेषण का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास राज्य सरकारों को उनकी खराब वित्तीय स्थिति से उबारने हेतु सहायता देने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) तेरहवें वित्त आयोग (एफ.सी.-XIII) द्वारा यह नोट किया गया है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार लगभग 2004-05 में अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत उच्च प्रगति दर की सहायता से तथा राज्यों के अपने राजस्व में वृद्धि तथा केंद्रीय अंतरण के फलस्वरूप शुरू हुआ। इस सुधार में बारहवें वित्त आयोग (टी.

एफ.सी.) द्वारा केंद्रीय करों में राज्यों के शेयर को 29.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 30.5 प्रतिशत करने की सिफारिश से फिर से वृद्धि हुई। बारहवें वित्त आयोग ने राज्यों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के अधिनियमन से संबद्ध ऋण समेकन एवं राहत सुविधा (डी. सी.आर.एफ.) की सिफारिश की, इसके फलस्वरूप राज्यों की वित्तीय स्थिति में पर्याप्त सुधार आया।

2. वर्ष 2010-11 में भारतीय अर्थव्यवस्था की सकारात्मक वृद्धि संबंधी दृष्टिकोण राज्यों के अपने बजटीय कर संग्रहण को हासिल करने का शुभ संकेत है। तेरहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्रीय करों की शेयर-योग्य निवल आय में राज्यों के शेयर को 30.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत किया जाए।

3. "राज्यों की वित्तीय स्थिति-बजट 2010-11 का एक अध्ययन" संबंधी अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह नोट किया कि वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक की अवधि में राज्य की वित्तीय स्थिति की समेकित स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दिया है तथा अधिकांश राज्यों द्वारा 2010-11 में अपने राजस्व लेखे में सुधार लाने की संभावना है।

4. पंजाब तथा केरल के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल उन तीन सामान्य श्रेणी के राज्यों में से एक है जिसे वर्ष 2007-08 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग (एफ.सी.-XIII) ने राजस्व घाटा राज्य के रूप में पहचान की तथा इन राज्यों के लिए अपेक्षाकृत आसान राजकोषीय पथ की सिफारिश की गई है।

(ग) और (घ) बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, वित्त मंत्रालय से 122348 करोड़ रुपए का राज्यों का ऋण समेकन किया गया है। 20566 करोड़ रुपए की ऋण राहत तथा 18688 करोड़ रुपए की ब्याज राहत आज की तारीख तक राज्यों को दी गई है।

2. तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान में निर्धारित अधिनियमन/संशोधनों के तहत उन राज्यों के लिए दो ऋण राहत उपायों की सिफारिश की है, जो (क) राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एन.एस.एस.एफ.) से राज्यों को 2006-07 के अंत तक अनुबंधित तथा 2009-10 के अंत तक बकाया ऋणों पर ब्याज दरों को 9 प्रतिशत पर पुनर्निधारित करते हों; (ख) राज्यों को दिए गए वर्ष 2009-10 के अंत में बकाया केंद्रीय ऋण जो वित्त मंत्रालयों द्वारा प्रशासित किए जाते हैं, को माफ करते हों। तेरहवें वित्त आयोग ने भी ऋण समेकन सुविधा को दो राज्यों नामत: पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम को देने की सिफारिश की है।

3. तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अपनी अवार्ड अवधि 2010-15 के दौरान राज्यों को अनुमानित 1766676 करोड़ रुपए के अपेक्षाकृत अधिक अंतरण जो बारहवें वित्त आयोग द्वारा 2005-10 की अवधि की तुलना में 134 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, से राज्यों की वित्तीय स्थिति अच्छी होगी।

शिशु गृह

2250. श्री महेन्द्र कुमार राय: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने हेतु शिशु गृह सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई और उनके द्वारा उपयोग की गई अनुदान सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को दत्तक केन्द्रों के अवैध कार्यकरण के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने हेतु शिशुगृहों को सहायता स्कीम वर्ष 2009-10 से पहले चलाई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2009-10 में समेकित बाल संरक्षण स्कीम नाम से शुरू की गई अपनी नई स्कीम में उक्त स्कीम का विलय कर दिया हैं अब नई स्कीम के "विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी" घटक के अंतर्गत अनुदान दिए जा रहे हैं। शिशुगृहों/विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों के संबंध में राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों को पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में जारी किए गए सहायतानुदानों का राज्यवार एवं वर्ष वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

एजेंसियों को जारी किए गए सहायतानुदान का उपयोग सामान्यत: उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाता है। तथापि, यदि कोई अव्ययित शेष हो तो उस शेष को निधियों की जारी की जाने वाली अगली किस्म में से घटा दिया जाता है।

(ख) और (ग) केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (करार) से जुड़ी दत्तक ग्रहण एजेंसियों द्वारा अपनाई जा रही गलत पद्धतियों के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों और इन पर की गई कार्रवाई का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण I

देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने हेतु शिशुगृहों को सहायता स्कीम तथा समेकित बाल संरक्षण (आईसीपीएस) स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष में (31.07.2011 तक) राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों को जारी किए गए सहायतानुदानों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने हेतु शिशु गृहों को सहायता स्कीम		समेकित बाल संरक्षण (आईसीपीएस) स्कीम के अंतर्गत विशेषीकृत दत्तण ग्रहण एजेंसी घटक		
		2008-09	2009-10*	2009-10	2010-11	2011-12 (31.07.2011 तक)
		जारी की गई राशि (रुपये लाखों में)	जारी की गई राशि (रुपये लाखों में)	जारी की गई राशि (रुपये लाखों में)	जारी की गई राशि (रुपये लाखों में)	जारी की गई राशि (रुपये लाखों में)
1.	आंध्र प्रदेश	–	49.20	65.35	119.48	–
2.	असम	7.56	–	4.54	15.15	–
3.	अरूणाचल प्रदेश	4.96	–	–	–	–
4.	बिहार	2.24	4.65	–	10.80	–
5.	दिल्ली	-	4.55	-	-	-
6.	गुजरात	35.67	-	36.06	17.13	-
7.	हरियाणा	3.81	–	5.13	6.43	–
8.	हिमाचल प्रदेश	-	4.17	-	-	-
9.	कर्नाटक	18.64	–	21.79	26.29	–
10.	केरल	14.24	11.54	16.42	24.30	–
11.	मध्य प्रदेश	2.63	2.63	-	-	–
12.	महाराष्ट्र	37.15	32.72	-	172.17	-
13.	मणिपुर	2.48	29.73	32.21	39.70	–
14.	मिजोरम	7.98	–	-	15.87	–
15.	उड़ीसा	16.82	15.32	44.14	61.22	-
16.	राजस्थान	2.52	6.47	10.94	22.17	3.06
17.	तमिलनाडु	–	–	–	41.85	–
18.	त्रिपुरा	16.90	17.02	–	6.80	–
19.	उत्तर प्रदेश	13.99	–	-	-	49.68
20.	पश्चिम बंगाल	–	4.07	547	59.98	–
	कुल	187.59	182.07	243.05	639.34	52.74

*वर्ष 2009-10 से पहले की अवधि के सम्बंध में केवल प्रतिपूर्तियां।

विवरण II

क्र. सं.	राज्य	शिकायत का विषय	की गई कार्रवाई
1.	महाराष्ट्र	एक मान्यता प्राप्त भारतीय दत्तक ग्रहण एजेंसी का गैर-कानूनी तरीके से बच्चे प्राप्त करना और दान की मांग करना।	कारा ने उक्त एजेंसी की मान्यता समाप्त कर दी है।
2.	पश्चिम बंगाल	दो मान्यता प्राप्त भारतीय दत्तक ग्रहण एजेंसियों का अनैतिक पद्धतियां अपनाना, दान की मांग करना, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण देखरेख उपलब्धन कराना, गैर-कानूनी तरीके से बच्चे प्राप्त करना।	एक एजेंसी की मान्यता का नवीकरण नहीं किया गया है।
			कारा और राज्य सरकार ने दूसरी एजेंसी का निरीक्षण और जांच की। इस एजेंसी की मान्यता पर निर्णय आस्थागित रखा गया है। तथापि, राज्य सरकार ने मान्यता के नवीकरण के लिए इस मामले को जुलाई, 2011 में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
3.	उत्तर प्रदेश	एक मान्यता प्राप्त भारतीय दत्तक ग्रहण एजेंसी का अनैतिक पद्धतियां अपनाना।	राज्य सरकार से जांच करने को कहा गया है। इस बीच संस्था की मान्यता पर निर्णय आस्थगित रखा गया है।
4.	तमिलनाडु	एक मान्यता प्राप्त भारतीय दत्तक ग्रहण एजेंसी का गैर-कानूनी तरीके से बच्चे प्राप्त करना और गलत देश में तरीके से उनका दत्तक ग्रहण करना।	राज्य सरकार के परामर्श से इस एजेंसी की मान्यता पर निर्णय तब तक के लिए आस्थगित रखा गया है, जब तक कि राज्य सरकार से अंतिम जांच रिपोर्ट न प्राप्त हो जाए।

[हिन्दी]

महंगाई भत्ता को मुद्रास्फीति के अनुरूप बनाना

2251. श्री उमाशंकर सिंह:
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील:
श्री राधे मोहन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्तों (डी.ए.) के बारे में सरकार की नीति एवं निदेश क्या हैं;

(ख) महंगाई भत्ते को वास्तविक खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति के अनुरूप अधिक वास्तविक बनाने हेतु क्या सुझाव/प्रस्ताव हैं; और

(ग) वर्ष की दूसरी छमाही हेतु महंगाई भत्ते की कितनी दर घोषित किए जाने का प्रस्ताव है तथा इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रदान किया जाता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी 115.76 के मूल सूचकांक के मुकाबले में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) के 12 माह के औसत में वृद्धि के अनुरूप होती है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अन्य बातों के साथ-साथ खाद्य मूल्यों में वृद्धि से संबंधित एक घटक शामिल है।

(ग) केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 01 जनवरी और 01 जुलाई से वर्ष में दो बार संशोधित किया जाता है और सामान्यत: क्रमश: मार्च और सितम्बर के महीनों में जारी किया जाता है। दिनांक 01.07.2011 से महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त सितम्बर, 2011 में जारी किए जाने के लिए देय हो गई है।

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर कार्रवाई

2252. **श्री ए.टी. नाना पाटील:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के बारे में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं तथा जांच कब तक पूरी किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या दोषियों पर कार्रवाई करने में कोई विलंब हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (ङ) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पी.एम.एल.ए.) के प्रावधानों के तहत मामले में जांच की जा रही है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत धन शोधन अपराध के लिए जांच, प्रतिपादित अपराध की जांच से संबंधित है, जिसकी अन्य एजेंसियों से जांच की जा रही है और वहां जांच अभी जारी है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच में कोई विलंब नहीं है।

[अनुवाद]

लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण

2253. **डॉ. मन्दा जगन्नाथ:**
श्री बद्रीराम जाखड़:
डॉ. क्रुपारानी किल्ली:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु और मध्यम उद्यमों (एस.एम.ई.) को दिये जाने वाले ऋण की दर को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लघु और मध्यम क्षेत्र को राजस्थान सहित देश में ऋण प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके द्वारा ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया गया है और यह बैंक की स्वयं की उधार नीतियों द्वारा संचालित होती है। अब ऋण के सभी वर्गों को आधार दर के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है और बैंकों को दिनांक 01.07.2010 से आधार दर से कम दर पर ऋण देने की अनुमति नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में एम.एस.एम.ई. के पास 1676 करोड़ रु. का कुल ऋण बकाया है, जो पूर्व वर्ष की तुलना में 81% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा, एम.एस.ई. क्षेत्र को पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने की सलाह दी गयी है:

(i) वर्ष 2012-13 तक सूक्ष्म उद्यमों को एम.एस.ई. ऋणों का 60% देना, जिसे तीन चरणों में प्राप्त किया जाना है अर्थात् 2011 तक 50%, 2012 तक 55% और 2013 तक 60%।

(ii) बैंकों को सलाह दी गई है कि वे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हासिल करें।

(iii) बैंकों को सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 10% की वार्षिक वृद्धि हासिल करने की सलाह दी गयी है।

तंबाकू उत्पादों पर कर

2254. **श्री उदय सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में तंबाकू उत्पादों पर कर तम्बाकू उत्पाद के खुदरा मूल्य के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) की सिफारिशों से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विशेषरूप से युवाओं में तंबाकू उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) सिगरेटों के प्रमुख ब्रांडों पर उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) पर आकलित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 20% से 69% के बीच बदलता रहता है। इसकी प्रतिशतता और भी अधिक होगी यदि इसका फैक्टरी दर मूल्यों पर आकलन किया जाए। इसके अलावा, सिगरेट पर वैट, चुंगी इत्यादि सरीखे राज्य कर भी लगते हैं।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) भारत सरकार ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों जैसे जोखिम समूहों पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों को तंबाकू के धुएं के अनैच्छिक प्रभाव में आने से बचाने के लिए तथा विभिन्न विनियामक उपाय आरोपित करते हुए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के उपभोग को निरुत्साहित करने के लिए "सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध एवं व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003" (सी.ओ.टी.पी.ए.) का अधिनियमन किया है। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(i) सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध। (धारा-4)

(ii) तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध। (धारा-5)

(iii) 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध तथा शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध। (धारा-6)

(iv) तंबाकू उत्पादों पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां। (धारा-7)

उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार ने दिनांक 25 फरवरी, 2004 को एक अधिसूचना जारी की है जो 1.5.2004 से लागू हुई है। अधिसूचना में अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने दिनांक 19.01.2010 की जी.एस.आर. सं. 40(ई) के तहत "सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (शैक्षणिक संस्थानों द्वारा बोर्ड का प्रदर्शन) नियम, 2009" को अधिसूचित किया है और यह 19.01.2010 से लागू हुआ। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी शैक्षणिक संस्थान के एक सौ गज के दायरे के भीतर सिगरेट अथवा अन्य तम्बाकू उत्पाद की बिक्री, बिक्री का ऑफर, अथवा बिक्री की अनुमति नहीं देगा।

[हिन्दी]

कुपोषण के कारण बच्चों की मौतें

2255. प्रो. रामशंकर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुपोषण के कारण होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार कुपोषण के कारण कितनी मौतें हुई हैं;

(ग) क्या सरकार ने बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) कुपोषण एक बहुपक्षीय, बहुआयामी एवं बहु-क्षेत्रीय समस्या है। यह मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण नहीं है वरन यह संक्रमणों के प्रति प्रतिरोध को कम करके रूग्णता एवं मृत्यु को बढ़ा सकता है। देश में कुपोषण के कारण होने वाली मौतों की संख्या से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (ङ) भारत की पौषणिक चुनौतियों से संबंधित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय परिषद की स्थापना नीतिगत निर्देश, समीक्षा तथा मंत्रालयों के बीच प्रभावी समन्वय के लिए अक्टूबर, 2008 में की गई थी जिस पर पोषण की चुनौती की क्षेत्रीय जिम्मेवारी होगी।

2. वर्ष 1993 में एक राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई गई है और सरकार के विभिन्न विभागों के जरिए एक राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना (1995) कार्यान्वित की जाती है।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अंतर्गत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैं:

* समुचित शिशु एवं बाल आहार पर बल।

* जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में स्थापित पोषण पुनर्वास केन्द्रों के जरिए गंभीर तीव्र कुपोषण का उपचार।

* विटामिन ए, आयरन एवं फोलिक एसिड संबंधी सूक्ष्मपोषक तत्व की कमी की रोकथाम करने एवं इनसे निपटने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम। 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए विटामिन ए संपूरण।

* गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड संपूरण के अलावा बच्चों के लिए 6 माह से 5 वर्ष तक की आयु तक आयरण एवं फोलिक एसिड सीरप की आपूर्ति।

4. जागरूकता लाने तथा स्तनपान तथा आहार संबंधी विविधता को बढ़ावा देने सहित आहार पद्धतियों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई.सी.डी.एस.) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.), दोनों के अंतर्गत पोषण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है।

5. पौषणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कार्यान्वित अन्य योजनाएं/शुरू की गई पहलें निम्नलिखित हैं:

* समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई.सी.डी.एस.)

* राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना (आर.पी.एस.ई.ए.जी.)-(सबला)

* इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.पी.एम.एस.वाई.)

* प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम)

* महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सहित विभिन्न आय सृजनकारी योजनाओं के जरिए लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाना।

* लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए इमदादी लागत पर अनिवार्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता।

[अनुवाद]

नालको द्वारा परिधीय विकास क्रियाकलाप

2256. श्री अमरनाथ प्रधान: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) ने अपने संयंत्रों के परिधीय विकास का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान नालको द्वारा शुरू की गई परिधीय विकास क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आबादी के दौरान इस प्रकार के क्रियाकलापों पर कितना व्यय हुआ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लि. (नालको) ने सूचित किया है कि कंपनी ने प्लांट स्थलों के आसपास के क्षेत्रों में ग्रामीण जीवन स्तर में समृद्धि लाने हेतु कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में विभिन्न परिधीय क्षेत्रों में विकास क्रियाकलाप करती रही है। कंपनी ऐसे क्रियाकलापों के लिए अपने शुद्ध लाभों की 1% धनराशि आवंटित करती है। इस आवंटित धनराशि में से खान एवं परिष्करणशाला (एम. एण्ड आर.) परिसर, दामनजोड़ी और स्मेल्टर एवं पावर (एस. एण्ड पी.) परिसर, अंगुल, प्रत्येक के लिए 40% और शेष 20% धनराशि कार्पोरेट स्तर के क्रियाकलापों के लिए रखी जाती है। उड़ीसा सरकार ने दामनजोड़ी और अंगुल सेक्टरों के लिए अलग-अलग पुनर्वास एवं परिधीय विकास सलाहकार समिति (आर.पी.डी.ए.सी.) गठित की है, जो इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन और इनके बजट अनुमानों का निर्णय करती है।

(ख) और (ग) नाल्को द्वारा किए जा रहे परिधीय विकास क्रियाकलापों और एम.एण्ड आर. परिसर, दामनजोड़ी, एवं एस. एण्ड पी. परिसर, अंगुल और कार्पोरेट स्तर के क्रियाकलापों पर पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान किए गए खर्च का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) एम. एण्ड आर. परिसर, दामनजोड़ी

(लाख रु. में)

क्र.सं.	कार्यकलापों का विवरण	2008-09	2009-10	2010-11#	2011-12#
1.	सड़क/ढांचागत कार्य	205.00	195.00		
2.	शिक्षा	195.00	156.50		
3.	स्वास्थ्य	39.20	10.00		
4.	पीने के पानी के लिए प्रावधान	-	50.75		
5.	सामुदायिक विकास/पब्लिक पार्क/अन्य लोक स्थल विकास	120.00	182.00		
6.	पर्यावरण संरक्षण/वृक्षारोपण	-	-		
7.	सामाजिक कल्याण/खेल/सांस्कृतिक/कला/धार्मिक क्रियाकलाप	93.41	38.00		
8.	कुल	652.61	632.25		

दामनजोड़ी क्षेत्र के लिए आर.पी.डी.ए.सी. द्वारा वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिए परिधीय विकास परियोजनाओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ii) एस. एण्ड पी. परिसर, अंगुल

(लाख रु. में)

क्र.सं.	कार्यकलापों का विवरण	2008-09	2009-10*	2010-11*	2011-12*
1.	सड़क/ढांचागत कार्य	289.61			
2.	शिक्षा	123.00			
3.	स्वास्थ्य	62.00			
4.	पीने के पानी के लिए प्रावधान	92.50			
5.	सामुदायिक विकास/पब्लिक पार्क/अन्य लोक स्थल विकास	47.00			
6.	पर्यावरण संरक्षण/वृक्षारोपण	-			
7.	सामाजिक कल्याण/खेल/सांस्कृतिक/कला/धार्मिक क्रियाकलाप	33.00			
8.	कुल	647.11			

* दामनजोड़ी क्षेत्र के लिए आर.पी.डी.ए.सी. द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के लिए परिधीय विकास परियोजनाओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(iii) कारपोरेट स्तर

(लाख रु. में)

क्र.सं.	कार्यकलापों का विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	सड़क/ढांचागत कार्य	-	-	-	-
2.	शिक्षा	21.69	31.50	12.93	7.50
3.	स्वास्थ्य	16.50	6.00	8.00	0.50
4.	पीने के पानी के लिए प्रावधान	0.79	5.80	2.60	3.00
5.	सामुदायिक विकास/पब्लिक पार्क/अन्य लोक स्थल विकास	120.40	11.69	45.70	2.50
6.	पर्यावरण संरक्षण/वृक्षारोपण	-	0.50	22.31	-
7.	सामाजिक कल्याण/खेल/सांस्कृतिक/कला/धार्मिक क्रियाकलाप	133.96	106.10	70.40	4.00
8.	कुल	293.34	161.59	161.94	17.50 (10.8.2011 तक)

[हिन्दी]

वन ग्रामों का विकास

2257. श्री मधु कोड़ा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षो एवं चालू वर्ष के दौरान वन ग्रामों के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभग्राहियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): वन ग्रामों के विकास का कार्यक्रम वन ग्रामों के निवासियों के कल्याण के लिए 2005-06 में शुरू किया गया, जिसमें लगभग मूलत: 2.5 लाख जनजातीय परिवारों के होने का अनुमान है। आवासियों/लाभार्थियों के राज्यवार ब्यौरे नहीं रखे जाते। तथापि, ऐसे वन ग्रामों के सभी निवासी कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए जाने अभिप्रेत हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत मूल सेवाओं और सुविधाओं जैसे अप्रोच सड़कें, स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, लघु सिंचाई, वर्षाजल भंडारण, पेयजल, स्वच्छता, सामुदायिक भवन आदि से संबंधित अवसंरचनात्मक कार्य कार्यान्वयन हेतु हाथ में लिया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वन ग्रामों के विकास के लिए 2008-09 से 2010-11 के दौरान निर्मुक्त निधि

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य	अनुमोदित परियोजनाओं वाले ग्रामों की सं.	निर्मुक्त राशि 2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	असम	498	4696.05	0.00	0.00
2.	छत्तीसगढ़	422	0.00	0.00	1500.00

1	2	3	4	5	6
3.	गुजरात	199	0.00	0.00	1351.96
4.	झारखंड	24	0.00	0.00	0.00
5.	मध्य प्रदेश	867	6502.50	0.00	0.00
6.	मेघालय	23	0.00	0.00	0.00
7.	मिजोरम	85	435.00	0.00	0.00
8.	उड़ीसा	20	180.00	0.00	0.00
9.	त्रिपुरा	62	558.00	0.00	0.00
10.	उत्तराखंड	41	0.00	0.00	0.00
11.	उत्तर प्रदेश	12	30.00	0.00	151.14
12.	पश्चिम बंगाल	170	2550.00	0.00	0.00
	कुल	2423	14951.55	0.00	3003.10

टिप्पणी: वर्ष 2011-12 के दौरान कोई निधि अभी तक निर्मुक्त नहीं की गई है।

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र बैंक

2258. श्री दारा सिंह चौहान: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र बैंकों की खोली गई नई शाखाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की कोई नीति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों से प्राथमिकता क्षेत्र उधार ऋण सुविधाओं के अंतर्गत विशेषकर उत्तर प्रदेश से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोली गई नई शाखाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सभी अनुसेचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी थी कि वे इस बात का ध्यान रखें कि अल्पसंख्यक समुदाय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के विशेष कार्यक्रमों से उत्पन्न हितलाभों को उचित एवं पर्याप्त तरीके से हासिल करें। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा जारी अनुदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक बैंक में एक पृथक प्रकोष्ठ का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है जिससे कि अल्पसंख्यक समुदायों को आसानी से ऋण उपलब्ध करावाना सुनिश्चित किया जा सके और अभिचिन्हित जिलों में अग्रणी बैंक की भूमिका को भी कवर किया जा सके।

मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के 4,93,264 व्यक्तियों को ऋण प्रदान किए गए।

विवरण

1 अप्रैल से उत्तरवर्ती वर्ष के लिए 31 मार्च तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की संख्या

क्रम सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		3	2
2.	आंध्र प्रदेश	205	333	284
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	5
4.	असम	42	52	30
5.	बिहार	92	165	124
6.	चण्डीगढ़	10	11	1
7.	छत्तीसगढ़	52	58	52
8.	दादरा और नगर हवेली		3	5
9.	दमन और द्वीव		2	3
10.	दिल्ली	103	110	90
11.	गोवा	12	12	9
12.	गुजरात	135	193	161
13.	हरियाणा	99	153	133
14.	हिमाचल प्रदेश	40	55	48
15.	जम्मू और कश्मीर	4	23	13
16.	झारखण्ड	64	82	87
17.	कर्नाटक	175	242	131
18.	केरल	85	140	119
19.	लक्षद्वीप	1	1	
20.	मध्य प्रदेश	160	148	112
21.	महाराष्ट्र	313	302	235
22.	मणिपुर	3		1
23.	मेघालय	7	3	2
24.	मिजोरम	2	2	2
25.	नागालैण्ड	3	2	4

1	2	3	4	5
26.	उड़ीसा	83	126	110
27.	पुदुच्चेरी	9	5	4
28.	पंजाब	110	187	206
29.	राजस्थान	89	147	179
30.	सिक्किम	1	4	2
31.	तमिलनाडु	248	252	171
32.	त्रिपुरा	3	6	3
33.	उत्तर प्रदेश	300	447	354
34.	उत्तराखण्ड	40	73	54
35.	पश्चिम बंगाल	117	197	120
	कुल	2609	3541	2856

स्त्रोत: 26.07.2011 की स्थिति के अनुसार बैंकों पर मास्टर ऑफिस फाइल, डी.एस.आई.एम., आर.बी.आई.

अनाथालय

2259. श्री हरिभाऊ जावले:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री बद्रीराम जाखड़:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राजस्थान सहित राज्य-वार अनाथ बालिकाओं सहित अनाथों की संख्या कितनी है तथा अनाथालयों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान इन अनाथालयों को चलाने के लिये राज्य सरकारों द्वारा वर्ष-वार कितनी निधियां संस्वीकृत जारी एवं उपयोग की गईं;

(ग) क्या दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में कानूनी बाधाओं के कारण पूरे देश में बड़ी संख्या में बच्चे अनाथालयों में पड़े हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दत्तक ग्रहण की कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये विधि और न्याय मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) स्त्री और बाल संस्था (अनुज्ञापन) अधिनियम, 1956, अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 नामक तीनों अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम के अंतर्गत अनाथालय स्थापित किए जा सकते हैं। वर्ष 2006 में यथा संशोधित किशोर न्याय अधिनियम में यह कहा गया है कि सभी बाल देखरेख संस्थाओं का इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस उपबंध का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कह रहा है।

भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वर्ष 2009-10 से पहले (i) देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने हेतु शिशुगृहों को सहायता स्कीम; तथा (ii) किशोर न्याय कार्यक्रम नामक दो स्कीमों के अंतर्गत अनाथों सहित कठिन परिस्थितियों में

रहने वाले बच्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा था। वर्ष 2009-10 में समेकित बाल संरक्षण स्कीम नाम से शुरू की गई मंत्रालय की नई स्कीम में उक्त दोनों स्कीमों का क्रमशः विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी और संस्थागत देखरेख घटकों के अंतर्गत विलय कर दिया गया है। उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में संस्वीकृत/जारी की गई निधियों, सहायता प्राप्त करने वाले गृहों और अनाथों एवं बालिकाओं सहित लाभार्थियों की संख्या का राजस्थान सहित राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दर्शाया गया है।

राज्य सरकारों/एजेंसियों को जारी किए गए सहायतानुदान का उपयोग सामान्यतः उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाता है। तथापि, यदि कोई अव्ययित शेष हो तो उस शेष को निधियों की जारी की जाने वाली अगली किस्त में से घटा दिया जाता है।

(ग) से (च) कुछ मामलों में दत्तक ग्रहण की कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने में विलंब की सूचना प्राप्त हुई है। विधि और न्याय मंत्रालय से इस प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु सहायता प्रदान करने को कहा गया है।

विवरण I

देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने हेतु शिशुगृहों को सहायता और किशोर न्याय कार्यक्रम नामक दो स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2008-09 और 2009-10 में राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों को जारी किए गए सहायतानुदानों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने हेतु शिशुगृहों को सहायता स्कीम						किशोर न्याय कार्यक्रम					
		2008-09			2009-10*			2008-09			2009-10*		
		शिशु गृहों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (रुपये लाखों में)	शिशु गृहों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (रुपये लाखों में)	शिशु गृहों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (रुपये लाखों में)	शिशु गृहों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	–	10	100	49.20	22	1564	78.24	–	–	–
2.	असम	1	10	7.56	–	–	–	12	500	94.85	–	–	–
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	10	4.96	–	–	-	1	20	–	–	–	–
4.	बिहार	1	10	2.24	1	10	4.65	–	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	-	12	415	43.75	–	–	–
6.	दिल्ली	–	–	-	1	10	4.55	20	1854	92.31	–	–	–
7.	गोवा	–	–	–	–	–	-	3	97	5.67	–	–	–
8.	गुजरात	9	90	35.67	–	–	-	57	2504	134.60	–	–	–
9.	हरियाणा	1	10	3.81	–	–	-	8	354	20.20	–	–	–
10.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	1	10	417	22	911	26.62	–	–	–
11.	कर्नाटक	4	40	18.64	–	–	-	76	2902	120.77	–	–	–
12.	केरल	3	30	14.24	3	30	11.54	30	834	58.20	–	–	–
13.	मध्य प्रदेश	1	10	2.63	1	10	2.63	–	–	–	26	3091	127.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	महाराष्ट्र	8	80	37.15	8	80	32.72	755	48015	808.13	755	48015	665.41
15.	मणिपुर	6	60	2.48	6	60	29.73	12	470	25.44	–	–	–
16.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	4	86	10.72	–	–	–
17.	मिजोरम	2	20	7.98	–	–	–	4	225	10.97	–	–	–
18.	नागालैण्ड	–	–	–	–	–	–	2	100	6.21	–	–	–
19.	उड़ीसा	5	50	16.82	4	40	15.32	5	260	8.00	–	–	–
20.	पुदुचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	15	520	51.37	–	–	–
22.	राजस्थान	1	10	2.52	2	20	6.47	63	3800	122.00	–	–	–
23.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	1	25	4.95	–	–	–
24.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	42	2772	132.77	–	–	–
25.	त्रिपुरा	1	10	16.90	1	10	17.02	7	289	5.75	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	5	50	13.99	–	–	–	56	2127	151.54	–	–	–
27.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	1	10	4.07	39	2560	97.84	–	–	–
	कुल	49	490	187.59	39	390	182.07	1268	73204	2110.90	781	51106	792.84

*वर्ष 2009-10 से पहले की अवधि के सम्बंध में केवल प्रतिपूर्तियां।

विवरण II

समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2009-10, 2010-11 और मौजूदा वित्तीय वर्ष 2011-12 (31.07.2011 तक) में राज्य सरकारों को जारी किए गए सहायतानुदानों का राज्य वार एवं वर्ष वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत संस्थागत देखरेख घटक									समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत संस्थागत देखरेख घटक								
		2009-10			2010-11			2011-12 (31.07.2011 तक)			2009-10			2010-11			2011-12 (31.07.2011 तक)		
		गृहों की संख्या	लाभर्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (रुपये लाख में)	गृहों की संख्या	लाभर्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (रुपये लाख में)	गृहों की संख्या	लाभर्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (रुपये लाख में)	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों की संख्या	लाभर्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (रुपये लाख में)	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों की संख्या	लाभर्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (रुपये लाख में)	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों की संख्या	लाभर्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (रुपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	22	1564	78.24	102	6012	553.50	–	–	–	23	230	65.35	23	230	119.48	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.	असम	7	500	20.59	5	285	52.36	–	–	–	1	10	4.54	5	50	15.15	–	–	–
3.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	–	–	–	21	785	363.62	–	–	–	–	–	–	3	30	10.80	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	13	415	37.63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	दिल्ली	–	–	–	23	1904	164.15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	गुजरात	57	2504	228.49	57	2490	225.26	57	2490	139.99	8	80	37.06	9	90	17.13	–	–	–
9.	हरियाणा	9	354	20.76	12	361	212.24	–	–	–	1	10	5.13	1	10	6.43	–	–	–
10.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	कर्नाटक	76	2902	121.87	62	2541	215.13	–	–	–	4	40	21.79	9	90	26.29	–	–	–
12.	केरल	30	834	36.56	31	1001	206.42	–	–	–	2	20	16.42	3	30	24.30	–	–	–
13.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	महाराष्ट्र	–	–	–	738	526.88	3201.88	–	–	–	–	–	–	17	170	172.17	–	–	–
15.	मणिपुर	12	470	24.65	12	520	26.43	–	–	–	6	60	32.21	6	60	39.70	–	–	–
16.	मेघालय	–	–	–	4	86	29.44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	मिजोरम	–	–	–	4	225	15.74	–	–	–	–	–	–	4	40	15.87	–	–	–
18.	नागालैण्ड	2	100	6.21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	उड़ीसा	5	260	11.06	29	1598	255.36	–	–	–	12	120	44.14	19	190	61.62	–	–	–
20.	पुदुचेरी	–	–	–	6	217	69.77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	राजस्थान	63	3800	194.19	–	–	–	63	1971	125.72	2	20	10.94	5	50	22.17	4	80	3.06
23.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	42	2772	183.37	41	21.87	60.04	–	–	–	–	–	–	16	160	41.85	–	–	–
25.	त्रिपुरा	–	–	–	9	328	175.65	–	–	–	–	–	–	3	30	6.80	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–	49	21.62	262.98	–	–	–	–	–	–	5	50	49.68
27.	पश्चिम बंगाल	39	2560	92.76	43	2807	258.91	–	–	–	1	10	5.47	20	200	59.98	–	–	–
	कुल	377	19035	1056.38	1199	76035	6085.30	169	6623	528.69	60	600	243.05	143.00	1430.00	639.34	9	130	52.74

[अनुवाद]

शहरी सहकारी और ऋण समितियों पर सेवा कर

2260. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सहकारी और ऋण समितियों पर कोई सेवा कर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को किसी वर्ग से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

शैक्षिक संस्थानों पर कर छूट के लाभ

2261. श्री महेश जोशी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने यह पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया है कि निजी शैक्षिक संस्थानों को दी जाने वाली कर छूट का लाभ गरीब विद्यार्थियों को मिला है या नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) इस संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत धर्मार्थ क्रियाकलापों में लगे लोक न्यासों को इन धाराओं में विहित शर्तों के पूरा होने के अधीन छूट प्राप्त है। अधिनियम की धारा 2 (15) के अन्तर्गत 'धर्मार्थ प्रयोजनों' में से शिक्षा एक है तथा शैक्षिक संस्थानों द्वारा अधिनियम की धारा 11 एवं 12 में दी गई छूट के लाभ का दावा करने हेतु धारा 12क क के तहत पंजीकरण करवाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 10 (23ग) (iii क घ) एवं 10 (23ग) (vi) भी शैक्षिक संस्थानों की आय के लिए कतिपय शर्तों के अधीन छूट का प्रावधान करती है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि उनका अस्तित्व लाभ के लिए नहीं होना चाहिए।

आयकर अधिनियम के तहत किसी संस्था को छूट प्रदान करने का मानदंड यह होता है कि उसके उद्देश्य को धारा 2 (15) के तहत 'धर्मार्थ प्रयोजन' की परिभाषा के अन्तर्गत ही होना चाहिए तथा शिक्षा उपलब्ध कराना ऐसे प्रयोजनों में से एक है। शैक्षिक संस्थाओं को छूट उनमें प्रवेश पाए हुए 'धनी' अथवा 'निर्धन' विद्यार्थियों जैसे तर्कों के आधार पर नहीं प्रदान की जाती। अत: विद्यार्थियों की पारिवारिक आय के मानदंड के आधार पर कोई संव्यवहार छूट प्रदान करने के लिए संगत नहीं है।

उपरोक्त के मद्देनजर, यह पता लगाने के लिए अध्ययन करने हेतु ऐसा कोई अवसर नहीं आया है कि निजी शैक्षिक संस्थानों को दी गई कर छूट की प्रणाली से निर्धन विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं अथवा नहीं।

[हिन्दी]

प्रसव पूर्व स्वास्थ्य की जांच

2262. श्रीमती मीना सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) के अंतर्गत कुछ राज्यों में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य की जांच संतोषजनक तरीके से नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या छह वर्ष के बाद भी जननी सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन उचित रूप से नहीं हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो आवश्यक सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षण-2009 के अनुसार कम-से-कम प्रसवपूर्व चिकित्सा जांच सुविधा प्राप्त करने वाली माताओं की प्रतिशतता 90.4 है। राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अंतर्गत भारत सरकार कमजोर जन स्वास्थ्य संकेतकों तथा अपर्याप्त अवसंरचना वाले 18 राज्यों पर विशेष बल देते हुए देश भर में विशेषतौर पर ग्रामीण जनसंख्या के लिए गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता एवं पहुंच को बेहतर करने का प्रयास करती है। किए गए मुख्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

* गर्भावस्था एवं स्तनपान कराने की अवधि के दौरान आयरन एवं फोलिक टैब्लेट के संपूरण द्वारा रक्ताल्पता की रोकथाम एवं उपचार सहित 4 प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर परिचर्या सेवाओं की व्यवस्था। इसमें प्रथम तिमाही में पंजीकरण तथा प्रथम प्रसवपूर्व जांच शामिल है।

* प्रसव-पूर्व जांचों सहित मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति माह आंगनवाड़ी केन्द्रों में ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस आयोजित करना।

* गर्भावस्थाओं एवं प्रसव-पूर्व परिचर्या सेवाओं का पंजीकरण सुसाध्य बनाने के लिए आठ लाख से अधिक प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) का नियोजन।

* प्रसवपूर्व परिचर्या सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए की गई नई पहलों में गर्भवती महिलाओं की नाम आधारित पहचान तथा माता एवं बाल स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड शामिल हैं।

(ग) जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत होने से इसमें निम्नलिखित ब्यौरानुसार लाभार्थियों एवं व्यय के संदर्भ में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है:

वर्ष	लाभार्थी (लाख में)	व्यय (रुपए करोड़ में)
2005-06	7.39	38.29
2006-07	31.58	258.22
2007-08	73.29	880.17
2008-09	90.37	1241.33
2009-10	100.78	1473.76
2010-11*	113.38	1618.39

* आंकड़े अनंतिम हैं।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षण-2009

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कम-से-कम ए.एन.सी. (%)
1	2
आंध्र प्रदेश	99.5
अरूणाचल प्रदेश	69.8
असम	89.6
बिहार	84.3
छत्तीसगढ़	98.7
दिल्ली	95.9
गोवा	99.2
गुजरात	94.8
हरियाणा	89.4
हिमाचल प्रदेश	91.3
जम्मू और कश्मीर	93.8
झारखंड	87.6
कर्नाटक	97.5
केरल	97.4

1	2
मध्य प्रदेश	92.3
महाराष्ट्र	97.3
मणिपुर	93.7
मेघालय	95.1
मिजोरम	91.9
नागालैंड	53.7
उड़ीसा	98.0
पंजाब	95.3
राजस्थान	86.8
सिक्किम	91.9
तमिलनाडु	98.5
त्रिपुरा	90.9
उत्तर प्रदेश	71.6
उत्तराखंड	74.6
पश्चिम बंगाल	99.0
संघ राज्य क्षेत्र संयुक्त	90.2
भारत	90.4

स्रोत: कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षण-2009, यूनिसेफ

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) संबंधी विशेषज्ञ समिति

2263. डॉ. ज्योति मिर्धा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'एम्स' के कार्यकरण की जांच करने हेतु किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) इस विशेषज्ञ समिति में कौन-कौन शामिल हैं तथा उक्त समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) समिति की प्रत्येक सिफारिश पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने अ.भा.आ.सं. (एम्स) की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए तथा संस्थान के और विकास के लिए सिफारिशें करने के लिए डा. एम.एस. वलियाथन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। विचारार्थ विषय संलग्न विवरण पर दर्शाए गए हैं।

(ग) और (घ) समिति का संयोजन निम्नानुसार किया गया है:

(i) डा. एम.एस. वलियाथन, पूर्व निदेशक, श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, तिरूवनंतपुरम- अध्यक्ष

(ii) सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)- सदस्य

(iii) डा. एम.के. भान, सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग- सदस्य

(iv) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक- सदस्य

वलियाथन समिति की सिफारिशों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है:

भाग "क"- वे सिफारिशें जिनमें संरचनात्मक परिवर्तन अपेक्षित नहीं हैं। (31 सिफारिशें) तथा भाग "ख" वे सिफारिशें जिनमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, नियम एवं विनियम में- संशोधन के माध्यम से संरचनात्मक परिवर्तन अपेक्षित हैं। (7 सिफारिशें)

भाग "क" के अंतर्गत सिफारिशों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

स्वीकृत एवं क्रियान्वित -	16
सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत -	10
दीर्घकालिक-भविष्यवादी -	03
अस्वीकृत -	02

चूंकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, नियमों एवं विनियमों में संशोधन की व्यापक विवक्षायें हैं, अत: भाग "ख" के अंतर्गत सिफारिशों की जांच करने के लिए सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) की अध्यक्षता में प्रशासन एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 29.11.2010 को अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसकी जांच की जा रही है।

विवरण

वलियाथन समिति के विचारार्थ विषय

1. इस बात की जांच करना कि उन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति कहां तक हुई है, जिनके लिए एम्स की स्थापना की गई है।
2. एम्स को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान से उत्कृष्टता के केन्द्र तथा समूचे देश के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सिफारिशें करना।
3. एम्स को उभर रहे वैश्विक अवसरों का पूर्ण उपयोग करने के लिए सशक्त बनाने व अव्यवस्थित करने के लिए सिफारिशें करना।
4. एम्स को उसके कथित उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम बनाने हेतु उसकी स्वायत्तता को बढ़ाने एवं उसका सुदृढ़ीकरण करने के लिए सिफारिशें करना।
5. सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करने, संकाय को कायम रखने, उपलब्ध प्रतिभा का उपयोग करने के लिए बेहतर अवसर जुटाने और वैज्ञानिक/तकनीकी/गैर-तकनीकी जनशक्ति का उच्चतम उपयोग करने के संबंध में जनशक्ति संसाधनों के कुशल उपयोग के संबंध में सिफारिश करना।
6. गंभीर अवसंरचनात्मक अंतरों के मुद्दों की जांच करना तथा इन अंतरों को दूर करने के तरीके व माध्यम सुझाना।
7. संस्थान में अवसंरचना के मौजूदा आधार को गहरा एवं विस्तृत करने के उपायों की सिफारिश करना।
8. अधिनियम, नियमों एवं विनियमों में उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य प्रतीत होने वाले किसी संरचनात्मक परिवर्तन तथा संशोधनों का सुझाव देना।
9. समिति कार्रवाइयां करने के लिए अपनी स्वयं की कार्यप्रणाली विकसित करेगी। इसे संगत क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और विशेषज्ञों से सुझाव/विचार मांगने तथा एम्स के कर्मचारियों के सभी अनुभागों से सलाह-मशविरा करने की भी स्वतंत्रता होगी।
10. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के संयोजक होंगे।
11. समिति तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
12. समिति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित होगी। समिति के अध्यक्ष को दिया जाने वाला यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता भारत सरकार के सचिव को स्वीकार्य अनुसार होगा तथा इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।

[हिन्दी]

विद्युत नीति में परिवर्तन

2264. श्री महाबल मिश्रा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने विद्युत नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों को प्रमुख विद्युत संयंत्रों से विद्युत खरीदने की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने राज्यों को वितरण प्रणाली में सुधार करने का निदेश दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त परिवर्तनों के माध्यम से राज्यों में विद्युत की कमी किस सीमा तक पूरी होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत 6.1.2006 को प्रशुल्क नीति अधिसूचित की गई थी, तथा राष्ट्रीय सौर मिशन नीति के अनुरूप वितरण लाइसेंसी के क्षेत्र में विद्युत की कुल खपत में सौर ऊर्जा का न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित करने के लिए राज्यों से परामर्श करके 20.1.2011 को

इसमें संशोधन किया गया था। सौर ऊर्जा की खरीद हेतु न्यूनतम प्रतिशत 2012-13 के अंत तक 0.25% तक तथा बाद में 2022 तक 3% तक हो जाएगा। प्रशुल्क नीति में हाल ही में 8.7.2011 को, जल विद्युत परियोजनाओं तथा कुछ पारेषण परियोजनाओं को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली से छूट प्रदान करते हुए संशोधन किया गया है।

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत, प्रमुख विद्युत संयंत्रों से विद्युत की खरीद के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को अनुमति दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, डिस्कॉम द्वारा विद्युत का प्रापण विद्युत अधिनियम, 2003 तथा उसके अंतर्गत अधिसूचित प्रशुल्क नीति के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना होता है।

(घ) और (ङ) मेगा विद्युत नीति के संशोधन पर मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में, विद्युत मंत्रालय ने दिसंबर, 2009 में राज्यों को सूचित किया था कि मेगा विद्युत परियोजनाओं से विद्युत क्रय करने वाले राज्यों द्वारा निम्नलिखित वितरण सुधार संबंधी उपाय किए जाने अपेक्षित हैं:

* विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार सब्सिडी को समय पर जारी करना।
* सुनिश्चित करना कि डिस्कॉम एस.ई.आर.सी. विनियमों के अनुरूप समय में वार्षिक राजस्व अपेक्षाओं के अनुमोदन/प्रशुल्क निर्धारण हेतु एस.ई.आर.सी. के संपर्क करें।
* चोरी से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की व्यवस्था के अनुसार विशेष न्यायालयों की स्थापना करना।
* एस.एल.डी.सी. के चारों ओर बाड़ लगाना।

(च) केन्द्र सरकार ने, समय-समय पर राज्यों द्वारा विद्युत क्षेत्र में सुधार किए जाने पर बल दिया है। सुधारों तथा सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों का लक्ष्य विद्युत उद्योग के विकास तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरक वातावरण प्रदान करना, प्रचालन में दक्षता हासिल करना तथा संसाधनों का सर्वोत्तत उपयोग करना है। इन प्रयासों से मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

क्रेडिट और डेबिट कार्ड का धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग

2265. श्री दत्ता मेघे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धोखाधड़ीपूर्ण आन लाइन कारोबार के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) आर.बी.आई. ने यह सूचित किया है कि क्रेडिट कार्ड परिचालन के संबंध में मास्टर परिपत्र के रूप में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आर.बी.आई. ने सह-बैंकिंग कार्यकलापों के संबंध में अपने मास्टर परिपत्र में 'डेबिट कार्ड' जारी करने के मुद्दे पर भी विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

आर.बी.आई. के मास्टर परिपत्र में बैंकों/एन.बी.एफ.सी. के क्रेडिट कार्ड परिचालनों के संबंध में धोखाधड़ी नियंत्रण हेतु विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सह-बैंकिंग कार्यकलापों संबंधी मास्टर परिपत्र में डेबिट कार्ड जारी करने के संबंध में, सुरक्षा एवं अन्य मुद्दों को कवर करते हुए, विभिन्न उपाय विनिर्धारित किए गए हैं।

(ग) आर.बी.आई. के संदाय एवं निपटान प्रणाली विभाग (डी.पी.एस.एस.) ने कार्ड रहित लेनदेनों के लिए क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड के कपटपूर्ण उपयोग की रोकथाम करने के लिए बैंकों/प्रणाली सहभागियों को निम्नलिखित दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किए हैं:

(i) इन्टरएक्टिव वायस रिस्पांस (आई.वी.आर.) लेनदेनों को छोड़कर ऑन लाइन लेनदेनों के लिए प्रमाणन के अतिरिक्त घटक की अपेक्षा का, 18 फरवरी, 2009 के परिपत्र आर.बी.आई./डी.पी.एस.एस. सं. 1501/02.14.003/2008-09 के तहत अधिदेश दिया गया था।

(ii) दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के परिपत्र डी.पी.एस.एस. सी.ओ. सं. 1503/02.14.003/2010-11 के तहत प्रमाणन के अतिरिक्त घटक की अपेक्षा को 01 फरवरी, 2011 से आई.वी.आर. लेनदेनों पर लागू किया गया।

(iii) 29 मार्च, 2011 के परिपत्र डी.पी.एस.एस.सी.ओ.पी.डी. 2224/02.14.003/2010-11 के तहत सभी प्रकार के कार्ड लेनदेनों हेतु सभी चैनलों पर, राशि पर विचार किए बिना, ग्राहकों को ऑन-लाइन एलर्ट करने संबंधी अपेक्षा को 30 जून, 2011 तक लागू किया गया था।

(iv) दिनांक 18 अक्तूबर, 2010 के परिपत्र डी.पी.एस.एस. सी.ओ. सं. 882/02.23.02/2009-10 के तहत 01 जनवरी, 2011 से ए.टी.एम. पर प्रत्येक क्रमिक लेनदेन के पश्चात् पी.आई.एन. (पिन) प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है।

(v) 4 अगस्त, 2011 के परिपत्र डी.पी.एस.एस.पी.डी.सी.ओ. सं. 233/02.14/003/2011-2012 के तहत बैंकों को सभी शेष कार्ड रहित लेनदेनों (वैश्विक वितरण प्रणाली के द्वारा मोटो/स्थायी अनुदेश/एयर लाइन बुकिंग) के लिए प्रमाणन के अतिरिक्त घटक को 1 मई, 2012 से लागू करने की सलाह दी गई है।

इसके अतिरिक्त, आर.बी.आई. ने भारत में ए.टी.एम./बिक्री केन्द्रों पर कार्ड सहित लेनदेनों की सुरक्षा को क्रियान्वित करने के लिए सभी सम्बद्ध मुद्दों की जांच करने हेतु मार्च, 2011 में एक कार्यदल का गठन किया। कार्यदल ने अपनी सिफारिशें आर.बी.आई. को दे दी हैं। दल की रिपोर्ट को जनता की टिप्पणियों हेतु आर. बी.आई. की वेबसाइट पर रखाा गया था।

आर.बी.आई. के अनुदेशों में यह भी व्यवस्था की गई है कि बैंकों/एन.बी.एफ.सी. को धोखाधड़ियों की रोकथाम करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करनी चाहिए और धोखाधड़ी रोकथाम समिति/कार्यदल जो धोखाधड़ियों की रोकथाम हेतु कानून बनाते हैं और सक्रिय धोखाधड़ी नियंत्रण एवं प्रवर्तन उपाय करती हैं, में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

गुम/चोरी के कार्डों के दुरूपयोग की घटनाओं को कम करने की दृष्टि से, आर.बी.आई. ने बैंकों/एन.बी.एफ.सी. को सिफारिश की है कि वे (i) कार्ड पर कार्डधारक की फोटो (ii) पिन के साथ कार्ड (iii) हस्ताक्षर लेमिनेटिड कार्ड अथवा अन्य किसी उन्नत पद्धति का प्रयोग करने पर विचार करें जो समय-समय पर विकसित की जाए। बैंकों को यह भी कहा गया कि वे ग्राहक द्वारा बताने पर गुम हुए कार्ड को तत्काल बन्द (ब्लाक) कर दें और एफ. आई.आर. दर्ज करने सहित औपचारिकताएं, यदि कोई हों, उचित अवधि के दौरान की जा सकती है। आर.बी.आई. को यह भी कहा गया है कि वे गुम हुए कार्ड से उत्पन्न देयताओं को ध्यान में रखने के लिए एक बीमा कवर, ग्राहकों के विकल्प पर, प्रारंभ करने पर विचार करें। दूसरे शब्दों में, गुम हुए कार्डों के संबंध में सिर्फ उन कार्डधारकों को उपयुक्त बीमा कवर प्रदान करने पर विचार करना चाहिए जो प्रीमियम की लागत वहन करने के लिए तैयार हैं।

बैंकों द्वारा स्मार्ट कार्ड/डेबिट कार्ड जारी करने संबंधी आर.बी. आई. के दिशानिर्देशों में ऐसे कार्ड के जारी करने एवं इसके प्रयोग को अभिशासित करने वाली संविदागत शर्तों एवं निबंधनों का एक लिखित सेट जारी करने की व्यवस्था है, ये शर्तें संबंधित पक्षों के हितों के बीच उपयुक्त संतुलन बनाए रखेंगी।

राष्ट्रमंडल खेलों हेतु अस्पताल उपकरण

2266. श्रीमती तबस्सुम हसनः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 हेतु दिल्ली में उपकरणों की खरीद एवं अस्पतालों के उन्नयन हेतु निधियां जारी की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अस्पताल-वार एवं शीर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खरीदे गये उक्त उपकरण निर्धारित मानकों के अनुरूप थे तथा निविदा की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुये खरीदे गये थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो मामले की पूरी जांच करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) चूंकि 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है अत: केन्द्रीय रूप से अस्पताल-वार ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

तथापि, राष्ट्रमंडल खेल 2010 के सहभागियों को तृतीयक और विशिष्ट परिचर्या प्रदान करने की दृष्टि से सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में 70.72 करोड़ रुपए की कुल लागत से स्पोर्ट इंजरी केन्द्र की स्थापना की गई है जिसमें उपस्कर और फर्नीचर के प्रापण के लिए 26.50 करोड़ रुपए शामिल हैं।

इसके अलावा नई दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों के विभिन्न विभागों के सुदृढ़ीकरण के लिए कुछ उपकरणों का प्रापण निविदा संबंधी उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करके किया गया था।

[अनुवाद]

सरकार का वित्तीय भार कम करना

2267. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटीलः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार के कार्यालयों में राज्य-वार कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) छठे वेतन आयोग को लागू करने के पहले तथा उसके बाद उनके वेतन एवं भत्तों पर कुल कितना व्यय हो रहा है;

(ग) क्या सरकार छंटनी करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) दिनांक 01/03/2010 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के कार्यालयों में कार्यरत सिविल कर्मचारियों की कुल संख्या 32.24 लाख थी। मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्तर पर राज्यवार डाटा नहीं रखा जाता है।

(ख) छठे वेतन आयोग से पहले और पश्चात केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर कुल व्यय निम्न प्रकार है:

	वित्त वर्ष के दौरान	व्यय (करोड़ में)
छठे केन्द्रीय वेतन आयोग से पहले व्यय	2007-08	44361.01 रुपए
छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के पश्चात् व्यय	2008-09	61362.00 रुपए
	2009-10	78111.20 रुपए
	2010-11 (संशोधित अनुमान)	94270.50 रुपए

(ग) और (घ) सरकार किसी छंटनी नीति पर विचार नहीं कर रही है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। छठे वेतन आयोग ने भी सिफारिश की थी कि अधिवर्षिता की वर्तमान आयु को कायम रखा जाए।

एच.आई.वी.-टी.बी. का सह-संक्रमण

2268. श्री एस.आर. जेयदुरई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में एच.आई.वी.-टी.बी. के सह-संक्रमण के मामले विश्व में सबसे अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य-वार सह-संक्रमण के जानकारी प्राप्त मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने त्रिचूर मॉडल के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों पर गौर किया है जो एच.आई.वी./एड्स के उपचार को मुख्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के साथ मिलाने पर बल देता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के अन्य भागों में इस मॉडल का अनुकरण करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) और (ख) जी नहीं। विश्व में एच.आई.वी.-क्षयरोग सह-संक्रमण के सर्वाधिक रोगी भारत में नहीं हैं। वैश्विक क्षयरोग नियंत्रण रिपोर्ट, 2010 के अनुसार विश्व में एच.आई.वी.-क्षयरोग सह-संक्रमण के सर्वाधिक रोगी दक्षिण अफ्रीका में हैं। विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान एच.आई.वी.-क्षयरोग सह-संक्रमण के रोगियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) जी हां। सरकार त्रिचूर मॉडल से अवगत है जिसमें एच.आई.वी./एड्स उपचार को स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली की मुख्यधारा के साथ समाकलित करने पर बल दिया गया है। एच.आई.वी.-क्षयरोग सह-संक्रमण के लिए उपचार की व्यवस्था की मौजूदा प्रणाली में उसी दृष्टिकोण का पालन किया गया है जैसा कि त्रिचूर मॉडल में दर्शाया जा रहा है, जिससे एंटी-रिट्रोवाइरल

उपचार केन्द्र वाले अस्पताल एक बहु-विषयक दल का गठन करते हैं जिसमें कि स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच सेवाएं, प्रभावन पश्चात रोग निरोधन, समेकित चिकित्सा परिचर्या एवं संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार एच.आई.वी./क्षयरोग सह-संक्रमण

राज्य का नाम	2008	2009	2010	जनवरी से मार्च 2011
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			0	0
आंध्र प्रदेश	3445	9162	11283	2644
अरूणाचल प्रदेश			0	1
असम			68	13
बिहार			114	55
चंडीगढ़			17	4
छत्तीसगढ़			7	7
दादरा और नगर हवेली			2	0
दमण और दीव			13	5
दिल्ली		95	560	101
गोवा	19	93	153	24
गुजरात		823	2624	731
हरियाणा			247	52
हिमाचल प्रदेश			24	17
जम्मू और कश्मीर			16	4
झारखण्ड			193	49
कर्नाटक	2605	7857	8485	2238
केरल			210	91
लक्षद्वीप			0	0
मध्य प्रदेश			102	27
महाराष्ट्र	1578	7705	10574	2753
मणिपुर	73	180	187	32

1	2	3	4	5
मेघालय			1	0
मिजोरम	44	139	176	42
नागालैंड	184	92	117	18
उड़ीसा			38	11
पुदुच्चेरी	31	29	21	6
पंजाब			229	75
राजस्थान			68	44
सिक्किम			1	0
तमिलनाडु	2799	4883	5784	1492
त्रिपुरा			6	2
उत्तर प्रदेश			379	57
उत्तराखंड			26	13
पश्चिम बंगाल			691	280
कुल योग	10778	31058	42416	10888

स्त्रोत: संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम वेबसाइट-www.tbcindia.org

नोट: वर्ष 2008 में 9 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया। 2009 में 2 और राज्य शामिल किए गए। मई 2011 तक जम्मू एवं कश्मीर, बिहार एवं 4 संघ राज्य क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नागर हवेली, दमण व दीव, लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों में कार्यान्वयन किया गया। हालांकि उनसे रोग निरूपित एच.आई.वी./क्षयरोग के कुछ रोगियों की सूचना मिली।

डेन्टल कॉलेजों की मान्यता समाप्त करना

2269. श्री एस. अलागिरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दन्त परिषद (डी.सी.आई.) ने सरकार से देश के कुछ डेन्टल कॉलेजों की मान्यता समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान डी.सी.आई. की सिफारिश पर सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपर्युक्त कितने कॉलेजों की मान्यता समाप्त की गई;

(घ) क्या सरकार ने डी.सी.आई. की सिफारिश के विपरीत कुछ डेन्टल कालेजों की मान्यता समाप्त नहीं की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान, भारतीय दंत परिषद् (डी.सी.आई.) ने सरकार से तीन कॉलेजों में बी.डी.एस. डिग्री की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की है। सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 16 क (2) तथा (3) के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों से भारतीय दंत परिषद् की सिफारिश पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है जो मंत्रालय को प्राप्त होनी अभी बाकी हैं।

विवरण

दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 16 क के अंतर्गत विगत तीन वर्षों 2008-2009, 2009-2010 तथा 2010-2011 के दौरान मान्यता वापिस लिए जाने की सिफारिश वाले डेंटल कॉलेजों की सूची:

2008-2009

	डेंटल संस्थान/कॉलेज का नाम	सरकारी/ निजी	वार्षिक दाखिला की	स्वीकृत सीटें बी.डी.एस डिग्री मान्यता वापिस लेने हेतु डी.सी.आई. की सिफारिशें
1.	जमनलाल गोयंका डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, गोरक्षण रोड, अकोला-444004 (महाराष्ट्र)	निजी	40	भारतीय दंत परिषद् ने दिनांक 22.4.2008 के पत्र संख्या डी.ई.-3(65)-2008/ए-805 सी. के तहत भारत सरकार से बी.डी.एस. डिग्री की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की है।
2.	कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल, एफ-12, झूमर घाट, राउ, इंदौर-453331 (मध्य प्रदेश)	निजी	60	भारतीय दंत परिषद् ने दिनांक 13.6.2008 के पत्र संख्या डी.ई.-3(129)-2008/सी-830 के तहत भारत सरकार से बी.डी.एस. डिग्री की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की है।
3.	के.जी.एफ. कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल, # 36, डी.के. प्लान्टेशन, बी.ई.एम.एल. नगर, कोलार गोल्ड, के.जी.एफ.-563115 (कर्नाटक)	निजी	40	भारतीय दंत परिषद् ने दिनांक 19.12.2008 के पत्र संख्या डी.ई.-3(71)-2008/ए-7183 के तहत भारत सरकार से बी.डी.एस. डिग्री की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की है।

2009-2010

शून्य

2010-2011

शून्य

लिंगानुपात संतुलन को बढ़ावा देना

2270. श्रीमती श्रुति चौधरी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों सहित देश में लिंगानुपात संतुलन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी निधियां संस्वीकृत, जारी और उपयोग में लाई गई तथा इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) देशभर में की गई वर्ष 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, महिला-पुरुष अनुपात वर्ष, 2001 में 933 से बढ़कर वर्ष 2011 में 940 हो गया है। तथापि, 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों में बालिका-बालक अनुपात में भारी कमी आई है, जो कि वर्ष 2001 में 927 से कम होकर वर्ष 2011 में 914 ही रह गया है। हरियाणा राज्य में

समग्र महिला-पुरुष अनुपात वर्ष 2001 में 861 से बढ़कर वर्ष 2011 में 877 हो गया है और इसी अवधि में बालिका-बालक अनुपात भी 819 से बढ़कर 830 हो गया है।

मादा-भ्रूण हत्या की रोकथाम करने और महिला-पुरुष अनुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने बहुद्देशीय कार्यनीति अपनाई है जिसमें विधायी उपाय, समर्थन, जागरुकता, विकास और महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के कार्यक्रम शामिल हैं।

विधायी उपायों में गर्भाधान-पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का क्रियान्वयन शामिल है। भ्रूण का लिंग पता करके गर्भपात करने/कराने को इस अधिनियम में दंडनीय माना गया है। भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है और प्रसव पूर्व निदान तकनीक के संबंध में अनुमोदित बजट का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस अधिनियम के प्रवर्तन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

बालिकाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में राष्ट्रीय जागरुकता फैलाने के लिए समर्थन एवं जागरुकता उत्पन्न करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया है। इसके अतिरिक्त जन-सामान्य की सोच में बदलाव लाने के लिए भारत सरकार ने बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने हेतु "धन लक्ष्मी" नामक स्कीम प्रायोगिक आधार पर शुरू की है। कई राज्य भी बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने हेतु अपनी-अपनी स्कीमें चला रहे हैं।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महिलाओं हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहायता (स्टेप), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से ऋणों जैसे कई उपाय किए हैं।

महिला-पुरुष अनुपात में संतुलन लाने के लिए हरियाणा सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं: (क) दिनांक 20.8.2005 से लाडली स्कीम का क्रियान्वयन, जिसके अंतर्गत दूसरी बेटी का जन्म होने पर 5 वर्ष की अवधि में 5000 रुपये की राशि दी जाती है। इस राशि का निवेश जीवन बीमा में किया जाता है और बालिका की आयु 18 वर्ष होने पर उसे 96,000 रुपये की राशि दी जाती है। अब तक इस स्कीम से 1,29,267 परिवार लाभान्वित हुए हैं। (ख) महिला-पुरुष अनुपात में सुधार के लिए स्कीम का शुभारंभ, जिसके अंतर्गत इस क्षेत्र में सर्वोत्तम निष्पादन करने वाले पहले तीन जिलों को क्रमशः 5.00 लाख, 3.00 लाख और 2.00 लाख रुपए इनाम में दिए जाते हैं। (ग) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य महिला सशक्तीकरण मिशन का गठन।

विवरण

प्रसव पूर्व निदान तकनीक के संबंध में अनुमोदित बजट: 2008-11

क्र.सं.	राज्य	2008-09 (रुपये लाखों में)	2009-10 (रुपये लाखों में)	2010-11 (रुपये लाखों में)	कुल 2008-11 (रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	0.00	150.00	145.25	295.25
2.	छत्तीसगढ़	25.00	27.40	500	57.40
3.	हिमाचल प्रदेश	0.00	25.00	52.60	77.60
4.	जम्मू और कश्मीर	120.76	53.55	25.50	199.81
5.	झारखण्ड	0.00	17.00	18.00	35.00
6.	मध्य प्रदेश	70.54	87.00	128.24	285.78
7.	उड़ीसा	0 00	0.00	21.00	21.00

1	2	3	4	5	6
8.	राजस्थान	101.50	113.68	143.26	358.44
9.	उत्तर प्रदेश	204.72	210.20	50.53	465.45
10.	उत्तराखण्ड	16.10	16.00	16.00	48.10
	उप योग	538.62	699 83	605.38	1843.83
खऱ पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य					
11.	अरूणाचल प्रदेश		14.00	0.00	14.00
12.	असम	8.20	8.22	0.00	16.42
13.	मणिपुर		15.00	8.79	23.79
14.	मेघालय		4.24	4.70	8.94
15.	मिजोरम		1.00	1.40	2.40
16.	नागालैण्ड		0.00	0.00	0.00
17.	सिक्किम		5.43	1.85	7.28
18.	त्रिपुरा		7.00	2.47	9.47
	उप योग	8.20	54.89	19.21	82.30
ग. नान-फोकस राज्य					
19.	आंध्र प्रदेश	50.00	10.00	25.00	85.00
20.	गोवा		25.00	15.00	40.00
21.	गुजरात	150.00	76.45	72.70	299.15
22.	हरियाणा	139.90	30.76	53 10	223.76
23.	कर्नाटक	34.00	104.78	187.50	326.28
24.	केरल	108.47	0.00	14.70	123.17
25.	महाराष्ट्र	292.71	59.70	179.35	531.76
26.	पंजाब	64.84	62.80	95.04	22268
27.	तमिलनाडु	105.88	38.50	0ए00	144.38
28.	पश्चिम बंगाल	50.00	50.00	182.00	282.00
	उप योग	995.80	457.99	824.39	2278.18

1	2	3	4	5	6
घ. संघ राज्य क्षेत्र					
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह		0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़		3.74	3.12	6.86
31.	दादर और नगर हवेली		0.40	0.40	0.80
32.	दमन और दीव		3.00	3.00	6.00
33.	दिल्ली	15.34	15.80	25.75	56.89
34.	लक्षद्वीप		1.00	2.00	3.00
35.	पुदुचेरी		1.85	2.00	3.85
	उपयोग	15.34	25.79	36.27	77.40
	कुल योग	1557.96	1238.50	1485.25	4281.71

एड्स-संक्रमित मरीजों का नि:शुल्क उपचार

2271. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री आनन्द प्रकाश परांजपे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में एड्स से संक्रमित मरीजों को नि:शुल्क उपचार मुहैया करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में एड्स-संक्रमित मरीजों की संख्या तथा उन पर आने वाले उपचार की प्रतिव्यक्ति लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने कतिपय श्रेणियों के एड्स-संक्रमित मरीजों को नि:शुल्क उपचार की सुविधा से वंचित रखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) और (ख) जी हां। सरकार एच.आई.वी. से ग्रस्त उन व्यक्तियों को एंटीरिट्रोवायरल उपचार नि:शुल्क प्रदान कर रही है जिन्हें एड्स हो गया है। पूरे देश में 313 एंटीरिट्रोवायरल उपचार केन्द्रों में फर्स्ट लाइन एंटीरिट्रोवायरल से उपचाराधीन फिलहाल 4,26,195 एड्स रोगी हैं। इसके अतिरिक्त 1224 एड्स रोगी सेकेण्ड लाइन उपचाराधीन है। आज की तारीख के अनुसार पूरे देश में लगभग 23.10 लाख एच.आई.वी. संक्रमित रोगियों की अनुमानित संख्या के मुकाबले इन एंटीरिट्रोवायरल उपचार केन्द्रों में कुल 13,20797 एच.आई.वी. पोजिटिव व्यक्ति पंजीकृत हैं। फर्स्ट लाइन उपचार के लिए प्रति रोगी पर होने वाले उपचार की लागत प्रति व्यक्ति 5,000/-रुपए प्रति वर्ष तथा सेकेण्ड लाइन उपचार के लिए 30,000/- रुपए प्रति वर्ष है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। सभी एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों को एंटीरिट्रोवायरल उपचार मानकों के अनुसार तथा नि:शुल्क प्रदान किया जाता है। इस नि:शुल्क का लाभ उठाने के लिए किसी भी श्रेणी को वर्जित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

2272. श्री राम सुन्दर दास:
श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारी:**

डॉ. संजय जायसवाल:
श्री विजय बहादुर सिंह:
श्री पन्नालाल पुनिया:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है;

(ख) क्या देश में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत अनेक विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय विद्युत नीति के तहत बिजली की प्रति उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) उक्त लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेषावधि के दौरान कितने मेगावाट विद्युत-उत्पादन बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) देश में 2009-10 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नवीनतम उपलब्ध प्रतिव्यक्ति विद्युत की औसत खपत संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत 2008-09 की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की वेबसाइट पर नवीनतम सूचना के अनुसार वर्ष 2008 के लिए कुछ देशों का वार्षिक प्रति व्यक्ति औसत खपत दर्शाते हुए ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय विद्युत नीति का उद्देश्य वर्ष 2012 तक 1000 यूनिट तक प्रतिव्यक्ति विद्युत की उपलब्धता बढ़ाना है।

(घ) योजना आयोग ने मध्यावधिक मूल्यांकन के दौरान 62,374 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य तय किया था। 11वीं योजना के दौरान 5.8.2011 तक कुल मिलाकर 40,131 मेगावाट तक की परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

(ङ) देश में विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम, जिससे प्रतिव्यक्ति विद्युत की उपलब्धता बढ़ेगी, में निम्न शामिल है-(i) चालू क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम की गहन निगरानी (ii) विद्युत संयंत्र उपकरण के घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए पहल। (iii) 4000 मेगावाट प्रत्येक की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास (iv) ग्रिड में अधिशेष कैप्टिव विद्युत का प्रयोग (v) पुरानी और अकुशल उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार (vi) विद्युत की अधिकता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के स्थानांतरण के लिए उच्च वोल्टेज पारेषण के विस्तृत नेटवर्क का विकास, आदि।

विवरण I

वर्ष 2009-10 के लिए देश में राज्य-वार प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत को दर्शाते हुए विवरण।

राज्य/यूटी	विद्युत की प्रति व्यक्ति की खपत (कि.वा.घं.)
1	2
हरियाणा	1222.21
हिमाचल प्रदेश	1379.99
जम्मू और कश्मीर	952.02
पंजाब	1526.86
राजस्थान	736.20
उत्तर प्रदेश	348.37
उत्तराखंड	1112.29
चंडीगढ़	1340.00
दिल्ली	1651.26
उप-जोड़ (उ.क्षे.)	695.11
गुजरात	1615.24
मध्य प्रदेश	602.07
छत्तीसगढ़	1546.94
महाराष्ट्र	1028.22
गोवा	2263.63
दमन और दीव	7118.23
दादरा और नगर हवेली	11863.64
उप-जोड़ (प.क्षे.)	1116.92

1	2
आंध्र प्रदेश	966.99
कर्नाटक	903.24
केरल	525.25
तमिलनाडु	1131.58
पुदुचेरी	1743.37
लक्षद्वीप	418.14
उप जोड़ (द. क्षे.)	938.88
बिहार	122.11
झारखंड	880.43
उड़ीसा	874.26
पश्चिम बंगाल	550.16
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	493.98
सिक्किम	850.16
उप जोड़ (पू. क्षे.)	481.36
असम	204.80
मणिपुर	240.22
मेघालय	675.19
नागालैंड	218.03
त्रिपुरा	335.47
अरूणाचल प्रदेश	470.00
मिजोरम	376.99
उप जोड़ (उ.पू.क्षे.)	257.98
कुल (अखिल भारत)	778.71

विवरण II

प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग-तुलनात्मक स्थिति

(कि.वा.घं.)

क्र.सं.	देश	वर्ष 2008
1.	कनाडा	17053
2.	युएसए	13647
3.	आस्ट्रेलिया	11174
4.	जापान	8072
5.	फ्रांस	7703
6.	जर्मनी	7148
7.	कोरिया	8853
8.	यू.के.	6067
9.	रूस	6443
10.	इटली	5656
11.	दक्षिण अफ्रीका	4770
12.	ब्राजील	2232
13.	चीन	2471
14.	भारत	734*
15.	विश्व	2781

नोट-

मूल आंकड़े आईईए वेबसाइट से लिए गए हैं।

प्रति व्यक्ति खपत = (सकल विद्युत उपलब्धता/जनसंख्या)

*2008-09 के लिए प्रतिव्यक्ति ऊर्जा उपभोग: 734 और वर्ष 2009-10 के लिए समान 779 कि.वा.घं.

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

2273. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:
श्री समीर भुजबल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना के आलोक में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (एन.पी.पी.) की कोई मध्यावधिक समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.पी.पी. की मध्यावधिक समीक्षा के उद्देश्य, अर्थात् कुल जन्म-दर को कम करना- की उपलब्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने कतिपय समुदायों, समूहों, जातियों तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अशिक्षित व्यक्तियों के बीच जनसंख्या-नियंत्रण हेतु सलाहकार दल गठित करने का सुझाव दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में जनसंख्या-स्थिरीकरण के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जनगणना 2011 के परिणाम आने के बाद राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मध्यावधिक समीक्षा नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मध्यावधिक उद्देश्य कुल प्रजनन दर को वर्ष 2010 तक 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाना है।

नमूना पंजीकरण प्रणाली 2009 के अनुसार कुल प्रजनन दर में 2.6 तक गिरावट आयी है और 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 2.1 का प्रतिस्थापन स्तर पी.एफ.आर. हासिल किया है। 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का टी.एफ.आर. 2.1 और 3.0 के बीच है। 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, दादरा और नगर हवेली) का टी.एफ.आर. 3. 0 से अधिक है।

प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन हासिल न करने के तरीकों में कम उम्र में शादी हो जाना तथा बच्चे हो जाना, निम्न साक्षरता और गर्भनिरोधकों का कम इस्तेमाल, अपर्याप्त नियत दिवस परिवार नियोजन सेवा इत्यादि शामिल हैं।

(ङ) और (च) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (एन.सी.पी.) का गठन राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में (एन.पी.पी.) के क्रियान्वयन की समीक्षा, निगरानी और संबद्ध मंत्रालयों/विभागों को दिशानिर्देश देने के लिए एक निकाय के रूप में किया गया है।

एन.सी.पी. के सिफारिशों के आधार पर भारत के महापंजीयक (आर.जी.आई.) के माध्यम से 284 चुनिंदा जिलों में वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया है। विशेषज्ञ समूह बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यों में जनसंख्या की रूपरेखा का अध्ययन करने में लगे हुए थे। इन समूहों की सिफारिशों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के सम्पूर्ण डिजाईन में शामिल किया गया है। जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

* कार्यक्रम में प्रभावी गर्भनिरोधकों को व्यवस्थित रूप से शुरू करके विकल्प के दायरे को बढ़ाना।
* 24x7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करके और सी.एच.सी. के बेहतर कामकाज तथा एन.आर.एच.एम. के अधीन अन्य स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के जरिए पूरे वर्ष नियत दिवस नियत स्थान परिवार नियोजन सेवाएं।
* जन्म में अंतराल रखने की पद्धति के रूप में आई.यू.डी. 380 ए को इसकी 10 वर्ष तक मियाद होने तथा अन्य आई.यू.डी. की अपेक्षा फायदेमंद होने की वजह से व्यापक रूप से बढ़ावा देना।
* पुरुष सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए नो स्केल्पल वेसक्टॉमी को बढ़ावा देना।
* ग्राम स्तर पर गर्भनिरोधकों की उपलब्धता में उन्नयन करना।
* बंध्यीकरण के लिए आकर्षक प्रतिपूर्ति पैकेज।
* बंध्यीकरण को स्वीकार करने वालों को इसके विफल होने, जटिलताओं तथा मृत्यु होने पर मुआवजा देना और परिवार नियोजन बीमा स्कीम के अंतर्गत डाक्टरों को क्षतिपूर्ति बीमा कवर प्रदान करना।

नई पेंशन योजना का कार्यान्वयन

2274. **श्री नीरज शेखर:**
श्री एकनाथ महादेव:
श्रीमती अन्नू टन्डन:
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने सरकारी कर्मचारियों, सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों तथा असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों ने, अलग-अलग, नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) में अंशदान किया है;

(ख) इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक प्रत्येक श्रेणी के अंशदाताओं को प्राप्त लाभों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इस योजना का कार्य निष्पादन सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या नई पेंशन नीति का विवेचन करने के लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं/सुझाव दिए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) नई पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) के अभिदाताओं श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नवत है:

03.08.2011 की स्थिति के अनुसार अभिदाताओं की संख्या

केन्द्रीय सरकार	790036
केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	40699
राज्य सरकार	773630
असंगठित क्षेत्र	43859
कारपोरेट	9039
एन.पी.एस. लाइट	734668
कुल	2391931

(ख) पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा 2 अप्रैल, 2008 से एन.पी.एस. के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अभिदाताओं की निधियों का निवेश विशिष्ट वित्तीय लिखतों में किया गया था और दिनांक 01 मई, 2009 से राज्य सरकार के अभिदाताओं की निधियों का निवेश किया गया था। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित तीन पेंशन निधि प्रबंधकों के कार्य-निष्पादन से यह स्पष्ट होता है कि एन.पी.एस.के अन्तर्गत अभिदाताओं के अंशदान पर प्रतिफल 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान 16.38% और 8.05% के बीच रहा। राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए प्रतिफल की रेंज 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान 11.34 तथा 5.94 के बीच रही। 2009-10 तथा 2010-11 की अवधि के लिए असंगठित क्षेत्र कामगारों के लिए एन.पी.एस. के टीयर-I में प्रतिफल की रेंज 12.52% तथा 1.82% के बीच, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए 12.52% तथा 1.82% के बीच, कारपोरेट बान्डों के लिए 12.66% तथा 4.02% के बीच तथा इक्विटी के लिए 25.94% तथा 7.95% के बीच रही। आरंभ से प्रतिशत के अनुसार वर्ष-वार प्रतिफल का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	केन्द्र सरकार के कर्मचारी		राज्य सरकार के कर्मचारी	
	उच्चतम प्रतिफल	निम्नतम प्रतिफल	उच्चतम प्रतिफल	निम्नतम प्रतिफल
2008-09	16.38	12.38	-	-
2009-10	12.27	8.88	6.34	5.94
2010-11	8.45	8.05	11.34	9.88

एन.पी.एस. ट्रस्ट की स्थापना लाभार्थियों अर्थात सरकारी कर्मचारियों सहित एन.पी.एस. के अभिदाताओं के अधिकतम लाभ के लिए एन.पी.एस. के तहत आस्तियों और निधियों की देख-रेख करने के लिए की गई है। इसके उद्देश्यों की पूर्ति में एन.पी.एस. ट्रस्ट पेंशन निधि प्रबंधकों का पर्यवेक्षण करता है, जो एन.पी.एस. के तहत आस्तियों और निधियों का प्रबंध कर रहे हैं।

(ग) एन.पी.एस. का अध्ययन करने के लिए ऐसी कोई समिति गठित/बनाई नहीं गई है। तथापि, अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा 'अनौपचारिक क्षेत्र पेंशन के क्रियान्वयन की समीक्षा' (सी.आर.आई.आई.एस.पी.)' करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

(घ) सी.आर.आई.आई.एस.पी. का गठन अगस्त, 2010 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा एल.आई.सी. के पूर्व अध्यक्ष श्री जी.एन. बाजपेयी की अध्यक्षता में हुआ था। रिपोर्ट में अन्य बातें के साथ-साथ यह सिफारिश की गई है:

(i) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण वित्तीय रूप से स्वायत्त होना चाहिए।

(ii) एन.पी.एस. को राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन एजेंडा का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

(iii) सरकार को 1000 रु. के स्वावलंबन प्रोत्साहनों को एक लम्बी अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष प्रदान करना चाहिए।

सी.आर.आई.आई.एस.पी. की रिपोर्ट सहित इसकी सिफारिशों/सुझावों को http@//pfrda.org.in/indxmain.asp?linkid=180. पर विस्तार से देखा जा सकता है।

(ङ) सरकार द्वारा पहले ही की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:

(i) पी.एफ.आर.डी.ए. की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए पी.एफ.आर.डी.ए. विधेयक, 2011 में एक प्रावधान किया गया है।

(ii) एन.पी.एस. को वित्तीय समावेशन कार्यनीति में पहले ही शामिल कर लिया गया है। समाज के आर्थिक रूप से अलाभप्राप्त वर्गों के बीच स्वावलंबन के बारे में जागरूकता लाने, असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए पर्याप्त पेंशन कवरेज सुनिश्चित करने के लिए चिन्हित मध्यवर्तियों के माध्यम से क्षमता-निर्माण तथा स्वावलंबन योजना का कार्यान्वयन करने के लिए नाबार्ड द्वारा प्रबंधित वित्तीय समावेशन निधि से पी.एफ.आर.डी.ए. को 50 करोड़ रु. का एक अनुदान संस्वीकृत किया गया है।

(iii) स्वावलंबन योजना के तहत सरकारी सह-अंशदान के लाभ की अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष तक के लिए कर दिया गया है किन्तु ये लाभ उन सभी अभिदाताओं को प्राप्त होंगे जिनका नामांकन वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 दौरान होगा।

मधुमेह-रोगी

2275. श्री पन्नालाल पुनिया:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान मधुमेह-रोगियों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी रही और इस कारण कितनी मौतें हुईं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मधुमेह के मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी राशि आबंटित की गई तथा इसमें से कितनी प्रयुक्त हुई;

(ग) क्या इस रोग से बचाव के तरीकों के बारे में लोगों को जागरुक करने की दृष्टि से सरकार का एक राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का देश के सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त मधुमेह-परीक्षण कराना अनिवार्य बनाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रोग के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने अन्य क्या उपाय किए हैं/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) देश में मधुमेह रोगियों के संबंध में वास्तविक डाटा की जानकारी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मधुमेह फेडरेशन (आई. डी.एफ.) का अनुमान है कि भारत में मधुमेह से ग्रस्त व्यक्तियों की कुल संख्या वर्ष 2010 में लगभग 50.8 मिलियन होगी जो कि वर्ष 2030 तक 87.0 मिलियन तक बढ़ जाएगी। मधुमेह से विभिन्न जटिलताएं और रोग होते हैं तथा मृत्यु सामान्यत: संबद्ध बीमारियों से होती हैं न कि मुख्यत: मधुमेह से।

(ख) राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग और आघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के मधुमेह, हृदवाहिका रोग एवं आघात घटक के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान निधियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

मार्च, 2011 के महीने में निधियां निर्मुक्त की गई थी। नया कार्यक्रम शुरू होने के नाते राज्य अनुमोदित कार्यकलापों के अनुसार निधियों का उपयोग कर रहे हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने 21 राज्यों में चुनिंदा 100 जिलों में राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग और आघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) शुरू किया है। इन समुदाय आधारित कार्यनीतियों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली में विभिन्न स्तरों अर्थात सी.एच.सी., जिला इत्यादि पर मधुमेह की रोकथाम और नियंत्रण शामिल हैं।

(ङ) और (च) मधुमेह जांच की सुविधा सरकारी अस्पतालों में सामान्यत: मुफ्त उपलब्ध है तथा इसे अनिवार्य बनाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि केंद्र सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, बंगलुरू, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे 7 चुनिंदा महानगरों में शहरी मलिन बस्तियों में हाइपर टेंशन तथा मधुमेह के लिए स्वास्थ्य जांच शुरू की है। 30 वर्ष से ज्यादा आयु के

व्यक्तियों तथा गर्भवती महिलाओं की जांच की जाएगी। केंद्र द्वारा ग्लूकोमीटर, ग्लूकोस्ट्रिप्स तथा लेंसेट्स प्रदान किए गए हैं जबकि कार्मिक शक्ति और अन्य संभार तंत्र पर संबद्ध नगर पालिकाओं तथा राज्य सरकारों द्वारा ध्यान दिया जाएगा।

विवरण

राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग और आघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस)

वर्ष 2010-11 के दौरान 21 राज्यों को अनुमोदित/जारी सहायता-अनुदान

		अनुमोदित निधि		निर्मुक्त निधि		
क्र.सं.	राज्य	एनआर	आर	एनआर	आर	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	134.08	84.37	134.08	84.37	218.45
2.	असम	132.88	66	132.88	66	198.88
3.	बिहार	130.08	34.88	130.08	34.88	164.96
4.	छत्तीसगढ़	68.44	57.54	68.44	57.54	125.98
5.	गुजरात	135.68	98.16	135.68	98.16	233.84
6.	हरियाणा	65.24	18.33	65.24	18.33	83.57
7.	हिमाचल प्रदेश	67.24	42.05	67.24	42.05	109.29
8.	जम्मू और कश्मीर	130.88	40.89	130.88	40.89	171.77
9.	झारखंड	67.64	46.22	बैंक खाते का ब्यौरा नहीं मिला		
10.	कर्नाटक	135.68	99.25	135.68	99.25	234.93
11.	केरल	69.64	70.16	69.64	70.16	139.80
12.	मध्य प्रदेश	66.44	32.74	66.44	32.74	99.18
13.	महाराष्ट्र	134.08	79.44	134.08	79.44	213.52
14.	सिक्किम	64.44	8.83	64.44	8.83	73.27
15.	उड़ीसा	66.04	27.63	66.04	27.63	93.67
16.	पंजाब	68.04	50.99	68.04	50.99	119.03
17.	राजस्थान	136.68	122.63	136.68	122.63	259.31
18.	उत्तराखंड	66.04	27.96	66.04	27.96	94.00
19.	तमिलनाडु	66.84	37.38	66.84	37.38	104.22
20.	उत्तर प्रदेश	138.88	138.28	बैंक खाते का ब्यौरा नहीं मिला		
21.	पश्चिम बंगाल	68.84	60.95	68.84	60.95	129.79
	कुल	2013.8	1244.7	1807.28	1060.18	2867.46

सिकल सैल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम

2276. श्री मुरारी लाल सिंह:
श्रीमती दर्शना जरदोश:
श्री मधुसूदन यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में राष्ट्रव्यापी सिकल सैल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्यक्रम कब से शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा सिकल सैल एनीमिया रोग की रोकथाम के लिए राज्यों को कितनी सहायता तथा मदद दी जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा गठित विशेषज्ञों के एक कोर कार्य दल ने सिकल सेल एनीमिया, थेलेसीमिया तथा हीमोफीलिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

(ग) गैर-संचारी रोगों के संबंध में 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए सिकल सेल रोग सहित आनुवंशिक रक्त विकारों के संबंध में कार्ययोजना पर विचार किया जाएगा तथा इसे योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

[हिन्दी]

ई-पंचायतें

2277. श्री के.पी. धनपालन:
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री सुवेन्दु अधिकारी:
श्री रामसुन्दर दास:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंचायतों में ई-गवर्नेंस के प्रयोजन से कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं तथा कितनी पंचायतों में अभी यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है और इस संबंध में आगे क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इस योजना से पंचायतों में कंप्यूटर-साक्षरता किस प्रकार बढ़ने की संभावना है और इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव): (क) जी, हां।

(ख) पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम (इन.ई.जी.पी.) के अंतर्गत एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में पंचायतों में ई-गवर्नेंस कार्यान्वित करने के लिए "ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एम.एम.पी.)" तैयार की है। योजना का लक्ष्य सभी राज्य सरकारों को, पंचायतों में निम्नतम स्तर पर नियोजन करने, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने तथा इन संस्थाओं की बढ़ती उत्तरदायिता में भी सहायता देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करना है। केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य वित्त आयोग अनुदान, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाओं से प्राप्त निधियों का उपयोग करके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है।

31.5.2011 की स्थिति के अनुसार 1,19,245 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 2012 तक सभी पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान किए जाने का लक्ष्य है।

(ग) परियोजना के लिए कुल अनुमोदित लागत 130.39 करोड़ रु. है जो 5 वर्षों (2008-09 से 2012-13) की अवधि के लिए होगी, जिसमें से अब तक 48.66 करोड़ रु. की राशि व्यय की जा चुकी है।

(घ) पंचायती राज मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एंड एक्रीडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सस (डी.ओ.ई.सी.सी.) के सहयोग से वर्ष 2011-12 के दौरान ई-पंचायत एम.एम.पी. के अंतर्गत 25,000 पंचायत कर्मियों को प्राथमिक कंप्यूटर ज्ञान प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

विद्युत परियोजनाओं के लिए नई प्रौद्योगिकियां

2278. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सुपरक्रिटिकल बॉयलरों का उपयोग बढ़ा रही है और बृहत विद्युत परियोजनाएं स्थापित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विद्युत परियोजनाओं में नई और नवाचारी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों से ये नवीनतम प्रौद्योगिकियां आयात की जा रही हैं; और

(ङ) इन नई प्रौद्योगिकियों का विद्युत-उत्पादन की लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) देश में विद्युत के उत्पादन में सुधार लाने के लिए सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी वाली बड़े आकार वाली यूनिटें तथा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं (यू.एम.पी.पी.) स्थापित की जा रही हैं। अब तक, चार यू.एम.पी.पी. अर्थात, मूंदड़ा, सासन, कृष्णापटनम तथा तिलैया अवार्ड की जा चुकी हैं और ये निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। लगभग 3500 मेगावाट की क्षमता वाली सुपरक्रिटिकल यूनिटों के 11वीं योजना में जुड़ने की संभावना है। 12वीं योजना में, सुपरक्रिटिकल यूनिटों द्वारा लगभग 50-60% कोयला आधारित क्षमता अभिवृद्धि किए जाने की आशा है।

(घ) मूंदड़ा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के विकासकर्ता ने मुख्य संयंत्र उपकरण की व्यवस्था डूसान, कोरिया तथा तोशिबा जापान से की है, जबकि सासन, कृष्णापटनम यू.एम.पी.पी. के विकासकर्ता अपने मुख्य संयंत्र उपकरण की व्यवस्था शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी (एस.ई.सी.) चीन से कर रहे हैं। तिलैया यू.एम.पी.पी. मुख्य संयंत्र उपकरण की व्यवस्था एस.ई.सी., चीन से की गई है।

इसके अतिरिक्त, भेल ने सुपरक्रिटिकल बॉयलर्स तथा टरबाईन जेनरेटर्स के निर्माण के लिए क्रमशः मैसर्स एलस्टॉम (फ्रांस) तथा सीमेंस (जर्मनी) के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग करार किया है। जापान तथा यूरोप से प्रौद्योगिकी की व्यवस्था करके सुपरक्रिटिकल बॉयलर्स तथा टरबाईन जेनरेटर्स का निर्माण करने के लिए देश में कुछ संयुक्त उपक्रम स्थापित किए गए हैं। विवरण नीचे दिए हैं:

संयुक्त उद्यम	निर्माण क्षमता (मेगावाट प्रति वर्ष)		तकनीकी संबद्धता/स्थानांतरण
	बॉयलर्स	टरबाईन जेनरेटर्स	
एल. एंड टी. एम.एच.आई.	4000 मेगावाट	4000 मेगावाट	एम.एच.आई. (जापान)
भारत फोर्ज एलस्टॉम	-	5000 मेगावाट	अलस्टॉम (फ्रांस)
जे.एस.डब्ल्यू.-तोशिबा	-	3000 मेगावाट	तोशिबा (जापान)
गैमन-अनसाल्डो	4000 मेगावाट	-	अनसाल्डो काल्डी (इटली)
थर्मेक्स-बैबकॉक एंड विलकॉक्स	3000 मेगावाट	-	बैबकॉक एंड विलकॉक्स (यू.एस.ए.)
बी.जी.आर.-हिताची लिमिटेड	-	5 टरपाईन प्रति वर्ष	हिताची लिमिटेड (जापान)
बी.जी.आर.-हिताची पावर यूरोप जी.एम.बी.एच.	5 बॉयलर प्रति वर्ष	-	हिताची पावर यूरोप जी.एम.बी.एच. (जर्मनी)

(ङ) उत्पादित विद्युत की लागत अनेक पहलुओं पर निर्भर करती है जैसे उपकरण की लागत, वित्तपोषण की लागत, परियोजना कार्यान्वयन अवधि, प्रचालन दक्षता तथा ईंधन की लागत इत्यादि। यद्यपि, सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी में प्रारंभ में अधिक पूंजीगत लागत आती है, तथापि, यह आशा है कि प्रौद्योगिकी का उत्तरोत्तर रूप से स्वदेशीकरण करने से तथा प्रतिस्पर्धा होने से आगे जाकर लागत में कमी आएगी।

[अनुवाद]

एड्स-संक्रमित किशोर वर्ग

2279. श्री पी.सी. मोहनः
श्री पी. कुमारः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "आपर्चुनिटी इन क्राइसिस: प्रिवेंटिंग एच.आई.वी. फ्रॉम अर्ली एडोलसेंस टु यंग एडल्टहुड" शीर्षक वाली संयुक्त राष्ट्रसंघ की उस रिपोर्ट पर ध्यान दिया है जिसमें भारत को उसके 95,000 एड्स-संक्रमित किशोरों के साथ उन अफ्रीकी देशों के साथ दसवें स्थान पर रखा गया है जहां एड्स के घातक विषाणु से संक्रमित किशोरों की संख्या सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) विगत तीन वर्षो के दौरान और चालू वर्ष में सरकार द्वारा विशेषतः किशोर वर्ग के बीच एड्स का फैलाव रोकने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(घ) क्या सरकार का देशभर में विभिन्न स्तरों पर, विशेषकर एड्स के अधिक प्रभाव वाले क्षेत्रों में, कोई अभियान शुरू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) और (ख) 'नाको' (एन.ए.सी.ओ.) को उक्त रिपोर्ट औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, नाको में वेबसाइट पर यथा-उपलब्ध रिपोर्ट देखी गई है। नाको वार्षिक रूप से गर्भवती महिलाओं और उच्च जोखिम ग्रुपों में एच.आई.वी. सेंटिनल निगरानी करता है। इस निगरानी से प्राप्त डाटा का प्रयोग महामारी प्रक्षेपणों तथा एच.आई.वी. से संक्रमित व्यक्तियों और एच.आई.वी. व्यापकता की अनुमानित संख्या तैयार करने के लिए किया जाता है। एच.आई.वी. सेंटिनल निगरानी, 2008-09 पर आधारित हाल ही के एच.आई.वी. अनुमानों के अनुसार, यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत में वर्ष 2009 में 15-24 आयु-वर्ग के 2.92 लाख युवा एच.आई.वी. से संक्रमित हैं। अनुमान है कि 15-24 आयु-वर्ग के युवाओं में 0.14% एच.आई.वी. मौजूद है। पुरुष तथा महिला दोनों में राष्ट्रीय स्तर पर युवा-जनसंख्या (15-24 वर्ष) में एच.आई.वी. की मौजूदगी स्पष्ट ह्रास का प्रमाण है। अधिकांश राज्यों में युवा जनसंख्या (15-24 वर्ष) में एच.आई.वी. मौजूदगी में ह्रास-रूझान संबंधी स्थिरता नोट की गई है।

(ग) से (ङ) किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम (ए.ई.पी.) नाको की तकनीकी तथा वित्तीय सहायता के साथ राज्य शिक्षा विभाग के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे जीवन-कला का निर्माण करने तथा नकारात्मक समकक्ष दबाव के साथ किशोरों की मदद करने, सकारात्मक रवैया विकसित करने, किशोरों को चिंताग्रस्त करने वाले मुद्दों को समझने तथा एच.आई.वी. संक्रमण पर रोकथाम करने के लिए एक प्रमुख कार्यकलाप के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर गत तीन वर्षो के दौरान तथा चालू वर्ष में किए गए व्यय की राशि नीचे दर्शायी गई है:

पिछले तीन वर्षों के दौरान (राशि-लाख में)

2008-09	-	571.39 रुपए
2009-10	-	923.56 रुपए
2010-11	-	1,144.23 रुपए
चालू वर्ष: 2011-12	-	172.50 रुपए

नाको, युवाओं को लक्षित करते हुए समूचे देश में विभिन्न स्तरों पर अनुकूल संचरण उपकरणों का प्रयोग करते हुए अभियान चलाता है। ये अभियान जन-संचार-माध्यमों, मिड-मीडिया, बहिरंग तथा विशेष अवसरों पर आई.पी.सी. सामग्री का इस्तेमाल करते हुए युवाओं को प्रभावित करने के लिए संचालित किए गए थे।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत धनराशि का आबंटन

2280. श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री भक्त चरण दास:
डा. भोला सिंह:
श्री बाल कुमार पटेल:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
डा. राजन सुशान्त:
श्री रुद्रमाधव राय:
श्री यशवीर सिंह:
श्री ओम प्रकाश यादव:
श्री नवीन जिंदल:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री जगदम्बिका पाल:
श्री पी.टी. थॉमस:
श्री नीरज शेखर:
श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:

श्रीमती जयाप्रदा:
श्री राम किशुन:
श्री ब्रजभूषण शरण सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आवंटित धनराशि के दुरुपयोग तथा अनियमितताओं के मामले सूचित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्यवाही की है/किए जाने का विचार किया गया है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों के निर्धारित अवधियों पर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है कि धनराशि का समुचित इस्तेमाल हो तथा अनियमितताओं पर अंकुश लगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन करने के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं तथा समुचित वित्तीय प्रबंधन तथा किसी तरह की विसंगति के विरुद्ध कार्रवाई करने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य की है। केन्द्र सरकार राज्य द्वारा मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद करती है तथा समग्र अनुवीक्षण एवं निगरानी की व्यवस्था करती है।

समय-समय पर प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई हेतु तत्काल राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाता है। इसके अलावा वित्तीय क्रियाविधियों का अनुपालन करने के लिए निम्नलिखित तंत्र स्थापित किए गए हैं:

(क) राज्य द्वारा तिमाही वित्तीय अनुवीक्षण रिपोर्टों की प्रस्तुति।

(ख) वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षाएं।

(ग) समवर्ती लेखा परीक्षाएं; तथा

(घ) आवधिक समीक्षाओं के लिए मंत्रालय के वित्तीय प्रबंधन समूह के दलों द्वारा राज्यों के दौरे।

राज्यों में वित्तीय प्रबंधन क्षमताओं का सृजन करने के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

(i) उप जिला स्तरीय वित्त के लिए/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्राम स्वास्थ्य एवं सफाई समितियां (वी.एच.एस.सी.) उप केन्द्रों, रोगी कल्याण समितियों (आर.के एस.) के वित्त/लेखा कार्मिकों तथा ब्लॉक लेखाकारों के लिए मॉडल लेखाकरण पुस्तिकाएं तैयार तथा परिचालित की गई हैं;

(ii) सभी राज्यों में वित्तीय कार्मिकों को प्रशिक्षित करने में सहायता प्रदान करने के लिए वित्त एवं लेखा संबंधी ई-ट्रेनिंग माड्यूल वितरित किए गए हैं;

(iii) देशभर के सभी राज्यों एवं जिलों के लिए निधि जारी करने हेतु ई-ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उपलब्ध निधियों तथा उनके संबंध में किए गए व्यय संबंधी सूचना सृजित करने के लिए एक ई-बैंकिंग वेब समर्थ एम. आई.एस. को प्रायोगिक आधार पर कर्नाटक में सफलतापूर्वक शुरू किया गया है और राज्यों को उनकी ओर से ऐसी ही पहल करने के लिए कहा गया है;

(iv) निधियों के गैर-विपथन, राज्य के हिस्से के अंशदान और निधियों (आर.के.एस. तथा वी.एच.एस.सी.) के उपयोग संबंधी दिशानिर्देश और परामर्श राज्यों को भेज दिए गए हैं; और

(v) अधिकांश राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में एन.आर.एच.एम. लेखों का अनुरक्षण करने के लिए कस्टोमाइज्ड टैली ई.आर.पी. 9 एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित किया गया है।

समीक्षाओं के दौरान पाई गई खामियों/कमियों को उपचारात्मक कार्रवाई हेतु राज्यों के नोटिस में तुरन्त लाया जाता है। उत्तर प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करने के मामले में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई थीं:

(i) आपातकालीन चिकित्सा यातायात सेवाओं तथा मोबाइल (सचल) चिकित्सा इकाइयों के प्रापण, अस्पताल की साफ-सफाई एवं बागवानी के प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल तथा आर.ओ. प्रणालियों आदि की खरीद के लिए ठेका देने में अनियमितता।

(ii) घटिया किस्म की आई.ई.सी./बी.सी.सी. सामग्री तथा घटिया किस्म की औषधों एवं उपभोज्य सामग्रियों आदि की आपूर्ति।

(iii) सिविल निर्माण कार्यों के बारे में, बिना किसी औपचारिक करार तथा बिना किसी प्रणाली के केवल राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों को ही निधियों का अंतरण किया गया।

(iv) सिविल निर्माण कार्यों और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की प्रगति की खराब निगरानी तथा कनष्ठि अभियन्ताओं (जेई)/सी.एम.ओ. द्वारा निर्माण कार्यों में बताई गई खामियों पर कोई कार्रवाई नहीं।

(v) 779 एम्बुलेंस वाहनों की खरीद के बावजूद भी आपातकालीन यातायात सेवाओं का परिचालन में न होना।

इन कमियों को तत्काल उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के नोटिस में लाया गया था जिसने सूचित किया है कि उन्होंने निम्नलिखित के लिए अलग से स्वतंत्र जांच दल गठित किए हैं:

(क) ई.एम.टी.एस., एम.एम.एस. वाहनों की खरीद के लिए ठेका देने में अनियमितताएं।

(ख) एम.एम.एस. तथा ई.एम.टी.एस. संबंधी वाहनों और सहायक साज-सामान की गुणवत्ता।

(ग) मैसर्स यू.पी.एस.आई.सी. को आपूर्ति क्रयादेश देने और इनके निष्पादन में अनियमितताएं।

(घ) मैसर्स यू.पी.एस.आई.सी. द्वारा घटिया गुणवत्ता वाली आर. ओ. प्रणालियों की आपूर्ति।

(ङ) मैसर्स यू.पी.एस.आई.सी. द्वारा घटिया औषधों एवं उपभोज्य सामग्रियों की आपूर्ति।

(च) घटिया किस्म की आई.ई.सी./बी.सी.सी. सामग्री की आपूर्ति।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारें राज्य और जिला स्वास्थ्य समितियों की वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षा पूरी करने के बाद आवधिक रूप से उपयोग प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत करती हैं। राज्यों को एक विशेष वित्तीय वर्ष में रिलीज की गई निधियों के लिए प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद एक वर्ष के लिए पुनः देय हो जाते हैं। राज्यों द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्टों के साथ-साथ उपयोग प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं तथा इनके समायोजन हेतु मंत्रालय में इनकी जांच की जाती है। लेखा परीक्षा रिपोर्टों में पाई गई कमियों के बारे में समुचित उपचारात्मक उपाय करने के लिए भी राज्यों को सूचित किया जाता है। मंत्रालय भी उपयोग प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करने के लिए मामले को राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर नियमित रूप से उठाता रहता है। इसके अलावा राज्यों में एन. आर.एच.एम. के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा कार्यक्रम प्रभागों तथा क्षेत्रीय निदेशालयों के दलों द्वारा भी की जाती है।

सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण

2281. श्री एम. कृष्णास्वामी:
श्री बलीराम जाधव:
श्रीमती अन्नू टन्डन:
श्री राकेश सिंह:
श्री कमल किशोर 'कमांडो':
श्री नरहरि महतो:
श्री नवीन जिंदल:
श्री नृपेन्द्रनाथ राय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का लक्षित समूहों की नकद सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सब्सिडी का भार किस हद तक कम होगा;

(घ) इस प्रायोगिक परियोजना को शुरू करने के लिए किन-किन राज्यों को चुना गया है; और

(ङ) उक्त प्रायोगिक परियोजना के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) सरकार अभीष्ट लाभानुभोगियों को प्रायोगिक आधार पर पी.डी.एस. केरोसिन तथा घरेलू एल.पी.जी. पर नकद सब्सिडी सीधे ही देने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सरकार ने अभीष्ट लाभानुभोगियों को पी.डी.एस. केरोसिन तथा घरेलू एल.पी.जी. पर सीधे ही सब्सिडी देने के लिए किसी समाधान की संस्तुति करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए श्री नन्दन

नीलकणी, अध्यक्ष, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) की अध्यक्षता में फरवरी, 2011 में एक कार्यबल का गठन किया। इस कार्यबल ने 05.07.2011 को सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। अंतिम रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

(ग) इस समय इस संबंध में कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) घरेलू एल.पी.जी. के संबंध में हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) और मैसूर (कर्नाटक) में सितम्बर, 2011 तक प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की जानी हैं। संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से दिसम्बर, 2011 तक आधार कवरेज के आधार पर केरोसिन संबंधी प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की जानी हैं।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

2282. श्री यशवंत सिन्हा:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री पन्नालाल पुनिया:
श्री जफर अली नकवी:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री जगदम्बिका पाल:
श्री एम.के. राघवन:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री रेवती रमन सिंह:
श्री के.जे. एस.पी. रेड्डी:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में विद्युत की संभावित उपलब्धता के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत-उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों को अब तक वर्ष-वार, क्षेत्र-वार तथा स्रोत-वार कितना हासिल किया गया;

(ग) कितनी विद्युत-परियोजनाएं परियोजना-वार तथा राज्य-वार निर्धारित समयसीमा से पिछड़ गई हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत-उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेषावधि के दौरान तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत परिदृश्य में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कार्ययोजना तैयार की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत के पहले वर्ष दर वर्ष आधार पर पारंपरिक स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं न कि पूरे पंचवर्षीय योजना के आधार पर।

(ख) 11वीं योजना के दौरान वर्षवार, क्षेत्रवार और स्त्रोतवार विद्युत उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ग) 11वीं योजना के लिए 62374 मेवा की मध्यावधिक मूल्यांकन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य की तुलना में 11वीं योजना के दौरान 5 अगस्त, 2011 तक 40131 मेगावाट की क्षमता चालू हो गई है। यह 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त क्षमता अभिवृद्धि का लगभग दो गुना है। 2036 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं और 10350.7 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजनाएं कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं और संभवत: 11वीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य में शामिल नहीं होने की संभावना है। इन परियोजनाओं के और इनके शामिल न हो पाने के कारण सहित ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-II और III में दिये गये हैं।

(घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्षमता वृद्धि लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। योजना आयोग ने हाल ही में 12वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी कार्यदल का गठन किया है। कार्यदल विभिन्न दावाधारकों से परामर्श के पश्चात 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम तैयार करेगा और कार्यदल की रिपोर्ट के आधार पर योजना आयोग 12वीं योजना के लिए क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य को अंतिम रूप देगा।

(ङ) 11वीं पंचवर्षीय योजना और उससे आगे की शेष अवधि के दौरान विद्युत की स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत से कदम उठाये गए हैं। इनमें दिसंबर 2007, से दिसंबर 2012 तक 10,000 मेगावाट से 20,000 मेगावाट तक भेल की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि; सचिव (भारी उद्योग) की अध्यक्षता के समूह द्वारा भेल से विद्युत उपकरण की आपूर्ति से जुड़े मामले की आवधिक समीक्षा; कई नए संयुक्त उद्यमों से सुपर क्रिटिकल बायलरों का निर्माण और ताप विद्युत संयंत्र के लिए टरबाइन जेनरेटर निर्माण के स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अनिवार्य चरणबद्ध स्वदेशी विनिर्माण कार्यक्रम की सुपर क्रिटिकल तकनीक के साथ प्रत्येक 660 मेगावाट

की 11 यूनिटों का वृहत आदेश और बैलेंस आफ प्लांट्स आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विक्रेता आधार को बढ़ाने के लिए दावाधारकों को सुग्राही बनाना; विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत परियोजना प्रबोधन पैनल, सलाहकार समूह द्वारा विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की सख्त निगरानी और वेब आधारित निगरानी प्रणाली शुरू करना।

विवरण I

11वीं योजना अवधि के दौरान क्षेत्रवार विद्युत उत्पादन बनाम कार्यक्रम एवं पीएलएफ%

क्षेत्र	श्रेणी	2011-12 (11 जुलाई तक*)				2010-11			2009-10			2008-09			2007-08		
		क्षमता 31.07.11	कार्यक्रम (मि.यू.)	वास्तविक उपलब्धता वास्तविक (मि.यू.)	उपलब्धि (मि.यू.)	वास्तविक उपलब्धता	वास्तविक (मि.यू.)	उपलब्धि (मि.यू.)	वास्तविक उपलब्धता	वास्तविक (मि.यू.)	उपलब्धि (मि.यू.)	वास्तविक उपलब्धता	वास्तविक (मि.यू.)	उपलब्धि (मि.यू.)	वास्तविक उपलब्धता(मि.यू.)	वास्तविक	उपलब्धि
केंद्रीय	थर्मल	43432.2	92772	91833	99.0	269999.1	273775	101.4	261148.2	264761	101.4	260824	245961	94.3	237449	240339.3	101.2
	हाइड्रो	11751.7	16675.2	20575	123.4	41642	46049	110.6	43239	40887	94.6	42912	43359	101 .0	39790	41806.59	105.1
	न्यूक्लियर	4780.0	8627	10611	123.0	22000	26266	119.4	19000	18636	98.1	19000	14713	77.4	22713	16776.91	73.9
केंद्र-कुल		59963.9	118074	123019	104.2	333641.1	346091	103.7	323387.2	324284	100.3	322736	304033	94.2	299952	298922.8	99.7
राज्य	थर्मल	51337.7	97317	98296	101.0	317092.6	280435	88.4	303192.5	287960	95.0	304764	280478	92.0	277604	261833.1	94.3
	हाइड्रो	24395.7	18754.8	22257	118.7	63990	62867	98.2	67123	60313	89.9	70221	64497	91.8	64299	76130.49	118.4
राज्य-कुल		75733.4	116072	120553	103.9	381082.6	343302	90.1	370315.5	348274	94.0	374985	344975	92.0	341903	337963.6	98.8
निजी	थर्मल	17217.5	33656	33390	99.2	76520.57	84473	110.4	57200.83	61579	107.7	39299	37485	95.4	31705	30409.88	95.9
	हाइड्रो	1478.0	1810.41	2646	146.2	4092	3974	97.1	3558	3944	110.8	3731	4010	107.5	3715	3878.39	104.4
निजी-कुल		18695.5	35466.4	36036	101.6	80612.57	88448	109.7	60758.83	65523	107.8	43030	41495	96.4	35420	34288.27	96.8
निजी यूटीलिटी	थर्मल	3865.0	9006	9008	100.0	27244.18	26325	96.6	26938.04	26576	98.7	26383	26176	99.2	25436	26407.75	103.8
	हाइड्रो	481.0	503	575	114.3	1628	1367	84.0	1548	1535	99.2	1586	1215	76.6	1646	1608.65	97.7
निजी यूटीलिटी-कुल		4346.0	9509	9583	100.8	28872.18	27692	95.9	28486.04	28112	98.7	27969	27391	97.9	27082	28016.4	103.5
भूटान (आयात)	हाइड्रो		2090	1949	93.2	6548	5611	85.7	6564	5359	81.6	5624	5899	104.9	5643	5277.94	93.5
अखिल भारतीय	थर्मल	115852.4	232751.0	232527	99.9	690856.5	665008	96.3	648480	640876	98.8	631270	590101	93.5	572194	558990	97.7
	हाइड्रो	38106.4	37743.3	46053	122.0	111352.0	114257	102.6	115468	106680	92.4	118450	113081	95.5	109450	123424	112.8
	न्यूक्लियर	4780.0	8627.0	10611	123.0	22000.0	26266	119.4	19000	18636	98.1	19000	14713	77.4	22713	16777	73.9
	भूटान (आयात)		2090.0	1949	93.2	6548.0	5611	85.7	6564	5359	81.6	5624	5899	104.9	5643	5278	93.5
अखिल भरतीय (कुल)		158738.8	281211	291140	103.5	830756.5	811143	97.6	789511.6	771551	97.7	774344	723794	93.5	710000	704469	99.2

*अनंतिम

टिप्पणी 1: 25 मेगावाट तक क उत्पादने केंद्रों का 01.04.10 से प्रबोधन नहीं किया जा रहा है।

टिप्पणी 2: अप्रैल 09 से निजी क्षेत्र के आईपीपी का पीएलएफ रिपोर्ट में शामिल किया जाता है।

विवरण II

11वीं योजना में छूट गयी जल विद्युत क्षमता मध्यावधि पुर्नरीक्षण लक्ष्य (8237 मेगावाट)

विवरण	लाभ (मेगावाट)		टिप्पणी/जटिल क्षेत्र केंद्रीय क्षेत्र
जम्मू और कश्मीर			
नीमू बाजगो, एन.एच.पी.सी., ज.व.क. 3x15= मे.वा.	45	*	कार्य स्थल पर बहुत ठंड के कारण बहुत ही कम कार्यकारी मौसम का उपलब्ध होना।
हिमाचल प्रदेश			
पार्बती-III, एन.एच.पी.सी., हि.प्र. 4x130=520 मे.वा.	520	*	कमजोर भू-गर्भ के कारण हेड रेस टनल में धीमी प्रगति
पश्चिम बंगाल			
तीस्ता लो डैम-IV एन.एच.पी.सी., प.बं. 4x40=160 मे.वा.	160	*	वर्ष 2007, मई 2009 तथा जुलाई/अगस्त 2010 में फ्लश फ्लडें,
		*	जी.जे.एम. के हड़ताल के कारण कार्यों में निरन्तर बाधा
तीस्ता लो डैम-III, एन.एच.पी.सी., प.बं., 4x33=132 मे.वा.	132	*	वर्ष 2007, मई 2009 तथा जुलाई/अगस्त 2010 में फ्लश फ्लडें,
		*	जी.जे.एम. के हड़ताल के कारण कार्यों में निरन्तर बाधा
उप जोड़ (केंद्रीय)	857		
आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र		
नागार्जुन सागर टी.आर. ए.पी.जेनको., आं.प्र. 2x25=50 मे.वा.	50	*	01.10.2009 को अप्रत्याशित बाढ़ आना
		*	बांध एवं सह-एच.एम. कार्यों की धीमी प्रगति
तमिलनाडु			
भवानी बैराज-III टी.एन.ई.बी., तमिलनाडु 2x15=30 मे.वा.	30	*	बैराज एवं सह-एच.एम. कार्यों की धीमी गति।
उप जोड़ (राज्य):	80		
मध्य प्रदेश	निजी क्षेत्र		
महेश्वर म. प्र. 10x40=400 मे.वा.	400	*	कैश फ्लो समस्या * आर. एवं आर. समस्याएं
सिक्किम			
चुजाचेन गती, सिक्किम 2x49.5=99 मे.वा.	99	*	एच.आर.टी. कार्यों में धीमी गति
तीस्ता-III सिक्किम 6x200=1200 मे.वा.	600	*	कमीशनिंग सूची के साथ सिविल कार्यों की प्रगति का मेल न खाना
उप जोड़ (निजी):	1099		
कुल (स्लीपींग):	2036 मे.वा.		

विवरण III

11वीं योजना में छूट गयी ताप विद्युत क्षमता मध्यावधि लक्ष्य

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं इकाई सं.	कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (मेगावाट)	कारण एवं जटिल क्षेत्र
1	2	3	4	5
केंद्रीय क्षेत्र				
1.	नेवेली टी.पी.एस.-II एक्सपैं यू-2	एन.एल.सी.	250	रिफरेक्टरी की धीमी प्रगति जिससे यूनिट-I भी प्रभावित हुई है।
2.	सिम्हाद्री एस.टी.पी.पी. एक्सपैं यू-4	एन.टी.पी.सी.	500	टी.जी. डेक एक्सेस फ्लोर के धीमे सिविल कसार्य के कारण टी.जी. उत्थापन में विलन
3.	इंदिरा गांधी टी.पी.पी. यू-3	ए.पी.सी.पी.एल.	500	टी.जी. डेक एक्सेस फ्लोर तथा टी.जी. हॉल के अन्य फ्लोर्स के धीमे सिविल कार्य के कारण टी. जी. में विलंब
4.	वल्लूर टी.पी.पी. यू-1 एवं यू-2	एन.टी.इ.सी.एल.	1000	टी.जी. डेक एक्ससे फ्लोर तथा ई.ओ.टी. क्रेन विस्तार के धीमे सिविल कार्य के कारण टी.जी. उत्थापन में विलंब
5.	कोडरमा टी.पी.पी. यू-2	डी.वी.सी.	500	सिविल कार्यो/ई.ओ.टी. क्रेन की अनुपलब्धता के कारण टी.जी. उत्थापन में विलंब/राखकुंड हेतु भूमि।
6.	बोंगाईगांव टी.पी.पी. यू-1	एन.टी.पी.सी.	250	सिविल कार्यों की धीमी प्रगति/कानून-व्यवस्था की समस्या, बारंबार बंध, सी.एच.पी./ए.एच.पी. कार्य प्रारंभिक चरण में हैं।
7.	बोंगाईगांव टी.पी.पी. यू-2	एन.टी.पी.सी.	250	
8.	रघुआंथपुर टी.पी.पी., फेज-I, यू-1	डी.वी.सी.	600	रेल कोरीडोर और कच्चा जल पाइप लाइन कॉरीडोर (बहुत क्रिटिकल विलंब का प्रमुख कारण) हेतु भूमि-अधिग्रहण/लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। साइट पर सभी अर्बाइन मॉड्यूल, जेनरेटर सी.सी. पंप इत्यादि उपलब्ध हैं। कानून व्यवस्था की समस्या।
9.	रघुआंथपुर टी.पी.पी., फेज-I, यू-2	डी.वी.सी.	500	
10.	दुर्गापुर स्टील टी.पी.एस. यू-2	डी.वी.सी.	500	कार्य की धीमी प्रगति
	उपजोड़ केंद्रीय क्षेत्र		4950	
	राज्य क्षेत्र			
10.	प्रगति सी.सी.जी.टी.-III एस.टी.-2	पी.पी.सी.एल.	250	धीमा सिविल कार्य, टी.जी. डेक तैयार नहीं है।
11.	प्रगति सी.सी.जी.टी.-III जी.टी.-4	पी.पी.सी.एल.	250	सिविल कार्य में विलंब rks.

1	2	3	4	5
12.	पीपावाव सी.सी.पी.पी. ब्लॉक 1 एवं 2	जी.एस.पी.सी. कं. लि. पीपावाव पावर	702	आर.सी.सी. कार्य की धीमी प्रगति। जी.टी. जी. और एस.टी.जी. की आपूर्ति में विलंब
13.	परीछा एक्सटें, यू-5	यू.पी.आर.वी.यू.एन.एल.	250	चिमनी ढह गई थी। अब इसका नए स्थान पर पुनर्निर्माण किया जा रहा है।
14.	परीछा एक्सटें, यू-6	यू.पी.आर.वी.यू.एन.एल.	250	
15.	उकाई टी.पी.पी. एक्सटें, यू-6	जी.एस.ई.सी.एल.	490	वर्तमान ढांचे नालियों को हटाने में प्रारंभिक विलंब/सिविल कार्यों की धीमी प्रगति तथा अपर्याप्त जनशक्ति।
16.	नार्थ चेन्नई स्टे-II, यू-2	टी.एन.ई.बी.	600	टी.जी. डेक सक्सेस फ्लोर और इ.ओ.टी. क्रेन के धीमे सिविल कार्य कारण टी.जी. उत्थापन में विलंब
17.	नार्थ चेन्नई स्टे-II, यू-1	टी.एन.ई.बी.	600	बॉयलर तैयार होने में विलंब
18.	मेटूर टी.पी.पी. एक्ट, यू-1	टी.एन.ई.बी.	600	धीमी प्रगति
19.	लकवा वेस्ट हीट इकाई		37.2	सिविल और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्यों की धीमी प्रगति/कानून-व्यवस्था की समस्या, जन-शक्ति की कमी।
	उपजोड़ राज्य क्षेत्र		4029.2	
	निजी क्षेत्र			
20.	जलीपा कपूर्डी टी.पी.पी. यू-4 से यू-8	राज वेस्ट पावर लि.	675	जन-शक्ति की कमी और कठिन साइट-परिस्थितियों के कारण कार्य की धीमी प्रगति/जोधपुर डिस्कॉम द्वारा कच्चे जल हेतु 4 पंपिंग स्टेशनों के लिए स्थाई विद्युत आपूर्ति की तैयारी/जलिपा खदानों का विकास।
21.	रिठाला सी.सी.पी.पी. एस.टी.	एन.डी.पी.एल.	36.5	टर्बाइन पुर्जों की मरम्मत के कारण विलंब।
22.	मुंद्रा टी.पी.पी. फेज-III यू-1	अदानी पावर लि.	660	फ्लू गैस डील सल्फराइजेशन प्रणाली के तैयार होने में विलंब/प्रयोगकर्ता छोर पर विद्युत निकासी प्रणाली में विलंब।
	उपजोड़ निजी क्षेत्र	1371.5		
	11वीं योजना से कुल स्लीपींग		10350.7	

नकली और घटिया दवाएं

2283. श्री संजय धोत्रे:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री घनश्याम अनुरागी:
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री कादिर राणा:
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:
श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री प्रेमदास:
श्री हमदुल्लाह सईद:
श्री कमल किशोर 'कमांडो':
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:
श्री पी. विश्वनाथन:
श्रीमती प्रियादत्त:
श्री जगदीश ठाकोर:
श्री के.सी. सिंह 'बाबा':

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी समाचार-माध्यमों में प्रकाशित उन विभिन्न खबरों की ओर ध्यान दिया है जिनमें भारत को नकली और घटिया दवाओं व टीकों का सबसे बड़ा निर्माता बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) नकली दवाओं और टीकों की बढ़ती समस्या को काबू करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितने छापे मारे गए तथा राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे कितने मामलों का पता चला;

(घ) क्या सरकार ने देश में नकली दवाओं और टीकों की समस्या पर काबू पाने के लिए हाल में एक समिति का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) विदेशी मीडिया में छपी रिपोर्टें वास्तविक सर्वेक्षण पर आधारित नहीं हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने वर्ष 2010 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में यूरोपीय संघ में भारत से नकली औषधों के आयात के बारे में उल्लेख किया था। रिपोर्ट में उल्लिखित आंकड़े टी.ए.एक्स.यू.डी. (यूरोपीय समुदाय के कराधान एवं सीमा-शुल्क संघ) में वर्ष 2005 में दर्ज बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के मामले के संबंध में थे। ऐसे मामले यूरोपीय संघ द्वारा नकली दवाओं के रूप में समझे जाते हैं। तथापि, औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा इसके अन्तर्गत बनी औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में किसी औषध की लाइसेंसिंग का इसके पेटेन्ट दर्जे से संबंध को स्वीकार नहीं किया जाता है। फिर भी, सरकार ने इस मामले को विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय फोरम के साथ उठाया है कि पेटेन्ट मुद्दों को दवाओं की गुणवत्ता या नकली औषधों के साथ उलझाया नहीं जाना चाहिए।

(ग) सरकार ने देश में नकली औषधों की समस्या को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं:

(i) नकली और अपमिश्रित औषधों के विनिर्माण के लिए और अधिक सख्त शास्तियों का प्रावधान करने के लिए वर्ष 2008 में औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में संशोधन किया गया है। कुछ अपराधों को संज्ञेय एवं गैर-जमानती बनाया गया है।

(ii) देश में नकली औषधों की आवाजाही का पता लगाने में सतर्क जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए पोल खोल नीति (विसल ब्लोअर) की घोषणा की गई है। इस नीति के अंतर्गत विनियामक प्राधिकारियों को नकली औषधों की आवाजाही के संबंध में ठोस सूचना देने वाले मुखबिर को उचित पुरस्कार दिया जाता है।

(iii) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत बढ़ाई गई शास्तियों के आलोक में नकली घोषित की गई अथवा अवमानक गुणवत्ता वाली औषधों के नमूनों के संबंध में कार्रवाई करने संबंधी दिशानिर्देशों को कार्यान्वयन हेतु राज्य औषध नियंत्रकों को अग्रेषित किया गया है।

(iv) निरीक्षणालय स्टाफ को जांच/विश्लेषण के लिए औषधों के नमूने लेने तथा निगरानी रखने हेतु अनुदेश दिए गए हैं ताकि देश में चलने वाली औषधों की गुणवत्ता की निगरानी रखी जा सके।

(v) बेहतर प्रवर्तन के लिए सी.डी.एस.सी.ओ. की कार्मिक शक्ति सहित अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु कदम उठाए गए हैं। इसी प्रकार राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे कार्मिक शक्ति और अवसंरचना में संवर्द्धन करें।

नकली औषधों के मामलों की संख्या, चलाए गए अभियोजन और छापों की संख्या के संबंध में तीन वर्षीय डाटा विवरण के रूप में संलग्न है। मौजूदा वर्ष के डाटा का अभी संकलन नहीं किया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यों से उपलब्ध फीडबैक के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान जांच किए गए नमूनों की संख्या, अवमानक गुणवत्ता वाले घोषित नमूनों की संख्या, नकली घोषित किए गए नमूनों की संख्या, शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या और डाले गए छापों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा।

क्र.सं.	वर्ष	जांच किए गए औषध नमूनों की संख्या	अवमानक गुणवत्ता के घोषित किए गए औषध नमूनों की संख्या	नकली/अपमिश्रित घोषित औषध नमूनों की संख्या	नकली/अपमिश्रित औषधों के विनिर्माण बिक्री और वितरण के लिए शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	डाले गए छापों की संख्या
1.	2008-09	45145	2597	157	220	133	2836
2.	2009-10	39248	1942	117	138	147	2513
3.	2010-11	49682	2372	95	167	72	1145*

*उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़कर

ठप्प पड़े सहकारी बैंक

2284. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:
डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गुजरात सहित देश में ठप्प पड़े सहकारी बैंकों को पुन: खोलने का विचार है ताकि श्रमिकों और मध्यम वर्ग का हितसाधन हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आयकर प्रक्रियाओं में सुधार

2285. डॉ. बलीराम:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री सी.आर. पाटिल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि क्या आयकर निर्धारितियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, को

रिटर्न भरने की प्रक्रिया, छूट तथा राहत संबंधी सीमाओं, स्थायी खाता संख्या (पैन नं.) प्राप्त करने और आयकर सेवा-केन्द्रों के नेटवर्क इत्यादि वर्तमान प्रक्रियाओं से क्या कोई दिक्कत पेश आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्धारितियों के सुविधार्थ आयकर प्रक्रिया में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) यद्यपि इन क्षेत्रों का मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा कोई औपचारिक अध्ययन नहीं कराया गया है, फिर भी करदाताओं, पेशेवर, निकायों, विभिन्न व्यापार संगठनों तथा अन्य पणधारियों से प्राप्त सुझाव, शिकायतें; फीडबैक तथा सिफारिशें विभिन्न कार्यविधियों एवं करदाता सेवाओं में मूल्यांकन तथा परिणामी सुधार के लिए समय-समय पर निविष्टियां प्रदान करती हैं। इसके फलस्वरूप नागरिक चार्टर का निर्माण किया गया है, जिसमें विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं, सेवा के निष्पादन मानकों तथा शिकायत निवारण तंत्रों का ब्यौरा है।

(ग) कार्यविधि को सरल बनाने तथा कर निर्धारितियों के सामने आ रही कठिनाइयों के समाधान के लिए उठाए गए कदमों में पूरे देश में किसी भी स्थान से विवरणियों की ई-फाइलिंग एवं ई-भुगतान के लिए प्रावधान करना, प्रतिदाय की तेजी से क्रेडिट के लिए प्रतिदाय बैंकर योजना, विवरणी प्रपत्र जमा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए कर विवरणी तैयारकर्ता योजना, स्थाई खाता संख्या के आवंटन को सरल एवं कारगर बनाना, विभागीय बेवसाइट शुरू करना, करदाता सूचना पुस्तिकाओं एवं ब्रोकरों का प्रकाशन और एकीकृत करदाता सेवाएं प्रदान करने के लिए सुविधा केन्द्र एवं आयकर सम्पर्क केन्द्र स्थापित करना शामिल है। विभाग द्वारा अपनाई गई 'सेवोत्तम' योजना विभिन्न सेवाओं की सुपुर्दगी में उत्कृष्टता के लिए एक एकीकृत माडल है। आयकर विभाग ने चुनिंदा केन्द्रों पर परियोजनाएं शुरू की हैं जिनमें सेवोत्तम के तीन मॉड्यूल अर्थात (i) नागरिक चार्टर का कार्यान्वयन, मानीटरिंग एवं समीक्षा (ii) जन शिकायतों की प्राप्ति समाधान एवं रोकथाम और (iii) सेवा सुपुर्दगी क्षमता स्थापित किए गए हैं। विवरणी प्रपत्रों को भी सरल बनाया गया है तथा वेतनभोगी कर निर्धारितियों एवं लघु व्यवसायियों के लाभार्थ कर निर्धारण वर्ष 2011-2012 के लिए नए प्रपत्र 'सहज' एवं 'सुगम' अधिसूचित किए गए हैं। कर निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए ऐसे वेतन भोगी करदाताओं को आयकर विवरणी दाखिल करने से छूट दी गई है जिनकी आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है यदि उनकी देयता का निर्वाह स्त्रोत पर कर कटौती द्वारा किया गया है। विवरणियां प्राप्त करने के लिए विशेष शिविर एवं करदाताओं की सुविधा एवं शिक्षा के लिए जागरूकता अभियान भी नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। आयकर संबंधी शिकायतों की जांच-पड़ताल करने के लिए लोकपाल की संस्था भी स्थापित की गई है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि विभाग वरिष्ठ नागरिकों समेत कर निर्धारितियों की सुविधा के लिए विभिन्न कार्यविधियों एवं करदाता सेवाओं में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

[अनुवाद]

कुपोषण

2286. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:
श्री पूर्णमासी राम:
श्री पन्नालाल पुनिया:
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री गणेश सिंह:
श्री रमेश बैस:
श्री सी. राजेन्द्रन:
श्री रामकिशुन:
श्रीमती जे. शांता:
श्री हमदुल्लाह सईद:
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:
श्रीमती प्रिया दत्त:
श्री हरि मांझी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण/शहरी/ आदिवासी/ पिछड़े/दूरदराज वाले क्षेत्रों सहित कुपोषण से पीड़ित गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं और बच्चों सहित महिलाओं की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली सहित तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए भी कोई सर्वेक्षण करवाया गया है कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने के बाद भी देश में कुपोषण अभी विद्यमान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(च) क्या सरकार ने पोषण विशेषज्ञों के किसी कार्यबल का गठन किया है;

(छ) यदि हां, तो क्या उक्त कार्य बल की इसके गठन के बाद से कोई बैठक हुई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ङ) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कुपोषण की व्याप्तता संबंधी सूचना प्रदान करता है। वर्ष 2005-06 में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 42.5% बच्चों का वजन कम है। शहरी, ग्रामीण और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के बीच अल्पवजनी बच्चों का प्रतिशत क्रमशः 32.7%, 45.6% और 54. 5% है। 15-49 वर्ष की आयु समूह की 35.6% महिलाएं ऊर्जा की चिरकालिक कमी से ग्रस्त हैं। कम बॉडी मास इन्डैक्स ऊर्जा की चिरकालिक कमी शहरी, ग्रामीण और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में क्रमशः 25.0%, 40.6% और 46.6% है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में और उनके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अल्पवजनी बच्चों और महिलाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

कुपोषण एक जटिल, बहुआयामी और पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली समस्या है जिसका समाधान केवल एक क्षेत्र के द्वारा नहीं किया जा सकता। कुपोषण के कारकों में घरेलू खाद्य असुरक्षा, विशेषकर महिलाओं में निरक्षरता, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कमी, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता में कमी, साफ-सफाई और खराब पर्यावरणीय स्थितियां तथा कम क्रयशक्ति आदि शामिल हैं। बालिकाओं को जल्द विवाह कर देने, किशोरावस्था में गर्भधारण करने के परिणामस्वरूप नवजात शिशु का वजन कम होता है, स्तनपान कराने की खराब पद्धति, पूरक आहार देने की खराब पद्धति, नवजात और छोटे बच्चों की पोषाहारीय आवश्यकताओं के प्रति जानकारी का अभाव और बार-बार संक्रमित होने से स्थिति और खराब हो जाती है। अनेक दूसरे कारक जैसा कि पर्यावरणीय, भौगोलिक, कृषि और विभिन्न अन्य कारकों सहित सांस्कृतिक कारकों से कुपोषण और बढ़ जाता है। यह माना जाता है कि कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है।

(च) से (ज) बाल्यावस्था के कुपोषण की समस्या का अध्ययन करने के लिए सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में दिसम्बर, 2007 में योजना आयोग द्वारा एक कार्यबल गठित किया गया। कार्यबल की फरवरी, 2008 और अगस्त, 2008 में दो बार बैठकें हुई। कार्यबल द्वारा की गई सिफारिशों में कुपोषण की दरों पर आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत नियमित वार्षिक सर्वेक्षण करना, ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवसों के माध्यम से पोषण कार्यक्रमों का मानीटरन करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य और साफ-सफाई समिति; आंगनवाड़ी स्तर पर पोषाहारीय स्थिति का आकलन करने के लिए दूसरे सूचकांक के रूप में बी.एम.आई. शुरू करना; अल्पवजनी शिशुओं के जन्म की घटना में कमी लाने के लिए कारगर प्रसव-पूर्व देखरेख और सशर्त मातृत्व हक; किशारियों के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान देना; नवजात और छोटे बच्चों को आहार देने की उपयुक्त पद्धति और समय पर प्रतिरक्षण को प्रोत्साहित करना; बाल विशिष्ट विकास मानीटरन कार्ड, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों पर विशेष ध्यान देना; आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत गर्म पकाए गए भोजन और सामुदायिक भागीदारी; आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की क्षमता का विकास; अन्य कार्यक्रमों के साथ संकेन्द्रण आदि शामिल है।

इनमें से बहुत सी सिफारिशों का समाधान पहले ही किया जा चुका है और समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के सर्वव्यापीकरण में शामिल किया गया है। नई स्कीमों को आरंभ करना जैसा कि राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम अर्थात् सबला, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, आई.सी.डी. एस. और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दोनों के अंतर्गत नया संयुक्त मातृ और बाल संरक्षण कार्ड के साथ-साथ विकास मानीटरन हेतु नए विश्व स्वास्थ्य संगठन के विकास मानकों को शुरू करना; 284 जिलों में वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (इसमें पोषण संसूचक शामिल हैं) आई.सी.डी.एस. में मानीटरन तंत्रों को सुदृढ़ करना आदि।

सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमियों से निजात पाने के लिए कार्यक्रमों को त्वरित करने हेतु राजनीति और कार्यवाई सुझाने हेतु दूसरा कार्यबल का गठन सचिव, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में अक्तूबर, 2008 में किया गया। कार्यबल की नवम्बर, 2008 और जनवरी, 2009 में दो बैठकें हुईं। कार्यबल के अंतर्गत दो उप समितियां हैं अर्थात् आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत पूरक पोषण का सूक्ष्म पोषक तत्वों से संपुष्टिकरण उप समिति तथा बासी भोजन संपुष्टिकरण उप समिति। आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण का सूक्ष्म पोषक तत्वों से संपुष्टिकरण उप समिति की सिफारिशों के आधार पर आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत पोषाहार और आहार देने के मानदंडों के लिए संशोधित दिशानिर्देश सभी राज्यों को 24 फरवरी, 2009 को जारी किया गया।

विवरण

सारिणी-1

15-49 वर्ष तक की अल्पवजनी महिलाओं का प्रतिशत बीएमआई सामान्य से कम-राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-06) राज्य-वार आंकड़े

			15-49 वर्ष तक की अल्पवजनी महिलाओं का प्रतिशत (बी एम आई सामान्य से कम)			
क्र.सं.	राज्य	शहरी	ग्रामीण	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	22.1	39.4	43ए5	37.6	33.5
2.	असम	26.4	38.9	20	45.1	36.5
3.	अरूणाचल प्रदेश	19.8	15.0	12.7	34.2	16.4
4.	बिहार	32.0	47.6	–	58.3	45.1
5.	छत्तीसगढ़	28.4	48.0	50.3	38.4	43.4
6.	दिल्ली	14.4	19.8	34.6	23.2	14.8
7.	गोआ	23.8	33.1	41.2	38.1	27.9
8.	गुजरात	24.6	45.5	61.6	42.0	36.3
9.	हरियाणा	20.6	36.2	–	36.4	31.3
10.	हिमाचल प्रदेश	17.8	31.3	29.3	31.4	29.9
11.	जम्मू और कश्मीर	16.0	28.1	28.7	33.6	24.6
12.	झारखंड	29.8	48.0	47.2	39.2	43.0
13.	कर्नाटक	26.3	41.5	48.7	40.6	35.5
14.	केरल	15.2	19.4	42.6	22.4	18.0
15.	मध्य प्रदेश	32.5	45.4	49.8	46.8	41.7
16.	महाराष्ट्र	26.6	45.6	51.6	39.9	36.2
17.	मणिपुर	13.0	15.6	11.9	14.9	14.8
18.	मेघालय	16.8	13.8	12.1	22.0	14.6

1	2	3	4	5	6	7
19.	मिजोरम	11.6	18.2	–	–	14.4
20.	नागालैंड	16.0	18.0	16	28.9	17.4
21.	उड़ीसा	28.6	44.1	51.3	50.8	41.4
22.	पंजाब	17.2	19.9	–	26.8	18.9
23.	राजस्थान	30.9	39.1	49.3	41.0	36.7
24.	सिक्किम	9.7	11.6	9.6	9.8	11.2
25.	तमिलनाडु	22.8	33.7	60.2	34.7	28.4
26.	त्रिपुरा	28.1	38.8	23.7	43.8	36.9
27.	उत्तर प्रदेश	27.2	38.9	46.4	43.0	36.0
28.	उत्तराखंड	19.5	34.0	49.5	38.3	30.0
29.	पश्चिम बंगाल	23.3	46.2	55.6	42.5	39.1
	भारत	25.0	40.6	46.6	41.1	35.6

सारिणी II

5 वर्ष तक की अल्पवजनी महिलाओं का प्रतिशत कम-राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-06) राज्य-वार आंकड़े

क्र.सं.	राज्य	शहरी	15-49 वर्ष तक की अल्पवजनी का प्रतिशत			
			ग्रामीण	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	28.0	34.8	41.5	38.5	32.5
2.	असम	26.1	37.1	18.2	43.0	36.4
3.	अरूणाचल प्रदेश	21.0	36.3	29.6	21.1	32.5
4.	बिहार	47.8	57.0	–	69.6	55.9
5.	छत्तीसगढ़	31.3	50.2	52.8	46.4	47.1
6.	दिल्ली	26.5	22.5	–	30.0	26.1

1	2	3	4	5	6	7
7.	गोवा	19.8	31.6	43.9	39.2	25.0
8.	गुजरात	39.2	47.9	64.5	45.9	44.6
9.	हरियाणा	34.6	41.3	–	49.4	39.6
10.	हिमाचल प्रदेश	23.6	37.8	25.0	42.9	36.5
11.	जम्मू और कश्मीर	15.8	27.9	35.7	47.7	25.6
12.	झारखंड	38.8	60.7	64.3	56.0	56.5
13.	कर्नाटक	30.7	41.1	41.9	41.7	37.6
14.	केरल	15.4	26.4	–	32.6	22.9
15.	मध्य प्रदेश	51.3	62.7	71.4	62.6	60.0
16.	महाराष्ट्र	30.7	41.6	53.2	41.7	37.0
17.	मणिपुर	19.1	23.3	24.2	23.1	22.1
18.	मेघालय	39.6	50.3	48.5	–	48.8
19.	मिजोरम	15.1	24.1	–	–	19.9
20.	नागालैंड	19.3	26.6	23.0	44.3	25.2
21.	उड़ीसा	29.7	42.3	54.4	44.4	40.7
22.	पंजाब	21.4	26.8	–	33.9	24.9
23.	राजस्थान	30.1	42.5	46.8	44.5	39.9
24.	सिक्किम	21.2	19.4	18.0	36.9	19.7
25.	तमिलनाडु	27.1	32.1	–	40.2	29.8
26.	त्रिपुरा	32.2	40.8	36.5	36.9	39.6
27.	उत्तर प्रदेश	34.8	44.1	61.2	48.0	42.4
28.	उत्तराखंड	24.3	42.1	50.4	44.5	38.0
29.	पश्चिम बंगाल	24.7	42.2	59.7	40.0	38.7
	भारत	32.7	45.6	54.5	47.9	42.5

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी और लघु आंगनवाड़ी केन्द्र

2287. श्री मनोहर तिरकी:
श्री विश्व मोहन कुमार:
श्री हरिन पाठक:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री प्रशांत कुमार मजूमदार:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत आंगनवाड़ी और लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन केन्द्रों में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों के लिए कितनी राशि स्वीकृत तथा व्यय की गई;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित करने के संबंध में राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(च) क्या सरकार को देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायकों के शोषण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(छ) यदि हां, तो झारखंड सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ज) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ज) समेकित बाल विकास सेवा को सर्वव्यापी बनाने की दृष्टि से भारत सरकार ने लघु आंगनवाड़ी केंद्रों और मांग पर 20 हजार आंगनवाड़ी सहित 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित किए हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा समय-समय पर की गई मांग के आधार पर भारत सरकार ने अब तक 13.67 लाख आंगनवाड़ी केंद्र/लघु-आंगनवाड़ी केंद्र संस्वीकृत किए हैं। दिनांक 30.6.2011 की स्थिति के अनुसार देश में 12.66 लाख आंगनवाड़ी केंद्र/लघु आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। इनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

सरकार के पास 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 11.13 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों/लघु आंगनवाड़ी केंद्रों के संबंध में सूचना उपलब्ध है, जिसके अनुसार 57.48% आंगनवाड़ी केंद्रों में परिसर के भीतर ही पेयजल की सुविधा है और 6.61% आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा है। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के स्कीमगत मानदंडों के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के लिए वर्दी के अलावा चिकित्सा किट, स्कूल-पूर्व शिक्षा किट, संयुक्त मातृ एवं बाल संरक्षण कार्ड, विकास मानीटरन चार्ट, अन्य छोटी-छोटी चीजें जैसे टम्बलर, बाल्टी, मग आदि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र को दी जानी है। इसके अतिरिक्त संसूचकात्मक कार्यकलापों जैसे तत्काल चिकित्सा देखरेख के जरूरतमंद आई.सी.डी.एस. लाभार्थियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, स्थानीय अभिनव परिवर्तनों और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों, बर्तनों की खरीद, अचानक दी जाने वाली रैफरल सेवाएं, आपातकालीन सेवाएं आदि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र को दी जाती हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में (31.07.2011 तक की स्थिति के अनुसार) समेकित बाल विकास सेवा (सामान्य) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियां और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय तथा पूरक पोषण का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-II-क और विवरण-IIख में दिया गया है।

वर्ष 2011 के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के शोषण के संबंध में पांच शिकायतें प्राप्त हुई हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से एक-एक शिकायत प्राप्त हुई है। इन सभी शिकायतों को उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

विवरण I

दिनांक 30.6.2011 की स्थिति के अनुसार प्रचालित आंगनवाड़ी केंद्रों/लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	
		संस्वीकृत	प्रचालित
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	91307	85202
2.	अरूणाचल प्रदेश	6225	6028
3.	असम	62153	56681
4.	बिहार	91968	80211
5.	छत्तीसगढ़	64390	39137
6.	गोवा	1262	1258
7.	गुजरात	50226	49926
8.	हरियाणा	25699	21240
9.	हिमाचल प्रदेश	18925	18413
10.	जम्मू और कश्मीर	28577	25793
11.	झारखण्ड	38296	38186
12.	कर्नाटक	63377	63366
13.	केरल	33115	33026
14.	मध्य प्रदेश	90999	90999
15.	महाराष्ट्र	110486	106231
16.	मणिपुर	11510	9883
17.	मेघालय	5115	5113
18.	मिजोरम	1980	1980
19.	नागालैण्ड	3455	3455
20.	उड़ीसा	72873	69572
21.	पंजाब	26656	2656
22.	राजस्थान	61119	57511
23.	सिक्किम	1233	1188
24.	तमिलनाडु	54439	54439
25.	त्रिपुरा	9906	9906
26.	उत्तर प्रदेश	187517	173533
27.	उत्तराखण्ड	23159	16181
28.	पश्चिम बंगाल	117170	111652
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	720	697
30.	चंडीगढ़	500	420
31.	दिल्ली	11150	6606
32.	दादरा और नगर हवेली	267	267
33.	दमन और दीव	107	102
34.	लक्षद्वीप	107	107
35.	पुदुचेरी	788	788
	अखिल भारतीय आंकड़े	1366776	1265753

विवरण II (क)

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान दिनांक 31.07.2011 तक की अवधि के दौरान आईसीडीएस स्कीम (सामान्य) के अंतर्गत व्यय तथा निर्मुक्त निधि की राज्य वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12
		निर्मुक्त निधियां	राज्यों द्वारा प्राप्त व्यय	निर्मुक्त निधियां	राज्यों द्वारा प्राप्त व्यय	निर्मुक्त निधियां	राज्यों द्वारा प्राप्त व्यय	निर्मुक्त निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	27163.56	33101.35	34974.13	38787.19	34784.04	35544.83	6405.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	बिहार	17508.23	20764.15	28965.41	31936.06	24380.95	13155.65	5788.42
3.	छत्तीसगढ़	8992.46	12051.94	14068.71	14051.59	11717.92	9252.353	3102.90
4.	गोआ	406.56	633.18	816.47	827.87	802.74	802.05	341.45
5.	गुजरात	16491.86	15596.07	15631.96	20852.35	18542.23	11863.21	3793.06
6.	हरियाणा	8455.60	8798.38	7940.70	10813.28	10534.06	11760.06	2123.29
7.	हिमाचल प्रदेश	8232.21	7159.69	7002.53	8175.08	8669.69	4405.61	1269.28
8.	जम्मू और कश्मीर	4557.80	8529.92	8282.34	8383.48	14470.74	4368.01	2037.73
9.	झारखंड	9776.60	9851.86	12697.56	14210.21	17629.62	14923.35	3271.37
10.	कर्नाटक	19473.26	22474.61	20579.49	22455.76	19039.59	25934.32	5087.40
11.	केरल	15020.66	13726.91	14037.04	13939.26	12595.35	9952.02	2926.57
12.	मध्य प्रदेश	29168.81	24141.32	19973.34	33876.48	30430.04	26445.14	7285.77
13.	महाराष्ट्र	31996.55	27893.15	31780.80	46795.76	41719.66	16180.03	7360.38
14.	उड़ीसा	16934.58	18081.79	22026.29	20363.01	21230.41	24121.61	5867.08
15.	पंजाब	9125.15	8709.66	8779.45	10508.30	11704.90	12443.24	2538.68
16.	राजस्थान	19486.76	20226.22	22254.95	20252.76	16803.64	15532.35	4964.65
17.	तमिलनाडु	18163.08	17203.97	17653.51	23576.79	25965.27	14596.75	4902.54
18.	उत्तराखंड	4627.72	3259.16	3596.44	5171.40	3762.59	5081.57	1093.71
19.	उत्तर प्रदेश	54349.16	48226.21	50853.63	55257.16	48102.00	62027.87	12984.09
20.	पश्चिम बंगाल	33616.96	33083.08	36739.78	36741.91	30419.35	32101.28	9981.60
21.	दिल्ली	3885.71	3246.06	3137.32	2952.40	3584.50	3461.85	607.25
22.	पुदुचेरी	332.37	254.44	222.47	303.84	355.54	350.62	213.70
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	299.10	296.05	288.66	292.06	322.89	326.59	148.82
24.	चंडीगढ़	250.94	232.44	252.29	252.29	240.87	240.87	320.50
25.	दादरा और नगर हवेली	85.87	88.89	129.84	126.57	137.53	69.94	50.25
26.	दमन और दीव	58.81	58.48	56.55	56.65	58.18	58.16	25.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	लक्षद्वीप	62.87	75.87	121.03	75.87	27.49	22.82	27.10
28.	अरूणाचल प्रदेश	3395.68	2741 .45	3122.59	3507.97	6321.28	3567.93	881.61
29.	असम	26033.82	19677.98	23551.88	18713.10	35901 .57	22078.69	4551.36
30.	मणिपुर	2888.69	2966.4	3307.42	2464.68	3581.11	3720.66	907.32
31.	मेघालय	1817.13	1586.44	2047.16	2505.69	2443.06	2400.38	542.64
32.	मिजोरम	1603.55	1612.93	2081.27	1681.91	2293.96	2117.39	330.10
33.	नागालैंड	2527.14	2504.40	4994.32	2499.13	2225.38	4539.71	518.37
34.	सिक्किम	884.29	479.29	660.21	627.69	480.80	710.38	275.53
35.	त्रिपुरा	2975.26	2808.10	7362.81	3290.20	8099.64	4266.00	843.69
	एलआईसी*	670.36		691.80		742.00		0
	कुल योग	401319.16	392141.84	430682.15	476325.75	470120.58	398423.29	103368.58

विवरण II (ख)

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान दिनांक 31.07.2011 तक की अवधिक दौरान आईसीडीएस स्कीम (सामान्य) के अंतर्गत व्यय तथा निर्मुक्त निधि की राज्य वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		निर्मुक्त निधियां	राज्य के हिस्से सहित व्यय	निर्मुक्त निधियां	राज्य के हिस्से सहित व्यय	निर्मुक्त निधियां	राज्य के हिस्से सहित व्यय	निर्दिष्ट तिथि तक रिपोअ किया गया व्यय	निर्मुक्त निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	18994.92	35091 .02	31285.70	52316.99	16003.74	69979.08	31.03.2011	17824.40
2.	बिहार	15346.08	53026.76	40695.19	92263.92	48335.94	49763.58	31.12.2010	10239.71
3.	छत्तीसगढ़	5429.43	18362.40	7461 .68	21324.67	14211.95	16591.02	31.3.2011	2887.85
4.	गोआ	123.83	314.62	375.94	918.75	418.23	570.44	31.3.2011	157.33
5.	गुजरात	7464.33	13083.58	8696.39	24690.5	11985.65	12639.80	31.12.2010	4851.13
6.	हरियाणा	5143.00	11513.23	6884.01	14571.00	521 1 .60	872.70	31.3.2011	1532.63
7.	हिमाचल प्रदेश	2282.58	4542.58	2939.36	5939.35	2466.48	3398.70	31.3.2011	526.13

1	2	3	4	5	6	7	8		9
8.	जम्मू और कश्मीर	697.98	4326.66	1671.09	0	1949.78			782.72
9.	झारखंड	6545.80	18897.10	16893.64	53308	23438.78	16576.41	31.3.2011	4362.8
10.	कर्नाटक	10936.42	24644.90	26325.26	56641.93	23585.19	32619.62	31.3.2011	5425.26
11.	केरल	5597.50	11847.50	7545.81	15826.29	8071.33	7303.60	31.3.2011	1470.98
12.	मध्य प्रदेश	8290.06	27156.38	22339.36	51990.71	38917.63	58625.81	31.3.2011	12445.01
13.	महाराष्ट्र	20646.17	38836.76	20350.12	48660.00	20350.12	73509.16	31.3.2011	8403.89
14.	उड़ीसा	8729.46	20449.24	13968.2	32185.78	19490.01	37773.10	31.3.2011	5674.70
15.	पंजाब	2282.68	4560.02	1748.03	8825.7	4402.84	1754.42	31.3.2011	1851.49
16.	राजस्थान	10957.94	23694.28	11014.23	30464.83	20449.06	26231.86	31.3.2011	5429.65
17.	तमिलनाडु	5428.14	13752.00	13268.00	26558.00	12395.76	10769.43	31.12.2010	3105.52
18.	उत्तर प्रदेश	57090.72	108780.47	86778.09	178809.82	138267.06	198737.39	31.3.2011	31461.19
19.	उत्तराखंड	1202.36	1062.94	740.47	1488.21	1303.60	622.74	31.3.2011	527.18
20.	पश्चिम बंगाल	16810.60	30208.15	13577.01	55101.17	35274.00	23014.42	31.12.2010	8076.76
21.	अण्डमान और निकोबार	108.78	444.01	144.8	511.84	106.95	327.18	31.3.2011	48.86
22.	चंडीगढ़	96.87	206.87	193.78	216.31	129.88	68.20	31.3.2011	117.09
23.	दादर और नगर हवेली	47.33	121.93	91.58	55.30	62.90	0.00	30.9.2010	42.63
24.	दमन और दीव	27.48	2.96	50.37	179.63	33.58	21.83	31.3.2011	24.95
25.	लक्षद्वीप	50.92	113.96	42.87	0	29.69			23.84
26.	दिल्ली	1417.03	4865.10	4171.53	6878.70	4004.05	8960.11	31.3.2011	809.84
27.	पुदुचेरी	82.97	446.19	139.91	462.19	395.95	257.23	31.3.2011	816.05
28.	अरूणाचल प्रदेश	326.68	880.27	856.32	956.32	3047.89	2834.01	31.12.2010	588.13
29.	असम	10541.20	9539.82	17660.74	17590.73	21579.99	17876.97	31.12.2010	10470.81
30.	मणिपुर	1129.16	2371.87	1477.61	2422.45	4449.60	2572.54	31.3.2011	902.57
31.	मेघालय	1362.96	3151.73	5301.00	6972.28	5650.42	4505.16	31.3.2011	1084.59
32.	मिजोरम	766.71	1494.85	2020.79	2496.63	2241.65	2359.56	31.3.2011	899.9
33.	नागालैंड	1303.31	2503.31	2658.79	3304.66	4782.37	2113.14	31.3.2011	849.15
34.	सिक्किम	95.53	634.95	794.39	622.59	362.44	367.41	31.3.2011	209.09
35.	त्रिपुरा	774.40	1906.42	2851.68	3617.54	3464.40	1297.50	31.3.2011	2708.18
	कुल	228131.33	492834.83	373013.74	818172.79	496870.51	684914.12		146632.01

फर्जी रक्त बैंक

2288. **श्री प्रेमदास:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फर्जी रक्त बैंक चलने के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सामने आए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) और (ख) जी हां। डी.सी.जी. (आई.) तथा राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में नकली रक्त बैंकों के 8 मामलों की सूचना प्राप्त हुई थी। इसका विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य सरकार ने इन मामलों में प्रथम सूचना आख्या (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई थी और इन रक्त बैंकों को चलाने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

विवरण

राज्य का नाम	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
बिहार	-	-	1. कुमार नर्सिंग होम-मखनिया कुआं, पटना, बिहार 2. अमन नर्सिंग होम-मखनिया कुआं, पटना, बिहार 3. खान नर्सिंग होम-मखनिया कुआं, पटना, बिहार 4. नेशनल नर्सिंग होम-कंकड़बाग पटना, बिहार 5. आशीर्वाद नर्सिंग होम-कंकड़बाग पटना, बिहार	
उत्तर प्रदेश	-	1. रक्त बैंक, लखनऊ	1. रक्त बैंक, सोनभद्र	1. रक्त बैंक, जौनपुर

[अनुवाद]

मलेरिया के मामले

2269. **डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क:**
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्रीमती अन्नू टन्डन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में हुए कुछ अध्ययनों की ओर ध्यान दिया है जिनके अनुसार भारत में मलेरिया के मामलों का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया गया है और यहां विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान से कहीं अधिक संख्या में मलेरिया से मौतें होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मलेरिया के मामलों की समुचित शिनाख्त/जांच तथा इसके उपचार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का लोक स्वास्थ्य सेवाओं के तंत्र का पुनर्गठन करते हुए जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा वर्ग के स्वास्थ्य कर्मियों का एक विशिष्ट/विशेष संवर्ग बनाने का विचार है ताकि देश में मलेरिया और अन्य रोगाणु-जनित व्याधियों के बढ़ते मामलों को प्रभावकारी ढंग से नियंत्रित किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) अक्तूबर, 2010 में "लान्सेट" नामक ब्रिटिश मेडिकल पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, भारत में मलेरिया के कारण हुई अनुमानित मौतों की संख्या 2,05,000 थी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान से कहीं अधिक है। "लान्सेट" में बताई गई मलेरिया मौतों का अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय वेक्टर-जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय के विशेषज्ञों के अनुसार मान्य नहीं है। पत्रिका में प्रकाशित किये गये अध्ययन में प्रणाली-विज्ञान संबंधी अनेक खामियां हैं।

(ग) भारत सरकार मलेरिया सहित वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन. आर.एच.एम.) की समग्र देखरेख में एक समेकित राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.वी.बी.डी.सी.पी.) कार्यान्वित कर रही है। मलेरिया की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए मुख्य रणनीति रोग की प्रारंभिक शिनाख्त तथा रोगों के पूर्ण उपचार, समेकित वेक्टर-नियंत्रण तथा व्यवहार परिवर्तन संचरण पर केन्द्रित है। यह कार्यक्रम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्लासमोडियम फेल्सीपेरम (पी.एफ.) का शीघ्र निदान तथा उचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए रेपिड डायग्नॉस्टिक टेस्ट (आर.डी.टी.) तथा आर्टेमिसनिन बेस्ड काम्बिनेशन थेरेपी (ए. सी.टी.) का इस्तेमाल आशा तथा अन्य सामुदायिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.वी.बी.डी.सी.पी.) को, बेहतर समन्वय तथा मलेरिया सहित वेक्टर-जनित रोग की रोकथाम तथा नियंत्रण उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के कार्यढांचे में शामिल कर लिया गया है। इससे अधिक सुस्पष्टता, बेहतर क्रियान्वयन तथा रोकथाम और नियंत्रण उपायों हेतु संसाधनों के अधिक प्रभावी उपयोग दखने को मिले हैं।

विद्युत परियोजनाओं का स्थापन

2290. श्रीमती कमला देवी पटले:
श्री पी.के. बिजू:
श्री पन्नालाल पुनिया:
श्री जोसेफ टोप्पो:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में विद्युत-परियोजनाओं के स्थापन हेतु केन्द्र सरकार को प्राप्त तथा उसके द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का छत्तीसगढ़ तथा केरल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल सहित विभिन्न राज्यों में जल-विद्युत परियोजनाओं के स्थापन के कई प्रस्ताव केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रस्तावों को सरकार की स्वीकृति कब तक मिल जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के साथ ही नए ताप विद्युत परियोजनाओं को लगाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) की सहमति की आवश्यकता रही है तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना जारी करके नियत किए जाने वाले पूंजीगत व्यय से अधिक लागत होने पर जल विद्युत परियोजनाओं को लगाने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति ली जानी अपेक्षित है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम विकासकर्ता द्वारा दी जाने वाली आवश्यक जानकारियों के साथ तकनीकी रूप से स्वीकार्य पायी जाती है तो प्राधिकरण सभी पहलुओं से पूर्ण डी.पी.आर. को प्रस्तुत करने की तिथि से 90 (नब्बे) कार्य दिवसों के भीतर जहां तक संभव हो सके हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सहमति प्रदान करेगा।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष (2008-09) में प्राप्त राज्य/केंद्र/निजी क्षेत्र में विकसित की जाने वाली 45 जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डी.पी.आर.एस.) प्राप्त की गई हैं। 45 (डी.पी.आर.एस.) विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में से, 14 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सहमति प्रदान करने के लिए सहमत/स्वीकार कर लिए गए हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं, तथा 20 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें वापस कर दी गई हैं। 11 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रक्रिया की विभिन्न चरणों में हैं, या 20 परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस अवधि में छत्तीसगढ़ एवं केरल राज्यों से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ एवं केरल राज्यों से कोई डी.पी.आर., सी. ई.ए. के पास स्वीकृति प्रदान करने हेतु लंबित नहीं है।

विवरण

विभिन्न राज्यों से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टें

(राज्य/केन्द्र/निजी क्षेत्र)

2008-09 से आगे

क्रम सं.	राज्य	प्राप्त डी.पी.आर. संख्या	सहमति प्राप्त स्कीम	जांच-अधीन डी.पी. आर.एस. की सं.	वापस किए गए डी.पी.आर. की सं.
1.	अरुणाचल प्रदेश	18	8	6	4
2.	असम	2	-	-	2
3.	बिहार	1	-	-	1
4.	सिक्किम	3	2	-	1
5.	आंध्र प्रदेश	1	-	-	1
6.	जम्मू और कश्मीर	3	1	1	1
7.	हिमाचल प्रदेश	9	2	3	4
8.	उत्तराखंड	7	-	1	6
9.	मिजोरम	1	1	-	-
	कुल	45	14*	11	20

* अरुणाचल प्रदेश की 3 परियोजनाएं और मिजोरम की एक परियोजना के लिए सहमति बैठक की गई थी, शीघ्र ही पत्र जारी किए जाने हैं।
14 हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीमों के अतिरिक्त (उपर्युक्त अवधि के दौरान प्राप्त एवं सहमति प्रदत्त) 2008-09 से पूर्व में प्राप्त 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीमों (03 उत्तराखंड में तथा 01 कर्नाटक) को भी प्रश्नागत अवधि के दौरान सहमति दे दी गई है।

पूंजी खाते की परिवर्तनीयता

2291. श्री सोमेन मित्रा:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता की दशा में भारतीयों तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या-क्या समस्याएं पेश आने की संभावना है; और

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करते हुए पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता की दिशा में क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है कि इससे स्थूल अर्थव्यवस्थागत स्थिरता प्रभावित न हो?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारत पूंजी खाते की परिवर्तनीयता के संबंध में नपा-तुला दृष्टिकोण अपना रहा है। घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास संबंधी जरूरतों के अनुरूप पूंजी खाते का चरणबद्ध रूप से उदारीकरण किया जा रहा है। उचित समय से पहले पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू करने से अर्थव्यवस्था में पूंजी-प्रवाहों में उछाल और प्रतिवर्तन की स्थिति पैदा हो सकती है जिससे विनिमय दरों, स्टॉक और स्थावर सम्पदा बाजारों तथा मूल्य स्थिरता पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, विदेशी वाणिज्यिक उधार संबंधी नीति के उदारीकरण से विदेशी ऋण-भर बढ़ सकता है जिससे भुगतान-शेष पर बोझ बढ़ेगा और इससे वित्तीय संकट के दौरान भारतीय कंपनियों को तुलन-पत्र संबंधी दबावों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की प्रक्रिया में तेजी लाने के बृहत्-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता से जुड़े परिणाम होंगे।

पंचायतों में महिला आरक्षण

2292. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री यशवीर सिंह:
श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री नीरज शेखर:
श्रीमती जे. शांता:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
डॉ. क्रुपारानी किल्ली:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में पंचायतों में महिलाओं को वर्तमान में राज्य-वार कितना आरक्षण उपलब्ध है तथा महिला सरपंचों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण वर्तमान 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रावधान क्या होंगे;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्तावित आरक्षण के दायरे में अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक तबकों की महिलाओं के लिए कोटे का प्रावधान करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में संशोधन विधेयक कब तक लाए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव): (क) संविधान की धारा 243 घ में समाहित प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थानों में एक तिहाई तथा संविधान के भाग IX में कवर पंचायती राज संस्थानों के सभी स्तरों पर एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। निम्नलिखित राज्यों ने सदस्यों तथा सरपंचों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का कानूनी प्रावधान रखा है। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार कराई गई वर्ष 2007-08 की पंचायतों की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने पंचायतों में वर्तमान महिला आरक्षण को एक तिहाई से 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। तदनुसार, संसद में भारत के संविधान में संशोधन के लिए एक अधिनियम प्रस्तुत किया गया है। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने अनुमोदन किया है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत पर आधारित होगा न कि कुल जनसंख्या पर। लंबित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है।

(घ) अधिनियम में प्रस्तावित आरक्षण में अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कोटा प्रदान करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) धारा 243 (घ) (6) के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जाएगा। संविधान के भाग IX में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। अत: इन श्रेणियों के अंतर्गत संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई गुंजाइश नहीं है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

पंचायतों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के मूल आंकड़े।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित स्तरों पर पंचायतों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या के संबंध में वर्तमान स्थिति पंचायतों की संख्या तथा निर्वाचित प्रतिनिधि

		ग्राम पंचायत		अंतरिम पंचायत		जिला पंचायत	
क्र.सं.	राज्य	कुल	महिला	कुल	महिला	कुल	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	225276	80518	16148	5341	1097	368
2.	अरूणाचल प्रदेश	7415	2561	1646	577	136	45

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	22898	8977	2148	791	390	135
4.	बिहार	124339	58044	11566	5371	1162	568
5.	छत्तीसगढ़	157250	53145	2831	954	305	103
6.	गोवा*	1509	513	0		50	20
7.	गुजरात	109209	36400	4161	1394	819	274
8.	हरियाणा	66588	24406	2833	962	384	135
9.	हिमाचल प्रदेश	22654	8864	1676	596	251	92
10.	झारखंड	0		0		0	
11.	जम्मू और कश्मीर	0		0		0	
12.	कर्नाटक	90748	39318	3665	1519	1003	373
13.	केरल	16139	5701	2005	695	343	119
14.	मध्य प्रदेश	388829	134368	7008	2393	855	304
15.	महाराष्ट्र	223857	74620	3922	1307	1961	654
16.	मणिपुर*	1675	859	0		61	22
17.	उड़ीसा**	93781	33602	6227	2188	854	296
18.	पंजाब	88136	30875	2483	814	196	64
19.	राजस्थान	113437	40044	5257	2014	1008	377
20.	सिक्किम	905	352	0		100	32
21.	तमिलनाडु	109308	36824	6524	2313	656	227
22.	त्रिपुरा	5352	1852	299	106	82	28
23.	उत्तर	703294	273229	65669	24674	2698	1122
24.	उत्तराखंड	53988	20319	3152	1079	360	126
25.	पश्चिम बंगाल	49545	18150	8563	2953	720	248

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं.	संघ राज्य क्षेत्र						
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	758	261	67	25	30	10
27.	चंडीगढ़	104	34	15	6	6	1
28.	दादरा और नगर हवेली	114	45	0		11	4
29.	दमन एवं द्वीप	77	30	0		20	7
30.	लक्षद्वीप	85	32	0		25	9
31.	पुदुचेरी	913	330	108	40		
	कुल	2678183	984273	157973	58112	15583	5763

मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पारंपरिक परिषदें है।
अध्ययन के समय जम्मू व कश्मीर तथा झारखंड में चुनाव नहीं हुए थे।
*दो टायर पंचायती राज प्रणाली
**2002 चुनाव आंकड़े (2007 चुनाव आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)।

आर.बी.आई. द्वारा निगरानी

2293. डॉ. संजय सिंह:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) बैंकों की वार्षिक बिक्री निगरानी से संबंधित निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) उन बैंकों के क्या नाम हैं जो इसी अवधि के दौरान निदेशों के अनुपालन करने में असफल रहे हैं और इस संबंध में कितने लाइसेंस रद्द किए गए हैं; और

(घ) शेष मामलों में उचित कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथाविहित सांविधिक उपबंधों के अंतर्गत और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, निदेशों आदि के माध्यम से विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। बैंकों के लिए आर.बी.आई. द्वारा जारी निदेशों एवं अन्य दिशा-निदेशों का अनुपालन करना भी अपेक्षित है। आर.बी.आई. के दिशा-निर्देशों/निदेशों की बैंकों द्वारा की जा रही अनुपालना का सत्यापन 'ऑन-साइट' निरीक्षण के भाग के रूप में अन्य पहलुओं के साथ-साथ नमूना आधार पर किया जाता है और उनके द्वारा प्रस्तुत 'ऑफ-साइट रिटर्नों' से भी यह सत्यापन किया जाता है।

प्रतिबंधित दवाएं

2294. श्री प्रेमचंद गुड्डू:
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में 'डीक्स्ट' दवा सहित कतिपय ऐसी विषाद/अवसादरोधी दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का विचार है जो अपने हानिकारक दुष्प्रभावों की वजह से कुछ देशों में प्रतिबंधित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अब तक प्रतिबंधित दवाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में चिकित्सकों द्वारा उक्त प्रतिबंधित दवाओं का परामर्श देने के मामलों पर ध्यान दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) सरकार के पास देश में डीनक्स्टि (फ्लूपेन्थिक्सोल + मेलीट्रासिन का एफ.डी.सी.) सहित अवसाद/चिंता रोधी औषधों पर प्रतिबंध लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि औषध 'डीनक्स्टि' का ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इटली, बलगारिया, नीदरलैंड, स्विटजरलैंड इत्यादि जैसे 7 यूरोपीय देशों में विपणन किया जाता है। फ्लूपेन्थिक्सोल + मेलीट्रासिन का एफ.डी.सी. से संबंधित सुरक्षा संबंधी मुद्दे की जांच इस विषय के विशेषज्ञों सहित डी.टी.ए.बी. द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी और उनकी सिफारिशों के आधार पर विनिर्माताओं से यह कहा गया है कि वे औषध की पर्याप्त सुरक्षा और कार्य उत्पादक रूपरेखा को सिद्ध करने के लिए चरण IV (विपणन उपरांत) परीक्षण करें।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा प्रतिबंधित औषधियों की सूची संबंधित विवरण संलग्न है। तथापि औषधों के फार्मुलेशन अर्थात बच्चों के लिए निमुसेलाइड, फीनाइलप्रोपैनोलामाइन, साइसापराइड, ह्यूमन प्लेसेन्टल एक्स्ट्रेक्ट, साइबूट्रामाइन तथा आर-साइबूट्रामाइन के उत्पादन और विपणन को निषिद्ध करने वाली दिनांक 10.02.2011 की राजपत्र अधिसूचिना सा. का.नि. 82 (अ) को विनिर्माता द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और माननीय न्यायालय ने उक्त अधिसूचना का अंतरिम स्थगन प्रदान कर दिया है। इसके अतिरिक्त मैसर्स अल्बर्ट डेविड लिमिटेड द्वारा उत्पादित औषध "ह्यूमन प्लेसेन्टल एक्स्ट्रेक्ट" के संबंध में उक्त अधिसूचना को रिट याचिका (सिविल) संख्या 1054/2011 में विनिर्माता द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। माननीय न्यायालय के दिनांक 6.4.2011 के आदेश के अनुसरण में सरकार ने दिनांक 30.5.2011 की अधिसूचना सा.का.नि. 418 (अ) द्वारा उक्त औषधि के संबंध में उक्त अधिसूचना में संशोधन किया।

(घ) और (ङ) सरकार को देश में डाक्टरों द्वारा प्रतिबंधित औषधें प्रिस्क्राइब करने के दृष्टांतों की जानकारी नहीं है। ये औषधें कैमिस्टों के पास अन्यथा उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत उनका उत्पादन और विक्रय करना एक अपराध है।

विवरण

विगत तीन और चालू वर्ष के दौरान विनिर्माण, बिक्री के लिए प्रतिबंधित औषधियों का ब्यौरा।

1. डिक्लोफेनाक और इसके फार्मूलेशन (पशुओं पर इस्तेमाल के लिए)
2. रिमोनाबेन्ट
3. रिसिगलिक्टेजोन
4. 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मानव प्रयोग के लिए निमुसेलाइड फार्मूलेशन
5. मानव प्रयोग के लिए साइसाप्राइड और इसके फार्मूलेशन
6. मानव प्रयोग के लिए फीनाइलप्रोपैनोलामाइन और इसके फार्मूलेशन
7. घाव भरने के लिए टॉपिकल प्रयोज्यता तथा पैल्विक इन्फेलेम्मेटरी रोग के लिए इंजेक्शन को छोड़कर मानव प्रयोग के लिए ह्यूमन प्लैसेन्टल एक्सट्रेक्ट और इसके फार्मूलेशन
8. मानव उपयोग के लिए सिबुट्रामाइन और इसके फार्मूलेशन
9. मानव उपयोग के लिए आर-सिबुट्रामाइन और इसके फार्मूलेशन
10. ओरल और इंजेक्टेबल सहित किसी भी माध्यम द्वारा मानव में व्यवस्थित प्रयोग के लिए गैटीफ्लोक्सेसिन फार्मूलेशन
11. टैगासीरोड और इसके फार्मूलेशन

वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट

2295. श्री पी.के. बिजू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रिपोर्ट के आधार पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट की सिफारिशों पर अमल करने के पूर्व केरल सहित विभिन्न राज्यों के सक्षम अधिकारियों से परामर्श करने के लिए कदम उठाए जाएंगे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (च) भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने सहकारी ऋण संस्था के पुनरुज्जीवन हेतु एक कार्यान्वयन योग्य सुझाव देने के लिए प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया। वैद्यनाथन कार्यदल-I की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने जनवरी 2006 में अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एस.टी.सी.सी.एस.) के लिए एक पुनरुज्जीवन पैकेज तैयार किया। इस पैकेज में विधिक और संस्थागत सुधारों के अध्यधीन, 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार संचित हानियों को खत्म करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया। यह पैकेज कुल 13,597 करोड़ रु. का है और इसमें भारत सरकार, राज्य सरकारों और सहकारी ऋण संरचना (सी.सी.एस.) द्वारा भागीदारी की जानी हैं। इस पैकेज में बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। इस पैकेज में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, एकरूप और मानक लेखा एवं निगरानी प्रणाली और कम्प्यूटरीकरण शुरू करने की भी परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्रों में अनियमितताएं

2296. श्री कादिर राणा: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को खाद्य पदार्थ प्रदान करने के संबंध में अनियमितताओं तथा लापरवाहियों संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को दी जा रही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) समेकित बाल विकास सेवा एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, जिसका क्रियान्वयन देश में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। वर्ष 2011 के दौरान कुल 21 शिकायतें प्राप्त हुई हैं अर्थात् उड़ीसा (1), मध्य प्रदेश (1), राजस्थान (2), उत्तराखंड(2), हरियाणा(1), दिल्ली(1), उत्तर प्रदेश(13) और बिहार(1)। इनमें पूरक पोषण कार्यक्रम के प्रबंधन में अनियमितताओं के बारे में शिकायतें की गई हैं। सभी शिकायतों को राज्य सरकारों को भेज दिया गया है ताकि वे अपने स्तर पर उपयुक्त कार्रवाई कर सकें।

पूरक पोषण प्रदान करने के लिए और आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत 24 फरवरी, 2009 को जारी संशोधित पोषण और आहारीय मानदंडों के अनुसार इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उत्तरदायी है। खाद्य और पोषण बोर्ड की क्षेत्रीय इकाइयां उनमें निहित ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा का विश्लेषण करने के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम के नमूनों का संग्रहण करते हैं, उनमें पाई गई कमियों और त्रुटियों से संबंधित राज्य सरकार को अवगत कराया जाता है जिससे कि उनमें सुधार किया जा सके और उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

[अनुवाद]

सौर विद्युत नेटवर्क

2297. श्री ए. सम्पत: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेलुलर टावर देश में अत्यधिक बिजली का उपभोग करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का दूरसंचार प्रचालकों तथा टावर कंपनियों को देश में नेटवर्क टावरों को विद्युत हेतु नवीकरणीय स्त्रोतों पर निर्भर करने के लिए सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी हां। दिनांक 30.06.2011 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 6.5 लाख सैलुलर बेस टर्मिनल स्टेशन (बी.टी.एस) है। प्रत्येक बी.टी.एस. में लगभग 1 से 1.5 किलोवाट विद्युत की खपत होती है।

(ग) और (घ) वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान मंत्रालय ने टावरों के ऑफ-ग्रिड/विद्युत में कमी वाले क्षेत्रों में स्थित होने की स्थिति में डीजल आधारित विद्युत उत्पादन में कमी करने/उसके विकल्प में ऐसी प्रणालियों की क्षमता को प्रदर्शित करने के प्रमुख उद्देश्य से विभिन्न आपरेटरों के 400 सैलुलर टावरों में सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत प्रणालियों का प्रयोग करने के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया है। वर्तमान में इसी तर्ज पर अन्य टावरों हेतु यह सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मलेरिया नियंत्रण हेतु मच्छरदानियों की आपूर्ति

2298. श्रीमती दर्शना जरदोश: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात सहित राज्य सरकारों को प्रस्तावित विश्व बैंक सहायता प्राप्त मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत 'लांग लास्टिंग मॉस्किटो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स' की आपूर्ति करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा सहित कितनी मात्रा की आपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) भारत सरकार ने मलेरिया नियंत्रण संबंधी विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना सहित बाहरी तौर से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत राज्यों को लंबे समय तक चलने वाली कीटनाशी मच्छरदानियों (एल.एल.आई.एन.) की आपूर्ति की है। आपूर्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

लंबे समय तक चलने वाली कीटनाशी मच्छरदानियों की आपूर्ति की स्थिति (लाख में)

क्र.सं.	राज्य	की गई आपूर्ति (2009-10)
1	2	3
1.	असम	14.10
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.20
3.	छत्तीसगढ़	1.00
4.	मणिपुर	0.55
5.	मेघालय	3.05
6.	मिजोरम	1.50
7.	नागालैंड	0.50
8.	त्रिपुरा	4.66
9.	उड़ीसा	18.99
10.	पश्चिम बंगाल	3.50
	कुल	48.05

एम.सी.आई. का गठन

2299. डॉ. तरूण मंडल:
श्री पी. लिंगम:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री मकन सिंह सोलंकी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम.सी.आई.) के मामलों की देख-रेख करने के लिए गठित शासी निकाय (बी.ओ.जी.) का गठन क्या है;

(ख) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन/नियुक्ति हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या बी.ओ.जी. के गठन और उक्त बोर्ड के अध्यक्ष और कुछ सदस्यों के चयन/नियुक्ति का विरोध हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार एम.सी.आई. की तर्ज पर भारतीय नर्सिंग परिषद् (आई.एन.सी.) का पुनर्गठन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) केन्द्र सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2011 के प्रख्यापन के जरिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के शासी मंडल (बी.ओ.जी.) का निम्नवत पुनर्गठन किया है:

(i) प्रो. के.के. तलवार - अध्यक्ष

(ii) प्रो. के. एस. शर्मा - सदस्य

(iii) डा. (प्रो.) एच.एस. रिस्साम - सदस्य

(iv) डा. आर.सी. येरावडेकर - सदस्य

(v) डा. पुरुषोत्तम लाल - सदस्य

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2010 की धारा 3 ख (ख) के अनुसार शासी मंडल-

(i) इस प्रयोजनार्थ परिषद की शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा परिषद के कार्यों, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (आई.एम.सी.) अधिनियम के उपबंधों का निर्वहन करेगा;

(ii) नए मेडिकल कालेजों की स्थापना या नए या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की धारा 10 क में उल्लिखित पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में दाखिला क्षमता में वृद्धि करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम की धारा 10 क के अंतर्गत यथा उपबंधित उस धारा के अधीन केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बगैर संबंधित व्यक्ति या कालेज को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए स्वतंत्र रूप से अनुमति दे सकता है, जिसमें उसे अंतिम रूप से स्वीकृति या अस्वीकृति देने की शक्ति शामिल है; तथा

(iii) केन्द्र सरकार से मामलों की प्राप्ति होने पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम की धारा 10 क के अधीन केन्द्र सरकार के पास लंबित मामलों का निपटान करेगा।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के शासी मंडल के सदस्यों एवं अध्यक्ष को उनके व्यापक अनुभव एवं अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए नामित किया गया।

(ग) और (घ) सरकार को कुछ ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह प्रतिवाद किया गया है कि वर्तमान शासी मंडल में सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जनजातीय लोगों का कल्याण

2300. **श्री के. सुधाकरण:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल सहित देश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, बाल और मातृत्व देखभाल केन्द्र और बैंकिंग सेवाएं सहित सभी अवसंरचना सहित सभी अवसंरचना सेवाएं प्रदान करने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उक्त योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत निधियों, जारी निधियों और राज्य द्वारा उपयोग की गई निधियों का योजना-वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निकट भविष्य में जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु लागू की जाने वाली अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय केरल सहित देश में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक अवसंरचना के सृजन हेतु जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में (1) अनुसूचित जनजाति की लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास (2) आश्रम विद्यालयों की स्थापना नामक दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित करता है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत इन योजनाओं के अलावा राज्य में लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा, वनों, वन ग्रामों, पेय जल, विद्युतीकरण, संचार, ग्रामीण कृषि का बाजारीकरण, पशुपालन, खेलों के संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवसंरचना में अंतराल को भरने के लिए राज्य सरकारों को मंत्रालय द्वारा भी निधियां निर्मुक्त की जाती हैं।

(ख) मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की ओर से प्रत्येक वर्ष प्रस्ताव प्राप्त करता है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति एक सतत् प्रक्रिया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की ओर से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति पर सहायता अनुदान की निर्मुक्ति पर विचार किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विगत निर्मुक्तियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा वास्तविक प्रगति रिपोर्ट और अनुसूचित जनजाति

की लड़कियों/लड़कों के लिए छात्रावास की योजना तथा जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना के तहत निधियों की उपलब्धता शामिल है। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों, राज्य सरकारें अपने वार्षिक आबंटन के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं तथा उन्हें निधियां निर्मुक्त की जाती हैं जो पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति, विगत निर्मुक्तियों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों तथा वास्तविक प्रगति रिपोर्ट के अधीन है।

(घ) विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान निधियों की निर्मुक्ति तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके उपयोग को दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण-I-III में दिए गए हैं।

(ङ) मंत्रालय के पास निकट भविष्य में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, बच्चे और मां की देखभाल के केन्द्र तथा बैंकिंग सेवाओं सहित सभी अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई नई परियोजना/योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण I

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावासों की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों को निर्मुक्त सहायता अनुदान तथा उनके द्वारा उपयोजित राशि के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ विश्वविद्यालय का नाम	2008-09		2009-10		2010-11	
		स्वीकृत/ निर्मुक्त	उपयोजित	स्वीकृत/ निर्मुक्त	उपयोजित	स्वीकृत/ निर्मुक्त	उपयोजित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	75.09	0
2.	असम	601.39	540.89	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	803.83	803.83	830.83	830.83	0.00	0.00
4.	गुजरात	0.00	0.00	646.10	0.00	1296.43	295.49
5.	हिमाचल प्रदेश	200.00	200.00	236.04	0.00	180.47	0.00
6.	झारखण्ड	128.685	128.685	259.17	0.00	0.00	0.00
7.	कर्नाटक	125.01	125.01	250.00	0.00	105.38	0.00
8.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	146.79	0.00
9.	मध्य प्रदेश	255	255	1300.00	0.00	0.00	0.00
10.	महाराष्ट्र	889.56	572.21	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	1372.54	0.00
12.	नागालैण्ड	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	उड़ीसा	87.60	87.60	0.00	0.00	1000.00	299.73
14.	राजस्थान	1240.53	141.09	1503.83	0.00	3123.87	0
15.	तमिलनाडु	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	त्रिपुरा	1380.90	1325.00	664.00	479.25	0.00	0.00
17.	उत्तराखण्ड	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	10.03	0	179.90	0.00
19.	विश्वविद्यालय	0.00	0.00	500.00	325.10	173.20	0.00
20.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	दी इंगलिश एण्ड फॉरेन यूनिवर्सिटी (शिलॉग कैम्पस), हैदराबाद, (आंध्र प्रदेश)	526.27	526.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	वीर नरमद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
23.	बनारस हिंदु यूनिवर्सिटी (बीएचयू), वाराणसी	0.00	0.00	0.00	0.00	46.33	0.00
	कुल	6500.00	4805.59	6400.00	1635.18	7800.00	595.22

वर्ष 2011-12 के दौरान उत्तराखण्ड राज्य को निर्मुक्त 37.475 लाख रुपये के अतिरिक्त राज्य सरकारों को कोई केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त नहीं की गई है।

विवरण II

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावासों की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों को निर्मुक्त सहायता अनुदान तथा उनके द्वारा उपयोजित राशि के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09		2009-10		2010-11	
		स्वीकृत/ निर्मुक्त	उपयोजित	स्वीकृत/ निर्मुक्त	उपयोजित	स्वीकृत/ निर्मुक्त	उपयोजित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
2.	छत्तीसगढ़	886.80	886.80	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	1887.53	1616.76
4.	कर्नाटक	153.13	153.13	29.62	0.00	0.00	0.00
5.	केरल	0.00	0.00	1236.04	1236.04	1025.02	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	1099.89	1099.89	0.00	0.00
7.	महाराष्ट्र	940.07	940.07	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	उड़ीसा	1020.00	1020.00	1500.00	692.19	2004.00	499.02
9.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	622.76	0.00
10.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	234.45	0.00	0.00	0.00
11.	उत्तराखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	460.69	0.00
	कुल	3000.00	3000.00	4100.00	3028.12	6500.00	2115.78

वर्ष 2011-12 के दौरान कोई केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त नहीं की गई।

विवरण III

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत राज्य सरकारों को निर्मुक्त सहायता अनुदान तथा उनके द्वारा उपयोजित निधियों के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12
		निर्मुक्त निधियां	उपयोग की गई निधियां	निर्मुक्त निधियां	उपयोग की गई निधियां	निर्मुक्त निधियां	उपयोग की गई निधियां	निर्मुक्त निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1863.44	1863.44	1946.20	1946.20	5187.70	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	308.68	308.68	35.20	35.20	772.00	0.00	0.00
3.	असम	1444.88	1389.13	1240.77	0.00	3517.96	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	95.00	95.00	838.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	3211.43	3211.43	2834.80	2644.74	7786.00	0.00	0.00
6.	गोवा	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	2372.77	2372.77	4783.00	4783.00	8302.00	0.00	3015.18
8.	हिमाचल प्रदेश	148.32	148.32	360.00	360.00	377.00	377.00	215.50
9.	जम्मू और कश्मीर	193.66	193.66	282.74	190.46	607.00	0.00	0.00
10.	झारखण्ड	1852.43	1852.43	3730.00	253.22	8004.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	1496.37	1496.37	1823.00	1823.00	3813.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	केरल	159.42	159.42	387.00	387.00	405.00	175.18	0.00
13.	मध्य प्रदेश	6466.80	6466.80	6435.00	6435.00	17311.31	0.00	0.00
14.	महाराष्ट्र	2441.46	2441.46	2000.00	293.00	9442.00	0.00	0.00
15.	मणिपुर	324.44	324.44	352.50	352.50	819.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	155.33	125.30	0.00	0.00	2100.00	0.00	0.00
17.	मिजोरम	403.57	403.57	441.00	441.00	922.96	922.96	0.00
18.	नागालैण्ड	200.00	200.00	576.59	576.59	2047.42	1607.45	0.00
19.	उड़ीसा	4129.73	4129.73	7026.00	7026.00	11144.33	1834.48	5845.00
20.	राजस्थान	3107.04	3107.04	1500.00	848.91	8351.00	907.55	3500.00
21.	सिक्किम	65.00	65.00	149.20	149.20	226.00	194.23	0.00
22.	तमिलनाडु	291.39	217.94	342.00	333.85	358.00	38.30	0.00
23.	त्रिपुरा	434.88	434.88	780.00	780.00	1358.73	1092.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	391.28	391.28	350.00	350.00	1200.00	0.00	127.60
25.	उत्तराखण्ड	20.00	20.00	120.00	109.64	250.00	0.00	0.00
26.	पश्चिम बंगाल	2489.09	2489.09	2320.00	2320.00	4848.00	0.00	2774.00
	कुल योग	33978.41	33812.18	39910.00	32533.51	99988.41	7149.15	15477.28

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अध्यक्ष महोदया: अब, पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्रदेव): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वर्ष 2011-2012 के लिए पंचायती राज मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 2011-2012 के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4800/15/11]

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): मैं खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत खान संरक्षण और विकास (संशोधन, नियम, 2011, जो 9 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 75(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। (मंत्रालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4801/15/11)

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक को-ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक को-ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4802/15/11]

अपराह्न 12.02 बजे

[**श्री सतपाल महाराज** *पीठासीन हुए*]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 4803/15/11]

(2) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4804/15/11]

(3) वर्ष 2010-2011 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार ऋणों के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4804/15/11]

(4) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य बीमा कारबार के समामेलन और अंतरण की स्कीम) विनियम, 2011 जो 31 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या आई. आर.आर.डी.ए./रेग/1/55/2011 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4805/15/11]

(5) बीमांकक अधिनियम, 2006 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारतीय बीमांकक संस्थान (परिषद की बैठकों में कार्य का संव्यवहार) विनियम, 2011 जो 17 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या एम.-18012/03/2008-इंस. III में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय बीमांकक संस्थान (रजिस्टर रखना, सूची का प्रकाशन और सदस्यों के रजिस्टर में नामों की पुन: प्रविष्टि) विनियम, 2011 जो 17 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या एम.-19012/03/2008-इंस. III में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4806/15/11]

(6) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारियों को दौरे पर दैनिक भत्ते और होटल प्रभार) संशोधन नियम, 2010 जो 1 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 932(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4807/15/11]

(7) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर वापसी (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 11 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 312(2) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 390(अ) जो 19 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा निर्यात संवर्धन स्कीम के अंतर्गत आई.सी.डी. मारीपलेम गांव को सीमा-शुल्क

अधिसूचनाओं में शामिल करने के लिए, उनमें उल्लिखित, 31 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 474(अ) जो 22 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 97/2009-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 508(अ) जो 5 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 518(अ) जो 7 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 148/1994-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 532(अ) जो 13 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 536(अ) जो 14 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा पर कलाईछार और बलात सीमा हाटों में बांग्लादेश से भारत में आयातित विनिर्दिष्ट माल पर कतिपय शर्तों के अध्यधीन सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 549(अ) जो 19 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 550(अ) जो 19 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/1996-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 561(अ) जो 21 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 409(अ) जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा धात्विक प्लास्टिक फिल्मों के विनिर्माताओं द्वारा धात्विक प्लास्टिक फिल्मों में प्रयोग अथवा उसके विनिर्माण के लिए माल के आयात की, कतिपय शर्तों के अध्यधीन रियायती दरों पर अनुमति दी गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4808/15/11]

(8) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन शोधन निवारण (लेन-देन के प्रकार एवं मूल्य के आधार पर रिकार्डों का रखरखाव, रखरखाव की प्रक्रिया और तरीका, तथा सूचना उपलब्ध कराने का समय, तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान संबंधी रिकार्डों का सत्यापन एवं रखरखाव) संशोधन नियम, 2011 जो 24 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 481(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4809/15/11]

(9) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 1431(अ) जो 21 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पांच और पदार्थों को 'विनिर्मित औषधियों' के रूप में घोषित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2011 जो 21 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 470(अ) में प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 311(अ) जो 10 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में पदार्थों को जोड़ने अथवा हटाने के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 1430(अ) जो 21 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1055(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2011 जो 11 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 739(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4810/15/11]

(10) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 496(अ) जो 30 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1% शुल्क की दर से क्लीयर किए गए उत्पाद शुल्केय माल की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 12(1) के छठे उपबंध के अनुसार निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली त्रैमासिक रिर्टन के प्रारूप को विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 551(अ) जो 19 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/1995-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 560(अ) जो 19 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अनन्तिम मेगा/अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की यथा स्थिति प्रमाणपत्र वाले डेवलपर को कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पूर्णत: छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (मंत्रालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4811/15/11)

(11) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा(4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) कराधान बिन्दु (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 27 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 490(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 566(अ) जो 25 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (यययङ) में संदर्भित क्लब या एसोसिएशन की सेवा को, जो कि किसी डाईंग यूनिट की एसोसिएशन द्वारा डाईंग यूनिटों के कचरे और ठोस कूड़े के परिशोधन और पुन:चक्रण के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से सामान्य सुविधाओं को स्थापित करने के संबंध में प्रदान की गई है, को छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 4812/15/11]

(12) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 539(अ) जो 15 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और जापान में उद्भूत अथवा विनिर्दिष्ट दर पर वहां से निर्यातित 1, 1, 1, 2-टेट्राफलोरेथेन अथवा आर-134ए के आयातों पर निश्चित प्रतिपादन शुल्क उद्ग्रहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 548 (अ) जो 19 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा

जिनका आशय प्रतिपादन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित की जा रही सनसेट समीक्षा जांच के परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'सैकरिन' के आयात पर, 5 जून, 2012 तक और उसके समेत, प्रतिपादन शुल्क के उद्ग्रहण को विस्तारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 4813/15/11]

(13) सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित मदों पर प्रतिपादन शुल्क की पहचान, निर्धारण और उद्ग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 3 के उपनियम (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 554(अ) जो 20 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे व्यक्ति को, जो भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव से निम्न पद का न हो, उक्त नियमों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अभिहित प्राधिकारी नियुक्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 555(अ) जो 20 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे व्यक्ति को, जो भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव से निम्न पद का न हो, उक्त नियमों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अभिहित प्राधिकारी नियुक्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 4814/15/11]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4815/15/11]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) एन.एच.पी.सी. लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4816/15/11]

(दो) एन.एच.पी.सी. लिमिटेड तथा एन.एच.डी.सी. लिमिटेड के बीच वर्ष 2011-2012 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4817/15/11]

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव की सुरक्षा आवश्यकता) विनियम, 2011 जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. नं. सी.ई.ए./टी.ई.टी.डी./एम.पी. /आर./02/2011 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4818/15/11]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): श्री सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 2011 जो 24 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26क के अंतर्गत सा.का.नि. 218(अ) जो 16 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय औषधियों के विनिर्माण, बिक्री और वितरण को निषिध किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4819/15/11]

(2) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 जो 5 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 362(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4820/15/11]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: अध्यक्ष महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:

(एक) "राज्यसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोकसभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्यसभा 11 अगस्त 2011 को हुई अपनी बैठक में **सिक्का** विधेयक 2011 जिसे लोकसभा ने 25 मार्च 2011 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्यसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम 6 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक 2011 जिसे लोकसभा ने 5 अगस्त 2011 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था और राज्य सभा के पास उसकी सिफारिशों के लिये भेजा था को यह बताते हुए कि इस सभा को उक्त विधेयक के संबंध में लोकसभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है, के साथ वापस लौटाने का निदेश हुआ है।"

अपराह्न 12.031/2 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

(एक) 238वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती जे. हेलेन डेविडसन (कन्याकुमारी): मैं 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 238वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

(दो) साक्ष्य

श्रीमती जे. हेलेन डेविडसन: मैं 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव): मैं 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II के अनुसार माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73 क के अनुसरण में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अन्तर्निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य दे रहा हूं।

---

* सभा पटल पर रखा गया तथा मंत्रालय में भी रखा गया। **देखिये** संख्या एलटी 4821/15/11

ग्रामीण विकास संबंधी स्थाई समिति (15वीं लोक सभा) के तेरहवें प्रतिवेदन को दिनांक 29.07.2010 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट वर्ष 2009-2010 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के परीक्षण के संबंध में है।

समिति के प्रतिवेदन (अन्तर्विष्ट) सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई वक्तव्य दिसम्बर, 2010 में ग्रामीण विकास संबंधी स्थाई समिति को भेज दिया गया था।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति सदन के पटल पर रखे गए मेरे वक्तव्य के अनुबंध में विनिर्दिष्ट की गई है। मैं इस अनुबंध के पूर्ण विवरण को पढ़ सदन का बेसकीमती समय लेना नहीं चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसे पढ़ा हुए मान लिया जाए।

अपराह्न 12.04½ बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि मंगलवार, 16 अगस्त, 2011 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य की निम्नलिखित मदें होंगी:

1. आज की कार्यसूची से अग्रेषित सरकारी कार्य के किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना:

   (क) वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010

   (ख) सीमा-शुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2011

   (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन), विधेयक, 2011

   अध्यादेश का स्थान लेने के लिए

   (घ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम विधेयक, 2011

   अध्यादेश का स्थान लेने के लिए

   (ङ) संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2009

3. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना:

   (क) केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2010

   (ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010

   (ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010

सभापति महोदय: श्री पन्नालाल पुनिया उपस्थित नहीं। शेख सैदुलहक।

शेख सैदुल हक (बर्धमान-दुर्गापुर): महोदय, मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:

(क) वर्ष 2000 और 2003 के दौरान पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि. के यूरिया उत्पादन संयंत्र को बंद कर दिया गया था। पूरे देश में यूरिया की मांग बढ़ रही है। विगत कुछ वर्षो से इस यूनिट के पुनरुद्धार के लिए समयबद्ध परीक्षण कार्य बन्द किए गए हैं लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं आया है। इसलिए, मैं एच.एफ.सी.एल. की दुर्गापुर यूनिट को चालू करने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं।

(ख) पश्चिम बंगाल में कटवा-अहमदपुर छोटी रेल लाइन एकमात्र छोटी रेल लाइन है जिसे बड़ी रेल लाइन में बदला जाना है। रेलवे द्वारा सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। इसलिए, मैं मांग करता हूं कि कटवा और अहमदपुर के बीच की छोटी रेल लाइन को तत्काल बड़ी रेल लाइन में बदला जाए।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से विदर्भ के अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं।...(*व्यवधान*)

भारत सरकार, विदर्भ में ऊर्जा निर्मिती के 43 से भी अधिक थर्मल प्रोजेक्ट लगाने जा रही है।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: दत्ता मेघे जी, आप केवल एक लाइन बोल दीजिए। आपको सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

...(*व्यवधान*)

श्री दत्ता मेघे: यह थर्मल प्रकल्प किसी भी दृष्टि से किसानों तथा पर्यावरण के हित में नहीं है, इसके कारण खेती, पानी, पर्यावरण का भारी नुकसान होने का अंदेशा है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों से जुड़े इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित करके इस पर सदन में चर्चा की जाये और केन्द्र सरकार इस समस्या पर शीघ्र कार्यवाही करे। विषय विस्तार से संलग्न है।

सभापति महोदय: श्री जय प्रकाश अग्रवाल -अनुपस्थित।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित एजेंडों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

1. राष्ट्रीय राजमार्ग 104 अन्तर्गत चकिया से पमरा तक चौड़ीकरण करने का कार्य।
2. शिवहर केन्द्रीय विद्यालय के लिए भवन निर्माण शुरू करने का कार्य।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप केवल विषय पर बोलिये।

...(*व्यवधान*)*

श्री रामकिशुन (चन्दौली): सभापति महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में दो विषयों को जोड़ दिया जाये-

(i) भारत सरकार के अधीन कार्यरत आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग 2,00,000 है। इनके सक्रिय सेवा तथा आवश्यकता को देखते हुए इनके वेतन-भत्ते आदि बढ़ाये जाने की आवश्यकता के संबंध में।

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा देश भर के किसानों के कृषि कार्य संबंधी सहायता के लिए बनाये गये किसान मित्र योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किये गये लगभग 52,000 किसान मित्रों की सेवा समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। सादर।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में दो विषय जोड़े जाएं:

1. फल्गू नदी, जो इब्राहिमपुर बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में है, के निकट से जो महाने नदी निकलती है, वह बिहार राज्य के नालन्दा जिले के इस्लामपुर, नूरसराय होते हुए गुजरती है। इससे पूरे नालन्दा जिले के खेतों की सिंचाई होती है एवं इससे जुड़े सभी पइनों जिनके सहारे इस नदी का पानी सिंचाई के लिए जाता है, में गाद भर गया है। इसके लिए केन्द्रीय जल आयोग को इसका प्राक्कलन बनाकर इसकी गाद सफाई कराने की आवश्यकता है।

2. देश में वर्तमान में पंद्रह लाख शिक्षकों की कमी है। प्रत्येक वर्ष रिटायरमेंट और बढ़ती आबादी के चलते इस कमी में दस प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। छह वर्ष से चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार संविधान ने दिया है, परन्तु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीतियों के चलते समुचित संख्या में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। मांग का केवल दस प्रतिशत ही भर्ती हो पा रही है। अत: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नीति निर्धारक तत्वों और अधिकारी स्तर पर आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित विषयों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:

1. मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा में समेकित बाल विकास योजना के कार्यों की जांच विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में की जाए और पाए गए दोषी अधिकारियों की पहचान करके उन्हें सजा दिलाने का कार्य किया जाए जिससे समेकित बाल विकास योजना में भ्रष्टाचार को रोका जा सके।
2. मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विचार किया जाए और पिछड़े क्षेत्रीय विकास फंड की मदद से उद्योग लगाने का कार्य।

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर): महोदय, आपसे निवेदन है कि सब्मिशन्स के अंतर्गत निम्नलिखित दो विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाए:

1. महाराष्ट्र राज्य के गड़चिरोली चिमुर आदिवासी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नागभीड़ से नागपुर छोटी रेलवे लाइन, जो चन्द्रपुर व नागपुर जिलों से होकर गुजरती है, को बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तित किए जाने के बारे में।
2. महाराष्ट्र राज्य के गड़चिरोली आदिवासी बाहुल्य जिले की तालुका धानोरा में कारवापा और तालुका मूलचेरा

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में चन्ना लघु सिंचाई प्रोजेक्ट को वन संरक्षण अधिनियम के अधीन शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने के बारे में।

सभापति महोदयः माननीय सदस्यों, कॉलिंग अटेंशन से पहले बी.ए.सी. की रिपोर्ट एडॉप्ट कर लेते हैं।

अपराह्न 12:12 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 28वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 11 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 28वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 11 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 28वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब सभा एयर इंडिया के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेगी।

श्री गुरुदास दासगुप्ता माननीय मंत्रीजी का ध्यान आंकृष्ट करेंगे।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

सभापति महोदयः जीरो आवर बाद में होगा।

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई (कटक): महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदयः अब यह संभव नहीं है। अब श्री गुरुदास दासगुप्ता माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

डॉ. एम. तम्बिदुरईः मैंने पहले ही सूचना दी है।

सभापति महोदयः अभी नहीं बाद में, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद।

...(*व्यवधान*)

डॉ. एम. तम्बिदुरईः मुझे केवल एक निवेदन करना है।

सभापति महोदयः आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया बैठ जाइए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप बाद में कह सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): कब होगा जीरो आवर।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद है।

अब श्री गुरुदास दास गुप्ता।

अपराह्न 12.13 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

एयर इंडिया की घटती हुई यात्री संख्या और खराब वित्तीय स्थिति जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य प्रसुविधाओं के संदाय में विलंब हुआ, से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): आपकी अनुमति से मैं नागर विमानन मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामलों की ओर आकृष्ट करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:

"यात्रियों की संख्या में कमी तथा एयर इंडिया की खराब वित्तीय स्थिति के परिणामस्वरूप उनके कर्मचारियों को वेतन और अन्य लाभों के भुगतान में विलंब से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम।"

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): मुझे वक्तव्य पढ़ने की अनुमति दी जाए और मुझे इस स्थान से बोलने की अनुमति प्रदान की जाए।

सभापति महोदय: ठीक है। मंत्री जी अपना विवरण रखें।

श्री वी. नारायणसामी: मैं विवरण पढूंगा। एयर इंडिया पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय संकट का सामना कर रहा है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अगर सदस्य मान जाएं तो वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया जाए।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: मंत्री जी स्टेटमेंट पढ़ना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: इसमें कुछ संशोधन है। मैं यह कहना चाहता हूं कि विवरण के बाद हाल में कुछ घटनाएं हुई हैं। पैरा सं. 3 में कुछ संशोधन हुआ है।

[हिन्दी]

श्री राजेश सिंह (सतना): स्टेटमेंट सभा पटल पर रख दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया जारी रखें।

श्री वी. नारायणसामी: कर्मचारियों को मई महीने के भत्ते और प्रोत्साहन का भुगतान कर दिया गया है। जून महीने का वेतन वक्तव्य के बाद भुगतान कर दिया गया तथा जुलाई के लिए इसे सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। मैं इसे वक्तव्य में जोड़ना चाहता हूं। मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

* एअर इंडिया पिछले दो वर्षों से गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है। एयरलाइन को उच्च नियत लागत और विमानन टर्बाइन ईंधन, बीमा पर उच्च व्यय, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, विमान ऋण, तथा विमानों पर पट्टे पर लेने के कारण घाटा हुआ है जो समान अवधि में राजस्व में वृद्धि के बराबर नहीं है। बड़ी संख्या में मार्गों पर रोकड़ घाटे हुए हैं। अनेक एयरलाइनें समान कारणों से पिछले कई वर्षों से इस वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं और एअर इंडिया ही अकेली एयरलाइन नहीं है जो इस समस्या का सामना कर रही है, किन्तु इसकी समस्या अधिक व्यापक है।

इस गंभीर वित्तीय संकट के कारण एअर इंडिया के कर्मचारियों के वेतनों के भुगतान में विलंब हुआ है। वर्तमान में, विभिन्न बैंकों से कार्यशील पूंजीगत ऋण 22,165 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, एअर इंडिया ने अपने विमान अधिग्रहण कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों से कुल 22000 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण लिए हैं। वर्तमान राजस्व एकत्रण के अनुसार नेटवर्क में मासिक एकत्रण लगभग 1100 करोड़ रुपए है जबकि एअर इंडिया का व्यय 1700 करोड़ रुपए है और इस प्रकार 600 करोड़ रुपए का अंतर है। भारत में 22 करोड़ रुपए के कुल दैनिक औसत एकत्रण में से 16.7 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान तेल कंपनियों को किया गया है जिन्होंने एअर इंडिया को 07 दिसम्बर, 2010 से कैश और कैरी आधार पर रखा है, जिसके कारण विमान ऋणों के पुनर्भुगतान तथा कार्यशील पूंजी पर ब्याज के भुगतान के लिए केवल 5.3 करोड़ रुपए बचते हैं। इसके परिणामस्वरूप, अप्रैल, 2011 से आगे आंशिक मजदूरी तथा वेतनों का भुगतान नहीं हो पाया है, हवाईअड्डा प्रचालकों, वेंडरों तथा अन्य नियमित भुगतान नहीं हो पाए कुल बकाया भुगतान की देय राशि लगभग 5000 करोड़ रुपए है।

मई, जून तथा जुलाई 2011 के लिए भत्ते तथा प्रोत्साहन राशियां और जून तथा जुलाई, 2011 के लिए वेतन (भत्ते तथा उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन राशियों सहित) अभी लंबित हैं। सरकार ने एअर इंडिया को इक्विटी के रूप में कुल 3200 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, एयरलाइन ने प्रचालनिक कुशलताओं और ग्राहक संतुष्टि में सुधार करने के लिए विपणन अभियान आरंभ किया है और कई कदम उठाए हैं।

वेतन और परिलब्धियों और अन्य भत्तों दोनों में हुए विलंब का कर्मचारियों द्वारा उल्लेखनीय दृढ़ता के साथ सामना किया गया है। तथापि, मई 2011 में अंतिम सप्ताह में पायलट्स एसोसिएशन के एक हिस्से द्वारा एक दुर्भाग्यशाली हड़ताल की गई थी। बातचीत के बाद, पायलटों को ड्यूटी पर लौटने के लिए मना लिया गया जबकि उनकी शिकायतों का प्रबंधन और न्यायमूर्ति धर्माधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा समुचित समाधान किया जा रहा था। इस हड़ताल की वजह से लगभग 200 करोड़ रुपए का अनुमानित

* भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

घाटा हुआ जिससे एयरलाइन के वित्तीय संकट में और इजाफा हुआ। तथापि पायलटों के एयरलाइन छोड़ने की अधिक घटना नहीं हुई है। सरकार एयर इण्डिया को सरकारी कंपनी के रूप में चलाने के लिये वचनबद्ध है।

एक अन्य मुद्दा, जिस पर टिप्पणी की गई है, एयरलाइन की गिरती यात्री हिस्सेदारी से संबंधित है। देश के नागर विमानन सेक्टर में हो रही 14 से 15 प्रतिशत वृद्धि के समग्र परिदृश्य में बाजार हिस्सेदारी एयरलाइन के निष्पादन के अनुमान का स्पष्ट द्योतक नहीं है। एअर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी निरंतर 16 से 17 प्रतिशत के बीच बनी हुई है। यह उपलब्धि लोड फैक्टर में बढ़ौतरी करके की गई है - जो कि एयरलाइन ने पिछले कुछ समय में सफलतापूर्वक किया है। तथापि, बढ़ते हुए लोड फैक्टर के बावजूद उन अन्य परिस्थितियों की वजह से घाटे बने रह सकते हैं जिनसे एयरलाइन की लागत संरचना, जैसे मौजूदा उच्च ईंधन लागतों के साथ-साथ अन्य लागतों में भी वृद्धि हुई है।

एअर इंडिया की वित्तीय स्थिति की मॉनीटरिंग सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर की जा रही है। एअर इंडिया की अत्यंत गंभीर लिक्विडिटी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रधान मंत्री कार्यालय ने एअर इंडिया की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया है। मंत्रियों के समूह ने अनेक बैठकें की थीं और इच्छा व्यक्त की थी कि एयरलाइन द्वारा एक व्यवहारिक तथा विश्वसनीय टर्न अराउंड योजना (टी.ए.पी.) तैयार की जाए। एअर इंडिया ने वित्तीय परामर्शदाता मैसर्स एस.बी.आई. कैप्स के साथ परामर्श करते हुए एक टर्न अराउंड योजना तथा वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफ.आर.पी.) तैयार की है। टर्न अराउंड योजना की विधीक्षा एक स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा की गई है। टर्न अराउंड योजना बाजार, प्रचालनिक तथा वित्तीय स्थिति में व्यापक रूप से सुधार करने के लिए नई नीति के आधार पर तैयार की गई है। वित्तीय पुनर्संरचना योजना में व्यापक रूप से ऋण पुनर्निधारण तथा इक्विटी निवेश से संबंधित दो क्षेत्र शामिल हैं। टर्न अराउंड योजना तथा वित्तीय पुनर्संरचना योजना मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। मंत्रियों के समूह ने एअर इंडिया की टर्न अराउंड योजना तथा वित्तीय पुनर्संरचना योजना की विस्तृत जांच के लिए इसे अधिकारियों के समूह के पास भेजा है। वित्तीय पुनर्संरचना योजना तथा ऋणों की पुनर्संरचना को अंतिम रूप दिए जाने की संपूर्ण कार्रवाई में लगभग तीन महीने का समय लगेगा।

एअर इंडिया ने अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं। इनमें से कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) परम्परागत रूप से घाटा करने वाले मार्गों पर घाटों को कम करने के लिए मार्गों का युक्तिकरण।

(ii) यथाशीघ्र पट्टा क्षमता वापस करना।

(iii) अनावश्यक व्ययों को समाप्त करने तथा ग्राउंड हैंडलिंग व एम.आर.ओ. प्रचालनों के लिए एस.बी.यू. के सृजन सहित श्रमशक्ति तथा उत्पादकता संबंधित प्रोत्साहनों का संपूर्ण युक्तिकरण।

(iv) संविदागत रोजगार में कमी।

(v) सभी ऑफलाइन कार्यालयों को बंद करने तथा विदेशी स्टेशनों में कर्मचारियों की संख्या में कमी करने सहित सभी क्षेत्रों में लागत को कम करने की दृष्टि से वरिष्ठ प्रबंधन तथा यूनियन के प्रतिनिधियों वाली एक टर्नअराउंड समिति का गठन।

(vi) वर्तमान बाजार परिस्थितियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रबंधन और स्टाफ के बीच सभी प्रचालनिक तथा तकनीकी करारों का संरेखण।

प्रबंधन ने एयरलाइन की गंभीर वित्तीय स्थिति के संबंध में कंपनी की सभी यूनियनों/संघों को एक साथ लिया है और कंपनी के जीर्णोद्धार के लिए तैयार टर्न अराउंड योजना तथा वित्तीय पुनर्संरचना योजना के कार्यान्वयन में उनका समर्थन/सहयोग मांगा है।

एयरलाइन के विलय से संबंधित मुद्दे लंबित हैं, विशेषरूप से मानव संसाधन क्षेत्र के मुद्दे। पक्षपातरहित रूप से इन मुद्दों की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति धर्माधिकारी की अध्यक्षता में तथा अन्य विशेषज्ञों के साथ एक समिति का गठन किया गया है जो अपनी सिफारिशें सरकार को देगी।

एयरलाइन के बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है जिसमें विख्यात व्यक्तियों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में शामिल किया गया है। कार्यात्मक निदेशकों के शेष पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है जिसके लिए पी.ई.एस.बी. सहित मंत्रालय द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

मंत्रालय ने एयरलाइन की रिपोर्टिंग प्रणाली की एम.आई.एस. तथा मंत्रालय और बी.पी.ई. के साथ समझौता ज्ञापन के पुनर्निधारण द्वारा निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ बनाया है। सरकार द्वारा एअर इंडिया को भविष्य में शीघ्र ही एक व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धी कंपनी बनाने के उद्देश्य से इसे वापस पटरी पर लाने के सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं।*

श्री गुरुदास दासगुप्तः मुझे सरकार के शीर्ष सूत्रों से यह आश्वासन मिला था कि दो महीने का वेतन जारी कर दिया गया

है। यह प्रधान मंत्री जैसे बड़े प्राधिकारी द्वारा आश्वासन प्राप्त हुआ है कि दो महीने का वेतन और एक महीने का पी.एच.आई. कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

सभापति महोदयः कृपया शांत रहें और सुनने दें।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्तः लेकिन मेरे पास जानकारी यह है कि एक महीने का वेतन और एक महीने का पी.एच.आई. दिया गया है। चार महीने का पी.एच.आई. और दो महीने का वेतन अभी भी लंबित है। यह एयर इंडिया की स्थिति है।

मैंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्यों उठाया, मैं आपको बता दूं क्योंकि पूरे राष्ट्र के समक्ष भारतीय नागर विमानन क्षेत्र की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। इसके खलनायक वही लोग हैं जो अभी भी संगठन में अच्छी स्थिति में बने हुए हैं। केवल यही एक मुख्य मुद्दा नहीं है कि वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मुख्य मुद्दा यह है कि नेशनल कैरियर को लोगों द्वारा धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है। इसे उन लोगों के द्वारा खत्म किया जा रहा है जो सत्ता में हैं और जिनके पास इसका प्रभार है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यह उन राजनेताओं, नौकरशाहों और अचिह्नित पक्षों के बीच की उजागर हुई गठजोड़ की एक अन्य अनकही कहानी है जिन्होंने देश में राज्य के सत्ता के गलियारे पर अपनी पकड़ बनाई है।

मुख्य प्रश्न यह है कि क्या विलय किया जाना गलत था। कई लोगों ने विलय का विरोध किया था। यहां तक कि इंडियन एयर लाइन के प्रबंधन ने भी इसका विरोध किया था। उस समय इंडियन एयर लाइन्स को मुनाफा हो रहा था। लेकिन विलय के बाद अचानक इसके मुनाफे में कमी आ गई। यह इतना कम हो गया है कि यह अपने 41000 कर्मचारियों को जिनके पास लगभग 2,00,000 परिवार हैं को मजदूरी नहीं दे पा रहा है। इसे अपने तेल के बिल के भुगतान के लिए भी सरकारी मदद पर निर्भर करना पड़ रहा है।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि केवल चार वर्षों के अंदर ही एयर इंडिया इतने घाटे में क्यों चली गयी और इतनी तेजी से इसमें गिरावट क्यों आई, सभा को इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या मैं आपसे यह जान सकता हूं कि सरकार द्वारा इतनी बेशर्मी से इसकी अनदेखी क्यों की गई? आपने मुझसे पूछा था कि यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई और इसका जवाब आपको अब मिला। पहला प्रश्न यह है कि क्यों इतनी बड़ी मात्रा में अव्यावहारिक खरीदारी की जा रही है। (हिन्दी) इतनी जल्दी खरीदने की क्या जरूरत थी, मेहरबानी करके बताइये? (अनुवाद) यह इतना अधिक खर्च क्यों कर रहा है और इतनी खरीदारी क्यों की जा रही है?

यह पूरी कहानी नहीं है, कृपया इन्तजार करें। जब श्री तुलसीदास चेयरमैन थे तब केवल 28 विमान खरीदने की मांग की गई थी। लेकिन चेयरमैन बदल गए, मालिक बदल गए। इसके बाद खरीदारी की सूची में 40 नए विमानों को सम्मिलित कर लिया गया। जरा सोचें, शुरू में 28 विमान खरीदे जाने थे और नए प्रबंधन द्वारा 40 और नए विमानों को खरीदने की मांग की गई और कुल 68 वायुयान खरीदे गये थे या खरीदे जा रहे थे और अधिकांश वायुयान बहुत ही महंगे थे और अधिक तेल की खपत करने वाले थे। माननीय मंत्रीजी, मेरा आप पर पूरा विश्वास है, आप पर विश्वास किया जा सकता है, मैं आपको वर्षों से जानता हूं, कृपया मुझे बताएं कि 777 वायुयान क्यों खरीदे गए। आम धारणा यह है कि अधिक खरीदारी होगी तो अधिक लूट होगी। (हिन्दी) ज्यादा खरीदना चाहते हो तो सौदा भी ज्यादा होगा। (अनुवाद) धारणा है कि लूट की राशि अधिक होगी। मैं बहुत अधिक लूट की बात नहीं कर रहा हूं।...(*व्यवधान*)

इसके परिणामस्वरूप, इस अस्वाभाविक भारी खरीद के बोझ से यह घाटा हुआ है। जब खरीद की तैयारी है और खरीद की जा रही थी तब बोईंग कम्पनी 30 विमानों की आपूर्ति के समय पर करने में विफल रही थी क्योंकि तीन वर्षों तक आपूर्ति नहीं हुई थी। आप क्रयादेश को आसानी से रद्द कर सकते थे और 18,000 करोड़ रुपये बचा सकते थे। संसद को यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि यदि आप क्रयादेश को रद्द कर देते हैं तो आप 18,000 करोड़ रुपये बचा सकते हैं। इतना ही नहीं आप क्षतिपूर्ति की मांग भी कर सकते हैं। कुछ नहीं किया जा रहा है। इस क्रयादेश को रद नहीं करने की गोपनीयता क्या है? हमें पता होना चाहिये कि किसको लाभ पहुंचाने के लिए यह सब किया जा रहा है।

यह पूरी कहानी नहीं है, कुछ पल और इंतजार करें। जब नए वायुयान खरीदे जा रहे थे तब मौजूदा विमान बेड़े की उड़ान अवधि क्या है? एक वायुयान आठ घंटे उड़ता है। आप एक वरिष्ठ संसद सदस्य हैं और आप अक्सर विमान से यात्रा करते रहते हैं। आप को ज्ञात है कि जब एक वायुयान केवल आठ घंटे उड़ान भरता है तो यह शर्मनाक निष्पादन है। यह इस प्रबंधन का शर्मनाक निष्पादन है, और सरकार के निष्पादन में यह शर्मनाक कमी है। सामान्यतः 12 घंटे के बाद विराम दिया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय मानक 19 घंटे प्रतिदिन का है। हम नए वायुयान खरीद रहे हैं

लेकिन हमारे वायुयान नहीं उड़ रहे हैं। किसके लिए यह खरीदारी की जा रही है?

इतना ही नहीं, इसमें और भी कुछ है। जब आप 68 वायुयान खरीद रहे हैं तो कृपया बताएं कि हमारे आठ विमान क्यों खड़े हैं। उनमें से अधिकांश मुम्बई में खड़े हैं। इसका कारण है कि उनके लिए कल-पुर्जे नहीं खरीदे जा सकते। बिल्कुल नए वायुयान खड़े हैं क्योंकि आप कलपुर्जे नहीं खरीद सकते। आप विमान नहीं उड़ा सकते हैं क्योंकि आप उसके लिए तेल नहीं खरीद सकते। आप उड़ा नहीं सकते क्योंकि आपके पास अवसंरचना नहीं है। नये विमान खरीदने के लिये इस क्रयादेश को देने से पहले इस पर गहनता से विचार नहीं किया गया। यह मात्र अनियमितता नहीं है। यह गैर-निष्पादन नहीं है। यह देश में शासन के नियम का घोर उल्लंघन है।

आप 68 वायुयानों की खरीद का आदेश दे देते हैं लेकिन इस पर उचित रूप से विचार नहीं करते हैं और कोई योजना नहीं बनाते हैं। इसलिए, यह उन शासन के आदेशों का बिल्कुल उल्लंघन है जो आपके पास है और आपके पूर्ववर्ती के पास था।

महोदय, यह भी पूरी कहानी नहीं है। आपने आपसी पक्षों के साथ समर्पण किया है। एयर इंडिया ने पारस्परिक सुविधाओं का समर्पण किया है।

[हिन्दी]

हम दुबई में सूचना दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट नहीं है, लेकिन एमिरेट्स की फ्लाइट है।

[अनुवाद]

उन्होंने अमीरात को एयर इंडिया से अधिक उड़ानों की अनुमति क्यों दी है। *[हिन्दी]* साहब दाल में कुछ काला है।...(*व्यवधान*)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): गुरुदास जी, दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि दाल ही काली है।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य की बात के अलावा कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(*व्यवधान*)

श्री गुरुदास दासगुप्त: दाल में कुछ काला है और काली दाल इन्हें खानी होगी। काली दाल इन्हें खानी होगी।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद] महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय: कृपया मुख्य बात पर आइये।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, यही मुख्य बातें हैं। महोदय, मैंने सीमा का उल्लंघन नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: चेयर पर मैडम नहीं सर बैठे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

श्री गुरुदास दासगुप्त: माननीय सभापति एक नारी की तरह नाजुक और पुरुष की तरह ताकतवार है।

सभापति महोदय: धन्यवाद।

श्री गुरुदास दासगुप्त: आप पीठासीन हैं। आज आपको पीठासीन देखकर कितना अच्छा लग रहा है।...(*व्यवधान*)

महोदय, प्रश्न यह है कि 50 घरेलू उड़ानों को रद किया गया है और सभी मार्ग लाभ कमाने वाले मार्ग हैं। किसने आदेश दिया? आप सुनिए, अभी कहानी की शुरुआत हुई है। फ्लाइट्स को कैंसिल करने का आर्डर किसने दिया था। पेटिशन कमेटी में हमने पूछा था कि फ्लाइट सस्पेंड करने का आर्डर किसने दिया था। उन्होंने बताया कि फाइल मिसिंग है। *[अनुवाद]* लेकिन मुझे जानकारी मिली है। फाइल का पता चल गया है। यह किसी के पास है। उनसे कहा जायेगा। कुछ दिन इंतजार कीजिये दूसरी रिपोर्ट आयेगी और उनसे कहा जायेगा। उस फाइल को खोज लिया गया है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि किसने आदेश दिए थे। नागर विमानन के निदेशक ने आदेश दिए थे। यह आदेश कैसे दिये गये? *[हिन्दी]* यह कहानी खत्म नहीं होने वाली है। इसका कारण क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि तुम फ्लाइट्स मत भेजो। नॉन प्रोफिटेबल फ्लाइट्स बंद करो। भगवान बोलते हैं कि फ्लाइट बंद करो। एयर इंडिया ने फ्लाइट बंद कर दिया। चार दिन बाद वही व्यक्ति डायरेक्टर आफ सिविल एविएशन को बोला कि एयर इंडिया फ्लाइट चला नहीं सकते हैं क्योंकि उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कितनी गलत बात कही है। यह बात कहने के बाद कहा गया कि जनता को मुसीबत हो रही है। जनता के नाम पर दुनिया में सब खतरा होता है। सारी चोरी जनता के नाम से की जाती है। जनता को खतरा हो रहा है, इसलिए आप लोग मेहरबानी करके *[अनुवाद]* इसे या तो किंगफिशर या जेट एयरवेज को दे दें। इस तरीके से

हम सौदे में एयर इंडिया के कर्मचारियों को रिश्वत दी गयी है. ..(*व्यवधान*)

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): प्रश्न क्या है?

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदय, माननीय मंत्री ने मुझसे पूछा कि प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि आप लाभप्रद मार्गों को क्यों बंद कर रहे हैं?...(*व्यवधान*) महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय को देखने वाले मंत्री मुझसे पूछ रहे हैं कि प्रश्न क्या है? हर समय मैं यह प्रश्न पूछता रहा हूं।

सभापति महोदयः कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

...(*व्यवधान*)

श्री गुरुदास दासगुप्तः कृपया जवाबदेह बनिए...(*व्यवधान*)। *[हिन्दी]* मंत्रियों को तो थोड़ा बहुत रिजनेबल रिस्पोंसिबल होना चाहिए। जब विपक्ष की तरफ से कोई बात उठाई जाती है, तब हंसने की कोई जरूरत नहीं है। इंडियन एयरलाइन्स को दिवालिया बनाने के लिए आप कटघरे में हैं, सरकार कटघरे में है। यह शर्मनाक है। आप हंसिए नहीं। आपके आंखों में आंसू होने चाहिए. ..(*व्यवधान*)

महोदय मैं नहीं जानता कि मैं इस अज्ञानता पर हंसूं या मैं रोऊं क्योंकि वे लोगों की समस्याओं के प्रति पूर्णतया असंवेदनशील हैं। मैं यह मामला उठाना चाहता हूं कि जब एयर इण्डिया घाटे में है तो सेवानिवृत्त लोगों को क्यों रखा जा रहा है? क्यों सेवानिवृत्त लोगों को ऊंचे वेतन पर रखा जा रहा है? क्या यह अध्यक्ष के इर्द-गिर्द एक मण्डली बनाए जाने के लिए है? क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं?...(*व्यवधान*)

दूसरे, जब भारतीय पायलट उपलब्ध हैं तो आप विदेशी पायलट क्यों रख रहे हैं? मैं इस अवसर पर भारत की महिला पायलटों की प्रशंसा करना चाहता हूं जो पुरुष पायलटों की तुलना में बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं उनकी सराहना करता हूं। लगभग 100 महिला पायलटों पहले ही ज्वाईन कर लिया है। आप विदेशी पायलटों को क्यों रख रहे हैं जब भारतीय पायलट हमारे देश में हैं?...(*व्यवधान*)

महोदय, मैं केवल और दो बातें बोलकर अपनी बात पूरी कर रहा हूं। सबसे पहले एयर इंडिया को उनके कर्ता-धर्ता द्वारा लूटा जा रहा है; भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है; और आपराधिक भावनाएं पूरी तरह व्याप्त हैं। जो लोग जिम्मेदार हैं, उन्हें निश्चित रूप से कटघरे में लाया जाना चाहिए। इसको पूरी तरह बदलना होगा, टुकड़ों में बदलाव से काम नहीं चलेगा। ये लोग 33000 करोड़ रुपया मांगते हैं और आप 1200 करोड़ दे रहे हैं। इसे एक बार ही बदलना पड़ेगा। प्रबंधन को बदलिए। मेडिकल सर्जरी कीजिए। कृपया आमूल सर्जरी करें और उसके बाद पैसे का भुगतान करें। अन्यथा, यह अतल गड्ढे में चला जाएगा और पैसा व्यर्थ चला जाएगा।

अंततः, दूसरे सदन के मेरे एक मित्र मैं उनका नाम नहीं लूंगा और वे मेरे दल में नहीं अन्य दल से हैं- ने मुझे कुछ दस्तावेज दिए। यह एक गोपनीय कैबिनेट नोट दिनांक...(*व्यवधान*) *[हिन्दी]* जो है, आपके दोस्त ने हमको दिया है। छोड़िए।...(*व्यवधान*)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): कर सकते हैं।... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्तः यह 6 मार्च, 2008 और 24 मार्च 2009 का है। इस कैबिनेट नोट में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और मुख्य प्रबंध निदेशक बनने के योग्य नहीं पाया गया। यह 8 मार्च, 2008 को हुआ था और केवल एक वर्ष के बाद उसी समिति ने किसके आदेश से, किन परिस्थितियों में, किस लाभ को पाने के लिए, किस सौदे के तहत् परिवर्तन किए और तीन व्यक्तियों का चयन किया गया। श्री अरविन्द जाधव का नाम इसमें दूसरे स्थान पर था। क्यों दूसरे व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी गयी? मंत्रिमंडलीय चयन समिति की कार्यवाही संदेहास्पद क्यों है? एक वर्ष में आप एक योग्य व्यक्ति को ढूंढ नहीं पाए और दूसरे वर्ष आप उसी पैनल को स्वीकार करते हैं और श्री अरविंद जाधव जो दूसरा नाम था उसे स्वीकार कर लिया। इसके लिए दूसरा नाम क्यों स्वीकार किया गया?...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण): अरे, वह ज्यादा नहीं है।... (*व्यवधान*) असल ज्यादा नहीं है।...(*व्यवधान*)

श्री गुरुदास दासगुप्तः यह नियुक्ति संदेहास्पद है; कार्य-निष्पादन संदेहास्पद है; परिणाम संदेहास्पद है और सरकार का रवैया संदेहास्पद है। संदेहास्पद चरित्र के कारण ही इंडियन एयरलान्स बंद होने के कगार पर है।

मैं चाहता हूं कि मंत्री शिकायत प्राप्त करने का पोस्ट बॉक्स न बन जाएं। उन्हें निर्णायक तरीके से कार्य करना चाहिए। मैं श्री रवि से ऐसा करने का आग्रह करता हूं...(*व्यवधान*) मैं जानता हूं कि आप क्या कहेंगे पर एक व्यक्ति को हटाना कोई समाधान

नहीं है। पूरे प्रबंधन को बदलिए। पूरी धनराशि एक बार दीजिए और उनकी निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि भारतीय विमानन की ध्वजवाहक डूब नहीं जाए। मेरे मित्र श्री रवि अपने विश्वसनीयता के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर, एयर इंडिया का पुनरुद्धार करने और सभी भ्रष्ट लोगों को हटाकर अपनी विश्वसनीयता दर्शाएं।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, श्री गुरुदास दासगुप्त जी ने सदन के सामने एयर इंडिया की कृतियों, भ्रष्टाचार और उसकी अनियमितताओं के बारे में सरकार को डॉक में खड़ा करते हुए इस सदन में जो कुछ कहा है, मैं उसके साथ सहमति रखते हुए कहना चाहता हूं कि एयर इंडिया जो कभी महाराजा कहलाता था और दुनिया में उसकी तूती बोलती थी। भारत का महाराजा और सिंगापुर का एयरलाइन्स दोनों दुनिया में रोल माडल हुआ करते थे लेकिन आज महाराजा मृत्यु शैय्या पर पड़ा हुआ है, आई.सी.यू. में पड़ा हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस स्थिति के लिए किसकी जिम्मेदारी है कि महाराजा, उसकी एयरलाइन्स, उसके जहाज के पास तेल खरीदने के लिए पैसे न हों, मशीन बनाने के लिए पैसे न हों। भारत की अस्मिता के प्रतीक एयरइंडिया की जो दुर्गति की है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आखिर क्यों इस देश में जितने लाभकारी पथ और रूट हैं, एयर इंडिया उस पर नहीं चलती है? क्या कारण है?

हड़ताल के पीछे जो कारण थे, जिसमें बात बताई गई थी कि टाटा और राडिया के बीच जो टेप थे, जो गुप्त वार्ता हुई थी, उसमें एयर इंडिया को निजी हाथों में देने की योजना चल रही थी। हम जानना चाहते हैं कि उस टेप में क्या बातें थीं? इन सब बातों की ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहते हैं कि एयर इंडिया आज सरकार की गलत नीति के कारण, गलत रवैये के कारण, भ्रष्टाचार के कारण ऐसी है। मैं आपको बता सकता हूं कि 2005-06 में 17 विमान जमीन पर पड़े रहे, जेट शाप में जहां इंजन बनते थे, बंद हो गए, पांच बोइंग विमान उड़ान नहीं भर पाए। मैं कहना चाहता हूं कि यह महाराजा, जो मृत्यु शैय्या पर पड़ा हुआ है, क्या इसे ये मृत्यु शैय्या पर पड़े रहने देना चाहते हैं?

अंत में, मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, मैंने इतिहास में पढ़ा था कि अकबर बादशाह ने अनारकली से कहा था - न मैं तुझे जीने दूंगा और न तुझे मरने दूंगा। आज एयर इंडिया की यही स्थिति है कि महाराजा अकबर के दरबार में अनारकली की तरह पड़ा हुआ है।

श्री रमेश बैस (रायपुर): महोदय, कई बार एयर इंडिया को सुधारने के लिए प्रयास किया गया। एक कहावत है - अगर कोई सो रहा हो तो उसे जगाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जो जाग रहा हो और सोने का बहाना करे तो उसे हम कैसे जगाएं? राष्ट्रीयकृत इंडियन एयरलाइन्स आज इतने लंबे घाटे में चला गया। भोला सिंह जी ने कहा कि प्राइवेट लोगों को देने की साजिश चल रही है। पिछले दिनों पायलटों की हड़तालें हुई, मेरा कहना है कि उसमें भी प्राइवेट एयरलाइन्स का हाथ हो सकता है कि किसी भी तरीके से इंडियन एयरलाइन्स बंद हो और जो क्षेत्र इंडियन एयरलाइन्स के पास है, वह प्राइवेट सैक्टर में चला जाए। मैं अपने क्षेत्र का घाटे का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं रायपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं, इंडियन एयरलाइन्स दिल्ली से रायपुर एक फ्लाइट जाती थी लेकिन प्राइवेट एयरलाइन्स को देखें तो पांच फ्लाइट एक दिन की हैं। इंडियन एयरलाइंस कहता है कि हमें सवारियां नहीं मिलती। लेकिन पांच एयरलाइंस आज भरकर जा रही हैं। यह जो बहाना बना रहे हैं, वह बेकार है। दिल्ली से रायपुर के लिए हम इंडियन एयरलाइंस को 25 हजार रुपये देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर-मलेशिया 15 हजार रुपये में दो दिन का स्टे की स्कीम चलाई जाती है। यानी होटल में रहने का खर्चा, आने और जाने का खर्चा मात्र 15 हजार रुपये। जबकि दिल्ली से रायपुर का किराया 25 हजार रुपये है। ये लोग कैसे टिकटों की दर तय करते हैं, यह मुझे मालूम नहीं है। लेकिन यहां के पायलटों के लिए शायद निश्चित हो गया है कि वे एक दिन में दो या तीन लैंडिंग करेंगे। एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं रायपुर से दिल्ली आ रहा था। दिल्ली में मौसम खराब होने के कारण प्लेन को जयपुर ले जाया गया और वहां लैंड किया गया। थोड़ी देर में सूचना मिल गई कि दिल्ली का मौसम ठीक हो गया है, आप प्लेन को वापस ले आइये। लेकिन पायलट बोलता कि मेरी दो लैंडिंग हो गई हैं, अब मैं नहीं जाऊंगा। कल दूसरा पायलट इसे ले जायेगा। हमें होटल में ठहराया गया। इनके द्वारा होटल का खर्चा दिया गया और दूसरे दिन हमें वापस दिल्ली लाया गया। हमारा एक दिन का समय खराब हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर इंडियन एयरलाइंस का यही रवैया रहा तो फिर घाटा कहां से पूरा होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से यह प्राइवेट सैक्टर में न जाए, बल्कि इसे ठीक तरीके से चलाया जाए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): सभापति महोदय, श्री गुरुदास दासगुप्त जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और यह न केवल एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर के पश्चात उत्पन्न हुई स्थिति का दिग्दर्शन कराता है, बल्कि पूरी सरकार के क्रिया-कलापों का दिग्दर्शन भी कराता है। आपने कहा सिर्फ एक प्रश्न ही उठाइये, यह संभव नहीं है। क्योंकि इस प्रश्न

के साथ अनेक प्रश्नों के हिस्से जुड़े हुए हैं। प्रश्न तो एक ही है, लेकिन उसके उप-प्रश्न भी हैं और वे ऐसे महत्वपूर्ण उप-प्रश्न हैं कि जिनके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे थोड़ा समय और दें।

पहली बात यह है कि हमारी एयर इंडिया के पायलट्स नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। अभी पिछले तीन महीनों में इंडियन एयरलाइंस के आये हुए नौ पायलट्स चले गये और एयर इंडिया के आये हुए छः पायलट्स चले गये और करीब 10 ने अपने कागजात रखे हुए हैं कि हमें इससे मुक्ति दिलाइये, हम भाग जाना चाहते हैं। यह क्या परिस्थिति है? जो अभी रह गये हैं, वे मेरे से मिलने के लिए आये थे। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों रह गये, आप क्यों नहीं जा रहे हो तो वे कहने लगे कि हम इसके साथ भावनात्मक ढंग से जुड़े हुए हैं। तीन-तीन महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली है, हम क्या खायें, लेकिन उसके बाद भी हम यह चला रहे हैं। आपको ऐसे पायलट्स का सम्मान करना चाहिए कि जिन्होंने भारी कठिनाइयों में रहकर भी इस एयरलाइन को चालू रखा और नौकरी छोड़कर नहीं गये। मैं उन पायलट्स का बहुत ही आभारी हूं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं।

दूसरी बात जो इसमें विशेष रूप से उठती है, वह यह है कि एयर इंडिया की जो कंपनी एन.ए.सी.आई.एल. बनी, यह कब से नुकसान में गई और कितने नुकसान में गई, उसका खुलासा इन्होंने कर दिया। नुकसान तो बहुत है, मगर आप यह देखें कि यह नुकसान हुआ और जो अभी तक काम कर रहे हैं, * जिन्होंने इनका नाम लिया, उनके अपाइंटमैन्ट के बाद इन्होंने कैबिनेट सैक्रेटेरिएट के एक नोट का हवाला दिया। मैं वह आपके सामने रखना चाहता हूं कि उसका विस्तार क्या है और तब पता लगेगा कि इस एयर इंडिया में और एन.ए.सी.आई.एल. में क्या हो रहा है। 6 मार्च, 2008 और 24 मार्च, 2008 को सलैक्शन ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, सी.एम.डी., नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में जो मीटिंग हुई, उसके मिनट्स हैं। उस मीटिंग में कौन मौजूद थे - श्री के.एम. चंद्रशेखर, कैबिनेट सैक्रेटरी, श्री टी.के.ए. नायर, प्रिंसिपल सैक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, श्री एन.के. सिन्हा, चेयरमैन, पी.ई.एस.बी., श्री अशोक चावला, सैक्रटरी, सिविल एविएशन और सत्यानंद मिश्रा, सैक्रेटरी, डी.ओ.पी.टी.। इस कमेटी ने खूब इंटरेक्शन किया। नौ लोग रखे थे, एक नहीं आए, एक ने मना कर दिया, सात से इंटरैक्शन हुआ। नोट के पैरा-4 में लिखा है -

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

"विस्तृत चर्चा के पश्चात्, समिति ने महसूस किया पृष्ठभूमि और उपलब्ध निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर... उपलब्ध अभ्यर्थियों में से सर्वोत्तम था।"

"तथापि, दो एयरलाइनों के विलय से उत्पन्न कार्मिक एवं वित्त प्रबंधन के क्षेत्र जटिल प्रशासनिक मुद्दों और इसके परिणामस्वरूप नागर विमानन क्षेत्र में अनुभव की आवश्यकता के मद्देनजर, समिति ने निर्णय लिया कि अभ्यर्थी चयन के बारे में और विचार-विमर्श किया जाए।"

इसलिए, श्री अरविंद जाधव का उस उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा चयन नहीं किया गया था। मैं पुनः उद्धृत करता हूं: "समिति की दिनांक 24 मार्च, 2008 को पुनः बैठक हुई। समिति ने महसूस किया कि अधिक वरिष्ठ अधिकारी अर्थात सचिव स्तर का अधिकारी रखना उपयोगी रहेगा, विशेष रूप से जिसके पास इस क्षेत्र का ज्ञान हो।"

इसका अर्थ है कि श्री अरविंद जाधव के पास इस क्षेत्र का ज्ञान नहीं था। इनको सी.एम.डी., एन.ए.सी.आई.एल. का दायित्व संभालना था। इसमें इसके अतिरिक्त कहा गया है: "ऐसा करना इस क्षेत्र में कड़ी प्रतियोगिता के साथ में विलय की गई एयरलाइनों का निर्बाध एकीकरण और व्यवसायिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के हित में था।

उपर्युक्त के मद्देनजर, नागर विमानन में अनुभव के साथ समुचित वरिष्ठता के अधिकारियों के कैरियर रिकार्ड की संवीक्षा के पश्चात, समिति ने नोट किया कि श्री रघु मेनन, आई.ए.एस. (नागालैंड 74) ने लगभग 5 वर्षों तक वरिष्ठ स्तरों पर इस क्षेत्र में कार्य किया था। समिति ने यह भी नोट किया कि श्री मेनन सचिव स्तर पर कार्यरत हैं और उनकी साढ़े तीन वर्षों की सेवा शेष है। समिति ने यह भी नोट किया कि श्री मेनन ने पहले अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी परंतु उन्होंने अपनी उम्मीदवारी पर विचार किए जाने की इच्छा व्यक्त की है।

समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वर्तमान में विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय श्री रघु मेनन, एन.ए.सी.आई.एन. के सी.एम.डी. के लिए सबसे उपयुक्त हैं।

समिति ने नैशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नागर विमानन मंत्रालय के वर्तमान सचिव और वित्तीय सलाहकार श्री रघु मेनन की नियुक्ति की सिफारिश की।"

इस पर सर्व श्री सत्यानंद मिश्रा, अशोक चावला, एन.के. सिन्हा, टी.के.ए. नायर और के.एम. चंद्रशेखर द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इस नियुक्ति को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृति दी गई होगी। श्री रघु मेनन को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेश नियुक्त किया गया था। उसके बाद क्या हुआ?

दिनांक 24 अप्रैल, 2009 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के बारे में...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: जोशी जी, संक्षिप्त करें।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: कालिंग अटेन्शन में केवल प्रश्न पूछना चाहिए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। घपला तो यहां हो रहा है और जहां घपला हो रहा है, मैं आपको वहीं बता रहा हूं।

[अनुवाद]

नैशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए चयन के बारे में दिनांक 24 अप्रैल, 2009 को हुई सर्च कमेटी की बैठक में श्री के.एम. चंद्रशेखर, श्री टी.के.ए. नायर, श्री एम.एम. नांबियार, श्री राहुल सरीन उपस्थित थे परंतु अध्यक्ष पी.ई.एस.बी. श्री नरेश नारद ने भाग नहीं लिया *[हिन्दी]* ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एक साल के अन्दर आप रघु मेनन के टर्म को खत्म कर रहे हैं, उसका अपाइन्टमेन्ट समाप्त किया जा रहा है और फिर से एक सिलेक्शन कमेटी रिवाइन की जा रही है। पुराना पैनल जो रिजेक्ट हो गया था, उसको फिर से रिवाइव किया जा रहा है।

[अनुवाद]

मैं दिनांक 24 अप्रैल, 2009 को आयोजित सर्च कमेटी की बैठक के कार्यवाही सारांश को उद्धृत करना चाहूंगा और इसमें निम्नवत् कहा गया है: "समिति को सूचित किया गया कि वर्ष 2008 में पद के लिए आवेदन करने वाले 62 अभ्यर्थियों में से 13 अधिकारियों को पात्र पाया गया। इन 13 अभ्यार्थियों में से नौ अधिकारियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। समिति को वर्ष 1977 और 1978 बैच के 10 आई.ए.एस. अधिकारियों के विवरण भी उपलब्ध कराए गए जिन्हें अपर सचिव के रूप में पैनल में रखा गया है और जिनके पास प्रासंगिक क्षेत्र का अनुभव है तथा इस पद पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए उपलब्ध हैं।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय: जोशी जी, संक्षिप्त करें।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: मेरे पास दस नाम हैं जो आए थे - *[अनुवाद]* सर्वश्री राजी फिलिप, एस.एन. मोहन्ती, अनूप श्रीवास्तव, एस. चंद्रशेखर, आमोद शर्मा, अरविंद जाधव (छठे नंबर पर), अरविंद मालाराम, श्री.के. मित्तल और श्री विश्वपति त्रिवेदी मैं पुनः उद्धरण देना चाहूंगा: "समिति ने उपर्युक्त अधिकारियों के विवरणों का अवलोकन करके और उनके द्वारा निभाए गए विभिन्न दायित्वों पर विचार करके वर्णानुक्रम में निम्नलिखित पैनल की सिफारिश की, श्री के. जोस, श्री अरविंद जाधव और श्री गोप बंधु पटनायक।" क्या हुआ था?

[हिन्दी]

* इस एक साल में किसी सिविल एविएशन की पोस्ट पर काम नहीं कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस उनको कहां से आ गया? आपने क्यों उनको फिर से अपॉइन्ट किया। ऐल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो नम्बर दो पर हैं, आपने उनको अपॉइन्ट कर दिया। सवाल यह है कि नियुक्ति का यह घपला किस लेवल पर हुआ? दोबारा यह भी प्रधानमंत्री ने अपॉइन्ट किया? मेरा सवाल इसमें यह है कि एक तो यह बताया जाए कि एक साल के अन्दर यह क्यों चेन्ज हुआ? दूसरा सवाल यह है कि अगर नियुक्ति के लिए दोबारा विज्ञापन निकाला गया तो वह ऑनलाइन क्यों नहीं किया गया? तीसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख दोनों में बैठे हुए हैं।

कैबिनेट सेकेट्री दोनों में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री स्वयं उसे एन्डोर्स कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या उनकी निगाह में यह बात नहीं थी, उनके कार्यालय ने यह क्यों होने दिया? मैं पूछना चाहता हूं कि कैबिनेट सेकेट्री के और प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल सेकेट्री के होते हुए यह गड़बड़ क्यों हो रही है? यह एप्वाइंटमेंट इस तरह से क्यों हो रहा है? इसके लिए सारी सरकार जिम्मेदार है, केवल एक मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।

सभापति महोदय: जोशी जी, अब समाप्त कीजिये।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह जो एयर क्राफ्ट्स की खरीद थी, इसके बारे में जो कुछ हमारी सिविल ऐविएशन की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है, उसकी तरफ ध्यान दिलाकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कमेटी कहती है:

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

"समिति को एयर कार्पोरेशन्स एयरलाइन्स यूनियन द्वारा सूचित किया गया कि आरंभ में एयर इंडिया ने केवल 24 विमान और इंडियन एयरलाइन्स ने 43 विमान खरीदने की योजना बनाई थी। नागर विमानन मंत्रालय के सक्रिय मार्गदर्शन में एयर इंडिया ने अपने बेड़े की योजना में परिवर्तन कर दिया और 24 सप्ताह के भीतर 68 विमान की योजना बना ली। नागर विमानन मंत्रालय और एयरलाइन्स के बोर्ड ने इन प्रस्तावों की स्वीकृति देते समय इस तथ्य की उपेक्षा की कि एयर इंडिया का वार्षिक आवर्त 7000 करोड़ रुपये था तथा वह 35000 करोड़ रुपये का क्रय आदेश दे रही थी जिसके लिए ऋण चुकौती और ब्याज सहित वार्षिक पूंजीगत भुगतान 6000 करोड़ रुपये होता।" वित्त मंत्रालय की क्या भूमिका थी?

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: इतना बड़ा ऑर्डर फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्वीकृति के बिना क्यों दिया गया और अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया तो क्यों दिया?

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: यह जो सारा लॉस है, यह जो आप कर रहे हैं, यहां यह बूटी है, यह उस बूटी का सोर्स है।

सभापति महोदय: श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी आप बोलिये।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: मैं वित्त मंत्री की भूमिका, प्रधानमंत्री की भूमिका और नागर विमानन मंत्रालय की भूमिका के बारे में पूछना चाहता हूं। *[हिन्दी]* यह हम आपसे पूरा जानना चाहते हैं।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करें।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: हम यह भी जानना चाहते हैं कि पायलेट्स की हालत क्या है, उन्हें वेतन क्यों नहीं मिल रहा है?

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करें।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: पायलेट्स बेकार क्यों हो रहे हैं, पायलेट्स भागकर क्यों जा रहे हैं और आपका जो टर्न एराउंड प्लान है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसे आप कैसे पूरा करेंगे?

सभापति महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

[हिंदी]

सभापति महोदय: हुसैन साहब आप बोलिये।

(*व्यवधान*)...*

सभापति महोदय: इनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

(*व्यवधान*)...*

सभापति महोदय: श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): महोदय, मैंने ऐसा कालिंग अटैंशन नहीं देखा है। यह ऐसा कालिंग अटैंशन है, जिस पर मुलायम सिंह जी और लालू जी का भी पहले से अटैंशन है।

सभापति महोदय: आप प्रश्न पूछिये।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: इस कालिंग अटैंशन की इतनी धमक है, इस पार्लियामेंट की इतनी धमक है कि आज जब मैं सुबह का अखबार पढ़कर आया तो लगा कि सरकार अटैंशन में आयी है और ...* जिसका विषय डा. जोशी जी ने उठाया, उनकी शायद विदायी तय कर दी गयी है, लेकिन सिर्फ ...की विदायी से यह मामला...

सभापति महोदय: अधिकारियों के नाम यहां नहीं लिये जाते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अभी इतने सारे लोगों ने नाम लिये हैं।

सभापति महोदय: वे सब रिकॉर्ड से निकल जायेंगे। आप संक्षिप्त में बोलिये।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, मैं इसे सुधार देता हूं. ..(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप बैठ जाइये।

...(*व्यवधान*)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः आप सी.एम.डी. बोलिये। आप पद का नाम बोलिये।

...(*व्यवधान*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैनः इतने सीनियर मेंबर्स यहां बैठे हुए हैं। अधिकारियों के नाम रिपोर्ट में आये हैं।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदयः आप बैठ जाइये। आप उन्हें बोलने दीजिये।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदयः हुसैन जी आप बोलिये।

...(*व्यवधान*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैनः महोदय, गुरुदास जी ने कहा था कि दाल में कुछ काला है।

सभापति महोदयः आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः यह सिर्फ दाल में काला नहीं है, आजकल इन लोगों की पूरी काली दाल खाने की आदत हो गयी है। सवाल यह है कि जो सवाल यहां उठाये गये हैं, एयर इंडिया, जिसे महाराजा कहा जाता था, जो भारत की शान होती थी, जो नेशनल फ्लैग कैरियर होता था, जिसका एक बायलेट्रल महत्व था। दुनिया में जहां पर एयर इंडिया फ्लाई नहीं कर रहा है, अगर दूसरी एयरलाइन हिन्दुस्तान आ रही है तो उसके बदले में एक अच्छी-खासी राशि मिलती थी। ओपन स्काई की बात भी पूरी दुनिया में होती है लेकिन पूरी दुनिया में अगर हीथ्रो एयरपोर्ट पर आप लैन्डिंग करना चाहेंगे तो वे एक लिमिट में आपको परमीशन देंगे। भारत धर्मशाला नहीं है कि कोई भी एयरलाइन यहां आकर लैन्ड कर जाए और हीथ्रो, न्यूयार्क या अमेरिका में जाने के लिए एयर इंडिया को लैन्डिंग परमीशन नहीं मिलती। सवाल यह है कि इस 'महाराजा' को कंगाल किसने बनाया? यह 'महाराजा' शब्द जो है, इंडियन एयरलाइन्स का एक ब्रांड होता था। उसका जो ऑरेन्ज कलर था, बाबा बैठे हैं जो केसरिया कलर में, लेकिन आपको ऑरेन्ज कलर से नफरत हो गई। उसको इंडियन एयरलाइन्स कलर कहा जाता था जब कोई कलर लेने जाता था, उसका एक ब्रांड था। एक ब्रांड को बनाने के लिए कार्पोरेट सैक्टर में बहुत सारी कंपनियां उस पर लाखों करोड़ों रुपये खर्च करती हैं। मैं कोई ऐसी बात रिपीट नहीं करूंगा जो मेरे नेता डॉ. जोशी जी ने या गुरुदास जी ने यहां कही है। मैं कहना चाहता हूं कि एयर इंडिया का जो ब्रांड था, जिसमें कांग्रेस के एक बड़े नेता, पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जिसके पायलट थे, जिसके लिए लोग गर्व से कहते हैं कि पहली बार एक पायलट प्रधान मंत्री मिले, वह इंडियन एयरलाइन्स से मिले। आज इसी सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स का वजूद मिटा दिया, उसका लोगो मिटा दिया। उस लोगो को अगर बाजार में बेचा जाता तो उस लोगो की इतनी कीमत होती कि उससे आप एयरलाइन्स का घाटा पूरा कर सकते थे। एयर इंडिया ने जान-बूझकर यह किया। पहले उगता हुआ सूरज, फिर डूबता सूरज एयर इंडिया का लोगो बना ताकि पहचान मिट जाए। जो हिन्दुस्तानी एयर इंडिया के नेशनल फ्लैग कैरियर को देखकर चढ़ता था, एयर इंडिया की खिड़की का जो नक्शा था, वह बदल दो ताकि यह हो जाए कि एयर इंडिया नेशनल फ्लैग कैरियर नहीं है, दूसरे लोग भी नेशनल फ्लैग कैरियर हैं, जिसका फायदा होना चाहिए। यह सही है कि हिन्दुस्तान में प्राइवेट एयरलाइन्स बहुत सारी हैं, वे तरक्की कर रही हैं।...(*व्यवधान*)

सभापति जी, मैं यह रिकार्ड पर कह रहा हूं और मेरी बात गलत होगी तो मंत्री जी इसका जवाब दे सकते हैं। 9/11 की घटना हुई थी, दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइन्स ग्राउंड हो गई थी। मुझे इस बात का फख्र है कि इंडियन एयरलाइन्स ने प्राफिट किया था और एयर इंडिया ने 9/11 के बाद भी प्राफिट किया था। जब मैं मांट्रियल गया था मिनिस्टर्स कॉनफ्रेन्स में, तो इकाऊ के चेयरमैन ने बहुत ताज्जुब से पूछा था कि 9/11 के बाद एयर इंडिया ने प्रॉफिट कैसे किया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या हो गया? आपने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का पहले मर्जर किया और मर्जर करने के बाद उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ गईं। दिक्कत यह है कि हम लोग इस पर पूरी चर्चा चाहते थे, नियम 193 के तहत चर्चा होती तो अच्छा रहता क्योंकि डा. जोशी की भी पूरी बात नहीं आई, गुरुदास जी की बात भी नहीं आई। हम इसमें यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आखिर किस लैवल पर यह डिसीज़न हुआ। यह डिसीजन क्या सिर्फ सिविल एवियेशन मिनिस्ट्री का था या भारत सरकार का यह डिसीजन था? क्या डिसीजन में इन बातों का ध्यान रखा गया कि इसको करने के पीछे कौन से कारण थे, यह सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

महोदय, रूट के बारे में रमेश बैस जी ने भी सवाल उठाया। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, यहां पंजाब के लोग बैठे हैं। अमृतसर से लंदन फ्लाइट जाती है। तीन महीने की वेटिंग रहती है, तीन तीन महीने पहले लोग टिकट के लिए लाइन में लगे रहते थे, उसमें कभी भी एक सीट खाली नहीं जाती थी। लेकिन क्या कारण है कि जान-बूझकर अमृतसर-लंदन की फ्लाइट बंद कर दी गई, अहमदाबाद-लंदन की फ्लाइट बंद कर दी? मैं मिनिस्टर के तौर पर गया था लंदन, न्यू जर्सी तथा अमेरिका गया था, तब लोगों

ने कहा था कि गुजरात के बहुत से लोग रहते हैं, अहमदाबाद से उसको जोड़ना चाहिए। उस वक्त चुनाव चल रहे थे। पचास साल की डिमांड के बाद हमने शुरू किया, वहां कोई फंक्शन नहीं किया, एयरक्राफ्ट के ऊपर किया।

श्री हरिन पाठकः मैं भी उसमें था।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः क्या कारण है कि अहमदाबाद-लंदन और अमृतसर-लंदन की फ्लाइट बंद कर दी? मैं अपने प्रश्न का सी पार्ट उसमें जोड़ना चाहता हूं कि कौन इसको तय कर रहा है, किस लैवल पर तय हो रहा है, उसकी जांच कौन करेगा? एक बार आप एक फ्लाइट बंद करते हैं तो सौ करोड़ रुपये की प्रॉफिट की फ्लाइट आप बंद करते हैं। आप कह रहे हैं ब्राइब हो रहा है। जब आप फ्लाइट बंद करते हैं आई.सी.-997 और 998 तो इस फ्लाइट में सौ करोड़ रुपये का प्रॉफिट है।

अपराह्न 1.00 बजे

यह किस साजिश के तहत हुआ कि इसको आपने बंद कर दिया और कोई दूसरी प्राइवेट एयरलाइन वहां चलने लगी। हमने क्रिकेट में मैच फिक्सिंग सुनी थी। कैप्टन को हटाया, खिलाड़ी को हटाया। लेकिन यहा एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस के पीछे बहुत बड़ी मैच फिक्सिंग है कि तुम जान-बूझकर डिले हो जाओ। यह शेड्यूल कौन तय करता है? क्या मंत्री जी इस बात का जवाब देंगे कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में शेड्यूल को जान-बूझकर के प्राइम टाइम है तो किसी प्राइवेट एयरलाइन को भेज दो और डल टाइम है तो तब दूसरे को भेज दो।

सभापति महोदय, मैं बहुत दर्द के साथ अपनी बात को रखना चाहता हूं। मैं एक मिनट में अपनी बात को कन्क्लूड करूंगा। मैं तो जरूर चाहूंगा कि इस पर आगे भी चर्चा हो। आज एयर होस्टेस और कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग भी सहमत होंगे, कि क्या कारण है, मैं पायलट की डिगनिटी पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह जो हड़ताल भी होती है, इसमें भी मैच फिक्सिंग है, क्योंकि यह प्राइम टाइम पर होती है। जब लोड बहुत बढ़ जाता है, तब हड़ताल हो गई। इसके पीछे क्या कारण है? मैं मंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत निभाने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने एयर इंडिया का सौवां साल मनाया था। मुझे भी उसमें बुलाया था। मैं उसमें गया था और मैंने इनको कहा था कि हम पूरा कॉपरेट करने को तैयार हैं। आज देश का महाराजा कंगाल बन गया है, फिर से उसकी खोई हुई शान वापस लानी है। जो लोग जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई कीजिए...* सी.एम.डी.। आप जिसे टैक्नीकल वर्ड कह रहे हैं, मैं भी जाकर देखूंगा कि नाम ले सकते हैं या नहीं। सी.एम.डी., एयर इंडिया को सिर्फ हटाने से काम नहीं चलेगा। उसके पीछे दाल में काला था, वह नहीं, पूरी दाल काली है और काली दाल नहीं खा सकते हैं। महाराजा की खोई हुई शान लौटाइए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। यह आपसे विनती करते हैं कि जब आप जवाब दें तो यह सोचकर जवाब न दें कि विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाया। बहुत से सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, जो इस पर बोलना चाहते थे, लेकिन उनका नाम नहीं आया। उन्हें भी इसका दर्द होगा। इस पर आप ऐसा जवाब दीजिए, क्योंकि देश आपकी तरफ निगाहें लगाकर देख रहा है कि आप महाराजा को बचाते हैं या फिर से कंगाल बनाते हैं। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदयः मंत्री जी जवाब देंगे। आप बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदयः मंत्री जी के जवाब के बाद देखेंगे। मंत्री जी, जवाब दीजिए।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदयः केवल मंत्री जी का वक्तव्य रिकार्ड में जाएगा और कोई भी वक्तव्य रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(*व्यवधान*) *

सभापति महोदयः मंत्री जी, आप जवाब दीजिए।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदयः केवल मंत्री जी का वक्तव्य रिकार्ड में जाएगा।

...(*व्यवधान*) *

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): महोदय, हमें भी बोलने के लिए दो मिनट का समय दीजिए...(*व्यवधान*)

सभापति महोदयः नियम एलाऊ नहीं करते हैं। कृपया करके बैठ जाइए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिंदी]

सभापति महोदय: आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह रिकार्ड में नहीं जाएगा। आप बैठ जाइए। मंत्री जी रिप्लाई दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नियम इसकी अनुमति नहीं देता है। माननीय मंत्री, कृपया उत्तर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल माननीय मंत्री का उत्तर कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री वी. नारायणसामी: माननीय सदस्यों श्री गुरुदास दासगुप्त, डा. भोला सिंह, श्री रमेश बैस, डा. मुरली मनोहर जोशी, श्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने ध्यानाकर्षण द्वारा एयर इंडिया के घटते यात्रियों और खराब वित्तीय स्थिति का मुद्दा उठाया जिसके कारण वेतन के भुगतान में विलंब हुआ और पूछा कि सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है...*(व्यवधान)*

माननीय सदस्य इस विषय पर अनेक मुद्दों को लेकर उत्तेजित हैं। आज एयर इंडिया की स्थिति के बारे में माननीय सदस्यों की चिन्ता से अवगत हूं। जहां तक एयर इंडिया का संबंध है जब ये दो संगठन थे अर्थात एयर इंडिया और इंडिया एयरलाइन्स तो अनेक बेड़े थे जो कार्यरत थे। वे पुराने हो गए थे और वे अधिक घंटों तक उड़ान नहीं भर सकते थे। आम जनता और माननीय सदस्यों सहित विभिन्न वर्गों की ओर से मांग की गई थी कि विमान अर्जित किये जायें जिसके लिए कदम उठाए गए थे।

जहां तक नीति का संबंध है, "मुक्त आकाश नीति" को अपनाने के लिए वर्ष 2003 में एक निर्णय लिया गया था। पहले इसे आरम्भ में आसियान देशों ने अपनाया था और बाद में दक्षेश देशों ने भी अपना लिया था क्योंकि उस समय सरकार ने मुक्त आकाश नीति को अपनाने का निर्णय लिया था। यह निर्णय लिया गया था कि विदेशी एयरलाइनों को भारत में प्रचालन की अनुमति दी जाएगी और भारतीय कंपनियों को अन्य देशों में प्रचालन की अनुमति होगी। यह स्थिति जारी रही। उसके लिए हमें इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अधिक विमानों की आवश्यकता थी। उस समय की एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के प्रभावी कार्यकरण के उद्देश्य से और उनकी स्थिति में सुधार के लिए भी सरकार को सुझाव देने के लिये नरेश चन्द्र समिति नियुक्ति की गयी थी - श्री सैयद शाहनवाज हुसैन इसके बारे में जानते हैं। अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है।

विमानों की खरीद के बारे में एक आरोप लगाया गया। जहां तक विमान की खरीद का संबंध था, सोमैया समिति का गठन किया गया। वे पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त थे। उन्होंने बातचीत के पूरे मामले की गहराई से जांच की। तत्पश्चात् सरकार द्वारा एक मंत्री समूह गठित किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री और वर्तमान गृह मंत्री समिति के सभापति थे। उन्होंने बोइंग्स के साथ बातचीत की और उन्होंने कीमतों को 1,760 करोड़ रु. तक कम कर दिया गया। यह सभी जानते हैं तथा सब लोग इस बारे में जानते हैं। जब तक हम अपने पुराने बेड़े को नए से नहीं बदलते, राजग सरकार द्वारा शुरू की गयी मुक्ताकाश नीति के कारण हम अन्य एयरलाइनों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। हमें इसे जारी रखना पड़ा था।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुरुदास दासगुप्तः मंत्री महोदय यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि इतने विमान क्यों खरीदे गए? इतने अधिक विमानों को खरीदे जाने की आवश्यकता नहीं थी। आप कृपया इसका उत्तर दें. ..(*व्यवधान*)

श्री वी. नारायणसामीः कृपया मुझे उस मुद्दे पर आने दें.. .(*व्यवधान*) मैं उस मुद्दे पर आऊंगा।

सभापति महोदयः कृपया मंत्री जी को बोलने दें।

...(*व्यवधान*)

श्री वी. नारायणसामीः आज एयर इंडिया में हमारे पास यह सब है।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदयः उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

श्री वी. नारायणसामीः मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपकी नीति गलत थी...(*व्यवधान*) मैं यह कह रहा हूं कि हमें जो कुछ भी हमारे पास था उसके साथ हमें चलाना था। मैं यही कह रहा हूं...(*व्यवधान*)

सभापति महोदयः कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री वी. नारायणसामीः प्रचालन बेड़े की कुल संख्या 125 है। संकरे आकार वाले विमानों की कुल संख्या 97 है जिनमें से बी. 737-800 21 हैं; ए-320 विमानों की संख्या 21 है; ए-319 विमानों की संख्या 24 है; ए-321 विमानों की संख्या 20 है; सी. आर.जी. 80 सीटों वाले विमान की संख्या 4 है, ए.टी.आर. 42 विमानों की संख्या 7 है। इस प्रकार कुल 125 विमान प्रचालन में थे। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय प्रकार के अन्य विमानों का प्रश्न है 777-200 विमान 8 हैं; 777-300 विमान 12 हैं और 747-400 विमान 5 हैं और अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों में ए-310-300 एक है; ए-330-200 2 हैं। इसलिए कुल 28 चौड़े आकार वाले विमान अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए हैं।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदयः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल मंत्री का उत्तर कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

श्री वी. नारायणसामीः ऐसा इसलिए है कि आप उस समय संसद में नहीं थे। सभा ने निर्णय ले लिया। यह निर्णय संसद द्वारा लिया गया था...(*व्यवधान*) जहां तक उपयोग में नहीं लाए जा रहे विमानों का संबंध है जिसका जिक्र माननीय सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त ने दिया था,...(*व्यवधान*) मैं उनका संदर्भ नहीं दे रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि सभा ने यह निर्णय लिया। मैं इसके बारे में कह रहा हूं...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

...(*व्यवधान*)

श्री वी. नारायणसामीः माननीय सदस्य उन उड़ानों के बारे में बता रहे थे जो उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। तीन अन्तर्राष्ट्रीय विमानों को उड़ान से हटा दिया गया क्योंकि वे पुराने विमान थे और उनका उपयोग हो चुका था। जहां तक एयरबस-320 का संबंध है उनमें से दस 1980 के थे और पुराने विमान थे। यही कारण था कि उन्हें उड़ान से हटा दिया गया...(*व्यवधान*)

श्री गुरुदास दासगुप्तः मैं इसे चुनौती देता हूं। यह एक नया विमान है जिसे प्रयोग में नहीं लाया जा रहा था।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदयः मंत्री महोदय को अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदयः मंत्री महोदय को जवाब देने दीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदयः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*) *

श्री वी. नारायणसामीः मुझे उस मुद्दे पर आने दीजिए।... (*व्यवधान*)

सभापति महोदयः मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

...(*व्यवधान*)

श्री वी. नारायणसामीः आलिया एयरक्राफ्ट 737-200 विमान प्रयोग में नहीं लाए जा रहे थे क्योंकि वे पुराने थे। पट्टे पर दिए गए विमानों की कुल संख्या पांच है। वे विमान प्रयोग में नहीं थे।. ..(*व्यवधान*) आज की तारीख में उड़ान के घंटे कितने हैं। अंतर्राष्ट्रीय विमान 10.55 घंटे उड़ान भरते हैं; अर्थात मोटे तौर पर

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लगभग 11 घंटे। जहां तक एयरबस 320 का संबंध है, इसकी उड़ान अवधि आठ घंटे है, एयरबस-321 की उड़ान अवधि साढ़े नौ घंटे की है।...(*व्यवधान*) आपके पास मेरी बातों को सुनने के लिए धैर्य नहीं है।...(*व्यवधान*) निजी एयरलाइनों के बारे में क्या है?...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

...(*व्यवधान*)

श्री वी. नारायणसामी: कृपया मेरी बात सुनिए। जहां तक इंडिगो का संबंध है, उड़ान के घंटे की अवधि 11 घंटे और 40 मिनट की है, स्पाइसजेट 12.05 घंटे उड़ान भरते हैं, किंगफिशर के विमान 10.45 घंटे उड़ान भरते हैं।

उड़ान अवधि के मामले में किंगफिशर और हमारे बीच केवल 1 घंटे का अंतर है।...(*व्यवधान*) पूर्वोत्तर क्षेत्र में और उसके अतिरिक्त दक्षिणी क्षेत्र में हमारा एयर इंडिया सबसे छोटे मार्गों पर भी विमान सेवा का संचालन कर रहा है। सबसे छोटे मार्ग पर भी उसे विमान सेवा का संचालन करना पड़ता है और वह कर रहा है।

यह सरकार द्वारा अपनाई गई नीति भी है। विभिन्न कम्पनियों, संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मार्गों के आवंटन के निमित्त नियम बने हुए हैं। समझौते के अनुसार ही निजी एयरलाइनों और एयर इंडिया को मार्ग आवंटित किए गए थे।

माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मुद्दा यह था कि जिस तरह से मार्गों का आवंटन किया गया वह हमारे लिए अनुकूल नहीं है। यह तथ्य सही नहीं है। जहां तक हमारा संबंध है, हमें उस समझौते का पालन करना चाहिए जिस पर हमारी सरकार के नागर विमानन और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच मार्गों के विनियमन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

दूसरा मुद्दा जो मंत्री महोदया ने उठाया, वह कर्मचारियों की समस्या से संबंधित था। कर्मचारियों की समस्या एक बड़ी समस्या है क्योंकि 2008-09 में विश्व में मंदी का दौरा था। विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। यात्रियों की संख्या भी काफी कम हो गई थी। इसलिए, 2008-09 में हमें घाटा हुआ। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारी स्थिति अच्छी है। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं।...(*व्यवधान*)

श्री गुरुदास दासगुप्त: एयरइंडिया को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। कृपया मुझे इस बारे में बताइए।

श्री वी. नारायणसामी: मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

श्री वी. नारायणसामी: हमारी सरकार की नीति एयरइंडिया, जो कि एक सरकारी उपक्रम है, को मजबूत करना है। ऐसा नहीं है कि हम इसका निजीकरण करने जा रहे हैं जैसा कि पूर्ववर्ती सरकार ने किया था।...(*व्यवधान*) हम ऐसा करने नहीं जा रहे हैं। हम चाहते थे कि एयर इंडिया को मजबूत बनाया जाए। सरकार को वित्तीय सहायता इसलिए देनी पड़ी क्योंकि आज 1200 करोड़ रुपये का पैकेज है।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए। *[हिन्दी]* मंत्री जी को रिप्लाई देने दीजिए। कृपया बैठिये।

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: अब, आपको यह बात चुभ रही है। निजीकरण किसने शुरू की थी? श्री गुरुदास दासगुप्त इसके बारे में जानते हैं...(*व्यवधान*) मेरे सहयोगी को इस बात की जानकारी है।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल मंत्री महोदय का उत्तर सम्मिलित किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: केवल मंत्री जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: अब हम पुनरुद्धार योजना पर चर्चा करेंगे।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी के उत्तर के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

(*व्यवधान*)...*

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: अब हम पुनरुद्धार योजना पर चर्चा करेंगे...(*व्यवधान*) सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी के उत्तर के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ...(*व्यवधान*)* आपने अपनी बात कह ली। अब मुझे कुछ कहना है।...(*व्यवधान*) मैं उसी मुद्दे की चर्चा कर रहा हूं।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

श्री वी. नारायणसामी: महोदय, ईंधन की लागत बढ़ गई है। रख-रखाव लागत में वृद्धि हुई है। पैसेंजर लोड फैक्टर में भी गिरावट आई है जिसका कारण विश्व अर्थव्यवस्था में आई मंदी और निजी क्षेत्र द्वारा प्रतिस्पर्धा है।...(*व्यवधान*) निम्न-लागत वाली एयरलाइन्स भी प्रचालन कर रहे हैं। इसलिए, हमें इस माहौल में प्रतिस्पर्धा करनी होगी।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य मंत्री महोदय सहमत नहीं हैं। कृपया बैठ जाएं।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: एयर इंडिया के पुनरुद्धार के लिए आपका वित्तीय पैकेज क्या है? यह केवल पारिश्रमिक का भुगतान भर तो नहीं है। कितना पैसा दिया गया है?...(*व्यवधान*)

श्री वी. नारायणसामी: आप में मेरी बात सुनने के लिए धैर्य नहीं है। क्या किया जाए? मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं।

सरकार द्वारा प्रस्तावित उपाय निम्नलिखित हैं: मार्गों का युक्तिकरण, अक्सर घाटे में चलने वाले मार्गों पर घाटे को कम करना। हम यही करने जा रहे हैं। फिर, अब विमान चालन की समय-सारणी को संशोधित करने वाले तथा पट्टे पर लिए गए

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विमानों की वापसी की समय-सारणी को पुन: तय करने का प्रस्ताव करते हैं। हम इन्हें जारी रखने की बात नहीं सोच रहे हैं। पुन:, हम कर्मचारियों को विश्वास में लेकर उनके साथ वार्ता तथा समझौता करके श्रमशक्ति के पूर्ण युक्तिकरण का प्रस्ताव करते हैं। उठाए गए कदमों में से यह एक है। पुन:, हम अनुबंध पर की जाने की नियुक्तियों की संख्या में कमी लाने का प्रस्ताव करते हैं। हम इसका भी अनुसरण करने जा रहे हैं। हम वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के प्रतिनिधियों और संघ प्रतिनिधियों वाली टर्न-अराउंड समिति के गठन तथा सभी तकनीकी/प्रचालन संबंधी मामलों पर किए गए सभी समझौतों की समीक्षा करने का प्रस्ताव करते हैं। इसके संघों की भी भागीदारी होगी। पुन:, हम ऑफ लाइन कार्यालयों को बंद करने तथा अन्य देशों में स्थित कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या में कटौती के साथ-साथ लागत में कमी करने का प्रस्ताव करते हैं। फिर, सभी प्रचालनों को व्यवस्थित करने तथा यात्री बाजार की स्थिति को दर्शाने वाले तकनीकी समझौते किए जाएंगे।...(*व्यवधान*) कृपया मुझे उत्तर देने दीजिए।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मंत्री जी को बोलने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: केवल मंत्री जी का रिप्लाई रिकार्ड में जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया मंत्री जी को बोलने दीजिए।

...(*व्यवधान*)*

सभापति महोदय: मंत्री जी के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)

श्री वी. नारायणसामी: महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने दो समितियां गठित की हैं। एक मंत्री समूह है...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: मंत्री जी अपनी बात समाप्त नहीं कर रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुरुदास दासगुप्तः क्या आप एयर इंडिया के मौजूदा प्रबंधन में बदलाव करके एक नया प्रबंधन लाएंगे?...(*व्यवधान*) इस प्रबंधन को हटा देना चाहिए। एक नया प्रबंधन लाया जाना चाहिए।..(*व्यवधान*)

सभापति महोदयः माननीय मंत्री जी, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

...(*व्यवधान*)

श्री वी. नारायणसामीः महोदय, एयर इंडिया प्रतिमाह 1100 करोड़ रुपए अर्जित करती है और यह प्रतिमाह 1700 करोड़ रुपए व्यय करती है। इसलिए 600 करोड़ रुपए का घाटा है...(*व्यवधान*)। मैं यही बात कह रहा हूं। आपके पास मेरी बात सुनने का धैर्य नहीं है। कृपया मेरी बात सुनें...(*व्यवधान*) आप सभी चाहते हैं कि सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाये...(*व्यवधान*) महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य चाहते हैं कि मेरे द्वारा सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाये।..(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

सभापति महोदयः मंत्री जी, चेयर को एड्रेस करिए।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामीः महोदय, एयर इंडिया को पुनर्जीवित करने की दो योजनाएं हैं। एक टर्न अराउण्ड योजना है और दूसरी वित्तीय पुनर्गठन योजना है...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

सभापति महोदयः मंत्री जी का जवाब तो सुन लीजिए। आप बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामीः महोदय, एक मंत्री समूह का गठन माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में किया गया है और यह सभी मामलों की जांच कर रहा है। एक टर्न अराउण्ड योजना एस.बी.आर. कैप और एक स्वतंत्र एजेंसी के साथ तैयार किया गया है...(*व्यवधान*)

सभापति महोदयः केवल मंत्री जी का उत्तर कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वी. नारायणसामीः एयर इंडिया के वित्तीय पुनर्गठन और टर्न अराउण्ड के लिये भी एक योजना तैयार की गई है क्योंकि 22000 करोड़ रुपए की धनराशि विमानों की खरीद हेतु एयर इंडिया द्वारा उधार ली गई है और 22,165 करोड़ रुपए कुल समेकित घाटा हुआ है क्योंकि उन्होंने विभिन्न बैंकों से ऋण लिया है और इसे वापस भुगतान करता है। इसलिए एयर इंडिया के पुनर्गठन, पुनरुद्धार और अनिवार्य वित्तीय सहायता हेतु मंत्री समूह सभी मामलों की जांच कर रहा है...(*व्यवधान*)

सभापति महोदयः माननीय मंत्री जी कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

श्री वी. नारायणसामीः महोदय, यदि सरकार यह पाती है कि कोई अधिकारी घाटे के लिए जिम्मेवार है तो सरकार निश्चित रूप से इसकी जांच करेगी। इस पर हम खुले दिमाग से विचार करेंगे।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदयः मंत्री जी के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*) *

श्री वी. नारायणसामीः महोदय, सरकार सभी मामलों पर विचार कर रही है और जल्द ही टर्न अराउण्ड योजना और वित्तीय पुनर्गठन योजना भी सामने आएगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह दी जाएगी। सरकार की नीति एयर इंडिया को सुदृढ़ करना है जोकि हमारा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है...(*व्यवधान*)

डॉ. मुरली मनोहर जोशीः सभापति महोदय, हम मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए, हम वाकआउट कर रहे हैं।

अपराह्न 1.22 बजे

इस समय डा. मुरली मनोहर जोशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री गुरुदास दासगुप्तः सभापति महोदय, मंत्री जी का उत्तर संतोषजनक नहीं है। इसलिए हम वाकआउट कर रहे हैं।

अपराह्न 01.23 बजे

इस समय श्री गुरुदास दासगुप्त और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 01.23¼ बजे

तत्पश्चात् इस समय श्री चन्द्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

अपराह्न 01.23½ बजे

तत्पश्चात इस समय श्री लालू प्रसाद और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

अपराह्न 01.23¾ बजे

तत्पश्चात् इस समय श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...(*व्यवधान*)

श्री वी. नारायणसामी: महोदय, जहां तक एयर इंडिया का संबंध है तो सरकार से जिस भी तरह की सहायता की आवश्यकता होगी सरकार द्वारा वह दी जाएगी। इसलिए, एयर इंडिया को वर्तमान स्थिति से बाहर आने के लिए मंत्री समूह इन सभी मुद्दों पर विचार कर रहा है और समूह अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[मंत्रालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल.टी. 4822/15/11]

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, आज हम भोजनावकाश नहीं करेंगे और हम 'शून्यकाल' के कुछ मामलों पर चर्चा करेंगे और इसके पश्चात हम विधायी कार्य करेंगे। अब हम 'शून्यकाल' शुरू करेंगे। डा. एम. तम्बिदुरई।

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर): सभापति महोदय, मैं श्रीलंका से संबंधित मुद्दा उठाना चाहूंगा। हाल ही में श्रीलंका के रक्षा सचिव श्री गोटाबाया राजपक्षे ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित संकल्प की आलोचना की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने केवल राजनीतिक लाभ से संकल्प पारित कराया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने तथ्यों को जाने बिना टिप्पणियां की।

महोदय, हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पैनल ने हाल में एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि श्रीलंकाई सेवा द्वारा लिट्टे के विरुद्ध लड़ाई के दौरान श्रीलंका में लगभग 40,000 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की गई। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक शर्तों का उल्लंघन किया है और उन्होंने युद्ध अपराध किए हैं। हमारे विदेश मंत्री ने भी अपने बयान में कहा कि श्रीलंका में तीन लाख व्यक्ति भी प्रभावित हुए हैं और वे अपने घरों से दूर रह रहे हैं। इसीलिए, भारत सरकार ने इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कदम बढ़ाया है तथा सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है।

तथ्यों के आधार पर, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता महोदया ने युद्ध अपराध करने वालों की निंदा करते हुए तमिलनाडु विधान सभा में संकल्प पारित किया और यह सुनिश्चित करने की भी मांग की कि इन सभी व्यक्तियों का शीघ्र पुनर्वास किया जाए।

श्री राजपक्षे ने कहा- हम कहेंगे कि इस सरकार ने यह केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया। यह सराहनीय है। इस संदर्भ में, मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने यह सभी तथ्यों पर जानकारी प्राप्त करके किया और वह भी पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। उन्होंने यह किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया। वह प्रचंड बहुमत के साथ तीन बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसलिए, श्रीलंका के रक्षा सचिव द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए की कही गई बात की उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य दिया कि*

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदय, इस विषय पर चर्चा होने जा रही है, माननीय सदस्य उस समय इस मुद्दे को उठा सकते हैं...(*व्यवधान*) महोदय, यह मामला हमारे पड़ोसी देश से जुड़ा है और उसे इस तरह से नहीं उठाया जा सकता...(*व्यवधान*)

डॉ. एम. तम्बिदुरई: कृपया मुझे पूरा करने दीजिए। अत:, इस समस्या का समाधान करने की बजाय श्रीलंका के रक्षा सचिव ने संकल्प और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की आलोचना की है। यह आपत्तिजनक, अनुचित और... *

महोदय, कल भी यह मामला तमिलनाडु विधान सभा में उठाया गया था और पूरी सभा ने इसकी पुष्टि की थी तथा इस संकल्प का समर्थन किया था। तमिलनाडु विधान सभा ने केंद्र सरकार से समुचित कार्रवाई करने का और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि श्रीलंका के तमिलों की समस्या का समाधान हो। इसीलिए, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह आवश्यक कार्रवाई करे और श्रीलंका के उच्चायुक्त को तमिलनाडु विधान सभा के संकल्प की भावना से अवगत कराए। मैं इसी बात पर बल देना चाहता हूं और इसलिए, मैं पुन: ...* श्रीलंका के रक्षा सचिव द्वारा की गई आलोचना।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कुछ ऑब्जेक्शनेबल होगा तो डिलीट हो जाएगा।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 1.27 बजे

[**डॉ. एम. तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने यहां बुलाया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पिछले पांच सालों से सूखा पड़ा हुआ है। यह भयंकर सूखा है। पहले हम लोग सुनते थे कि विदर्भ, आन्ध्रप्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में किसान आत्म हत्या कर रहे हैं। मैं सदन में यह बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में लगभग पांच साल में साढ़े पांच सौ से ज्यादा किसानों ने भुखमरी और कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली है। पिछले अगर तीन-चार साल में अगर देखा जाए तो लगभग 1800 किसानों ने बुंदेलखंड में आत्महत्या की है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद, उसको अनदेखी करते हुए, भारत सरकार ने जो साढ़े सात हजार करोड़ का पैकेज देने की घोषणा की थी। वह अभी तक दी नहीं है। इसके कारण किसान आज भी बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं और गांव छोड़कर दूसरे जगहों पर पलायन कर रहे हैं। वहां पशुओं के लिए चारा नहीं है। उनको भोजन नहीं मिल रहा है। किसानों को दवा के लिए इंतजाम नहीं हो रहा है। ऐसी विषम स्थिति में, मैं सदन के द्वारा, आप के द्वारा सरकार से यह मांग करूंगा कि सरकार इस सदन में घोषणा करें कि साढ़े सात हजार करोड़ रुपया तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को वहां के लिए दिया जाएगा। वहां के किसानों को राहत पहुंचाने का काम करें जिससे इस विषम स्थिति से निपटा जा सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री रेवती रमणसिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को सम्बद्ध करते हैं।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान उत्तराखण्ड में केन्द्रीय कृषि विद्यालय स्थापना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखण्ड राज्य की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या मुख्यत: कृषि पर ही निर्भर है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों, पर्वतीय व वन्य क्षेत्र बहुल होने के कारण वहां आय का मुख्य साधन कृषि ही है। जिस प्रकार अन्य राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा वहां की जनता को कृषि के आधुनिक एवं व्यावसायिक तरीकों की जानकारी दी जाती है। उसी प्रकार उत्तराखण्ड में भी कृषि के आधुनिक तरीकों की जानकारी के लिए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की नितांत आवश्यकता है। कम तापमान व पर्वतीय राज्य होने के कारण वहां विभिन्न प्रकार के पारंपरिक पर्वतीय खाद्य पदार्थ जैसे मंडुवा, क्वादा व झंगुरा आदि के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही उनकी उत्पादकता का विकास भी होगा जिससे वहां के निवासियों की आय में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा।

महोदय, राज्य में कृषि विश्वविद्यालय के लिए पौड़ी जिले का भरसार क्षेत्र उपयुक्त है। वहां वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कॉलेज ऑफ हार्टीकल्चर 175 हैक्टेयर भूमि में है। यदि उसे केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में उच्चीकृत कर दिया जाए तो पर्वतीय क्षेत्र के किसानों को विशेष लाभ प्राप्त होगा।

अत: मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तराखंड राज्य में कृषि के प्रोत्साहन व विकास के लिए पौड़ी जिले के अंतर्गत भरसार क्षेत्र में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कॉलेज ऑफ हार्टीकल्चर को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में उच्चीकृत करने के लिए समुचित कार्यवाही करे।

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्रीय लोक सेवा आयोग ने 1978 के बाद केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं का एकमात्र माध्यम अंग्रेजी न रखकर सभी प्रत्याशियों को भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की थी। इसमें विभिन्न प्रदेशों के गरीब तथा पिछड़े वर्गों के प्रत्याशियों ने लाभ उठाया था और उनका चयन भी संभव हो सका था।

अब आयोग ने वर्ष 2011 की परीक्षाओं के लिए चालीस अंक का अंग्रेजी पर्चा अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय को लेकर भारत की विभिन्न भाषाओं के उन युवाओं को वंचित किया जा रहा है जो ग्रामीण परिवेश में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और अंग्रेजी का अभ्यास न होने के कारण अंग्रेजी माध्यम से आए हुए प्रतिभागियों की स्पर्धा में मुकाबला नहीं कर सकते। भारत गांवों का देश है। यहां हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाएं ही बोली जाती हैं। उनके बीच काम करने वालों को इन भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। लोक सेवा आयोग के इस निर्णय से हिन्दी जगत में काफी विरोध है। इसे देखते हुए आयोग ने निर्णय लिया है कि प्रतियोगी अपनी भाषा में साक्षात्कार दे सकते हैं। तब अंग्रेजी पर्चे की अनिवार्यता क्यों?

महोदय, राजभाषा हिन्दी के अग्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के राजभाषा अधिनियम, 1963 की तथा संविधान की भावना के विपरीत अंग्रेजी के पक्ष में निर्णय लेने की क्या बाध्यता थी।

अंग्रेजी के साम्राज्यवाद को देश में बनाए रखने के लिए अंग्रेजी थोपकर भारतीय भाषाओं के बीच कटुता फैलाने और देश को विखंडित करने के लिए लम्बे समय से षडयंत्र चल रहा है। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रत्याशियों को उस जनता के लिए काम करना होता है जिसका बहुमत अंग्रेजी नहीं समझता। मेरे पास बड़ी संख्या में पी.एस.सी. में बैठने वाले छात्र आए थे।...(*व्यवधान*) इस वजह से मैंने इस मामले को यहां उठाया है। आशा है सरकार इस पर ध्यान देगी।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री अर्जुनराम मेघवाल और श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): सभापति महोदय, देश में नक्सल प्रभावित जिलों में 178 सैनिकों की मौत के बाद भारत सरकार ने यह तय किया था कि बहुउद्देशीय विकास परियोजना जिलों के कलैक्टर के माध्यम से नक्सल प्रभावित जिलों में चलाई जाएं। भारत सरकार के प्रस्ताव पर प्लानिंग कमीशन ने 1500 करोड़ रुपये, जिसमें हर जिले को 55 करोड़ रुपये आवंटित किए। इस पैसे पर कलैक्टर का सीधा नियंत्रण था जो कुछ निर्धारित कामों जैसे स्कूल बिल्डिंग, आंगनवाड़ी भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि पर खर्च होने थे। लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में यह पैसा मुख्य मंत्री के कार्यक्रमों को आयोजित करने एवं ग्राम ओलम्पियाड आदि करा कर अपनी पार्टी भर का प्रचार किया।...(*व्यवधान*) आप सुनिए, यह बहुत गंभीर आरोप है। उदाहरण के लिए डिंडोरी नक्सल प्रभावित जिले में साढ़े सात लाख रुपये आंगनवाड़ी भवन के लिए दिए जो दो वर्ष में तैयार नहीं हो सका। पी.डब्ल्यू.डी. के सी.एस.आर. रेट के हिसाब से 4 लाख रुपये में भवन बनना चाहिए था। यह पैसा तुरंत एवं निश्चित अवधि में खर्च करना था, जबकि तत्कालीन कलैक्टर अपना हिस्सा लेकर दूसरे जिले में पदस्थ हो गए। काम आज भी अधूरा है। केवल एक एन.जी.ओ. प्रधान को एक-चौथाई काम एलॉट कर दिया गया जो आज भी अधूरा है। प्रदेश के अन्य नक्सल प्रभावित जिलों में भी कमतर यही स्थिति है।

महोदय, आपके माध्यम से अनुरोध है कि भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप कर, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को आदिवासियों को नक्सली प्रभाव से उबारने में भेजी गई राशि के दुरूपयोग से रोक कर, गरीब आदिवासियों की बेहतरी में मदद करें।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

[हिन्दी]

श्रीमती भावना पाटील गवली (यवतमाल-वाशिम): सभापति महोदय, आज देश के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव होना आम बात हो गयी है। मैं विशेषकर अपने संसदीय क्षेत्र यवतमाल की बात यहां रखना चाहूंगी। वहां आदिवासी क्षेत्र में न तो ढंग के अस्पताल हैं और न ही प्रशिक्षित डाक्टर हैं, जिसके कारण आदिवासी परिवारों को अपना इलाज कराने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। यहां के अस्पताल बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अस्पताल की इमारतें भी खस्ताहाल में हैं। सरकार आदिवासियों के विकास हेतु ढिंढोरा पीटते हुए नजर आती है, किन्तु वास्तविकता कहीं परे है। आदिवासी परिवारों की आर्थिक हालत दयनीय होने से ये परिवार अच्छे चिकित्सकों के पास नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें सरकारी अस्पतालों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इन सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त अधिकारियों, डाक्टरों और एम्बुलेंसों की भारी कमी होने के कारण लोगों को उनकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यवतमाल के मेडिकल कालेज में बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार ने धनराशि आवंटित की थी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। मेडिकल कालेज के लिए और अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि वह इस विषय की जांच करे और यवतमाल आदिवासी इलाके में इन मेडिकल कालेजों और अस्पतालों की दशा को सुधारने के लिए दो सौ करोड़ रुपये की राशि प्रदान करे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मानसून की वर्तमान स्थिति कोई ज्यादा खुशी नहीं लायी है। जुलाई में वर्षा की कमी अभी पूरी नहीं हुई है और मौसम विभाग द्वारा अद्यतन अनुमान में यह बताया गया है कि मानसून के चार महीनों में से बाद में दो महीनों में मानसून स्थिति पहले के दो महीने की तुलना में कम वर्षा होने की संभावना है।

तिरूपति स्थित राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला के श्री एम. राजीवन ने कहा है कि विगत दो महीनों में बंगाल की

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बहुत हल्का बना था जिसके कारण मानसूनी हवाओं की तीव्रता अधिक नहीं रही।

इससे भी ज्यादा चिन्ताजनक बात यह है कि इस समय पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में वर्षा की मात्रा में 16 प्रतिशत की कमी आई है और शेष मौसम में इसमें बदलाव की संभावना कम है।

विगत वर्ष के दौरान उड़ीसा में सूखा और बेमौसम तथा असामयिक वर्षा के कारण फसलों का बड़ा नुकसान हुआ। परिणामतः 2010 के खरीफ मास, के दौरान दिया गया 1,000.42 करोड़ रुपये के फसल ऋण को मीडियम टर्म कन्वर्जन (एम.टी. सी.) लोन में बदला जा सकता है जिसे प्रभावित किसानों द्वारा 3-5 वर्षों की अवधि में भुगतान किया जा सकता है।

इस तथ्य को देखते हुए कि नाबार्ड 7.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर पुनर्वित्त ऋण मुहैया करा रहा है, इस परिवर्तित एम.टी. सी. ऋण पर 11.25 प्रतिशत की ब्याज दर देय होगी।

चूंकि यह ऋण मूलतः फसल ऋण है इससे हमारे किसान वास्तव में बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं जिनके भुगतान के लिए समय का पुनर्निधारण किया गया है। इतना अधिक ब्याज दर उन किसानों के हित में नहीं है जिनकी फसलें मारी गई हैं। इन प्रभावित किसानों को ब्याज में छूट का लाभ फसल ऋण के मामले में अनुमत्त लाभ के बराबर दिया जाना चाहिए।

फसल ऋण की तुलना में मीडियम टर्म कन्वर्जन लोन पर अधिक ब्याज दर जो मूल रूप से आपदा पीड़ित किसानों को दिया गया, उन्हें और संकट में डाल देगा।

इस नीति की भारत सरकार के स्तर पर जांच किए जाने की आवश्यकता है और मीडियम टर्म कन्वर्जन लोन को ब्याज प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। ताकि ब्याज दर को फसल ऋण के ब्याज दर के बराबर रखा जा सके।

मैं सरकार से उन तथ्यों के बारे में सचेत होने का अनुरोध करता हूं जिसका हमारे किसान सामना कर रहे हैं। यदि मानसून असफल हो जाता है तो और गंभीर संकट उत्पन्न हो जायेगा और उड़ीसा में 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षेत्र पहले से ही सूखा जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं।

इसलिए, मैं प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए एक विशेष पैकेज देने और मध्यावधिक ऋण से संबंधित नीति की समीक्षा भी करने तथा ब्याज दर को फसल ऋण के समान रखने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का विस्तार करने का सरकार से अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सदन में अपने संसदीय क्षेत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना रखना चाहती हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र बेतूल है, जिसमें बेतूल, हर्दा और खंडवा जिले का कुछ हिस्सा, एक विधान सभा उसमें आती है। इस खंडवा जिले के हरसूर छनेरा से लगा हुआ खालवा ब्लाक पूरी तरह से आदिवासी है यानी वहां सौ प्रतिशत आदिवासी निवास करते हैं। वहां से लगा हुआ एक आशापुर गांव है, जहां पर पिछले दिनों, 17 जुलाई, 2011 को अग्नि नदी में बाढ़ आने से वहां के लगभग दो हजार लोग जिनमें 40 बच्चे, महिलाएं और पुरुष, जिनमें कई वृद्ध लोग भी थे, गंभीर रूप से हताहत हुए और वहां उससे लगी हुई किसानों की भूमि भी पूरी तरह से बंजर हो गयी है। निश्चित रूप से वहां के लोगों की जो मांग थी, वह राज्य सरकार ने पूरी की, लेकिन बाढ़ पीड़ित लोगों की वहां एक मांग यह भी उठी कि हमारी जो मांगें हैं, आप वहां जाकर उनसे केन्द्र सरकार को, भारत सरकार को अवगत कराएं। हमारे जितने धन-जन की हानि हुई है, वह केन्द्र सरकार हमें किसी न किसी रूप में, जिस रूप में भी दे, हमें मिले। इस चीज का उन्होंने हमसे बहुत दिल से आश्वासन लिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि उन किसानों की लगभग 400 हेक्टेअर जमीन जो बाढ़ से पूरी तरह से बंजर हो गयी है और वहां लगभग जितने लोग थे, लगभग 2000 गरीब लोगों के मकान पूरी तरह से जर्जर होकर गिर चुके हैं। वे लोग खुले में पंडाल डालकर रहे थे, जिस समय मैं वहां गयी थी, मैंने देखा उनको जिस अवस्था में देखा, उनको यही आश्वासन दिया कि मैं यहां की स्थिति को केन्द्र सरकार के सामने रखूंगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार उन बाढ़ पीड़ितों को राहत देकर इस स्थिति से निजात दिलाए।

श्री अनंत कुमार हेगड़े (उत्तर कन्नड़): महोदय, यू.पी.ए. सरकार रिटेल मार्केट में एफ.डी.आई. एलाऊ करने जा रही है। यह बहुत बड़ा विषय है। इसके बारे में कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज बनाकर, जैसी रिपोर्ट चाहिए हो, उस ढंग से रिपोर्ट मंगवाई भी गयी है। मुझे लगता है कि सरकार विदेशी पूंजी को भारत में लाने के लिए, खास करके खुदरा बाजार में, लगभग तय ही कर चुकी है। वह इतनी जल्दबाजी में इसे कर रही है। मुझे यह लगता है कि सरकार चाहे जो करे, वह अपने कृत्य के बारे में बहुत सुन्दर रूप से प्रस्तावना सदन के सामने और लोगों के सामने रखेगी कि अगर विदेशी पूंजी खुदरा बाजार में आती है, तो इतना लाभ होगा, यह लाभ होगा आदि। लेकिन उसकी जो असलियत है, उसके प्रतिकूल परिणाम क्या होंगे, उनके बारे में भी क्या सरकार ने नजर डाला है, मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए। यह करोड़ों लोगों का, करोड़ों किसानों, खासकर छोटे किसानों और छोटे दुकानदारों का

सवाल है। इस देश में फूड-चेन को अगर विदेशी कंपनियों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, तो आने वाले दिनों में इस देश को शायद भगवान ही बचा सकेगा। इस विषय को सरकार बहुत गंभीरता से ले। केवल शून्य काल में यह विषय उठाया गया है, इसी के साथ इसे समाप्त हुआ समझ लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस विषय के बारे में सदन में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए कि इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी के आने से क्या विपरीत परिणाम होने वाले हैं।... (*व्यवधान*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एफ.डी.आई. खुदरा मार्केट को खत्म कर रही है।...(*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार हेगड़े: महोदय, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में सदन में पूरी चर्चा हो। वैसे इसके बारे में नियम 184 एवं नियम 193 के तहत भी मैंने नोटिस दे दिया है। इसके बारे में पूरी चर्चा हो।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: ठीक बात है। इसके बारे में पूरी चर्चा हो, हम आपका सपोर्ट करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: डा. तरुण मंडल, श्री अनंत कुमार हेगड़े द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को सम्बद्ध कर रहे हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, एक बहुत मशहूर फिल्म गीत है: 'पाती हो तो हर कोई बांचे, भाग न बांचे कोय, करमवा बैरी हो गइल हमार।' इसी तरह गुजराल की एक मशहूर गजल, जो दो भाई गाते हैं: 'चिट्ठी आई है, आई है वतन से चिट्ठी आई है।'

रंग-बिरंगा पत्राचार, गरीबों के लिए पत्र का सहारा है। गांव की महिलाएं लिखती हैं - प्रिय प्राणनाथ, सादर प्रणाम। सभी पत्रों के मार्फत यह होता है। वर्षों से चालू हैं डाक प्रमाण पत्र व्यवस्था अर्थात अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग या अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट।

पहले पांच पैसे में टिकट लगाकर या मोहर लगाकर जब कोई चिट्ठी डालता था तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, उसे बढ़ाकर बाद में 50 पैसे कर दिया गया, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट सेवा जो थी कि कोई व्यक्ति चिट्ठी डाले तो उसे सर्टिफिकेट मिलता था, एक जिम्मेदारी रहती थी डाक विभाग की कि वह पत्र जहां जाना है, वहां जाएगा। उसकी जगह अब रजिस्टरी के लिए 22-25 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। गरीब आदमी के लिए इतना पैसा देना सम्भव नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पुरानी व्यवस्था को कायम रखने में उसका क्या खर्च होता था, केवल एक मोहर ही लगानी होती थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। इस बात की जानकारी सभी माननीय सदस्यों को है। सरकार बताए कि क्यों गरीबों के खिलाफ ऐसा निर्णय किया गया है। आम आदमी जब चिट्ठी डालता था तो उसे सर्टिफिकेट मिलता था, उसे बंद करके रजिस्टर्ड लैटर की शुरुआत की गई है। इस तरह की रजिस्टरी कराने में 25 रुपए से 28 रुपए लगते हैं। इतना घोर अन्याय गरीबों के साथ क्यों किया जा रहा है, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं और इसे खत्म करने के पीछे क्या लॉजिक है? इसे खत्म करने से सरकार को कितनी बचत होगी और कायम रखने पर सरकार को कितना खर्च करना पड़ता, यह भी सरकार बताए? इस तरह के निर्णयों से पता चलता है कि सरकार गरीब विरोधी निर्णय लेती है और सदन को जानकारी भी नहीं देती है। यू.पी.सी. की व्यवस्था जो बरसों से गरीबों के लिए चल रही थी, उसे पुनः लागू करना चाहिए, नहीं तो सरकार को सदन को बताना चाहिए कि इसे बंद करने के पीछे क्या लॉजिक है? इसलिए इस व्यवस्था को खत्म करने का गरीब विरोधी निर्णय जो उसने लिया है, सरकार इसे स्पष्ट करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री धनंजय सिंह को डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): सभापति महोदय, मैं एक अत्यंत लोक महत्व का प्रश्न शून्य काल में उठाना चाहता हूं। भारत में विकलांगों की समस्या की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विकलांगों के प्रति हमारे समाज के प्रति परम्परागत व्यवहार दया का रहा है। उन्हें परोपकार का पात्र माना जाता है। जिस कारण विकलांगों के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचती है और उनका सारा जीवन कठिनमय हो जाता है। विकलांगों की भी सामान्य इच्छाएं होती हैं, जैसे स्कूल जाना, विवाह रचना और मनोरंजन करना। लेकिन अधिकांश विकलांग इन सामान्य बातों से वंचित रह जाते हैं। विकलांगों के जीवन को सहज बनाने के लिए सरकार और परिवार की मदद से सहायक उपकरण और सर्जरी एक सामान्य तरीका है। लेकिन गांवों में रहने वाले लोग इतनी राशि खर्च नहीं कर सकते। केन्द्र और राज्य सरकारों की अनुदान और मदद से कुछ फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश में लगभग सात करोड़ विकलांग हैं। उनमें से मात्र दो प्रतिशत ही शिक्षित हैं। इनके बेरोजगारी के आंकड़े और भी चिंतनीय

हैं। इसलिए इस गम्भीर समस्या पर सरकार को उचित कदम जल्द से जल्द उठाने की आवश्यकता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि विकलांगों को सहायक उपकरण और सर्जरी के लिए 100 प्रतिशत मदद का प्रावधान करना चाहिए, ताकि वे सामान्य और सहज जीवन व्यतीत कर सकें।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्रीमती बोचा, झांसी लक्ष्मी को श्री दत्ता मेघे द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[अनुवाद]

अपराह्न 1.49 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

देश में कैंसर रोगियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, गुलाम नबी आजाद, मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं उनका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में कैंसर पेशंट्स की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। कैंसर के इलाज में काफी खर्च होता है, क्योंकि इसका इलाज काफी महंगा है। आम आदमी कैंसर का इलाज नहीं करा पाता, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है। अगर किसी घर में कोई कैंसर पेशंट होता है तो पूरा परिवार कर्ज से डूब जाता है और सालों-साल तक कर्ज चुकाने के लायक नहीं रहता।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप कोई ऐसा सेंटर बनाएं जहां कैंसर पेशेंट्स का फ्री में इलाज हो सके और वह सरकार की तरफ से हो, क्योंकि गरीब लाखों रुपए खर्च करके कैंसर का इलाज नहीं करा सकते और वे अपने मरीज को मरता हुआ देखते रहते हैं।

मेरा इस सम्बन्ध में दूसरा सुझाव यह है कि एम.पी. लैड से एक राशि 25 लाख रुपए या 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दी जाए, जिससे सांसद किसी कैंसर पीड़ित का एम्स में, टाटा मेमोरियल अस्पताल में या राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में सीधे इलाज करा सकें और वह राशि सीधे एम.पी. लैड फंड से इन अस्पतालों में चली जाए।

वह सीधा जाए जिससे उन लोगों की दुर्दशा न हो। जिस तरह से वे रोते हैं, जिस तरह से उन परिवारों का बुरा हाल होता है, वह हमसे देखा नहीं जाता है। माननीय गुलाम नबी आजाद जी बैठे हैं, अगर आप इस पर कुछ रोशनी डालें तो मेहरबानी होगी। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला, श्री धनंजय सिंह, डा. संजीव गणेश नाइक, श्री अर्जुनराम मेघवाल, श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी, श्री दारा सिंह चौहान को श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने को अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): सर, इसमें दो चीजें मैं बताना चाहता हूं। साथ ही सदन के द्वारा अपने देशवासियों को भी बताना चाहता हूं कि हमारे देश में कैंसर और डायबिटीज के मरीज बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर और डायबिटीज के मरीज हमारे देश में होंगे। इसके लिए सरकार ने इसी साल एक योजना बनाई है और 100 जिले हमने 21 राज्यों में चुन लिये हैं। इसके लिए एक पायलट प्रोजैक्ट शुरू किया गया है और 4-4, 5-5 जिले 21 राज्यों में लिए गये हैं। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर को केन्द्रीय सरकार से, अर्ली डिटेक्शन के लिए, डेढ़ करोड़ रुपया मशीनरी के लिए, पहले दे दिया गया है। तकनीशियन्स के लिए भी पैसा दे दिया गया है और एक डिस्ट्रिक्ट में 100 मरीजों के लिए 1 लाख रुपये के हिसाब से कीमोथ्रैपी के लिए भी हमने पैसा दिया है। इस तरह से 100 डिस्ट्रिक्ट्स में 10 हजार मरीजों के लिए, एक लाख रुपये के हिसाब से हम पैसा दे रहे हैं और अगले एक-दो साल में यह कार्यक्रम हम पूरे देश में शुरू करने वाले हैं।

बी.पी.एल. की जो स्कीम पूरे देश के लिए है वह अब सर्टिफिकेट से नहीं चलेगी, बल्कि कार्ड्स होल्डर्स पर लागू होगी। आप जानते हैं कि सर्टिफिकेट्स कैसे बनते हैं, इसलिए बी.पी.एल. कार्ड होल्डर्स के कैंसर के इलाज का पूरा पैसा स्वास्थ्य मंत्रालय देगा, चाहे पांच लाख रुपये लगें या सात लाख रुपये लगें, हम पूरा पैसा देंगे।...(*व्यवधान*) इससे अलग का कोई प्रयोजन नहीं है।

[हिन्दी]

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति महोदय जी, युवाओं की समस्याओं को आकर्षित करने के लिए आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका

आभारी हूं। युवा वर्ग समाज का वह वर्ग है जिससे समाज सर्वाधिक अपेक्षाएं पालता है। यही कारण है कि यह वर्ग स्वयं के ऊपर सर्वाधिक दबाव भी महसूस करता है। युवा शक्ति हर युग और हर समाज में सबसे उर्वर मानी जाती रही है। अगर हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो फिलहाल विश्व का सबसे युवा वर्ग वाला देश भारत है जहां 54 करोड़ युवा बसते हैं। फिर भी यूरोपीय देशों के विकास के आगे हमारा देश पीछे है। हमारा देश अभी भी अशिक्षा, गरीबी, पिछड़ेपन एवं सामाजिक अन्याय से पीड़ित है तथा राष्ट्र के प्रति असंतोष, अव्यवस्था, देश की दयनीय स्थिति को प्रकट कर रही है। ऐसी विषम परिस्थितियों से जूझने की ताकत देश के युवा वर्ग में ही है। राष्ट्र के गौरव की सुरक्षा के लिए युवाओं ने ही हमेशा आगे कदम बढ़ाए हैं। चाहे संकट सीमा पर हो या सामाजिक और राजनैतिक समस्याओं के निवारण का प्रश्न हो, देश के युवाओं ने सर्वस्व न्यौछावर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश का युवा दिशाहीन होकर नि:सहाय होता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि देश की वैज्ञानिक युवा प्रतिभाओं को, देश के अंदर ही विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, जिससे प्रतिभाओं का पलायन रोका जा सके। इसके साथ ही देश के क्षमता-संपन्न युवाओं को सरकार उदारतापूर्वक आर्थिक, शैक्षणिक और राजनैतिक सहायता प्रदान करे। उन्हें विकास के अवसर उपलब्ध कराए और साथ ही युवाओं को उचित दिशा की ओर भी प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे हमारे राष्ट्र का निर्माण सफलतापूर्वक हो तथा हमारा देश पुन: गौरव को प्राप्त कर सके।

श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल): महोदय, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री चार धाम हैं, जहां लाखों तीर्थ यात्री हर वर्ष बड़ी संख्या में आते हैं। छह महीने के लिए मंदिर खुलते हैं। बार्डर रोड आर्गेनाइजेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी सारी सड़कों की देखभाल करता है, लेकिन इन सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि यात्री कई दिनों तक यहां फंस जाते हैं। यात्री केवल फंसते ही नहीं हैं, बल्कि उनके लिए पानी और भोजन तक की व्यवस्था करने की सुविधा नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बार्डर रोड आर्गेनाइजेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जितना भी अतिरिक्त धन चाहिए, इन्हें तुरंत दिया जाए। राज्य सरकार के सैक्टर की रोड है, उनका बुरा हाल है। यात्रियों के लिए पेयजल, स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए मोबाइल व्यवस्था करनी चाहिए। इस समय भी कई यात्री फंसे हुए हैं। हर वर्ष ऐसा होता है और सारे देश के लोग परेशान होते हैं। केंद्र सरकार टूरिज्म डिपार्टमेंट बार्डर रोड आर्गेनाइजेशन और नेशनल हाईवे आथोरिटी को उत्तराखंड पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जहां लाखों लोग जाते हैं।

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो): सभापति महोदय, मैं विस्थापन से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखने जा रहा हूं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जितने भी सिंध प्रांत के सिंधी समाज के लोग और ढाका जो वर्तमान में बंगलादेश है, वहां से विस्थापित हो कर आए हुए बंगाली समाज के अधिकांश लोग मेरी लोकसभा क्षेत्र खुजराहो के अंतर्गत पन्ना और कटनी में आकर बसे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बने हुए इतने वर्ष हो चुके हैं, लेकिन पन्ना जिले में जो हमारा बंगाली समाज रह रहा है, न इनके जाति प्रमाण पत्र बन पाए और भारत सरकार के नियमानुसार जो भूमि उनको दी गई थी, आज तक न उनको पट्टे का मालिकाना हक मिल पाया है और न ही कोई काम हुआ है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार की जो भी आरक्षण की नीति है, सरकार जो विभिन्न योजनाएं बना रही है, ऐसी स्थिति में उन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं कटनी में माधवनगर में हमारे सिंधी समाज का बहुत बड़ा कैम्प था। उन्हें जो आवासीय भूमि के पट्टे दिए गए थे, आज उन्होंने मकान बना लिए हैं, लेकिन जब देखो आरक्षण की आड़ में सिंधी समाज के लोगों को मकान गिराने की धमकी दी जाती है और मकान गिराए जा रहे हैं। यह प्रश्न इसलिए उठाया है, क्योंकि आपके माध्यम से यह सदन ऐसे लोगों को जो विस्थापन के तौर पर हमारे देश में आए थे, उनकी स्थिति आज देश में बदतर हालत में है। हमें उनके बारे में विचार करना चाहिए और केंद्र सरकार को आम आदमी की बात करती है, ऐसी स्थिति में इन लोगों को भारत सरकार की तरफ से जो सुविधा दी गई है, उन्हें मिलनी चाहिए। मेरा आपसे यही आग्रह है।

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, मैं अपने को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर): महोदय, भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा आवास योजना है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए लाभकारी है और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलता है। मैं अपने क्षेत्र सुल्तानपुर के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी मानदंड इसके लिए बनाए गए हैं, हमारे यहां अक्सर उन मानदंडों को नजरअंदाज करके कार्यवाही होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनके पास अपने घर हैं और फिर भी उन्हें इंदिरा आवास मिल जाता है और जिनके पास कोई घर नहीं है, उन्हें इंदिरा आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग भी अगर लिखते हैं, तो न कोई उत्तर मिलता है और न कोई कारण बताया जाता है कि इंदिरा आवास मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे क्षेत्र में लगभग 80 से 90 किलोमीटर तक गोमती नदी बहती है और गोमती के किनारे भी हजारों परिवार ऐसे हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उन्हें भी कोई लाभ कई सालों से नहीं मिल रहा है। इस योजना में तीन

परसेंट विकलांगों को और पन्द्रह परसेंट अल्प संख्यकों को भी आवास मिलने का प्रावधान है, लेकिन पिछले पांच-दस सालों से इन विकलांगों को और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को इंदिरा आवास का कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

अपराह्न 1.59 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया केंद्र और राज्य के डिस्प्यूट की कोई बात न करके कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि इन योजनाओं का लाभ सीधे लोगों को मिल सके और किसी डिस्प्यूट से हटकर इस लाभकारी योजना का अच्छी तरह से लाभ मिल सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो विकलांग और अल्पसंख्यक वर्ग के लाखों और करोड़ों परिवार इस प्रदेश में हैं, उन सब के बारे में इस कोटे का अच्छी तरह से पालन हो रहा है, इसे सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री धनंजय सिंह और श्री दारा सिंह चौहान अपने को डॉ. संजय सिंह द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करते हैं।

अपराह्न 2.00 बजे

[अनुवाद]

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं जो सभी संसदीय दलों से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं संसद के कर्मचारियों हेतु वेतनमानों और भत्तों की समीक्षा सिफारिश करने के लिए एक संसदीय वेतन समिति गठित की गई है इसकी अध्यक्षता प्राक्कलन समिति के सभापति कर रहे हैं।

महोदय, मैं संसदीय दलों के संसद भवन में स्थित कार्यालयों हेतु कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए आपकी भागीदारी चाहता हूं। संसदीय दलों को संसद द्वारा कार्यालय संबंधी बुनियादी ढांचा और संभार तंत्र उपलब्ध कराया गया है। दुर्भाग्यवश उनके लिए कर्मचारी घटक का प्रावधान नहीं है।

आप इसकी सराहना करेंगे कि संसदीय दलों को संसदीय विधिक कार्य में विशेषज्ञता वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। वास्तव में किसी संसदीय दल का कार्यालय बहुत हद तक विधायी कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है और अपने दल के माननीय सदस्यगण को सहायता प्रदान करनी है। इन दिनों विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का भुगतान केवल सदस्यों द्वारा किया जाता है और उनको मिल रहा पारिश्रमिक बहुत कम है। इसलिए संसद को कर्मचारियों के प्रावधान तथा उनके वेतनमानों और भत्तों पर ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. भोला सिंह (नवादा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्न चर्चा उठा रहा हूं। बिहार सरकार ने नवादा जिले के अन्तर्गत गोविन्दपुर प्रखंड में बक्सौती सिंचाई डैम परियोजना की स्वीकृति प्रदान की है जिसकी लागत 600 करोड़ रुपये से अधिक है। नवादा क्रोनिक सुखाड़ का जिला रहा है। प्रकृति ने इसे अभिशप्त करके रखा है। पहाड़ी एवं पथरीली जमीन होने के कारण बरसात के पानी को जमा कर नदियों में डैम बनाकर सिंचाई के लिए उसका उपयोग एकमात्र साधन है। राज्य सरकार ने गहन अध्ययन करने के बाद दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग की आबादी को दो जून की रोटी प्राप्त हो, उनकी क्रय शक्ति श्रम जीवन व्यतीत करने के लिए बढ़ाई जाए, इसके लिए चिर प्रतीक्षित डैम परियोजना आकार ग्रहण कर रही है। पिछले कई महीनों से केन्द्र सरकार के जल संसाधन विभाग से यह योजना मंजूरी के लिए पड़ी हुई है। केन्द्र सरकार जहां ऐसी परियोजना के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देती रही है, वहीं नवादा की बक्सौती डैम परियोजना उसकी स्वीकृति के लिए अधर में लटकी हुई है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बक्सौती डैम परियोजना की स्वीकृति देकर नवादा के जलते हुए आसमान और धरती को शांति प्रदान करें।

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मुझे शून्यकाल के तहत एक गंभीर विषय पर बोलने की अनुमति दी है। मैं इस विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना चाहूंगा कि हमारा देश आजाद होने के बाद भारत की भंडारण की लोक शासन व्यवस्था स्वीकृत हुई ताकि प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी विशेष प्रादेशिक समस्या का समाधान ठीक से हो सके और यह प्रथम बार भंडारण व्यवस्था डा. अम्बेडकर जी के प्रयासों से पूर्ण हुई। भारत सरकार ने इस लोक शासन व्यवस्था को पहली बार भेदभावपूर्ण तरीके से अपनाया। भारत सरकार को गुजरात की छह करोड़ जनता की चिंता करने वाली, गुजरात विकास के लिए सतत चिंतित गुजरात सरकार को हैरान और परेशान करने की आदत पड़ गई है। मैं यू.पी.ए. सरकार के अनेक किस्से आपके सामने रखता हूं।

हाल ही में 13 जुलाई को मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ जिसमें अनेक निर्दोष लोगों की जान गई। गुजरात मुंबई से सटा राज्य है। गुजरात विकासशील राज्य है और इस राज्य की पुलिस व्यवस्था आतंकी खतरे को लेकर काफी अलर्ट रहती है। केंद्र सरकार

बार-बार कह रही है कि गुजरात में आतंकी खतरे हैं। केंद्र सरकार के इस कन्सर्न से निपटने के लिए गुजरात सरकार ने तीन बार गुजरात के लिए कायदा बनाकर विधान सभा से पास कराकर केंद्र सरकार के पास भेजा लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। महाराष्ट्र सरकार के पास मकोका कायदा है क्योंकि वहां कांग्रेस सरकार है। मैं आपसे इन भेदभावों को दूर करने के लिए विनम्रपूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसे भेदभावपूर्ण तरीके से नहीं देखना चाहिए। यदि कोई राज्य विकास कर रहा है तो इसका मतलब है कि भारत विकास कर रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार गुजरात में भी मकोका कायदा की मंजूरी दे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं अपने आपको इस मामले के साथ संबद्ध करता हूं।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, यह संयोग की बात है कि आप चेयर पर हैं और आप जिस राज्य से आते हैं, मैं उसी के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। यदि किसी ने गरीबी, पिछड़ापन देखना हो तो उसे झारखंड आना चाहिए। झारखंड में 70 परसेंट से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हम कोयला उत्पादन करते हैं लेकिन कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। हमारे यहां बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल. है। ई.सी.एल. के लाभ का भाग भी हमारे यहां है लेकिन इसके बावजूद कोल इंडिया का हेडक्वार्टर वहां है। हम कॉपर उत्पादन करते हैं लेकिन उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। हम यूरेनियम उत्पादन करते हैं लेकिन उसका हेडक्वार्टर मुम्बई में है। यहां के पानी से दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनता है लेकिन इसका भी हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। मैसांजोर डैम दुमका में है, मैथन डैम धनबाद में है, पंचायत डैम है, हमारी जमीन है, हमारा पानी है लेकिन हमारे किसान इससे सिंचाई नहीं कर पाते हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि कोल इंडिया, ई.सी.एल., हिन्दुस्तान कापर, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटिड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का हैडक्वार्टर हमारे यहां होना चाहिए। हमारे लोग पैसे के अभाव में मरते हैं, लोग गरीब माने जाते हैं, हमें रायल्टी नहीं मिल रही है, टैक्स का भाग नहीं मिल रहा है, हम झारखंड में उत्पादन कर रहे हैं, वे हमारे पैसों से पल रहे हैं। इसलिए टाटा जैसी प्राइवेट कंपनी का हैडक्वार्टर हमारे यहां होना चाहिए। मेरा केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार मैसांजोर, मैथन और पंचायत के पानी का बंटवारा ठीक तरह से करे ताकि झारखंड के किसानों को इसका फायदा मिले।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, मैं अपने आपको इस मामले के साथ संबद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरुदासपुर): उपाध्यक्ष महोदय, कल अंग्रेजी दैनिक 'ट्रिब्यून' में एक चौंकानेवाली खबर प्रकाशित हुई है जो यह दावा करती है कि ऐसे अनेक पंजाबी युवकों को ट्रेवल एजेंटों द्वारा ठगा गया है जो अपने आपको प्लेसमेंट कंसलटेंट कहते हैं। इसके कारण ये निर्दोष युवक मुश्किल में हैं।

उन्हें इराक ले जाया गया है। रिपोर्ट यह दावा करता है कि ट्रेवल एजेंट युवकों को बगदाद में अमेरिकी सैन्य शिविरों में उन्हें नौकरी का आश्वासन देकर बहकाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि उन्हें प्रतिमाह 800 अमेरिकी डालर दिए जाएंगे। एक बार इराक में उन्हें लोभवश नजफ जैसे विभिन्न निर्माण स्थलों पर भेजा गया है जो बगदाद से लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर है।

ऐसे अधिकांश लड़कों को केवल 300 अमेरिकी डालर या इससे कम प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है। मुझे आश्चर्य है मंत्रालय के अधिकारी क्या कर रहे हैं। वे इतने सुस्त और उदासीन क्यों हैं जब ऐसे बेईमान एजेंट प्लेसमेंट कंसलटेंट के भेष में बड़ी संख्या में युवाओं को ठग रहे हैं।

आज पूरे विश्व में विभिन्न कारागारों में 15000 से अधिक पंजाबी युवक बंद हैं। हम सभी खाड़ी देशों में इन गरीब भारतीयों का भविष्य जानते हैं जहां इन्हें अमानवीय परिस्थितियों में कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि ऐसे मामलों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। इस अत्यधिक निंदनीय घटना का संज्ञान लेने के बाद मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्रालय ने इराक में इन पंजाबी युवकों की शीघ्र रक्षा करने के लिए क्या किया है? मैं माननीय विदेश मंत्री के साथ-साथ प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं वे इस अत्यधिक संवेदनशील मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें और उन्हें वहां भारतीय युवकों की रक्षा करने के लिए गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। चूंकि मामला बहुत गंभीर तथा संवेदनशील है, मैं विदेश मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे सभा पटल पर शीघ्रताशीघ्र एक वक्तव्य दें।

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का मौका दिया। यह सदन के सभी सदस्यों से संबंधित सांसद निधि से ताल्लुक रखता है। भारत सरकार के 2011-2012 के बजट के अंतर्गत सांसद को मिलने वाली सांसद निधि की धनराशि को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई थी। परंतु घोषणा के महीनों बीत जाने

के बाद भी सांसद को जारी होने वाली राशि की पहली किस्त पुरानी दर, पुराने हिसाब से मात्र एक करोड़ रुपये जारी हुई। जबकि बजट घोषणा के अनुसार कम से कम ढाई करोड़ रुपये की धनराशि जारी होनी चाहिए थी।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि घोषणा के अनुसार न केवल धनराशि कम जारी की गई, बल्कि इसके जारी करने में तीन माह से अधिक की देरी भी हुई, जो अत्यंत खेदजनक है।...(*व्यवधान*) जब बजट में इसकी घोषणा हो गई थी तो कैबिनेट में इसकी मंजूरी देना तो औपचारिकता थी। मेरे लोक सभा क्षेत्र बाराबंकी के लिए केन्द्र द्वारा जारी अमुक धनराशि से अधिक के कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं। लेकिन अगली किस्त अभी तक जारी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आया है...

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में बोलिये और जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री पन्ना लाल पुनिया: मेरे द्वारा स्वीकृत कार्यों को समय पर पूरा नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसमें अनावश्यक देरी की जाती है।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: जब एम.पी.लैड का विषय आयेगा, तब बोलिये।

श्री पन्ना लाल पुनिया: जिसके कारण जिलाधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी देर में प्राप्त होता है और उसके परिणामस्वरूप अगली किस्त देर से जारी होती है।

इसलिए मेरा अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जाएं कि पात्रता होते ही अगली किस्त तत्काल जारी कर दी जाए और कार्य को समय से पूरा करने के लिए कठोर मॉनिटरिंग की जाए, जिससे अनावश्यक देरी न हो। मैं सदन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बजट घोषणा के अनुसार सांसद निधि की धनराशि को तत्काल जारी किया जाए।...(*व्यवधान*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माहदेय, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, आप उनसे कहिये कि वह कुछ बोलें। मंत्री जी, आप कुछ तो बोलिये।...(*व्यवधान*) कुछ तो जवाब दीजिए। आप यहां बैठे हैं तो कुछ बोल दीजिए।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: हम मंत्री जी को बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पिछड़े और घनी आबादी वाले इलाके पूर्वांचल में हमारे संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय मऊ है। हमारे देश की आजादी की लड़ाई में इस जनपद का इतिहास रहा है। मधुबन कांड में यहां के लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। आज यह क्षेत्र अपने चतुर्दिक विकास के लिए परेशान है। आज वहां लगभग डेढ़ सौ किलोमीटर रेडियस में कोई पी.जी.आई. स्तर का अस्पताल नहीं है। कोई कृषि विश्वविद्यालय न होने के नाते, इंजीनियरिंग कालेज न होने के नाते वहां के छात्र प्रभावित होते हैं। वह पिछड़ा और बुनकर बहुल इलाका है। आज संयोग अच्छा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि पूर्वांचल क्षेत्र के मऊ मुख्यालय में एक पी.जी.आई. खोलने की कृपा करें।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और इंदौर मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र है। जो व्यक्ति वहां आता है, वह वहीं रहना पसन्द करता है। वहां केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी भी हजारों की संख्या में रहते हैं और केन्द्र सरकार के कई दफ्तर भी हैं। मैं कई सालों से सी.जी.एच.एस. की छोटी सी मांग कर रही हूं मगर हर बार बजट की कमी कह कर टाल दिया जाता है। वे सभी वृद्ध लोग इस संबंध में मुझे सतत् फोन करते रहते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि सी.जी.एच.एस. की एक छोटी सी डिस्पेन्सरी इन्दौर में उपलब्ध कराई जाए। अगर वह संभव नहीं है तो मैंने यह भी निवेदन किया था कि वहां के दो-तीन ऐसे हॉस्पीटल रिकग्नाइज किए जाएं, जहां पर वे लोग अपना इलाज करा सकें और उनको कुछ सुविधा उपलब्ध हो सके।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक मिनट का समय दिया है। झारखण्ड राज्य के अंतर्गत गिरिडीह जिला है। यह आप भी जानते हैं कि वहां झारखण्ड के प्रथम मुख्यमंत्री के पुत्र की उग्रवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। एक-साथ बीस लोगों की जघन्य हत्या की गई। आज पूरा गिरिडीह जिला उग्रवाद से पीड़ित हैं भारत सरकार के द्वारा उसको उग्रवाद प्रभावित जिलों में सम्मिलित नहीं किया गया है। यह कितने बड़े ताज्जुब की बात है। भारत सरकार की लाभ की जो योजना है जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें दो सौ की आबादी पर सड़क बननी है, वहां वह फण्ड नहीं जा रहा है। बी.आर.जी. एफ. का फण्ड भी नहीं जा रहा है। वहां का विकास अवरुद्ध हो गया है। आज से साल भर पहले हमने गृहमंत्री को भी पत्र लिखा था। उनका जवाब आया कि मामले को दिखवा रहा हूं। आपके माध्यम से हम यह आग्रह करना चाहते हैं कि गिरिडीह जिले को उग्रवाद प्रभावित जिला घोषित किया जाए और भारत सरकार की योजना का लाभ वहां मिले।

[अनुवाद]

शेख सैदुल हक (वर्धमान-दुर्गापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पश्चिम बंगाल विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र वर्धमान-दुर्गापुर के धान के किसानों की दयनीय स्थिति का उजागर करने के लिए खड़ा हुआ हूं। धान का मूल्य इतना गिर गया है कि छोटे और सीमांत किसान, निम्न/मध्यवर्गीय किसान अपने उत्पादों को औने-पौने दाम में बेच रहे हैं। हमारे राज्य में भारतीय खाद्य निगम चावल मिल मालिकों से चावल की खरीद करती है और भारतीय खाद्यान्न निगम किसानों से सीधे चावल नहीं खरीदती है तथा इसके परिणामस्वरूप किसानों को अपना धान चावल मिल मालिकों को बेचना पड़ता है।

परंतु चावल मिल इस दलील के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर किसानों से धान नहीं खरीद रहे हैं कि एफ. सी.आई. उनसे लेवी के रूप में निर्धारित दरों पर चावल नहीं खरीद रहा है। बल्कि, एफ.सी.आई. अन्य राज्यों से चावल खरीद रहा है जिसे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम और राशन के अतिरिक्त कोटे के लिए भी आवश्यक है। वास्तव में, एफ.सी.आई. लक्षित खरीद से काफी पीछे है। केंद्र सरकार ने एफ.सी.आई. के लिए सितंबर, 2011 तक राज्य के भीतर इस वर्ष 3 लाख मीट्रिक टन की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। परंतु जुलाई तक, एफ.सी.आई. ने मिलों से केवल 54 हजार मीट्रिक टन की खरीद की जिसके परिणामस्वरूप मिलें किसानों से धान नहीं खरीद रही हैं, जब वे खरीदते हैं तब मूल्य कम होते हैं जिसके कारण किसानों को कठिनाई हो रही है। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार के शासनकाल में स्व सहायता समूहों को सीधे किसानों से धान खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और सरकार तथा एफ.सी.आई. मध्याह्न भोजन कार्यक्रमों और बी.पी.एल. परिवारों को राशन की दुकानों से वितरण हेतु स्वयं सहायता समूहों से चावल खरीदेंगे। परंतु एफ.सी.आई. भी स्वयं सहायता समूहों से नहीं खरीद रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप स्वयं सहायता समूह किसानों से नहीं खरीद रहे हैं।

अत:, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह एफ.सी.आई. को निदेश दे ताकि वह किसानों को अपने उत्पादों को औने-पौने दामों पर बेचने से बचाने के लिए प्रत्यक्ष क्रय अभिकर्ताओं के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से सीधे खरीद सकें।

[हिंदी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप भी उनकी तरह अपनी बात लंबी मत कीजिएगा। अभी कुछ और माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, आपने मुझे 60 सेकेंड का समय दिया है, मैं 60 सेकेंड में ही अपनी बात पूरी करूंगा। भारत सरकार की एक योजना कलैमिटी रिलीफ फंड है, नेशनल कलैमिटी कंटीजेंसी फंड है। इसके तहत प्राकृतिक आपदा होने पर, बादल फटने पर, बाढ़ आने पर, भूकम्प आने पर, चक्रवात आने पर सहायता राशि दी जाती है। मैं जिस बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं, वहां कोई नदी नहीं है और औसत से अधिक बरसात होने पर जो लो-लाइन की बस्तियां हैं, जिन्हें हम कच्ची बस्ती कह सकते हैं, उनके मकान गिर जाने पर सी.आर.एफ. और एन.सी. सी.एफ. में उन्हें सहायता नहीं दी जाती है। जिला कलेक्टर कहते हैं कि यह इसमें सम्मिलित नहीं है क्योंकि बाढ़ नहीं आयी है।

महोदय, मेरे यहां नदी नहीं है तो बाढ़ कैसे आयेगी? औसत से अधिक वर्षा तो राजस्थान में वैसे भी नहीं होती है। जब औसत से अधिक बरसात हो जाती है और कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों के मकान गिर जाते हैं तो जिला कलेक्टर एक हजार या दो हजार रुपये की सहायता देते हैं। मैं यह कहता हूं कि उसे सी.आर.एफ. में कवर क्यों नहीं किया जाता, जहां पर मकान गिरने पर 35,000 रुपये की सहायता दी जाती है। मेरे राजस्थान में, जहां शीतलहर पड़ने पर भी सी.आर.एफ. में सहायता नहीं जाती, पाला पड़ने पर भी सी.आर.एफ. में सहायता नहीं जाती इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. के जो नॉर्म्स हैं, जो मापदंड हैं, उनमें संशोधन किया जाये और शीत लहर, पाला पड़ने पर और कच्ची बस्तियों के मकान गिरने पर भी उन्हें सहायता दी जाये। मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): मुझे इस महत्वपूर्ण लोकहित के मुद्दे को माननीय विदेश मंत्री के ध्यान में लाने का यह अवसर देने के लिये आपको धन्यवाद।

भारत सरकार ने 770 करोड़ रुपये स्वीकृत करके देशभर में 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र परियोजना कार्यालय खोलने के प्रावधान किए हैं। यह विदेश मंत्रालय की पासपोर्ट सेवा परियोजना द्वारा परिकल्पित सुचारु प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को समय पर, पारदर्शी, अधिक सुगम और विश्वसनीय तरीके से सुविधाजनक परिवेश में पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय-ई गवर्नेंस

योजना के अंतर्गत एक मिशन माध्यम कार्यक्रम है। तमिलनाडु में अब तक ऐसे चार केंद्र कार्यरत हैं। यह परियोजना वर्तमान में प्रायोगिक चरण में है। इस परियोजना के अनुसार, पासपोर्ट आवेदन विदेश मंत्रालय और टाटा कंसल्टेंसी सर्वेक्षण द्वारा संयुक्त रूप से सीधे ऑनलाइन पंजीकृत किया जा रहा है।

तमिलनाडु में चेन्नई के अतिरिक्त कोयंबटूर, मदुरै और त्रिची में तीन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय स्थित है। सलेम उन छह जिलों में से एक है जो कोयंबटूर पासपोर्ट कार्यालय के साथ संलग्न है। नमक्कल, धर्मापुरी और ईरोड नामक पड़ोसी जिले कम से कम 60 कि.मी. की दूरी पर हैं। सलेम जिले में पासपोर्ट हेतु आवेदनों के इस ऑनलाइन पंजीकरण की काफी क्षमता है। सलेम जिले से कोयंबटूर पासपोर्ट सेवा केंद्र तक लगभग 200 कि.मी. की दूरी है और प्रत्येक आवेदक को आवेदन करने हेतु 400 कि.मी. से अधिक आना जाना होता है।

सलेम और पड़ोसी जिलों के नागरिकों की सुविधा के लिए माननीय विदेश मंत्री कृपया सलेम में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का आदेश देने की कृपा करें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अति लोक महत्व के विषय पर अपनी बात कहना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना है, इसमें 75 प्रतिशत केन्द्र का अंश है और 25 प्रतिशत राज्य का अंश है। मानदेय के संबंध में उत्तर प्रदेश में कुल वित्तविहीन विद्यालयों की संख्या 12607 है। वित्तविहीन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का प्रतिशत 2011 में वर्तमान परीक्षा में 71 परसेंट है। कार्यरत कर्मचारी 1,30,700 से अधिक हैं। राजकीय विद्यालयों की संख्या 570 है और सहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या 5558 है। अध्ययनरत छात्रों का प्रतिशत इस विद्यालय में 29 प्रतिशत है। जिन राज्यों में योजना लागू नहीं है, उनमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर संपूर्ण जगह यह लागू है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तर्ज पर रिजल्ट आधारित अनुदान दिया जाए और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में वित्तविहीन विद्यालयों को सम्मिलित किया जाए। उदाहरणस्वरूप गुजरात और राजस्थान में वित्तविहीन विद्यालयों को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में शामिल किया गया है और बिहार सरकार ने वित्तविहीन विद्यालयों को रिजल्ट आधारित अनुदान दिया है। उसी के अनुसार इसको उत्तर प्रदेश में भी लागू करें।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया।

विभिन्न माननीय सांसदों के अनुरोध पर प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों के उपचार हेतु प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा अनुदान स्वीकृत होता है, जिसके कारण बहुत से रोगियों की जान भी बचती है। यह बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन बहुत बार अनुभव में आता है कि उस राशि के स्वीकृत होने में इतना समय लग जाता है कि रोगियों की मृत्यु भी हुई है। मैं दो उदाहरण रिकार्ड पर बता रहा हूं। एक प्रकरण मेरठ की निशा अग्रवाल का है। 30 अप्रैल 2010 को मैंने उसके लिए प्रधान मंत्री कार्यालय को लिखा, लेकिन 10 महीने उनकी सहायता आने में लग गए और उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी ही दूसरा प्रकरण 28 अप्रैल 2011 को मैंने लिखा। ढाई महीने बाद उनकी सहायता आई, वह छोटा बच्चा था लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। मेरा निवेदन यह है कि आज ई-गवर्नैन्स का समय है। बहुत तेजी से सारे संदेश आ जा सकते हैं। इसको अधिकतम 15 दिन, नहीं तो मैं चाहूंगा कि सप्ताह भर में उसके विषय में निर्णय हो। जो रोगी होता है, वह आल-इंडिया में पहुंच जाता है, सफदरजंग अस्पताल में पहुंच जाता है। वह गंभीर स्थिति में पहुंचता है। उसको तत्काल सहायता नहीं मिलती है तो उसके जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सरकार समय को कम करे, हफ्ते भर का करे, अधिक से अधिक 15 दिन का करे ताकि सहायता समय पर पहुंच जाए और रोगियों की जान बचाई जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री जनार्दन स्वामी एवं डा. तरुण मंडल के नाम श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध किये जाते हैं।

अपराह्न 2.29 बजे

मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधायी कार्य, मद सं. 16 पर चर्चा शुरू करेगी।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 का संशोधन करने वाले

विधेयक के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं जो इस सदन में दो बार प्रस्तुत किया गया था। यह अधिनियम 1994 में बनाया गया था और काफी लंबे समय के बाद 2009 में इसमें संशोधन इस सदन में लाया गया। मैं मानता हूं कि इसमें काफी विलंब हुआ है। इस बीच में हजारों ऐसे लोग, जिनकी व्यवस्था न हो पाने के कारण वे काल के गाल में समा गए। यह संशोधन यदि पहले आता तो शायद बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बचाया जा सकता था। इस संशोधन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक तो मानव अंगों की जो बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है, उस पर रोक लगाई जाए। कड़े कानून के तहत उनको सजा दिलाई जाए। उन्हें आर्थिक जुर्माना दिलाया जाए। दूसरा, अंगों के प्रत्यारोपण के लिए परिवार के जिन लोगों को चिन्हित किया गया था, इस संशोधन के द्वारा और लोगों को इसमें शामिल किया गया है। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें तीसरा पहलू भी जोड़ा जाए। जिन अस्पतालों में प्रत्यारोपण किया जाता है, उसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है। जिसे कोई भी सामान्य मध्यम वर्ग का व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है। जिसके कारण यदि उनके परिवार का कोई व्यक्ति उन्हें मानव अंग देना भी चाहे, तो भी वह उसका लाभ नहीं ले सकता है। इसलिए तीसरा प्रावधान इसमें कम से कम खर्च में प्रत्यारोपण की चिकित्सीय व्यवस्था की जाए। ऐसा प्रावधान किया जाए।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में एक हाल ही के विषय को लाना चाहता हूं। 6 मई को हमारे क्षेत्र के श्री विजय कुमार पारिख का गुड़गांव के मेडिसिटी हॉस्पीटल में लीवर का ट्रांसप्लांट कराने के लिए भर्ती हुआ था। उनके परिवार के लोगों ने लीवर का दान भी किया। उनसे 25 लाख रुपए पैकेज के तौर पर मांगे गए। उन्होंने 25 लाख रुपए देना स्वीकार किया और वे उसमें भर्ती हो गए। उसके बाद उनसे कहा गया कि और पैसा जमा कीजिए, तब उन्होंने पांच लाख रुपए और जमा किए। एक महीने में उनका ट्रांसप्लांट हुआ। लेकिन वे रिकवर नहीं हो पाए और अंत में 6 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के क्या कारण थे, यह अलग जांच का विषय है। मैं जांच की मांग करता हूं। उसके बाद उनके परिवार वालों को कहा गया कि आपको कुल 40 लाख रुपए जमा करने हैं। उनसे दस लाख रुपए और मांगे जा रहे थे। सवाल यह उठता है कि इस तरह का जो गोरखधंधा चल रहा है, यह कहां जाकर रुकेगा? निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में इस तरह का व्यापार हो रहा है। इस तरह से गरीब आदमी कैसे जिएगा? उन्होंने यहां उनके परिजनों को डेड बॉडी देने से मना कर दिया। हम लोगों को जब इसका पता चला तो हमने इसमें हस्तक्षेप किया। उसके बाद उन्होंने डेड बॉडी परिजनों को सौंपी। इस तरह के अमानवीय कृत्यों को रोकने के लिए मैं चाहता हूं कि इसमें तीसरा पहलू भी जोड़ा जाना चाहिए कि कैसे हम इन अस्पतालों पर नियंत्रण में रखेंगे? किस प्रकार से इन्हें प्रतिबंधित किया जा सकेगा?

महोदय, यह केवल गुड़गांव की घटना नहीं है। ऐसा पूरे देशभर में चल रहा है। अभी ताजा उदाहरण अजमेर का है। जवाहर लाल नेहरु अस्पताल में 25 साल का लड़का पथरी के ऑपरेशन के लिए भर्ती हुआ, लेकिन उसकी किडनी निकाल ली गई। यह उदाहरण प्रमाणित है। यह सब हमें कहीं न कहीं संदेश दे रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मानव अंगों का अवैध व्यापार हमारे देश में हो रहा है।

अभी एक रिपोर्ट आई है। "ऑरगन वाच" नामक संस्था ने वैश्विक सर्वेक्षण से पता लगाया है कि सबसे ज्यादा मानव अंगों का अवैध व्यापार अगर कहीं होता है तो यह हमारे देश भारत में ही होता है। यह हम सभी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। वैसे तो दुनिया के कई देशों में इस तरह का अवैध व्यापार हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह जो अवैध मानव अंगों की तस्करी का धंधा चल रहा है, इस पर आप रोक लगाएं। आप किसी भी अस्पताल के बाहर जाकर देखें। वहां बेचारे गरीब आदमी खून देने के लिए खड़े रहते हैं, वे अपने अंग बेचने के लिए खड़े रहते हैं। गरीबी ही इसका सबसे बड़ा कारण है। क्या सरकार उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर सकती है? क्या कुछ ऐसा प्रावधान नहीं कर सकते कि वे मजबूर होकर अपने अंग-प्रत्यंग बेचने का काम न करें इस पर रोक लगानी चाहिए। इस संशोधन में कहीं न कहीं प्रावधान लाना चाहिए। आज पूरे देश भर में जो स्थिति बनी हुई है, इससे मैं मानता हूं कि यह एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं ईरान का। ईरान की सरकार ने मानव अंगों को बेचने को वैध माना। मैं यह नहीं कहता कि हमारे देश में भी इसे वैध माना जाए। यह किसी कीमत में यहां नहीं होना चाहिए। पर, ईरान में वहां की सरकार ने एक व्यवस्था की। जिस व्यवस्था को मुझे भी लगता है कि यहां कहूं। वहां दो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। वे दोनों चैरिटेबल ट्रस्ट मरीज और अंगदाता दोनों को मिलाते हैं। उसके जो पैसे का भुगतान होता है, वह सरकार के खजाने से होता है। क्या हम इस तरह की व्यवस्था यहां नहीं कर सकते हैं? हमारे पास रेड क्रॉस है, हमारे पास रोगी कल्याण समितियां हैं जो सभी जगह काम करती हैं। क्या इनको हम बैंक के रूप में डेवलप नहीं कर सकते? इनको हम बैंक के रूप में डेवलप करें। कोई अगर अपनी किडनी दान करना चाहता है, कोई अपना लीवर और अपने अन्य अंग दान करना चाहता है, तो हम बैंक के रूप में लेकर उसका भुगतान सरकार के खजाने से कराएं, न कि संस्था और उस व्यक्ति के द्वारा कराएं। इससे एक बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिलेगा।

अभी दूसरे प्रश्न पर मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे देश में भयंकर, गंभीर बीमारियां हो रही हैं। दुनिया में बीमारी के मामले में हम शायद नम्बर एक पर निकल जाएं। आज छोटे-छोटे बच्चों की हार्ट, लीवर, किडनी खराब हो रही है। अगर वे बड़े-बुजुर्ग हों तो यह समझ में आता है। बहुत ही गम्भीर बीमारी हमारे देश में आई है। इस नाते मैं कहता हूं कि यह जो विधेयक का संशोधन, जो अधिनियम में संशोधन लाने का काम किया है, यह बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसमें और व्यापक प्रावधान आने चाहिए ताकि हम इस व्यवस्था को और मजबूती के साथ कर सकें, ताकि ये जो गरीबी के कारण लोग अंग-प्रत्यंग बेचने को मजबूर होते हैं, उन पर भी रोक लगे। लेकिन आवश्यकता के अनुसार हम उनको देने का काम भी कर सकें। जो आपने एक परिवार में चिन्हित किए हैं कि इन-इन लोगों को हम अंग दान कर सकते हैं, इन-इन लोगों से अंग दान दे सकते हैं, निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छा प्रयास है। उसमें परिवार के कुछ और लोगों को जोड़ने का काम किया जा सकता है। लेकिन एक प्रयास और होना चाहिए। हमारे देश में एक नहीं अनेकों उदाहरण हुए कि लोग मृत्यु के बाद अपने शरीर का दान करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, श्री नानाजी देशमुख जैसे प्रसिद्ध समाजसेवी लोग जिन्होंने अपने जीवन भर समाज सेवा का कार्य किया, अंत में अपने शरीर का दान भी कर दिया। स्वर्गीय ज्योति बसु ने भी ऐसा किया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था विकसित करें ताकि जो लोग मृत्यु पूर्व अपने शरीर का दान करना चाहते हैं, अंग दान करना चाहते हैं, वे कर सकें। ऐसी कोई व्यवस्था और मजबूती के साथ बने ताकि हम इसका उपयोग कर सकें। अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं, जो मानते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। वे मानते हैं कि हमारे मरने के बाद भी यह शरीर का कोई हिस्सा किसी के काम में आ जाए, किसी को जिन्दगी देने का काम कर जाए तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं मानता हूं कि इस व्यवस्था को और ठीक ढंग से विकसित करके लोगों में जागरूकता पैदा करने का काम किया जाए और लोगों में यह संदेश जाए। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। दुनिया में हर चीज बनाई जा सकती है, पर शरीर के ऐसे बहुत-से अंग हैं जो नहीं बनाए जा सकते। हालांकि कृत्रिम अंग तो बन रहे हैं लेकिन खून नहीं बना सकते, लीवर नहीं बना सकते। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कहीं न कहीं से इसी तरह से लोगों में प्रचार-प्रसार अंगदान हेतु प्रेरित कर सकते कि कैसे वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने बहुमूल्य अंगों को दान करने का काम कर सकें। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में भी मंत्री जी कुछ न कुछ अमल करेंगे।

[अनुवाद]

डॉ. प्रभा किशोर ताविआड (दाहोद): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक के संशोधन के इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति देने पर आपका धन्यवाद। मैं विधेयक का समर्थन करती हूं। *[हिन्दी]* देर से आए, दुरुस्त आए, मंत्री जी यह बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं। *[अनुवाद]* मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक के अनुसार लिए गए निर्णय रोगियों के रिश्तेदारों या डाक्टरों के लिए अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण होंगे। एक तरफ, पीड़ित रोगी की नाजुक स्थिति है और दूसरी तरफ रिश्तेदारों को रोगी के जीवन का जोखिम उठाना पड़ता है। डाक्टरों को भी बड़ा कठिन निर्णय लेना पड़ता है क्योंकि उन्हें रोगी की मृत्यु के पश्चात अंगों के खराब हो जाने से पूर्व रिश्तेदारों को यकीन दिलाना पड़ता है। यह डाक्टरों के लिए अति कठिन निर्णय होता है परंतु इन दोनों स्थितियों के बीच संतुलन बनाने के लिए डाक्टरों को साहस देने वाला ईश्वर महान है।

एक तरफ, रोगी का स्वस्थ रिश्तेदार है और दूसरी तरफ, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति का जोखिम है। हमें दोनों व्यक्तियों के बीच संतुलन बनाना होता है। *[हिन्दी]* मैं मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि जो केडेवर ट्रांसप्लांट होता है वह बहुत अच्छा डिसीजन है। आपने जो 108 एंबुलैंस सेवाएं शुरू की हैं। *[अनुवाद]* इन कारणों से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल में पहले से ही भेज रहे हैं। *[हिंदी]* मैं यह कहना चाहती हूं कि जो पेशंट होस्पीटल में जाते हैं, *[अनुवाद]* यदि रोगी की बीच में ही मृत्यु हो जाती है तो *[हिंदी]* मैं मंत्री जी से यह कहूंगी कि उस पेशंट का इमीडिएट आटोप्सी ऑपरेशन थिएटर में लेना है और टाइम वेस्ट किए बिना, होम मिनिस्टरी में भी उसे इन्क्लूड करके, ये प्रावधान एक्ट में ही होना चाहिए। *[अनुवाद]* जब रिश्तेदार अंगदान करने की सहमति दे रहे हैं तो ऐसे में यथाशीघ्र शव परीक्षा कराके उनकी सहायता की जानी चाहिए। अंगों का रख-रखाव अति महत्वपूर्ण है। जब ब्रेनडेड पेशंट के रिश्तेदार अंगदान करने की सहमति दे रहे हैं तो किसी को उत्तरदायित्व लेना चाहिए। *[हिंदी]* मैं मंत्री जी को यह कहूंगी कि आप जो नेशनल नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर डाल दिया जाए। अगर वे रेस्पोंसिबिल्टी लेंगे, खर्चा बेयर करेंगे, अभी जो मेरे भाई कह रहे थे कि इतना खर्चा हो जाने के बाद भी कभी-कभी तकलीफ होती है। *[अनुवाद]* हम कह सकते हैं कि मानव शरीर से उन अंगों और ऊतकों को उपयोग किया जा सकता है और दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों में से अधिकांश स्वस्थ व्यक्ति हैं। हम शवों से इन अंगों का उपयोग कर सकते हैं। मैं प्राप्तक को अंग प्रत्यारोपित किए जाने तक ब्रेनडेड पेशंट के अनुरक्षण पर कुछ कहना चाहूंगी। *[हिंदी]* यह जो सिस्टम है, *[अनुवाद]* मैं माननीय मंत्री जी से सहमत हूं। *[हिंदी]* जब से ब्रेनडेड डिक्लेयर हुआ और जो नेशनल नेटवर्क के कुछ मोनिटरिंग

प्रावधान मंत्री जी करने वाले हैं, उसका जो खर्चा है, उस बारे में ज्योति जी ने भी कहा था। *[अनुवाद]* ब्रेनडेड व्यक्ति का प्रतिदिन अनुरक्षण बहुत अधिक है। *[हिंदी]* यह बहुत बड़ी बात है। ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ट्रांसप्लांट करते हैं, उनका सपोर्ट भी होना चाहिए। *[अनुवाद]* आजकल, स्टेमसेल थेरेपी बहुत अच्छी थेरेपी है और यह डेवलपिंग थेरेपी है। वे सभी संस्थायें जो प्रतिरोपण कर रही हैं वे स्टेम सैल थेरेपी पर ध्यान दे रही हैं। यह चिकित्सा विज्ञान में बहुत अच्छा घटनाक्रम है। अतः, हम प्रतिरोपण हेतु अपने ऊतकों का उपयोग कर सकते हैं और यह केवल प्रतिरोपण केंद्र में ही किया जा सकता है। *[हिंदी]* मैं यहां इतना कहूंगी कि जिस तरह से सैम पित्रोदा जी राजीव जी के दो शब्द रखने के लिए आए कि "देश के लिए क्या करेंगे।" *[अनुवाद]* हम इन दोनों की बीच अंतर देख सकते हैं। *[हिंदी]* मोबाइल टैक्नीक में जो हुआ, वह सैम पित्रोदा की वजह से हुआ। ठीक इसी तरह गुजरात के डा. एच.एन. त्रिवेदी अमेरिका में थे, वे आए।

[अनुवाद]

वह प्रसिद्ध यूरोलोजिस्ट हैं। वह भारत की गरीब जनता की सेवा करने हेतु गुजरात वापस आए। उन्होंने अहमदाबाद में किडनी इंस्टीट्यूट विकसित किया है। वह गुजरात राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में सेवा प्रदान कर रहे हैं। *[हिंदी]* मैं कहना चाहती हूं कि वहां 200 बैडेड हॉस्पिटल हैं। यह अति प्रसिद्ध यूरोलोजिस्ट डा. एच. एल. पटेल का स्थान है। *[हिंदी]* उसको जो रेगुलर ग्रांट गवर्नमेंट की ओर से दी जाती है, वह *[अनुवाद]* उसका केवल एक कारण है *[हिंदी]* कि आपने 200 से 400 बैड्स क्यों कर लिए हैं। ऐसा करके रैगुलर ग्रांट देते थे, वह ग्रांट भी बंद कर दी तो कैसे काम चलेगा? मेरे भाई अभी पूछ रहे थे कि ऐसे इंस्टीट्यूट को हम कैसे चलाएंगे? *[अनुवाद]* बचाने के लिये कह रहे हैं।

[हिंदी]

इसी तरह से यू.एन. मेहता हॉस्पीटल (कार्डियाक यूनिट) है, कैंसर हॉस्पीटल गुजरात का मुंबई में टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी का हॉस्पीटल है तो इस हॉस्पीटल को गवर्नमेंट सपोर्ट होनी चाहिए, *[अनुवाद]* और उसके बाद सभी ऊतक प्रत्यारोपण, *[हिंदी]* होगा वह जो एनकोजमेंट होना है, इसमें स्टेम सैल वाला भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। आटोइन्यूइजेशन, लेटर ऑन जो ऑर्गन होमोलोग्स ट्रांसप्लांट है, यह जो दूसरे संबंधी से पेशंट आर्गन ट्रांसप्लांट के लिए दे, इम्यूनोसप्रेशन जो देना पड़ता है, वह नहीं देना पड़ता।

मैं लास्ट में मंत्री जी को इतना ही कहती हूं कि ऐसे जो ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट्स हैं, उन इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट कीजिए, तभी रिसर्च होगी, तभी हम ह्यूमन लाइफ को अच्छी तरह से बचा पाएंगे।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कतिपय कारणों से इस मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 का समर्थन करता हूं। प्रथम कारण है कि लोग जीना चाहते हैं और इस विधेयक से उन्हें दीर्घायु जीवन मिल पाएगा। स्थाई समिति में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और समिति की सिफारिशों को इस विधेयक में सम्मिलित किया गया है। कल इस सम्मानित सदन में हुई चर्चा बहुत ही सार्थक थी और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई। माननीय ज्योति मिर्धाजी ने वैध बिन्दु उठाए और अन्य सदस्यों ने भी मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की। इस सदन में मेरी यह पहली पारी है और इससे पहले मुझे कभी भी इतनी प्रबुद्ध चर्चा में भाग लेने का अवसर नहीं मिला। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं और इस विधेयक के प्रावधानों की सराहना भी करता हूं।

तथापि मैं यह कहने को मजबूर हूं कि देश के अनेक भागों में गुर्दों का खतरनाक अवैध व्यापार चल रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि करीब-करीब सभी बड़े शहरों, कस्बों और जिलों में निजी अस्पतालों, नर्सिंग होमों अथवा क्लीनिकों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है जो अवैध मानव अंग व्यापार विशेष रूप से गुर्दा प्रत्यारोपण के अवैध व्यापार में संलिप्त हैं। भारत में चिकित्सा प्रत्यारोपणों की संख्या अपेक्षा से कम है। हमें लगभग 1.5 लाख गुर्दों की आवश्यकता है जबकि पीड़ित रोगियों के लिए केवल पांच अथवा छह हजार गुर्दे उपलब्ध हैं। इसलिए अवैध व्यापार फलता-फूलता है और प्रशासन, पुलिस, निजी नर्सिंग होम स्वामियों और डाक्टरों के एक वर्ग के बीच अवैध सांठ-गांठ है। वे एजेंट भी नियुक्त करते हैं जो गांवों या कस्बों में गरीब, अशिक्षित व्यक्तियों के पास जाते हैं और उन्हें मानव अंग बेचने के लाभों के बारे में बताते हैं। इन निर्धन व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि एक व्यक्ति के शरीर में दो गुर्दे होते हैं और यदि वह एक गुर्दा दे भी देते हैं, तो भी वह भली-भांति जी सकते हैं। वे निरक्षर हैं, अनभिज्ञ हैं और इसलिए वे थोड़े-से रुपयों के बदले गुर्दे बेचने के झांसे में आसानी से आ जाते हैं। निजी नर्सिंग होमों में अंग प्रत्यारोपण हेतु अच्छी व्यवस्था है। एक बार निर्धन व्यक्ति के शरीर से गुर्दा निकालने के बाद, इसे जरूरतमंद, धनी रोगी को

* मूलतः बांग्ला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

अत्यधिक मूल्यों पर बेच दिया जाता है जबकि बिचौलिए को इस प्रक्रिया में अच्छी कमाई हो जाती है।

इसलिए यह अच्छा है कि विधेयक में कतिपय प्रावधान किए गए हैं जिनका आशय मानव अंगों के अवैध व्यापार के लिए दण्ड आदि को बढ़ाकर इस कदाचार को समाप्त करना है। परन्तु इसके बावजूद, समाज में व्यापक भ्रष्टाचार और गैर कानूनी गतिविधियां व्याप्त हैं। आम जनता का जीवन उपद्रवियों की दया पर निर्भर है।

हमने देखा है कि निम्न वर्ग परिवारों के सदस्य भी छोटी-छोटी बीमारियों को होने पर निजी अस्पतालों में भर्ती (एडमिट) हो जाते हैं। उन्हें आने वाले बड़े खतरे के बारे में पता नहीं होता क्योंकि अज्ञानवश वे अवैध अंग व्यापारियों के शिकार बन जाते हैं जो उपचार के नाम पर उनके गुर्दे निकाल लेते हैं। इससे मौत और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में भी वृद्धि हो सकती है।

भारत एक विशाल देश है और दुपहिया वाहनों का उपयोग दिन-ब-दिन बढ़ रहा है जिसकी वजह से घातक दुर्घटनाएं हो रही हैं और चोटें लग रही हैं। इसलिए हमें सड़क पर सचल अस्पतालों की आवश्यकता है। जब किसी व्यक्ति की किसी दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो सचल स्वास्थ्य वैनों से समय गवांए बिना तुरन्त उसके अंगों को निकालकर और प्रत्यारोपण किया जा सकता है। शव गृहों में प्रत्यारोपण रात में नहीं किया जा सकता है और पुलिस भी समय पर नहीं पहुंचती है। इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिए। चूंकि गुर्दों की अधिकाधिक संख्या में जरूरत है, सगे सम्बन्धियों की परिभाषा को व्यापक करके उसमें चाचा, चाची, मामा के रिश्ते आदि सम्मिलित किए जाने चाहिए। यद्यपि अवयस्कों के मामले में विधेयक में यह प्रावधान हैं।

अत: मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन कर रहा हूं और जैसा कि माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं जिसके लिए मुझे आधा मिनट और चाहिए। समस्त पूर्व भारत में विशेषरूप से उत्तर बंगाल में, स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से वहां पर एक एम्स जैसी संस्था स्थापित करने की मांग करता हूं, ताकि क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, हम महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं। मैं स्वास्थ्य संबंधी स्थाई समिति, जिसका मैं भी सदस्य हूं, की अधिकांश सिफारिशों को समायोजित करने के लिए विशेष रूप से माननीय स्वास्थ्य मंत्री की सराहना करता हूं।

महोदय, मैं इस अंग और ऊतक दान के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले प्रोत्साहन की सराहना करता हूं क्योंकि हमारे देश में अभी भी अनेक धार्मिक पूर्वाग्रह से ग्रसित बाधाएं और सुधार-विरोधी विचार विद्यमान हैं। इस प्रकार के दानों से जाति, पंथ, धर्म, राष्ट्रीयता आदि की बाधाओं को पार करने में मदद मिलेगी और हमें एक श्रेष्ठतर मानव के रूप में स्थापित करेगा।

महोदय, इस संबंध में, मैं इस सम्मानित सदस्य से कहना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य आगे आएं तथा और अधिक संख्या में अंगों की उपलब्धता हेतु अपनी बैंक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अंग दान हेतु योजना बनाएं। इससे सारे देश में और हमारे आम नागरिकों में भी जागरूकता पैदा हो सकती है।

महोदय, यद्यपि यह चिकित्सा विज्ञान की यह एक महान उपलब्धि है, परन्तु इसका लाभ देश के हर कोने और हर भाग में नहीं पहुंच रहे हैं। अत:, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि पर्याप्त अवसंरचना और पर्याप्त सुविधाओं से युक्त उपयुक्त संस्थाएं बनाएं ताकि देश के प्रत्येक कोने में समाज के कमजोर वर्गों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग तक इस प्रकार की सुविधाएं पहुंच सकें।

महोदय, किसी प्रकार के अंग के प्रत्यारोपण के पश्चात् जीविता बड़े व्यय का मामला है। अत: मैं माननीय मंत्री से यह सुनिश्चित करने का निवेदन करता हूं ताकि जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा सके।

यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा। इस संशोधन में मंत्रालय ने जिस राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क का प्रस्ताव किया है उससे प्राप्तकर्ताओं और दाताओं को काफी मदद मिलेगी। यदि इसे प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित किया जाता है तो इससे अदल-बदल करने वाले दान के मामले में मदद मिलेगी। इससे भावी दान दाताओं और दान प्राप्तकर्ताओं की बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी।

गैर-सरकारी संगठनों को क्रियाशील बनाया गया है। गुर्दा दान तथा गुर्दा प्रत्यार्पण कार्यक्रम आदि को सुगम बनाने का प्रस्ताव है। मैं मंत्री महोदय तथा मंत्रालय से उन बहुत से गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखने का अनुरोध करता हूं जो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए, उनकी गतिविधियों के नजर रखने और उनको विनियमित करने के लिए उचित अधीक्षण जरूरी है।

माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत विशेष संशोधनों के बारे में तीन या चार छोटे मुद्दे हैं। मैं उनमें एक और जोड़ता हूं। चेतना मृत्यु एक बहुत ही जटिल विषय है। स्वयं एक डाक्टर होने के नाते मैं माननीय मंत्री के समक्ष सभा को यह बताना चाहता हूं कि चिकित्सीय पेशे में चेतना मृत्यु एक बहुत ही जटिल, संवेदनशील एवं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

किसी न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन के बदले किसी सर्जन या फिजिशियन या एनास्थेटिस्ट या इंटेसिविस्ट को लगाना एक जटिल मुद्दा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि किसी फिजिशियन या सर्जन या एनास्थेटिस्ट या इंटेसिनिस्ट को इस कार्य में लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि उसके पास इस पेशे का कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो।

दूसरी बात, मैं अंग प्रत्यार्पण समन्वयक के बारे में कहना चाहता हूं। अंगदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने में अंग प्रत्यर्पण समन्वयक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसलिए, यदि समुचित रूप से उस व्यक्ति की निगरानी नहीं की जाती है तो उस प्रक्रिया में अंग प्रत्यर्पण समन्वयक के पेशे में कार्य कर रहा यह व्यक्ति दानव साबित हो सकता है।

खंड 10(क) में दंड और दंडात्मक उपाय का प्रावधान है।. ..(*व्यवधान*) इसमें दस वर्ष की सजा का प्रावधान है। हमारे माननीय मंत्री ने इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इसे कम से कम 10 लाख रुपये कर दिया जाए।

मेरा अंतिम मुद्दा यह है कि विशेषकर निजी क्षेत्र में, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमारे पेशे के बहुत से डाक्टर भी स्वास्थ्य के कारोबार से जुड़े लोगों के साथ इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए सख्त दंडात्मक उपाय केवल कागजों में नहीं बल्कि वास्तव में क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

पहले ही हमारे माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि यह राज्य का विषय है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार कोई उपाय निकाले और राज्यों से कहे कि वे देश में अंगों के इस कारोबार के आतंक को रोकने के लिए राज्य अवश्य इन्हें लागू करे।

अंत में, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इसे शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को इसका समर्थन करना चाहिए।

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद।

सर्वप्रथम मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के प्रति मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक को लाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं जो उन लोगों को नया जीवन प्रदान करेगा जिन्हें अंग प्रतिरोपण की जरूरत है। यह विधेयक इन बातों को विनियमित करेगा। मैं पूरी तरह से इस मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, का समर्थन करता हूं।

मैं इस विधेयक में प्रस्तावित सभी प्रमुख परिवर्तनों और संशोधनों का स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री ने बताया है कि इसमें उत्तक को भी सम्मिलित किया गया है। जहां तक 'निकट संबंधी' की परिभाषा का संबंध है इसमें दादा, दादी, पोता-पोती को सम्मिलित किया गया है। समिति ने मातृक और पैतृक तात और चाची, ताई, मामी, बुआ और मौसी को भी सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। आई.सी.यू. स्टाफ को भी प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह सही परामर्श दे सकें। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान में यह उपलबंध है कि नाबालिग से कोई अंग नहीं लिया जाएगा और मानसिक रूप से विकलांग लोगों से भी अंग नहीं लिया जा सकता।

अपराह्न 2.59 बजे

[**श्री सतपाल महाराज** *पीठासीन हुए*]

यह अच्छा उपबंध है कि हम अधिनियम के अंतर्गत केवल पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टीशनर्स को ही केवल पंजीकृत अस्पतालों में अंग निकालने के लिए अधिकृत किया गया है।

किसी मृत व्यक्ति से उसके अंग निकालने से पहले पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टीशनर्स को स्वयं यह संतुष्ट करना होगा कि मृत व्यक्ति में जान शेष नहीं है।

अपराह्न 3.00 बजे

यदि मृत्यु का कारण ब्रेन स्टेम डेथ प्रतीत होता है तो ऐसा कोई अंग तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि ऐसी मृत्यु को उस अस्पताल के प्रभारी सहित चिकित्सा विशेषज्ञ बोर्ड द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है जिसमें ब्रेन-स्टेम डेथ हुई है, जहां पैनल से स्वतंत्र चिकित्सा विशेषज्ञ पैनल से तंत्रिका विज्ञानी अथवा तंत्रिका शल्य चिकित्सक और पंजीकृत चिकित्सक उस व्यक्ति का उपचार कर रहे थे जिसकी ब्रेन-स्टेम डेथ हुई सम्मिलित हैं। यदि ब्रेन स्टेम के कारण मरने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसके माता-पिता किसी मानव अंग को चिकित्सीय प्रयोजन हेतु निकाले जाने का लिखित प्राधिकार दे सकते हैं।

यदि किसी व्यक्ति का शव किसी अस्पताल अथवा जेल में पड़ा है और उसकी मृत्यु के 48 घंटों के भीतर उसके किसी निकट

संबंधी द्वारा उस पर दावा नहीं किया जाता है तो उस जेल अथवा अस्पताल का प्रभारी व्यक्ति ऐसे शरीर से किसी अंग को निकाले जाने का प्राधिकार दे सकता है। प्राधिकार से पूर्व उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि निकट संबंधियों द्वारा बाद में शव पर दावा किए जाने की संभावना नहीं है। पंजीकृत चिकित्सक को शरीर से निकाले गए मानव अंगों के परिरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाने होंगे। हटाए गए अंग को प्रापक के निकट संबंधी को प्रत्यारोपित किया जा सकता है। यदि कोई अंगदाता अपनी मृत्यु के पश्चात किसी मानव अंग निकाले जाने के लिए प्राधिकृत करता है तो उसे किसी भी ऐसे प्रापक को प्रत्यारोपित किया जा सकता है जिसे ऐसे मानव अंग की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति उसकी मृत्यु से पूर्व प्रापक के शरीर में प्रत्यारोपित करने के लिए किसी अंग को निकाले जाने के लिए प्राधिकृत करता है, जो कि निकट संबंधी नहीं है तो यह केवल प्राधिकार समिति के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता है जो अंगदाता और प्रापक के संयुक्त आवेदन की समीक्षा करेगी तथा वह स्वयं इस बात पर संतुष्ट होकर ही प्रत्यारोपण का प्राधिकार देगी कि आवेदकों ने अधिनियम की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। यदि समिति संतुष्ट नहीं है तो वह आवेदन अस्वीकृत कर सकती है।

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी: महोदय, कुछ मामलों में गरीब व्यक्ति बिचौलियों के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्तियों को और कारपोरेट अस्पतालों को अपने अंग बेच रहे हैं और इसकी कोई खबर नहीं है। सरकार को इस समस्या पर विचार करना चाहिए और इस रैकेट को चलाने वाले बिचौलियों तथा कार्पोरेट अस्पतालों को दंडित करना चाहिए।

हमें लोगों को स्वेच्छा से अंगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। हमने लोगों को अपनी आंखें दान करते हुए देखा है। हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए देशभर के सभी जिला मुख्यालयों में आई बैंक और रिश्यू बैंक खोलने की आवश्यकता है।

रक्तदान के संबंध में भी सरकार को रक्तदान करने वालों पर रोक लगानी चाहिए कि क्या वे एच.आई.वी. और हेपेटाइटिस से पीड़ित तो नहीं हैं। हमने गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों को अपनी अत्यंत गरीबी के कारण रक्त और मानव अंग बेचते हुए देखा है। सरकार को इस समस्या पर विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदयः कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी: महोदय, मैं समाप्त कर रही हूं। महोदय, उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश में, श्रीकाकुलम जिले के उड्डानम गांव में दूषित जल और अन्य भौगोलिक स्थितियों के कारण काफी लोग गुर्दे की समस्या से पीड़ित हैं। इन रोगियों का निरंतर डायलीसिस हो रहा है। इस विषय में अनुसंधान चल रहा है कि इस क्षेत्र में ऐसा क्यों हो रहा है परंतु विशेषज्ञ अब तक इसका कारण पता नहीं लगा पाए हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में बनी हुई इस समस्या पर भारतीय चिकित्सा परिषद से अनुसंधान करने के लिए कहा जा सकता है। आगे मैं गुर्दे की समस्या से ग्रस्त लोगों की जिंदगी बचाने हेतु श्रीकाकुलम जिले में डायलिसिस केंद्र खोलने के लिए सरकार को धन्यवाद देती हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): सभापति महोदय, मैं इस ऐतिहासिक विधेयक अर्थात मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिखाई गई रुचि के लिए इस सम्मानित सभा के माननीय सदस्यों का आभारी हूं। 20 से अधिक माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है और इस ऐतिहासिक विधेयक का स्वागत किया है। उन्होंने अनेक मुद्दे उठाए और देश में अंग प्रत्यारोपण संबंधी स्थिति में सुधार करने के लिए रचनात्मक सुझाव दिए हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों से विशेष रूप से जुड़े मुद्दे भी उठाए हैं। डा. ज्योति मिर्धा ने विधेयक की मुख्य विशेषताओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।

सदस्यों ने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी अपनी चिंता व्यक्त की हैं। सबसे पहले, उन्होंने कहा कि देश में अवैध अंग व्यापार बड़ी चिंता का मामला है। वर्तमान विधेयक इस समस्या का समाधान करना चाहता है। आगे इसे ठीक से लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता होगी। दूसरे, अनुभव दर्शाता है कि अमीर अंग प्राप्तकर्ताओं हेतु प्रायः गरीब अंगदाताओं का शोषण किया जाता है। वे गरीबी के कारण अंगदान करने के लिए बाध्य होते हैं। इसलिए, सरकार को इस समस्या का प्रभावी ढंग से निवारण करना चाहिए। यह माननीय सदस्यों की मांग थी।

कुछ माननीय सदस्यों ने दान प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु 'अंकल और आंटी' जैसे निकट संबंधियों के वर्ग में सम्मिलित करने का भी अनुरोध किया। अंगदान के प्रति आम जनता के रवैये को बदलने हेतु जागरूकता उत्पन्न करने की जबर्दस्त आवश्यकता है।

माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि अंगदान को प्रोत्साहित करने और गरीब तथा जरूरतमंद लोगों हेतु अंग प्रत्यारोपण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैंने कल आरंभ में ही कहा था कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सीय प्रयोजनों हेतु मानव अंगों को निकाले जाने, भंडारण और उनके प्रत्यारोपण को विनियमित करने तथा मानव अंगों के वाणिज्यिक व्यापार को रोकना है। इस अधिनियम के बावजूद, मानव अंगों और ऊतकों का प्रत्यारोपण इस देश में अब तक बड़े पैमाने पर शुरू नहीं हुआ है। सैंकड़ों और हजारों व्यक्ति अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रस्तावित संशोधनों का यह सेट जरूरतमंद लोगों को नया जीवन देने का सरकार का प्रयास है। यह संशोधन देश के लिए अत्यन्त सहायक होगा।

मैं अब माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ विशिष्ट मुद्दों का उत्तर देना चाहूंगा। श्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को अक्षरश: लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। मैं इस सभा को सूचित करना चाहता हूं कि संसदीय स्थायी समिति ने अत्यन्त उपयोगी और रचनात्मक सिफारिशें की हैं। मैंने पहले ही कहा है कि हमने सम्माननीय समिति की सभी सिफारिशें और सुझावों को स्वीकार कर लिए हैं।

इनमें से कुछ सिफारिशें इस विधेयक के माध्यम से अधिनियम में शामिल की जा रही हैं जबकि अन्य बातों का नियमों में उपयुक्त संशोधन कर और सरकारी निदेश जारी कर समाधान किया जाएगा।

श्री मेघवाल और कुछ अन्य सदस्यों ने पूछा कि हमने 'अंकल', और 'आन्ट' को निकट संबंधियों की परिभाषा में शामिल क्यों नहीं किया है। इस संबंध में मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि संसदीय स्थायी समिति ने इस मुद्दे की विस्तार से जांच की और मंत्रालय के दृष्टिकोण से सहमत हुई। मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र ने कल केवल पहले भाग को उद्धृत किया था, परन्तु अन्तिम भाग को उद्धृत नहीं किया था जिसे मैं यहां पर बता रहा हूं। मैं सम्मानीय सभा को सूचित करना चाहूंगा कि संसदीय स्थायी समिति ने इस मामले की विस्तार से जांच की और मंत्रालय के विचार से सहमत हुई कि निकट संबंधियों की परिभाषा में अन्य सम्बन्धियों को शामिल किए जाने के लिए इसका और अधिक विस्तार किए जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्थायी समिति को उद्धृत कर रहा हूं - "तदनुसार समिति सिफारिश करती है कि दादा/दादी और पोते/पोती के प्रस्तावित समावेशन के अतिरिक्त निकट सम्बन्धियों की परिभाषा में और अधिक विस्तार किए जाने की आवश्यकता नहीं है।" यह स्थायी समिति के 44वें प्रतिवेदन का पैरा 106 है।

तथापि, इस ओर ध्यान दिलाया जाना समीचीन होगा कि यह अधिनियम अधिकृत करने संबंधी समिति के अनुमोदन से 'अंकल' और 'आन्ट' द्वारा प्रेम और सौहार्द से अपने सम्बन्धियों को अपने अंगों का दान करने की अनुमति देता है। इसलिए अंकल और आन्ट को पूरी तरह से अलग नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अंकल और आंटी बचे ही कहां हैं?...(*व्यवधान*)

श्री गुलाम नबी आजाद: अंकल तो बिल्कुल ही नहीं देगा, आंटी पता नहीं देगी या नहीं देगी।...(*व्यवधान*) *[अनुवाद]* मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि हमने न केवल इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक दण्ड को बढ़ाया है बल्कि हमने अवैध वाणिज्यिक सौदों में शामिल लोगों के लिए दण्ड को 5 वर्ष से 10 वर्ष की जेल तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। मानव अंगों में ऐसे वाणिज्यिक सौदों के लिये विधेयक में मौद्रिक दण्ड को 10,000 रु. से 20,000 रु. से 20 लाख रु. से 1 करोड़ रु. किये जाने का प्रस्ताव है। [हिन्दी] पहले दस लाख रुपए से 20 लाख रुपए थी अब पेनल्टी 20 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए तक बढ़ायी गयी है।

[अनुवाद]

श्री मेघवाल, डॉ. ज्योति मिर्धा और श्री पांडा ने उन मामलों में क्षेत्राधिकार का मुद्दा उठाया है जहां अंग दानकर्ता और प्राप्तकर्ता अलग-अलग राज्यों से हैं। इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि इस मुद्दे को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही निपटा लिया गया है। ऐसे मामलों में जिस संस्थान द्वारा अंग प्रत्यारोपण किया जाना हो, की अधिकृत करने संबंधी समिति द्वारा अंतिम रूप से विचार किए जाने से पहले अंग दानकर्ता तथा प्राप्तकर्ता के मूल निवास वाले राज्यों की सरकारों या संबंधित राज्यों की अधिकृत करने संबंधी समितियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। 'निकट सम्बन्धियों' को अधिकृत करने संबंधी समिति में अनुमोदन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र या संबंधित राज्य सरकारों से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

मैं डा. ज्योति मिर्धा जो संसदीय स्थायी समिति की सदस्य भी थीं, को सभी रचनात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने विचारोत्तोजक भाषण और अपील के द्वारा इस अधिनियम और विधेयक के उपबंधों के बारे में अनेक शंकाओं का समाधान किया है। मैं उनके सुझाव से सहमत हूं कि बदलते विश्व की गति के साथ तालमेल बिठाने के लिए इन विधानों को नियमित रूप से अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह मुद्दा उठाया, अन्य सदस्यों ने भी आज यह मुद्दा उठाया है कि मृत शरीर जिससे अंग प्रत्यारोपण किया जाना है, को रखने पर किया जाने वाला

व्यय का सरकार द्वारा या अंग प्रत्यारोपण केन्द्र या यहां तक कि अंग प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए और यह इस अधिनियम में ही 'भुगतान' की परिभाषा को अन्तर्विष्ट किया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिनियम में 'भुगतान' की परिभाषा का उपबंध किया गया है जिसमें मानव अंग को हटाने, लाने-ले जाने या परिरक्षण की लागत शामिल है।

मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अधिनियम में भुगतान की परिभाषा को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है। जहां तक 'मृत शरीर के कानूनी कब्जे' से संबंधित मुद्दे और अंग दान से संबंधित अनुरोध किए जाने के लिए निकट सम्बन्धियों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है का संबंध है, इन्हें गृह मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ अलग से उठाए जाने की आवश्यकता है।

मैं इस अवसर पर अन्य माननीय सदस्यगण जैसे–श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री रमाशंकर राजभर, श्री विश्वमोहन कुमार, डॉ. रत्ना डे, श्री एस.आर. जेयदुरई, डा. अनूप कुमार साहा, श्री भर्तृहरि महताब, श्री अनंत गीते, डॉ. वेणुगोपाल, श्री जगदानंद सिंह, श्री प्रबोध पांडा, श्री गणेश सिंह, डॉ. प्रभा, श्री प्रशांत कुमार मजूमदार, डॉ. तरुण मंडल और श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी का व्यापक जनहित में विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के शोषण से संरक्षण और उनका समर्थन करने की आवश्यकता के मुद्दे को उठाने के लिए उनको धन्यवाद भी देता हूं। इन सभी सदस्यों ने अवैध अंग व्यापार और अंगों के वाणिज्यिक व्यापार को रोकने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। मैं उनकी चिंता से सहमत हूं। निश्चित रूप से यही कारण है कि हमने इन संशोधनों का प्रस्ताव किया है।

अंग दान दिवस मनाए जाने के संबंध में एक सुझाव भी दिया गया था। मैं समझता हूं कि यह श्री मेघवाल का सुझाव था। इस संबंध में मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्ष नई दिल्ली में पहला भारतीय अंगदान दिवस 27 नवम्बर को मनाया गया। इसलिए, मैं आपसे एक वर्ष आगे हूं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम प्रति वर्ष देश भर में इन गतिविधियों को आयोजित करेंगे।

श्री पांडा और श्री महताब सहित कई सदस्यों ने परामर्शदात्री समिति के कृत्यों का मुद्दा उठाया। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन कृत्यों का नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

मैं देश भर में बड़े पैमाने पर आई.ई.सी. (सूचना-शिक्षा-संचार) की गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में माननीय सदस्यों के सुझावों से पूरी तरह सहमत हूं। इस संबंध में मीडिया को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

अनेक वक्ताओं ने दुर्घटना पीड़ितों के बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस संबंध में मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि इस प्रकार के 18 केन्द्र पहले ही बनाए जा चुके हैं और वे देश में चल रहे हैं। कई और केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। हमारा 12वीं योजना के दौरान इस प्रकार के 160 और केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इनमें से कुछ मानव अंग प्राप्ति केन्द्र के रूप में उपयोग किए जाएंगे।

मैं इस अवसर पर सभी माननीय संसद सदस्यों, राज्य सरकारों तथा पूरे देश से अपील करता हूं कि इस अवसर पर एक ऐसा वातावरण सृजित करें जहां हरेक व्यक्ति अपने अंगों और ऊतकों को मानवता के कल्याण के लिए दान करने पर गर्व महसूस करे।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं एक बार पुन: संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यों और इस सभा के माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस अधिनियम को बहुत उपयोगी और रचनात्मक सुझाव देकर वास्तव में जनहितकारी और गरीबों का हितकारी बनाया। यह विधान जिस प्रशंसनीय उद्देश्य को लक्ष्य रखकर बनाया गया है, वह इस सभा के माननीय सदस्यों के अटल समर्थन के बिना प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता था। मैं इस सम्माननीय सभा से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील करना चाहता हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: सभा अब इस विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

कतिपय अन्य पदों द्वारा कतिपय पदों में उल्लेखों का प्रतिस्थापन

खंड 4

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 21, "[धारा 2 के खंड (ज) के सिवाय]" के स्थान पर, "[धारा 2 के खंड (ज), धारा 9 की उपधारा (5), धारा 18 और धारा 19 की उपधारा (ठ) के सिवाय]" प्रतिस्थापित किया जाए।

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 धारा 2 का संशोधन

संशोधन किये गये

पृष्ठ 2, पंक्ति 26 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,–

'(क) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

(जक) "मानव अंग सुधार केन्द्र" से ऐसा कोई अस्पताल अभिप्रेत है,–

(i) जिसमें ऐसे गंभीर रूप से रुग्ण रोगियों के उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं, जो मृत्यु की दशा में, अंगों के संभाव्य दाता हो सकते हैं; और

(ii) जो धारा 14 की उपधारा (ठ) के अधीन मानव अंगों के सुधार के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं;

(जख) "अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;'। (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 27 में, "खंड (क)" के स्थान पर, "खंड (ख)" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 30 में, "खंड (ख)" के स्थान पर, "खंड (ग)" प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

पृष्ठ 2, पंक्ति 31 में, "खंड (ग)" के स्थान पर, "खंड (घ)" प्रतिस्थापित किया जाए। (7)

पृष्ठ 2, पंक्ति 33 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

"(णकक) "ऊतक बैंक" से ऊतकों की रिकवरी, स्क्रीनिंग, परीक्षण, प्रसंस्करण, भंडारण और संवितरण से संबंधित किसी क्रियाकलाप को करने के लिए धारा 14क के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सुविधा अभिप्रेत है, किन्तु इसमें कोई रक्त बैंक सम्मिलित नहीं है;

(घ) खंड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:–"। (8)

पृष्ठ 2, पंक्ति 34 से 36 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,–

'(तक) "प्रतिरोपण समन्वयक" से अस्पताल का कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा 3 के उपबंधों के अनुसार मानव अंगों या ऊतकों या दोनों को हटाने या प्रतिरोपण से संबंधित सभी विषयों का समन्वय करने और मानव अंगों को हटाने के लिए प्राधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त किया गया है;'। (9)

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 धारा 3 का संशोधन

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 3, पंक्ति 1 से 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,–

"(1क) ऐसे मानव अंगों या ऊतकों या दोनों के, जो विहित किए जाएं, निकाले जाने, भंडारण या प्रतिरोपण के प्रयोजन के लिए प्रतिरोपण समन्वयक, यदि ऐसा प्रतिरोपण समन्वयक उपलब्ध है, के परामर्श से किसी अस्पताल में कार्यरत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का निम्नलिखित कर्तव्य होगा,–" (10)

पृष्ठ 3, पंक्ति 9, "अभिप्राप्त करने के लिए" के पश्चात् "ऐसी रीति में, जो विहित की जाए," अंत:स्थापित किया जाए। (11)

पृष्ठ 3, पंक्ति 14, "विकल्प के बारे में" के पश्चात् "ऐसी रीति में, जो विहित की जाए," अंत:स्थापित किया जाए। (12)

पृष्ठ 3, पंक्ति 17, "निकालने वाले केन्द्र" के स्थान पर, "सुधार केन्द्र" प्रतिस्थापित किया जाए। (13)

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 6 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 धारा 9 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 4, पंक्ति 9 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,–

'(1ग) किसी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के शरीर से उसकी मृत्यु के पूर्व प्रतिरोपण के प्रयोजन के लिए कोई मानव अंग या ऊत्तक या दोनों नहीं निकाले जाएंगे।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,–

(i) "मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति" पद के अंतर्गत, यथास्थिति, मानसिक रुग्णता या मानसिक मंदता भी है;

(ii) "मानसिक रुग्णता" पद के अंतर्गत मनोभ्रंश, खंडित मनस्कता और ऐसी अन्य मानसिक दशा भी है, जो व्यक्ति को बौद्धिक रूप से नि:शक्त बनाती है;

(iii) "मंदता" पद का वही अर्थ है, जो नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (द) में है। (14)

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 7 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (एक) के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव

श्री गुलाम नबी आजाद: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 15 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 15 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7क धारा 10 का संशोधन

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 4, पंक्ति 36 के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाए,–

"7क, मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) में,–

(क) खंड (ख) में, अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ग) में अंत में "और" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ग) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(घ) कोई ऊत्तक बैंक, जब तक इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो, ऊतकों की रिकवरी, स्क्रीनिंग, परीक्षण, प्रसंस्करण, भंडारण और संवितरण से संबंधित कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा।'।" (15)

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 7 क विधेयक में जोड़ा जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7 क विधेयक में जोड़ा गया।

नियम 80 के निलंबन संबंधी प्रस्ताव

श्री गुलाम नबी आजाद: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह उपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 16 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 16 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7 ख धारा 13 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 4, पंक्ति 36 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए,–

'7ख मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में,–

(क) खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड **प्रतिस्थापित** किए जाएंगे, अर्थात:–

"(iii) निम्नलिखित के संबंध में, ऐसे मानकों को, जो विहित किए जाएं, प्रवृत्त करने के लिए,–

(अ) ऐसे अस्पतालों के लिए, जो किसी मानव अंग के हटाने, भंडारकरण या प्रतिरोपण में लगे हैं;

(आ) ऐसे ऊत्तक बैंकों के लिए, जो ऊत्तकों की रिकवरी, स्क्रीनिंग, परीक्षण, प्रसंस्करण भंडारण और संवितरण से संबंधित क्रियाकलाप में लगे हैं;";

(ख) खंड (iv) **के पश्चात्,** निम्नलिखित खंड **अंत:स्थापित** किया जाएगा, अर्थात्:–

(ivक) आवधिक रूप से ऊत्तक बैंकों का निरीक्षण करना;'। (16)

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 7 ख विधेयक में जोड़ा जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7 ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 नई धारा 13क, 13ख, 13ग और 13घ का अंत:स्थापन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 5, पंक्ति 16 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए,–

"(च) ऐसे गैर-सरकारी संगठनों या संगमों, जो अंग या ऊत्तक संदानों या मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति;

(छ) मानव अंग प्रतिरोपण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, परंतु वह प्रतिरोपण दल का सदस्य नहीं है।"। (17)

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 धारा 14 का संशोधन

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 5, पंक्ति 37-38 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

'9, मूल अधिनियम की धारा 14 में,-

(क) उपधारा (1) में, "कोई अस्पताल" शब्दों **के स्थान पर,** "कोई अस्पताल (जिसके अंतर्गत मानव अंग सुधार केन्द्र भी है)" शब्द और कोष्ठक **प्रतिस्थापित** किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:- (18)

पृष्ठ 6, पंक्ति 4-8 का लोप किया जाए। (19)

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री गुलाम नबी आजाद: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 20 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 20 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 9क नई धारा 14क का अंत:स्थापन-

ऊत्तक बैंक का रजिस्ट्रीकरण

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 8 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

'9क मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"14क. (1) कोई ऊतक बैंक, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रारंभ के पश्चात्, ऊत्तकों की रिकवरी, स्क्रीनिंग, परीक्षण, प्रसंस्करण, भंडारण और संवितरण से संबंधित क्रियाकलाप तब तक आरंभ नहीं करेगा, जब तक वह इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत न हो:

परंतु मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रारंभ के ठीक पूर्व, ऊत्तकों की रिकवरी, स्क्रीनिंग, परीक्षण, प्रसंस्करण, भंडारण और संवितरण से संबंधित क्रियाकलाप में भागत: या अनन्यत: लगी कोई सुविधा, ऐसे प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर ऊत्तक बैंक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए लागू होगी:

परंतु यह और कि मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रारंभ की तारीख से तीन मास के अवसान पर ऐसी सुविधा, जब तक ऐसे ऊत्तक बैंक ने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन न कर दिया हो या इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत न हो गया हो या ऐसे आवेदन का निपटान किए जाने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी ऐसे क्रियाकलाप में लगी नहीं रहेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन समुचित प्राधिकारी को, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई भी ऊत्तक बैंक तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि समुचित प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा ऊत्तक बैंक ऐसी विशेषज्ञ सेवाओं और सुविधाओं को प्रदान करने की स्थिति में है और उसके पास ऐसे कुशल कर्मचारी और उपकरण हैं तथा वह ऐसे स्तर को बनाए रख सकता है, जो विहित किए जाएं,"...(20)

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 9क विधेयक में जोड़ा जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 9क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री गुलाम नबी आजाद: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 21 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 21 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 9ख धारा 15 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 8 के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,–

9ख. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में "अस्पतालों को अनुदान", शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, अस्पताल या ऊत्तक बैंक को अनुदान" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।"।(21)

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 9ख विधेयक में जोड़ा जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 9ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (i) के अंतर्गत निलंबन के बारे में प्रस्ताव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 22 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009

की सरकारी संशोधन संख्या 22 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 9ग धारा 16 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 8 के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,–

'9ग. मूल अधिनियम की धारा 16 में "अस्पताल" शब्द, जहां-जहां आता है, के स्थान पर, "यथास्थिति, अस्पताल या ऊत्तक बैंक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। (22)

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 9ग विधेयक में जोड़ा जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 9ग विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (i) के अंतर्गत निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 23 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 23 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 9घ धारा 17 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 8 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें:

'9घ. मूल अधिनियम की धारा 17 में 'धारा 9 की उपधारा (1) के अंतर्गत' शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों के पश्चात् "व्यथित कोई अस्पताल" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, कोई अस्पताल या ऊत्तक बैंक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।"।(23)

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 9घ विधेयक में जोड़ा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 9घ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 10 धारा 18 का संशोधन

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 6, पंक्ति 12:–

'पांच' के स्थान पर 'बीस' प्रतिस्थापित करें। (24)

पृष्ठ 6, पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित करें।

'(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(3) कोई व्यक्ति, जो बिना किसी प्राधिकार के मानव ऊत्तकों को निकालने के लिए, किसी रीति में किसी अस्पताल को या उसमें अपनी सेवाएं देता है या उसका संचालन करता है या किसी भी प्रकार से उससे सहयुक्त होता है या उसमें सहायता करता है, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।"।

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खंड 10, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 धारा 19 का संशोधन

संशोधन किये गयेः

पृष्ठ 6, पंक्ति 19 और 20 "या ऊत्तकों या दोनों" का लोप करें। (26)

पृष्ठ 6, पंक्ति 25;

'पांच लाख' के स्थान पर 'बीस लाख' प्रतिस्थापित किया जाए। (27)

पृष्ठ 6 पंक्ति 26 में, "बीस लाख" के स्थान पर "एक करोड़" प्रतिस्थापित किया जाए। (28)

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

'कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (i) के अधीन निलंबन संबंधी प्रस्ताव

श्री गुलाम नबी आजादः महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 29 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 29 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 11क

नई धारा 19क का अंतःस्थापन-मानव ऊत्तकों में अवैध व्यवहार करने के लिए दंड

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 27 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,-

"11क. मूल अधिनियम की धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

19क. जो कोई,-

(क) किसी मानव ऊत्तक के प्रदाय के लिए या प्रदाय करने की किसी प्रस्थापना के लिए कोई संदाय करता है या प्राप्त करता है; या

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति का पता लगाना चाहता है, जो किसी मानव ऊत्तक का प्रदाय संदाय करने पर रजामंद हो; या

(ग) संदाय के लिए किसी मानव ऊत्तक का प्रदाय करने की प्रस्थापना करता है; या

(घ) ऐसी किसी व्यवस्था के लिए कार्रवाई या बातचीत करता है जिसमें किसी मानव ऊत्तक का प्रदाय करने के लिए या प्रदाय करने की किसी प्रस्थापना के लिए कोई संदाय करना सम्मिलित है; या

(ङ) ऐसे किसी व्यष्टि निकाय, चाहे कोई सोसाइटी, फर्म या कोई कंपनी हो, के प्रबंध या नियंत्रण में भाग लेता, है जिसके क्रियाकलापों के अंतर्गत खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी व्यवस्था को आरंभ करना या बातचीत करना है या सम्मिलित हैं; या

(च) किसी विज्ञापन को प्रकाशित या संवितरित करना या प्रकाशित करने या संवितरित करने के प्रति अग्रसर होना-

(i) किसी मानव ऊत्तक का संदाय करने पर प्रदाय करने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करना; या

(ii) संदाय के लिए किसी मानव ऊत्तक का प्रदाय करने की प्रस्थापना करने वाला; या

(iii) ये उपदर्शित करना कि विज्ञापनकर्ता खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी व्यवस्था के लिए कार्य आरंभ करने या बातचीत करने के लिए इच्छुक है; या

(छ) मिथ्या दस्तावेजों को तैयार करने या प्रस्तुत करने में दुष्प्रेरण करता है, जिसके अंतर्गत यह स्थापित करने के लिए कि दाता निकट नातेदार के रूप में या प्राप्तकर्ता के प्रति स्नेह या उससे लगाव के कारण दान कर रहा है, मिथ्या शपथपत्र देना भी है,

वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।"। (29)

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 11क विधेयक में जोड़ा जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 11क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 धारा 20 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 30 में, "पांच" के स्थान पर, "बीस" प्रतिस्थापित किया जाए। (30)

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 धारा 24 का संशोधन

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 6, पंक्ति 33 से लेकर 38 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,–

"(कक) मानव अंगों या ऊत्तकों या दोनों, जिनकी बाबत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी पर कर्तव्य अधिरोपित किया गया है, धारा 3 की उपधारा (1क) के खंड (i) के अधीन प्राधिकार प्राप्त करने के लिए दस्तावेज प्राप्त करने की रीति;

(कख) धारा 3 की उपधारा (1क) के खंड (ii) के अधीन दाता या उसके संबंधियों को अवगत कराने की रीति;

(कग) धारा 3 की उपधारा (1क) के खंड (iii) के अधीन मानव अंग निकालने वाले केन्द्र को सूचना देने की रीति;

(कघ) वह तारीख, जिससे उपधारा (1क) में उल्लिखित कर्त्तव्य, धारा 3 की उपधारा, (1ख) के अधीन किसी अरजिस्ट्रीकृत अस्पताल में कार्यरत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी पर लागू होते हैं;"। (31)

पृष्ठ 6, पंक्ति 39 में, "(कख)" के स्थान पर, "(कङ)" प्रतिस्थापित किया जाए। (32)

पृष्ठ 7, पंक्ति 27 से 29 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,–

'(टख) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 14क की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन किया जाएगा और फीस संलग्न होगी;

(टग) धारा 14क की उपधारा (3) के अधीन किसी ऊत्तक बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विशेषज्ञ सेवाएं और सुविधाएं, कुशल कार्मिक और उनके पास उपलब्ध उपकरण और उनके द्वारा बनाए रखे जाने वाले मानक;";

(च) खंड (ठ) में "अस्पताल" शब्द के स्थान पर, "अस्पताल या ऊत्तक बैंक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।'। (33)

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1 लघुशीर्षक, प्रयोग और प्रारंभ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 2,...

'2009' के स्थान पर '2011' प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम-सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 10

"साठवें वर्ष" के स्थान पर "बासठवें वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री गुलाम नबी आजादः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.31 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 18वें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेगी। श्री प्रबोध पांडा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 10 अगस्त, 2011 की सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 10 अगस्त, 2011 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.32 बजे

बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में संकल्प

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब सभा मद सं. 20 को लेगी। डा. भोला सिंह अपनी बात जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, लगभग एक वर्ष पहले इस सदन में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यह गैर सरकारी संकल्प इस सदन में पुरस्थापित हुआ था और एक

वर्ष के अन्तराल में समय समय पर यह उपस्थित भी हुआ लेकिन सदन में यह विचार विमर्श के लिए उपस्थित नहीं हो पाया। आज यह सौभाग्य आपकी मौजूदगी में इस सदन को और बिहार को प्राप्त हो रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यह कोई राजनीति का विषय नहीं है। यह कोई राजनैतिक पार्टी का भी विषय नहीं है। यह बिहार के विकास और बिहार के उदय के साथ जुड़ा हुआ विषय है और अंत तक यह राष्ट्रीय विकास के साथ भी जुड़ा हुआ है।

मार्श ने एक स्थान पर कहा है कि हमारे जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में भी आर्थिक मामले राष्ट्र के प्रवाह की धारा बदलते हैं और यह आर्थिक मामला विकास के साथ जुड़ा हुआ है। जब मैं बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की मांग करता हूं तो यह कोई मेरी याचना नहीं है। यह कोई मेरी प्रार्थना नहीं है, भिक्षाटन नहीं है, बिहार का गौरवशाली इतिहास, गौरव, यश, कृति है लेकिन आज उपजाऊ जमीन होते हुए भी जमीन के नीचे पानी की अंतरसलिला रहते हुए भी, सात नदियों के रहते हुए मेहनतकश अवाम के परिश्रम के रहते हुए भी बिहार इतिहास में गौरव के आसन से नीचे उतर गया। इसका कारण बिहार स्वयं नहीं है बल्कि देश की राजनीतिक अवस्थाएं, घटनाएं हैं जिन्होंने बिहार को इस रूप में उपस्थित किया। मैं लंबी बात न कहकर आपके सामने कुछ तथ्यों को रखना चाहता हूं, वह तथ्य है कि बिहार का यह शताब्दी वर्ष है और बिहार 100 वर्ष से अपने नाम, अस्मिता के साथ प्रवेश कर गया है। बिहार राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक का चिह्न है। बिहार की मिट्टी ने मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा के आसन पर बिठाया। इसकी मिट्टी में लोक नायक जय प्रकाश जी ने जन्म लिया, उन्होंने मदांध सत्ता को उसकी औकात को जमीन पर उतारने का काम किया। बिहार ने संपूर्ण राष्ट्र को एक दिशानिर्देशन दिया है। बिहार ने इतिहास में छठी शताब्दी ई.पूर्व. से लेकर 232 ए. डी. के बीच बिहार ने संपूर्ण देश की भौगोलिक सीमा, हिंदुकुश पर्वत की सीमाएं बांधी। बिहार ने सबसे पहले इस देश में सेल्युकस, सिकंदर के सेनापति को हराया। बिहार ने कौटिल्य के माध्यम से आइडियल स्टेट निर्माण के सिलसिले में तमाम आचार संहिताओं को जन्म दिया। बिहार संपूर्ण विश्व में डेमोक्रेसी की मां है। बिहार सर्वधर्म की पालना है, संपूर्ण विचारधाराओं का समन्वय है और आज बिहार सौफरेन सदन में अपने स्पेशल दर्जे के लिए आने के लिए विवश हुआ है।

महोदय, कुछ दिन पहले जुलाई में 1,25,00,000 लोगों के हस्ताक्षर को लेकर एन.डी.ए. के संयोजक श्री शरद यादव जी ने महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री के सामने जनता के आंसुओं को, उनकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और समस्याओं को रखा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी बातों को सुना। हम इस बात को आपके सामने रखना चाहते हैं कि जब वर्ष 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड हमारे अग से काटा गया। पहले उड़ीसा हमारे अंग से काटा गया, हम बंगाल से अलग हुए, हमारा शरीर लहुलुहान हुआ। हम दगीची की हड्डी बन गए। जब झारखंड हमसे अलग हुआ, इसे आप दुर्भाग्य कहिए कि झारखंड को 47 प्रतिशत भूभाग प्राप्त हुआ लेकिन जनसंख्या का दसवां हिस्सा प्राप्त हुआ जबकि बिहार का क्षेत्रफल 54 प्रतिशत रहा। बिहार से वह हिस्सा कट गया जहां कोयला था। हिंदुस्तान का 47 प्रतिशत भाग का कोयला झारखंड, बिहार में था। यहां तांबा, अभ्रक, लोहा, यूरेनियम भी था। बिहार के पास जो हिस्से बचे, कोसी, गंगा, सतमाला नदियों, गंडक, बूढ़ी गंडक से तार-तार हुआ। और प्रत्येक वर्ष बिहार सैकड़ों करोड़ की क्षति से आवेष्टित हुआ और दक्षिण बिहार क्रोनिक सुखाड़ से पीड़ित हो गया। बिहार की सारी नदियां नेपाल से आती हैं। हम इस सदन में कहना चाहते हैं कि बिहार की आज जो दुर्दशा हुई है, इसलिए बिहार आज केन्द्र सरकार की कालोनी के रूप में उपस्थित हुआ, हम उसकी अवस्था को लेकर आपके माध्यम से सदन में उपस्थित हुए हैं।

सभापति महोदय, 2000 ईस्वी में जब बिहार का बंटवारा हुआ तो बिहार विधान सभा में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हुआ, संकल्प पास हुआ कि बिहार के बंटवारे से इस राज्य पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा है, जो कुप्रभाव पड़ा है, उस हानि को पूरा करने के लिए बिहार को एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपये प्राप्त हों। सभी पार्टियों ने, सभी पार्टियों के माननीय सदस्यों ने बिहार विधान सभा में इसे पास किया। 2006 में पुन: उसी बिहार विधान सभा ने एक सर्वसम्मत संकल्प पास किया कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए और इस संकल्प को लेकर बिहार की तमाम पार्टियों के नेताओं ने तत्कालीन सरकार के साथ भेंट की और मेमोरेंडम दिया। उन्हें आश्वासन प्राप्त हुए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति, श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम बिहार विधान सभा गये और उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने उस उद्बोधन में कहा कि मिशन 2020 में बिहार कैसे विकास करेगा और उस विकास के लिए बिहार को क्या-क्या करना होगा। महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक अनुदेश दिया, उन्होंने एक प्रबोधन किया और बिहार के मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार ने महामहिम राष्ट्रपति जी से उनकी उपस्थिति में, जो उन्होंने संकल्प कराया, उसका समर्थन करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि राष्ट्रपति जी हम आपके दिशा-निर्देशन का पालन करेंगे और हम बिहार को 2015 तक विकसित राज्य बनाने का संकल्प लेते हैं। राष्ट्रपति जी संवैधानिक प्रधान होते हैं और राष्ट्रपति जी का निर्देश एक संवैधानिक उच्चतम इकाई का निर्देश है और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देना हमारी एक संवैधानिक बाध्यता हो गई है। जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हम इसके साथ ही यह भी कहना

चाहते हैं कि बिहार स्पेशल राज्य का दर्जा पाने के सारे मापदंड पूरे करता है। एक स्पेशल राज्य के लिए किन-किन चीजों की आवश्यकता है, उसमें प्रमुख आवश्यकता यह है कि उस राज्य की सीमाएं दूसरे देश से जुड़ी हुई हों और बिहार की सीमाएं नेपाल और बंगलादेश से जुड़ी हुई हैं। लगभग एक हजार किलोमीटर इसकी सीमाएं इनसे मिलती हैं।

दूसरी शर्त यह है कि राज्य में पहाड़, पथरीली जमीन और जंगल हों, ये सब उत्तर और दक्षिण बिहार में इस राज्य को प्राप्त हैं। तीसरे मौलिक संरचना का अभाव हो, वहां यह भी है। चौथा विकास के लिए बाजार की आवश्यकता है और औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता है। औद्योगिक क्रांति बिहार में नहीं हुई। मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें बिहार को एक स्पेशल राज्य के रूप में उपस्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए हम आपके सामने इस बात को रखना चाहते हैं। एक एक्स्पर्ट ने कहा है कि जब तक भारत के पूर्वी हिस्से का विकास नहीं होगा तब तक भारत आर्थिक रूप से महाशक्ति नहीं बन सकता है। पूर्व में जितने भी राज्य हैं, बिहार को छोड़कर सभी को आपने स्पेशल राज्य का दर्जा दिया है। बिहार उसमें मुख्य है जिसको आपने छोड़ दिया है। हम आपके माध्यम से बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने के लिए आग्रह करना चाहते हैं। यह राजनीति का विषय नहीं है। संपूर्ण देश को विकसित और शक्तिशाली बनाने के लिए बिहार का पिछड़ रहना दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

सभापति जी, हम आपके सामने एक तथ्य और रखना चाहते हैं कि हमने सरकार से समय-समय पर क्या-क्या नहीं कहा है। हमने कहा कि झारखण्ड बनने के बाद से बिहार को आश्वासन दिया गया था कि बिहार की क्षति भी भरपाई करेंगे। बिहार विधानसभा ने उस संकल्प को व्यक्त किया। सन् 1989 में उस समय के प्रधानमंत्री जी ने गांधी मैदान में कहा था कि प्रत्येक वर्ष 5100 करोड़ रुपये बिहार को पैकेज के रूप में देते रहेंगे। वह बिहार को प्राप्त नहीं हुआ। बिहार में औद्योगिक क्रांति के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए जो कोल-लिंकेज की आवश्यकता है, उसके लिए 90 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के यहां विद्युत उत्पादन के लिए हमारी योजनाएं पड़ी हुई हैं। एक बार कोल लिंकेज दिया गया, लेकिन उससे बिजली पैदा नहीं हो सकती थी, लोहा गलाया जा सकता था।

सभापति महोदय, हम आपके सामने कहना चाहते हैं कि जिस समय अंग्रेज थे, उस समय बिहार में 42 चीनी मिलें थीं, आज मुश्किल से आठ चीनी मिले हैं। बिहार सरकार ने एथनाल की अनुज्ञप्ति के लिए केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था। इसी सदन में कृषि मंत्री शरद पवार जी ने आश्वासन दिया था कि हम दो-तीन महीने के अंदर बिहार को चीनी मिल खोलने के लिए, अगर बिहार एथनाल चाहता है तो हम उस एथनाल के लिए अनुज्ञप्ति देंगे। सभापति जी, इस सम्मानित सदन में माननीय मंत्री जी घोषणा करें और उसका कार्यान्वयन न हो, यह दुर्भाग्य की बात है।

सभापति जी, राष्ट्रीय विकास परिषद् में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने कहा कि बिहार के नवादा जिले के रजौली में न्युक्लियर पॉवर प्लॉन्ट लगाए जाएं। उसके संबंध में तमाम तकनीकी पदाधिकारी भी बिहार गए। बिहार सरकार ने यह भी आश्वस्त किया कि न्युक्लियर पॉवर प्लॉन्ट के लिए पानी की जो भी आवश्यकता होगी, हम उसको पूरा करेंगे। धनंजय नदी में हम उस चीज को पूरा करेंगे। लेकिन वह पूरा नहीं हुआ है, उस पर कार्यवाई नहीं हुई है, वह लटका पड़ा हुआ है।

सभापति जी, दूसरे राज्यों को अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने की छूट है, लेकिन बिहार को यह छूट नहीं है। हम अपने गंगा जल का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। पिछले दिनों कहलगांव में गंगाजल का उपयोग करने पर, हमें रोक लगा दी गई।

सभापति जी, स्पेशल राज्य का विषय केवल आर्थिक विषय ही नहीं है। फरक्का में गंगा सूखती जा रही है। आप जानते हैं कि हमारे यहां औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है। हमारे यहां गंगा जल का जो बंटवारा हुआ, वह बिहार से बिना पूछे और बिना राय लिए हुआ। सोन नदी के पानी के बंटवारे के सिलसिले में भी बिहार की कोई भागीदारी नहीं रही। महोदय, आज बिहार की सारी नदियों के जल के बंटवारे के बारे में बिहार केंद्र सरकार से आग्रह करता है। गंगा जल के बंटवारे के बारे में, सोन नदी के जल के बंटवारे के बारे में केंद्र पुन: बिहार सरकार के साथ बातचीत करे, विचार-विमर्श करे, यह हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार से यह भी कहना चाहते हैं कि हिमाचल से निकलने वाली जो नदियां हैं, हमने शुरू में ही कहा है कि बिहार का प्राण नेपाल में बसा हुआ है। कोशी नदी शोक की नदी कहलाती है, इस कोशी नदी के कारण प्रत्येक वर्ष बिहार अधोगति में है। कोशी नदी और अन्य दूसरी नदियां जिनका स्त्रोत नेपाल है, नेपाल में डैम बनाकर उन नदियों पर नियंत्रण रखने की जो जिम्मेदारी बिहार सरकार की हो सकती है, वह नहीं है। बिहार ने बार-बार केंद्र सरकार से इस मामले में आग्रह किया कि केंद्र इस दिशा में कार्यवाही करे, लेकिन आज तक केंद्र की सरकार ने नेपाल की सरकार के साथ बातचीत करके उसने इस दिशा में कोई कार्यवाही करने का कदम नहीं उठाया है।

महोदय, हम किसी स्पेशल पैकेज की बात नहीं कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमें स्पेशल पैकेज दिया जाये, हमें कुछ रुपयों की घूंट पिलायी जाये, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्पेशल राज्य का दर्जा हमें प्राप्त हो ताकि हमें एक्साइज ड्यूटी में छूट मिले, बिहार में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश हो, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर पूंजी निवेश बिहार में हो। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि बिहार के छात्र प्रतिभाशाली हैं, बिहार के युवक प्रतिभाशाली हैं, बिहार के किसान प्रतिभाशाली हैं और कृषि उत्पादन में बिहार का भविष्य उज्जवल है। बिहार का वर्तमान कृषि क्रान्ति है। हमारे पास औद्योगिक क्रान्ति की कोई जगह नहीं है, हमारे पास कृषि क्रान्ति, कृषि आधारित उद्योग-धंधों की आवश्यकता है। इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि पिछले दिनों विश्व बैंक ने भी सहरसा के इलाके में, सुपौल के इलाके में, पिछले तीन वर्ष पहले जो विनाशक बाढ़ आयी थी, उससे जो तीस लाख लोग विस्थापित हुए, उन्हें बसाने का सवाल, उन्हें पुन:वार्सित करने का जो सवाल था, उस सवाल पर विश्व बैंक ने हमें सहयोग करने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री जी वहां गये हुए थे और यू.पी.ए. की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी भी गयी हुई थीं। दोनों ने उस बाढ़ के समय बिहार को आश्वासन दिया था कि बाढ़ या त्रासदी केवल बिहार की नहीं है, यह राष्ट्रीय त्रासदी है, यह राष्ट्रीय विपदा है। उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन ऐसा कहने के बाद भी बिहार को उनसे जो अपेक्षा हो सकती थी, वह बिहार को प्राप्त नहीं हुआ।

महोदय, बंगाल हुंकार करता है तो एक मिनट में भारत सरकार बीस हजार करोड़ रुपया दे देती है। उत्तर प्रदेश का बुन्देलखंड हुंकार करता है, कांग्रेस के प्रधान सचिव श्री राहुल गांधी जब वहां जाते हैं तो वहां सहायता दी जाती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि ऐसा न हो। आन्ध्र प्रदेश में विपदा आती है तो हजारों करोड़ रुपये आप देते हैं, दूसरे राज्यों में विपदा आती है तो हजारों करोड़ रुपये आप देते हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि उन्हें न दिया जाये। हम यह कहते हैं कि उन्हें देते हैं तो दीजिये, और दीजिये, लेकिन बिहार के मामले में आपकी घिघ्घी क्यों बंध जाती है, बिहार के मामले में आपके हाथ क्यों बंध जाते हैं, बिहार के मामले में आपके पैर क्यों थरथराने लगते हैं, क्या बिहार आपके जिस्म का हिस्सा नहीं है?

सभापति महोदय, मैं एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं।

"ढोलक बज रहे थे, तबला बज रहा था, सभा हो रही थी और उसी बीच में एक बकरा आकर बैठ गया। लोगों ने बकरे से पूछा - 'बकरा, तू तबले की आवाज को पहचानता है, समझता है? कहा - नहीं समझता हूं। तू हारमोनियम की आवाज को समझता है? कहा - नहीं समझता हूं। तू ढोलक की आवाज को समझता है? कहा - नहीं समझता हूं। तो तू यहां क्यों है?' बकरा ने कहा - मैं यहां इसलिए हूं कि वह जो तबला है, वह जो ढोलक है, उसका जो चमड़ा है, वह हमारे जिस्म का चमड़ा है। उस पर जब चोट पड़ती है तो वह चोट हमको लगती है। हमको दर्द होता है।"

इसलिए बिहार भारत का जिस्म है, बिहार भारत की आत्मा है, बिहार भारत के शरीर का हिस्सा है और अगर बिहार को चोट लगती है, भारत को चोट लगती है तो बिहार तिलमिलाता है।

सभापति महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको याद होगा, 1975 से 1977 तक पूरे देश में जो आंदोलन हुए, बिहार उसकी अगुवाई कर रहा था। उस समय श्री लोकनायक जयप्रकाश नारायण, श्रीमती इंदिरा गांधी से उनके निवास स्थान पर मिलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने जाकर श्रीमती गांधी से कहा कि मैं हिन्दुस्तान की पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी से मिलने नहीं आया हूं, मैं अपनी बेटी इन्दु से मिलने आया हूं। इंदिरा जी फफक-फफक कर रोने लगीं। जयप्रकाश जी रोने लगे। यह है बिहार का केन्द्र के साथ रिश्ता, यह है हमारी राजनीति का रिश्ता। हम राजनीति में शुचिता के प्रहरी हैं, हम राजनीति में शुचिता के पथिक हैं। 2005 में बिहार की वार्षिक कार्य योजना 4200 करोड़ रुपये की थी। आज बिहार की कार्य योजना लगभग 24000 करोड़ रुपये की है। हमने पांच वर्ष के अंदर बिहार में बदलाव किया है। हमने अपने संकल्प को दोहराया है। हमने तकनीकी फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पांच वर्षों के अंदर हमने बिहार में विकास दर को 11 से 13 प्रतिशत तक पहुंचाया है। हम गुजरात के बहुत करीब हैं। इसलिए हमने एक संकल्प दिया है और हमारी बहुत सारी योजनाओं का केन्द्र ने अनुकरण किया है, केन्द्र ने उनको अपनाया है। हम हारबिंगरों की सोसाइटी बन रहे हैं, हम अपने इतिहास के गौरवशाली पहलू को उतार रहे हैं, उसे उठा रहे हैं। आज जब बिहारी मुम्बई जाता है तो वहां के लोग कहते हैं कि यह जो डेंगू फैला है, सब बिहार के कारण फैला है। बिहार के लाखों लोग दिल्ली में हैं तो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कहती हैं कि दिल्ली की जो गंदगी है, वह बिहार के चलते है, उत्तर प्रदेश के चलते है। जिस तरह से हमने देखा कि लंदन और अमेरिका जो पश्चिमी मॉडल के देश हैं, वहां साउथ ईस्ट एशिया के जो लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं, आज उन्हें अपने संकट को दूर करने के लिए, इन लोगों को निकालने के लिए कदम उठा रहे हैं, उनकी आवाज उठ रही है। और आज इस देश में बिहार को उसके राज्य मुम्बई से निकाला जाए, महाराष्ट्र से निकाला जाए, कर्नाटक से निकाला जाए, पंजाब और हरियाणा से निकाला जाए कि बिहार गंदगी का रूप है, बिहार लज्जा का रूप है, बिहार सांस्कृतिक पतन का रूप है, यह जो बीमारू राज्य बिहार था, हमने

इस राज्य को एक सबल राज्य के रूप में उपस्थापित करने के लिए कदम उठाया है। हमारी विकास दर बहुत आगे बढ़ी है और हमारे यहां बहुत सारे पूंजी निवेश होने लगे हैं। हमने कानून व्यवस्था को ठीक किया है। इसलिए हम आपके माध्यम से एक आग्रह करना चाहते हैं। मैंने प्रारंभ में कहा कि यह कोई राजनीति का विषय नहीं है, यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है, यह अंतत: देश के विकास के साथ जुड़ा हुआ सवाल है।

सभापति जी, अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। बिहार शांति, स्वतंत्रता, विकास का प्रतीक है और सर्व और बढ़ता हुआ कदम है।

अपराह्न 4.00 बजे

महोदय, एक जंगल में आग लगी हुई थी। चिड़िया उड़कर जाती थी और समुद्र से पानी को चोंच में उठा कर उस आग को बुझाना चाहती थी। वह उड़ती थी, जाती थी, चोंच में पानी लाती थी और उसे आग पर डालती थी। उस समुद्र में हाथी स्नान कर रहा था। हाथी ने कहा कि चिड़िया क्या तेरी चोंच में इतना पानी आ सकता है कि जिस आग को तू बुझाना चाहती है, उसे बुझा सके। चिड़िया ने कहा - हाथी, मुझे मालूम है कि मेरी चोंच में कितना पानी है। मैं जानती हूं कि मेरी चोंच में जितना पानी है, उस पानी से यह आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं इतिहास में लिखाना चाहती हूं कि जब आग लगी हुई थी, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा न कि आग लगाने वालों में। हाथियों ने जब यह सुना, तो सारे हाथी सूंड में पानी लेकर दौड़े और उस आग को बुझाने लगे।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार विकास के माध्यम से शांति का पैगाम देना चाहता है। बिहार अपने इतिहास को दोहराना चाहता है। बिहार शताब्दी वर्ष में एक सबल राज्य के रूप में उपस्थित होकर भारत को गौरव और शक्ति प्रदान करना चाहता है। मैं श्री दुष्यंत कुमार की एक कविता आपके सामने रखना चाहता हूं-

"जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावनाओं की गोद से उतर कर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें,

चंद तारों से और प्राप्त ऊंचाइयों के लिए रूठना, मचलना सीखें,

हंसे-मुस्कुराएं, गाएं, हर दिन की रोशनी देख कर ललचाएं,

उंगली जलाएं, अपने पांव पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों।"

महोदय, आज सदन में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। राष्ट्र की सांस्कृतिक आत्मा के रूप में उन्होंने भारत का दिशा-निर्देशन किया। मैं उनकी एक कविता आपके सामने रखना चाहता हूं-

"टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर,

पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर।

झरे सब पीले पात कोयल की कुहूक रात,

प्राची में अरूणिमा को देख-देख गाता हूं,

गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं।"

इन शब्दों के साथ बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री ओम प्रकाश यादव (सिवान): सभापति महोदय, आपने मुझे डॉ. भोला सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मैं इस संकल्प का पूर्ण समर्थन करता हूं। बिहार क्षेत्रफल के मामले में देश का 12वां राज्य है। यहां की 85 प्रतिशत जनता गांव में रहती है। बिहार आर्थिक रूप से हमेशा से ही कमजोर राज्य रहा है, लेकिन विभाजन के बाद तो इसकी कमर टूट गई है। बिहार में उद्योगधंधों की शुरू से ही कमी थी, आजादी के बाद जो थोड़े बहुत उद्योग लगे, वह दक्षिण बिहार में लगे जो कि बंटवारे के समय झारखण्ड में चले गए। खनिज सम्पदा भी झारखण्ड में चली गई। आज बिहार के पास प्राकृतिक आपदा के रूप में बाढ़ और बालू के सिवा कुछ नहीं बचा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि बिहार के गौरवमयी इतिहास को पुन: दुहराने के लिए, वहां की निरीह जनता को सबल बनाने के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना अति आवश्यक है।

सभापति महोदय, विभाजन के बाद जो स्थिति हमारे सामने है, वह इतना ही है कि विभाजन के फलस्वरूप राज्य की तीन-चौथाई संपदा झारखंड में चली गयी जबकि बिहार के पास तीन-चौथाई देनदारी रह गयी। विभाजन के बाद झारखंड में राज्य की 46 प्रतिशत जमीन चली गयी जबकि तीन-चौथाई से भी ज्यादा आबादी बिहार में रह गयी। विभाजन के बाद 90 प्रतिशत वन संपदा झारखंड में चली गयी और खनिज संपदा से होने वाली आय का 96 प्रतिशत झारखंड में चला गया। राज्य की लगभग 73 प्रतिशत भूमि बाढ़ प्रभावित है और शेष 27 प्रतिशत भूमि सूखा प्रभावित है। ज्यादातर क्षेत्रों से बाढ़ का पानी निकलने में महीनों लग जाते

हैं। वर्षाकाल में न सिर्फ गांव के, बल्कि जिला मुख्यालय भी महीनों तक शेष भारत से कटे रहते हैं जिससे ग्रामीणों को भयानक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की जो नीति है उसके अनुसार जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें मापदण्डों के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इन मापदण्डों में प्रथम है दुर्गम भौगोलिक स्थिति या राज्य का पहाड़ी होना। दूसरा मापदण्ड है, राज्य में आदिवासी जनसंख्या अधिक मात्रा में होना। तीसरा है, राज्य से किसी अन्य देश की सीमा का लगना। चौथा है, कमजोर आर्थिक स्थिति होना। पांचवां है, राज्य में मूलभूत संरचना का अभाव होना। आप देख सकते हैं कि बिहार इन सभी मापदण्डों को पूरा करता है। केन्द्र सरकार के प्रयासों की वजह से राज्य में सड़कों की स्थिति काफी सुधरी है। लेकिन राज्य में अभी भी विद्युत की स्थिति काफी दयनीय है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि बिहार को उसके आर्थिक उद्योग-धंधों का जाल बिछाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा अगर केन्द्र सरकार प्रदान करती है तो निश्चित तौर पर बिहार एक सबल राज्य के रूप में उभरेगा और राष्ट्र मजबूत होगा।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): माननीय सभापति महोदय, श्री भोला प्रसाद सिंह जी ने अपने भाषण में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो विचार रखे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं तथा जो प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार ने अमेरिका में एक बयान दिया था। बयान में उन्होंने कहा कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक आय 1000 अमेरिकी डालर हो गयी है। 1000 डालर को मोटे तौर पर हम मान लें 45000 या 46000 रुपए के बराबर। यानि भारत का प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 45000 रुपया है। कुछ राज्यों की आय उससे ज्यादा है। चंडीगढ़ की आय ज्यादा है। मुम्बई, दिल्ली में रहने वालों की प्रति व्यक्ति आय 80000 रुपए से ऊपर है। कहीं-कहीं तो यह 85000 रुपया है। लेकिन बिहार राज्य आज सबसे नीचे के पायदान पर खड़ा है। आज की तारीख में भी उसकी प्रति व्यक्ति कुल वार्षिक आय करीब 5000 करोड़ रुपया है। जहां देश की आमदनी हो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 80000 रुपया और औसत हो 45000 रुपया। यह प्रधानमंत्री के वित्तीय सलाहकार विदेश में जाकर कह रहे हैं। उसी देश में एक राज्य ऐसा है जहां आज भी प्रति व्यक्ति आय करीब 15000 रुपया है तो यह तो क्षेत्री असंतुलन है। जब देश में अमीरी-गरीबी के बीच में, आदमी-आदमी के बीच में, राज्यों-राज्यों के बीच में गैर बराबरी है, तो उस क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने के लिए सरकार ने समय-समय पर फैसला लिया है। सरकार ने योजना बनाई है। दसवीं, 11वीं योजना और अब 12वीं योजना आने वाली है। योजना में सरकार की परिकल्पना यही रहती है कि हम क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाएंगे। बिहार इसी क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की बात कह रहा है। भोला बाबू ने बंटवारे की बात की, बंटवारे से पहले जब बिहार एक था, तब भी हम सबसे निचले पॉयदान पर थे। तब भी हम मांग करते थे कि बिहार का विकास तब तक नहीं होगा, जब तक फ्रेट इक्वलाइजेशन बिहार के लिए लागू नहीं होगा। हम उस समय भी कहते थे, जब झारखंड हमारे साथ था। हम तब भी कहते थे, जिस माइंस की बात भोला बाबू ने की है कि बिहार में उस समय खनिज, कोयला और अभ्रक था, वह अब झारखंड में चला गया। उस समय में यूरेनियम सिंघभूम जिला में जमशेदपुर के बगल में था, वह आज झारखंड में चला गया। जब सन् 2000 से पहले माइंस, मिनरल्स, यूरेनियम हमारे पास था, तब भी हम कहते थे कि बिहार गरीब है, उस समय सचमुच गरीब था। सन् 2000 से पहले भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश, विद्युत खपत और प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन कम था। योजना का आकार 24000 करोड़ रुपए का है यानि प्लान आउटले आज की तारीख में बिहार ने बनाया है, यह पहले के मुकाबले अधिक है, किन्तु आज भी बिहार में प्लान आउटले कम है और तब भी कम था। इसलिए तब भी हमने विशेष आर्थिक सहायता की याचना की थी।

जब बिहार एक था तो बिहार की उपेक्षा की गई। बिहार ने तब भी कहा कि हमारा कोयला, अभ्रक, ताम्बा और यूरेनियम लेते हो, लेकिन हमें विशेष आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में नहीं मिलती है। बिहार में गरीबी और बेकारी है, यह तब भी हमने कहा था, लेकिन बिहार का बंटवारा हो गया। आप जब बिहार को बांट रहे थे, तब भी हमने कहा। जिस कोयले, फ्रेट इक्वलाइजेशन, ताम्बे, विद्युत उत्पादन संयंत्र, विद्युत कारखाने, बोकारो स्टील सिटी की बात करते थे, वह झारखंड में चला गया। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास कृषि है और आजादी के बाद सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन बिहार करता था। सबसे ज्यादा चीनी मिलें बिहार में थीं। हम कई वर्षों तक चीनी उत्पादन में एक नम्बर पर रहे। आज हमारा चीनी उद्योग समाप्त हो गया है, बंद हो गया।

हमने यही मांग की थी कि हमें बड़ा कारखाना मत दो। हमारी जो मीडियम साइज शुगर इंडस्ट्री है, उसका रिवाइवल चाहिए। जब भारत सरकार ने बिहार का बंटवारा किया तो हमने स्पेशल पैकेज की मांग की कि बिजली उत्पादन के लिए, आधारभूत संरचना के लिए, जिसके बारे में कहा गया कि जो क्राइटेरिया एवं पैरामीटर है, स्पेशल स्टेट्स स्टेट को देने के लिए जो मानदंड हैं, उस मानदंड में गरीबी, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश, प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन, विद्युत खपत, बेकारी, संपूर्ण सकल घरेलू उत्पादन जो होता है, वह भी है। लेकिन आपने उस दिन भी नहीं सोचा और जब बिहार का बंटवारा कर दिया तो बिहार में शुगर इंडस्ट्री चौपट हो गई। हमने एक लाख 87 हजार करोड़ रुपए का स्पेशल

पैकेज मांगा था कि अगर बिहार को बचाना चाहते हैं, वहां अगर गरीबी, बेकारी दूर करना चाहते हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना चाहते हैं, हमारा माइंस और कारखाना आपने ले लिया तो बिहार को स्पेशल पैकेज दीजिए। ये बंटवारे के प्रस्ताव के समय नहीं, इन्होंने प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लिया, स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी जी सन् 1989 में बिहार गए थे, तब भी उन्हें कहा गया कि बिहार गरीब है। आप सब कुछ बिहार से लेते हो, लेकिन बिहार गरीब है, हमारे पास पैसे की कमी है और क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने की संवैधानिक व्यवस्था है, आपका दायित्व है, केन्द्र की जिम्मेदारी है कि क्षेत्र में, देश में क्षेत्रीय असंतुलन मिटे, देश का कोई अंग बीमार नहीं रहे, कोई राज्य बीमार न रहे, कोई राज्य अपंग न रहे,

अपराह्न 04.16 बजे

[**श्रीमती सुमित्रा महाजन** *पीठासीन हुईं*]

यह व्यवस्था आपको करनी है। यह 1989 में बिहार सरकार ने राजीव गांधी जी से कहा और तब बिहार सरकार हमारी नहीं थी, सरकार उस समय कर्पूरी ठाकुर जी की नहीं थी, सरकार उस समय कांग्रेस की थी। कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी जी को कहा। राजीव गांधी जी ने पटना में स्पेशल पैकेज का एलान किया, जो आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, कौन जवाब देगा कि बिहार को राजीव गांधी जी ने जो स्पेशल पैकेज दिया था, बिहार को स्पेशल पैकेज के माध्यम से न तो योजनागत मद में आपने राशि दी, न आपने सीधे राशि दी।

उसके पश्चात् बिहार के बंटवारे के बाद सभी पार्टियों ने सर्व-सम्मति से मिलकर बिहार विधानमंडल में, बिहार विधानसभा में, बिहार विधान परिषद् में संकल्प पारित किया। बिहार विधान-मंडल ने जो प्रस्ताव पास किया, उसमें दिल्ली सरकार से मांग की कि हमारी स्थिति जर्जर है।

बिहारी सारे देश में हैं। अभी लद्दाख में 18000 फीट की ऊंचाई पर बोर्डर रोड आर्गेनाइजेशन ने सड़क बनाई है। बिहार के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वहां थे, उन्होंने कहा-सांसद जी, आप तो आये हैं, लेकिन यहां लद्दाख में जो सिंधु नदी पर हाइडल पावर प्लांट बन रहा है, उसमें लेबर कहां के हैं, यह 18000 फीट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन नहीं है, वहां जो लेबर काम कर रहे हैं, वे कहां के हैं, यह सियाचिन में जब जवानों के लिए आप सड़क बनाते हैं, वहां लेबर कहां के हैं। कहा कि यहां बिहार के लेबर है और हमने कार्यस्थल पर जाकर देखा तो पता चला कि उनमें दो मजदूर हमारे क्षेत्र के निकल गये। कहने का मतलब है कि बिहार में गरीबी है। सन् 2000 में आपने वायदा किया था कि बिहार के मजदूरों का पलायन रुकेगा, इसके लिए जो भी सम्भव प्रयास होगा, पलायन को रोकने के लिए जो भी योजना लागू करनी होगी, मजदूरों को काम देने के लिए काम दिए जायेंगे। आपने स्पेशल पैकेज नहीं दिया, आपने अनुदान नहीं दिया, हम क्या मांगते। विशेष राज्य का दर्जा आपने बंटवारे के बाद उत्तराखंड को दिया, हमने कोई एतराज नहीं किया। अभी तक आपने 11 प्रदेशों को विशेष राज्य का दर्जा दिया है, जिसमें सन् 2000 में जो उत्तर प्रदेश राज्य का, बिहार का और मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, उसमें आपने उत्तराखंड को दिया है, अच्छा किया है। उत्तराखंड डिजर्व करता है और 11 राज्य डिजर्व करते हैं तो बिहार भी डिजर्व करता है।

बिहार में बाहर से पूंजी नहीं आ रही है, किन्तु जो पूंजी निवेश करने वाले हैं, एण्टरप्रिन्योर, उद्योगपति, वे कहते हैं कि हमको करों में छूट मिलनी चाहिए, हमको एक्साइज ड्यूटी में छूट मिलनी चाहिए और वह छूट बिहार नहीं दे सकता, बिहार की सरकार नहीं दे सकती है, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है।. ..(*व्यवधान*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): बिहार को जीरो इंडस्ट्रियल स्टेट घोषित किया जाये।...(*व्यवधान*)

श्री मंगनी लाल मंडल: इसीलिए हम मांग करते हैं, स्पेशल स्टेटस की हम आपसे मांग करते हैं। हमें स्पेशल पैकेज आप नहीं देंगे, मत दीजिए। राजीव गांधी जी ने पैकेज की जो घोषणा की थी, आपने अभी तक नहीं दिया, मत दीजिए, हम आपसे पैसा नहीं मांगते, हम स्पेशल स्टेटस मांगते हैं। स्पेशल स्टेटस जो बिहार को आप देंगे, उससे हमारे यहां पूंजी प्रवाह होगा और पूंजी प्रवाह होगा तो उद्योग लगेंगे। हमारे यहां सबसे रुग्ण उद्योग शुगर इंडस्ट्री है। जो विभाजन का प्रस्ताव है और जो विधेयक है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग का भी विधेयक विधान-मंडल में पारित हुआ था, जिसको आपने किया, कहा कि शुगर इंडस्ट्रीज रिवाइवल के लिए सरकार सोचेगी, लेकिन आज एक भी हमारी शुगर इंडस्ट्री रिवाइव नहीं हो सकी, इसलिए जो संकल्प इन्होंने पेश किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

बिहार डिजर्व करता है, बिहार गरीब है, बिहार में गरीबी है, बिहार में बेकारी है, बिहार को मजबूर करके आप मत रखें। बिहार के बारे में कहा गया कि यह देश की आत्मा है। देश की आजादी के आंदोलन में बिहार ने अपनी अग्रणी भूमिका निभायी। महात्मा गांधी को सरदार वल्लभ भाई ने तब तक बापू नहीं माना, जब तक महात्मा गांधी को चंपारण की धरती ने महात्मा नहीं बनाया। बिहार को आप मजबूर मत करिए कि बिहार के लोग आंदोलन करें और वे आंदोलनरत हो जाएं। बिहार की ओर से एक मेमोरेंडम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। मैं सदन के माध्यम

से मांग करता हूं कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए बिहार ने जो मेमोरेंडम दिया है, उसको स्वीकार कीजिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, इस पर विचार कीजिए। बिहार में गरीबी, बेकारी दूर होगी तो बिहार का जो क्षेत्रीय असंतुलन है, वह दूर होगा। इससे देश मजबूत होगा और देश की गरीबी दूर करने में भी बिहार की अग्रणी भूमिका होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं डॉ. भोला सिंह जी के इस संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि बिहार को स्पेशल स्टैटस का दर्जा मिलना चाहिए। मैं कवि दुष्यंत के शब्दों में कहना चाहूंगा - 'पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, बिहार को एक गंगा मिलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी यह कोशिश है कि अब सूरत बदलनी चाहिए।' हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि बिहार की सूरत बदले।

सभापति महोदया, मैं उत्तराखंड से आता हूं। उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो सड़क बनती हैं, वहां हिमपात होता है और वे बर्फ पड़ने से अक्सर टूट जाती हैं। सड़क के बगल में टीन के जो बने हुए मकान होते हैं, एक झोपड़ी की तरह जो बने होते हैं, उनमें रहने वाले लोगों से पूछते हैं कि आप लोग इतनी दूर से आए हैं, आप कहां के रहने वाले हो और आप यहां आकर जैसे जगद्गुरू शंकराचार्य आए थे और उन्होंने बद्रीधाम को स्थापित किया, उसका जीर्णोद्धार किया, इसी प्रकार से आप आकर हमारे उत्तराखंड के अंदर सड़कों का निर्माण कर रहे हो, कहां के रहने वाले हो, किस राज्य के रहने वाले हो? वे कहते हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं। मैं बिहार की जनता को प्रणाम करना चाहता हूं जो अपने राज्य से निकलकर आज उत्तराखंड राज्य की सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, चार धामों को जोड़ रहे हैं, यात्रियों और पूरी सीमाओं को जोड़ रहे हैं, ऐसे उन कर्मठ लोगों को और कर्मयोगियों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आज वे लोग बिहार से निकलकर भारत के अंदर सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, सड़कों का जाल फैला रहे हैं। परंतु आज उनका राज्य किस स्थिति में है, यह देखना होगा और उसके लिए सरकार को एक आर्थिक पैकेज, एक स्पेशल स्टैटस देना होगा, ताकि उनका घर भी आबाद हो सके और वे अपने घर के अंदर भी सड़कों का जाल फैला सकें। मैं कहना चाहूंगा कि बिहार को बने हुए सौ साल हो गए। पहले बिहार बहुत बड़ा था, झारखंड से जुड़ा हुआ था। आज झारखंड निकाल दिया गया, जहां खनिज पदार्थ हैं, कोयला है, माइका है, वे सारे निकाल दिए गए, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां निकल गयीं। आज बिहार अपने आप में खनिज पदार्थ शून्य हो गया है। ऐसी स्थिति में राज्य को निश्चित रूप से स्पेशल स्टैटस मिलना चाहिए। मैं बिहार को इसलिए प्रणाम करता हूं कि राजेन्द्र बाबू की वह धरती है, जय प्रकाश नारायण जी की वह धरती रही और श्री हंस महाराज का बिहार से विशेष लगाव था। बिहार की स्थिति ऐसी रही कि वहां के लोगों का जो जीवन स्तर था, उसके अंदर जब लोग कहीं शादी में जाते थे, तो किसी का कुर्ता उधार मांगकर जाते थे। वे उसको पहनते तक नहीं थे, कमर के ऊपर रख लेते थे, ताकि यह लगे कि इस आदमी के पास कुर्ता भी है। ऐसी गरीबी जिस राज्य के अंदर हो, निश्चित रूप से उस राज्य को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उसे स्पेशल स्टैटस मिलना चाहिए। बिहार से गंगा नदी बहती है। उसका भी दोहन होना चाहिए जिससे हम वहां माल ढो सकें, माल की आवाजाही कर सकें और सस्ते रूप में ईंधन की बचत हो। उसका बहुत बड़ा क्षेत्र नेपाल से जुड़ा हुआ है। नेपाल से नदियां आती हैं, उनमें बाढ़ आ जाती है और ऐसा देखने में लगता है कि सारा बिहार पानी में डूब गया है। ऐसी स्थिति में बिहार के लिए निश्चित रूप से स्पेशल स्टैटस होना चाहिए, मैं इसकी मांग करता हूं और इस संकल्प का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): सभापति महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर, एवं भोला बाबू के संकल्प पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। भोला बाबू के बेहतरीन तकरीर के बाद कुछ बचा नहीं है लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से इस सदन का और इस देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिहार जो अशोक, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण की भूमि है। वहां नालंदा है जो सबसे पुरानी संस्कृति है। वहां विक्रमशिला है, वहां का मैं खुद हूं। जहां पर बोधगया, वैशाली और राजगीर है। आज दु:ख होता है कि हम बिहार के लोग विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांग रहे हैं? हम में विशेष ऐसा क्या है? सतपाल महाराज जी ने कहा कि देश की तरक्की में बिहार के लोग कैसे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। कश्मीर, लद्दाख हो या सियाचीन ग्लेशियर हो वहां भी आप को बिहार के लोग मिल जाएंगे। हमारा विजन बड़ा है। हम बड़े विजन के साथ काम करते हैं। हम इस देश की एक-एक जमीन पर अपना अधिकार मानते हैं। इसलिए बिहार के लोग बड़ी तादाद में देश के कई स्थानों पर आप को मिलेंगे लेकिन आज दिक्कत यह है कि बिहार के बंटवारे के बाद हमारे पास कुछ बचा नहीं है। हमारे पास सिर्फ नदियां हैं जो नेपाल से आती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जितना पानी वे हमें भेज दें हमें मिल जाता है। अंतरराष्ट्रीय संधि बीच में बाधा बनती है। हम रोड और पुल बनाते हैं लेकिन जब नेपाल से ज्यादा पानी आ जाता

है तो वह रोड, पुल-पुलिया बह जाते हैं। जब हम उम्मीद करते हैं कि बाढ़ का हमें कोई पैकेज मिलेगा तो वचन अच्छा मिलता है। जब दु:ख में होते हैं तब सब लोग हमें देखने आते हैं। हमें कहते भी हैं कि मदद करेंगे। लेकिन बाढ़ का जो पैसा है वह भी नहीं मिलता है। एक तरफ बाढ़ है दूसरी तरफ दक्षिण बिहार में सूखा पड़ता है। बाढ़ का पैसा मांगते-मांगते जब जबान थक जाती है तब हमें सूखे का पैसा मांगना पड़ता है और दोनों चीजें हमें नहीं मिलती हैं।

बिहार के अंदर एक अच्छी सरकार है। भाई, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, इंजीनियर बिहार का पुनर्निमाण कर रहे हैं। हमारे पास बिजली नहीं है। 15 साल लालटेन की रोशनी में हम ने आंख खराब किया। बिहार के साथ कैसे अन्याय हुआ है? हम बिहार के लोगों की आंख जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि हम लालटेन में बचपन से पढ़ते हैं। मैं कोसी का हूं।...(*व्यवधान*) मैं आपको देख रहा हूं। दूर की नजर तेज है, आप पर नजर है।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदया: लालटेन भभकती भी है, ध्यान रखिए। आप आगे बोलिए।

...(*व्यवधान*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: मैं कोसी के भागलपुर से सांसद हूं।...(*व्यवधान*)

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): नदियों में जब बाढ़ आती है तो उस पानी को सेव करने के लिए कोई रास्ता बता दीजिए।...(*व्यवधान*)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: उस तरह का रास्ता तो आएगा, लेकिन उसमें आपके सहयोग की जरूरत है। आपकी सरकार का जो असहयोग आंदोलन भारतीय जनता पार्टी और जेडी (यू) सरकार के साथ चल रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदया: आपस में बातचीत मत कीजिए।

...(*व्यवधान*)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: यह ऐसा विषय है कि इतने वक्ता बोले, किसी को किसी ने नहीं टोका, लेकिन हमसे सबका बड़ा प्रेम है। मैं जब भी खड़ा होता हूं...(*व्यवधान*)

सभापति महोदया: आपसे सब लोग प्रेम करते हैं, लेकिन आप आगे बोलिए।

...(*व्यवधान*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: हमारे मित्र हैं, लेकिन...(*व्यवधान*) बिहार में उस अंधेरे को देखा। यहां हम 543 सांसद हैं। हम गांवों से आते हैं। हमने गरीबी देखी है। लालटेन में पढ़े हैं। हमें किसी के घर जाकर गरीबी देखने की जरूरत नहीं है। हमने इसे एहसास किया है कि धुएं का आंख पर क्या असर होता है, जब पत्ते से खाना बनता है तो उस पत्ते के जलने का आंख पर क्या असर होता है। गर्मी में लालटेन में पढ़ने के बाद पसीना आए और उसके बाद जब ठंडी हवा बादेसबा आती है तो शरीर पर उसका कैसा आनंद प्राप्त होता है, यह सब हमने देखा है।...(*व्यवधान*)

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): गैस से कैसा लगता है।...(*व्यवधान*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: गैस वाले लोग गरीब लोगों के घर जाकर देखते हैं कि गरीबी क्या होती है, अंधेरा कैसा होता है। हमें कहीं जाकर देखने की जरूरत नहीं है। हम भी युवा हैं, सांसद हैं। सौभाग्य रहा है, आपके साथ मंत्री रहे हैं। हमने इन चीजों को नजदीक से देखा है। आज बिहार के लोगों का यह दर्द है। बिहार आज स्पेशल पैकेज क्यों मांग रहा है, क्योंकि जो हमारा खनिज, खदान, कोयला था, जब ज्वाइंट बिहार था तो रेल बिछा दी गई। हमारे यहां बिजली के कारखाने नहीं लगाए गए। हमारे यहां रेल की पटरी बिछाकर हमारे कोयले, बॉक्साइड, लोहे को वहां से ले जाया गया। तब भी बिहार के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि यह हमारा है, इसे मत ले जाइए। लेकिन आज अगर हम बिजली घर स्थापित करना चाहते हैं तो कोल का लिंकेज नहीं है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के पास क्षमता है। वे पिट हैड पर बिजली घर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन बिहार के कहलगांव, हमारे लोक सभा क्षेत्र में एन.टी.पी.सी. का सिर्फ एक थर्मल पावर है। वहां से बिजली बनती है और भागलपुर, पटना क्रॉस करके पंजाब चली जाती है। आज हमें वहां बिजली चाहिए। हमें बिजली में हक नहीं मिल रहा है। बिहार का केन्द्र सरकार पर 1800 मेगावाट बिजली का हक बनता है, लेकिन भारत सरकार 900 मेगावाट से ज्यादा बिजली नहीं दे रही है। हमें तालचर, फरक्का से बिजली दी जा रही है। वहां इनका यूनिट इतना खराब है कि आधी बार बैठ जाता है। हमें उसका कोई फायदा नहीं होता। आज बिहार में अंधेरे की जिम्मेदारी केन्द्र को लेनी पड़ेगी और यह मानना पड़ेगा कि अगर दस करोड़ बिहारी तरक्की नहीं करेंगे तो यह देश तरक्की नहीं करेगा। आप यह मानकर चलें कि बिहार के लोग इसी देश के हैं, बिहार इस देश का अभिन्न अंग है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आपकी नजर बदल गई। हम कह रहे हैं कि हमारी नज़र कमजोर हो रही है और आपकी नजर बदल गई है। हर बार मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। नेहरू जी के जमाने में बिहार के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। जहां हर सरकार में बिहार का कोई न कोई व्यक्ति देश की

पंचायत, कैबिनेट में बैठता था। यू.पी.ए. वन में रघुवंश बाबू बैठते थे। लेकिन आज बड़ी पंचायत में एक भी बिहारी नहीं है। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लिखा हुआ है *[अनुवाद]* बिहारी को सरकार में शामिल होने की अनुमति नहीं है *[हिन्दी]*...(*व्यवधान*) कैबिनेट के बाहर, मनमोहन सिंह जी के बाहर...(*व्यवधान*) बोर्ड लगा हुआ है।...(*व्यवधान*) हम बोल रहे हैं, सरकार को सुनने में दिक्कत हो रही है।...(*व्यवधान*) हम सरकार की बात कर रहे हैं। यह सदन की बात है।...(*व्यवधान*) क्या स्पीकर साहिबा कैबिनेट में बैठती हैं। लाल सिंह जी, आप इतने सीनियर मैम्बर हो गए हैं। आपको नहीं बना रहे हैं, हमें यह भी पता है। आप मेन जम्मू से जीतकर आते हैं, जहां से मैं चुनाव जीता, काफी पढ़े-लिखे हैं, लेकिन उर्दू जानते हैं। इनके पास बेहतरीन आलिम है। अपने जमाने में इनकी उर्दू की लिखावट का कोई मुकाबला नहीं है। आप लोगों को अंग्रेजी बोलने वाला ज्यादा पसंद है। उर्दू वाले का कोई टैलेंट ही आपकी नजर में नहीं है, यानी एक मौजूद है, वह भी ऑप्शन नहीं। आप राज्य सभा का पैनल बनाते और उनको दूसरी जगह से राज्य सभा में लाते। अगर आपको मौलाना असरारूल हक साहब का चेहरा पसंद न हो, तो बिहार के कोई और लोग, जो आपके लायक होते, वे मंत्रिमंडल में रहते। हमें इस पर एतराज नहीं है, लेकिन उस पंचायत में बिहार की आवाज कौन उठायेगा? आज बिहार की आवाज उठाने वाला कैबिनेट में कोई नहीं है। अगर बिहार के साथ अन्याय होगा, तो वहां कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम आपको रहमो-करम पर हैं कि वहां पर अगर कोई और मंत्री हमारे दर्द को रख दे। लेकिन भारत के इतिहास में यह पहला मौका है, जब आप बिना बिहारी के देश चला रहे हैं, बिना बिहारी के कैबिनेट चला रहे हैं। आपकी नीयत थी, हमें पता है। हम आपसे उम्मीद क्या करें, लेकिन फिर भी आप सरकार में हैं। जनता ने आपको उस मुकाम पर उधर बैठाया है, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे। आप रूलिंग पार्टी की तरह बिहेव कीजिए। सब मंत्री लोग हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। उनकी कार पर बत्ती लगी होती है और सायरन बजता रहता है। आप गंभीर बैठकर सब बात सुना कीजिए, क्योंकि आप सरकार हैं, विपक्ष में नहीं हैं।...(*व्यवधान*) इसलिए आपको हमारी, विपक्ष की बात को सुनना है, धीरज रखना है। अगर हमारी तरह व्यवहार करेंगे, तो आपको कोई मंत्री नहीं मानेगा और बाहर कहेगा कि यह भी संसद में रोज हल्ला करते रहते हैं, इसलिए लगता है कि यह सांसद ही हैं। आपको मंत्री की तरह, अभी आपको माइक को पटकना नहीं है, धीरज से बैठना है। हम उम्र में कम हैं, लेकिन मंत्री पहले बन गये थे। आपको कोई दिक्कत हो, तो हमसे भी सलाह-मशविरा कर सकते हैं।

सभापति जी, मैं आपके जरिये सदन में बिहार का दर्द रख रहा हूं। देश का पहला राष्ट्रपति जिस प्रदेश ने दिया हो, आज वह बार-बार आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सब राज्य में सड़क बन गयी, बंगाल में बन गयी। अश्विनी कुमार के राज्य पंजाब में बन गयी, मीणा जी के राज्य राजस्थान में बन गईं लेकिन रघुवंश बाबू जो थोड़ा बहुत हमें देकर गये थे, जैसे ही रघुवंश बाबू चले गये, वहां सड़क का काम एकदम रुक गया। हमें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में पैसा नहीं मिल रहा। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा रोककर बैठे हुए हैं और तीन महीने में तीन मंत्री बदल गये हैं। हम एक को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अभी हम श्री विलास राव जी से मिलकर आये थे कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा हमें नहीं मिल रहा। राजीव गांधी जी का नाम हमने सुबह लिया कि राजीव गांधी जी देश के नेता थे, पायलट थे, इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे। आपने इंडियन एयरलाइंस ही खत्म कर दिया। उसी तरह राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना है। आपने बिहार में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चलाई है। वहां बोर्ड लगा हुआ है। आपने वहां पर छोटे-छोटा ट्रांसफार्मर 16 केवीए, यानी बाल्टी जितना बड़ा ट्रांसफार्मर का लगा दिया।

सभापति महोदया, रमा देवी जी कह रही हैं कि ट्रांजिस्टर की तरह लगा दिया है। वह लटका दिया है और लोग उससे उम्मीद लगाये हुए हैं। राजीव गांधी जी का फोटो और एक बोर्ड राजीव गांधी विद्युतीकरण वहां लगा दिया है। वह बोर्ड स्टील का है, जिसे कोई हिल्ला-ढुला नहीं सकता। लेकिन वह ट्रांसफार्मर गायब हो गया, तार गायब हो गयी। वह जल ही नहीं रहा, यानी पूरे बिहार में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत हमारे साथ बहुत अन्याय किया है।

सभापति जी, मैंने आपके यहां इंदौर के एयरपोर्ट का सौंदर्यीकरण किया था। देश में महाराष्ट्र बड़ा प्रदेश है। वहां के बड़े मंत्री हैं, जैसे शरद पवार, प्रफुल पटेल, विलास राव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे जी हैं। हम जितने नाम गिनेंगे, उतने नाम हमें याद भी नहीं आयेंगे, यानी इतने मंत्री हैं। लेकिन उतनी ही सीट बिहार की है। अगर हम महाराष्ट्र से बिहार की तुलना कर लें, तो महाराष्ट्र में मुम्बई एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट, नागपुर एयरपोर्ट, औरंगाबाद एयरपोर्ट और नवी मुम्बई एयरपोर्ट भी आ रहा है, लेकिन बिहार में ले देकर एक पटना एयरपोर्ट है। क्या आप दस करोड़ बिहारियों को चाहते हैं कि बैलगाड़ी पर चलें? आप हमारा हक कहां-कहां मार रहे

हैं? हमने एक एयरपोर्ट गया में बनाया था, शरद जी ने शुरुआत की, मैंने उसको पूरा किया। इनके पास उद्घाटन के लिए भी टाइम नहीं है। पुराने मंत्री जी पांच साल वहां गए नहीं, नए मंत्री जी से उम्मीद करते हैं। आज वहां डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी नहीं चल रही हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर सियासत मत कीजिए। बिहार देश का अभिन्न अंग है, यह बात बार-बार आपको याद दिलाते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आप मंत्री मत बनाइए, कोई बात नहीं है। हम लोग बनेंगे, तो इकट्ठे छप्पर फाड़ के बनेंगे, इकट्ठे 12-15 मंत्री बनेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 12 मंत्री बने थे।...(*व्यवधान*) गया वाला हमने ही बनाया था।...(*व्यवधान*) और पटना एयरपोर्ट का रेनोवेशन किया। बड़ी मुश्किल से धोबीघाट दिया था इन्होंने। पैसा देकर वह जमीन ली थी।...(*व्यवधान*) मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार तरक्की के रास्ते पर चल रहा है, तो आप सहयोग कीजिए। यह देश तब तरक्की करेगा, जब देश का एक-एक राज्य तरक्की करेगा। यह देश तब तरक्की करेगा, जब एक-एक व्यक्ति तरक्की करेगा। नीतीश कुमार जी के रास्ते को रोकिए मत। दरिया अपना रास्ता चाहती है और जानती भी है। हम लोग आपके रोकने से रुके नहीं। चुनाव परिणामों पर ध्यान दीजिए। रूलिंग पार्टी के लोग रिसर्च कीजिए कि कभी यूपी-बिहार में आपकी बड़ी साख होती थी। आज क्या वजह है कि बिहार से आप दो सांसद हैं - एक हमारी अध्यक्ष महोदया हैं, उनका अपना कद है, नाम है, बाबू जी की बेटी हैं और दूसरे मौलाना असरारुल हक साहब हैं। इन्होंने मुझसे भी दो चुनाव लड़े हैं। मौलाना असरारुल हक साहब जब निर्दलीय भी लड़ते हैं, तो मिनिमम दो लाख वोट लाते हैं। वह किसी के रहमोकरम पर निर्भर नहीं हैं। ठीक है कि इस बार आपकी पार्टी से चुनाव लड़े और जीत गए। आप यह समझिए कि आप वहां कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। आपको दो बड़े व्यक्तित्व मिल गए, इसलिए आपका वहां खाता खुल गया। लेकिन अगर आपने यही रास्ता अपनाया, आपने विधानसभा चुनावों में कितने हेलीकाप्टर वहां उतारे, कितने लोग यहां से गए, जा-जाकर वहां भाषण दिए, उसका रिजल्ट क्या मिला - हम दो, हमारे दो, कुल मिलाकर चार सीटें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीति कीजिए। राजनीति में उपेक्षा करके मत चलिए। यह मत समझिए कि एक बार सीट नहीं मिली, तो आप हमसे बदला ले लेंगे। एक बार काम कीजिए, एक बार मौका दीजिए, सहयोग कीजिए। आप बी.जे.पी.-जे.डी.यू. को सहयोग मत कीजिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको सहयोग कीजिए। आप यह मानकर सहयोग कीजिए कि बिहार की दस करोड़ जनता का दर्द है। आप उस दर्द पर मरहम लगाइए, उस जख्म पर मरहम की जरूरत है, उस पर आप नमक मत छिड़किए। मैं भोला बाबू के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अनुरोध करता हूं कि हमारे यहां एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में मिलनी थी, जो रमा देवी जी का क्षेत्र है। वह हमें नहीं मिली है। मंत्री जी जिद पर अड़े हैं कि पटना में देंगे। कहां देंगे, यह बिहारी तय करेंगे। आप चांदनी चौक में बनाइए। आप तय कर रहे हैं कि हम चंपारण में नहीं देंगे। हम लोग चाहते हैं कि जहां से बापू ने आंदोलन शुरू किया, वहां यूनिवर्सिटी बने। हम लोग गांधी जी के रास्ते पर चलना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं गांधी जी के रास्ते पर नहीं चलेंगे। अब इसमें क्या दिक्कत है? इसलिए अगर चंपारण में यूनिवर्सिटी बनेगी, तो ऑक्सफोर्ड के पढ़े-लिखे सिब्बल साहब को क्या दिक्कत है?

मेरा दूसरा अनुरोध है कि नालंदा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है, उसमें बहुत काम हो रहा है, यहां बिल भी पास हुआ, केन्द्र सरकार भी सहयोग कर रही है। नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला, तीन प्राचीन विश्वविद्यालयों में से तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया, अब केवल दो धरोहरें बची हैं आपके पास। नालंदा को भाई नीतीश कुमार जी रिवाइव कर रहे हैं, आपने भी सहयोग किया है, लेकिन विक्रमशिला का क्या होगा, जहां से शाहनवाज हुसैन सांसद हैं। कुछ आप लोगों को इसकी चिंता है या नहीं? आज विक्रमशिला के अंदर भी उसी लेवल की यूनिवर्सिटी बनाइए। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाने की बात कर रहे हैं, अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए। आप यह मानकर चलिए कि जैसे नालंदा और विक्रमशिला के नाम से बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी, तो देश का नाम होगा, पूरी दुनिया में भारत का नाम होगा, इसमें केवल बी.जे.पी.-जे.डी.यू. का नाम नहीं होगा। इसमें डरिए मत, राजनीति में उतार-चढ़ाव आता रहता है, दिल छोटा मत कीजिए। बड़े दिल से काम कीजिए। छोटे मन से कोई बड़ा काम नहीं होता है, इसलिए दिल बड़ा कीजिए और बिहार की दस करोड़ जनता को उम्मीद है कि जो संकल्प भोला बाबू लेकर आए हैं, इस संकल्प पर आपका पॉजिटिव नोट आएगा। जैसे अभी सतपाल महाराज जी ने बोला, इसी तरह से सब लोग सहयोग कीजिए और बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी का सहयोग कीजिए। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि रघुवंश बाबू भी हम लोगों से सहयोग करने की बात कहेंगे। इनका साथ मिलेगा, तो जरूर हम लोग आगे तरक्की करेंगे।

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): جناب چیرمین صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اہم موضوع پر اور بھولا بابو کے ریزولیشن پر مجھے بولنے کا موقع دیا۔ بھولا بابو کی بہترین تقریر کے بعد کچھ بچا نہیں ہے لیکن میں بہت ذمہ داری سے اس ایوان کا اور اس ملک کا دھیان اس طرف دلانا چاہتا ہوں بہار جو اشوک، گوتم بدھ، بھگوان مہاویر، ڈاکٹر راجندر پرساد، جے پرکاش نارائن کی زمین ہے۔ وہاں نالندہ ہے جو سب سے پرانی تہذیب ہے۔ وہاں وکرم شلا ہے جہاں کا میں خود ہوں۔ جہاں پر بودھ گیا، ویشالی اور راج گیر ہے۔ آج دکھ ہوتا ہے کہ ہم بہار کے لوگ اسپیشل اسٹیٹ کا درجہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہم میں ایسا خاص کیا ہے۔ ستپال مہاراج جی نے کہاں کہ ملک کی ترقی میں بہار کے لوگ کیسے اپنا کنٹربیوشن دیتے ہیں۔ کشمیر، لداخ ہو یا سیاچین گلیشئر ہو وہاں بھی آپ کو بہار کے لوگ مل جائیں گے۔ ہمارا وزن بڑا ہے ہم بڑے وزن کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہم اس ملک کی ایک ایک زمین پر اپنا حق مانتے ہیں۔ یہ ہمارا راشٹرواد ہے۔ شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک ہم اسے اپنا آنگن مانتے ہیں۔ اس لئے بہار کے لوگ بڑی تعداد میں ملک کے کئی حصوں میں آپ کو ملیں گے۔ لیکن آج دقت یہ ہے کہ بہار کے بٹوارے کے بعد ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے۔ ہمارے پاس صرف ندیاں ہیں جو نیپال سے آتی ہیں جن پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ جتنا پانی وہ ہمیں بھیج دیں ہمیں مل جاتا ہے۔ بین الاقوامی ٹریٹی بیچ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ہم روڈ اور پل بناتے ہیں لیکن جب نیپال سے زیادہ پانی آجاتا ہے تو وہ روڈ، پل، پلیاں بہہ جاتے ہیں۔ جب ہم امید کرتے ہیں کہ باڑھ کا ہمیں کوئی پیکیج ملے گا تو وعدہ اچھا ملتا ہے۔ جب دکھ میں ہوتے ہیں تب سب لوگ ہمیں دیکھنے آتے ہیں، ہمیں کہتے بھی ہیں کہ مدد کریں گے۔ لیکن باڑھ کا جو پیسہ ہے وہ بھی نہیں ملتا ہے۔ ایک طرف باڑھ ہے دوسری طرف جنوبی بہار میں سوکھا پڑتا ہے۔ باڑھ کا پیسہ مانگتے مانگتے جب زبان تھک جاتی ہے تب ہمیں سوکھے کا پیسہ مانگنا پڑتا ہے اور دونوں چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں۔

بہار کے اندر ایک اچھی سرکار ہے۔ بھائی نتیش کمار، بہار کے وزیر اعلیٰ، انجینئر بہار کا پونرنرمان کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے۔ 15 سال لالٹین کی روشنی میں ہم نے آنکھ خراب کی ہیں۔ بہار کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ ہم بہار کے لوگوں کی آنکھیں جلدی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ہم لالٹین میں بچپن سے پڑھتے ہیں۔ میں کوسی کے بھاگلپور سے ممبر آف پارلیمنٹ ہوں۔۔ (مداخلت)۔ اس طرح کا راستہ تو آئے گا، لیکن اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ کی سرکار کا جو غیر تعاون آندولن جو بی۔ جے۔ پی۔ اور جے۔ ڈی۔ (یو) کے ساتھ چل رہا ہے اس میں دقت آرہی ہے۔ (مداخلت) یہ ایسا موضوع ہے، اتنے ممبر بولے، کسی کو کسی نے نہیں ٹوکا، لیکن ہم سے سب کو بہت محبت ہے۔ میں جب بھی کھڑا ہوتا ہوں (مداخلت)۔۔۔ ہمارے دوست ہیں، لیکن، (مداخلت)۔۔ بہار میں اس اندھیرے کو دیکھا۔ یہاں ہم 543 ممبر ہیں۔ ہم گاؤوں سے آتے ہیں۔ ہم نے غریبی دیکھی ہے۔ لالٹین میں پڑھے ہیں۔ ہمیں کسی کے گھر جا کر غریبی دیکھنے کی ضرورت نہیں

ہے۔ہم نے اسے محسوس کیا ہے کہ دھنویں کا آنکھ پر کیا اثر ہوتا ہے۔ جب پتے سے کھانا بنتا ہے تو اس پتے کے جلنے کا ، پر کیا اثر ہوتا ہے۔گرمی میں لالٹین میں پڑھنے کے بعد جب پسینہ آئے اور اس کے بعد جن ٹھنڈی ہوا بادِ صبا آتی ہے تو جسم پر اس کا کتنا مزہ آتا ہے یہ سب ہم نے دیکھا ہے۔۔گیس والے لوگ غریب لوگوں کے گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ غریبی کیا ہوتی ہے اندھیرا کیسا ہوتا ہے۔ہمیں کہیں جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ہم بھی جوان ہیں ممبر آف پارلیمنٹ ہیں۔خوش قسمتی سے وزیر بھی رہے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو نزدیک سے دیکھا ہے۔آج بہار کے لوگوں کا یہ درد ہے۔ بہار آج اسپیشل پیکیج کیوں مانگ رہا ہے، کیونکہ جو ہماری معدنیات، کھدان، کوئلہ تھا، جب جوائنٹ بہار تھا تو ریل بچھادی گئی۔ ہمارے یہاں بجلی کے کارخانے نہیں لگائے گئے۔ ہمارے یہاں ریل کی پٹری بچھا کر ہمارے کوئلے، باکسائٹ، لوہے کو وہاں سے لے جایا گیا۔تب بھی بہار کے کسی انسان نے نہیں کہا کہ یہ ہمارا ہے، اسے مت لے جائیے۔لیکن آج اگر ہم بجلی گھر قائم کرنا چاہتے ہیں تو کول کا لنکیج نہیں ہے۔اڑیسہ، چھتیس گڑھ اور جھارکھنڈ کے پاس قابلیت ہے۔ وہ پٹ ہیڈ پر بجلی گھر قائم کر سکتے ہیں، لیکن بہار کے کہل گاؤں، ہمارے پارلیمانی حلقہ میں این۔ٹی۔پی۔سی۔ کا صرف ایک تھرمل پاور ہے۔وہاں سے بجلی بنتی ہے اور بھاگلپور، پٹنہ کروس کر کے پنجاب چلی جاتی ہے۔آج ہمیں وہاں بجلی چاہئے۔ہمیں بجلی میں حق نہیں مل رہا ہے۔ بہار کا مرکزی سرکار پر 1800 میگا واٹ بجلی کا حق بنتا ہے، لیکن مرکزی سرکار 900 میگا واٹ سے زیادہ بجلی نہیں دے رہی ہے۔ ہمیں تالچر، فرکا سے بجلی دی جا رہی ہے۔ وہاں ان کا یونٹ اتنا خراب ہے کہ آدھی بار ہی بیٹھ جاتا ہے۔ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔آج بہار میں اندھیرے کی ذمہ داری مرکزی سرکار کو لینی پڑے گی اور یہ ماننا پڑے گا کہ اگر دس کروڑ بہاری ترقی نہیں کریں گے تو یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔آپ یہ مان کر چلیں کہ بہار کے لوگ اسی ملک کے ہیں، بہار اس ملک کا ایک بے حد اہم حصہ ہے۔لیکن آج کیا ہو رہا ہے۔آپ کی نظر بدل گئی ہے۔ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری نظر کمزور ہو رہی ہے اور آپ کی نظر بدل گئی ہے۔ ہر بار وزارت کی توسیع کی جاتی ہے۔نہروں جی کے زمانے میں بہار کے ڈاکٹر راجندر پرشاد دیش کے پہلے صدر بنے۔ جہاں ہر سرکار میں بہار کا کوئی نہ کوئی انسان ملک کی پنچایت، کیبنٹ میں بیٹھتا تھا۔یو۔پی۔اے۔ون بس رگھوونش بابو بیٹھتے تھے۔لیکن آج بڑی پنچایت میں ایک بھی بہاری نہیں ہے۔کانگریس کے دفتر کے باہر لکھا ہے Bihar is not allowed in the Governmen (مداخلت)۔۔کیبنٹ کے باہر، منموہن سنگھ جی کے باہر مداخلت)۔۔ہم بول رہے ہیں سرکار کو سننے میں دقت ہو رہی ہے۔ ہم سرکار کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایوان کی بات ہے کیا سپیکر صاحبہ کیبنٹ میں بیٹھتی ہے، لال سنگھ جی آپ اتنے سینئر ممبر ہو گئے ہیں آپ کو نہیں بنا رہے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ ہے۔۔ پ مین جموں سے جیت کر آتے ہیں، لیکن آپ کو منتری نہیں بنایا۔آج مولانا اسرار الحق صاحب، کشن گنج سے جہاں سے ل چناؤ جیتا تھا، کافی پڑھے لکھے ہیں، اردو جانتے ہیں، ان کے پاس بہترین علم ہے۔اپنے زمانے میں ...

کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو انگریزی بولنے والے زیادہ پسند ہیں۔ اردو والے کا کوئی ٹیلینٹ ہی آپ کی نظر میں نہیں ہے، یعنی ایک موجود ہے، وہ بھی آپشن نہیں۔ آپ راجیہ سبھا کا پینل بناتے اور ان کو دوسری جگہ سے راجیہ سے لاتے۔ اگر آپ کو مولانا اسرارالحق صاحب کا چہرہ پسند نہ ہو تو بہار کے کئی اور لوگ جو آپ کے لائق ہوتے، وہ کیبنٹ میں رہتے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اس پنچایت میں بہار کی آواز کون اٹھائے گا، آج بہار کی آواز اٹھانے والا کیبنٹ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر بہار کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو وہاں پر بولنے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ ہم آپ کے رحم وکرم پر ہیں کہ وہاں پر اگر کوئی اور منتری ہمارے درد کو رکھ دے تو رکھ دے۔ لیکن ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب آپ بنا کسی بہاری کے ملک کو چلا رہے ہیں۔ آپ کی نیت تھی ہمیں پتہ ہے۔ ہم آپ سے امید کیا کریں، لیکن پھر بھی آپ سرکار میں ہیں۔ عوام نے آپ کو اس مقام پر اُدھر بیٹھایا ہے تو ہم آپ سے امید کریں گے۔ آپ رولنگ پارٹی کی طرح behave کیجئے۔ سب منتری لوگ ہیں بڑی ذمہ داری ہے۔ ان کی کار پر بتی لگی ہوتی ہے، اور سائرن بجتا رہتا ہے۔ آپ گمبھیر بیٹھ کر سب بات سنا کیجئے کیونکہ آپ سرکار ہیں اپوزیشن نہیں۔ اس لئے آپ کو ہماری اپوزیشن کی بات سننا ہے صبر کرنا ہے۔ اگر آپ ہماری طرح برتاؤ کریں گے تو آپ کو منتری کوئی نہیں مانے گا۔ اور باہر کہے گا کہ یہ بھی پارلیمنٹ میں روز ہلہ کرتے رہتے ہیں، اس لئے لگتا ہے کہ یہ ممبر آف پارلیمنٹ ہی ہیں۔ آپ کو منتری کی طرح ابھی آپ کو مائک کو پٹخنا نہیں ہے۔ دھیرج سے بیٹھنا ہے۔ ہم عمر میں کم ہیں، لیکن منتری پہلے بن گئے تھے۔ آپ کو کوئی دقت ہو تو ہم سے بھی صلاح ومشورہ کر سکتے ہیں۔

چیرمین صاحب، میں آپ کے زریعے ایوان میں بہار کا درد رکھ رہا ہوں۔ ملک کا پہلا صدر جس ریاست نے دیا ہو، آج وہ بار بار آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اسپیشل اسٹیٹ کا درجہ چاہئے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم گرام سڑک یوجنا کے تحت سب ریاستوں میں سڑک بن گئی۔ بنگال میں بن گئی، اشونی کمار جی کی ریاست پنجاب میں بن گئی، مینا جی کی ریاست راجستھان میں بن گئی، لیکن رگھوونش بابو جو تھوڑا بہت ہمیں دے کر گئے تھے، جیسے ہی رگھوونش بابو چلے گئے وہاں سڑک کا کام ایک دم رک گیا۔ ہمیں پردھان منتری گرامین سڑک یوجنا میں پیسہ نہیں مل رہا ہے۔ پردھان منتری گرام سڑک کا پیسہ روک کر بیٹھے ہیں اور تین مہینے میں تین منتری بدل گئے ہیں۔ ہم ایک کو ریپریزینٹیشن دیتے ہیں، ابھی ہم بی ولاس راؤ جی سے مل کر آئے تھے کہ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کا پیسہ ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ راجیو گاندھی جی کا نام نے صبح لیا کہ راجیو گاندھی دیش کے نیتا تھے، پائلٹ تھے، انڈین ائرلائنز کے پائلٹ تھے۔ آپ نے انڈین ائرلائنز ہی ختم دی۔ اسی طرح راجیو گاندھی ودیوتی کرن یوجنا ہے۔ آپ نے بہار میں راجیو گاندھی ودیوتی کرن یوجنا چلائی ہے، وہاں لگا ہوا ہے۔ آپ نے وہاں پر چھوٹے۔ چھوٹے ٹرانسفارمر 16 کے۔وی۔اے۔، یعنی بالٹی جتنا بڑا ٹرانسفارمر لگا دیا۔

چیرمین صاحب، رمادیوی جی کہہ رہی ہیں کہ ٹرانسسٹر کی طرح لگا دیا ہے۔ وہ لٹکا دیا ہے اور لوگ اس سے امید لگا
ے ہیں۔ راجیو گاندھی کا فوٹو اور ایک بورڈ لگا دیا ہے۔ وہ بورڈ اسٹیل کا ہے، جسے کوئی ہلا ڈلا نہیں سکتا۔ لیکن وہ ٹرانسفارمر
ب ہوگیا، تار غائب ہوگئی۔ وہ جل ہی نہیں رہا، یعنی پورے بہار میں راجیو گاندھی ودیوتی کرن یوجنا کے تحت ہمارے ساتھ
ت زیادہ ناانصافی کی گئی۔

چیرمین صاحب، میں نے آپ کے یہاں اندور کے ائرپورٹ کا سوندریئے کرن کیا تھا۔ ملک میں مہاراشٹر ایک
ت بڑی ریاست ہے۔ وہاں سے بڑے منتری ہیں، جیسے شرد پوار، پرفل پٹیل، ولاس راؤ دیشمکھ، سشیل کمار شنڈے جی
ں۔ ہم جتنے نام گنیں گے اتنے نام ہمیں یاد بھی نہیں آئیں گے، یعنی اتنے منتری ہیں۔ لیکن اتنی ہی سیٹ بہار کی ہیں۔ اگر
م مہاراشٹر سے بہار کی تلنا کرلیں تو مہاراشٹر میں ممبئی ائرپورٹ، پونے ائرپورٹ، ناگپور ائرپورٹ، اورنگ آباد ائرپورٹ اور
ی ممبئی ائرپورٹ بھی آرہا ہے۔ لیکن بہار میں لے دے کر ایک پٹنہ ائرپورٹ ہے۔ کیا آپ دس کروڑ بہاریوں کو چاہتے
ں کہ بیل گاڑی پر چلیں؟ آپ ہمارا حق کہاں کہاں مار رہے ہیں، ہم نے ایک ائرپورٹ گیا میں بنایا تھا، شرد جی نے شروعات
ی میں نے اس کو پورا کیا، ان کے پاس ادگھاٹن کے لئے بھی ٹائم نہیں ہے۔ پرانے منتری جی پانچ سال وہاں گئے نہیں، نئے
نتری جی سے امید کرتے ہیں۔ آج وہاں ڈومیسٹک فلائٹس بھی نہیں چل رہی ہیں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر
یاست مت کیجئے، بہار ملک کا ایک اہم حصہ ہے یہ بات آپ کو بار بار یاد دلاتے ہوئے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آپ
نتری مت بنائے کوئی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ بنیں گے تو اکٹھے چھپر پھاڑ کے بنیں گے، اکٹھے 12/15 منتری بنیں گے۔
ٹل بہاری باجپئی جی کی سرکار تھی 12 منتری بنے تھے۔ گیا والا ہم نے ہی بنایا تھا اور پٹنہ ائرپورٹ کا رینوویشن کیا، بڑی مشکل
سے دھوبی گھاٹ دیا تھا انہوں نے۔ پیسہ دے کر وہ زمین لی تھی۔ میں اس وواد میں نہیں جانا چاہتا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں
کہ اگر نتیش کمار جی کی سرپرستی میں بہار ترقی کے راستے پر چل رہا ہے تو آپ تعاون کیجئے۔ یہ ملک تب ترقی کرے گا جب ملک
کی ایک ایک ریاست ترقی کرے گی۔ یہ ملک تب ترقی کرے جب ایک ایک انسان ترقی کرے گا۔ نتیش کمار جی کے راستے کو
روکئے مت۔ دریا اپنا راستہ چاہتی ہے اور جانتی بھی ہے، ہم لوگ آپ کے روکنے سے رکے نہیں الیکشن کے نتائج پر دھیان
دیجئے رولنگ پارٹی کے لوگ ریسرچ کیجئے کہ کبھی یو۔پی۔ بہار میں آپ کی بڑی ساکھ ہوتی تھی۔ آج کیا وجہ ہے کہ آپ بہار
سے صرف دو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ایک ہماری اسپیکر صاحبہ ہیں، ان کا اپنا قد ہے، نام ہے، بابو جی کی بیٹی ہیں، اور دوسرے
مولانا اسرارالحق صاحب ہیں انہوں نے مجھ سے بھی دو چناؤ لڑے ہیں مولانا اسرارالحق صاحب جب آزاد بھی لڑتے ہیں تو
سے کم دو لاکھ ووٹ لاتے ہیں وہ کسی کے رحم وکرم پر منحصر نہیں ہیں، ٹھیک ہے کہ اس بار آپ کی پارٹی سے چناؤ لڑے او
[illegible] آپ کو دو بڑے انسان تو مل گئے اس لئے آ

کا وہاں کھاتہ کھل گیا۔لیکن اگر آپ نے یہی راستہ اختیار کیا آپ نے ودھان سبھا چناؤں میں کتنے ہیلی کوپٹر وہاں کتنے لوگ یہاں سے گئے، جا جا کر وہاں بھاشن دئے، اس کا نتیجہ کیا ملا، ہم دو ہمارے دو۔کل ملا کر چار سیٹیں۔اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست کیجئے، سیاست میں اپیکشا کر کے مت چلئے۔یہ مت سمجھئے کہ ایک بار سیٹ نہیں ملی تو آپ ہم سے بدلہ لے لیں گے۔ ایک بار کام کیجئے ، ایک بار موقع دیجئے، تعاون کیجئے، آپ بی۔جے۔پی۔ جے۔ڈی۔(یو) کو تعاون مت کیجئے، نتیش کمار جی بہار کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو تعاون کیجئے آپ یہ مان کر تعاون کیجئے کہ بہار کی دس کروڑ جنتا کا درد ہے۔آپ اس درد پر مرہم لگائیے۔اس زخم پر مرہم کی ضرورت ہے، اس پر آپ نمک مت چھڑکئے۔ میں بھولا بابو کے ریزولیوشن کی تائید کرتے ہوئے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک سینٹرل یونیورسٹی موتی ہاری میں ملنی تھی جو رما دیوی جی کا حلقہ ہے۔وہ ہمیں نہیں ملی ہے۔منتری جی ضد پر اڑے ہیں پٹنہ میں دیں گے۔کہاں دیں گے یہ بہاری طے کریں گے۔آپ چاندنی چوک میں بنائیے۔آپ طے کر رہے ہیں کہ ہم چمپارن میں نہیں دیں گے۔ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں سے باپو نے آندولن شروع کیا وہاں یونیورسٹی بنے، ہم لوگ گاندھی جی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گاندھی جی کے راستے پر نہیں چلیں گے۔اب اس میں کیا دقت ہے اس لئے اگر چمپارن میں یونیورسٹی بنے گی تو آکسفورڈ کے پڑھے لکھے سبل صاحب کو کیا دقت ہے۔میری دوسری گزارش ہے کہ نالندہ میں بین الاقوامی سطح کی سینٹرل یونیورسٹی بن رہی ہے، اس میں بہت کام ہو رہے ہیں، یہاں بل بھی پاس ہوا، مرکزی سرکار بھی تعاون دے رہی ہے۔نالندہ۔وکرم شلہ اور تکشلہ تین قدیم یونیورسٹیوں میں سے تکشلہ پاکستان میں چلا گیا۔اب صرف دو دھروریں بچی ہیں آپ کے پاس۔نالندہ بھائی نتیش کمار جی ڈیوائڈ کر رہے ہیں آپ نے بھی تعاون کیا ہے لیکن وکرم شلہ کا کیا ہوگا، جہاں سے شاہنواز حسین سانسد ہیں، کچھ آپ لوگوں کو اس کی چنتا ہے یا نہیں۔آج وکرم شلہ کے اندر بھی اسی لیول کی یونیورسٹی بنائیے۔بڑی بڑی یونیورسٹیز بنانے کی بات کر رہے ہیں۔اپنی تہذیب پر فخر کیجئے۔آپ یہ مان کر چلئے کہ جیسے نالندہ اور وکرم شلہ کے نام سے بڑی یونیورسٹی بنے گی تو ملک کا بھی نام ہوگا، پوری دنیا میں ہندوستان کا نام ہوگا۔اس میں صرف بی۔جے۔پی۔جے۔ڈی۔(یو) کا ہی نام نہیں ہوگا۔اس میں ڈرئیے مت، سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔دل چھوٹا مت کیجئے، بڑے دل سے کام کیجئے۔چھوٹے من سے کوئی بڑا کام نہیں ہوتا ہے۔اس لئے دل بڑا کیجئے، اور بہار کی دس کروڑ عوام کو امید ہے کہ جو ریزولیوشن بھولا بابو لے کر آئے ہیں، اس ریزولیشن پر آپ کا پازیٹیو نوٹ آئے گا۔جیسے ابھی ستپال مہاراج جی نے بولا، اسی طرح سے سب لوگ تعاون کیجئے، اور بہار کی ترقی میں نتیش کمار جی کا تعاون کیجئے، یہی ہم امید کرتے ہیں کہ رگھوونش بابو بھی ہم لوگوں سے تعاون کرنے کی بات کہیں گے، ان کا ساتھ ملے گا تو ضرور ہم لوگ آگے ترقی

ر ر گ ش

श्री मोहम्मद असरारुल हक (किशनगंज): सभापति जी, भोला जी ने प्राइवेट मेम्बर्स बिल पर जो तसव्वुर और संकल्प पेश किया है, उसके सिलसिले में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उसके लिए दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उनके प्रस्ताव और जो उन्होंने तजवीज पेश की है, उसकी मैं पूरी तरह से हिमायत करता हूं और समर्थन देता हूं।

बिहार के सिलसिले में बहुत सी बातें अभी यहां कही गई हैं। मैं उन्हें दोहराने नहीं जा रहा हूं, न ही वक्त है कि उन्हें दोहराया जाए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि वह एक ऐसी रियासत, ऐसा सूबा और ऐसी जमीन है कि अगर उस जमीन की तारीख को, उसके इतिहास को, उस जमीन के लोगों ने कम से कम पांच हजार साल की तारीख जो हमारे सामने है, उस पांच हजार साल की तारीख में उस धरती के सपूतों ने जो-जो कारनामे अंजाम दिए हैं, अगर उस सरजमीं को और उसकी तारीख को तारीख से निकाल दिया जाए तो मैं समझता हूं कि भारत की तारीख मुकम्मल नहीं रहेगी, पूरे भारत की तारीख नामुकम्मल हो जाएगी।

हमें इस बात को महसूस करना चाहिए कि हमारे देश के वे हिस्से, वे इलाके, वह जमीन, जहां के लोगों ने इस देश का बहुत कुछ दिया है, जिंदगी के किसी भी मरहले में हमें उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यकीनी तौर पर उनको भी बराबर का दर्जा दिए जाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आज इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, जम्हूरियत है, आज हम फख्र से इस बात को कहते हैं कि पिछली छ: दहाई में आजादी के बाद जिस तरह से इन सालों के अंदर इस मुल्क ने जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, वह कारनामा यह है कि इस मुल्क में हमने जम्हूरियत को बचाकर रखा है। इस जम्हूरियत का संकल्प और इस जम्हूरियत की बुनियाद उसी सरजमीं ने रखी थी, वह सरजमीं जो बिहार की सरजमीं है।

आज अगर हम इस देश के अंदर इस बात को महसूस करते हैं कि इस देश में इन्सानियत है, इस देश में शराफत है, यहां पर हया है। आज जो यहां की तहजीब है, ईस्टर्न सिविलाइज जिसे हम कहते हैं, यह जो तहजीब है, इसकी असल जान रुहानियत है। यह रुहानियत उसी सरजमीं से महात्मा बुद्ध ने दी है और वहां के तमाम ऋषियों और मुनियों ने दी है। इस सरजमीं को अगर तहजीब दी है, उसी सरजमीं ने दी है। आज हमें यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि वह सरजमीं जिसने भारत को बहुत ऊंचा उठाया, जिसने हिन्दुस्तान की अजमत को बढ़ाया, जिसने हिन्दुस्तान को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया, आज वह सरजमीं और लोग तबाहियों के शिकार हैं। जिस महाज पर चले जाओ, जिस शोबे में चले जाओ, हर जगह लोग तबाही और बर्बादी के शिकार हैं। - तन्हा दाग-दाग शुद, उम्बा गुजा-गुजा न हम, आज उसका पूरा जिस्म ही दागदार है, हम कहां-कहां पर उस पर फुहा रखने की कोशिश करेंगे।

आज उस सरजमीं के उन लोगों ने, जिन्होंने देश की रहनुमाई की, आज पूरे भारत के मुख्तलिफ सूबों के इलाकों में आकर सड़कों की मिट्टी छान रहे हैं। आज वहां जाएं, किसी शादी में जाएं या किसी मौत की तकरीम में जाएं, आप गहराई से देखेंगे कि उस शादी में या मौत में जो लोग शरीक होने के लिए आते हैं, उनमें ज्यादातर बच्चे मिलेंगे या बूढ़े मिलेंगे, नौजवान नहीं हैं। वे अपनी मां की गोद को छोड़कर दिल्ली और पंजाब की सड़कों पर घास काट रहे हैं, खेती कर रहे हैं या सड़कें बना रहे हैं। यह हालत उसकी है, जिसने आजादी के बाद इस मुल्क को सबसे पहला राष्ट्रपति दिया। वह रियासत, जिस रियासत ने अगर गांधी जी को सबसे पहले वहां जाकर सत्याग्रह का मौका दिया। जब आप पटना पहुंचे थे, यहां से गांधी जी के साथ जो लोग भी साथ गए थे, वे सब छोड़ गए थे और पटना तक गांधी जी चंद आदमियों के साथ पहुंचे थे। वहां दो ही नौजवान उनके इस्तेकबाल के लिए खड़े थे। एक नौजवान वह था जो बाद में सदरे जम्हूरिया बना डा. राजेन्द्र प्रसाद। और एक नौजवान प्रो. बारी थे जो मजदूरों के लीडर बने। हम देख रहे हैं कि हर महाज के अंदर वहां कमी है, इसलिए उस स्टेट पर खास तवज्जोह देने की जरूरत है। किसी भी कौम की तरक्की के लिए कुछ बुनियादी चीजें चाहिएं। उसे तालीम और सेहत चाहिए और उसके जरिये मोआश चाहिए। मोआश का जरिया के जरिये वहां पर खेती-बाड़ी है। वहां हर साल सैंकड़ों-हजारों एकड़ जमीन कटकर दरिया में शामिल हो जाती है। मसला केवल उनके घरों की तबाही का नहीं है, मसला यह है कि उनका जरिया मोआश वही खेत हैं जिससे वे गल्ला पैदा करते हैं और उससे उनकी जिंदगी बसर होती है। उसमें भी एक साल फ्लड आता है और एक साल सूखा पड़ता है। इस मुसीबत में वे किसी तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं और हर साल वहां दरिया के कटाव से तबाही होती है।

महानंदा बेसिन बनाने की तजवीज रखी गयी, लेकिन 8-9 साल हो गये, पैसा नहीं है और उस बेसिन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। महानंदा, डोक नदी, परवान नदी, कनकेई नदी पूर्व और उत्तर बिहार के इलाको में तबाही मचाती हैं। ये तमाम नदियां हिमालय से आती हैं और इन नदियों को जोड़ने के लिए और उनके कटाव को रोकने के लिए पैसा दिया गया था, लेकिन वह काम नहीं हुआ। शुरू में काम शुरू हुआ था और उसके लिए 15 करोड़ रुपया भी यहां से स्टेट को गया, लेकिन वह काम अब तक नहीं हुआ। आज अगर उसकी मोआशी हालत को बचाना है, दुरुस्त करना है और ये बच्चे जो यहां पर हैं और इन्हें अपने इलाकों में लौटना है तो वहां की खेती-बाड़ी के इंतजाम को दुरुस्त करना होगा और उसके लिए स्पेशल पैकेज देकर रोजगार फराहम कराना होगा, ताकि वे आगे बढ़ सकें।

जहां तक तालीम का मामला है, वह स्टेट जिसने आज से 6 हजार साल पहले, दुनिया को साइंस से मुत्तारिफ कराया, आज अगर हम नालंदा की बात करते हैं तो नालंदा हमारे लिए गौरव की बात है कि नालंदा ने दुनिया को सबसे पहले साइंस से मुत्तारिफ कराया।...(*व्यवधान*) जी हां, विक्रमशिला ने भी मुत्तारिफ कराया। वह सूबा जिसने सबसे पहले दुनिया को साइंस से अवगत कराया, आज उस स्टेट की तालीम की रेशो भारत में सबसे कम है। वहां आज तालीम की 54 प्रतिशत रेशो है। आज वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेरे जिले किशनगंज की 12 लाख की आबादी है और 17 हाई-स्कूल हैं। इस साल बहुत हिम्मत करके 5 स्कूलों की मंजूरी दी गयी है। क्या 22 हाई-स्कूलों से आप 12 लाख आदमियों को पढ़ाने का इंतजाम कर सकेंगे?

सेहत की हालत यह है कि इलाज के लिए वहां के लोगों को दिल्ली आना पड़ता है, वहां गरीब आदमियों के इलाज का कोई इंतजाम नहीं है। उन्हें तालीम में आगे बढ़ाइये, सेहत का इंतजाम कीजिए। माननीय शाहनवाज हुसैन लाइट के मामले में कह रहे थे यह सही है, वहां लाइट न होने की वजह से खेती में भी हमें दुश्वारी होती है। वहां पावर हाउस बनाने की जरूरत है, बिजली को बढ़ाने की जरूरत है। इन सारी चीजों में मदद करने के लिए यकीनी तौर पर उन्हें स्पेशल पैकेज देना चाहिए। अगर आप दो लाख करोड़ रुपया उन्हें दे दो तो वहां काम शुरू हो सकता है।

श्री मंगनी लाल मंडल: उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।

श्री मोहम्मद असरारुल हक़: उसका समर्थन तो मैंने कर ही दिया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टेटस के साथ-साथ हमें पैसे चाहिए। बिहार को दो लाख करोड़ रुपया चाहिए, जिससे हम तमाम कामों को अंजाम दे सकें। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

محمد اسرار الحق (کشن گنج): جناب چیرمین صاحب، بھولا جی نے پرائیویٹ ممبرس بل پر ریزولیوشن پیش کیا ہے، اس کے سلسلے میں آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، میں اس کے لئے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ان کے پرستاؤں میں، جو انہوں نے تجاویز پیش کی ہیں، اس کی پوری طرح سے حمایت کرتا ہوں۔

بہار کے سلسلے میں ابھی بہت سی باتیں یہاں کہیں گئیں ہیں۔ میں انہیں دوہرانے نہیں جا رہا ہوں۔ نہ ہی وقت ہے کہ انہیں دوہرایا جائے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ وہ ایک ایسی ریاست، ایسا صوبہ اور ایسی زمین ہے کہ اگر اس زمین کی تاریخ کو، اس زمین کے لوگوں نے 5000 سال کی تاریخ جو ہمارے سامنے ہے، اس 5000 سال کی تاریخ میں، اس زمین کے سپوتوں نے جو جو کارنامے انجام دئے ہیں، اگر اس سرزمین کو اور اس کی تاریخ کو تاریخ سے نکال دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ مکمل نہیں رہے گی۔ پورے ہندوستان کی تاریخ نامکمل ہو جائے۔

ہمیں اس بات کو محسوس کرنا چاہئے کہ ہمارے ملک کے حصے، وہ علاقے، وہ زمین، جہاں کے لوگوں نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہمیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ یقینی طور پر ان کو بھی برابر کا درجہ دیا جانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اگر آج اس ملک میں جمہوریت ہے، آج ہم فخر سے اس بات کو کہتے ہیں کہ پچھلی چھ دہائی میں آزادی کے بعد جس طرح سے ان سالوں کے اندر اس ملک نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، وہ کارنامہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہم نے جمہوریت کو بچا کر رکھا ہے۔ اس جمہوریت کا سنکلپ اور اس جمہوریت کی بنیاد اسی سرزمین نے رکھی تھی، وہ سرزمین جو بہار کی سرزمین ہے۔

آج اگر ہم اس ملک کے اندر اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ اس ملک میں انسانیت ہے، اس ملک میں شرافت ہے، یہاں پر حیا ہے۔ آج جو یہاں کی تہذیب ہے، ایسٹرن سولائزڈ جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ جو تہذیب ہے اس کی اصل ان روحانیت ہے۔ وہ روحانیت اسی سرزمین سے مہاتما بدھ نے دی ہے، اور وہاں کے تمام رشیوں اور منیوں نے دی ہے۔ اس سرزمین کو اگر تہذیب دی ہے، اسی سرزمین نے دی ہے۔ آج ہمیں یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ سرزمین جس نے ہندوستان کو بہت اونچا اٹھایا، جس نے ہندوستان کی عظمت کو بڑھایا، جس نے ہندوستان کو آسمان تک پہنچایا، آج وہ سرزمین تباہ اور لوگ تباہیوں کے شکار ہیں۔ جس محاذ پر چلے جاؤ، جس شعبے میں چلے جاؤ، ہر جگہ لوگ تباہی اور بربادی کے شکار ہیں۔ داغ۔ داغ۔ شد، عمدہ گجا، گجانہ ہم۔ آج اس کا پورا جسم ہی داغدار ہے۔ ہم کہاں کہاں پر اس پر پھوہار رکھنے کی کوشش کریں گے۔

آج اس سرزمین کے ان لوگوں نے جنہوں نے ملک کی رہنمائی کی، آج پورے ملک کے مختلف صوبوں کے علاقوں میں آکر سڑکوں کی مٹی چھان رہے ہیں۔ آج وہاں جائیں، کسی شادی میں جائیں، یا کسی موت کی تقریب میں جائیں، آپ گہرائی سے دیکھیں گے کہ اس شادی میں یا موت میں جو لوگ شریک ہونے کے لئے جاتے ہیں ان میں زیادہ ملیں گے یا بوڑھے ملیں گے، نوجوان نہیں۔ وہ اپنی ماں کی گود کو چھوڑ کر دہلی اور پنجاب کی سڑکوں پر گھاس کاٹ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں یا سڑکیں بنا رہے ہیں۔ یہ حالت اس کی ہے جس نے آزادی کے بعد اس ملک کو سب سے پہلا راشٹرپتی دیا۔ وہ ریاست، جس ریاست نے اگر گاندھی جی کو سب سے پہلے وہاں جا کر ستیہ گرہ کا موقع دیا۔ جب آپ پٹنہ پہنچے تھے یہاں سے گاندھی جی کے ساتھ جو لوگ بھی ساتھ گئے تھے، وہ سب لوگ چھوڑ گئے تھے، اور پٹنہ تک گاندھی جی چند آدمیوں کے ساتھ پہنچے۔ وہاں دو ہی نوجوان ان کے استقبال کے لئے کھڑے تھے۔ ایک نوجوان وہ تھا جو بعد میں صدر جمہوریہ بنا، ڈاکٹر راجندر پرشاد اور ایک نوجوان پروفیسر باری تھے، جو مزدوروں کے لیڈر بنے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر محاذ کے اندر وہاں کمی ہے۔ اس لئے اس ریاست پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی کے لئے کچھ بنیادی چیزیں چاہئے۔ اسے تعلیم اور صحت چاہئے، اور اس کے ذریعہ معاش۔ معاش کے ذریعے وہاں پر کھیتی باڑی ہے۔ وہاں ہر سال سیکڑوں، ہزاروں ایکڑ زمین کٹ کر دریا میں شامل ہو جاتی ہے۔ مسئلہ صرف ان کے گھروں کی تباہی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ذریعہ معاش وہی کھیت ہیں جس سے وہ غلہ پیدا کرتے ہیں اور اس سے ان کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ اس میں بھی ایک سال سیلاب آتا ہے، اور ایک سال سوکھا پڑتا ہے۔ اس مصیبت میں وہ کسی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہر سال وہاں دریا کے کٹاؤ سے تباہی

مہانندا بیسن بنانے کی تجویز رکھی گئی ہے، لیکن 8/9 سال ہو گئے، پیسہ نہیں ہے۔ اور اس بیسن کا استعمال نہیں ہو رہ ہے۔ مہانندہ، ڈوگ ندی، پروان ندی، کنکئی ندی، پوروواتر بہار کے علاقوں میں تباہی مچاتی ہیں۔ یہ تمام ندیاں ہمالیہ سے آتی ہیں اور ان ندیوں کو جوڑنے کے لئے اور ان کے کٹاؤں کو روکنے کے لئے پیسہ دیا گیا تھا لیکن وہ کام نہیں ہوا۔ شروع میں کام شروع ہوا تھا اور اس کے لئے 15 کروڑ روپیہ بھی ریاست کو گیا۔ لیکن وہ کام اب تک نہیں ہوا۔ آج اگر اس کی معاشی حالت کو بچانا ہے، درست کرنا ہے، اور یہ بچے جو یہاں پر ہیں اور انہیں اپنے علاقوں میں لوٹانا ہیں تو وہاں کی کھیتی باڑی کے انتظام کو درست کرنا ہوگا، اور اس کے لئے اسپیشل پیکیج دے کر روزگار فراہم کرانا ہوگا تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔

جہاں تک تعلیم کا معاملہ ہے، وہ ریاست جس نے آج سے 6000 سال پہلے دنیا کو سائنس سے متعارف کرایا، آج اگر ہم نالندہ کی بات کرتے ہیں، وہ نالندہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ نالندہ نے دنیا کو سب سے پہلے سائنس سے متعارف کرایا۔ وکرم شلہ نے بھی متعارف کرایا۔ وہ صوبہ جس نے سب سے پہلے دنیا کو سب سے پہلے سائنس سے متعارف کرایا آج اس ریاست کی تعلیم کا نیشنل ریشو ہندوستان میں سب سے کم ہے۔ وہاں آج تعلیم کی 54% ریشو ہے۔ آج وہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ میرے ضلع کشن گنج کی 12 لاکھ کی آبادی ہے اور 17 ہائی اسکول ہیں۔ اس سال بہت ہمت کر کے 5 اسکولوں کی منظوری دی گئی ہے۔ کیا 22 ہائی اسکولوں سے 12 لاکھ آدمیوں کو پڑھانے کا انتظام کر سکیں گے۔

صحت کی حالت یہ ہے کہ علاج کے لئے وہاں کو لوگوں کو دہلی آنا پڑتا ہے۔ وہاں غریب آدمیوں کے علاج کے لئے کوئی انتظام نہیں ہے۔ انہیں تعلیم میں آگے بڑھائے، صحت کا انتظام کیجئے۔ عزت مآب شاہنواز حسین، لائٹ کے معاملے میں کہہ رہے تھے کہ وہاں لائٹ نہ ہونے کی وجہ کھیتی میں بھی ہمیں دشواری ہوتی ہے۔ وہاں پاور ہاؤس بناتے کی ضرورت ہے۔ بجلی کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ان ساری چیزوں میں مدد کرنے کے لئے یقینی طور پر انہیں اسپیشل پیکیج دینا چاہئے۔ اگر آپ 2 لاکھ کروڑ روپئے انہیں دے دیں تو وہاں کام شروع ہو سکتا ہے۔ اس کا سمرتھن تو میں نے کر ہی دیا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹس کے ساتھ ساتھ ہمیں پیسے چاہئے بہار کو 2 لاکھ کروڑ روپیہ چاہئے جس سے ہم تمام کاموں کو انجام دے سکیں۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदया, आपने मुझे बहुत ही विद्वान सदस्य डॉ. भोला सिंह द्वारा लाए गए संकल्प बिहार राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए, पर बोलने के लिा खड़ा हुआ हूं। कुछ दिनों पहले श्री रंजन यादव जी ने प्राइवेट मैम्बर बिल में विधेयक ले कर आए थे, जिसमें बिहार राज्य को विशेष पैकेज देने की बात कही गई थी, तब कई सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार सदन में रखे थे। मैं कहना चाहूंगा कि यह बात सत्य है कि हिंदुस्तान के राज्यों की समीक्षा की जाए, तो मेरे ख्याल से सबसे गरीब राज्यों में से बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि हैं। जो नए राज्य बने हैं, उनकी हालत भी बहुत खराब है। डॉ. भोला सिंह जी संकल्प ले कर आए हैं, वह बहुत वाजिब है और समय की पुकार है। जहां तक देखा गया है, जब बिहार प्रदेश का बंटवारा हुआ, नया प्रदेश झारखंड बना, तो तमाम प्राकृतिक सम्पदा झारखंड में चली गईं। आज बिहार में जो बचा है, वह पुरानी रियासत या जिन चीजों का अन्य सदस्यों ने जिक्र किया, केवल वही बची हैं। हमारे कई साथी जैसे तेलंगाना की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि तेलंगाना नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग अपने फायदे के लिए नए राज्य की मांग करते हैं। जब नया राज्य बनता है, तो वह महसूस करता है कि हम पिछड़ गए और जिस राज्य से अलग होते हैं, वह भी साथ में कमजोर हो जाता है। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना है। आज वहां की हालत यह है कि वह पूरी तरह से नक्सलवाद से प्रभावित है। वहां केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, नक्सलवाद के कारण वे पूरी तरह से लागू नहीं हो पाती हैं। वहां का प्रशासन और जनता भय से रह रहे हैं। नक्सल प्रभावित एरिया में एक तरह से उनकी दूसरी सरकार चलती है।

बिहार के बारे में सत्य कहा गया कि बिहार का अपना राजनीतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। जैसे शिक्षा के

क्षेत्र में बताया नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा है। राजनीतिक प्रतिष्ठा रही है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से लेकर तमाम बड़े राजनीतिक लोग बिहार से संबंधित रहे हैं, जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है।

अपराह्न 04.59 बजे

[**श्री सतपाल महाराज** *पीठासीन हुए*]

बिहार में ऐसे व्यक्तित्व हुए, जिनके कृत्यों को हम आज भी याद करते हैं। हमें आज यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि बिहार राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है चाहे गया जिले को ले लीजिए चाहे बौद्ध स्थल ले लीजिए। बिहार निचला इलाका होने के नाते वहां बाढ़ की विभीषिका से जनता त्रस्त रहती है और कभी-कभी बारिश न होने की वजह से सूखे की स्थिति से भी वहां के लोगों को निपटना पड़ता है। ऐसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो बात कही जा रही है, मेरे ख्याल से बहुत वाजिब है।

एक बार हुक्मदेव नारायण यादव जी बोल रहे थे कि वहां पता ही नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। डा. रघुवंश प्रसाद जी बैठे हैं। जब ये ग्रामीण विकास मंत्री थे, उस समय कई सदस्यों ने यहां मांग उठाई कि एक हाईवे सड़क है और आज भी नहीं बन पाई है। बिजली और सड़क लोगों की या राज्य की लाइफ लाइन होती है। राज्य के विकास में विशेष भागीदारी इन दोनों चीजों की होती है।

अपराह्न 05.00 बजे

अगर देखा जाए तो आज केन्द्र और राज्यों में समन्वय न होने के कारण राज्यों की स्थिति बहुत पिछड़ गई है और विकास नहीं हो पा रहा है। समय समय पर हम लोगों ने देखा कि चाहे वह प्रश्नकाल हो या बहस की बात हो या बिल की बात हो, केन्द्र राज्य को दोषारोपण करता है और राज्य केन्द्र को दोषारोपण करता है जबकि मूल्यांकन बनाकर अगर आप पैसा दे रहे हैं तो उसकी मोनीटरिंग होनी चाहिए। उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए कि जो पैसा हम राज्यों को दे रहे हैं, वह वास्तविकता में खर्च हो रहा है, उन विभागों को जा रहा है या नहीं जा रहा है। वहां की स्थिति क्या है? लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है।

आज यहां पर बात कही गई। अभी हम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के साथ आइसलैंड गये थे। आइसलैंड में वहां पर जो थर्मल पॉवर है, एक तरीके से ज्वालामुखी से जो गैस निकलती है, उससे टर्बाइन चलाकर बिजली पैदा की जाती है। वहां के एम्बैसडर ने इंडियन्स को बुलाकर डिनर दिया था। वहां मैंने देखा कि वहां बिहार के लोग थर्मल पॉवर में थे, इंजीनियर थे। बिहार के लोग दुनिया में छाये हुए हैं। केवल यह देश की ही बात नहीं है। आज अगर मजदूर की बात होती है तो लोग कहेंगे कि बिहार से मजदूर ले आइए। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य हैं, इनके यहां गरीबी है, आज व्यक्ति अपना शहर, अपना गांव छोड़कर दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने जा रहा है। इसलिए स्थिति बहुत खराब है।

मैं उत्तर प्रदेश के विषय में भी कुछ कहना चाहूंगा। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के लिए यहां पर मांग उठे। हमारे प्रदेश की तो यह स्थिति है कि प्रदेश में चार राज्यों की मांग हो रही है। एक तो उत्तराखंड पहले से ही चला गया और उत्तराखंड के जो तमाम राजनैतिक मित्र हैं, वे मिलते हैं तो कहते हैं कि पहले हम गर्व के साथ कहते थे कि हमारी 85 सीटें थीं। हम लोग और मंत्रियों को नहीं समझते थे लेकिन आज यह स्थिति है कि आप वहां से आते हैं, आज हम यह महसूस करते हैं कि हम चार-पांच एम.पीज रह गये हैं। एक तरीके से हमें भी नुकसान हुआ है। हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में जाते थे लेकिन जब से राज्य अलग हुआ है,...(*व्यवधान*) आप भी महसूस कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा हो लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद हमें बहुत पीड़ा है। हम केवल मांग कर रहे थे कि हरिद्वार उत्तर प्रदेश में दे दिया जाए। लेकिन नहीं मिल पाया है।...(*व्यवधान*) मंत्री जी कह रहे थे कि पहले उत्तर प्रदेश बैठा हुआ शेर लगता था लेकिन अब सर कटा हुआ शेर लगता है।...(*व्यवधान*) यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड की मांग होती है। यह हकीकत है कि अभी हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देशित किया कि वहां पर पिछले तीन साल से करीब 250,300 मौतें हो चुकी हैं जिसका रिकार्ड नहीं है। अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे, मैं सेन्ट्रल हॉल में था, अमर उजाला के थे, उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने यह कहा कि वहां पर बुंदेलखंड में आत्महत्या की स्थिति किसानों की अभी तक नहीं आई है। अगर आई है तो एक आई है। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार के छत्तीस के भी आंकड़े हो सकते हैं। कभी-कभी फायदे के लिए मिल जाते हैं लेकिन हो सकता है कि न हो। लेकिन अगर उनको सही रिपोर्ट लेना है तो उत्तर प्रदेश, हाईकोर्ट ने जो शासन को निर्देश दिया है, उसकी रिपोर्ट मंगा लें तो मेरे ख्याल से हकीकत मालूम हो जाएगी। पश्चिम वाले मांग करते हैं कि हमको हरित प्रदेश चाहिए, हमारे राष्ट्रीय लोक दल के मित्र कहते हैं। बुंदेलखंड के लोग कहते हैं कि हमें बुंदेलखंड राज्य चाहिए और पूर्वान्चल के लोग कहते हैं कि हमें पूर्वान्चल राज्य चाहिए। तो बांट दीजिए। आज प्रदेश के बांटने की

जो बात है तो देश के बंटने में भी कोई समय नहीं लगेगा। हम तो बीच में ही बचेंगे। पूर्वान्चल में आएंगे तो पूर्वान्चल के रहेंगे।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो पैसा केन्द्र से राज्यों को जाता है, हमारे यहां तो ज्यादातर जो पैसा गया, चार साल में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, पी.एम.जी.एस.वाई. का एक भी काम नहीं हुआ। बजट में वे अलग डाइवर्ट कर दिये गये। अगर अलग डाइवर्ट कर दिया गया तो केन्द्र ने पैसा देना भी बंद कर दिया। आज इससे पूरा प्रदेश सफर कर रहा है। इसलिए मैं मांग करना चाहूंगा कि कम से कम जो हमारे डा. भोला सिंह जी ने और तमाम मित्रों ने जो बिहार प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, जो उनकी पीड़ा है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और चाहता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, विशेष पैकेज दिया जाए ताकि बिहार की स्थिति और सुदृढ़ हो और वहां विकास हो।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, संकल्प के प्रस्तुतकर्ता भोला सिंह जी का आपने समर्थन किया है और अभी आप आसन पर हैं, शाहनवाज हुसैन जी, मंगनी लाल मंडल जी, शैलेन्द्र कुमार जी और अन्य माननीय सदस्य, जो समर्थन कर रहे हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।

असलियत को जानना जरूरी है। बिहार पीछे छूट गया जबकि हिन्दुस्तान का सदियों का गौरवशाली इतिहास का दो-तिहाई इतिहास बिहार का है। यदि इतिहास संपूर्ण सदियों के इतिहास से बिहार के इतिहास को घटा लिया जाए तो कुछ बचता नहीं है। सभी माननीय सदस्यों ने गौरवशाली इतिहास का सवाल उठाया है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं संक्षेप में केवल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के विषय को उठाना चाहता हूं। स्वर्गीय कर्पुरी ठाकुर और हम सब, समाजवादी खानदान के बाबू जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव उसी समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, सवाल उठाते रहे। लेकिन सवाल में तेजी तब आई जब बिहार का 15 नवंबर, 2000 को बंटवारा हुआ। हम वहीं से खड़े होकर खिलाफ में बोले थे तब सोनिया गांधी जी और स्वर्गीय माधवराज सिंधिया जी मौजूद थे और सबने समर्थन किया था। उस वक्त हमारा उस पर अमेंडमेंट था। उसके बाद तेजी आई, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और शाहनवाज हुसैन जी भी मंत्री थे, भोला सिंह जी की पार्टी और जे.डी.यू. के लोग भी उसमें शामिल थे, एक दर्जन बिहार के मंत्री थे। अभी मंगनी लाल मंडल जी सवाल उठा रहे थे, सुशील सिंह जी पार्टी से निकाले गए, जे.डी.यू. इसमें है ही नहीं। हम यही बता रहे हैं कि ये लोग कितने गंभीर हैं और उस समय कितने गंभीर थे। मैं यही भेद खोल रहा हूं। उस दिन भी हम अकेले थे जब इसी सदन में तीन बार सवाल उठा था, आठ घंटे बहस हुई। 16 मई, 2002 को तीसरी बार बहस हुई, वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने वहां से सवाल जवाब किए कि आप तीन बार सवाल उठा चुके हैं। तब भी यही सवाल था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, बिहार का कर्जा माफ किया जाए, विशेष पैकेज 1,79,000 रुपए का दिया जाए। मैं इन तीनों सवालों पर तीन बार सदन में उठा और उस समय हम लोग बिहार के सांसद थे, एक कमेटी बनाई थी, श्री नीतिश कुमार जी उसके अध्यक्ष थे। आपको याद होगा सब लोग थे। एक बार बैठक हुई दोबार बैठक नहीं हुई। एक और कमेटी बनी थी कि ये लोग देखभाल करेंगे। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास सब पार्टी के सांसद गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, मैं उस समय की बात बता रहा हूं। सारे सांसद गए थे और तब यही सवाल था। गुजराल साहब ने पंजाब का 8000 करोड़ का कर्ज माफ किया था। तब बिहार पीछे छूट गया था, इसका कर्ज माफ किया जाना चाहिए था, तब इन लोगों ने मांग को क्यों छोड़ दिया? मेरी मांग है कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तीन बार सवाल उठा था। आपके राज्य में एक दर्जन मंत्री थे, शाहनवाज हुसैन जी कहते हैं कि वर्तमान में मंत्री नहीं हैं, उस समय एक दर्जन मंत्री थे, अब सवाल उठता है कि तब क्यों विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? उस समय एक दर्जन मंत्री थे तो सवाल उठेगा कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: राज्य सरकार लेने को तैयार नहीं थी, हम देने को तैयार थे, लेकिन राज्य सरकार लेने को तैयार नहीं थी।...(*व्यवधान*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, दिघा पुल का जब शिलान्यास हो रहा था, तब तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शिलान्यास करने के लिए गये थे। उस गांधी मैदान की भरी सभा में उस समय की मुख्य मंत्री, श्रीमती राबड़ी देवी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, उन्होंने इसका सवाल उठाया था।...(*व्यवधान*) मैं अभी सारे भेद खोलता हूं...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी को बोलने दीजिए। कृपया व्यवधान पैदा न करें, आप बैठिये।

[अनुवाद]

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं भेद खोलता हूं। राज्य सरकार के द्वारा सवाल उठाया गया था और सम्पूर्ण विधान सभा में सभी पार्टी के लोगों ने रिजोल्यूशन पास किया था...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

सभापति महोदय: केवल डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी की बात ही रिकार्ड पर जायेगी।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: आपका पांच वर्ष राज रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि हमारी मांग को ठुकरा दिया गया।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: प्राइवेट मैम्बर बिल में टोका-टाकी मत कीजिए, कृपया उन्हें बोलने दीजिए। धारा प्रवाह विचारों में व्यवधान न डालें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं यह हिसाब भी अभी बता रहा हूं।...(*व्यवधान*) जब मैं पांच वर्ष मंत्री था, उसका भी हिसाब मैं बता रहा हूं और तुम्हारे एक दर्जन मंत्री थे, उसका भी हिसाब बता रहा हूं। अभी डा. भोला सिंह ने बहुत अच्छे तर्क दिये हैं और मजबूती से उन्होंने बहस की है और करनी भी चाहिए। लेकिन जब वोट डल रहे थे तो * ने ऐलान किया था, मैं आपको याद कराता हूं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप उस बात पर कायम हैं?...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: कृपया उन्हें बोलने दीजिए। किसी की बात रिकार्ड में नहीं जायेगी। केवल डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी का वक्तव्य ही रिकार्ड में जायेगा, बाकी किसी की बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कृपया डॉ. रघुवंश प्रसाद जी को बोलने दीजिए, आप बैठिये और उन्हें बोलने दीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या ये लोग चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, मैं चाहता हूं और बताता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: लाल सिंह जी, आप बैठिये। कृपया सभी बैठ जाएं और इन्हें बोलने दीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: * के बयान की सीडी होती है और मैं अनुसंधान करा रहा हूं। मैं शाहनवाज साहब को दिखा दूंगा. ..(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल डा. रघुवंश प्रसाद सिंह का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अच्छा, वह बयान उन्होंने दिया था. ..(*व्यवधान*) उससे केस कमजोर होता है और केस दो बातों से कमजोर होता है। इसे मैं मजबूत कर रहा हूं। लेकिन दो बातों में कमजोरी है। प्रथम यह है कि जब आप लोग एक दर्जन मंत्री थे तो उस समय यह क्यों नहीं हुआ और उसमें नोटिस भी नहीं. ..(*व्यवधान*) श्रीमती वसुंधरा राजे का जवाब हाथ में है, उसमें कोई जिक्र नहीं, कोई चर्चा तक नहीं।

दूसरी बात यह है कि भोला बाबू ने अपने भाषण में कहा और श्री शाहनवाज साहब ने भी कहा कि बिहार बहुत तरक्की कर रहा है, वहां के मुख्य मंत्री का नेतृत्व बहुत अच्छा है और यह जयकारी दल हो गये। इस पर सवाल नम्बर दो यह उठेगा कि यदि बिहार बहुत तरक्की कर रहा है तो आपको विशेष राज्य का दर्जा देने की क्या जरूरत है?...(*व्यवधान*) आप केस कमजोर मत कीजिए, बिहार के दस करोड़ लोगों की आबादी का सवाल है। ...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी, केवल डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह का वक्तव्य रिकार्ड में जायेगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: जनता का पैसा खर्च करके मीडिया में जब हुआ और यह जयजयकारी दल हो गये...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप उन्हें बोलने दीजिए, यह प्राइवेट मैम्बर बिल है। आपने भी अपने समय में बोला है, अब उन्हें बोलने दीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: ये लोग जयजयकारी दल हैं... (*व्यवधान*) कहते हैं कि वहां के मुख्य मंत्री के कारण बिहार में बड़ी तरक्की हो रही है। अब बिहार गुजरात के बराबर आ जायेगा। अभी भोला बाबू भाषण में कह रहे थे कि 11 परसैन्ट ग्रोथ हो गई और बिहार में बड़ी तरक्की हो रही है। इस पर सरकार कहेगी कि यदि आपकी इतनी तरक्की हो गई है तो क्या इतनी तरक्की वाले राज्य ने विशेष राज्य का दर्जा लिया है? फिर आपका क्या जवाब होगा। आप केस कमजोर मत कीजिए।...(*व्यवधान*) श्री नितीश कुमार के जयकार में बिहार के केस को कमजोर मत करिए, मैं यही सावधान करता हूं। बिहार की दस करोड़ की आबादी का जो सवाल है, उसका नुकसान, ...* का जयकार करके मत कीजिए।...(*व्यवधान*) मैं आपको बताता हूं कि बिहार की स्थिति क्या है?...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, अभी हाल में अखबार में छपा है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एन.डी.सी. में विचार में होगा। दूसरा न्यूज छपा है कि जी.ओ.एम. में चला गया। फिर किस बात की बहस है? आप उसको सुनिए। जयकार करने में और एकतरफा प्रचार करने में देश को कमजोर कीजिए। इसलिए केस क्या है, मैं यह बहस करना चाहता हूं। यह सवाल बिहार की दस करोड़ आबादी का है। जब आजादी मिली थी, तब बिहार प्रतिव्यक्ति आय के हिसाब से तीसरे नम्बर पर था। लेकिन पंचवर्षीय योजना प्रथम से लेकर 8वीं और 9वीं तक देश भर में प्रतिव्यक्ति आय सबसे न्यूनतम हो गई। यह ठीक है कि यहां पर ऊंचे-ऊंचे पदों पर बैठने वाले बाबू राजेन्द्र प्रसाद और बाबू जगजीवन राम सभी बिहार से थे लेकिन बिहार में रीजनलिज्म नहीं है। महोदय, रीजनलिज्म हमने सीखा नहीं है। हमारे कल्चर में बसता है कि हम देश हैं।

महोदय, बिहार पीछे छूट गया है। बिहार की बहुत ही उपेक्षा हुई है और अभी भी हो रही है। बिहार को विशेष राज्य के लिए इनका क्राइटेरिया है कि आर्थिक मामले में बिहार सबसे पीछे है, प्रतिव्यक्ति आय का हिसाब बता रहे थे। नंबर दो - बार्डर एरिया हो। 709 किलोमीटर लंबा बिहार और नेपाल के साथ देश का बार्डर है। भौगोलिक स्थिति के कारण नुकसान की स्थिति में हो। भौगोलिक कारणों से बिहार के 27 जिले बाढ़ ग्रस्त होते हैं। बाढ़ग्रस्त होने के चलते हर साल बर्बादी होती है और सात जिले सूखे के चपेट में आते हैं। इस तरह बिहार भौगोलिक स्थिति के कारण नुकसान की स्थिति में है तो इस हिसाब से तीन पॉइन्ट पूरे हुए। चौथा है कि ट्राइबल की तरह लोग बहुत हैं। जैसे नुनिया जाति है, मल्लाह जाति है। ब्रिटेन के जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने लिखा है कि वे लोग भी ट्राइबल की स्थिति में हैं। वे लोग भी मांग कर रहे हैं। झारखण्ड बनने के बाद बिहार में वर्तमान में एक फीसदी ट्राइबल है, लेकिन ट्राइबल की तरह लोगों को जोड़ा जाएगा तो उसमें कम से कम 15 फीसदी लोग ट्राइबल की तरह हैं। वे लोग मांग करते हैं कि उन्हें भी जोड़ा जाए। मल्लाह, नुनिया मांग करते हैं कि हमको ट्राइबल का दर्जा दिया जाए। अति पिछड़ी जाति के लोग, गड़ेरिया लोग जो भेड़ चलाते हैं ये लोग मांग करते हैं कि हम को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में रखिए। इस तरह के लोग वहां हैं। जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सभी मामलों में बहुत पीछे छूट गये हैं। अब मैं हिल्ली एरिया का जिक्र करता हूं। हमारा भी कैमूर का इलाका, राजगीर का इलाका, जहानाबाद का इलाका और नेपाल से लगा हुआ इलाका, उसमें भी पहाड़ी है। इसलिए ये पांच सवाल हैं, जिससे अति पिछड़ा, विशेष राज्य का दर्जा पाने का हक बिहार का बनता है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उपेक्षा क्या हुई? भारत-नेपाल समझौते के लिए सार्क कार्यालय खोलना था और वहां से हम हर साल बर्बाद होते हैं, कोशी, बागमती, कमला, बलान, भुतही सब नदियों से हर साल हम बर्बाद होते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उसके लिए क्या हुआ है, कहां पर मामला अटक गया है? महोदय, यह ज्योग्रफिकल डिसएडवान्टेजियस पॉजीशन इसीलिए है। इसी वजह से साधारण मुरकटी हिसाब देख लिया जाये। देश में 33 लाख

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किलोमीटर सड़क है और 66 हजार किलोमीटर हाइवे है। उसी में हाइवे है, उसी में फोर लेन है, उसी में सिक्स लेन है, उसी में एक्सप्रेस है, सब उसी में है। बिहार का इसमें कितना हिस्सा होना चाहिए, हम देश की जनसंख्या का 12वां हिस्सा हैं, 10 करोड़ की जनसंख्या हमारी है। 12वां हिस्सा कितना होता है, साढ़े पांच हजार किलोमीटर, वहां हाइवे 3,400 किलोमीटर है, लेकिन होना चाहिए साढ़े पांच हजार किलोमीटर। मैं नेशनल हाइवे से शुरू करता हूं, नेशनल हाइवे में भी बिहार देश भर में सबसे पीछे है। आबादी के हिसाब से हमारे यहां जितना हाइवे होना चाहिए, वह नहीं है। श्री बालू के समय में फोर लेन बनाने के लिए, 890 किलोमीटर उन्होंने स्वीकृत किया था, उसे भी बीच में काट दिया गया। पटना से पूर्णिया तक फोर लेन, पटना से मुंगेर तक फोर लेन, पटना से बक्सर तक फोर लेन, पटना-गया-डोभी फोर लेन, पटना से मोहनियां फोर लेन, पटना से सोनबरसा फोर लेन, जोगबनी तक फोर लेन और उधर रक्सौल तक फोर लेन, सबके फोर लेन को काटकर थोड़े का छोड़ दिया गया और ज्यादातर को टू लेन कर दिया गया। हाइवे में कमी, फोर लेन में कटौती, उसी तरह से महोदय बिहार में 81 हजार किलोमीटर सड़कों की लम्बाई है। उसमें से 3,400 किलोमीटर हाइवे, स्टेट हाइवे वे बना रहे हैं, वह भी 3-4 हजार किलोमीटर के करीब होगा। बाकी डिस्ट्रिक रोड है और उसके बाद रूरल रोड है। रूरल रोड में कह रहे थे कि रोक दिया गया, कैसे रोक दिया? चार बार ... * ने हमको रोका कि आप मंजूर मत कीजिये। हमने कहा कि तुम्हारा बिहार है, हमारा भी बिहार है, हम मंजूर करेंगे।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: महोदय, ये नाम ले रहे हैं।..(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)... *

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हमको रोक रहे थे।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जो कुछ भी आपत्तिजनक होगा, उसे हटा दिया जाएगा।

...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यह नाम डिलीट हो जायेगा।

...(*व्यवधान*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: ये ...* की जयकार बोल रहे थे।..(*व्यवधान*) हम आरोप नहीं लगा रहे हैं जो आप कूद-कूदकर खड़े हो रहे हैं।...(*व्यवधान*) मैं असलियत बयान कर रहा हूं। जब वे हमें मना करते थे, लेकिन हम नहीं माने। 8 हजार करोड़ सेंट्रल एजेंसी, 8 हजार करोड़ राज्य सरकार, 16 हजार करोड़, 36 हजार किलोमीटर पांच वर्षों में मंजूर किया। इसके बाद एक इंच भी मंजूर नहीं हुआ।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप उन्हें बोलने दीजिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: इनके मुख्यमंत्री जी ने हमें रोकने के लिए कहा, हम नहीं माने, अबकी सरकार ने रोक दिया और मुख्यमंत्री जी की बात मान ली। अब एक इंच भी मंजूर नहीं है तो अब आप चुप क्यों हैं? आप चुप क्यों हैं, क्या इससे बिहार का हित हो रहा है?...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप व्यवधान पैदा न करें, आप उन्हें बोलने दीजिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: बिहार का अहित हो रहा है, आप चुप क्यों हैं?

सभापति महोदय: रघुवंश प्रसाद जी, अब आप समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, बिहार में केवल प्राइमरी और मिडिल स्कूल में तीन लाख शिक्षकों की कमी है। वेतन की विषमता भी हो गई है। हैडमास्टर 90 फीसदी स्कूलों में हैं ही नहीं।...(*व्यवधान*)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: ...* के समय में था ही नहीं। 15 साल आर.जे.डी. ने राज किया।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप नाम मत लीजिए। नाम डिलीट कर दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)... *

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, इन्होंने वेतन की विषमता इतनी कर दी कि एक मास्टर को 4000 रुपये तो एक मास्टर को 20000 रुपये, एक मास्टर को 6000 रुपये तो एक मास्टर को 30000 रुपये। इन्होंने बिहार में पढ़ाई को बर्बाद किया है। इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इन्होंने बिहार को चौपट किया है।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप समाप्त कीजिए। बैठ जाइए। पाटसाणी जी आप बोलिये।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। केवल डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी बोलेंगे।

(*व्यवधान*)...*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: रघुवंश जी की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। पाटसाणी जी बोलेंगे।

(*व्यवधान*)...*

सभापति महोदय: आप बैठ जाइए। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: यह सब रिकार्ड में नहीं जाएगा। आप बैठिये, पाटसाणी जी को बोलना है। कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। पाटसाणी जी आप बोलें।

...(*व्यवधान*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं कनक्लूड करना चाहता हूं।

सभापति महोदय: कितना समय आपको दे दिया है। चलिए, एक मिनट में कनक्लूड कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए ये जो दावा करते हैं कि करोड़ आदमियों के हस्ताक्षर आए हैं और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, तो हमारे तीन सवाल थे। जो पांच वर्षों तक हमने लड़ाई लड़ी थी और इन लोगों ने सुनवाई नहीं की, अब वही बात को फिर से दोहरा रहे हैं। उसमें तीन सवाल थे - कर्जा माफी वाला और पैकेज वाला, वह क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? आप लोगों की मांग पर छोड़ दिया है।...(*व्यवधान*) हम लोग जब राज्य में आए तो विशेष राज्य का दर्जा कुछ नहीं। इतना पैसे के लिए छलैया रलैया किया और फिर बैठ गए जहां के तहां।...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: अब आप बैठ जाइए। यह सब कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मुझे एक घोषणा करनी है।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)...*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: रघुवंश जी, बैठिये। आपकी बात हो गई है। आप सब बैठिये।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, इस संकल्प पर चर्चा के लिए आवंटित समय पूरा हो चुका है। मेरे पास नौ और सदस्यों की सूची है जो इस संकल्प पर बोलना चाहते हैं। यदि यह सभा सहमत हो तो इस संकल्प पर चर्चा का समय एक घंटे और बढ़ाया जा सकता है।

कई माननीय सदस्य: जी हां।

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): माननीय सभापति महोदया, मैं डा. भोला सिंह को अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सभा में आज इस संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे इस चर्चा में भाग लेने पर खुशी हो रही है।

इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और बात बता दूं कि श्री हुसैन, पूर्व मंत्री ने यहां दो बातें बिल्कुल सही कही हैं। एक बात यह है कि बिहार से मंत्रिमंडल में कोई मंत्री नहीं है। यही बात

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेरे राज्य में भी हुई है क्योंकि ओडीशा से केन्द्र में कोई मंत्रिमंडलीय मंत्री नहीं है। ओडीशा और बिहार सृष्टि के देवता भगवान जगन्नाथ के दिनों से बड़ी विरासत वाले एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपने भगवान जगन्नाथ का विश्व में सबसे बड़े विशालकाय मंदिर को देखा है जिसके ऊपर 16 फीट की त्रिज्या वाला एक दृष्टि यंत्र है और उसके ऊपर पतित पावन वन का उल्लेख करते हुए विश्व का सबसे बड़ा पुल है जो 180 फीट ऊंची है इसे विश्व में कहीं नहीं देखा जा सकता। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि 60 कि.मी. त्रिज्या के अंदर कोणार्क, चिंगराज और भगवान जगन्नाथ हैं जिसे विश्व में कहीं भी नहीं देखा जा सकता।

मैं आक्सफोर्ड के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। ऑक्सफोर्ड ज्ञान में ब्रितर्नियां को बढ़ावा देने वाला सर्वोत्तम उदाहरण है। यही बात नालंदा में हुई और यही बात ललितगिरी और उधमगिरी में हमारे ओडीशा राज्य में हुआ। उन दिनों से जगन्नाथ बुद्ध कहलाए और उन्हीं दिनों से अशोक मेरे राज्य ओडीशा में चंडाचिका में परिवर्तित हुए। साथ ही आप जानते हैं कि बिहार में ओडीशा के लाखों लाख लोग की हत्या और नरसंहार कर रहे हैं और वे बिहार के कारागारों में यातनाएं भोग रहे हैं। इसलिए यह परंपरा अभी से नहीं है। यह पुरानाम अपायम करुणालयम नमामी भागवतप़दम संकटम लोक संकटम है। इसलिए यह शिव और शंकर के सृजन-स्थल से है, और यह बिहार पाटलिपुत्र से कोणार्क से ओडीशा तक है। इसलिए मैं आपसे बता सकता हूं कि केन्द्र सरकार अभी से नहीं आजादी के दिनों से बिहार और ओडीशा की बहुत ज्यादा उपेक्षा कर रही है। इसलिए ये दोनों राज्य गरीबी रेखा से नीचे हैं।

हाल के दिनों में मैं श्री कारुनभाई वी. पटेल नामक कांग्रेस के मेरे मित्र के साथ सुडान और लीबिया में था। मैंने अपनी आंखों से सूडान में देखा है कि कुछ बिहारी बंधुआ मजदूर लीबिया में मुक्त नहीं हैं और यही बात सूडान में हुई। हम दोनों इस मुद्दे को लेकर संबंधित विदेश मंत्री और अध्यक्ष (स्पीकर) से भी मिले और उनकी बातें सुनी गई। इस समय आप विज्ञान के दौर में हैं। हमें इससे विश्वास है लेकिन इसका क्या हुआ।

इस समय हम अपने प्रतिभाशाली माध्यमों मोबाइल और लैपटॉप के साथ जी रहे हैं लेकिन इस आधुनिक युग में बिहारी या ओडिया बंधुआ मजदूर यहां भूखे मर रहे हैं। उस समय यह गगन कहलाता था और आज यह बंधुआ मजदूर कहलाता है। वे भूखे मर रहे हैं और अभी भी उनके बिहार और ओडीशा राज्य से बहुत दूर मजदूरी कर रहे हैं। ऐसा मैंने सूडान में होते देखा है। वे चिल्ला रहे हैं लेकिन चूंकि हम लोग वहां थे, इसलिए हम उन्हें मुक्त कर पाए। मैं अपने मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक का कृतज्ञ हूं जिन्होंने लीबिया से उन बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने में मदद की।

इस समय हम चर्चा के दौरान झगड़ा कर रहे हैं लेकिन हम धर्म वार महसूस नहीं कर रहे हैं जिसे मुझे विश्वास है कि आपके जैसे महोदय आपस में इसे महसूस करें। हम लोकतंत्र को महसूस नहीं कर रहे हैं और हम उन गरीब लोगों की दयनीय स्थिति के बारे में भी महसूस नहीं कर रहे हैं। यह लोकतंत्र नहीं है बल्कि यह असुरतंत्र है। यहां घोटाले से लेकर अब तक बहुत चर्चा हो चुकी है लेकिन आप ओडीशा और बिहार की स्थिति में देखें। यह बहुत ही दयनीय है। मैं ग्यारह राज्यों को यह विशेष दर्जा दिलाने के लिए केन्द्र सरकार का आभारी हूं लेकिन ओडीशा और बिहार जैसे दोनों राज्यों को इस दर्जे से वंचित क्यों किया गया है? चूंकि बिहार और ओडीशा दोनों की एक जैसी समस्यायें हैं समान विरासत और एक जैसी परंपरा है। मैं इन दोनों राज्यों के लिए विशेष दर्जे की मांग करता हूं।

मेरा आपके प्रति बहुत सम्मान है। इस मसले पर अवश्य चर्चा की जानी चाहिए और बिहार और ओडीशा के संबंध में विशेष दर्जे की घोषणा की जानी चाहिए। मैं आपके द्वारा सभा पटल पर रखे गए संकल्प का सम्मान करता हूं। मैं पुनः आपको सलाम करता हूं। मैं कहता हूं कि इस पर एक विधेयक के रूप से विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। इसे सभा के समक्ष अवश्य लाया जाना चाहिए और तत्पश्चात इसकी संवीक्षा हेतु इसे संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए और तब इस पर अंतिम स्वीकृति दी जानी चाहिए। आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय: सुशील कुमार जी, आप पांच मिनट बोलिए तो सब को बोलने का मौका मिल जाएगा। आप संक्षिप्त में अपने विचार रखिए।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, आदरणीय भोला बाबू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो प्रस्ताव सदन में रखा है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा सबसे पहला प्रश्न यह है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले तो क्यों, मैं इसके पक्ष में अपना तर्क एवं अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान की जो मूल अवधारणा है, वह बराबरी और समानता की है। इसलिए यह जो संघीय सरकार से मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, यह मांग कोई राजनीतिक, किसी दल विशेष की मांग नहीं है, यह मांग समानता के आधार पर भारतीय संविधान की मूल अवधारणा के आधार पर है। यह मेरा और बिहारियों का हक है, यह हर बिहारी का दावा है, हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में संघीय, भारत की सरकार से यह मांग रखते हैं कि वे हमें विशेष राज्य का दर्जा दे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना से जब देश आजाद हुआ,

पंचवर्षीय योजनाएं हुईं तो पहली पंचवर्षीय योजना से भारत सरकार यह हिसाब लगा ले, चूंकि भारत सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, अपने आंकड़ों को देख ले और बिहार के प्रतिनिधियों को आमने-सामने बैठा कर ये हिसाब लगा लें, ये बता दें कि पहली पंचवर्षीय योजना से देश के बाकी हिस्सों में प्रति व्यक्ति कितना निवेश हुआ, विभिन्न योजनाओं के तहत कितनी राशि अन्य प्रदेशों को गई और कितनी राशि बिहार के लिए गई।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिहार के साथ आजादी के 64 वर्षों तक जो नाइंसाफी और हकमारी होती रही, उसका आपको संक्षेप में विवरण देना चाहता हूं। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने, माननीय सदस्यों ने सारे तर्कों को रख दिया है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मैं अलग से यह बात कहना चाहता हूं कि बिहार की जनसंख्या लगभग दस करोड़ है और हमारा देश के खजाने में जो हिस्सा होना चाहिए, यदि मिला हो, भारत सरकार अपने आंकड़ों एवं तर्कों से बिहार के प्रतिनिधियों, वहां के बिहारियों को यदि बता दे कि आपके साथ कोई नाइंसाफी एवं हकमारी नहीं हुई तो हम इस मांग को छोड़ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम समानता एवं बराबरी के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए यह मांग हम लोगों ने रखी है। चाहे स्वास्थ्य की सुविधा का सवाल हो, बिहार में अस्पतालों के निर्माण की बात हो, देश के अन्य हिस्सों एवं प्रदेशों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उसके हिसाब से बिहार में नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी आबादी का जो घनत्व है, 1200 प्रति स्कवेयर किलोमीटर में बिहार की आबादी का घनत्व है। उसके हिसाब से हमारे यहां न स्कूल हैं, न विश्वविद्यालय हैं और न ही शिक्षक हैं। सड़क के मामले में, राष्ट्रीय राजमार्गों के विषय में अभी रघुवंश बाबू ने बताया है। यही हाल ग्रामीण सड़कों का है। बिजली की जो स्थिति है, अन्य सदस्यों ने उसकी चर्चा की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है, वह कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में है, यानि किसी भी क्षेत्र में आंकड़े देख लिए जायें, किसी भी क्षेत्र में बिहार को अभी तक उसका वाजिब हक नहीं मिला है।

बिहार की जो परिस्थिति है, उसमें बिहार दो हिस्सों में बंटा हुआ है। गंगा नदी के उत्तर के हिस्से को उत्तरी बिहार के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी का जो दक्षिणी भाग है, उसे दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता है।

सभापति महोदयः जरा संक्षिप्त करें, अन्य मैम्बर्स भी बोलेंगे।

श्री सुशील कुमार सिंहः मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाढ़ की चर्चा यहां हुई। बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है, वह विगत दो सालों से सुखाड़ की चपेट में था। इस वर्ष अभी 4-5 दिन से थोड़ी अच्छी वर्षा हुई है तो किसानों को थोड़ी उम्मीद जगी है, लेकिन एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सुखाड़ होने से हमारा यह हक बनता है कि भारत सरकार इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां होता क्या है कि हम मांगते कुछ हैं और हमें पकड़ा कुछ और दिया जाता है। बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में बिजलीघरों की स्थापना के लिए हम लोगों ने कोल लिंकेज मांगा तो भारत सरकार ने हमें कोल ब्लॉक पकड़ा दिया। हमें भूख लगी है, हमें खाने को अभी चाहिए तो भारत सरकार हमें बना हुआ खाना नहीं देकर चावल दे देती है, दाल दे देती है, आलू दे देती है, फिर हम उसको बनाएंगे। हम कोल ब्लॉक को डैवलप करेंगे, तब हम अपनी भूख मिटाएंगे। हम मांगते कुछ हैं, हमें पकड़ा कुछ दिया जाता है।

सभापति महोदयः अब संक्षिप्त करें।

श्री सुशील कुमार सिंहः महोदय, मैं बस खत्म कर रहा हूं।

मैं बिहार का जो स्वर्णिम अतीत है, उसकी चर्चा विस्तार से तो नहीं करना चाहता, लेकिन संक्षेप में उसे जरूर कहना चाहूंगा। मैं एक उदाहरण नाइंसाफी का और देना चाहूंगा। देश के अन्य हिस्सों में पर्यावरण के नियमों को शिथिल करते हुए कल-कारखानों के लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय की एक तरफ से जंगलों को काटने के लिए स्वीकृति दी जा रही है और बिहार के लोग जब सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगते हैं तो भारत सरकार उस पर रोक लगाती है। मेरे इलाके में ऐसी सिंचाई परियोजना है, जिससे 1.24 लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी और प्रतिवर्ष दो हजार करोड़ रुपये का अनाज उससे उत्पादित होगा, लेकिन भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने 2007 में उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है कि आप उस कुटकू डैम में लोहे का फाटक नहीं लगा सकते। जब तक हम लोहे का फाटक नहीं लगाएंगे, उसमें जल का भंडारण नहीं होगा और हमारी नहरों में पानी नहीं आ सकता तो इस तरह से हमारे साथ नाइंसाफी हर क्षेत्र में हो रही है।

आजादी के समय बिहार के लोगों की जो भागीदारी थी, वह किसी दूसरे से कम नहीं थी। 1857 की लड़ाई में बाबू और वीर कुंवर सिंह जी जैसे योद्धाओं ने वह उदाहरण प्रस्तुत किया, जो देश के इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। इसलिए मैं समानता के आधार पर, भारत के संविधान की मूल अवधारणा के आधार पर

भोला बाबू की मांग का समर्थन करते हुए यह मांग करता हूं कि भारत सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, ताकि हम देश के दूसरे राज्यों के बराबर खड़े हो सकें।

बस मैं यही कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ने के लिए डॉ. भोला सिंह जी ने जो संकल्प रखा है, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने इसके बारे में उल्लेख किया। बिहार एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हिंदुस्तान में जो ग्रोथ रेट है, उसको पीछे धकेलने में बिहार, उत्तर प्रदेश और कुछ जो पिछड़े प्रदेश हैं, उनकी वजह से ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं रही है। इसलिए कुछ लोग साउथ-नार्थ डिवाइड की बात करते हैं। साउथ में बहुत तरक्की हो रही है, वहां शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य विकास के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की है, लेकिन उसके मुकाबले जो उत्तर के राज्य हैं, उनमें उतनी तरक्की न होने की वजह से हिंदुस्तान विकास के रास्ते में बहुत धीमी गति से चलता हुआ दिखायी देता है। उत्तर के राज्यों में इनको बीमारू स्टेट्स की संज्ञा दी गयी। इसमें बिहार सम्मिलित है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों को कहा गया कि यहां धीमी गति से विकास हो रहा है और इसको आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है। अगर पूरे हिंदुस्तान का मुख्य भाग आगे विकास नहीं करता है, प्रगति के रास्ते पर नहीं बढ़ता है, तो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर राष्ट्र एक गौरवशाली इतिहास बनाना चाहता है, पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहता है, तो इन सब राज्यों को भी बाकी राज्यों के साथ विकास में आगे बढ़ना पड़ेगा। यह बताया गया कि इसकी दस करोड़ की आबादी है, वर्ष 2001 की जनगणना के हिसाब से यह आठ करोड़ तीस लाख है। इसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 15.7 फीसदी है। जैसा बताया गया कि यह पिछड़ा हुआ है, गरीबी के जो आंकड़े हैं, उनकी संख्या 1 करोड़ 60 लाख 40 हजार 990 है। यह टेंटेटिव फीगर है, जो कि एराइव किया गया। यह फेमिलीज की संख्या है। अगर एक परिवार में पांच सदस्य औसतन मान लिए जाएं तो आठ करोड़ की जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे हैं। दस करोड़ की आबादी में अगर आठ करोड़ गरीब हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि यह प्रदेश बहुत पिछड़ा है और इसको विशेष सहायता और विशेष दर्जा देने की आवश्यकता है और इसको विकास के रास्ते में आगे बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। आदरणीय रघुवंश बाबू ने जैसा कि बताया कि हमारी सड़कों को बारहवां हिस्सा पूरे हिंदुस्तान भर का आबादी के हिसाब से होना चाहिए। बिहार का जो एरिया है, अगर पूरे हिंदुस्तान भर का क्षेत्रफल देखा जाए, तो यह तीन फीसदी है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से आठ फीसदी से ज्यादा है। इस तरह यह बारहवां हिस्सा है, लेकिन बारहवें हिस्से के बराबर जो हमारी रूरल रोड्स हैं, वह मात्र 81 हजार 655 किलोमीटर हैं, नेशनल हाईवेज 3629 किलोमीटर हैं, स्टेट हाईवेज 3232 किलोमीटर हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड केवल 7114 किलोमीटर हैं। यह विकास का अगर आइना है, तो मैं समझता हूं कि हम सब हिंदुस्तानियों को शर्म आनी चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था सब जगह नहीं है। एक आंकड़े के हिसाब से 3863 अनुसूचित जाति की आबादी है, जिसे 9 गैलन पानी भी एक दिन में नहीं मिलता है। इस ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 533 पी.एच.सी. हैं, 8858 सब-सेंटर्स हैं और प्राइमरी और सेकेंड्री स्कूल्स की एवलेबिलिटी दस हजार की आबादी पर केवल पांच हैं। अगर यह मान लिया जाए कि एक परिवार में पांच व्यक्ति होते हैं, तो दो हजार परिवार हुए। हर परिवार में दो बच्चे अगर प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, तो चार हजार बच्चों के लिए, दो सौ के एवरेज को अगर देख लिया जाए, तो बीस स्कूल अवश्य चाहिए। लेकिन उसके मुकाबले पांच स्कूल भी नहीं हैं। यह हमको देखना चाहिए। बहुत सही बातें बताई गई कि वहां बिजली की सुविधा नहीं है। वहां की सड़कें खराब हैं। हमारी जो प्राकृतिक संपदा है वह झारखंड में चली गई। बिहार एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र रह गया है। उसमें कोई साधन नहीं है, कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। वहां सेन्ट्रल या स्टेट पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं है। इनकी वजह से वहां की आय ग्यारह हजार रुपया प्रति व्यक्ति बताई गई है। चंडीगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 80 हजार रुपया है। औसत अगर लगाया जाता है तो 44 हजार रुपया है। उसके मुकाबले हमारे बिहार की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ ग्यारह हजार रुपया है। सभी पहलुओं पर आपने प्रकाश डाला है। मैं शिक्षा के बारे में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि बगैर शिक्षा के कोई विकास संभव नहीं है। यहां अगर पूरे हिन्दुस्तान का एवरेज वर्ष 2001 के हिसाब से देखा जाए तो साक्षरता रेट 65.4 फीसदी है लेकिन बिहार की साक्षरता रेट सिर्फ 47 फीसदी है।

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त करें।

श्री पन्ना लाल पुनिया: पूरे हिन्दुस्तान में महिलाओं की साक्षरता दर 54.2 फीसदी है लेकिन बिहार में 38.1 फीसदी है। इसमें कितना फर्क है।

सभापति महोदय: आपने बहुत अच्छे आंकड़े दिए हैं कृपया संक्षिप्त करिए।

श्री पन्ना लाल पुनिया: पुरुषों की साक्षरता दर 76 फीसदी है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में 20 फीसदी भी साक्षरता दर नहीं है, ऐसे छ: जिले हैं। उन छ: जिलों में शिवहर में शैड्यूल्ड कास्ट्स की साक्षरता दर सबसे कम है जो 16.9 फीसदी है। विशेषरूप से मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर कोई रेजिडेन्शल स्कूल नहीं है। वहां पर कोई विशेष योजना भी नहीं है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बिहार में आठ जनपद ऐसे हैं जिसमें शैड्यूल्ड कास्ट्स महिला साक्षरता दर 10 फीसदी से भी कम है जिसमें सबसे कम सुपौल 7.5 फीसदी है और यहां कोई रेजिडेन्शल स्कूल नहीं है और न ही यहां कोई अलग से व्यवस्था है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हम आर्थिक क्षेत्रीय असंतुलन खत्म करने की बात करते हैं तो समाज के विभिन्न वर्गों में जो असंतुलन है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अनुसूचित जाति की साक्षरता दर की अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो पूरे बिहार के अनुसूचित जाति के महिलाओं की साक्षरता दर 15.5 फीसदी है, ओवर ऑल 28.5 फीसदी है।

सभापति महोदय: बस हो गया। अर्जुन राय जी खड़े हों।

श्री पन्ना लाल पुनिया: पूरे हिन्दुस्तान भर के आंकड़े देखिए और अनुसूचित जाति के आंकड़े देख लीजिए। अनुसूचित जाति के विकास के लिए शेडयुल कॉस्ट का प्लान है उसमें 15.7 फीसदी खर्चा होनी चाहिए लेकिन खर्चा सिर्फ 7 फीसदी होता है। फिर भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिससे आर्थिक दृष्टि से उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया। डाक्टर भोला सिंह जी ने बिहार को विशेष दर्जा देने के लिए जो संकल्प रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी): सभापति जी, डॉ. भोला सिंह जी के द्वारा लाए गए गैर-सरकारी संकल्प के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। समय ज्यादा हो चुका है। मैं कुछ ही विषयों पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

सभापति महोदय: समय कम है इसलिए थोड़ा संक्षिप्त कर देंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री अर्जुन राय: सभापति जी, बिहार के संबंध में ज्यादा कुछ कहना नहीं है। जब नालंदा विश्वविद्यालय था तो दुनिया के लोग अध्ययन एवं अध्यापन के लिए आते थे। दस हजार स्टुडेन्ट्स के रहने की वहां व्यवस्था थी। आज का जो बिहार है, दुनिया का सबसे उपजाऊ भू-भाग जो गंगा का बेसिन है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान है वह दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदान है। इससे ज्यादा उपजाऊ मैदान दुनिया में कहीं नहीं है। इस देश के सभी लोग मेहनती हैं लेकिन बिहार के जो लोग हैं वे शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। बिहार का इतिहास गौरवशाली है। लोकतंत्र का जन्म लिच्छवी में हुआ, बिहार के वैशाली जहां से रघुवंश बाबू एम.पी. हैं, हम उसी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। गौतम बुद्ध ने दुनिया को मध्य मार्ग का संदेश बिहार से दिया। वह गुरु गोबिंद सिंह की धरती है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह की धरती है। हमारा इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन आज बिहार कहां जाकर खड़ा है।

सभापति जी, मैंने वर्ष 1993-94 से लेकर 2004-05 तक का एक आंकड़ा देखा। जी.एस.डी.पी. इन दस वर्षों में बिहार में सबसे कम था। कभी पंजाब आगे, कभी महाराष्ट्र आगे और कभी सारे राज्य आगे। यह अच्छी बात है, विकसित राज्य हैं, अच्छा करें, लेकिन हमारा जी.एस.डी.पी. सबसे अंतिम पायदान पर है। आखिर हमारे पास इतने संसाधन हैं। जब झारखंड और बिहार साथ था, देश के सबसे ज्यादा मिनरल्स आयरन और कोल, अभ्रक, बॉक्साइड आदि बिहार में सबसे ज्यादा थे। जो भी उद्योग धंधे लगे, वे झारखंड में चले गए और अभी के बिहार में पानी, बालू और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। बिहार में आज ये तीन रिसोर्सेज हैं जिनके बल पर बिहार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है।

मैं एक मिनट में आदरणीय रघुवंश बाबू के कुछ प्रश्नों का जवाब भी इसी माध्यम से देना चाहते हैं। रघुवंश बाबू ने कहा कि आदरणीय राबड़ी देवी जब बिहार की चीफ मिनिस्टर थी तो उन्होंने स्पैशल स्टेटस की मांग की थी। उस समय अटल जी प्रधान मंत्री थे। हम निवेदनपूर्वक कहना चाहते हैं कि आप बड़े नेता हैं, बड़ी नॉलेज भी है, लेकिन जब नीतीश जी बिहार में नवम्बर, 2005 में सत्ता में आए, उनके साथ राज्य में मैं भी मंत्री था। इनका साल का 4 हजार करोड़ रुपये का प्लान हैड था। जब नीतीश जी सत्ता में आए, उसके बाद 8 हजार करोड़ रुपये, 10 हजार करोड़ रुपये, 16 हजार करोड़ रुपये, 20 हजार करोड़ रुपये और 24 हजार करोड़ रुपये हो गये। हमने अपना प्लान साइज बढ़ाया। माननीय मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी ने काम करने का प्रयास किया। लॉ एंड आर्डर ठीक हुआ। बिहार बढ़ रहा है, यह हम नहीं कहते, हमारी सरकार नहीं कहती, दुनिया में प्रसिद्ध श्री अमर्त्य सेन भी बिहार में जाकर कहते हैं कि बिहार बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। श्री ए. पी.जे. अब्दुल कलाम कहते हैं कि बिहार तरक्की कर रहा है।

सभापति महोदय, समय का अभाव है। हम बताना चाहते हैं कि आखिर बिहार की तरक्की कैसे होगी। बिहार में 24 से 26 नदियां नेपाल से आती हैं, मैक्सिमम नदियां बारह मासी हैं। एक लोक सभा क्षेत्र में, जहां से हम सांसद हैं, उस इलाके में 24

नदियां बहती हैं। बाढ़ मानसून के समय फ्लड जोन हो जाता है। ..(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप अपनी बात थोड़ी संक्षिप्त कीजिए।

...(*व्यवधान*)

श्री अर्जुन राय: हमारे 20 एम.पी. हैं और हम पहले एम. पी. बोलने के लिए खड़े हुए हैं।...(*व्यवधान*) हम अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस का समय छ: बजे खत्म हो जाएगा। इसलिए समय कम है।

...(*व्यवधान*)

श्री अर्जुन राय: मैं संक्षेप में बोल रहा हूं। भारत सरकार ने नेपाल सरकार से कोई पहल नहीं की, चाहे हाइड्रो पावर के क्षेत्र में हो या नदी के पानी का खेतों में प्रॉपर यूटीलाइजेशन हो। भारत सरकार ने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया। वर्ष 2007-08 में बिहार में भीषण बाढ़ आई। वर्ष 2007 में 23 जिले वॉश आउट हो गए, लेकिन भारत सरकार ने कोई मदद नहीं की। वर्ष 2008 में माननीय प्रधान मंत्री जी जब कोसी की त्रासदी में गए तो उन्होंने उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित की। जब बिहार सरकार ने कोसी के नवनिर्माण के लिए 14 हजार करोड़ रुपये की डिमांड की, प्रधान मंत्री जी ने अनसुनी कर दी, भारत सरकार ने अनसुनी की और कोई पैसा नहीं मिला। मात्र एक हजार करोड़ रुपये मिले, उसे भी वापिस करने का पत्र चला गया था। हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। इसके लिए हमारे पास क्या आधार हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप थोड़ा संक्षिप्त कीजिए। समय का ध्यान रखिए।

...(*व्यवधान*)

श्री अर्जुन राय: मैं संक्षेप में बता रहा हूं।

सभापति जी, रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न राज्यों में राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दरें - दसवीं योजना में हमारी विकास दर 4.7 प्रतिशत थी। जो स्पैशल कैटेगरी के राज्य हैं - अरुणाचल प्रदेश में 5.8 प्रतिशत, असम में 6.1 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 7.3 प्रतिशत, जम्मू कश्मीर में 5.2 प्रतिशत, मणिपुर में 11.6 प्रतिशत है।

सायं 6.00 बजे

इस तरह से जितने भी ग्यारह स्पेशल स्टेटस के स्टेट्स हैं, उनकी विकास दरें हमसे बहुत अधिक हैं। हमारा विकास दर सबसे कम है। हमारे यहां सामरिक दृष्टिकोण की जगह है और इंटरनैशनल बॉर्डर लाइन टच करती है। माओवादी एक्टिविटी नेपाल से यहां माइग्रेट करती है।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप अपनी बात संक्षिप्त कीजिए।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(*व्यवधान*)

श्री अर्जुन राय: हमारा फाइनेंशियल स्टेटस भी कमजोर है। चूंकि समय की कमी है और हमें विस्तार से बताना है कि आखिर बिहार के साथ इस तरह से भेदभाव होता रहा, जहां 1 करोड़, 40 हजार परिवार पावर्टी लाइन के नीचे हैं...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त कीजिए, क्योंकि समय हो गया है।

...(*व्यवधान*)

श्री अर्जुन राय: हम भारत सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, हमारी पार्टी ने सवा करोड़ लोगों का हस्ताक्षर दिया है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस की मान्यता दीजिए और भोला बाबू जो गैर सरकारी संकल्प लाये हैं, उसे स्वीकार किया जाये। हम आपके माध्यम से सदन से आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाये।

सभापति महोदय: श्री पुतुल कुमारी जी, आप अपनी बात एक मिनट में खत्म कीजिए।

...(*व्यवधान*)

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): सभापति महोदय, मैंने अभी अपनी बात शुरू भी नहीं की है।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप बाद में फिर बोलेंगी।

...(*व्यवधान*)

श्रीमती पुतुल कुमारी: सभापति महोदय, बिहार पर चल रही विशेष चर्चा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए

मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मुझे इस चर्चा में बोलते हुए थोड़ी प्रसन्नता भी हो रही है और थोड़ा दुख भी। मुझे प्रसन्नता इसलिए हो रही है, क्योंकि यह बहुत अहम विषय है और मुझे इस पर बोलने का मौका मिला। मुझे दुख इसलिए है कि हम जहां आजादी के बाद...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: आप आगे भी बोलेंगी। जब नेक्स्ट सैशन आयेगा, यानी जब यह संकल्प लगेगा, तब आप बोलेंगी। आपकी बात कन्टीन्यू रहेगी। जब आगे इस संकल्प पर चर्चा होगी, तो आप ही बोलेंगी।

श्रीमती पुतुल कुमारी: ठीक है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा 16 अगस्त, 2011 को पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 16 अगस्त, 2011/25 श्रावण 1933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री पी.आर. नटराजन श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	181
2.	श्री उदय प्रताप सिंह श्री तूफानी सरोज	182
3.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्री आनंद प्रकाश परांजपे	183
4.	श्री मनीष तिवारी	184
5.	श्रीमती दर्शना जरदोश श्री हरिन पाठक	185
6.	श्री जितेन्द्र सिंह मलिक श्री एम.के. राघवन	186
7.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी श्री धर्मेन्द्र यादव	187
8.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी श्री मानिक टैगोर	188
9.	श्री एल. राजगोपाल श्री पी.के. बिजू	189
10.	श्री समीर भुजबल	190
11.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह श्री अनंत कुमार हेगड़े	191
12.	श्री पी. कुमार डॉ. पी. वेणुगोपाल	192
13.	श्री वीरेन्द्र कुमार श्री मंगनी लाल मंडल	193
14.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	194
15.	श्री नारनभाई कछाड़िया	195
16.	श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	196
17.	श्री एस. सेम्मलई श्री प्रहलाद जोशी	197
18.	श्री शरीफुद्दीन शारिक	198
19.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव श्री गुरुदास दासगुप्त	199
20.	श्री भक्त चरण दास डॉ. कृपारानी किल्ली	200

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री बसुदेव आचार्य	2091
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	2130, 2152, 2185, 2190, 2223
3.	श्री सुवेन्दु अधिकारी	2158, 2277
4.	श्री आनंदराव अडसुल	2152, 2185, 2289,
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	2199
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	2115
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	2111, 2167, 2272,
8.	श्री बदरुद्दीन अजमल	2077
9.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	2108, 2147, 2167
10.	श्री नारायण सिंह अमलावे	2135
11.	श्री सुरेश अंगड़ी	2114
12.	श्री घनश्याम अनुरागी	2152, 2283
13.	श्री अशोक अर्गल	2168
14.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	2147, 2204
15.	श्री गजानन ध. बाबर	2152, 2190, 2223, 2229, 2280
16.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	2147, 2273, 2283, 2286
17.	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	2245
18.	श्री रमेश बैस	2072, 2180, 2286, 2215
19.	डॉ. बलीराम	2285
20.	श्री अम्बिका बनर्जी	2249
21.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	2289
22.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	2239, 2260
23.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	2150

1	2	3
24.	श्री सुदर्शन भगत	2146, 2218
25.	श्री संजय भोई	2173
26.	श्री समीर भुजबल	2273
27.	श्री पी.के. बिजू	2190, 2290, 2295
28.	श्री हेमानंद बिसवाल	2122
29.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	2190, 2198
30.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	2085
31.	श्री सी. शिवासामी	2142
32.	श्री हरीश चौधरी	2161, 2195
33.	श्री जयंत चौधरी	2079
34.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	2083, 2284
35.	श्री संजय सिंह चौहान	2192
36.	श्री दारा सिंह चौहान	2258
37.	श्री प्रभातसिंह पी. चौहान	2089, 2212
38.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	2118
39.	श्री भूदेव चौधरी	2221, 2247
40.	श्रीमती श्रुति चौधरी	2270, 2282
41.	श्री अधीर चौधरी	2137
42.	श्री भक्त चरण दास	2280
43.	श्री राम सुन्दर दास	2272, 2277
44.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	2246, 2283
45.	श्रीमती जे. हेलेन डेविडसन	2241
46.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	2147
47.	श्री के.डी. देशमुख	2090
48.	श्रीमती रमा देवी	2129, 2195
49.	श्री के.पी. धनपालन	2167, 2277
50.	श्री संजय धोत्रे	2283

1	2	3
51.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	2148, 2212
52.	डॉ. रामचन्द्र डोम	2091
53.	श्री निशिकांत दुबे	2164, 2167, 2201, 2277, 2287
54.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	2238, 2280, 2289, 2299
55.	श्रीमती प्रिया दत्त	2164, 2283, 2286
56.	श्री पी.सी. गद्दीगौदार	2217
57.	श्री गढ़वी मुकेश भैरवदानजी	2121
58.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	2271, 2274, 2275
59.	श्री वरुण गांधी	2146, 2154
60.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	2167, 2212
61.	श्री ए. गणेशमूर्ति	2172
62.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	2171
63.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	2181
64.	श्री मोहम्मद असरारुल हक	2145
65.	शेख. सैदुल हक	2224
66.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	2184
67.	श्री बलीराम जाधव	2163, 2281
68.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	2196, 2253
69.	डॉ. संजय जायसवाल	2177, 2272
70.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	2170
71.	श्री बद्रीराम जाखड़	2075, 2253, 2259
72.	श्रीमती दर्शना जरदोश	2276, 2298
73.	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	2190, 2283
74.	श्री हरिभाऊ जावले	2245, 2259
75.	श्रीमती जयाप्रदा	2203, 2274, 2280, 2292

1	2	3
76.	श्री नवीन जिन्दल	2078, 2202, 2280, 2281
77.	श्री महेश जोशी	2261
78.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	2239, 2278,
79.	श्री प्रहलाद जोशी	2193
80.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	2096
81.	डॉ. ज्योति मिर्धा	2263
82.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	2179
83.	श्री पी. करुणाकरन	2175
84.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	2109, 2202, 2272
85.	श्री राम सिंह कस्वां	2107
86.	श्री लाल चंद कटारिया	2220
87.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	2119, 2242, 2282, 2283, 2294
88.	श्री चंद्रकांत खैरे	2138
89.	डॉ. कृपारानी किल्ली	2246, 2253, 2292
90.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	2176
91.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	2086, 2198, 2283, 2281
92.	श्री मधु कोड़ा	2257
93.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	2131
94.	श्री एन. कृष्टप्प	2100
95.	श्री मिथिलेश कुमार	2076, 2163
96.	श्री विश्व मोहन कुमार	2164, 2180, 2287
97.	श्री पी. कुमार	2142, 2279
98.	श्री शैलेन्द्र कुमार	2153
99.	श्री यशवंत लागुरी	2087, 2206
100.	श्री सुखदेव सिंह	2219
101.	श्री पी. लिंगम	2200, 2299
102.	श्री एम. कृष्णास्वामी	2281
103.	श्री विक्रमभाई अर्जुनभाई मादम	2102, 2186
104.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	2197, 2230, 2282
105.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	2242, 2283
106.	श्री नरहरि महतो	2117, 2281, 2286
107.	श्री भर्तृहरि महताब	2161, 2190, 2222
108.	श्री प्रदीप माझी	2175, 2183, 2187, 2275
109.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	2244, 2287
110.	डॉ. तरुण मंडल	2299
111.	श्री जोस के मणि	2073
112.	श्री हरि मांझी	2286
113.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	2172
114.	श्री रघुवीर सिंह मीणा	2162
115.	श्री दत्ता मेघे	2265
116.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	2134, 2167
117.	डॉ. थोकचोम मैन्या	2225
118.	श्री महाबल मिश्रा	2164, 2264
119.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	2240
120.	श्री सोमेन मित्रा	2291
121.	श्री पी.सी. मोहन	2072, 2164, 2279
122.	श्री गोपीनाथ मुंडे	2072, 2164, 2180
123.	श्री विलास मुत्तेमवार	2146, 2152, 2226
124.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	2147, 2283
125.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	2072
126.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	2140, 2213
127.	श्री जफर अली नकवी	2216, 2282

1	2	3
128.	श्री नारनभाई कछाड़िया	2212
129.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	2197
130.	श्री संजय निरुपम	2207
131.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	2280
132.	श्री जगदम्बिका पाल	2231, 2280, 2282
133.	श्री वैजयंत पांडा	2186, 2210, 2225, 2294
134.	श्री प्रबोध पांडा	2214
135.	कुमारी सरोज पाण्डेय	2080
136.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	2084, 2274, 2280
137.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	2173, 2271, 2274, 2275
138.	श्री देवजी एम. पटेल	2212, 2255
139.	श्री आर.के सिंह पटेल	2189
140.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	2116, 2285
141.	श्री बाल कुमार पटेल	2178, 2280
142.	श्री किसनभाई वी. पटेल	2175, 2183, 2187, 2275
143.	श्री हरिन पाठक	2287
144.	श्री संजय दिना पाटील	2193
145.	श्री ए.टी. नाना पाटील	2252, 2292
146.	श्रीमती भावना पाटील गवली	2280
147.	श्री सी.आर. पाटिल	2101, 2146, 2285
148.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	2271, 2274, 2275
149.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	2251, 2267
150.	श्रीमती कमला देवी पटले	2290
151.	श्री पोन्नम प्रभाकर	2141, 2173
152.	श्री अमरनाथ प्रधान	2256

1	2	3
153.	श्री नित्यानंद प्रधान	2186, 2210, 2294
154.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	2294
155.	श्री प्रेमदास	2283, 2288
156.	श्री पन्ना लाल पुनिया	2272, 2275, 2282, 2286, 2290
157.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	2284
158.	श्री एम.के. राघवन	2243, 2282
159.	श्री अब्दुल रहमान	2166
160.	श्री प्रेम दास राय	2243
161.	श्री रमाशंकर राजभर	2237
162.	श्री सी. राजेन्द्रन	2248, 2286
163.	श्री एम.बी. राजेश	2071, 2202
164.	श्री पूर्णमासी राम	2156, 2286
165.	प्रो. राम शंकर	2255
166.	श्री रामकिशुन	2280, 2286
167.	श्री कादिर राणा	2088, 2283, 2296
168.	श्री निलेश नारायण राणे	2126
169.	श्री रायापति सांबासिवा राव	2139, 2191, 2234, 2270, 2285
170.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	2235, 2280
171.	श्री रामसिंह राठवा	2113
172.	श्री अशोक कुमार रावत	2151, 2180, 2189
173.	श्री अर्जुन राय	2155
174.	श्री विष्णु पद राय	2128
175.	श्री रुद्र माधव राय	2123, 2190, 2245, 2280
176.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	2275
177.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	2167, 2219

1	2	3
178.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	2147, 2282
179.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	2082
180.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	2117, 2281, 2286
181.	श्री महेन्द्र कुमार राय	2250
182.	श्री एस. अलागिरी	2205, 2269
183.	श्री एस. पक्कीरप्पा	2098, 2146
184.	श्री एस.आर. जेयदुरई	2239, 2268
185.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	2074, 2184, 2283
186.	श्री ए. संपत	2091, 2209, 2297
187.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	2209
188.	श्री तूफानी सरोज	2163
189.	श्री हमदुल्लाह सईद	2093, 2146, 2283, 2286
190.	श्रीमती जे. शांता	2092, 2286, 2292
191.	श्री जगदीश शर्मा	2146
192.	श्री नीरज शेखर	2203, 2274, 2280, 2292
193.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	2233
194.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	2139, 2159
195.	श्री राजू शेट्टी	2144
196.	श्री एंटो एंटोनी	2165
197.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	2149
198.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	2202, 2211, 2259
199.	श्री नवजोत सिंह सिद्धू	2163, 2196
200.	डॉ. भोला सिंह	2169, 2280
201.	श्री भूपेन्द्र सिंह	2094, 2146, 2190
202.	श्री गणेश सिंह	2286
203.	श्री इज्यराज सिंह	2186

1	2	3
204.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	2164, 2283
205.	श्रीमती मीना सिंह	2219, 2262
206.	श्री मुरारी लाल सिंह	2276
207.	श्री पशुपति नाथ सिंह	2110, 2167, 2196, 2249
208.	श्री राधा मोहन सिंह	2221
209.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	2164, 2227, 2283
210.	श्री राकेश सिंह	2104, 2281
211.	श्री रवनीत सिंह	2099, 2161
212.	श्री उदय सिंह	2146, 2202, 2254
213.	श्री यशवीर सिंह	2203, 2280, 2280, 2292
214.	चौ. लाल सिंह	2174
215.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	2280
216.	श्री रेवती रमण सिंह	2164, 2282
217.	श्री राधे मोहन सिंह	2243, 2251
218.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	2155, 2278
219.	राजकुमारी रत्ना सिंह	2205
220.	श्री उमाशंकर सिंह	2185, 2209, 2251
221.	श्री विजय बहादुर सिंह	2143, 2190, 2272
222.	डॉ. संजय सिंह	2293
223.	श्री यशवंत सिन्हा	2282
224.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	2191, 2291
225.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	2124, 2167
226.	श्री मकनसिंह सोलंकी	2167, 2299
227.	श्री के. सुधाकरण	2300
228.	श्री ई.जी. सुगावनम	2095, 2275

1	2	3
229.	श्री के. सुगुमार	2133
230.	श्रीमती सुप्रिया सुले	2213, 2140
231.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	2120, 2217
232.	डॉ. राजन सुशान्त	2157, 2280
233.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	2097, 2282
234.	श्रीमती तबस्सुम हसन	2196, 2266
235.	श्री मानिक टैगोर	2235
236.	श्रीमती अन्नू टन्डन	2130, 2202, 2274, 2281, 2289
237.	श्री बिभू प्रसाद तराई	2132
238.	श्री जगदीश ठाकोर	2127, 2283
239.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	2125
240.	श्री आर. थामराईसेलवन	2161, 2292
241.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	2224
242.	डॉ. शशी थरूर	2182
243.	श्री पी.टी. थॉमस	2212, 2232, 2280
244.	श्री मनोहर तिरकी	2244, 2287
245.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	2272, 2277
246.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	2136

1	2	3
247.	श्री जोसेफ टोप्पो	2112, 2290
248.	श्री लक्ष्मण टुडु	2087
249.	श्री शिवकुमार उदासी	2228
250.	श्री हर्ष वर्धन	2202
251.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	2083, 2105, 2206, 2293
252.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	2142
253.	श्री सज्जन वर्मा	2142, 2167
254.	श्री पी. विश्वनाथन	2103, 2283
255.	डॉ. गिरिजा व्यास	2236
256.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	2081
257.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	2208, 2283, 2286
258.	श्री अंजन कुमार एम. यादव	2105, 2106, 2186
259.	श्री धर्मेन्द्र यादव	2185, 2280
260.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	2202, 2239
261.	श्री ओम प्रकाश यादव	2160, 2280
262.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	2196, 2202, 2234, 2239
263.	श्री मधुसूदन यादव	2188, 2276
264.	योगी आदित्यनाथ	2194.

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	181, 182, 184, 192
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	183, 185, 189, 193, 197, 198, 199
खान	:	191
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	188
पंचायती राज	:	187, 196
विद्युत	:	186, 190
पर्यटन	:	195
जनजातीय कार्य	:	200
महिला और बाल विकास	:	194

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	2071, 2072, 2073, 2076, 2091, 2097, 2100, 2103, 2104, 2105, 2113, 2115, 2125, 2126, 2133, 2134, 2140, 2143, 2144, 2147, 2149, 2155, 2156, 2157, 2158, 2161, 2163, 2168, 2171, 2173, 2174, 2175, 2176, 2178, 2181, 2191, 2195, 2198, 2201, 2203, 2205, 2207, 2209, 2211, 2214, 2215, 2218, 2222, 2227, 2228, 2230, 2234, 2235, 2239, 2241, 2244, 2245, 2247, 2249, 2251, 2252, 2253, 2258, 2260, 2261, 2265, 2267, 2274, 2281, 2284, 2285, 2291, 2293, 2295
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	2075, 2078, 2080, 2084, 2088, 2090, 2092, 2093, 2095, 2098, 2101, 2107, 2109, 2111, 2114, 2123, 2127, 2130, 2137, 2145, 2146, 2151, 2152, 2162, 2164, 2167, 2170, 2172, 2179, 2180, 2184, 2187, 2190, 2194, 2196, 2197, 2199, 2200, 2202, 2204, 2208, 2213, 2219, 2220, 2221, 2224, 2226, 2229, 2236, 2237, 2238, 2240, 2254, 2255, 2262, 2263, 2266, 2268, 2269, 2271, 2273, 2275, 2276, 2279, 2280, 2283, 2288, 2289, 2294, 2298, 2299
खान	:	2096, 2116, 2166, 2206, 2210, 2217, 2256
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	2119, 2121, 2122, 2136, 2160, 2165, 2177, 2186, 2192, 2212, 2297
पंचायती राज	:	2081, 2118, 2128, 2246, 2277, 2292
विद्युत	:	2074, 2085, 2087, 2099, 2124, 2132, 2135, 2138, 2159, 2169, 2183, 2185, 2193, 2231, 2232, 2242, 2248, 2264, 2272, 2278, 2282, 2290
पर्यटन	:	2108, 2120, 2029, 2141, 2189, 2243
जनजातीय कार्य	:	2079, 2082, 2083, 2089, 2102, 2112, 2131, 2142, 2148, 2150, 2154, 2188, 2216, 2257, 2300
महिला और बाल विकास	:	2077, 2086, 2094, 2106, 2110, 2117, 2139, 2153, 2182, 2223, 2225, 2233, 2250, 2259, 2270, 2286, 2287, 2296

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/17/10/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मै. धनराज एसोसिएट्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

0 8 b